दशम माला, खंड 15, अंक 26

मंगलवार, 11 अगस्त, 1992
20 श्रावण, 1914 (शक)

Aug-Sep 92 - 28

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

चौथा सत्र

(दसवीं लोक सभा)

PARLIAMENT LIBRARY
No. 64
Date 26/4/93

(खंड 15 में अंक 21 से 31 तक हैं।)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

(मूल्य : चार रुपये)

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।]

विषय-सूची

राज्य सभा, खंड 15, चौथा सत्र, 1992/1914 (शक)

अंक 26, मंगलवार, 11 अगस्त, 1992/20 श्रावण, 1914 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	
*तारांकित प्रश्न संख्या : 491 से 491	1—22
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	22—229
तारांकित प्रश्न संख्या : 495 से 510	22—57
अतारांकित प्रश्न संख्या : 5147 से 5340 और 5340क	57—229
1942 की अगस्त-क्रान्ति के स्वर्ण-जयन्ती समारोहों के बारे में	229—44
राज्य सभा से संदेश	244
विशेषाधिकार समिति	244
पहला प्रतिवेदन—प्रस्तुत	244
सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति	
छठा प्रतिवेदन—प्रस्तुत	244
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति	
तीसरा प्रतिवेदन—प्रस्तुत	245
नियम 377 के अधीन मामले	245—48
(एक) महाराष्ट्र राज्य में सहकारी कताई मिलों को वित्तीय सहायता दिए जाने सम्बन्धी महाराष्ट्र सरकार के प्रस्तावों को स्वीकृत दिए जाने की आवश्यकता	
श्री अनंतराव देशमुख	245

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
(दो) बोलंगीर, उड़ीसा के शिक्षित युवकों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता	
श्री शरत चन्द्र पटनायक	245
(तीन) उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता	
मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खंडूरी	246
(चार) बिहार के आदिवासी बहुल क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों के लिए प्रशिक्षण केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता	
श्री नीतीश कुमार	246
(पांच) उड़ीसा के देंकानाल जिले में बारासुआलो के प्राचीन मन्दिरों की सुरक्षा और संरक्षण किए जाने की आवश्यकता	
श्री के० पी० सिंह देव	247
(छः) यह सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता कि कानपुर की सूती कपड़ा मिलों में लगे श्रमिकों की छंटनी न की जाए।	
श्री जगतवीर सिंह द्रोण	247
सभा पटल पर रखे गए पत्र	248—52
विदेशी मुद्रा संरक्षण (यात्रा) कर उत्सादन अध्यादेश का निरनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प	
और	
विदेशी मुद्रा संरक्षण (यात्रा) कर उत्सादन विधेयक, 1992	252—74
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे	252
श्री रामेश्वर ठाकुर	253
श्री पृथ्वीराज डी० चव्हाण	255
श्री गिरधारी लाल भार्गव	257
श्री मोहन सिंह (देवरिया)	260
श्री सुधीर गिरि	262
श्री अन्ना जोशी	264

विषय	पृष्ठ
विदेशी मुद्रा संरक्षण (यात्रा) कर उत्सादन अध्यादेश का निरनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प—अस्वीकृत	
विदेशी मुद्रा संरक्षण (यात्रा) कर उत्सादन विधेयक, 1992	265—74
खंडवार विचार	267—68
पारित करने के लिए प्रस्ताव	
श्री रामेश्वर ठाकुर	267
श्री जार्ज फर्नाण्डीज	268
श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी	273
जम्मू-कश्मीर के सम्बन्ध में की गई उद्घोषणा को जारी रखने का अनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प	
और	
अनुदानों की मांगें (जम्मू-कश्मीर), 1992-93	274—87, 296—344
श्री एस० बी० चव्हाण	274
श्री मदन लाल खुराना	280
श्री रमेश चेन्नितला	284
श्री मुमताज अंसारी	296
श्री सैयद मसूदल हुसैन	301
श्री लोकनाथ चौधरी	304
श्री अयूब खां	307
प्रो० प्रेम धूमल	315
श्री बी० राजा रवि वर्मा	318
श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे	319
श्री पीयूष तीरकी	321
श्री ई० अहमद	322
श्री चित्त बसु	323
श्री छेदी पासवान	325
श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह	326
श्री शांतीराम पोटदुखे	333

विषय	पृष्ठ
मन्त्री द्वारा वक्तव्य	287—96
(एक) राष्ट्रीय वस्त्र निगम और ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन में सम्बन्ध में परिवर्तित नीति	
श्री अशोक गहलोत	287
(दो) विशेष न्यायालय (प्रतिभूति संव्यवहार अपराध विचारण) अध्यादेश, 1992 द्वारा तुरन्त विधान बनाए जाने के कारणों को बताने वाला विवरण	
श्री मनमोहन सिंह	318
विशेष न्यायालय (प्रतिभूति संव्यवहार अपराध निवारण) विधेयक-पुरःस्थापित	318
जम्मू-कश्मीर विनियोग (संख्यांक-2) विधेयक	334—36
पुरःस्थापित करने के लिए प्रस्ताव	
श्री शांताराम पोतदुखे	334
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री शांताराम पोतदुखे	335
खंडवार विचार	
पारित करने के लिए प्रस्ताव	
श्री शांताराम पोतदुखे	336

लोक सभा

मंगलवार, 11 अगस्त, 1992/20 श्रावण, 1914 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

सुपरफास्ट रेलगाड़ियों में यात्रा पर अधिभार

[अनुवाद]

+

*491. मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खंडूरी :
श्री विजय कुमार मल्होत्रा :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे प्रशासन सुपर-फास्ट रेलगाड़ियों में यात्रा करने पर विशेष अधिभार वसूल कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस समय ऐसी कितनी रेलगाड़ियां चल रही हैं;

(ग) यह शुल्क कब से लेना शुरू किया गया था और इस शुल्क को शुरू करते समय रेलगाड़ियों की गति और हाल्टों की संख्या के विशेष संदर्भ में, यह शुल्क लगाने का क्या आधार है;

(घ) वर्ष 1991-92 के दौरान इस अधिभार से कितना राजस्व प्राप्त हुआ तथा उक्त अवधि के दौरान इन रेलगाड़ियों को चलाने वाली ड्राइवरों आदि को कितना विशेष भत्ता दिया गया;

(ङ) क्या प्रारम्भ में इस प्रयोजनार्थ निर्धारित किए गए मानदंडों में संशोधन किया गया है;

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(छ) किसी गाड़ी को सुपरफास्ट गाड़ी की श्रेणी में रखने के वर्तमान मानदंड क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (छ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी, हां।

(ख) जिन सुपरफास्ट गाड़ियों पर पूरक प्रभार लिया जाता है, उनकी संख्या इस समय 75 है।

(ग) निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखते हुए, सुपरफास्ट गाड़ियों पर पूरक प्रभार 1-4-1973 से लगाना शुरू किया था :—

(1) कि सुपरफास्ट गाड़ियां अपेक्षाकृत अधिक रफ्तार से चलती हैं;

(2) कि समय, आदि की दृष्टि से ये गाड़ियां अधिक सुविधाजनक होती हैं; और

(3) कि इन गाड़ियों में अधिकांश शायिकाएं/सीटें आरक्षित होती हैं, जिससे लम्बी दूरी के यात्रियों को काफी राहत मिलती है।

(घ) 1991-92 के दौरान (फरवरी तक) इस अधिप्रभार से अर्जित राजस्व (लगभग) 1131.61 लाख रुपए है। सुपरफास्ट गाड़ियों के ड्राइवरों को कोई विशेष भत्ता नहीं दिया जाता।

(ङ) से (छ) प्रायः उन्हीं मानदंडों का अनुपालन किया जा रहा है जो प्रारंभ में 1973-74 में निर्धारित किए गए थे। बहरहाल, पूर्व निर्धारित मानदंडों में कुछ ढील देकर, सभी सुपरफास्ट गाड़ियों में दूसरे दर्जे में अनारक्षित स्थान की व्यवस्था की गई है ताकि उन यात्रियों को सुविधा हो जिन्हें अल्प सूचना पर यात्रा करनी पड़ती है और जो आरक्षित स्थान प्राप्त कर सकने की स्थिति में नहीं होते।

[हिन्दी]

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खंडूरी : अध्यक्ष जी, सवाल का जो जवाब मुझे मिला है उसमें तथ्यों को छिपाया गया है। जवाब जानबूझ कर कुछ गोलमाल दिया गया है। उदाहरण के तौर पर सुपरफास्ट ट्रेन 1970 के करीब शुरू हुई थी और उस समय इसकी स्पीड 100 किलोमीटर से ऊपर थी, अच्छी सुविधाएं दी जाती थीं, हरएक ट्रेन में अटेंडेंट होता था और यहां तक कि लायब्रेरी भी होती थी। मैंने सवाल पूछा कि अभी उन नार्म्ज को क्या बदला गया है, इन्होंने जवाब दिया है कि काफी हद तक समान नियमों का पालन किया जाता है। मेरा ख्याल है कि बाई एण्ड लार्ज सही जवाब नहीं है। अच्छा होता आप सही बताते कि क्या नार्म्ज उस समय थे। आपने अभी जो नार्म्ज दिए हैं, उसमें आपने बताया कि सुपरफास्ट गाड़ियां अपेक्षाकृत अधिक रफ्तार से चलती हैं। अगर आज किसी ट्रैक के ऊपर 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ट्रेन चल रही है, क्योंकि ट्रैक कमजोर है तो उसको भी ये सुपर फास्ट ट्रेन बना सकते हैं, इस जवाब से ऐसा लगता है। जो उचित नहीं है।

मेरे प्रश्न का 'क' भाग यह है कि क्या यह सच नहीं है कि शुरू में सुपरफास्ट ट्रेन की रफ्तार 80 किलोमीट से अधिक थी और उसमें अनेकों सुविधाएं थीं और अब औसतन रफ्तार करीब 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो गयी है ? "ख" भाग यह है कि क्या यह सच नहीं है कि रफ्तार कम करने की वजह आपका मेंटीनेंस का खर्चा, वैगंज का खर्चा, ट्रैक का तथा अन्य जो खर्चे होते हैं, वह है अधिक डिब्बों को आप कम स्पीड पर लगाते हैं, आपने लगाया भी है, क्योंकि आप अधिक पैसा कमाना चाहते हैं ? क्या ये दोनों बातें सच हैं ? अगर सच नहीं हैं तो क्या आप स्पष्ट करेंगे ?

श्री मल्लिकार्जुन : आदरणीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो बताया उसमें कुछ सच्चाई भी

है। जब 1973 में सुपर फास्ट ट्रेन का कंसेप्ट आरम्भ किया था उस वक्त रफ्तार भी 80 किलोमीटर से 100 किलोमीटर की थी। अब आवश्यक रफ्तार कम हुई है। उसका कारण यह है कि उस वक्त हाल्ट बहुत कम दिए गए थे। मगर कई कारणों की वजह से हर सुपरफास्ट ट्रेन के हाल्ट कई गुणा बढ़ गए हैं। अब एक हाल्ट हम देते हैं तो ट्रेन के रनिंग टाइम से कम से कम 20 से 25 मिनट की कमी होती है, क्योंकि गाड़ी जीरो स्पीड पर रोकनी पड़ती है। जीरो स्पीड से 80 किलोमीटर की स्पीड लाने में समय लगता है। यह सही बात है।

कमाई की बात का जहां तक संबंध है, बिना कमाई के रेल चलाना मुश्किल है। कमाई को भी दृष्टि में रखना चाहिए और प्रजा के हित को देखते हुए समय का भी प्रबन्ध कर लेना चाहिए।

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खंडूरी : अध्यक्ष जी मैं मानता हूं कि कमाई करनी चाहिए, लेकिन मेरा निवेदन यह था कि कमाई उचित ढंग से करनी चाहिए। कमाई आप अनुचित ढंग से कर रहे हैं। क्योंकि आपने यात्रियों की सुविधा के लिए सुपरफास्ट ट्रेन बनाई है, यह कमाई के लिए नहीं है। आपने प्रश्न का जवाब नहीं दिया। मैंने आपसे यह भी पूछा था कि क्या आपने रफ्तार इसलिए कम की है कि आप उसमें अधिक डिब्बे लगाएं? पहले 14 डिब्बे लगते थे सुपरफास्ट ट्रेन में, अगर स्पीड 80 किलोमीटर से ज्यादा है। आप ज्यादा डिब्बे लगा रहे हैं क्योंकि आप ज्यादा पैसेंजर उसमें भर सकते हैं और अधिक पैसा कमा रहे हैं। मेरे ख्याल से यह गलत है, आप इस पर विचार कीजिए।

श्री मल्लिकार्जुन : अध्यक्ष महोदय, यह गलत नहीं है। मान्यवर, दिन-प्रति-दिन जो ट्रैफिक बढ़ रहा है, रिजर्वेशन मिलना मुश्किल है, रिजर्वेशन के लिए कई किस्म के प्रेशर भी आते हैं। जैसे ट्रैक कैपेसिटी, हालिंग कैसेसिटी होती है उसके हिसाब से डिब्बे भी बढ़े हैं।

केवल कमाई के प्वाइंट आफ व्यू से नहीं। इसमें जो सप्लीमेंटरी सरचार्ज लेवी जो लेते हैं तो इसके बारे में एक रेल इन्क्वायरी कमेटी 1977 में बनी थी जिसने इस प्रश्न पर गहराई तक सोचकर सिफारिश की है कि यह लेवी लेना उचित ही है।(व्यवधान)

[अनुवाद]

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खंडूरी : मैंने अपना दूसरा पूरक प्रश्न नहीं पूछा है।

अध्यक्ष महोदय : यह आपका दूसरा पूरक प्रश्न था।

(व्यवधान)

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खंडूरी : कृपया मुझे अनुमति दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : आपकी गाड़ी कई स्टेशनों पर नहीं अटकनी चाहिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खंडूरी : अध्यक्ष महोदय, दुनिया में सुपर फास्ट ट्रेन तीन सौ

चार सौ किलोमीटर की स्पीड से चल रही हैं लेकिन आपकी अपनी समस्याएं हैं। इन सुपरफास्ट ट्रेन्स की स्पीड चालीस-पचास किलोमीटर है तो क्या इसको 80 किलोमीटर की स्पीड पर लायेंगे या कुछ कम करेंगे। कुछ दूसरी ट्रेन्स इन्ट्रोड्यूस कीजिए पैसेन्जर्स को पिक-अप करने के लिए। मेरा निवेदन यह है कि अगर लेवी कम नहीं कर सकते तो लेवी कम कीजिए या हटाइए और इन ट्रेन्स की कम से कम स्पीड 80 किलोमीटर तक लाइए। क्या आप इसको करेंगे।

श्री मल्लिकार्जुन : अध्यक्ष महोदय, सरकार की तरफ से यह यत्न रहेगा कि जितनी ट्रेन्स की स्पीड है तो हम यात्रियों को उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचा सकते हैं और पहुंचाने की कोशिश करते रहेंगे।

श्री विजय कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, जिस तरह पुराने जमींदार गरीबों का शोषण करते थे ···(व्यवधान) या जो बड़े-बड़े पूंजीपति मजदूरों का शोषण करते हैं तो यह रेलवे विभाग भी यात्रियों का कम शोषण नहीं कर रहा है। सरकार ने बहुत सारी मजबूरियों का जिक्र किया है।···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपको प्रश्न पूछना है, भाषण नहीं करना है। बहुत सारे सदस्य हैं, जिनको पूछना है।

(व्यवधान)

श्री विजय कुमार यादव : मेरा यह कहना है कि यात्री जब सुपरफास्ट ट्रेन पर चढ़ते हैं तो उनके विभाग में कुछ बात आती है कि हम समय पर पहुंचेंगे और ट्रेन के अन्दर जो सुविधा सुपरफास्ट ट्रेन के मामले में किया गया है, वह सुविधा उनको मिलेगी। वैसे गाड़ियों को तो दो दिन लग जाते हैं पहुंचने में तो पानी तक नहीं मिलता है, सुपरफास्ट ट्रेन में दूसरी सुविधाएं भी उनको नहीं मिल पाती हैं जबकि पहले दिन तो ठंडा पानी मिल जाता है और कुछ ट्रेंस में नहीं मिल पाता है···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न पूछिये।

श्री विजय कुमार यादव : मैं प्रश्न पूछ रहा हूं। मैं ज्यादा बोलता नहीं हूं। पेंट्री-कार जो बहुत एसेंशियल है और वह भी बहुत सारी ट्रेंस में नहीं हैं तो क्या मंत्री महोदय यह आश्वासन देंगे कि सुपर-फास्ट ट्रेन में जिन सुविधाओं को लेकर यात्री जाते हैं चाहे वह पानी या पैन्ट्री-कार का हो या जो दूसरी सुविधाएं हैं और जो कहीं पर नहीं हैं तो उसको देंगे और साथ ही गाड़ी समय पर नहीं पहुंची तो जो सुपर फास्ट में सरचार्ज की बात की जाती है और साउथ में इसको लेकर मूवमेंट चल रहा है तो क्या उस पैसे को लौटाने की व्यवस्था करेंगे।

(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन : अध्यक्ष, रेलवे का कर्तव्य है यात्रियों को सुविधाएं देना, इसके लिए हम प्रयत्नशील रहते हैं, अगर कोई सुपरफास्ट ट्रेन किसी कारण से लेट हो जाती है तो पैसे वापस करने का प्रश्न नहीं उठता है।

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बंसल : अध्यक्ष महोदय, कुछ समय पहले दिल्ली से कुछ महत्वपूर्ण नगरों के

लिए आरम्भ की गई शताब्दी एक्सप्रैस ट्रेन सेवा यात्रियों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने की ओर भारतीय रेलवे का एक बड़ा कदम था। परन्तु पिछले कुछ समय से इसके स्तर में भी कुछ गिरावट आई है, चाहे यह भोजन की बात हो अथवा पठन सामग्री अथवा समाचारपत्रों की। महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या कोई ऐसी स्थाई समिति गठित की गई है जो इस बात पर नजर रखे कि जिन सुविधाओं के लिए यात्री पैसा देते हैं, वे उन्हें उपलब्ध हों, क्योंकि अपने अधिकारों के संरक्षण के लिए उन्होंने कोई संघ नहीं बना रखा तथा इसके लिए कोई उपभोक्ता किसी उपभोक्ता संघ के पास आसानी से नहीं जा सकता। यह सुनिश्चित करने के लिए कि जो लोग इन गाड़ियों में यात्रा करते हैं, उन्हें कोई कठिनाई का सामना न करना पड़े। मन्त्री महोदय का कौन-कौन से कदम उठाने का विचार है।

श्री मल्लिकार्जुन : अध्यक्ष महोदय, जैसाकि मैं पहले भी माननीय सदस्य को बताया है कि जहां तक यात्रियों के लिए सुविधाओं का सम्बन्ध है, तो यह रेलवे का कर्तव्य है कि वह सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करे। हाल ही में हमने आवश्यक हिदायतें भी जारी की हैं कि सम्बन्धित कर्मचारी यह सुनिश्चित करें कि यात्रियों को ये सभी सुविधाएं उपलब्ध हों। मुझे विश्वास है कि हम यात्रियों की आकांक्षाओं पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे।

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : मैं बहुत सीधा सवाल पूछना चाहता हूं···

अध्यक्ष महोदय : देखना है कि कितनी जल्दी आपकी ट्रेन स्टेशन पर पहुंचती है।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : प्रायः यह देखा जाता है कि सुपर फास्ट गाड़ियां एक-दो माह चलने के बाद केवल फास्ट रह जाती हैं, सुपर खत्म हो जाता है, इसी तरह से फिर दो-चार माह चलने के बाद ये फास्ट गाड़ियां फास्ट पैसेंजर हो जाती हैं। जबकि उनका किराया पहले वाला ही रहता है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या रेल मंत्रालय ऐसी गाड़ियों के किरायों में बाद में जब फास्ट पैसेन्जर रह जाती हैं, संशोधन करेगा और साथ ही सुपरफास्ट गाड़ियों जो निर्धारित मानदण्ड आपने अपने उत्तर में दिखाए हैं, उनका कड़ाई से पालन करेंगे ? दो-चार माह के बाद इन गाड़ियों के राजनैतिक प्रभाव से या अन्य दबाव के कारण हाल्टेज बढ़ा दिए जाते हैं इसलिए जिन उद्देश्यों को लेकर ये सुपर फास्ट गाड़ियां बनाई और चलाई जाती हैं उनकी पूर्ति निरन्तर होती रहे इसलिए क्या आप इन मानदण्डों का कड़ाई से पालन करेंगे ? इसके साथ ही मुझे यह पूछना है कि जैसा आपने उत्तर में भी कहा है आन्दोलन होते हैं, जो गार्ड ड्राइवर इन गाड़ियों के होते हैं उनको विशेष भत्ता या उनको विशेष सुविधाएं मिलनी चाहिए, जिसके नहीं मिलने से आन्दोलन हो रहे हैं, क्या मन्त्री महोदय का इस पर कोई ध्यान है ?

[अनुवाद]

श्री मल्लिकार्जुन : महोदय, सुपरफास्ट चालकों जैसा कोई पद नहीं है। जो चालक मेल और एक्सप्रैस गाड़ियां चलाते हैं, वही चालक सुपरफास्ट गाड़ियां चलाते हैं। प्रत्येक 100 कि०मी० की दूरी तय करने के लिए चालक को 36.10 रु० भत्ता दिया जाता है। हमें इस बात की जानकारी है और हम इस दिशा में आवश्यक कदम उठा रहे हैं।

रेबीज टीका

[हिन्दी]

*495. श्री अर्जुन सिंह यादव : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेबीज टीका उत्पादन और इसके गुणवत्ता नियन्त्रण के प्रशिक्षण हेतु विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से स्थापित केन्द्र की, उसकी स्थापना से लेकर अब तक की गतिविधियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या रेबीज टीका बनाने वाले संस्थानों द्वारा रेबीज का कोई नया टीका तथा रेबीज के निदान की कोई नवीनतम तकनीक विकसित की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

[अनुवाद]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री माखन लाल फोतेदार) : (क) से (ग) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) भारतीय पशुचिकित्सा संस्थान, कुन्नूर के विश्व स्वास्थ्य संगठन सहयोगी केन्द्र के रूप में निम्नलिखित विशिष्ट कार्यकलाप हैं :—

(1) नई रेबीज वैक्सीनों का विकास ।

(2) रेबीज नैदानिक कार्य और निदान में नई तकनीक का मूल्यांकन ।

(3) महामारी विज्ञान सम्बन्धी आंकड़े इकट्ठा करना ।

(4) देश में अन्य संस्थाओं द्वारा तैयार की गई रेबीज वैक्सीनों की गुणवत्ता नियंत्रण की जांच करना ।

(5) देश के वैज्ञानिकों तथा इस रीजन के देशों के विश्व स्वास्थ्य संगठन अध्येताओं को रेबीज वैक्सीन उत्पादन, गुणवत्ता नियन्त्रण और नैदानिक कार्य के क्षेत्र में प्रशिक्षण देना ।

(6) कुत्तों में वीरो एडजुवेनेटेड रेबीज वैक्सीन का फील्ड परीक्षण ।

(ख) और (ग) भारतीय पशुचिकित्सा संस्थान कुन्नूर द्वारा पशुओं में प्रयोग के लिए वीरो सेल टेक्नालाजी का इस्तेमाल करके एक ऊतक कल्चर रेबीज वैक्सीन का विकास किया गया है और इस वैक्सीन को 1988 में रिलीज किया गया है । मानव प्रयोग के लिए अब एक वीरो सैल रेबीज वैक्सीन का विकास किया गया है और इसके कुछ पहले बैच गुणवत्ता नियन्त्रण जांच के लिए केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली स्थित राष्ट्रीय नियन्त्रण प्रयोगशाला को भेज दिए गए हैं । नई वैक्सीन के उत्पादन के

लिए आवश्यक लाइसेंस औषध नियन्त्रक (भारत) से पहले ही प्राप्त कर लिया गया है।

मानवों और पशुओं के सीरम नमूनों में रेबीज को निष्क्रिय बनाने वाले प्रतिपिंडों का पता लगाने के लिए इस संस्थान में एक द्रुत प्रतिदीप्ति फोकस संदमन जांच भी विकसित की गई है। संदिग्ध रेबीज-ग्रस्त पशुओं और मानव रोगियों के ऊतक नमूनों में रेबीज वायरस का शीघ्र पता लगाने की विधि का भी कोशिका सम्बर्ध तंत्रों में विकास किया गया है।

[हिन्दी]

श्री अर्जुन सिंह यादव : अध्यक्ष जी, ये जो इन्जेक्शन हैं, किन्हीं कारणों से चाहे इनकी मात्रा की कमी हो, चाहे एक्सपायरी डेट हो, चाहे क्वालिटी घटिया किस्म की रही हो जबकि कुत्ता काटने के बाद आदमी को 14 इन्जेक्शन लगाने पड़ते हैं, इसके बावजूद वह आदमी मर जाता है और जानवरों को काट लेते हैं तो वे मर जाते हैं। मैं मन्त्री जी से जानकारी चाहता हूं कि क्या कारण है कि ये इन्जेक्शन निष्प्रभावी हो रहे हैं, क्या इनकी जांच कराने की कृपा करेंगे। ऐसा केवल उ० प्र० में नहीं बल्कि सारे भारत में ऐसा हो रहा है?

श्री एम० एल० फोतेदार : माननीय अध्यक्ष जी, इसी वजह से जो इसके साइड इफैक्ट्स हैं, उनको ध्यान में रखते हुए एक नया इन्जेक्शन बना रहे हैं और इसकी इस वक्त फील्ड टैस्टिंग भी हो रही है और मैं समझता हूं कि ह्यूमन टैस्टिंग होने के बाद ही इसको जारी किया जाएगा जो पाश्च्यूर में लेटेस्ट टैक्नालाजी है। एक तो रेबीज वैक्सीन है जिसकी 10 से 16 डोजेज होती हैं। अब जो नया वैक्सीन बना रहे हैं कुन्नूर में, उसकी 5 या 6 डोजेज दरकार पड़ेंगी। यह प्रोजेक्ट एक मिलियन डोजेज बनाने का है जो जल्द ही एक दो साल में अपना प्रोडक्शन शुरू कर देगा।

श्री अर्जुन सिंह यादव : अध्यक्ष जी, जहां देखा जाता है कि हर जिले मुख्यालय में यह इंजेक्शन हफ्ते में एक दिन लगता है जिससे वहां की जनता को परेशानी होती है। वैक्सीन की कमी के कारण जनता को काफी असुविधा होती है। क्या मन्त्री महोदय यह व्यवस्था करेंगे कि जिला के हर प्रखण्ड स्तर पर जो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है, वहां यह इन्जेक्शन प्रतिदिन न सही, सप्ताह में दिन एक लगवाये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे और इसकी पूर्ति भी करेंगे?

श्री एम० एल० फोतेदार : माननीय सदस्य से मैं कहूंगा कि अगर समय पर इन्जेक्शन दिया जाएगा तो शायद कोई आदमी नहीं मरेगा लेकिन···

श्री अर्जुन सिंह यादव : मान्यवर, मेरा सीधा प्रश्न है···

श्री एम० एल० फोतेदार : मैं शायद नहीं कहूंगा···टाईम पर दिया जायेगा तो कभी नहीं मरेगा। आप इससे सन्तुष्ट हो जाएंगे लेकिन एक बात जरूरी है कि कुत्ते हर जगह पर हैं और कुत्ते काटते हैं···

(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : सर, आब्जेक्शन···कुत्ते हर जगह नहीं हैं, कुत्ते कुछ जगह हैं···

श्री एम० एल० फोतेदार : और यह म्युनिसिपैलिटीज का काम है। गांव में जो पंचायत है, यह उनका काम है कि कोई भी कुत्ता जो पागल हो या किसी को काटेगा, उसके लिए इंतजाम किया जाये लेकिन

जहां तक हमारा काम है वह यह है कि यह इन्जेक्शन हर जगह बिलकुल फ्री दिया जाता है और मैं आपको यह भी यकीन दिलाता हूं कि अगला जो नया इन्जेक्शन वीरो सैल बना रहे हैं, वह इन्जेक्शन भी हम बिलकुल मुफ्त में दे देंगे और हर सरकारी अस्पताल में।

[अनुवाद]

डा० कृपासिंधु भोई : विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से पास्चटर इंस्टीट्यूट आफ इण्डिया कोन्कूर ने एक नए प्रकार के टीका विकसित करने के लिए वेरा सैल तकनीक का आविष्कार किया है। क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन की विशेषज्ञ समिति ने पहले इस टीके को मान्यता दे दी है ? क्या आई० पी० एम० आर० ने स्वीकृति प्रदान कर दी है ?

मेरा दूसरा प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। क्या मनुष्यों को लगाने वाला टीका हमारे देश में उपलब्ध है अथवा उसका हम आयात कर रहे है ? इस वेरा सैल तकनीक पर आधारित टीके को विश्व स्वास्थ्य संगठन से स्वीकृति मिलने से पहले, जिस पर कि परीक्षण जारी है, क्या पास्चर इन्स्टीट्यूट ने एक विशेष प्रकार के टीके के स्वदेशीकरण की संभावनाओं का आकलन कर लिया है। पास्चर इन्स्टीट्यूट ने मनुष्यों के लिए उपयोग में लाये जाने वाले टीके का स्वदेशीकरण कर लिया है ?

इसके साथ-साथ मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह टीके रोग से बचाव के लिए हैं अथवा उसके इलाज के लिए। 'एमस' ने एनियासथियोलोजी विभाग में इलाज के लिए मैडीकल अनुसंधान पर पहले ही एक करोड़ रुपए से अधिक व्यय किया है। 'एमस' में अनुसन्धान कार्य किस चरण में है ?

श्री एम० एल० फोतेदार : जहां तक मानव पर प्रयोग का सम्बन्ध है, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य तथा सदन को बताना चाहता हू कि इसके लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन से अनुमति लेना आवश्यक नहीं है। जो भी अनुमति लेनी आवश्यक होती है, वह भारत के औषध नियन्त्रक द्वारा दी जाती है। भारत के औषध नियन्त्रक ने इस परियोजना को मजूरी दे दी है। उन्होंने यह भी कहा है कि मनुष्यों पर प्रयोग तुरन्त आरम्भ किया जाये।

[हिन्दी]

डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि वेरोसैल रेबीज वैक्सीन का अभी तक पूरी तरह से परीक्षण नहीं किया गया है ? यह परीक्षण कब तक पूरा हो जाएगा और इसका लगाना मानव के लिए उपयोगी, यह कब तक क्लियर हो जाएगा ? दूसरी बात आपने यह कही है कि इसके लिए आवश्यक लाइसेंस प्राप्त कर लिए गए हैं, लेकिन अभी तक इसका परीक्षण ही नहीं हुआ है कि मानव के लिए यह उपयोगी है या नहीं, उसके पहले ही लाइसेंस देना क्या उचित है ? क्या आयातित वैक्सीन और उसमें कुछ फर्क है।

श्री एम० एल० फोतेदार : यह वैक्सीन बनाने के लिए ड्रग कण्ट्रोल आफ इण्डिया की परमिशन बहुत जरूरी है और ड्रग कण्ट्रोल आफ इण्डिया ने यह दे दी है। यह कम्पनी पब्लिक सेक्टर में है। अभी तक हम इम्पोर्ट करते थे मगर हमने अब यहां टैक्नोलाजी डेवलप की है।

[अनुवाद]

पास्चर कम्पनी किसी एक अन्य देश में है। औषध नियन्त्रक सन्तुष्ट हैं कि यह एक सुरक्षित टीका है। परन्तु हम इसका आम प्रयोग तब तक आरम्भ नहीं करवाएंगे जब तक इसका मानव पर परीक्षण नहीं हो जाता।

[हिन्दी]

डॉ० जी० एल० कनोजिया : अध्यक्ष महोदय, मैं इस विषय में दो बातें कहना चाहूंगा। एक तो इसके प्रिवेंशन के बारे में, क्योंकि जिसको यह बीमारी हो जाती है वह बचता नहीं है। तो ऐसी भयंकर बीमारी के लिए दो बातें हैं—एक तो इलाज होता है और दूसरा प्रिवेंशन होता है। पहले जो प्रिवेंशन आप किया करते थे, जितने कुत्ते हुआ करते थे जो आवारा घूमते थे, जो काट लेते थे, उनको आप इकट्ठा करके इंजेक्शन लगाते थे। तो मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि जो आवारा कुत्ते काट लेते हैं, जिनको हम टीके नहीं लगवा पाते हैं, जो पालतू कुत्ते होते हैं, उनको हम टीके लगवाते हैं और उनके काटने से यह बीमारी नहीं होती, ज्यादातर आवारा कुत्तों के काटने से होती है। तो म्युनिसिपेलिटी में पहले यह काम हुआ करता था। (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कुत्तों का अपमान भी एक सीमा से अधिक मत कीजिए।

[हिन्दी]

डा० जी० एल० कनोजिया : मेरे सवाल का दूसरा भाग यह है कि कुत्तों को हम जो इंजेक्शन लगवाते हैं, उनके प्रोडक्शन के ऊपर आपका क्या कंट्रोल है, उनको आप ट्रांसपोर्ट करते हैं और उनको कोई चार्ट मेन्टेन है या नहीं और जिनको डोज दी जाती है वह ऐडीक्वेट डोज है या नहीं और उस डोज की पोटेंसी खत्म हुई है या नहीं और पूरे टीके लगने का क्या इंतजाम है? यह मैं अपने 37 साल के अनुभव से बता रहा हूं। मैं अपने अनुभव के आधार पर यह बात कह रहा हूं और आपसे अनुरोध करूंगा कि जहां-जहां आपके डिपोज बने हुए हैं, उनमें हफ्ते में कम से कम एक दिन निश्चित होना चाहिए। जहां-जहां हमने देखा है, एक प्रदेश में ही नहीं, 70-80 और 90 किलोमीटर पर आपका एक सैन्टर बना हुआ है, जहां पर मैडिसिन भी सप्लाई नहीं हो पाती है और कुत्ते के काटने के बाद लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। मैं बिहार की बात आपसे कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : देखिए, दो प्रश्न ही हुए हैं, जरा जल्दी-जल्दी पूछिए।

[अनुवाद]

श्री एम० एल० फोतेदार : मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत हूं कि वे देश के एक महत्वपूर्ण राज्य में चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा के निदेशक रहे हैं। मैं उन्हें यह बताना चाहूंगा कि कुत्ते मारना स्वास्थ्य विभाग का काम नहीं है बल्कि नगर पालिका तथा पंचायत का काम है। जहां तक स्वास्थ्य विभाग का संबंध है, इसका उत्तरदायित्व मानव मात्र के प्रति है तथा हम देश के सभी अस्पतालों में रैबीज प्रतिरोधक टीके उपलब्ध करवा रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री सत्यपाल सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत छोटा सा प्रश्न पूछना चाहता हूं, उसे इलैबोरेट नहीं कर रहा हूं, जैसा अभी माननीय मन्त्री जी ने कहा है कि एक नई वैक्सीन पर इन्वैस्टीगेशन करायी जा रही है, डिस्कवरी हो रही है और वह नई वैक्सीन साल-दो-साल में तैयार हो जाएगी। उसके बाद जैसा यहां डा० कनोजिया ने प्रश्न किया···

अध्यक्ष महोदय : आप सब के प्रश्नों पर मत जाइए, सीधे अपने प्रश्न को कीजिए।

श्री सत्यपाल सिंह यादव : मैं बस एक सैन्टैंस में ही खत्म कर रहा हूं, ज्यादा बोलने का आदि नहीं हूं, मैं पूछना चाहता हूं कि कुत्ता काटने के जब 14 इंजेक्शन्स लगवाने पड़ते हैं, यदि कोई नहीं लगवा पाता है और कुछ समय बाद जब वह बीमार हो जाता है तो मेरी निश्चित जानकारी है कि सभी डाक्टर कह देते हैं कि हमारे पास अब इसका कोई इलाज नहीं है, उसकी मौत निश्चित है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप भारत के स्वास्थ्य मन्त्री हैं, क्या इस सम्बन्ध में भी कोई इन्वैस्टीगेशन करवा रहे हैं कि जब किसी को कुत्ता काटने का असर हो जाए, उसके बाद भी उसकी जिन्दगी को बचाया जा सके।

श्री एम० एल० फोतेदार : मैं माननीय सदस्य से कहूंगा कि हर डैवलप्ड कन्ट्री में, हर विकसित देश में यह नई वैक्सीन इस्तेमाल हो रही है। जहां तक संबंध है कि कोई आवारा कुत्ता किसी को काटता है तो हैल्थ डिपार्टमैंट का काम नहीं है कि वहां जाए और उसको देखे बल्कि उस मरीज का यह फर्ज बनता है कि वह अस्पताल के सामने जाए। फिर भी, माननीय सदस्य के पास कोई ऐसी खास शिकायत हो तो उसे मैं सरटेनली लुक इन्टु करूंगा। (**व्यवधान**)

श्री ताराचन्द खण्डेलवाल : यह बहुत सीरियस मामला है, मेरे क्षेत्र में 15 दिन में आवारा कुत्तों ने 22 बच्चों को काटा है। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : देखिए, दो प्रश्नों पर आधा घण्टा चला गया है। यह एक क्षेत्र की बात नहीं है बल्कि दवाई की बात है, आप प्रश्न पढ़ लीजिए। आप बैठ जाइए।

श्री नीतीश कुमार।

(**व्यवधान**)

कनाडा से गेहूं

[हिन्दी]

\+

*493. **श्री नीतीश कुमार** :

डा० महादीपक सिंह शाक्य :

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जून, 1992 में किए गए करार के अनुसार, कनाडा से अब तक कितनी मात्रा में गेहूं प्राप्त हुआ है;

(ख) आयात किए जाने वाले गेहूं की शेष मात्रा के प्राप्त होने का चरणबद्ध कार्यक्रम क्या है; और

(ग) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से यह गेहूं अनुमानतः किस दर पर सप्लाई किया जाएगा ?

[अनुवाद]

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) कनाडा से भारतीय बन्दरगाहों में अभी तक गेहू की कोई मात्रा प्राप्त नहीं हुई है। तथापि 1.84 लाख मीटरी टन गेहू से लदे 5 जहाज रवाना हो चुके हैं और वे अभी महासमुद्र के रास्ते में हैं और आशा है कि पहला जहाज अगस्त, 1992 के अन्तिम सप्ताह में यहां पहुंच जाएगा।

(ख) भारतीय खाद्य निगम की अनन्तिम योजना के अनुसार, भारत में आयातित गेहूं अगस्त से नवम्बर, 1992 के दौरान प्राप्त हो जाएगा।

(ग) भारतीय खाद्य निगम (भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से) द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को आयातित और स्वदेशी गेहूं एक-समान केन्द्रीय निर्गम मूल्यों पर जारी किया जाता है। गेहूं का वर्तमान केन्द्रीय निर्गम मूल्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए 280/- रु० प्रति क्विंटल और मजबूत बनाई गई सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन आने वाले क्षेत्रों के लिए यह मूल्य 230/- रु० प्रति क्विंटल है।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से कहना चाहता हूं कि अप्रैल महीने में भारत सरकार के तत्कालीन वाणिज्य मन्त्री, श्री पी० चिदम्बरम ने कहा था कि अगर इस साल 85 लाख टन से अधिक प्रोक्योरमेंट हो जाएगा तो हमें गेहूं के आयात की जरूरत नहीं पड़ेगी।

और पिछले साल कुल प्रोक्योरमेंट 111 लाख टन हुआ था, तो अध्यक्ष महोदय, प्रोक्योरमेंट कम हुआ और किसानों को खरीद-मूल्य कम दिया गया। इसके चलते गेहूं का प्रोक्योरमेंट कम हुआ है इसके चलते सरकार को बाहर से गेहूं आयात करना पड़ा है।

समाचारपत्रों में एक रिपोर्ट छपी थी, अध्यक्ष महोदय, जब भारत सरकार की ओर से ग्लोबल टेंडर इन्वाइट किया गया था, तो उस समय अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं की दर 351 रुपए प्रति क्विंटल से लेकर 453 रुपए प्रति क्विंटल थी, लेकिन समाचारपत्रों की खबर के मुताबिक कनाडा से अभी जो अनुबन्ध किया गया है और जो गेहूं आयात किया जा रहा है, उसकी दर भारतीय रुपए में 526 रु० प्रति क्विंटल है, तो अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि वाकई जब ग्लोबल टेंडर इन्वाइट किया गया, उस समय गेहूं की दर क्या थी और इस समय कनाडा से जो अनुबन्ध किया गया है, इसमें किस दर से आयात किया जा रहा है ?

श्री कमालुद्दीन अहमद : सर, मैं जरा इसको तफसील में बतलाऊंगा। प्रोक्योरमेंट जो कम हुआ है, वह 1992-93 और फिर इससे पहले, दोनों साल कम हुआ है। इस साल जो प्रोक्योरमेंट हुआ है वह 6.37 मिलियन टन कम हुआ है। पिछले साल उसके पहले साल के मुकाबले में 3.3 मिलियन टन का प्रोक्योरमेंट कम हुआ था। जहां तक प्राइस दिए जाने की बात थी, पिछले साल के मुकाबले में इस साल प्राइस बढ़ाई गई है। बोनस भी दिया गया है और उस लिहाज से पिछले साल के मुकाबले में एफ० सी० आई० को 55 रुपए प्रति क्विंटल ज्यादा देनी पड़ी है। रही बात इम्पोर्ट की प्राइस की, जो ये पूछ रहे हैं, जनवरी के महीने में यह डिसीजन लिया गया कि गेहूं इम्पोर्ट किया जाए। उसके बाद टेण्डर्स कॉल किए गए। टेण्डर्स जो वसूल हुए उनमें बहुत सारे टेण्डर्स तो ऐसे थे, जो कोई न कोई कंडीशन पूरी नहीं करते थे, जो कंसीडरेशन में आने के बिलकुल काबिल ही नहीं थे।

दूसरी बात यह है कि जिस किस्म की गेहूं का हम इस्तेमाल करते हैं या पी०डी०एस० में देते हैं, उस टाइप के गेहूं की कीमतें जो कोट की गई थीं, यह सही है कि वे कम कीमतें थीं। यह भी जरूर है कि कुछ फर्म्स ने 130 और 131 डॉलर का अमाउण्ट कोट किया था, लेकिन वह व्हीट वह नहीं था, जो हम यहां पर अमतौर पर सर्व करते हैं। यह साफ्ट व्हीट है, जो सिर्फ मिलिंग परपज के लिए होता है। जो प्राइस हमने दी है, वह मोस्ट कम्पीटिटिव प्राइस थी।

जो व्हीट हम यहां पर इस्तेमाल करते हैं, जो एक्सैप्टेबल है वह 147.78 डॉलर्स के रेट पर थी, जो हमने ली है वह मोस्ट कॉम्पीटीटिव प्राइस थी। दूसरी चीज जो खासतौर से कहने है की वह यह है कि यह जो कांट्रैक्ट हुआ है, यह किसी प्राइवेट पार्टी से नहीं हुआ है। कनाडा गवर्नमेंट के कैनेडियन व्हीट बोर्ड से हुआ है।

यह सही है कि सारी की सारी कोशिश की गई कि कम से कम कीमत में अगर अमेरिकन व्हीट मिलता है, तो वह लिया जाए और यहां से एक टीम अमेरिका गई थी इसी तवक्कु के साथ कि एक्सपोर्ट इनहान्समेंट प्रोग्राम के तहत अमरीका जो सबसिडी देता है, वह सबसिडी यदि हमें मिल जाए, तो कीमत और कम हो जाएगी, लेकिन अमेरिकन गवर्नमेंट इस बात के लिए तैयार नहीं हुई। वैसे भी उस समय जो कोट हो रही थी, वह ज्यादा नहीं हो पाई। इसीलिए हमने आई नेगोशिएशन्स कैनेडियन व्हीट बोर्ड से खरीदा गया है और वह रु० 147.78 डॉलर्स के रेट पर लिया गया है।

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, अभी मन्त्री जी ने जवाब देने के क्रम में यह बताया कि प्रति क्विंटल हम 50 से 55 रुपया पिछले साल के मुकाबले अधिक दे रहे हैं। खाद का दाम बढ़ गया, इनपुट्स का दाम बढ़ गया यानि किसानों का लागत खर्च बढ़ गया लेकिन उस अनुपात में खरीद मूल्य और समर्थन मूल्य में वृद्धि नहीं की गई। परिणाम यह हुआ कि किसानों ने वोट क्लब पर गेहूं की होली अधिक कीमत मांगने के क्रम में जलाई थी। इसी सरकार ने इस साल के शुरू में 8 लाख टन गेहूं का निर्यात किया और पुनः आयात में क्या मामला है, किक बैक का मामला है या क्या है, यह अलग चीज है। मैंने अपने प्रश्न में पूछा था :

[अनुवाद]

"सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए की गई आपूर्ति का अनुमानित प्रस्तावित विक्रय मूल्य।"

[हिन्दी]

आपके ठीक ही जवाब दिया है कि इसके लिए भिन्न रेट नहीं है, एक ही रेट होता है। ईशू प्राइस एक ही होता है। हम जानना चाहते हैं कि क्योंकि ईशू प्राइस एक ही होता है तो 10 लाख टन गेहूं का जो आयात किया गया उसके चलते पी०डी०एस० में उसी प्राइस पर सप्लाई करने के लिए सरकार को जो पहले से सबसिडी दी जा रही है उसके मुकाबले और अधिक कितनी सबसिडी देनी पड़ेगी पी० डी० एस० पर उसी दर पर उस आयातित गेहू को सप्लाई करने के क्रम में ?

श्री कमालुद्दीन अहमद : पहले तो आपकी यह बात जो चलते-चलते आपने समाप्त क्रमांक कर दी मैं उसका जवाब दूंगा। ···(व्यवधान) एक्सपोर्ट करने का डिसीजन नीतीश की सरकार ने लिया था। ये उस वक्त उस सरकार में मैम्बर भी थे। अगस्त 1990 में 10 लाख मीट्रिक टन एक्सपोर्ट करने का डिसीजन फौरन एक्सचेंज के रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए उस समय की सरकार ने लिया था। लेकिन उस साल सिर्फ 2 लाख टन कर पाए। उसके बाद अप्रैल 1991 में दुबारा डिसीजन लिया गया कि 10 लाख मीट्रिक टन का फिर एक्सपोर्ट किया जाए। उसमें से 6.97 लाख मीट्रिक टन एक्सपोर्ट हो पाया। उसके बाद सितम्बर 1991 में हमारी सरकार ने पूरा रिव्यू किया कि ऐवेलेबिलिटी क्या है, प्रोक्योरमेंट कम हुआ है, इसको किस तरीके से किया जाए, तो उसमें 10 लाख टन के लिए पहले जो इजाजत दी गई थी उसको रिव्यूस करके 8 लाख टन किया। उसके बाद जनवरी में जो डिसीजन लिया गया उसमें यह किया गया :

[अनुवाद]

कि किसी भी निर्यात की अनुमति नहीं दी जाएगी।

[हिन्दी]

एक बात और बताऊं कि यह जो एक्सपोर्ट हुआ है वह किसी भी प्राईवेट पार्टी को नहीं दिया गया है।

[अनुवाद]

सारा निर्यात एस०टी०सी० तथा एम०एम०टी०सी० द्वारा किया गया है।

[हिन्दी]

ये दोनों गवर्नमेंट के ओरगनाईजेशन्स हैं। इन्होंने ही एक्सपोर्ट किया है।

दूसरी बात आपने पूछी है कि इसमें सबसिडी जो इनवॉल्व होगी वह महंगी गेहूं पी०डी०एस० में देने के बाद। जैसाकि माननीय सदस्य जानते हैं कि इस साल बजट में जो सबसिडी प्रोवाइड की गई है 2500 करोड़ रुपए और अधिक 250 करोड़ रुपए रीवैमपिंग के लिए। 3750 करोड़ रुपए की सब्सिडी मौजूद है। यह देखते हुए पी०डी०एस० में सप्लाई करने के बाद अगर कोईऔर सबसिडी उससे अधिक देनी पड़ी तो सरकार देती और इसके लिए आपको चिन्ता करने की जरूरत नहीं है।

डा० महादीपक सिंह शाक्य : अध्यक्ष महोदय, इसमें जो विवरण प्रस्तुत किया है और उसमें

लिखा है कि केन्द्रीय निर्गम मूल्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत 280 रुपए प्रति क्विंटल और मजबूत बनाई गई सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन होने वाले क्षेत्रों के लिए यह मूल्य 230 रुपए प्रति क्विंटल है। यह इसमें आपने दिया है। यह बहुत अच्छी बात है लेकिन मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि सन् 51 मन्त्री जी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि हम खाद्यान के लिए आत्मनिर्भर हैं, हमको कोई आवश्यकता नहीं है। यही नहीं उन्होंने 10 लाख क्विंटल भारत से निर्यात किया।

और लगभग 5 6 अरब की पूंजी की और चीजें, चावल चीनी बनाकर इन्होंने उसे अर्जित किया। तो मेरे कहने का अर्थ यह है कि एक तरफ तो आप आत्मनिर्भरता की बात करते हैं और दूसरी तरफ विदेशों के सामने जाकर हाथ फैलाते हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार की नीति और नीयत में फर्क है, पहली बात ?

दूसरी बात यह है कि आपने जो गेहूं मंगाया है और यह कहा है कि वितरण प्रणाली के द्वारा 230 रुपए तक हम वितरण करेंगे। आपका वितरण दो माध्यमों से होता है, पहले खाद्य निगम के पास आता है, तत्पश्चात् आपूर्ति केन्द्रीय स्थान होते हैं, उनके पास जाता है लेकिन इस व्यवस्था के अन्दर जो सिटीज हैं, जो शहर हैं, जो कस्बे हैं, उन तक तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन उचित ढंग से हो पाता है लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में, तराई क्षेत्रों में नहीं पहुंच पाता···

अध्यक्ष महोदय : यह वितरण का प्रश्न नहीं है, इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट का प्रश्न है।

श्री महादीपक सिंह शाक्य : मैं वहीं पर आ रहा हूं। तो वहां तक आप इसे सामान रूप से पहुंचाएं इसके लिए आप क्या कर रहे हैं और इसमें जो मैंने आपसे कहा कि नीयत ठीक नहीं है तो इस घोटाले की जांच कराने के लिए आप कोई इस तरह की एजेंसी तैयार करेंगे ताकि इसमें जो घोटाला नजर आता है, उसकी जांच हो सके ?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : वितरण सम्बन्धी प्रश्न का उत्तर देने की आपको आवश्यकता नहीं। अगर आप चाहें तो पहले भाग का उत्तर दे सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री कमालुद्दीन अहमद : एक बात तो मैं पहले अर्ज कर दूं कि हम किसी मुल्क के पास भी हाथ फैलाने के लिए नहीं जा रहे हैं, नहीं जाएंगे। अगर जरूरत पड़ी तो हम माल का मोल देकर खरीदेंगे और हाथ फैलाने वाली बात बिल्कुल गलत है। रही यह बात कि यह भी इस वास्ते हमको जरूरत पड़ती है कि वैरियस क्लाइमेटिक वैरिएशंस जो आ रहे हैं और मानसून की कमी कभी-कभी हो जाती है, गेहूं और चावल प्रोड्यूस करने वाले जो क्षेत्र हैं, अगर वहां पर कोई अनटुअर्ड सिचुएशन पैदा होती है, फसल मार खाती है तभी मुल्क में अवेलेबिलिटी कम होती है, उसको मेक-अप करने के लिए दूसरे रास्ते तलाश करते हैं।

श्री दत्ता मेघे : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि इस साल भी बहुत जगह पानी वगैरह बहुत कम है और हम आत्मनिर्भर हैं, हम नहीं जाएंगे, यह भी कहते हैं लेकिन हम जो

आयात करते हैं, उसके लिए हम ज्यादा कीमत देते हैं। हमारे किसान लोग यहां मेहनत करते हैं और पैदावार का खर्चा नहीं पुरता है तो आयात करने के बदले किसानों को आप उनकी उपज का ज्यादा पैसा देंगे क्या? हमारे किसान से आप जो खरीदी करते हैं, वह मूल्य बहुत कम है और बाहर से जो लाते हैं, गेहूं या कुछ भी तो उसके लिए ज्यादा पैसा देते हैं। किसान के बारे में इस साल भी यह बात आने वाली है। आपका जो निर्धारित मूल्य है, उसमें आयात करने के बगैर किसान को हम ज्यादा पैसा देने जा रहे हैं?

श्री कमालुद्दीन अहमद : जहां तक इम्पोर्ट करने वाली बात है, यह कोई हम खुशी के साथ इम्पोर्ट नहीं कर रहे हैं। हालात की मजबूरी में हमको आयात करना पड़ता है, उसको मिसाल बनाकर हम यह बात नहीं कर सकते।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आयात कम करने के लिए क्या आप किसानों को अधिक पैदा देने के लिए तैयार हैं।

श्री कमालुद्दीन अहमद : इम्पोर्ट जो है वह केवल देश में अनाजों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए है। जहां तक यहां कण्ट्री के अन्दर जो प्रोडक्शन है, पिछले साल 176 मिलियन टंस का हुआ है, इस साल कोर्स ग्रेन मार खाएंगे। मेरी पूरी बात सुन लीजिए। 33 मिलियन टंस कोर्स ग्रेन के बजाय 27 मिलियन टंस कोर्स ग्रेन हुए हैं, 6 मिलियन टन की कमी उसमें हुई है, फिर उसका प्रेशर गेहूं पर आता है। वैसे गेहूं की टोटल एवेलेबिलटी और दूसरे,

[अनुवाद]

गेहूं तथा अन्य अनाजों की कुल उपलब्धता कम हुई है : इस वर्ष 1700 लाख टन उत्पादन की आशा है।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष जी, सरकार ने पिछले 5-6 महीनों में जो अन्तर्विरोधी वक्तव्य दिए और जनवरी, 1992 में तो साढ़े छः लाख टन गेहूं का निर्यात लगभग 240 रुपए प्रति क्विंटल की दर से किया और जून, 1992 में 526 रुपये प्रति क्विंटल की दर से आयात किया। अभी अन्तर्विरोधी जो मैंने कहा, अभी आपने कहा है कि पिछली सरकार ने यह फैसला किया, यह स्टेटमेण्ट एक जनवरी को आपके एक स्टेट मिनिस्टर ने एक पांच सितारा होटल में दिया है, मैं कोट कर रहा हूं :

[अनुवाद]

"केन्द्रीय पूल में अनाजों का काफी स्टॉक है।"

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : पहले मेरी बात सुनिए, उन्होंने कहा है कि कितना प्रिक्योरमेंट कम हो गया, इसके लिए किया है।

श्री मदन लाल खुराना : इन्होंने कहा, कम हुआ है। यही तो मेरा कहना है, यहां कहते हैं, कम हुआ है और एक जनवरी, 1992 को यह स्टेटमैण्ट देते हैं···

[अनुवाद]

"केन्द्रीय पूल में अनाज का काफी स्टॉक है। पहली बार हमने भारतीय खाद्य निगम को 8 लाख टन गेहूं निर्यात के लिए देने की अनुमति दी है।"

[हिन्दी]

एक जनवरी को आप एक्सपोर्ट करते हैं और 16 जनवरी को कहते हैं कि दस लाख टन गेहूं आयात होगा। फिर मार्च के महीने में यह आता है—टैंडर नोटिस फॉर व्हीट एम्पोर्ट। मेरा निवेदन सिर्फ इतना ही है कि जनवरी महीने के अन्दर 240 में एक्सपोर्ट करते हैं और पांच महीने के अन्दर इसी सैशन में आपने जवाब दिया कि आपने इम्पोर्ट किया है, 524 रु० क्विंटल। मैं जानना चाहता हूं, अगर आपको इम्पोर्ट करना था, तो मार्च के महीने में जबकि इन्टरनेशनल मार्केट में प्राइस कम थी···

अध्यक्ष महोदय : उसका भी जवाब दिया है। वह क्वालिटी अलग है।

श्री मदन लाल खुराना : उसका जो जवाब दिया, मैंने सुना है। मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहूंगा, क्या आप इसकी जांच किसी पार्लियामेंट्री कमेटी या किसी से करवायेंगे, जो इसमें काफी अनियमितताएं हुई हैं ? (व्यवधान)

श्री कमालुद्दीन अहमद : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो कह रहे हैं, बड़े जोर की आवाज से कहते हैं और मैं उससे घबरा जाता हूं। इसमें ऐसी कोई चीज नहीं हुई है, जिसके लिए कोई इन्क्वायरी की जरूरत है या पार्लियामेंट्री इन्क्वायरी की जरूरत है। बात बिल्कुल साफ और सीधी है, यहां पर कोई पिछले किसी स्टेटमेंट के खिलाफ कोई स्टेटमेंट नहीं दिया गया है। जो सिचुएशन थी, वह तफसील से मैंने पहले बता दी है।

अध्यक्ष महोदय : पहले जवाब में सब कुछ आ गया।

श्री कमालुद्दीन अहमद : प्राइसेज के लिए माननीय सदस्य की क्लैरिफिकेशन के लिए, मैं कहता हूं कि यह बात बिल्कुल सही नहीं है कि मार्च के अन्दर कीमतें कम थी। आप चाहें तो मेरे पास पूरा चार्ट है, सारे महीनों में इन्टरनेशनल मार्केट में जो प्राइस कोट हुई है, उसकी कॉपी मैं आपको दे दूंगा।

(व्यवधान)

श्री मदन लाल खुराना : कम से कम इतना तो बता दें, जिनसे टैंडर्स मांगे हैं, क्या उन्हीं से लिया है ?

अध्यक्ष महोदय : आपने पहला उत्तर नहीं सुना, इसलिए आप यह प्रश्न कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री कमालुद्दीन अहमद : जिन टैंडर्स की बात आप कह रहे हैं, वे काबिले कबूल नहीं थे।

अध्यक्ष महोदय : कंडीशन फुलफिल नहीं करते हैं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो० उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु : उत्तर देते हुए माननीय मंत्री ने ऐसा कहा था।

अध्यक्ष महोदय : कृपया पीछे प्रश्न पर आइए। क्योंकि हमने अभी तक केवल तीन चार प्रश्न ही लिए हैं।

प्रो० उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु : माननीय मंत्रीजी ने उत्तर देते हुए कहा है कि अमरीका ने सबसिडी प्रदान करने की पेशकश नहीं की है तथा यह भी एक कारण है कि देश के बाहर वसूली मूल्य काफी अधिक रहा। मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि अमरीका द्वारा सबसिडी वापस लेना अमरीका द्वारा भारत सरकार पर डंकल प्रस्ताव स्वीकृत करने के लिए दबाव डालने की नीति का हिस्सा तो नहीं है ?

अध्यक्ष महोदय : नहीं, ऐसे प्रश्नों का उत्तर या तो वाणिज्य मन्त्रालय अथवा विदेश मन्त्रालय द्वारा दिया जा सकता है। आप ऐसा प्रश्न पूछिये जिसका उत्तर खाद्य मन्त्री अथवा कृषि मन्त्री दे सकें।

प्रो० उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु : पहले अमरीका द्वारा कितनी सबसिडी दी जाती थी तथा कितनी सबसिडी इसने वापस ले ली है ?

अध्यक्ष महोदय : क्या आपके पास आंकड़े उपलब्ध हैं ?

श्री कमालुद्दीन अहमद : यह आम नियम नहीं है। वह सदैव सबसिडी नहीं देते हैं। केवल कुछ मामलों में अगर वे उचित समझते हैं तो सबसिडी देते हैं। यह कोई सबसिडी नहीं है बल्कि निर्यात प्रोत्साहन कार्यक्रम है जिसके अन्तर्गत कुछ सफलता उपलब्ध करवाते हैं।

नई दिल्ली और त्रिवेन्द्रम के बीच रेल-लाइन का विद्युतीकरण

*494. श्री पी० सी० थामस : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली और त्रिवेन्द्रम के बीच रेल लाइन को दोहरा करने तथा इसके विद्युतीकरण की कोई योजना तैयार की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा किन-किन सेक्शनों को दोहरा और विद्युतीकृत किया जा चुका है;

(ग) इस संबंध में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस मार्ग पर कुछ और द्रुतगामी रेलगाड़ियां शुरू करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ग) नई दिल्ली और तिरुअनन्तपुरम के बीच रेलवे लाइन के दोहरीकरण तथा विद्युतीकरण के संबंध में स्थिति नीचे लिखे अनुसार है :—

(i) दोहरीकरण

केरल एक्सप्रेस के मार्ग से नई दिल्ली-तिरुअनन्तपुरम के बीच की दूरी 3053 कि०मी० है। इसमें से 2645 कि०मी० मार्ग में पहले ही दोहरी लाइन मौजूद है।

एर्णाकुलम-कायनकुलम (कोट्टयम के रास्ते 115 कि०मी०) खंड पर अलेप्पी के रास्ते 100 कि०मी० लम्बी वैकल्पिक बड़ी लाइन का काम पहले ही शुरू कर दिया गया है। इसके पूरा हो जाने पर, दो इकहरी लाइनें एक अलेप्पी के रास्ते और दूसरी कोट्टयम के रास्ते मौजूदा लाइन-उपलब्ध हो जायेंगी।

जी०टी० मार्ग पर 108 कि० मी० में कहीं-कहीं और कायनकुलम-तिरुअनन्तपुरम मार्ग पर 106 कि० मी० में दोहरीकरण का कार्य चल रहा है।

इस मार्ग पर गुडूर-रेणिगुंटा (83 कि०मी०) इकहरी लाइन खंड है और इस खंड पर होने वाले यातायात से, इसके दोहरीकरण का कोई औचित्य नहीं बनता।

(ii) विद्युतीकरण :

नई दिल्ली से ईरोड तक (2588 मार्ग कि० मी०) के भाग का पहले ही विद्युतीकरण कर दिया गया है। ईरोड-एर्णाकुलम के विद्युतीकरण को 1992-93 के बजट में शामिल किया गया है। एर्णाकुलम-तिरुअनन्तपुरम खंड के विद्युतीकरण का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) और (ङ) तेज गाड़ियां चलाया जाना एक सतत प्रक्रिया है जो यातायात की की आवश्यकताओं तथा लाइन क्षमता के साथ-साथ स्टाक तथा रेल इंजनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। फिलहाल ऐसे किसी विशिष्ट प्रस्ताव पर सक्रिय रूप से विचार नहीं किया जा रहा है।

श्री पी० सी० थामस : केरल के लिए यात्रा वास्तव में एक अत्यन्त दुखद अनुभव है। केरल के लिए अवश्य ही एक और गाड़ी चलाई जानी चाहिए। यद्यपि इस समय आठ लाख केरलवासी दिल्ली में रहते हैं, फिर भी वहां के लिए एकमात्र नियमित रेल केरल एक्सप्रेस है। उसमें यात्रा करना लगभग असंभव है क्योंकि जो डिब्बा 72 यात्रियों के लिए होता है, उसमें इससे तीन चार गुणा अधिक संख्या में यात्री यात्रा कर रहे होते हैं।

स्थिति की आवश्यकता को समझते हुए मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या माननीय रेल मंत्री इस बात से सहमत होंगे कि एक और गाड़ी आरम्भ करना अत्यावश्यक है तथा दिल्ली में रह रहे इतनी बड़ी

संख्या में लोगों की सुविधा के लिए क्या माननीय मन्त्री महोदय एक और गाड़ी आरम्भ करने के प्रस्ताव को स्वीकृत करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं समझता कि यह एक सुसंगत पूरक प्रश्न है।

श्री मल्लिकार्जुन : केरल एक्सप्रेस के अतिरिक्त इस समय दिल्ली तथा केरल के बीच दो जोड़े गाड़ियां और चलती है। फिर भी वर्तमान में नई दिल्ली से केरल के लिए नई रेलगाड़ी आरम्भ करना संभव नहीं, क्योंकि नई दिल्ली तथा निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर इसके लिए सुविधा उपलब्ध नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : कम से कम हम आपसे एक दुखद उत्तर की आशा रखते हैं।

श्री मल्लिकार्जुन : फिर भी वर्ष 1993 के अन्त तक जब निजामुद्दीन काम्पलैक्स चालू हो जाएगा, तो हम केरल के लिए नई रेलगाड़ी आरंभ करने पर विचार कर सकते हैं।

श्री पी० पी० थामस : मेरे विचार में श्री सी० के० जाफर शरीफ कुछ और आश्वासन देना चाहेंगे। वास्तव में इस संबंध में केवल में 10,000 लोगों ने ज्ञापन दिया था।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न केरल जाने वाली गाड़ियों के विद्युतीकरण से संबंधित है।

श्री पी० सी० थामस : यह वास्तविक आवश्यकता है। माननीय मन्त्री महोदय ने कहा है कि नई गाड़ी आरम्भ करने पर तब विचार किया जाएगा जब पर्याप्त संख्या में यात्री इसके लिए उपलब्ध होंगे।

अध्यक्ष महोदय : कृपया इस बात को छोड़िए। यह प्रश्न गाड़ियों के विद्युतीकरण के बारे में है। अगर इस संबंध में कोई पूरक प्रश्न है तो पूछिए।

श्री पी० सी० थामस : महोदय, भाग (ग) और (घ) इसी के बारे में है। यह केरल के लिए एक और गाड़ी आरंभ करने के बारे में स्पष्ट प्रश्न है। मैं माननीय रेल मंत्री से अनुरोध करता हूं कि लोगों के दृढ़ विश्वास और वास्तविक मांग को देखते हुए केरल के लिए नई गाड़ी आरंभ करने के बारे में आश्वासन दें।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न मूल प्रश्न से संबद्ध नहीं है।

रेल मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : जहां तक दोहरीकरण तथा विद्युतीकरण का प्रश्न है, कार्य प्रगति पर है।

मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि रेलवे नेटवर्क ने उत्तर और दक्षिण के बीच पूरी तरह से संपर्क स्थापित कर दिया है।

जहां तक वर्तमान रेल गाड़ियों की संख्या के अतिरिक्त कुछ और रेलगाड़ियां चलाने का प्रश्न है, माननीय सदस्य ने इस संबंध में बहुत से हस्ताक्षर करवाकर एक मांग पत्र प्रस्तुत किया है। अगली समय सारिणी लागू करते वक्त हम अपने संसाधन जुटाकर ऐसी मांग को पूरा करने के लिए विचार करेंगे।

श्री चन्द्र शेखर : अध्यक्ष महोदय, रेल मन्त्रालय के माननीय राज्य मन्त्री ने एक ऐसा बहाना

बनाया है, जोकि स्वीकार्य नहीं है। यह कहना कि दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन स्टेशनों पर नई रेलगाड़ी चलाने के लिए सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, सही नहीं है। हाल ही में अनेक रेलगाड़ियां, जिनका मैं उल्लेख नहीं करना चाहता, वहां से चलाई गई हैं और इनका चलाना इतना जरूरी नहीं था, जितना कि त्रिवेन्द्रम के लिए रेलगाड़ी चलाना है। आप इनमें से एक रेलगाड़ी काटकर त्रिवेन्द्रम के लिए एक रेलगाड़ी और क्यों नहीं शुरू कर देते? चूंकि वहां पर सुविधाएं दी जा सकती हैं और रेलवे बोर्ड और रेल मंत्री निजामुद्दीन और त्रिवेन्द्रम में स्थान प्राप्त करके नई रेलगाड़ी चला सकते हैं। उनका तर्क युक्ति संगत है।

श्री मल्लिकार्जुन : हमारे माननीय वरिष्ठ सदस्य ने नई दिल्ली स्टेशन पर सुविधाओं का जिक्र किया है। वहां और सुविधाएं उपलब्ध कराने की गुंजाइश नहीं है, काम चल रहा है। निजामुद्दीन में और टर्मिनल सुविधाएं पूरी होने वाली हैं। मैंने उसका जिक्र उस दृष्टि से किया। ऐसा नहीं है कि एक रेलगाड़ी काटकर दूसरी रेलगाड़ी चला दी जाए, ऐसा नहीं होता। यह सभी मार्गों और देश के सभी लोगों के लिए जरूरी है। इसलिए माननीय श्री चन्द्र शेखर यह मानेंगे कि इस रेल लाइन की यातायात क्षमता पूरी हो गई है, परन्तु फिर भी हम कुछ बातों पर ध्यान देंगे और लोगों की मांगों को पूरा करने का प्रयास करेंगे। इसलिए अगली समय-सारिणी में जैसाकि, हमारे वरिष्ठ सहयोग ने कहा है, इस पर विचार करेंगे। यहां तक कि त्रिवेन्द्रम और कोचीन में भी टर्मिनल सुविधाएं पर्याप्त नहीं हैं। जब हम कुछ करते हैं तो इन सब बातों पर विचार करते हैं।

श्री वी० धनंजय कुमार : हालांकि प्रश्न रेल लाइनों को दोहरा करने और इनके विद्युतीकरण के बारे में है, परन्तु नई रेलगाड़ी चलाने की मांग तर्कसंगत है। इसका एक कारण है।

पहले 1977 में, हजरत निजामुद्दीन और मंगलौर के बीच जयन्ती-जनता एक्सप्रेस के नाम से एक नई रेलगाड़ी चलाई गई थी, जो कि उत्तर केरल और मंगलौर के लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करती थी। शायद कांग्रेस सरकार को "जनता" शब्द से नफरत है और इस वजह से वह रेलगाड़ी बंद कर दी गई। जयन्ती-जनता एक्सप्रेस और तत्कालीन केरला एक्सप्रेस को मिलाकर केरल-एक्सप्रेस नामक एक रेलगाड़ी चलाई गई, जोकि नई दिल्ली और त्रिवेन्द्रम के बीच प्रतिदिन चलती है। पाल घाट में लगभग छह डिब्बे हटा लिए जाते हैं और वे मंगलौर जाते हैं। इस वजह से, एक नई रेलगाड़ी के चलाने की आवश्यकता है।

रेल लाइन को दोहरा करने का जहां तक संबंध है, शोरनूर और मंगलौर के बीच बहुत ज्यादा भीड़भाड़ रहती है और रेल लाइन को दोहरा करने की आवश्यकता है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि क्या जल्दी ही शोरनूर और मंगलौर के बीच रेल लाइन के दोहरीकरण का काम शुरू हो जाएगा।

अध्यक्ष महोदय, इस मार्ग पर प्रत्येक स्टेशन को रेल से जोड़ दिया जाएगा।

श्री वी० धनंजय कुमार : रेलगाड़ी का नाम केरल एक्सप्रेस है। पालघाट से एक अनुभाग उत्तर तक जाता है और मंगलौर पहुंचता है। अतः क्या दोहरीकरण और विद्युतीकरण का काम जल्दी ही शुरू किया जाएगा।

श्री मल्लिकार्जुन : जहां तक दिल्ली से त्रिवेन्द्रम के बीच बरास्ता केरल एक्सप्रेस मार्ग, रेल लाइन के दोहरीकरण का प्रश्न है, यह मार्ग 3053 कि० मी० है और इसमें से 2645 कि०मी० मार्ग का दोहरीकरण पहले ही हो चुका है। 108 कि० मी० के एक टुकड़े जोकि जी०टी० मार्ग पर पड़ता है, का दोहरीकरण हो रहा है। कायमकुलम और त्रिवेन्द्रम के बीच 106 कि०मी० लंबे मार्ग के दोहरीकरण का कार्य भी चल रहा है। शोरनूर और बंगलौर के बीच रेल लाइन के दोहरीकरण का कार्य इस समय शुरू करने पर विचार नहीं हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय : श्री तेजसिंहराव भोंसले, इस रेलगाड़ी से सुविधा मिल जाएगी।

[हिन्दी]

श्री तेजसिंहराव भोंसले : अध्यक्ष महोदय, द्रुतगति की रेलगाड़ियां शुरू करने के बारे में प्रश्न पूछा गया है, अभी दिल्ली-मुंबई, दिल्ली कलकत्ता के लिए द्रुतगति की राजधानी एक्सप्रेस चल रही है। अध्यक्ष महोदय, दक्षिण की तरफ 4 राजधानियां हैं। मद्रास, तमिलनाडु की, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश की, बंगलौर कर्नाटक की, तिरूअनंतपुरम केरल की, तो क्या दक्षिण की तरफ वाया नागपुर द्रुतगति की राजधानी एक्सप्रेस शुरू करने का सरकार की तरफ से विचार है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : दिल्ली-त्रिवेंद्रम के बारे में सवाल है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह दिल्ली और त्रिवेंद्रम के बीच रेलगाड़ी चलाने के बारे में है। आप संक्षेप में उत्तर दे सकते हैं।

श्री मल्लिकार्जुन : मुख्य प्रश्न इसके बारे में नहीं है। फिर भी मैं यह कह सकता हूं कि हम दिल्ली और बंगलौर के बीच एक राजधानी एक्सप्रेस शुरू करने जा रहे हैं और एक ऐसी ही सेवा को यथासंभव मद्रास और बंगलौर तक बढ़ाने का विचार कर रहे हैं।

श्री ई० अहमद : महोदय, मंगलौर के माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा है, वह सही है और बहुत ही संगत है। केरल जाने वाली रेलगाड़ियां त्रिवेंद्रम तक जा रही हैं। यह रेलगाड़ियां मंगलौर और शोरनूर बरास्ता पालघाट, भी जाती हैं। मुश्किल यह है कि मंगलौर और शोरनूर के बीच की रेल लाइन दोहरी नहीं है। इसका प्रस्ताव सरकार के पास है, परंतु यह फिर भी पूरी नहीं हुई है। रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री ने जो उत्तर दिया है वह सही नहीं है क्योंकि मेरे अनुसार यह कार्य अब चल रहा है।

जहां तक केरल के लिए एक और रेलगाड़ी चलाने का प्रश्न है, वह न्यायोचित है। केरल के लोगों की केवल एक ही कठिनाई है कि दिल्ली पहुंचना और रेलगाड़ी से वापस जाना। केरल के लिए एक और रेलगाड़ी शुरू करने के बारे में मैं कैबिनेट मंत्री का सकारात्मक उत्तर चाहता हूं। देश के विभिन्न भागों के लिए कितनी रेलगाड़ियां चलाई जा रही हैं। फिर भी केरल के लिए एक रेलगाड़ी क्यों नहीं चलाई जा रही है ?

श्री मल्लिकार्जुन : महोदय, केबिनेट मंत्री ने पहले ही उत्तर दे दिया है कि केरल के लिए एक नई रेलगाड़ी चलाने के प्रस्ताव पर नई समय-सारिणी लागू करते समय विचार किया जाएगा।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

नेहरू युवा केन्द्र

*495. श्री जी० माडेगौड़ा : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1992-93 के दौरान, देश में खोले जाने वाले नये नेहरू युवा केन्द्रों की राज्य-वार संख्या क्या है;

(ख) क्या इन केन्द्रों के कार्य क्षेत्र का विस्तार किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन केन्द्रों को राज्य-वार कितनी धन-राशि आवंटित की गई और वास्तव में इन पर कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(ङ) वर्ष 1992-93 के दौरान प्रत्येक राज्य में इन केन्द्रों पर कितनी धनराशि खर्च करने का प्रस्ताव है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (ङ) विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) वर्ष 1992-93 के दौरान 15 नये केन्द्र खोले जाने की संभावना है। तथापि इन केन्द्रों का खोला जाना धनराशि की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

(ख) और (ग) नेहरू युवा केन्द्र संगठन की स्थापना गैर-छात्र ग्रामीण युवाओं के विकास के लिए की गई थी। तथापि, समय बीतने पर इन केन्द्रों ने लोगों की स्थानीय आवश्यकताओं और आकांक्षाओं और अपेक्षाओं और स्थानीय संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए विकास सम्बन्धी अतिरिक्त कार्यकलाप प्रारम्भ किए हैं। ये केन्द्र व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम, राष्ट्रीय एकीकरण शिविर आयोजित करते रहे हैं, समारोहों के माध्यम से स्थानीय कला और संस्कृति का प्रचार करते हैं तथा युवाओं में जन-चेतना जागृत करने के लिए राष्ट्रीय साक्षरता मिशन परियोजनाएं तथा अन्य अभियान आयोजित करते रहे हैं।

(घ) 1991-92 के आंकड़ों की लेखा-परीक्षा की जा रही है। जैसे ही यह तैयार होंगे, इन्हें सदन के पटल पर रख दिया जाएगा। 1989-90 तथा 1990-91 के लिए जारी की गई तथा खर्च की गई धनराशि का विवरण निम्न प्रकार है।

1989-90 के दौरान जारी की गई और खर्च की गई धनराशि को दर्शाने वाला विवरण

राज्य/संघ शासित प्रदेश	जारी की गई धनराशि	व्यय
1	2	3
आंध्र प्रदेश	4074036.00	4912989.88
असम	874764.00	1558161.94
बिहार	9116719.00	6103719.15
गुजरात	2147644.00	2173339.38
हरियाणा	2053676.00	1943621.78
हिमाचल प्रदेश	2821060.00	2562292.71
जम्मू तथा कश्मीर	663851.00	471086.99
कर्नाटक	2479848.00	2583715.30
केरल	1771320.00	1581272.36
मध्य प्रदेश	5684940.00	7865307.71
महाराष्ट्र	2779304.00	2132846.71
मणिपुर	636192.00	878128.60
मेघालय	397620.00	92262.60
नागालैंड	477144.00	393495.00
उड़ीसा	2176336.00	2166336.00
पंजाब	2327655.00	2073894.55
राजस्थान	4557137.00	4088216.11
सिक्किम	374334.00	198550.00
तमिलनाडु	3365508.00	2919612.68
त्रिपुरा	397620.00	388761.17

1	2	3
उत्तर प्रदेश	12093297.00	12274859.69
पश्चिम बंगाल	5257117.00	3252998.00
अरुणाचल प्रदेश	397620 00	334254.50
अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह	179273.00	102000.00
चण्डीगढ़	124500.00	124500.00
दिल्ली	575070.00	585139.41
गोवा, दमन और द्वीव	378996 00	342997.08
लक्षद्वीप	177132.00	378704.35
पांडिचेरी	177132.00	247003 75
मिजोरम	159048.00	194056.00
दादर और नागर हवेली	126332.00	181854.00

वर्ष 1990-91 के दौरान जारी की गई तथा खर्च की गई धनराशि का राज्यवार विवरण

राज्य/संघ शासित प्रदेश	जारी की गई धनराशि	व्यय
1	2	3
असम	1302395.00	1236490.16
मणिपुर	924753.00	828761 48
मेघालय	153116.00	290604.60
नागालैंड	582351.00	430861.40
त्रिपुरा	451384.29	379023.08
अरुणाचल प्रदेश	239388.00	288814.10

1	2	3
मिजोरम	149277.00	155289.00
गुजरात	1998388.87	1604571.55
मध्य प्रदेश	4828820.79	4120747.37
महाराष्ट्र	2194093.29	1792006 52
गोवा, दमन और दीव	190470.00	148612.92
दादर और नागर हवेली	77771.00	65534.00
हरियाणा	884157.00	797446.52
हिमाचल प्रदेश	813430.00	812861.82
जम्मू तथा कश्मीर	505204.50	409376.32
पंजाब	951590 00	844498.05
राजस्थान	2152590.00	2035280.65
उत्तर प्रदेश	5393668.60	5424547.65
चण्डीगढ़	115465.00	83116.00
दिल्ली	283445.50	255953.24
आंध्र प्रदेश	2787761.35	2704339.35
कर्नाटक	1479352.90	1282430.91
केरल	962272.35	921633.78
तमिलनाडु	1781540.47	1830314.24
लक्षद्वीप	20000.00	22658.50
पांडिचेरी	120440.00	127432.15
बिहार	3340955.00	3149756.25
उड़ीसा	1527513.20	1452254.64
पश्चिम बंगाल	1759937.00	1659265.00
अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	50500.00	14015.00
सिक्किम	95700.00	49748.00

(ङ) कार्यक्रमों के लिए 1992-93 के दौरान खर्च करने हेतु प्रस्तावित धनराशि

राज्य		बजट
आंध्र प्रदेश	:	54,16,800
अरुणाचल प्रदेश	:	3,48,769.00
असम	:	8,50,497.00
बिहार	:	72,54,152.00
गोवा	:	3,76,800.00
गुजरात	:	34,48,350.00
हरियाणा	:	25,23,700.00
हिमाचल प्रदेश	:	27,61,750.00
जम्मू और कश्मीर	:	23,02,650.00
कर्नाटक	:	30,80,850.00
केरल	:	30,27,400.00
मध्य प्रदेश	:	90,04,060.00
महाराष्ट्र	:	50,33,576.00
मणिपुर	:	14,65,225.00
मेघालय	:	5,02,000.00
मिजोरम	:	1,71,475.00
नागालैंड	:	3,67,475.00
उड़ीसा	:	27,84,475.00
पंजाब	:	28,01,700.00
राजस्थान	:	63,77,075.00
सिक्किम	:	2,64,000.00
तमिलनाडु	:	42,14,100.00

राज्य		बजट
त्रिपुरा	:	6,59,475.00
उत्तर प्रदेश	:	1,64,37,600.00
पश्चिम बंगाल	:	58,86,423.00
अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह	:	2,48,000.00
चण्डीगढ़	:	2,72,225.00
दिल्ली	:	5,05,425 00
दादर तथा नागर हवेली	:	2,29,225,00
लक्षद्वीप	:	1,70,050.00
पाण्डिचेरी	:	3,38,850.00

भाप के इंजनों के स्थान पर डीजल इंजन चलाना

*496. श्री रामचन्द्र डोम : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार 1992-93 के दौरान कुछ रेलगाड़ियों को भाप के इंजनों के स्थान पर डीजल इंजनों से चलाने का है; और

(ख) यदि हां, तो इन रेलगाड़ियों के नाम क्या हैं तथा वे किन मार्गों पर चलेंगी ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) भाप रेल इन्जनों के बदले डीजल रेल इंजनों का लगाया जाना एक सतत प्रक्रिया है जो डीजल रेल इंजनों की उपलब्धता और गाड़ी के महत्व पर निर्भर करता है। ऐसा आमतौर पर वर्ष में एक बार समय-सारिणी में संशोधन के समय अथवा भाप रेल इंजन शेडों को बन्द करते समय किया जाता है। कभी-कभी, चालन में सुधार लाने के लिए गाड़ियों का डीजलीकरण उनके अपने-अपने महत्व के आधार पर किया जाता है। चालू वर्ष अर्थात 1992-93 के दौरान (जुलाई, 1992 तक), 72 गाड़ियों का डीजलीकरण किया गया है, जिनकी सूची संलग्न विवरण में दी गयी है।

विवरण

1992-93 के दौरान (जुलाई, 1992 (तक) डीजल इंजनों से चलाई गई गाड़ियों की सूची

1. 1505/1506 बीना—कटनी मिश्रित पैसेन्जर
2. 415/416 जमालपुर—गया

3. 139/40 जमालपुर—गया

4. 137/138 जमालपुर—गया

5. 1 के० जी०/2 के० जी० क्यूल—गया

6. 3 के० जी०/4 के० जी० क्यूल—गया

7. 141/142 दानापुर—वाराणसी

8. 133/134 दानापुर—वाराणसी

9. 3071/72 बर्दवान—जमालपुर

10. 351/356 बर्दवान-रामपुरहाट

11. 1 जे० एम०/14 जे० एम० जमालपुर—मुंगेर

12. 1 के० जी०/6 के० जी० कजरा—जमालपुर

13. 1 एस० जे०/6 एस० जे० जमालपुर—सुल्तानगंज

14. 135/136 क्यूल—मुगलसराय

15. 389/390 क्यूल—मुगलसराय

16. 414/409 क्यूल—मुगलसराय

17. 430/427 क्यूल—मुगलसराय

18. 4719/4720 दिल्ली—सिरसा हरियाणा एक्सप्रेस

19. 1 आर० डी०/2 आर० डी० रेवाड़ी—दिल्ली पैसेन्जर

20. 561/562 गोंडा—बस्ती पैसेन्जर

21. 555/556 बस्ती—गोरखपुर पैसेन्जर

22. 5207/5208 अमृतसर—बरौनी एक्सप्रेस

23. 5013/5014 गोरखपुर—वाराणसी एक्सप्रेस

24. 563/564 कटिहार—समस्तीपुर पैसेन्जर

25. 321/326 जकनगर—दरभंगा

26 524 सोनपुर—मुजफ्फरनगर

27. 521/522 —यथोक्त—

28. 527/528 मुजफ्फरपुर—सिवान पैसेन्जर

29. 544/543 गोरखपुर—सिवान पैसेन्जर

30. 330/329 हावड़ा—मुजफ्फरपुर पैसेन्जर

31. 71/72 इलाहाबाद—सोनपुर फास्ट पैसेन्जर

32. 5541/5542 कटिहार—जयनगर

33. 4545/4546 दिल्ली—सहारनपुर

34. 2 ए० जे०/3 ए० जे० जोनपुर—इलाहाबाद पैसेंजर

35. 1 ए० जे०/4 ए० जे० —यथोक्त—

36. 4 एस० एल०/1 एस० एल० लखनऊ—सुल्तानपुर

37. 141/142 प्रतापगढ़—मुगलसराय

38. 349/350 हरिद्वार—अमृतसर पैसेंजर

39. 337/338 दिल्ली—जालंधर सिटी पैसेंजर

40. 9165/9166 फैजाबाद—वाराणसी खंड पर वाराणसी—अहमदाबाद एक्सप्रेस

41. 21/22 कटिहार—सिलिगुड़ी

42. 191/192 चापरमुख—सिलघाट टाउन मिश्रित पैसेंजर

43. 195/196 चापरमुख—सिलघाट टाउन मिश्रित पैसेंजर

44. 407/408 चिरमिरी—कटनी पैसेंजर

45. 334 ए०/334 काटाबांजी—टिटलागढ़ शटल

46. 333/333 ए० झारसुगुडा—टिटलागढ़ पैसेंजर

47. 1 जे० एस०/3 जे० एस० झारसुगुडा—सम्बलपुर पैसेंजर

48. 3 जे० एस०/4 जे० एस० झारसुगुडा—सम्बलपुर पैसेंजर

49. 77/78 सूरत—भुसावल फास्ट पैसेंजर

50. 75/76 सूरत—भुसावल पैसेंजर

51. 113/114 सूरत—भुसावल पैसेंजर

52. 141/142 उज्जैन/गुना (नागदा—गुना पैसेंजर)

53. 189/190 कोटा—बम्बो पैसेंजर

54. 41/42 अहमदाबाद—वीरमगांव पैसेंजर

55. 87/88 इंदौर—उज्जैन खंड पर इंदौर—नागदा पैसेंजर

56. 89/90 इंदौर—उज्जैन खंड पर इंदौर—भोपाल पैसेंजर

57. 207/208 वीरमगांव—ओखा फास्ट पैसेंजर

58. 203/204 वीरमगांव—ओखा मिश्रित पैसेंजर

59. 301/202 वीरमगांव—अहमदाबाद खंड पर राजकोट—खम्भालिया फास्ट पैसेंजर

60. 209/210 —यथोक्त—

61. 464 राजमुंद्री—भीमवरम पैसेंजर

62. 329/330 हैदराबाद—वाडी पैसेंजर

63. 359/360 हैदराबाद—वाडी पैसेंजर

64. 347/348 हैदराबाद—सिकन्दराबाद पैसेंजर

65. 581/582 पूर्णा—सिकन्दराबाद खंड पर अजमेर—काचेगुडा फास्ट पैसेंजर

66. 545/546 वाडी—रायचूर पैसेंजर

67. 527/528 रायचूर—गुन्तकल पैसेंजर

68. 293/294 लोंडा—कैशल रॉक मिश्रित

69. 349/350 परली वैजनाथ—हैदराबाद पैसेंजर

70. 465/520 नरसापुर—राजमुंद्री

71. 7591/7592 निजामाबाद—पूर्णा खंड पर सिकन्दराबाद—पूर्णा एक्सप्रेस

72. 513/496 नरसापुर—विजयवाडा पैसेंजर

परिवार कल्याण योजनाओं पर व्यय हुई राशि की प्रतिपूर्ति

*497. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा :**

श्री अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों द्वारा परिवार कल्याण योजनाओं पर व्यय की गई राशि की केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति की जाती है;

(ख) यदि हां, तो क्या उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इन कार्यक्रमों पर खर्च की गई राशि की प्रतिपूर्ति का कोई मामला केन्द्रीय सरकार के पास लम्बित है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इसके कब तक निपटाए जाने की संभावना है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : (क) से (घ) : एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया ।

विवरण

परिवार कल्याण कार्यक्रम वर्ष 1951-52 में इसकी शुरुआत से ही शत-प्रतिशत केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रम रहा है । राज्य सरकारों द्वारा इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु स्वीकृत तरीकों/मानदंडों के अनुरूप किए जाने वाले पूरे खर्च की प्रतिपूर्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाती है । केन्द्रीय बजट में प्रावधान के रूप में उपलब्ध धनराशि वित्तीय वर्ष के दौरान राज्य सरकारों को सहायता अनुदान के रूप में दी जाती है । राज्य सरकारों द्वारा किए जाने वाले खर्च की लेखा-परीक्षा संबंधित महालेखाकारों द्वारा की जाती है ।

2. उत्तर प्रदेश राज्य सरकार सहित विभिन्न राज्य सरकारों से प्राप्त हुए दावों और व्यय के अंकेक्षित ब्यौरों की जांच के आधार पर परिवार कल्याण के अन्तर्गत 31 मार्च, 1991 तक की अवधि में 300.55 करोड़ रुपये की बकाया धनराशि उपलब्ध हुई है । इसमें उत्तर प्रदेश से संबंधित 78.92 करोड़ रुपए की राशि शामिल है ।

3. चालू वित्त वर्ष के दौरान राज्यों को देय बकाया राशि के आंशिक निपटान के लिए 100.00 करोड़ रुपए का प्रावधान है । यह धनराशि 2 जुलाई, 1992 को विभिन्न राज्य सरकारों को दी जा चुकी है । उत्तर प्रदेश को 28 करोड़ रुपए दिए गए हैं ।

4. उत्तर प्रदेश सरकार को 2 जुलाई, 1992 को दी गई 28.00 करोड़ रुपये की राशि को ध्यान में रखते हुए मार्च, 1991 तक की अवधि में बकाया राशि के रूप में यथासंभव 50.92 करोड़ रुपये की राशि अभी देय है ।

5. उत्तर प्रदेश सहित राज्यों को देय शेष धनराशि का निपटान अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध होने पर कर दिया जाएगा, जिसके लिए सभी तरह के प्रयास किए जा रहे हैं ।

सियालदह डिवीजन में उपनगरीय रेलगाड़ियों में अत्यधिक भीड़

*498. डा० असीम बाला :

श्री तरित बरण तोपदार :

क्या रेल मंत्री मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्व रेलवे के सियालदह डिवीजन की उपनगरीय रेलगाड़ियों में अत्यधिक भीड़-भाड़ को कम करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या सरकार सियालदह डिवीजन में भीड़-भाड़ के घंटों के दौरान एक अतिरिक्त रेलगाड़ी चलाने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) पिछले 6 वर्षों में सियालदह मंडल में 72 अतिरिक्त उपनगरीय गाड़ियां उपलब्ध कराई गई हैं और सभी रेकों में डिब्बों की संख्या बढ़ाकर 9 कार कर दी गयी है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) बिजली गाड़ी के डिब्बों सहित संसाधनों की कमी।

ग्राम स्वास्थ्य गाईड योजना

*499. श्रीमती अहेन्द्र कुमारी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य-वार, कितने जिलों को अभी तक ग्राम स्वास्थ्य गाईड योजना के अन्तर्गत नहीं लाया गया है;

(ख) ग्राम स्वास्थ्य गाईड के चयनार्थ क्या मानदंड निर्धारित किया गया है तथा उसे कितने पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है;

(ग) क्या यह पता लगाने के लिए कोई मूल्यांकन किया गया है कि इस योजना की उपलब्धियां इस पर अब तक हुए खर्च के अनुरूप हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : (क) से (घ) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

ग्रामीण स्वास्थ्य गाईड योजना अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली, गोवा, दमण व दीव, जम्मू व कश्मीर, केरल और तमिलनाडु को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित की जा रही है। केन्द्रीय सरकार ग्रामीण स्वास्थ्य गाईडों का जिलावार रिकार्ड नहीं रखती है।

ग्रामीण स्वास्थ्य गाईड एक स्वैच्छिक कार्यकर्ता होता है जिसका चयन गांव के लोगों द्वारा किया जाता है। वह अधिमानतः लगभग 30 वर्ष की आयु का होना/होनी चाहिए। वह शिक्षित होना/होनी

चाहिए और उसे अधिमानतः छठी कक्षा तक औपचारिक रूप से शिक्षित होना चाहिए। ग्रामीण स्वास्थ्य गाईड को 50 रुपये प्रतिताह के मानदेय का भुगतान किया जाता है।

इस योजना की उपलब्धि का इस योजना पर इसे शुरू किए जाने की तारीख से किए गए खर्च के समनुरूप मूल्यांकन करने के लिए कोई अध्ययन नहीं किया गया है। तथापि, इस योजना का पिछला मूल्यांकन 1984 में किया गया था। इस मूल्यांकन से पता चला कि इस योजना को काफी अधिक संख्या में लोगों द्वारा स्वीकार किया गया और इसे अनिर्वायतः उपयुक्त पाया गया।

कालेजों में कम्प्यूटर सुविधाएं

*500. श्री हाराधन राय : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों/कालेजों में कम्प्यूटर सुविधाओं के विकास की कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कार्यान्वयन पर अनुमानतः कितना खर्च होगा;

(ग) क्या पश्चिम बंगाल के विश्वविद्यालयों/कालेजों में यह योजना लागू की जायेगी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उन विश्वविद्यालयों के नाम क्या हैं, जहां कम्प्यूटर केन्द्र स्थापित किए जा रहे हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार आयोग मुख्यतया अनुसंधान, संगणक विज्ञान पाठ्यक्रमों के शिक्षण और प्रबन्ध में उपयोग के लिए विश्वविद्यालयों को संगणक उपलब्ध कराने की एक योजना कार्यान्वित कर रहा है।

इस योजना के अन्तर्गत, विश्वविद्यालयों को उनकी आवश्यकता और आयोग के पास उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखते हुए विशेषज्ञ समिति की सिफारिश पर संगणक स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। संगणकों के उपयोग की जानकारी बढ़ाने और प्रबन्ध उद्देश्यों के लिए कालेजों में संगणक उपलब्ध कराने के वास्ते 1986-87 में एक योजना भी शुरू की गई थी।

7वीं योजना अवधि के दौरान आयोग ने विश्वविद्यालयों में संगणकों की व्यवस्था के लिए 11.60 करोड़ रुपए और कालेजों में संगणकों की व्यवस्था के लिए 3.03 करोड़ रुपये खर्च किए।

(ग) और (घ) अब तक आयोग ने पश्चिम बंगाल राज्य में 7 विश्वविद्यालयों और 76 कालेजों को संगणक उपलब्ध कराए हैं।

(ङ) वि०अ०आ० ने अब तक संलग्न विवरण में दी गयी सूची के अनुसार 109 विश्वविद्यालयों को संगणक सुविधाएं प्रदान की हैं।

विवरण

वि०अ०आ० योजना के अन्तर्गत जिन विश्वविद्यालयों को संगणक उपलब्ध कराए गए उनकी सूची

विश्वविद्यालय/सम-विश्वविद्यालय का नाम

राज्य

आंध्र प्रदेश

1. आंध्र प्रदेश मुक्त विश्वविद्यालय
2. आंध्र विश्वविद्यालय
3. केन्द्रीय अंग्रेजी और विदेशी भाषा संस्थान
4. हैदराबाद विश्वविद्यालय
5. जवाहर लाल नेहरू प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
6. ककातिया विश्वविद्यालय
7. नागार्जुन विश्वविद्यालय
8. उस्मानिया विश्वविद्यालय
9. श्री सत्य सांई उच्च अध्ययन संस्थान
10. श्री कृष्ण देवारया विश्वविद्यालय
11. श्री पद्मावती महिला विश्वविद्यालय
12. श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय

राज्य : असम

1. डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय
2. गोहाटी विश्वविद्यालय

राज्य : बिहार

1. भागलपुर विश्वविद्यालय
2. बिहार विश्वविद्यालय
3. भारतीय खनन स्कूल
4. के०एस० दरभंगा विश्वविद्यालय

5. मगध विश्वविद्यालय

6. पटना विश्वविद्यालय

7. रांची विश्वविद्यालय

राज्य : गुजरात

1. भाव नगर विश्वविद्यालय

2. गुजरात विश्वविद्यालय

3. गुजरात विद्यापीठ

4. एम०एस० बड़ौदा विश्वविद्यालय

5. सरदार पटेल विश्वविद्यालय

6. सौराष्ट्र विश्वविद्यालय

7. दक्षिण गुजरात विश्वविद्यालय

राज्य : हरियाणा

1. कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय

2. महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय

राज्य : हिमाचल प्रदेश

1. हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय

राज्य : जम्मू व कश्मीर

1. जम्मू विश्वविद्यालय

2. कश्मीर विश्वविद्यालय

राज्य : कर्नाटक

1. बंगलौर विश्वविद्यालय

2. भारतीय विज्ञान संस्थान

3. कर्नाटक विश्वविद्यालय

5. मैसूर विश्वविद्यालय

6. गुलबर्ग विश्वविद्यालय

राज्य : केरल

1. कालीकट विश्वविद्यालय
2. कोचीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
3. केरल विश्वविद्यालय
4. महात्मा गांधी विश्वविद्यालय

राज्य : मध्य प्रदेश

1. अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय
2. बर्कतुल्लाह विश्वविद्यालय
3. देवी अहिल्या विश्वविद्यालय
4. डा० हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय
5. गुरु घासी दास विश्वविद्यालय
6. जीवाजी विश्वविद्यालय
7. रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय
8. रवि शंकर विश्वविद्यालय
9. विक्रम विश्वविद्यालय

राज्य : महाराष्ट्र

1. बम्बई
2. मराठवाड़ा विश्वविद्यालय
3. नागपुर विश्वविद्यालय
4. पूना विश्वविद्यालय
5. एस०एन०डी०टी०, महिला विश्वविद्यालय
6. शिवाजी विश्वविद्यालय
7. टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान

राज्य : मणिपुर

1. मणिपुर विश्वविद्यालय

राज्य : मेघालय

1. उत्तर-पूर्वी पर्वतीय विश्वविद्यालय

राज्य : उड़ीसा

1. बरहामपुर विश्वविद्यालय

3. सम्बलपुर विश्वविद्यालय

3. उत्कल विश्वविद्यालय

राज्य : पंजाब

1. गुरु नानक देव विश्वविद्यालय

2. पंजाब विश्वविद्यालय

3. पंजाबी विश्वविद्यालय

राज्य : राजस्थान

1. बिरला प्रौद्योगिकी और विज्ञान संस्थान

2. जोधपुर विश्वविद्यालय

3. मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय

4. राजस्थान विश्वविद्यालय

राज्य : तमिलनाडु

1. अलागप्पा विश्वविद्यालय

2. अन्ना विश्वविद्यालय

3. अन्नामलै विश्वविद्यालय

4. भारतीदासन विश्वविद्यालय

5. भरतियार विश्वविद्यालय

6. गांधी ग्राम ग्रामीण संस्थान

7. मद्रास विश्वविद्यालय

8. मदुरै कामराज विश्वविद्यालय

9. तमिल विश्वविद्यालय

10. मदर टेरेसा विश्वविद्यालय

11. अविनाश लिंगम महिला गृह विज्ञान और उच्च शिक्षा संस्थान

राज्य : त्रिपुरा

1 त्रिपुरा विश्वविद्यालय

राज्य : उत्तर प्रदेश

1. आगरा विश्वविद्यालय

2. अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय

3. इलाहाबाद विश्वविद्यालय

4. बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय

5. दयालबाग शैक्षिक संस्थान

6. गोरखपुर विश्वविद्यालय

7. गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय

8. एच०एन० बहुगुणा विश्वविद्यालय

9. कानपुर विश्वविद्यालय

10. कुमाऊं विश्वविद्यालय

11. लखनऊ विश्वविद्यालय

12. मेरठ विश्वविद्यालय

13. रुड़की विश्वविद्यालय

14. सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय

राज्य : पश्चिम बंगाल

1. बर्दवान विश्वविद्यालय

2. कलकत्ता विश्वविद्यालय

3. जादवपुर विश्वविद्यालय

4. कल्याणी विश्वविद्यालय

5. उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय

6. रवीन्द्र भारती विश्वविद्यालय

7. विश्वभारती विश्वविद्यालय

राज्य : दिल्ली

1. दिल्ली विश्वविद्यालय

2. जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय

3. जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय

राज्य : गोवा

1. गोवा विश्वविद्यालय

राज्य : पांडिचेरी

1. पांडिचेरी विश्वविद्यालय

जिन विश्वविद्यालयों को संगणक प्रदान किए गए हैं उनकी कुल संख्या : 109

दिल्ली में स्कूली शिक्षा के सुधार

[हिन्दी]

*501. श्री विलासराव नागनाथराव गुन्देवार :
डा० रवि मल्लू :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के छात्रों के वर्ष 1990-91 के निराशाजनक परीक्षा परिणामों के कारणों का पता लगाने के उद्देश्य से नियुक्त वरिष्ठ सलाहकार ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इसके निष्कर्ष क्या हैं;

(ग) अध्यापकों के कार्य में सुधार सहित स्कूली शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए सुझाए गए उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार ने इस बारे में क्या कार्रवाई की है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जी, हां । वरिष्ठ सलाहकार ने 7 जुलाई, 1992 को दिल्ली प्रशासन को रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है ।

(ख) और (ग) एक विवरण संलग्न है ।

(घ) कतिपय उपाय पहले ही शुरू कर दिए गए हैं जैसे— कक्षा VIII के लिए सामान्य परीक्षा, छात्रों की प्रोन्नति नियमावली में संशोधन, सेवा कालीन प्रशिक्षण में शिक्षा निदेशालय और राज्य शैक्षिक

अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद के बीच ताल-मेल में सुधार लाना, आगामी वर्ष के लिए अग्रिम योजना तैयार करना, रिक्त पदों पर भर्ती, मिश्रित माडल स्कूलों में दाखिले के लिए लाटरी पद्धति, कक्षाओं में कोचिंग, विषय समूहों के आधार पर नहीं बल्कि विषय के आधार पर प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक (टी० जी०टी०एस०) आदि। चूंकि समस्याएं बहुत गहरी हैं इसलिए स्कूलों की गुणवत्ता में सुधार लाने के उपाय सतत और संचई प्रक्रिया के रूप में होंगे।

विवरण

दिल्ली में सरकारी स्कूलों संबंधी अध्ययन रिपोर्ट में दिए गए कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष इस प्रकार है :—

1. 1991 में माध्यमिक/उच्च माध्यमिक स्तर पर पास होने वालों का प्रतिशत सभी जिलों में अलग-अलग और सम्मिलित रूप से दोनों तरह कम हुआ है।

2. माध्यमिक स्तर पर अंग्रेजी, गणित, हिंदी, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान तथा संस्कृत विषयों में पास होने वालों के प्रतिशत में, कतिपय क्षेत्रों (जोन) को छोड़कर जिनमें 1990 की तुलना में मामूली सुधार दिखाई दिया है, कमी आई है।

3. उच्च माध्यमिक स्तर पर भौतिक शास्त्र, जीव विज्ञान, गणित, भूगोल, राजनीति शास्त्र, अर्थ शास्त्र, वाणिज्य हिंदी (कोर), संस्कृत और रसायन शास्त्र विषयों में पास होने वालों के प्रतिशत में कुछेक क्षेत्रों (जोन) को छोड़कर जिनमें 1990 की तुलना में मामूली सुधार दिखाई दिया है, 1991 में प्राय: सभी क्षेत्रों में कमी आई है।

4. माध्यमिक स्तर पर गणित और अंग्रेजी विषय में निष्पादन सबसे घटिया रहा।

5. माध्यमिक स्तर पर गणित में छात्रों के घटिया निष्पादन के कारण ये थे—पाठ्यक्रम में ताजा परिवर्तनों के बारे में अध्यापकों की जानकारी में कमी, पाठ्यपुस्तकों तथा पूरक पठन सामग्री का उपलब्ध न होना।

6 केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के प्रश्न पत्रों के नवीनतम नमूने के बारे में अध्यापकों में जानकारी का अभाव और विज्ञान के विषय में अपर्याप्त अभ्यास।

7. गणित, अंग्रेजी और विज्ञान के विषयों में 30% अध्यापकों ने उपचारक कक्षाएं लीं। सामाजिक विज्ञान और भाषाओं में किसी भी अध्यापक ने ऐसी कक्षाएं नहीं लीं।

8. जहां तक विभिन्न विषयों में कार्य निष्पादन का सम्बन्ध है एम०सी०डी० के स्कूलों, झुग्गी-झोपड़ी तथा पुनर्वास-बस्तियों से आने वाले छात्रों की स्थिति बहुत कमजोर है।

9. विभाग की यह नीति कि फेल बच्चों को क्लास में न रोका जाए।

10. कुछ स्कूलों में स्टाफ की असंतोषजनक स्थिति; हाल में जिन स्कूलों का दर्जा बढ़ाया गया है उनमें से अधिकांश स्कूलों में प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल नहीं थे।

11. कक्षाओं में अत्यधिक भीड़।

12. अध्यापक अपने व्यवसाय के प्रति समर्पित नहीं हैं ।

13. 38.46% छात्र शिक्षित व्यक्तियों की पहली पीढ़ी से और 61.54% छात्र दूसरी पीढ़ी से आते हैं ।

14. घर में अध्ययन के लिए भौतिक सुविधाओं की कमी ।

15. विषय की आवश्यकताओं के अनुरूप आधारभूत सुविधाओं, भौतिक सुविधाओं, उपस्करों प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों तथा समुचित स्टाफ की कमी ।

16. शैक्षिक सत्र के बिलकुल अंत में प्रश्न पत्रों के नमूने में बदलाव और इसके बारे में अध्यापकों की जानकारी में कमी ।

17. 1991 में 4 विषयों की बजाय 5 विषयों को अनिवार्य बनाया जाना ।

18. सस्ती पुस्तकों और गाइडों पर निर्भर रहना ।

19. विज्ञान विषयों में प्रयोग परीक्षाएं नियम के अनुसार आयोजित नहीं की गयीं ।

अध्ययन रिपोर्ट में दिए गए मुख्य सुझाव निम्नलिखित हैं :—

1. झुग्गी झोंपड़ी समूह, गन्दी बस्तियों और पुनर्वास कालोनियों में रहने वाले विद्यार्थियों के लिए 'स्टडी कार्नर' की योजनाएं शुरू की जानी चाहिए ।

2. कम से कम 8वीं कक्षा के अंत में सामान्य परीक्षा ली जानी चाहिए । पाठ्यक्रमों की समय-समय पर मानीटरिंग और मूल्यांकन करने की भी जरूरत है ।

3. प्रश्न-पत्रों की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए क्षेत्रीय/स्कूली समूह स्तर पर माडरेशन समितियां गठित की जानी चाहिए ताकि विद्यार्थियों को अन्तिम पब्लिक परीक्षाओं में बैठने से पहले पर्याप्त अभ्यास का मौका मिल सके ।

4. विभाग द्वारा प्रोन्नति के नियमों की समीक्षा की जानी चाहिए ताकि कमजोर विद्यार्थियो को नीचे की कक्षाओं में रोका जा सके ।

5. प्रशिक्षण कालेजों, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान और शिक्षा निदेशालय के बीच प्रभावी समन्वय होना चाहिए ।

6. स्कूलों की भावी जरूरतों के लिए उचित योजना तैयार की जानी चाहिए ।

7. एस०सी०ई०आर०टी० और डी०आई०ई०टी० द्वारा संचालित अभिविन्यास कार्यक्रमों की गहराई और विस्तार से निरन्तर और जांच और मूल्यांकन किया जाना चाहिए ।

8. शिक्षक को इस तरह तैयार करने की जरूरत है कि वह अध्ययन को सुकर बना सके,

पाठ्यक्रम विकसित कर सके, खोज कर सके, मूल्यांकन कर सके तथा समुदाय के लिए संसाधन व्यक्ति बन सके।

9. शिक्षकों के सभी संस्वीकृत पदों को भरा जाना चाहिए।

10. विद्यार्थियों के दाखिले और उनकी प्रोन्नति में कोई बाहरी दखल नहीं होने देना चाहिए।

11. आंतरिक परीक्षा के लिए प्रश्न-पत्रों को बोर्ड की प्रणाली और पद्धति के आधार पर तैयार किया जाना चाहिए।

12. शिक्षकों की भर्ती और उनके चयन के समय शिक्षक बनने के इच्छुक व्यक्तियों की योग्यताओं, कौशलों, अभिरुचियों, मूल्यों और अपेक्षित ज्ञान के स्तरों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए।

13. एस० सी० ई० आर० टी० और डी० आई० ई० टी० को निरंतर पाठ्यक्रम प्रशिक्षण सामग्रियों, मीडिया साफ्टवेयर को अद्यतन बनाने तथा आधारभूत सुविधाओं के सहयोग की ओर ध्यान देना चाहिए।

14. जहां भी संभव और व्यवहार्य हो शैक्षिक प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

15. मूल्यांकन निरन्तर और व्यापक होना चाहिए। यह पूरे शैक्षिक अवधि के लिए और शिक्षा के शैक्षिक और गैर-शैक्षिक दोनों पहलुओं के लिए होना चाहिए।

16. गरीब और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के मेधावी विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करने के लिए प्रयोजन से कोचिंग कक्षाएं ली जानी चाहिए।

17. पिछले वर्ष के परिणामों में चिन्ता की बात यह थी कि विज्ञान और गणित में अधिकतर विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो गए। विज्ञान और गणित के शिक्षण में सुधार के लिए प्रयास किए जाने चाहिए।

फाइलेरिया नियन्त्रण

[अनुवाद]

*502. श्री एन. डेनिस : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फाइलेरिया नियन्त्रण हेतु कितने अनुसंधान केन्द्र कार्यरत हैं तथा ये कहां-कहां स्थित हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार विशेष तौर पर फाइलेरिया से प्राय: प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में, इस बीमारी की रोकथाम हेतु ऐसे कुछ और केन्द्र स्थापित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : (क) से (ग) विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) से (ग) फाइलेरिया के विभिन्न पहलुओं, जिनसे फाइलेरिया कार्यक्रम को अधिक कारगर ढंग से कार्यान्वित करने में मदद मिल सकेगी, पर अनुसंधान करने में लगे हुए अनुसंधान केन्द्र, संस्थानवार तथा स्थितिवार इस प्रकार हैं :—

(क) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद

1 वैक्टर नियन्त्रण अनुसंधान केन्द्र, पांडिचेरी (पांडिचेरी)

2. क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान केन्द्र, भुवनेश्वर (उड़ीसा)

3. क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान केन्द्र, जबलपुर (मध्य प्रदेश)

4. क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान केन्द्र, पोर्टब्लेअर (अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह)

5. क्षयरोग अनुसंधान केन्द्र, मद्रास (तमिलनाडु)

(ख) राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान

1. क्षेत्रीय फाइलेरिया प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, कालीकट (केरल)

2. क्षेत्रीय फाइलेरिया प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, राजमुन्दरी (आंध्र प्रदेश)

3. क्षेत्रीय फाइलेरिया प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, वाराणसी (उत्तर प्रदेश)

(ग) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद इस समय निम्नलिखित संस्थाओं में फाइलेरिया अनुसंधान परियोजनाओं को सहायता प्रदान कर रही है :

1. एल० एस० कालेज, मुजफ्फरपुर (बिहार)

2. एस०एस०एल० कालेज, विदिशा (मध्य प्रदेश)

3. टी०डी० मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, एलेप्पी, (केरल)

4. स्नातकोत्तर संस्थान, चण्डीगढ़ (चण्डीगढ़)

5. तंजाउर मेडीकल कालेज, तंजाउर (तमिलनाडु)

6. केन्द्रीय औषध अनुसंधान संस्थान, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)

उपर्युक्त के अतिरिक्त, केन्द्रीय औषध अनुसंधान संस्थान, लखनऊ (उ० प्र०), स्कूल आफ ट्रापिकल मेडिसिन, कलकत्ता (पश्चिमी बंगाल सरकार) एवं महात्मा गांधी आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान, वर्धा (महाराष्ट्र) भी फाइलेरिया से संबंधित अनुसंधान कार्यकलापों में लगे हुए हैं।

अनुसंधान केन्द्रों के उपर्युक्त नेटवर्क को फाइलेरिया पर क्षेत्र विशेष एवं विषय संबंधी अनुसंधान के लिए पर्याप्त समझा जाता है और इसलिए इस समय कोई और केन्द्र खोलने का प्रस्ताव नहीं है।

हिंदी विद्यालयों का चयन

*503. श्री उद्धव बर्मन : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान असम में हिंदी के प्रचार-प्रसार के लिए हिंदी विद्यालयों का चयन करने में हुई कुछ विसंगतियों का पता सरकार को लगा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में उक्त अवधि के दौरान कोई जांच की गयी है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (घ) असम के दो हिंदी विद्यालयों से मई, 1992 में शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें असोम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, गुवाहाटी, जो अनुदान प्रदान करने के, लिए, संस्थानों का चयन करने हेतु एक स्वैच्छिक एजेंसी है, के द्वारा तथाकथित भेदभाव बरतने का आरोप है। इन शिकायतों की जांच की जा रही है।

शिशु कल्याण कार्यक्रम

*504 श्री धर्मण्णा मॉडम्या सादुल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कल्याण निकायों द्वारा प्रस्तुत तथा राज्य सरकारों द्वारा स्वीकृत की गई शिशु कल्याण कार्यक्रमों से संबंधित योजनाओं में से कोई केन्द्रीय सरकार के विचारार्थ तथा स्वीकृति हेतु लम्बित पड़ी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन योजनाओं को शीघ्र स्वीकृति देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं।

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) बाल कल्याण के बारे में किसी कल्याण निकाय द्वारा प्रस्तुत तथा राज्य सरकारों द्वारा स्वीकृत योजनाओं में से केन्द्रीय सरकार के बाल स्वीकृति हेतु किसी योजना का कोई नया प्रस्ताव लम्बित पड़ा हुआ नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

संसाधन जुटाना

*505. श्री सनत कुमार मंडल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष में अपनी वार्षिक योजना लागू करने हेतु बाजार से ऋण लेने में असमर्थ रहा रेल विभाग अब अपनी वार्षिक स्थिति सुधारने और अपने ही स्रोतों से धन जुटाने पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है;

(ग) रेलवे की चालू वर्ष की वार्षिक योजना और इसके महत्वपूर्ण घटकों के लिए अनुमानित पूंजी परिव्यय कितना है और रेलवे के वर्तमान संसाधन इससे कितने कम पड़ते हैं; और

(घ) रेलवे का यह सुनिश्चित करते हुए कि रेल उपकरणों और रेल सेवाओं के प्रति विश्वसनीयता में कोई कमी न आए इस कमी को किस प्रकार पूरा करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) और (ख) बाजार की मौजूदा स्थिति तत्काल बन्धपत्र जारी किए जाने के लिए उपयुक्त नहीं है । आशा है कि निकट भविष्य में स्थिति में सुधार हो जाएगा और रेलें बाजार से संसाधन जुटा पाने में समर्थ होंगी । तथापि, आमदनी बढ़ाने और संचालन व्यय में कमी करने के लिए, सभी क्षेत्रीय रेलों में एक कार्य योजना शुरू की गई है ताकि अतिरिक्त संसाधन आंतरिक रूप से जुटाए जा सकें ।

(ग) और (घ) 5,700 करोड़ रुपए की वार्षिक योजना में से, अनुमानित पूंजी परिव्यय 3,125 करोड़ रुपए है और चल स्टाक, आमान परिवर्तन, विद्युतीकरण तथा कारखाने इसके मुख्य घटक हैं । रेलों को आशा है कि वे अपने वार्षिक लक्ष्यों को पूरा कर लेंगी ।

प्रवाल का विनाश

*506. श्री बी० अकबर पाशा : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में प्रवाल का अंधाधुंध विनाश किया जा रहा है, और प्रवाल टुकड़ों को मुख्यभूमि में ले जाया जा रहा है;

(ख) वृहत निकोबार द्वीप समूह में सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा रक्त वर्ण प्रवालों की कितनी पेटियां हाल ही में पकड़ी गयीं;

(ग) इसके लिए दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई;

(घ) समुद्री वनस्पति के इस प्रकार से किए जा रहे विनाश को न रोकने के क्या कारण हैं; और

(ङ) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा प्रबन्ध कार्य योजना तैयार करने और संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर संचालन समिति का गठन करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ताकि प्रवाल विनाश को रोका जा सके

और समुद्री पर्यावरण के सन्तुलन के लिए अपेक्षित इस समुद्री वनस्पति का संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह शैलफिशिंग नियमावली, 1978 के साथ पठित अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह, फिशरीज नियमावली के तहत द्वीपसमूह में प्रवाल के विनाश और संग्रहण करने पर पूर्ण प्रतिबन्ध है ।

(ख) से (घ) 7-4-92 और 8-6-92 को वन विभाग के अधिकारियों ने लगभग 200 कि०ग्रा० रक्त वर्ण प्रवाल जब्त की थी । दोषियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी क्योंकि उनकी पहचान नहीं की जा सकी । भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए, प्रवाल के बहुतायत वाले क्षेत्रों में गश्त बढ़ा दी गई है और वहां चैक-पोस्टें बना दी गई हैं ।

(ङ) द्वीप समूह में प्रवाल के प्रभावकारी प्रबन्ध और संरक्षण के लिए प्रबन्ध कार्य योजना को अन्तिम रूप दिया जा रहा है और संचालन समिति का भी गठन कर दिया गया है ।

नए लोको वर्कशाप

*507. श्री राम सिंह काश्यप :
प्रो० (श्रीमती) रीता वर्मा :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नए लोको वर्कशाप स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो किस-किस प्रकार के वर्कशाप कहां-कहां स्थापित किए जाएंगे और इस प्रयोजनार्थ कितनी-कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(ग) वर्ष 1992-93 के दौरान पूरे होने और चालू होने वाले वर्कशापों का ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

मोटर वाहन निर्माताओं के लिए प्रदूषण नियन्त्रण सम्बन्धी मानदण्ड

*508. श्री जार्ज फर्नान्डीज : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उद्दंड मोटर वाहन निर्माता प्रदूषण नियन्त्रण सम्बन्धी मानदण्डों का उल्लंघन कर रहे हैं;

(ख) क्या ये मोटर वाहन निर्माता अपने द्वारा ही बनाए गए धुंआं छोड़ने के मानक को स्वीकार करने हेतु सरकार पर दबाव डाल रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, हां। सभी मोटरगाड़ी विनिर्माता उत्पादन के अनुरूप और मंजूरी दोनों के अनुसार पेट्रोल से चलने वाले वाहनों के लिए 1 अप्रैल, 1991 से और डीजल से चलने वाले वाहनों के लिए 1 अप्रैल, 1992 से ठोस उत्सर्जन मानकों का अनुपालन कर रहे हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) प्रदूषण उपशमन के लिए नीति विवरण में बताया गया है कि धीरे-धीरे यानीय यातायात के कारण पर्यावरणीय खतरों से निपटने के लिए और अधिक कठोर उत्सर्जन मानक तैयार किए जाएंगे।

प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देना

*509. **श्री मनोरंजन भक्त :**

श्री प्रतापराव बी० भोंसले :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान ने विभिन्न रोगों का प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति से उपचार करने हेतु लोगों में रुचि पैदा करने के लिए नई दिल्ली में हाल ही में अपना पहला जन-जागरण प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार भविष्य में देश में अन्य स्थानों पर भी ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : (क) से (घ) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान, पुणे ने नई दिल्ली में 20 जुलाई से 4 अगस्त, 1992 तक प्राकृतिक चिकित्सा में अपना प्रथम प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया था। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लोगों को प्राकृतिक चिकित्सा की मूलभूत संकल्पनाओं तथा रोगी द्वारा ही इसे अपनाकर और समझकर अच्छे स्वास्थ्य उपचार के लिए इस क्षमता के बारे में जानकारी देना था। यह कार्यक्रम दिल्ली में कार्य कर रहे प्राकृतिक चिकित्सकों की सहायता से आयोजित किया गया था।

(ग) और (घ) वर्ष 1992-93 में दिल्ली में कार्यक्रम की योजना बनाई गई है। दिल्ली में प्राप्त अनुभव के आधार पर तथा धन की उपलब्धता पर भविष्य में अन्य स्थानों पर ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं।

समेकित बाल विकास योजनाएं

*510. श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ऐसे 180 जिलों का चयन किया है जिनमें समेकित बाल विकास योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसके लिए राज्यवार किन-किन जिलों का चयन किया गया है।

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (ग) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

सरकार ने देश के 180 जिलों का चयन किया है। इसका उद्देश्य यह है कि अत्यधिक आवश्यकता वाले क्षेत्रों में समेकित बाल विकास सेवा योजना के अन्तर्गत प्राथमिकता आधार पर उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं पर ध्यान केन्द्रित किया जाए। इन जिलों के नाम (राज्य-वार) निम्नानुसार हैं :—

क्रम सं०	जिले
1	2
	आंध्र प्रदेश
1.	नैलोर
2.	रंगारेड्डी
3.	आदिलाबाद
4.	महबूब नगर
5	वारांगल
6	नालगोण्डा
7.	प्रकासम
8.	कुरनूल
9.	खम्मम
10.	कृष्णा
11.	अनन्तपुर

1	2
12.	कुडप्पा
13.	हैदराबाद
	असम
14.	कचार
15.	नाउगोंग
16.	कामरूप
17.	गोलपाड़ा
	अरुणाचल प्रदेश
18.	अपर सुबानसिरी
	बिहार
19.	गया
20.	पलमौ
21.	नवादा
22.	औरंगाबाद
23.	वैशाली
24.	नालन्दा
25.	हजारीबाग
26.	रोहतास
27.	समस्तीपुर
28.	सहरसा
29.	मुंगेर
30.	मुजफ्फरपुर

1	2
31.	पटना
32.	पश्चिम चम्पारन
33.	दरभंगा
34.	भोजपुर
35.	बेगूसराय
36.	गिरिडीह
37.	मधुबनी
38.	सीतामढ़ी
39.	पुर्णिया
40.	गोपालगंज
41.	सारन
42.	भागलपुर
43.	सिवान
44.	कटिहार
45.	रांची
	हरियाणा
46.	सिरसा
	गुजरात
47.	कच्छ
48.	बनसकण्टा
49.	अमरेली

1	2
50.	पंचमहल
51.	दि डैंगज
	हिमाचल प्रदेश
52.	सोलन
	जम्मू और कश्मीर
53.	जम्मू
	कर्नाटक
54.	कोलार
55.	गुलबर्गा
56.	चिकमगलूर
57.	बेल्लारी
58.	शिमोगा
59.	रायचूर
60.	धारवाड़
61.	दक्षिण कन्नड़
	केरल
62.	पालघाट
63.	इडुक्की
64.	मालापुरम
65.	कन्नानोर

1	2
66.	वायनाड
	मध्य प्रदेश
67.	दतिया
68.	उज्जैन
69.	छतरपुर
70.	शाजापुर
71.	टीकमगढ़
72.	भिंड
73.	सागर
74.	दमोह
75.	ग्वालियर
76.	पन्ना
77.	विदिशा
78.	सेहोर
79.	मुरैना
80.	शिवपुरी
81.	गुना
82.	रायसिन
83.	होशंगाबाद
84.	झाबुआ
	महाराष्ट्र
85.	ओसमानाबाद

1	2
86.	नान्देड़
87.	नागपुर
88.	चन्द्रपुर
89.	नासिक
90.	अमरावती
91.	जलगांव
92.	अकोला
93.	यवतपाल
94.	धुले
95.	बीड
96.	रायगढ़
97.	भण्डारा
98.	औरंगाबाद
	मणिपुर
99.	मणिपुर साउथ
	मेघालय
100.	जैन्तिया हिल्स
	उड़ीसा
101.	फुलभनी
102.	बालासोर
103.	कटक
104.	धनेकनाल

1	2
105.	गंजम
106.	कोरापुट
107.	पुरी
108.	क्योंझर
	पंजाब
109.	जालन्धर
	राजस्थान
110.	श्री गंगानगर
111.	सवाई माधोपुर
112.	भरतपुर
113.	टोंक
114.	चुरू
115.	जालोर
116.	जयपुर
117.	बांसवाड़ा
118.	डूंगरपुर
	तमिलनाडु
119.	चेंगलपेट
120.	साउथ आरकोट
121.	थंजावूर
122.	नीलगिरी
123.	नार्थ आरकोट

1	2
124.	रामानाथपुरम
125.	पुदुकोट्टया
126.	तिरूनेलवेली
127.	मदुरै
128.	धर्मापुरी
129.	कन्याकुमारी
	उत्तर प्रदेश
130.	ललितपुर
131.	मिर्जापुर
132.	सीतापुर
133.	उन्नाव
134.	हरदोई
135.	उत्तरकाशी
136.	रायबरेली
137.	झांसी
138.	बाराबंकी
139.	जालौनी
140.	बन्दा
141.	खेरी
142.	इटावा
143.	आजमगढ़
144.	हमीरपुर
145.	इलाहाबाद
146.	फैजाबाद

1	2
147.	लखनऊ
148.	फतेहपुर
149.	सुल्तानपुर
150.	आगरा
151.	सहारनपुर
152.	प्रतापगढ़
153.	गोरखपुर
154.	बुलन्दशहर
155.	जौनपुर
156.	गाजीपुर
157.	अल्मोड़ा
158.	अलीगढ़
159.	बिजनौर
160.	बस्ती
161.	मुरादाबाद
162.	बदायूं
163.	रामपुर
164.	गाजियाबाद
	पश्चिमी बंगाल
165.	कूचबिहार
166.	जलपाइगुड़ी
167.	बिरभूम
168.	बांकुरा

1	2
169.	प० दिनाजपुर
170.	नादिया
171.	वर्धवान
172.	24-परगना
173.	हुगली
174.	पुरूलिया
175.	माल्दा
176.	हावड़ा
177.	मिदनापुर
178.	दार्जिलिंग
179.	मुर्शिदाबाद
	दिल्ली
180.	दिल्ली

जामनगर में रेलवे की भूमि

5147. **श्री चन्द्रेश पटेल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ वर्ष पूर्व 17,72,993 वर्ग मीटर की रेल-मार्ग भूमि जामनगर निगम को सौंपी गई थी;

(ख) क्या इस भूमि के शेष भाग (लगभग 20750 वर्ग मीटर) को "इन्दिरा गांधी मार्ग" का निर्माण करने के लिए निगम को सौंपे जाने की सार्वजनिक मांग की जा रही है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मार्ग को स्वीकार किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) 1986 में जामनगर नगर निगम को, 1,77,299.30 वर्ग मीटर फालतू रेलवे भूमि दी गई थी।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) रेलें मौजूदा नियमों के अनुसार 750 मीटर लम्बी और 15 मीटर चौड़ी भू-पट्टी बाजार मूल्य पर जामनगर नगर निगम को देने के बारे में विचार करने के लिए सहमत हो गई है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली में मलेरिया

5148. **श्री नवल किशोर राय** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन को मलेरिया होने के बारे, विशेष रूप से वसंत कुंज से अनेक शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) डी०डी०टी० के छिड़काव के बावजूद दिल्ली की पुनर्वास कालोनियों के अतिरिक्त आलीशान कालोनियों में भी मच्छर पैदा होने में वृद्धि के क्या कारण हैं;

(ग) प्रतिवर्ष भारी धनराशि खर्च करने के बावजूद मच्छर की समस्या से निपटने में असफलता के क्या कारण हैं; और

(घ) मलेरिला उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1991 के दौरान तथा जनवरी, 1992 तक दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में कितनी बार डी०डी०टी० का छिड़काव किया गया ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारा देवी सिद्धार्थ) : (क) दिल्ली प्रशासन की सूचना के अनुसार, उन्हें मलेरिया के रोगियो संबंधी दो शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ख) दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में डी०डी०टी० का छिड़काव नहीं हो रहा है। तथापि, मच्छरों के पैदा होने में वृद्धि के कारण हैं : डेजर्ट कूलरों में ठहरा पानी, बेकार टायर, टिन, पानी के पात्र, खुली हुई ओवर हेड टंकियां इत्यादि।

(ग) मलेरिया नियन्त्रण कार्यक्रम मुख्य रूप से एक रोग नियन्त्रण कार्यक्रम है जिसके अन्तर्गत मुख्य बल मलेरिया तथा मलेरिया वाहक की रोकथाम करना है। मच्छरों का खतरा केवल पैस्ट मच्छर अर्थात् क्युलेक्स के कारण होता है। जिससे मलेरिया नहीं फैलता है। मच्छरों की समस्या से निपटने में होने वाली असफलता के कारण नालियों तथा निर्माणाधीन स्थानों में एकत्र पानी, अस्वच्छता परिस्थितियां तथा अपर्याप्त जल/मल निकासी इत्यादि हो सकते हैं।

(घ) दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र में डी०डी०टी० का छिड़काव नहीं किया जाता है। बहरहाल, वर्ष 1991 के दौरान दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों तथा पुनर्वास बस्तियों में बी०एच०सी० के छिड़काव के तीन दौर पूरे किए तथा बी०एच०सी० के छिड़काव का एक दौर 1992 में पूरा किया गया है।

मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम

5149. **श्री अर्जुन चरण सेठी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों में मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम पिछड़ गया है;

(ख) क्या कुछ राज्यों ने इस प्रयोजनार्थ कीटनाशकों की खरीद के लिए बराबर का अंशदान करने में भी अपनी असमर्थता दिखाई है; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारा देवी सिद्धार्थ) : (क) जी नहीं, राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1977 में आशोधित कार्य-योजना के प्रारम्भ से मलेरिया की घटनाओं को 1976 में 64.7 लाख रोगियों से घटा कर 1990 के दौरान लगभग 20 लाख रोगी कर दिया गया। तथापि, देश में मलेरिया के रोगियों की संख्या पिछले कुछ वर्षों से 16 लाख से 20 लाख के बीच भिन्न-भिन्न रही है। असम और उड़ीसा राज्यों में मलेरिया के रोगियों में पिछले तीन वर्षों से वृद्धि का रुझान चल रहा है।

(ख)और (ग) राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम को केंद्र तथा राज्य सरकारों के बीच 50 : 50 के अनुपात में लागत को वहन करने के आधार पर केन्द्रीय प्रायोजित श्रेणी-II स्कीम के रूप में क्रियान्वित किया जा रहा है।

नेशनल लंग इन्स्टीट्यूट ऑफ इन्डस्ट्रीयल डिसआसटर की स्थापना

[हिन्दी]

5150. **डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भोपाल गैस त्रासदी को ध्यान में रखते हुए भोपाल में "नेशनल लंग इन्स्टीट्यूट ऑफ इन्डस्ट्रीयल डिसआसटर मैनेजमेंट" की स्थापना करने का मध्य प्रदेश सरकार को निर्देश दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय स्वास्थ्य अनुसंधान परिषद के तत्वाधान में गठित सचिवों की समिति ने भी इस प्रयोजनार्थ भोपाल के नाम की सिफारिश की है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्रवाई की है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारा देवी सिद्धार्थ) : (क) से (ग) नेशनल लंग इंस्टिटयूट फार इंडस्ट्रियल डिजास्टर की दिल्ली में स्थापना के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने एक प्रस्ताव तैयार किया था जिसके भोपाल, अहमदाबाद और पुणे में

तीन उप-क्षेत्रीय केन्द्र होंगे। साधनों की कमी को देखते हुए इस प्रस्ताव को निरस्त कर दिया गया है। तथापि, भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित अध्ययनों को जारी रखने के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद को 5.00 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं।

पुराने पुस्तकालय

[अनुवाद]

5151. **श्री रामनारायण बैरवा** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पुराने पुस्तकालयों की जर्जर अवस्था को ध्यान में रखते हुए इन पुस्तकालयों का नियन्त्रण अपने हाथ में लेने के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे सरकार के नियन्त्रण में कब लिया जाएगा ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

शारीरिक शिक्षा शिक्षक

5152. **श्री संतोष कुमार गंगवार** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षा निदेशालय, दिल्ली ने नवम्बर 1972 में केन्द्रीय सरकार के भूतपूर्व एन० पी० सी० निदेशालय के शिक्षकों को शारीरिक शिक्षा शिक्षकों के रूप में नियुक्त करते समय समान नीति का पालन किया था;

(ख) क्या इनमें से कुछ शिक्षकों को उच्चतर वेतनमान में नियुक्त किया गया था; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी, नहीं। यह सच नहीं है।

(ख) जी, नहीं। उन सभी एन०डी०एस० अनुदेशकों को युवा कार्य तथा खेल विभाग के दिनांक 4-8-88 के पत्र संख्या 21-3-86-बाई०एस० IV में दर्शाई गई विभिन्न तारीखों से परिवर्तित वेतनमान प्रदान कर दिए गए हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

देवदासियों के बच्चों का पुनर्वास

5153. **श्री प्रकाश बी० पाटील :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास महाराष्ट्र तथा देश के अन्य भागों में देवदासियों के बच्चों के पुनर्वास हेतु कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य और खेल कूद विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी ममता बैनर्जी) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

बाल कल्याण योजनाओं के लिए सहायता

[हिन्दी]

5154. **श्री एन० जे० राठवा :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा विगत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष के लिए बाल कल्याण हेतु राज्य सरकारों तथा स्वयंसेवी संगठनों को राज्य-वार कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है;

(ख) राज्य सरकारों और ऐसे स्वयंसेवी संगठनों द्वारा कितनी-कितनी धनराशि किन-किन उद्देश्यों के लिए खर्च की गई है तथा इस योजना से कितने बच्चे लाभान्वित हुए हैं;

(ग) क्या सरकार के ध्यान में इन संगठनों के द्वारा निधि के दुरुपयोग के कुछ मामले आए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस प्रकार की अनियमितताओं पर रोक लगाने तथा बाल कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या ठोस उपाय किए गए हैं ।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य और खेल कूद विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी ममता बैनर्जी) : (क) और (ख) ऐसी कई योजनाएं हैं जिनके अन्तर्गत सरकार बाल कल्याण हेतु राज्य सरकारों और स्वयंसेवी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है । इनमें मुख्य योजनाएं हैं – समेकित बाल विकास सेवाएं, गेहूं पर आधारित पोषाहार कार्यक्रम, बालवाड़ी पोषाहार कार्यक्रम, प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा, कामकाजी और बीमार माताओं के बच्चों के लिए शिशु गृह । इन योजनाओं के अन्तर्गत लाभान्वित होने वाले बच्चों की संख्या के साथ-साथ चालू वर्ष और पिछले तीन वर्षों के दौरान दी गई वित्तीय सहायता के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं ।

(ग) से (ङ) चल शिशुगृह (मोबाईल क्रेशेज), नई दिल्ली, जो शिशुगृह योजना का कार्यान्वयन कर रहे हैं, के द्वारा धनराशि का दुरुपयोग किए जाने के संबंध में एक शिकायत केन्द्रीय जांच ब्यूरो में प्राप्त हुई थी। जांच के पश्चात् सी०बी०आई० ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि आरोपों को सिद्ध नहीं किया जा सका। परन्तु सी०बी०आई० ने सिफारिश की है कि संगठन के अनुदान तब तक जारी न किए जाएं जब तक कि मन्त्रालय संगठन के लेखाओं की लेखा परीक्षा न कर ले।

इसी तरह, बाल कल्याण योजनाओं के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य परिषद द्वारा "अपंगों के लिए संगठनों को सहायता दिए जाने की योजना" के अन्तर्गत अनुदान राशि के कथित दुरुपयोग के संबंध में हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार ने सतर्कता जांच करवाई है। इन मामलों में अनुदान देने रोक दिए गए हैं। सरकार, राज्य सरकारों अथवा गैर-सरकारी संगठनों को अगले वित्तीय वर्ष में सहायता अनुदान दिए जाने पर विचार करने से पहले उपयोगिता प्रमाणपत्र और लेखाओं के विवरण की मांग करती है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को दी गई धनराशि

(क) समेकित बाल विकास सेवा योजना (आई०सी०डी०एस०)

(रु० लाखों में)

क्रम सं०	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश का नाम	जारी की गई अनुदान राशि			
		1989-90	1990-91	1991-92	1992-93 (जून, 92 तक)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	975.83	1157.95	1062.12	707.53
2.	अरुणाचल प्रदेश	96.04	136.80	148.20	196.26
3.	असम	543.61	762.91	664.59	320.19
4.	बिहार	1374.47	2383.01	2234.27	1265.31
5.	गोआ	112.99	145.05	103.32	56.82
6.	गुजरात	1170.40	1801.49	1791.82	562.92

1 2	3	4	5	6
7. हरियाणा	408.77	444.24	355.99	253.05
8. हिमाचल प्रदेश	216:46	342.05	350 08	175.59
9. जम्मू और कश्मीर	189.90	313.14	331.98	216.90
10. कर्नाटक	1048.74	1217.43	1010.02	609.42
11. केरल	566.56	931.50	519.65	340.86
12. मध्य प्रदेश	1390.29	1814.89	1909.14	1193.01
13: महाराष्ट्र	1670.94	2444.88	2222.41	903.78
14. मणिपुर	198.65	209.69	199.65	129.12
15. मेघालय	133.23	179.92	104.40	144.60
16. मिजोरम	156.45	229.91	172.38	98.13
17. नागालैंड	182.33	231.82	208.68	134.28
18. उड़ीसा	941.17	923.54	596.16	692.04
19. पंजाब	410.36	589.48	553.29	320.19
20. राजस्थान	888.40	1270.69	963.23	614.58
21. सिक्किम	37.73	53.12	50.29	20.67
22. तमिलनाडु	845.73	1155.32	946.60	573.27
23 त्रिपुरा	213.01	120.01	92.25	98.13
24. उत्तर प्रदेश	2238.76	2422.89	1914.58	1823.07
25. पश्चिम बंगाल	1563.17	1693.57	1642.60	950.28
26. अण्डमान और निकोबार	27.00	27.36	31.89	31.02
27. चण्डीगढ़	21.00	24.00	25.43	15.51
28. दादर और नगर हवेली	11.00	12.70	15.11	7.77

1	2	3	4	5	6
29.	दमन और दीव	8.00	8.00	8.53	15.51
30.	दिल्ली	291.12	372.62	378.89	193.92
31.	लक्षद्वीप	6.00	6.42	6.51	7.77
32.	पाण्डिचेरी	65.00	70.00	74.64	35.01
33.	पुस्तक किट निपसिड	—	—	136.00	
34.	रिलीजींग अंडर एक्सटर्नली एडेड आई सी डी एस	—	—	1250.00	
	योग :	18003.11	23500.00	22075.00	12706.51

गेहूं पर आधारित पोषाहार कार्यक्रम

(रु० लाखों में)

क्रम सं०	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	लाभ प्राप्तकर्ताओं की अनुमोदित सं० (लाखों में)	जारी की गई अनुदान राशि			
			1989-90 में	1990-91 में	1991-92 में	1992-93 में
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	4.17	400.00	100.00	422.35	
2.	असम	1.83	50.00	15.00	47.60	
3.	बिहार	0.80	—	10.00	—	
4.	चांदर	0.09	4.00	3.00	1.50	
5.	दमन	0.03	1.00	1.00	2.00	
6.	गोआ	0.02	2.00	—	—	वर्ष 1992-93 के
7.	गुजरात	0.75	85.95	25.25	28.45	लिए 25 करोड़ रु०
8.	हरियाणा	0.77	55.00	72.64	70.64	का योजना प्रावधान
9.	हिमाचल प्रदेश	0.33	15.00	10.00	9.85	किया गया है। यह
10.	कर्नाटक	1.15	60.00	—	40.00	योजना अब राज्य

1 2	3	4	5	6	7
11. मध्य प्रदेश	2.54	75.00	20.00	70.00	क्षेत्र को अन्तरित कर दी गई।
12. महाराष्ट्र	6.29	855.00	600.00	841.03	
13. मेघालय	0.03	3.00	—	1.86	
14. उड़ीसा	7,29	425.00	313.06	400.00	
15. पांडिचेरी	0.44	—	18.00	4.80	
16. राजस्थान	0.98	50.00	60.60	26.52	
17. तमिलनाडु	1.20	125.00	00.00	139.27	
18. उत्तर प्रदेश	3.53	100.00	10.00	196.77	
19. पश्चिमी बंगाल	0.73	30 00	10.00	—	
20. स्वयसेवी संगठन	0.10	23.00	4.67	1.19	
21. एफ सी आई	—	440.93	644.11	696 35	
योग :		2799.88	2006.73	3000.00	

प्रारम्भिक बाल्यावस्था शिक्षा

राज्य	स्वयंसेवी संगठनों की संख्या	प्रारम्भिक बाल्यावस्था शिक्षा केन्द्रों की संख्या	लाभान्वित किए गए बच्चों की संख्या	जारी की गई अनुदान राशि (लाख रु० में)			
				1989-89 में	1990-91 में	19991-92 में	1992-93 में 6/92 तक
1	2	3	4	5	6	7	8
आंध्र प्रदेश	5	672	23,520	46.29	47.78	46.41	2.04
असम	4	170	5,950	10.57	11.36	11.22	—
बिहार	6	340	11,900	21.60	22.24	22.37	0.05
जम्मू और कश्मीर	1	65	2,275	3.04	1.79	2.32	—
मध्य प्रदेश	14	375	13,125	25.87	24.46	26.74	0.28
उड़ीसा	44	338	11,830	22.03	24.06	22.83	1.78
राजस्थान	29	336	11,760	21.48	20.25	22.26	1.80
उत्तर प्रदेश	68	1099	38,465	74.86	62.92	90.18	18.87
पश्चिम बंगाल	19	970	33,950	67.77	74.97	66.17	0.31
योग :	190	4365	1,52,775	293.51	289.83	310.50	25.13

बालवाड़ी पोषाहार कार्यक्रम

(रु० लाखों में)

क्रम सं०	संगठन का नाम	लाभ प्राप्तकर्ताओं की संख्या (लाखों में)	जारी की गई अनुदान राशि			संस्वीकृत
			1989-90	90-91	91-92	1992-92 (जुलाई, 92 तक)
1.	केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, नई दिल्ली।	1.57	230.50	280.50	239.05	60.00
2.	भारतीय बाल कल्याण परिषद नई दिल्ली।	0.32	62.95	60.70	55.68	13.67
3.	भारतीय आदिम जाति सेवक संघ, नई दिल्ली।	0.12	26.50	23.78	24.58	6.00
4.	हरिजन सेवक संघ, नई दिल्ली।	0.13	26.15	28.90	27.65	6.90
5.	कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय मेमोरियल ट्रस्ट, इन्दौर।	0.10	20.90	18.81	20.04	5.00
	जोड़ :	2.24	367.00	362.69	367.00	91.57

कामकाजी और बीमार माताओं के बच्चों के लिए शिशुगृह

(रु० लाखों में)

क्रम सं०	कार्यान्वयन एजेंशी का नाम	लाभप्राप्तकर्ताओं की अनुमोदित संख्या (लाखों में)	जारी की गई अनुदान राशि			
			1989-90	1990-91	1991-92	1992-93 (7/92 तक)
1	2	3	4	5	6	7
1.	केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड	2.43	1106.88	1211.75	12.45	300.00
2.	भारतीय बाल कल्याण परिषद	0.38	200.15	171.01	1.70	49.30
3.	भारतीय आदिम जाति संघ	0.27	114.91	145.64	1.25 +0.05	31.00
	जोड़ :	3.08	1421.94	1528.40	15.45	380.30

असम के पर्वतीय जिलों में ए० एन० एम० प्रशिक्षण केन्द्र

[अनुवाद]

5155. डा० जयंत रंगपी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम के पर्वतीय जिलों में आदिवासी अभ्यार्थियों के लिए स्थापित आक्सिलरी नर्स मिडवाइफ प्रशिक्षण केन्द्र बन्द कर दिए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी०के०तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

इंडियन स्कूल आफ माइंस, धनबाद में निर्माण कार्य

[हिन्दी]

5156. श्री ललित उरांव :

श्री रामदेव राम :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष इंडियन स्कूल आफ माइन्स, धनबाद के निर्माण कार्य पर कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ख) क्या सरकार को निर्माण कार्य में तथाकथित अनियमितताओं की कुछ शिकायतें मिली हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है/करने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) इंडियन स्कूल आफ माइन्स, धनबाद, को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निधियां प्रदान की जाती हैं जिसने पिछले तीन वर्षों के दौरान, स्कूल को निर्माण कार्यों के लिए निम्नलिखित अनुदान प्रदान किए हैं :—

वर्ष	रुपए—लाखों में
1989-90	56.00
1990-91	5.00
1991-92	शून्य

(ख) से (घ) स्कूल की निर्माण-परियोजनाओं में किसी प्रकार की अनियमितताओं के सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

परिवार कल्याण बीमा योजना

[अनुवाद]

5157. **श्री परसराम भारद्वाज :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में छोटे परिवारों के मानदण्डों को प्रोत्साहन देने हेतु परिवार कल्याण बीमा योजना तथा वृद्धावस्था सामाजिक सुरक्षा योजना आरम्भ करने के लिए कोई प्रस्ताव तैयार किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इन्हें कब कार्यान्वित किया जाएगा ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) और (ख) देश में छोटे परिवार के आदर्श को प्रोत्साहित करने के लिए ऐसे किसी प्रस्ताव को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

चित्तरंजन लोकोमोटिव्स वर्क्स में विद्युत रेल इंजनों का उत्पादन

5158. **श्री पूर्ण चन्द्र मलिक :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चित्तरंजन लोकोमोटिव्स वर्क्स ने 5000 अश्वशक्ति तथा इलैक्ट्रानिक नियन्त्रण प्रणाली वाले विद्युत रेल इंजन बनाए हैं;

(ख) क्या ये विद्युत इंजन सफलतापूर्वक काम कर रहे हैं;

(ग) क्या इस इंजन से सुपरफास्ट रेलगाड़ियां तथा भारी ढुलाई करने वाले मालगाड़ी के डिब्बों को भी चलाया जा सकता है;

(घ) यदि हां; तो क्या सरकार विदेशी मुद्रा बचाने के लिए इन इंजनों का उत्पादन करने का विचार कर रही है;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (च) प्रश्न नहीं उठता।

वन्यजीव संख्या

5159. **श्री परसराम भारद्वाज** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान कतिपय वन्यजीव अभ्यारण्यों और राष्ट्रीय पार्कों में जानवरों और पक्षियों की संख्या कम हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) ऐसे अभ्यारण्यों/राष्ट्रीय पार्कों के नाम क्या हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (ग) मानव बस्तियों के नजदीक लगभग सभी सुरक्षित क्षेत्रों के वन्यजीव संरक्षण तन्त्र पर अशांत हालातों, अत्यधिक जैविक हस्तक्षेप और चोरी-छिपे शिकार किए जाने के कारण दबाव है । लेकिन पक्षियों और पशुओं की संख्या में कमी आने के बारे में सुरक्षित क्षेत्रों से कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है ।

बाधी बरडीहा स्टेशन (गया-क्यिल सेक्शन)

[हिन्दी]

5160. **श्री प्रेमचन्द राम** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गया-क्यिल लाइन पर स्थित बाधी बरडीहा स्टेशन पर कोई प्लेटफार्म नहीं है और वहां पेयजल और बिजली की सुविधाए भी नहीं हैं;

(ख) क्या सरकार का निकट भविष्य में वहां प्लेटफार्म का निर्माण करने और यात्रियों को पेयजल और बिजली की सुविधाएं उपलब्ध कराने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) बाधी बरडीहा स्टेशन पर एक 122 मीटर लम्बे पटरी तल के प्लेटफार्म और पानी की सप्लाई के लिए एक हैंड पम्प की व्यवस्था है । इस स्टेशन को 1969 में विद्युतीकृत किया गया था । बि० रा० बि० बो० (बी० एस० ई० बी०) की सिरोपरि बिजली सप्लाई लाइनों की चोरी हो जाने के कारण इस स्टेशन की बिजली सप्लाई टूट गई है । सप्लाई को पुन: चालू करने के लिए बिहार राज्य बिजली बोर्ड के साथ बातचीत चल रही है ।

कोंकण रेलवे निगम के लिए भूमि

[अनुवाद]

5161. **डा० डी० वेंकटेश्वर राव** :

श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोंकण रेलवे निगम के लिए विशेष भूमि का अधिग्रहण किया है;

(ख) यदि हां, तो इसका कुल क्षेत्रफल कितना है;

(ग) क्या भारतीय रेल वित्त निगम ने धन उपलब्ध कराया था; और

(घ) इस भूमि का उपयोग कब तक किया जाएगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता ।

हबीबगंज स्टेशन

5162. सुशील चन्द्र वर्मा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1992-93 के दौरान हबीबगंज रेलवे स्टेशन के विकास के लिए शुरू किए जाने वाले प्रस्तावित कार्यों का ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ कितनी वित्तीय व्यवस्था की गई है;

(ख) अब तक कौन-कौन से कार्य पूरे किए गए हैं और इस पर कितनी राशि खर्च की गई है; और

(ग) स्टेशन का विकास कार्य कब तक पूरा हो जाएगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) वर्ष 1992-93 के दौरान हबीबगंज में स्टेशन की इमारत में सुधार और यात्री सुविधाओं से सम्बन्धित विभिन्न कार्य करने की योजना है। 1992-93 के दौरान इन कार्यों के लिए 5.21 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई है ।

(ख) इन निर्माण कार्यों में से अभी कोई कार्य पूरा नहीं हुआ है। 30 जून, 1992 तक 2.95 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई है ।

(ग) जून, 1994 ।

पीरताला हाल्ट स्टेशन

5163. श्री जायनल अबेदिन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व रेलवे के सियालदह-लालगोब सेक्शन पर पीरताला हाल्ट स्टेशन को फ्लैग स्टेशन में बदलने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) प्रस्ताव की जांच की गई थी और इसे वित्तीय दृष्टि से औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया।

कोंकण रेलवे बोर्ड

[हिन्दी]

5164. **श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटील** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कोंकण रेलवे बांड की ब्याज दर बढ़ाने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो उसकी वर्तमान दर क्या है और सरकार का उसमें किस दर से वृद्धि करने का विचार है;

(ग) क्या सरकार का विचार नयी दर का लाभ उन व्यक्तियों को भी देने का है जिन्होंने बांड इससे पहले ही खरीद लिए थे;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) करमुक्त बांडों पर ब्याज की दर में वृद्धि करने के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव सरकार के पास लम्बित है।

(ख) मौजूदा दरें करमुक्त 9% और कर योग्य 13% हैं। किसी तरह की वृद्धि करने के संबंध में अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

तारकेश्वर से शेवड़ाफुली (पूर्व रेलवे) तक रेललाइन को दोहरा करना

[अनुवाद]

5165. **श्री अनिल बसु** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के लोग पूर्व रेलवे में तारकेश्वर और शेवड़ाफुली के बीच की रेल लाइन को दोहरा करने की काफी लम्बे समय से मांग कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) (क) जी, हां।

(ख) मौजूदा इकहरी लाइन वाले खंडों का दोहरीकरण, वहन क्षमता संतृप्त हो जाने पर किया

जाता है। ऐसा करते समय अत्यधिक भार यातायात वाले खंडों को प्राथमिकता दी जाती है सेवड़ाफुली-तारकेश्वर शाखा लाइन के यातायात के स्तर को देखते हुए फिलहाल दोहरीकरण का औचित्य नहीं बनता ।

शिक्षा में सुधार

5166. **श्री राम नाईक : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी के अभिभावक मंच ने शिक्षा में सुधार लाने के लिए अभ्यावेदन दिया है;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) सरकार को "सार्थक शिक्षा के लिए अभिभावक मंच" नाम के संगठन से एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है जिसमें स्कूलों में पठन-पाठन प्रक्रिया और परीक्षा पद्धति में सुधार के लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं ।

(ख) सुझावों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं ।

(ग) सुझावों को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पास जांच और परामर्श के लिए भेजा जा रहा है। इसके लिए बोर्ड यदि आवश्यक समझे तो मंच के प्रतिनिधियों से बातचीत कर सकता है।

विवरण

"सार्थक शिक्षा के लिए अभिभावक मंच" से प्राप्त ज्ञापन में निम्नलिखित सुझाव हैं :—

(i) स्कूल स्तर पर बाहरी परीक्षाओं में सुधार

(क) भाषा विषयों में सर्जनशीलता को उचित श्रेय देना।

(ख) विज्ञान विषयों और गणित के मूल्यांकन में सावधानी बरतना।

(ग) प्रश्न-पत्र तैयार करने में अधिक मौलिकता।

(घ) उत्तर लिखने में शब्दों की सीमाएं समाप्त करना, परन्तु संक्षिप्त लिखने की क्षमता के लिए भी श्रेय देना।

(ङ) जिन स्कूलों के विद्यार्थियों ने अंक जांच के सम्बन्ध में आवेदन किया है, उन स्कूलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में परीक्षकों के विशेष पैनल द्वारा उत्तर पुस्तिकाओं की फिर जांच करना।

(च) दिल्ली के केवल कक्षा-XII के विद्यार्थियों के लिए एक से अधिक सैटों वाले प्रश्न-पत्रों का

प्रयोग करने के निर्णय पर पुनर्विचार करना तथा शिक्षकों, अभिभावकों और विद्यार्थियों से विचार-विमर्श करने के बाद इस तरह का महत्वपूर्ण निर्णय लेना ।

(छ) उत्तर पुस्तिकाओं को मूल्यांकन के बाद सम्बद्ध स्कूलों को लौटा देना ताकि विद्यार्थी अपनी गलतियों को समझ सके और परीक्षक अधिक जिम्मेदार और सावधान हो सकें ।

(ज) कठोर निरीक्षण और प्रश्न-पत्रों की पूर्ण गोपनीयता ।

(ii) स्कूलों में पठन-पाठन प्रक्रिया में सुधार के लिए सुझाव

(क) तथ्य सम्बन्धी गलतियों के निराकरण के लिए पाठ्यपुस्तकों की पूर्ण समीक्षा ।

(ख) गाइड-पुस्तकों के प्रयोग को रोकना तथा आत्म-चिंतन और विश्लेषण को प्रोत्साहित करना ।

(ग) स्कूलों को स्वायत्तता और आंतरिक मूल्यांकन को प्रधानता देना ।

(घ) सभी विषयों में शिक्षकों के लिए समय-समय पर अनिवार्य अभिविन्यास कार्यक्रम ।

ज्ञानम समिति की रिपोर्ट पर सी०ए०बी०ई० समिति

[हिन्दी]

5167. **श्री विलास मुत्तेमवार** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री 21 अप्रैल, 1992 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7240 के उत्तर के संबध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ज्ञानम समिति कर रिपोर्ट की जांच के लिए सी०ए०बी०ई० समिति गठित की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसकी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) जी, हां । केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की 8 व 9 मार्च, 1991 को हुई अपनी बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसरण में, मानव संसाधन विकास मंत्री ने के० शि० स० बो० के अध्यक्ष की हैसियत से 9 दिसम्बर, 1991 को डा० कर्षणदास सोनेरी शिक्षा मन्त्री, गुजरात की अध्यक्षता में एक के०शि०स०बो० समिति गठित की । इस समिति का उद्देश्य अन्य बातों के साथ राज्य सरकारों, विश्व० अनु० आयोग के विचारों को तथा रा०शि० नीति-1986 और नीति तैयार होने से लेकर अब तक हुए अन्य विकासों को ध्यान में रखते हुए ज्ञानम समिति की सिफारिशों पर विचार करना तथा के० शि० स० बो० के विचारार्थ सिफारिशों के कार्यान्वयन की कार्य-पद्धतियों के बारे में सुझाव देना था ।

(ग) के०शि०स०बो० समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

चीनी मिलों का आधुनिकीकरण

[अनुवाद]

5168. **श्री रामचन्द्र वीरप्पा** : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में चीनी मिलों के आधुनिकीकरण का काम शुरू किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कितने राज्यों को शामिल किया गया है और इस प्रयोजनार्थ 1992-93 के दौरान राज्यवार कितनी धनराशि आबंटित की गई है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) और (ख) चीनी मिलों का आधुनिकीकरण मिलों द्वारा स्वयं करना होता है । भारत सरकार चीनी मिलों द्वारा प्रस्तुत आधुनिकीकरण योजनाओं के लिए चीनी विकास निधि से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है । चीनी उपक्रमों के पुनर्स्थापन/आधुनिकीकरण के लिए चीनी विकास निधि से ऋण प्रदान करने के लिए 1992-93 के बजट अनुमान में 70.00 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है । इस उद्देश्य के लिए बजट में राज्यवार आबंटन नहीं किया जाता है ।

आत्मघाती जीन

5169. **श्रीमती विमल कुमारी भंडारी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयरलैंड और अमेरिका के अनुसंधानकर्ताओं ने एक ऐसे "आत्मघाती जीन" का पता लगाया है जिसके द्वारा डाक्टरों को एड्स और कैंसर से मुकाबला करने में सहायता मिल सकती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार एड्स और कैंसर के उन्मूलन में इसके उपयोग हेतु इन अनुसंधान कार्यों का प्रयोग करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारा देवी सिद्धार्थ) : (क) से (घ) यह पता लगा है कि जुलाई, 1992 के दौरान एम्सटर्डम में एड्स के बारे में हुए आठवें अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में "प्रोग्रैम्ड सैल डैथ" अथवा "सैल स्युसाइड" के सम्बन्ध में दो पेपर प्रस्तुत किए गए। इस मुद्दे पर विचार करने के लिए अपेक्षित ब्यौरे मांगे गए हैं।

ग्रीन कार्डधारियों को सुविधाएं

[हिन्दी]

5170. **श्री भीम सिंह पटेल** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा ग्रीन कार्डधारियों को क्या-क्या सुविधाएं दी जाती हैं; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान कितने ग्रीन कार्डधारियों को रोजगार दिया गया ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारा देवी सिद्धार्थ) : (क) और (ख) उड़ीसा, गुजरात, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब आदि राज्यों ने ग्रीन कार्ड स्कीम आरम्भ की है। इस स्कीम के अन्तर्गत एक या दो जीवित बच्चों वाले ऐसे स्वीकार-कर्ताओं को सम्मान स्वरूप कार्ड जारी किए जाते हैं जिन्होंने स्थायी तरीके अपना लिए हैं। इन कार्डों से स्वीकारकर्ताओं को संबंधित राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित किए गए क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर सेवाएं प्रदान की जाती हैं। ऐसे प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में कुछ ऐसे हो सकते हैं जैसे ऋणों की मंजूरी, आर्थिक सहायता अनुदान, भवन आवटन, शैक्षिक लाभ आदि। केन्द्रीय सरकार ऐसे कार्ड धारकों को कोई लाभ प्रदान नहीं करती है।

दिल्ली में सी०जी०एच०एस० औषधालय

[अनुवाद]

5171. **श्री के० वी० आर० चौधरी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत दिल्ली में विशेष रूप से पूर्वी दिल्ली में तथा पूर्वोत्तर (शालीमार बाग, पीतमपुरा, इत्यादि) दिल्ली में वर्ष 1992-93 के दौरान कुछ और एलोपैथिक, आयुर्वेदिक तथा होमियोपैथिक औषधालय खोलने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इन्हें किन स्थानों पर खोला जाएगा; और

(ग) इन औषधालयों में कौन-कौन सी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारा देवी सिद्धार्थ) : (क) से (ग) वर्ष 1992-93 के दौरान दिलशाद गार्डन में एक केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औष-धालय खोलने का प्रस्ताव है, बशर्ते संसाधन उपलब्ध हों। दिल्ली में 1992-93 के दौरान कोई आयुर्वेदिक/होमियोपैथिक औषधालय खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है। शालीमार बाग और पीतमपुरा आदि के क्षेत्र केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय, पीतमपुरा (संख्या-81) के क्षेत्राधिकार में पहले ही शामिल हैं।

दिलशाद गार्डन औषधालय में प्रदान की जाने वाली सुविधाओं में बहिरंग रोगी विभाग, रोगी परिचर्या, घर पर जाकर सेवाए प्रदान करना, परिवार कल्याण और मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं आदि शामिल हैं।

दिल्ली में शिशु मृत्यु दर

[हिन्दी]

5172. **श्री बृज भूषण शरण सिंह** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली की गन्दी बस्तियों में शिशु मृत्यु दर देश में सर्वाधिक है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारणों का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले और इस सम्बन्ध में क्या कार्रवाई की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारा देवी सिद्धार्थ) : (क) से (ग) भारत के महापंजीयक की नमूना पंजीयन पद्धति दिल्ली की शहरी गन्दी बस्तियों के शिशु मृत्यु-दर के पृथक अनुमान प्रदान नहीं करती। वैसे दिल्ली की 150 झुग्गी झोपड़ी बस्तियों में सितम्बर, 1991 में मौलाना आजाद मेडिकल कालेज द्वारा एक सर्वेक्षण किया गया था जिसके अन्तर्गत 22,000 परिवारों को एक नमूने के तौर पर कवर किया गया। इस सर्वेक्षण से यह पता चला कि इन झुग्गी झोपड़ी बस्तियों में शिशु मृत्यु-दर प्रति एक हजार जीवित जन्मों पर 100 थी। इस अध्ययन से यह भी प्रमाण मिला कि इन क्षेत्रों में शिशु और 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों दोनों की मृत्यु-दर में गिरावट आई।

दिल्ली प्रशासन के अनुसार झुग्गी झोपड़ी बस्तियों में शिशु-मृत्यु-दर कम करने के लिए की गई मुख्य शुरुआतों में निम्नलिखित कार्य शामिल हैं :—

अतिसार के कारण जलशून्यता को रोकने के लिए मुखीय जलपूरण नमक के पैकेटों की व्यवस्था के माध्यम से अतिसार रोगों (जठरान्त्रशोथ) की रोकथाम, पीने के साफ पानी की आपूर्ति को बढ़ाना, पर्यावरणिक सफाई में सुधार करने के लिए सुलभ शौचालयों का निर्माण, गलियों की नियमित सफाई और नालों और कूड़ादानों का निर्माण और क्लोरीन की गोलियों का वितरण।

गश्ती स्वास्थ्य योजना गर्भवती महिलाओं और बच्चों के रोग प्रतिरक्षण, गर्भवती महिलाओं को आयरन और फोलिक एसिड की गोलियों और बच्चों को विटामिन "ए" के वितरण के माध्यम से गर्भवती महिलाओं की प्रसव-पूर्व और प्रसव-कालीन उपयुक्त परिचर्या को सुनिश्चित करके परिवार कल्याण और मातृ शिशु स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था।

इसके अतिरिक्त, जन प्रचार साधनों, अन्तर-वैयक्तिक बैठकों, शहरी आधारभूत सेवाओं के कार्यकर्ताओं, एकीकृत बाल विकास सेवा और गश्ती स्वास्थ्य क्लीनिकों के माध्यम से स्वास्थ्य शिक्षा का प्रसार किया जाता है।

दिल्ली को हरा-भरा बनाना

[अनुवाद]

5173. श्री शशि प्रकाश : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मन्त्रालय दिल्ली को हरा-भरा बनाने के लिए शहरी विकास मन्त्रालय के साथ मिल कर कार्य कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग ने दिल्ली की सरकारी कालोनियों,

विशेषतौर पर रामकृष्णपुरम (सेक्टर 12) में गमलों में लगाए गए पौधों को हटाने के लिए नोटिस जारी किए हैं जबकि इनके फर्शों को कोई क्षति नहीं होती है।

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या पास-पड़ोस में हरियाली को बढ़ावा देने तथा बच्चों को पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाने के लिए उनका मन्त्रालय दिल्ली में प्राकृतिक सौन्दर्य और हरियाली सुनिश्चित करने हेतु यह मामला उठाएगा; और

(ङ) गमलों में फूलदार पौधे लगा कर तथा इस सम्बन्ध में पहले जारी किए जा चुके परिपत्र को वापस लेकर दिल्ली को हरा-भरा बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) पर्यावरण और वन मन्त्रालय की प्रेरणा पर शुरू किए गए "हरित दिल्ली" अभियान के कार्यान्वयन के लिए दिल्ली प्रशासन, शहरी विकास मन्त्रालय सहित सम्बन्धित केन्द्रीय मामलों/विभागों के साथ ताल-मेल बनाए हुए है।

(ख) और (ग) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (के०लो०नि०वि०) ने उन आंवटियों को नोटिस भेजे हैं जिन्होंने मकानों की छतों में फूलों और पेड़-पौधों की क्यारियां बना रखी हैं जिनसे मकानों की छतों को नुकसान पहुंचने के साथ-साथ ढांचा भी कमजोर हो रहा है। गमलों आदि में लगाए गए पौधों को हटाने के लिए किसी भी निवासी को नहीं कहा गया है।

(घ) तथा (ङ) मन्त्रालय ने "स्वच्छ और हरित दिल्ली" नामक एक पुस्तिका निकाली है जोकि अभियान का ही एक भाग है और जिसका मकसद पर्यावरण और सौन्दर्यकरण, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ गमलों आदि में पौधे लगा कर छत/बालकनी वाटिका उगाना, फूलदार पौधों के लिए खिड़कियों के खाली स्थानों का प्रयोग आदि शामिल है, के प्रति जागरूक बनाना है।

उपर्युक्त (ख) तथा (ग) के उत्तर को देखते हुए परिपत्र को वापस लेने का प्रश्न नहीं उठता।

तामिलपत्र राष्ट्रीय सरकार की स्वर्णजयन्ती

5174. **श्री सत्यगोपाल मिश्र** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तामिलपत्र राष्ट्रीय सरकार (तामलुक, जिला मिदनापुर, पश्चिम बंगाल) की स्थापना के स्वर्णजयन्ती समारोह के उपलक्ष्य में कोई कार्यक्रम बनाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) सरकार ने भारत छोड़ो आंदोलन की स्वर्ण जयन्ती मनाने के लिए एक राष्ट्रीय

तथा एक संचालन समिति का गठन किया है। पश्चिम बंगाल सरकार सहित सभी राज्य सरकारों से मुख्यमन्त्री की अध्यक्षता और राज्यपाल के संरक्षण में राज्य स्तरीय आयोजक समितियां गठित करने का अनुरोध किया गया है, जो स्वर्ण जयन्ती वर्ष के दौरान ही उपयुक्त कार्यक्रम/समारोह तैयार कर उनका कार्यान्वयन करेंगी। उनसे यह भी अनुरोध किया गया है कि वे स्वर्ण जयन्ती वर्ष के दौरान ठीक उन्हीं स्थानों और उन्हीं तारीखों को उपयुक्त कार्यक्रम/समारोह आयोजित करें, जहां भारत छोड़ो आंदोलन की विभिन्न घटनाएं घटीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

नौगढ़ स्टेशन का नाम बदलना

5175. **श्री राम पाल सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को पूर्वोत्तर रेलवे में नौगढ़ स्टेशन का नाम बदलकर सिद्धार्थ नगर रखने के लिए अगस्त, 1989 में उत्तर प्रदेश सरकार का कोई प्रस्ताव मिला था;

(ख) क्या सारनाथ लाइन पर स्थित स्टेशन को सुन्दर बनाने का भी कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) उत्तर प्रदेश सरकार के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह यादव की ओर से मार्च, 1990 में नौगढ़ स्टेशन का नाम बदलकर "सिद्धार्थ नगर" करने का एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। गृह मन्त्रालय के परामर्श से इस प्रस्ताव की जांच की गयी थी, जो इस सुझाव पर सहमत नहीं हुआ।

(ख) नौगढ़ रेलवे स्टेशन का रख-रखाव पहले से ही नियमित रूप से किया जा रहा है और इसे साफ-सुथरी स्थिति में रखा जाता है। इसे और अधिक सजाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

जिला रक्त बैंक

5176. **श्री सैयद शाहाबुद्दीन** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के कितने जिलों में जिला अस्पताल नहीं हैं;

(ख) देश के कितने जिला अस्पतालों में रक्त बैंक नहीं हैं;

(ग) देश के कितने जिलों में सरकारी अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र में रक्त बैंक नहीं है;

(घ) क्या सरकार ने जिले के लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमता वाले सभी उपकरणों से लैस रक्त बैंक स्थापित करने हेतु कोई समय-सीमा निर्धारित की है; और

(ङ) यदि हां, तो जिलों, जिला अस्पतालों में रक्त बैंक स्थापित करने के लिए बनाए गए कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डा० के० तारा देवी सिद्धार्थ) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार देश में 451 जिले हैं और उन सभी जिलों में एक-एक जिला अस्पताल है।

(ख) देश में कुल 86 जिला अस्पतालों में रक्त बैंक नहीं हैं।

(ग) देश में कुल 47 ऐसे जिले हैं जिनमें सरकारी अथवा प्राइवेट क्षेत्र का एक भी रक्त बैंक नहीं है।

(घ) और (ङ) सरकार ने क्रमिक रूप में रक्त बैंकों के आधुनिकीकरण का कार्य शुरू किया है। प्रथम चरण में 138 रक्त बैंकों को आधुनिकीकरण के लिए सहायता पहले ही प्रदान कर दी गई है। 90 रक्त बैंकों को 1992-93 के दौरान विश्व बैंक की सहायता से आधुनिक बनाया जाएगा। सरकारी क्षेत्र के शेष रक्त बैंकों का विशेष रूप से जिला स्तर के रक्त बैंकों का उन्नयन अगले पांच वर्षों के दौरान किया जाएगा।

तटीय क्षेत्रों के लिए पर्यावरणीय प्रबन्ध योजना

5177. **श्री गोपीनाथ गजपति** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के तटीय क्षेत्रों के लिए पर्यावरणीय प्रबन्ध योजना के सम्बन्ध में कोई अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या उद्देश्य है; और

(ग) इसके क्या परिणाम निकले ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) मन्त्रालय ने देश के निम्नलिखित चार तटीय भागों के लिए पर्यावरणीय प्रबन्ध योजनाएं तैयार करने से सम्बन्धित अध्ययन प्रायोजित किए थे :

(1) उड़ीसा में पुरी कोणार्क;

(2) गुजरात में द्वारका-जोडिया

(3) पश्चिम बंगाल में दीघा; और

(4) तमिलनाडु में मद्रास-महाबलीपुरम।

(ख) इन अध्ययनों के मुख्य उद्देश्यों में निम्नलिखित शामिल हैं :—

(1) तटीय भागों में पर्यावरणीय समस्याओं का विश्लेषण;

(2) तट के साथ-साथ पारिस्थितिकीय रूप से नाजुक क्षेत्रों, सरक्षण, परिरक्षण और विकास के लिए क्षेत्रों क शिनाख्त; तथा

(3) उपरोक्त भागों के लिए पर्यावरणीय प्रबन्ध योजना तैयार करना।

(ग) अध्ययनों से अलग-अलग तटीय भागों में मुख्य पर्यावरणीय प्रभावों का पता चला है। इन क्षेत्रों में स्थानीय विशिष्ट पर्यावरण से सम्बन्धित बुनियादी प्रणाली विज्ञान और दृष्टिकोण को दर्शाने वाली पर्यावरण प्रबन्ध योजनाएं तैयार करने के लिए एक नीति मुहैया करायी गई है। इसके निष्कर्षों का प्रयोग राज्य सरकारों द्वारा अपने तटीय क्षेत्रों के लिए स्थिति रिपोर्ट और पर्यावरणीय प्रबन्ध योजनाएं तैयार करने के लिए किया जा सकता है।

परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत गैर-सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों को प्रोत्साहन

5178. **श्री सूर्य नारायण यादव** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नए परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत सरकारी कर्मचारियों को दिए जाने वाले लाभों की तरह परिवार नियोजन कार्यक्रम अपनाने वाले गैर-सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों को भी प्रोत्साहन देने का है; और

(ख) यदि हां, तो इसे और अधिक प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने हेतु किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारा देवी सिद्धार्थ) : (क) और (ख) परिवार कल्याण कार्यक्रम के तहत सरकारी कर्मचारियों को दिए गए लाभों के अनुरूप निजी क्षेत्र में परिवार नियोजन तरीकों के स्वीकारकर्ताओं को प्रोत्साहन देने के लिए इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

ऊपरी इन्द्रावती बहुद्देशीय परियोजना

5179. **श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा को ऊपरी इन्द्रावती बहुद्देश्यीय परियोजना के लिए पर्यावरणीय मन्जूरी दे दी गई है;

(ख) यदि हां, तो मन्जूरी देते समय क्या शर्तें रखी गई थीं और इसका पालन कहां तक किया गया है;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में हाल ही में सरकार ने पर्यावरणीय प्रभाव सम्बन्धी कोई अध्ययन कराया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके परिणाम क्या निकले ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) जी, हां। ऊपरी इन्द्रावती बहु-उद्देशीय परियोजना को जनवरी, 1979 में इस शर्त पर पर्यावरणीय मन्जूरी दी गई थी कि पुनर्वास बृहत योजना, क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम, चोरी-छिपे शिकार के विरुद्ध उपायों, इत्यादि जैसी कार्य योजनाएं तैयार की जाएं और प्रभावी तरीके से क्रियान्वित की जाएं।

(ग) और (घ) परियोजना प्राधिकारियों ने व्यापक पर्यावरणीय प्रबन्ध योजना तैयार करने के लिए विभिन्न पर्यावरण पहलुओं पर अध्ययन और सर्वेक्षण शुरू किए हैं।

गांधी शान्ति प्रतिष्ठान

[हिन्दी]

5180. **डा० रमेश चन्द्र तोमर :**

श्री देवी बक्स सिंह :

श्री रामकृष्ण कुसमरिया :

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान गांधी शान्ति प्रतिष्ठान को कुल कितनी धनराशि दी गई;

(ख) क्या सरकार की जानकारी में इस प्रतिष्ठान में कथित वित्तीय अनियमितताएं बरतने और कदाचार होने की घटनाएं आई हैं;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा प्रतिष्ठान में प्रशासनिक और वित्तीय अनियमितताओं पर अंकुश लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मन्त्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विश्व विकास रिपोर्ट, 1992

[अनुवाद]

5181. **श्री श्रवण कुमार पटेल** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पर्यावरण विचारों को विकास नीति निर्माण से समन्वय की आवश्यकता पर बल देने सम्बन्धी विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट, 1992 की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो पर्यावरण-विचारों को विकास नीति मे ऐसे समन्वय के लिए आठवीं योजना के अन्तर्गत क्या विशेष कदम उठाने का विचार किया गया है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने राष्ट्रीय संरक्षण नीति और पर्यावरण और विकास पर नीति विवरण की घोषणा पहले ही कर दी है जिसमें राष्ट्रीय जीवन और विकास प्रक्रिया के निर्माण में पर्यावरणीय निहितार्थों को शामिल करने तथा विशेषरूप से कृषि, पशुपालन, ऊर्जा, उद्योग, खनन और उत्खनन, पर्यटन तथा मानव आवासों जैसे क्षेत्रों में पर्यावरणीय परिप्रेक्ष्यों से विकास नीति तैयार करने के लिए दिशानिर्देश निर्धारित किए गए हैं। आठवीं पंचवर्षीय योजना में सभी विकास क्षेत्रों में परियोजना/कार्यक्रम तैयार करने में पर्यावरणीय निहितर्थों को शामिल करने के लिए विकेन्द्रीकरण की आवश्यकता पर जोर दिया गया है।

अवयस्क बालिकाओं को अवैध रूप से देश से बाहर भेजने को रोकने के लिए कानून बनाना

[हिन्दी]

5182. श्री चिन्मयानन्द स्वामी :
श्री देवी बक्स सिंह :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार अवयस्क लड़कियों की भारत में शादी के बाद उन्हें खाड़ी के देश भेजे जाने पर रोक लगाने के लिए कोई कानून बनाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार का ऐसे अनैतिक कार्य को रोकने के लिए अन्य क्या कदम उठाने का विचार है।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य और खेल-कूद विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी ममता बैनर्जी) : (क) से (ग) अवयस्क लड़कियों का विवाह करना और विदेशियों द्वारा उन्हें भारत से बाहर ले जाने की घटनाओं को सरकार बड़ी गंभीरता से लेती है। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए महिलाओं का आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक उत्थान एक बुनियादी आवश्यकता मानी गई है।

इसी प्रयोजन के लिए सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने, उनकी शिक्षा और उनमें जागृति विकास के लिए कई योजनाएं कार्यान्वित कर रही है। गृह मंत्रालय ने निकास स्थानों (एक्जिट प्वाइंट्स) पर तैनात आप्रवासन अधिकारियों को सचेत किया है कि लड़कियों के यात्रा सम्बन्धी कागजात (ट्रैवल डाक्यूमेंट्स) की जांच करते समय वे अधिक सतर्क रहें ताकि लड़कियों के पारपत्रों पर उनकी आयु आदि के बारे में किसी गलत प्रविष्टि का शीघ्र पता लगाया जा सके। जहां तक अवयस्क लड़कियों के विवाह की तथा उन्हें विदेशियों द्वारा भारत से बाहर ले जाने की घटनाओं को रोकने के लिए कानून बनाने का प्रश्न है, ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

ठाणे मुम्बई में ताप विद्युत योजनाएं

[अनुवाद]

5183. **प्रो० राम कापसे** : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने ठाणे जिला (महाराष्ट्र) के दहानु तालुक में बाम्बे सबअर्बन इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी द्वारा बनाए जा रहे 500 मेगावाट ताप विद्युत परियोजना स्थल का दौरा करने के लिए मई, 1991 में अपना सलाहकार भेजा था;

(ख) यदि हां, तो सलाहकार ने अपनी रिपोर्ट दे दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) मंत्रालय के एक सलाहकार ने स्थल का दौरा किया था और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है ।

(ग) रिपोर्ट में परियोजना के सम्भावित प्रभावों के बारे में मुद्दे उठाए गए हैं ।

(घ) मुद्दों की राज्य सरकार के परामर्श से जांच की गई है ।

केन्द्रीय विद्यालयों में दूसरी पाली

5184. **श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा** :
श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :
श्री राम नरेश सिंह :

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालयों में दूसरी पाली शुरू की गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या दूसरी पाली में पहली और दूसरी कक्षा को नहीं रखा गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मन्त्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार के स्थानांतरणीय कर्मचारियों के बच्चों के काफी संख्या में रुके हुए दाखिलों को ध्यान में रखते हुए, वर्ष 1990 में एक प्रयोगात्मक आधार पर, दिल्ली के नौ केन्द्रीय विद्यालयों में, दूसरी पाली शुरू की गई थी ।

(ग) और (घ) दूसरी पाली के प्रयोग को अभी बन्द नहीं किया गया है किंतु केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने यह सूचित किया है कि अभी तक दूसरी पाली की कक्षा I तथा II के लिए कोई भी दाखिला नहीं किया गया है क्योंकि अधिकांश अभिभावकों ने प्रथम पाली में स्थानांतरण मांगा है ।

डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली में अव्यवस्था की शिकायतें

5185. **श्री कालका दास :**

श्री प्रतापराव जी० भोंसले

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली में डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल में कितने आपरेशन थियेटर हैं और उनमें से कितने थियेटर आपरेशन किए जाने के लिए सर्वथा उपयुक्त हैं;

(ख) 1989, 1990, 1991 में और 15 जून, 1992 तक इनमें कितने आपरेशन किए गए;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई लापरवाही बरतने की शिकायतें मिली थीं और उनकी जांच की गई;

(घ) क्या सरकार को 1991 में अस्पताल के वार्डों में चूहों के खतरे के बारे में भी शिकायतें प्राप्त हुई थीं; और

(ङ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में वास्तव में क्या कदम उठाए गए हैं और विशेषकर नवम्बर, 1991 की घटना में रोगी के सामान को चूहे द्वारा कुतरे जाने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल में 13 आपरेशन थियेटर/टेबल हैं, उनमें से इस समय 10 कार्य कर रहे हैं ।

(ख) वर्षवार किए गए आपरेशन इस प्रकार हैं :—

	बड़े	छोटे
1989	4737	42052
1990	5841	40674
1991	5376	42677
1992	2483	18687

(ग) दो शिकायतें प्राप्त हुई थीं । तथापि, जांच-पड़ताल करने पर लगाए गए दोष साबित नहीं हुए थे ।

(घ) और (ङ) जी, हां, इस मामले की जांच-पड़ताल स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय द्वारा की गई थी तथा यह सूचित किया गया है कि चूहे द्वारा काटे गए रोगी का अस्पताल द्वारा पर्याप्त रूप से उपचार

किया गया था। तथापि, यह मात्र एक विरल घटना है और यह सत्य नहीं है कि अस्पताल के वार्ड चूहों से भरे पड़े हैं। अस्पताल में अनुकूल स्वास्थ्यकर स्थितियां सुनिश्चित करने के लिए नियमित रूप से पर्याप्त उपाय किए जा रहे हैं जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ सफाई कर्मचारियों की नियमित तैनाती तथा एक विशेषज्ञ पेस्ट कंट्रोल एजेंसी को लगाना शामिल है।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के पास शिशु सदन

5186. **मोहन सिंह** (देवरिया) : **क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान परिसर में चल रहा शिशु सदन (बेबी सिटर) भारत सरकार के नियंत्रणाधीन है;

(ख) किस अभिकरण के पर्यवेक्षण में इस शिशु सदन को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के परिसर में चलाया जा रहा है;

(ग) क्या संस्थान के शासी निकाय ने इस शिशु सदन को चलाने की अनुमति प्रदान की है; और

(घ) वर्ष 1991-92 के दौरान इस शिशु सदन को चलाने वाले प्राधिकरण द्वारा अर्जित आय/किए गए व्यय का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) से (घ) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान द्वारा इस बात की सूचना दी गई है कि शिशु सदन/शिशु मंदिर अस्पताल कल्याण सोसाइटी के तत्वावधान के अन्तर्गत एक समिति द्वारा अपने कल्याण सम्बन्धी कार्यकलापों में से एक कार्यकलाप के रूप में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के परिसर में नर्सिंग होस्टल के समीप चलाया जा रहा है। अस्पताल कल्याण सोसायटी पंजीकरण अभिकरण के अंतर्गत एक पंजीकृत निकाय है और इस संस्थान के शासी निकाय के अनुमोदन से 1976 में स्थापित किया गया। इस शिशु सदन को चलाने के लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान द्वारा कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की जाती है। 1990-91 और 1991-92 के दौरान आय और व्यय का ब्यौरा इस प्रकार है :—

अवधि	आय	(रुपए)
1990-91	1,99,330	1,95,152,35
1991-92	2,45,850	2,46,130,00

राष्ट्रीय प्राणी उद्यान, दिल्ली में जानवरों की असामयिक हत्या

[हिन्दी]

5187. **श्री सुरेन्द्र पाल पाठक** : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय प्राणी उद्यान, दिल्ली में प्रजातिवार कितने-कितने जानवरों की असामयिक मृत्यु हुई है;

(ख) इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले की समय-समय पर जांच की है;

(घ) यदि हां, तो ऐसी जांचों के क्या निष्कर्ष निकले हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा जानवरों की असामयिक मृत्यु न होने देने के लिए क्या उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) चिड़िया घर के जानवरों की मृत्यु के संदर्भ में यह निर्धारित करना बहुत कठिन है कि उनकी मृत्यु सामयिक हुई है या असामयिक। 1989-90, 1990-91 तथा 1991-92 के दौरान राष्ट्रीय प्राणी उद्यान, दिल्ली में जिन जानवरों की मृत्यु चोटों, घावों, रौंदे जाने तथा डूब जाने से हुई है, उनकी सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) से (ङ) चिड़ियाघरों में जानवरों में आपसी लड़ाई से लगी चोटों, रौंदे जाने तथा अन्य दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मृत्यु असामान्य नहीं है। इसलिए ऐसे मामलों में आमतौर पर कोई विस्तृत जांच के आदेश नहीं दिए जाते हैं, लेकिन 8 और 9 जून, 1992 के बीच आवारा कुत्ते चुपके से कृष्ण सारो के बाड़ों में घुस गए जिसके परिणामस्वरूप 21 कृष्णसार मारे गए। घटना की विस्तृत जांच से पता चला है कि घटना की रात को उद्यान में सुरक्षा में लापरवाही बरते जाने के कारण अधिक संख्या में जीव मारे गए। अपनी ड्यूटी में लापरवाही बरतने के कारण सुरक्षा कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गई है। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए की जाने वाली कार्रवाई में निम्नलिखित शामिल हैं :—

(1) चिड़ियाघरों की दीवारों को मजबूत बनाना तथा बाड़ों में सुधार करना।

(2) चिड़ियाघर के अहातों से आवारा कुत्तों का निष्कासन।

(3) चिड़ियाघर में सुरक्षा को मजबूत करना।

विवरण

विभिन्न कारणों से जिन जानवरों और पक्षियों की मृत्यु हुई, उनकी संख्या दर्शाने वाला विवरण

जीवों की श्रेणी	1989-90				1990-91				1991-92			
	भिड़ंत/ चोटों एवं घावों के कारण	रौंदे जाने और डूब जाने से	अन्य कारण	कुल	भिड़ंत/ चोटों एवं घावों के कारण	रौंदे जाने और डूब जाने से	अन्य कारण	कुल	भिड़ंत/ चोटों एवं घावों के कारण	रौंदे जाने और डूब जाने से	अन्य कारण	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
वानर	1	—	4	5	—	—	2	2	—	1	3	4
हिरण	3	—	1	4	—	—	3	3	—	—	5	5
बोवाइड (बकरी/ भेड़/बारहसिंघा/ चिकारन/भैंस)	4	—	10	14	—	—	9	9	—	—	7	7
गैंडा	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
जंगली सूअर	9	—	1	10	1	—	2	3	—	—	3	3
कृन्तक	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—
मांसाहारी	—	—	1	1	—	—	2	2	—	—	—	—
अन्य	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
सरीसृप	—	—	7	7	—	—	7	7	—	—	4	4
कुल :	17	—	26	43	1	—	26	27	—	1	23	24
पक्षी												
पेलिकन	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
सारस/बत्तख/चिती	—	—	3	3	—	—	2	2	1	1	2	4
बगुला/ईगरेवस और स्टॉर्क	—	—	3	3	—	—	2	2	—	—	1	1
करंल	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
बुलबुल	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
मक्खी मार	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
कैसुआरी	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
ट्री पाइ/नीलकंठ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
मैना/तितियर	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—
चिड़िया/बटेर	1	—	2	3	—	—	1	1	2	—	1	3
तीतर	2	1	7	10	—	—	1	1	1	3	5	9
कबूतर	—	—	1	1	—	—	1	1	—	—	—	—
अन्य	4	—	148	152	1	—	3	4	5	—	9	14
कुल :	7	1	167	175	1	—	10	11	9	4	25	38

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के सदस्य

[अनुवाद]

5188. **श्री एम० डी० बी० एस० मूर्ति** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का कोई सदस्य नियुक्त किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सदस्यों की नियुक्ति विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 5 के प्रावधानों के अनुसार की जाती है। आयोग के सदस्यों में से एक सदस्य बड़ौदा एम० एस० विश्वविद्यालय में भू विज्ञान के प्रोफेसर, प्रो० डी० आर० गाडेकर अनुसूचित जाति के हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

टालीगंज रेलवे स्टेशन पर अनधिकृत निर्माण

5189. **श्री मानवेन्द्र शाह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टालीगंज रेलवे स्टेशन पर पटरियों के आस-पास अनधिकृत निर्माण किए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार पटरी को अनधिकृत कब्जेदारों से मुक्त कराने के लिए क्या कदम उठाने पर विचार कर रही है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) पहले कई बार अतिक्रमणकर्ताओं को हटाया गया था, लेकिन उन्होंने परिसर में पुनः कब्जा कर लिया है। अतिक्रमणकर्ताओं को हटाने के लिए आवश्यक पुलिस सहायता प्रदान करने के लिए पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के साथ इस मामले में पत्र-व्यवहार किया गया है।

पश्चिम बंगाल में भारतीय खाद्य निगम के कार्यालय

5190. **श्री जितेन्द्र नाथ दास** : क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में भारतीय खाद्य निगम के कार्यालयों की वर्तमान संख्या कितनी है;

(ख) क्या इन कार्यालयों को बन्द करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) पश्चिम बंगाल क्षेत्र में, सिक्किम में स्थित एक जिला कार्यालय सहित, भारतीय खाद्य निगम के 25 जिला कार्यालय हैं।

(ख) और (ग) खुदरा वितरण कार्य भारतीय खाद्य निगम से राज्य सरकारों को अन्तरित करने से पश्चिम बंगाल में जिला कार्यालयों का पुनर्गठन करना आवश्यक हो गया है और यह मामला भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों की एक समिति के विचाराधीन है। इस समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही किसी जिला कार्यालय को बन्द करने के प्रश्न के बारे में निर्णय किया जाएगा।

चल पुस्तकालय

5191. **श्री मुमताज अंसारी** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा दिल्ली में कुल कितने चल पुस्तकालय संचालित किए जा रहे हैं;

(ख) यह पुस्तकालय कहां-कहां चलते हैं; और

(ग) साउथ एवेन्यू, नार्थ एवेन्यू तथा अन्य अतिविशिष्ट व्यक्तियों वाले क्षेत्रों में पुस्तकालयों को संचालित न करने के क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, दिल्ली दो शिफ्टों में चलती है, पांच चल पुस्तकालय सामान्य पाठकों के लिए तथा एक चल पुस्तकालय दृष्टिहीनों के लिए है। पंजाबी अकादमी, दिल्ली प्रशासन भी दो चल पुस्तकालय चलाती है।

(ख) विवरण संलग्न है।

(ग) संसाधनों की कमी के कारण इन क्षेत्रों में पुस्तकालय पहले स्थापित नहीं किए जा सके।

विवरण

I. दिल्ली पब्लिक लायब्रेरी : सामान्य पाठकों के लिए पांच चल पुस्तकालयों द्वारा जिन स्थानों का दौरा किया गया।	दृष्टिहीन पाठकों के लिए एक चल पुस्तकालय द्वारा जिन स्थानों/संस्थानों का दौरा किया गया।
गांधीनगर; कृष्णा नगर; लक्ष्मी नगर;	भारतीय नेत्रहीन शैक्षिक सांस्कृतिक कल्याण सोसायटी, तेलीवाड़ा, शाहदरा।

योजना विहार;	नेत्रहीन छात्र कालेज गोविंद होस्टल, सेवा
किंग्सवे कैम्प;	कुटीर, किंग्सवे कैम्प ।
मॉडल टाउन;	
गुजरावाला टाउन;	राजकीय माध्यमिक नेत्रहीन छात्र स्कूल, सेवा
जवाहर नगर;	कुटीर, किंग्वे कैम्प ।
कमला नगर;	
रूप नगर;	आर० बी० ए० के० प्राथमिक विद्यालय, न्यू
अशोक विहार-3	राजेन्द्र नगर।
अशोक विहार-1	
ग्रेटर कैलाश;	इन्स्टीच्यूशन फार द ब्लाइंड, पंचकुइंया रोड ।
कालका जी;	अन्ध महाविद्यालय, पंचकुइयां रोड
पुष्प विहार;	ज्येष्ठा नन्द नेत्रहीन महिला प्रशिक्षण केन्द्र
मालवीय नगर;	लाजपत नगर-3 ।
जंगपुरा;	
लाजपत नगर-1;	अंध विद्यालय नेत्रहीन छात्र, अमर कालोनी,
लाजपत नगर-4;	लाजपत नगर-4 ।
अमर कालोनी;	
सुभाष नगर;	नेत्रहीन विद्यालय, के०-ब्लाक, कालका जी
राजौरी गार्डन एक्सटेंशन;	(पाक्षिक)
राजौरी गार्डन;	
सदर बाजार;	एन०ए०बी० शाखा, सेक्टर-5, आर०के० पुरम
पंडारा रोड;	(पाक्षिक)
इन्द्र पुरी;	
नारायणा;	जनता आदर्श विद्यालय, सीरीफोर्ट रोड, सार्विक
टैगोर गार्डन;	नगर।
इण्डियन एयरलाइन्स कालोनी;	
गौतम नगर;	राष्ट्रीय नेत्रहीन औद्योगिक संस्थान, बेगम पुर,
प्रिंसेज पार्क होटल;	मालवीय नगर ।
जनकपुरी डी०-ब्लाक;	

जनकपुरी सी०-3;	भारत नेत्रहीन तकनीकी कल्याण सोसाइटी,
जिया सराय;	मदनगीर ।
गुलमोहर पार्क;	
आर० के० पुरम-4;	भारतीय नेत्रहीन संघ, रोहिणी ।
केथवारा;	
दरिया पुर;	आर० बी० ए० के० एस० एस० स्कूल विकास
बख्तावर पुर;	पुरी ।
बुराड़ी;	
करोला;	अखिल भारतीय नेत्रहीन संघ, रघुवीर नगर ।
मुहम्मदपुर मजारी;	
पूठकला;	
लिबासपुर;	
सिरस पुर;	
ओल्ड पुलिस लाइन;	
राजपुर रोड;	
तिमार पुर;	
राणा प्रताप बाग;	
शक्ति नगर;	
लाजपत नगर-3;	
लाजपत नगर-2;	
बंगाली मार्किट;	
सेवा नगर;	
त्रिनगर;	
रामपुरा;	
जयदेव पार्क;	
शकूर बस्ती;	
जनकपुरी सी०-2 बी०;	
जनकपुरी बी०1;	

आर० के० पुरम सैक्टर-3;

आया नगर;

घितोरनी;

फतहपुर बेरी;

छत्तरपुर;

पी० टी० एस०;

II. पंजाबी अकादमी

1. सरकारी प्रेस कालोनी
2. मीनाक्षी गार्डन
3. शिव नगर
4. इन्द्र पुरी
5. माया पुरी
6. हरी नगर घंटा घर
7. वरिन्द्र नगर
8. प्रताप नगर
9. लाजवन्ती गार्डन
10. किरण गार्डन
11. हस्तसाल डी० डी० ए० फ्लैट्स
12. कच्चा तिहाड़
13. हरी नगर डी० बी० ब्लाक
14. विकास पुरी ए० जी०-I
15. राथेन पार्क
16. विकासपुरी साईड-III
17. मेनन गार्डन
18. डेसू कालोनी नजफगढ़
19. नांगलोई जे० जे० कालोनी

20. नांगलोई डाकघर
21. सैय्यद नांगलोई
22. फतेह नगर
23. हरी नगर सी० सी० ब्लाक
24. सुभाष नगर
25. उत्तम नगर
26 जनकपुरी (पी० एण्ड टी०)
27. जनकपुरी सी०-4 डी०
28. विकासपुरी एक्सटेंशन
29. जनकपुरी बी०-1
30. मुखर्जी पार्क
31. करम पुरा
32. सुदर्शन पार्क
33. विकास कुंज
34. विकास पुरी ए० जी०-II
35. चांद नगर
36. समय पुर
37. नेहरू विहार
38. तिमार पुर
39. माडल टाउन-III
40. विजय नगर (एस० एस०)
41. विजय नगर (डी० एस०)
42. भारत नगर
43. अशोक विहार (पी० सी०)
44. लारेंस रोड
45. शालीमार बाग (ए० डी०)

46. संगम पार्क
47. अशोक विहार-III
48. निरंकारी कालोनी
49. बी० परमानन्द कालोनी
50. एस० सी० डी० ढाका कालोनी
51. रोहिणी सेक्टर-3
52. रोहिणी सेक्टर-7
53. रोहिणी सेक्टर-8
54. नीमड़ी कालोनी
55. लारेंस रोड बी०-4
56. केशव पुरम
57. पश्चिम विहार
58. रानी बाग रेलवे कालोनी
59. थाना सरस्वती विहार
60. अवन्तिका
61. रोहिणी सेक्टर-6
62. प्रशांत विहार
63. शालीमार बाग
64. पीतम पुरा
65. इन्कमटैक्स कालोनी
66. जहांगीर पुरी के०-ब्लाक
67. जहांगीर पुरी बी०-ब्लाक
68. आदर्श नगर
69. सुभद्रा कालोनी
70. गुलाबी बाग
71. इन्द्रलोक

आंध्र प्रदेश में केन्द्रीय भाण्डागार निगम के गोदाम

5192. **श्री दत्तात्रेय बंडारू** : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में केन्द्रीय भाण्डागार निगम के गोदाम इस वर्ष जनवरी से खाली पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) केन्द्र सरकार की भंडारण नीति क्या है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) और (ख) केन्द्रीय भंडारण निगम ने आंध्र प्रदेश में स्थित गोदाम, जनवरी, 1992 से खाली नहीं पड़े हुए हैं। तथापि, पहली जून, 1992 की स्थिति के अनुसार उनकी भंडारण क्षमता का 64 प्रतिशत उपयोग हुआ था जो कि 75 प्रतिशत के लाभ-अलाभ उपयोग से भी कम था। क्षमता के इस कम उपयोग का कारण भारतीय खाद्य निगम के पास स्टाक की कम उपलब्धता होना, राज्य नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा वसूली को बन्द कर देना और उर्वरक निर्माता कम्पनी/विपणन एजेंसियों द्वारा स्थान के इस्तेमाल में कमी कर देना था।

(ग) भारतीय खाद्य निगम एक प्रमुख एजेंसी है जो खाद्यान्नों का भंडारण करने के लिए भंडारण क्षमता मुहैया करती है। स्वयं अपने गोदामों का निर्माण करने के अलावा, यह केन्द्रीय भंडारण निगम, राज्य भंडारण निगमों, राज्य सरकारों और प्राइवेट पार्टियों जैसे अन्य साधनों से भंडारण क्षमता किराए पर भी लेता है। केन्द्रीय भंडारण निगम और राज्य भंडारण निगमों के मुख्य कार्य कृषि उत्पादों, उर्वरकों और कुछेक अन्य वस्तुओं का भंडारण करना है। तालुक/ब्लाक/ग्रामीण स्तर पर भंडारण सुविधाएं कृषि मंत्रालय और राज्य सरकारों के कार्य-क्षेत्र के अधीन सहकारी समितियों द्वारा मुहैया की जाती हैं। सरकार विशेष स्थानों पर सरकारी क्षेत्र की भंडारण सम्बन्धी आवश्यकताओं के प्रबबन्ध में समन्वय करने की आवश्यकता से अवगत है और इसने केन्द्र में केन्द्रीय भंडारण समिति और राज्यों में राज्य स्तरीय समन्वय समितियां स्थापित की हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विभिन्न एजेंसियों द्वारा एक ही स्थान पर निर्माण प्रयासों में अतिव्याप्तता और द्विरावृत्ति न होने पाए।

गुजरात में चीनी की फैक्ट्री के स्थान में परिवर्तन

5193. **श्री सोमजीभाई डामोर** : क्या खाद्य मन्त्री गुजरात में नई चीनी फैक्ट्री के बारे में 31 मार्च 1992 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5341 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में नई चीनी की फैक्ट्री के स्थान में परिवर्तन का प्रस्ताव किस स्तर पर है; और

(ख) इसे कब तक अन्तिम रूप दिया जाएगा ?

नागरिक पूर्ति उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) और (ख) 31 मार्च, 1992 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5341 के उत्तर में विनिर्दिष्ट गुजरात राज्य की नई चीनी फैक्ट्रियों के स्थान परिवर्तन के लिए प्राप्त 6 प्रस्तावों के वर्तमान स्तर से सम्बन्धित सूचना निम्न प्रकार है :

स्थान परिवर्तन के लिए तीन (3) प्रस्तावों (i) मै० श्री सेचुत सहकारी खांड उद्योग मडली लि०, (ii) श्री उकई विभाग असरग्रस्त सहकारी खांड उद्योग मंडली लि० तथा (iii) मै० बडोदरा जिला सहकारी गन्ना उत्पादक संघ लि०, को केन्द्र सरकार द्वारा मजूरी दे दी गई है। दो प्रस्तावों अर्थात (i) मै० श्री नर्मदा खांड उद्योग सहकारी मंडली लि० तथा (ii) मै० दमनगंगा सहकारी खांड उद्योग मंडली लि० के सम्बन्ध में राज्य सरकार से कुछ सूचना मांगी गई है उक्त सूचना के प्राप्त होने के बाद इन प्रस्तावों पर आगे कार्रवाई की जाएगी। छठा, अर्थात मै० कावेरी विभाग सहकारी खांड उद्योग मण्डली लि० से सम्बन्धित प्रस्ताव विचाराधीन है।

पंजाब में रेलवे की भूमि पर अनधिकृत निर्माण

5194. श्री मोहन सिंह (फिरोजपुर) : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में रेलवे की भूमि पर अनधिकृत कब्जे के बारे में कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान रेलवे की भूमि पर अनधिकृत निर्माण के कितने मामलों का पता चला है;

(ग) अब तक कितने अनधिकृत निर्माणों को हटाया गया है और कितनों को हटाया जाना है; और

(घ) सारे अनधिकृत निर्माणों को कब तक हटाये जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) 1-4-90, 1-4-91 और 1-4-92 को विद्यमान अनधिकृत निर्माणों की संख्या क्रमश: 4227, 4040 और 3810 थी।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान 964 अतिक्रमणों को हटाया गया था जिनमें इस अवधि के दौरान किए गए 547 नये अतिक्रमण भी शामिल थे। अभी 3810 अतिक्रमणों को हटाया जाना है।

(घ) चूंकि अतिक्रमणों का हटाया जाना भी रेलों के नियन्त्रण से बाहर के विभिन्न कारकों जैसे स्थानीय सिविल और पुलिस प्राधिकारियों की सहायता तथा सिविल कोर्टों द्वारा मामलों के निपटान, आदि पर भी निर्भर करता है इसलिए सभी अतिक्रमणों को हटाने की कोई समय-सीमा नहीं बतायी जा सकती है।

कोरापुट-रायगड़ रेल लाइन

5195. श्री रवि राय : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोरापुट-रायगड रेल लाइन को पूरा कर लिया गया है और यातायात के लिए शुरू कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं और उसे शीघ्र पूरा करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इस लाइन को जून, 92 तक पूरा करने का लक्ष्य था। तथापि, सुरंग सं० 23 की खुदाई के दौरान अप्रत्याशित रूप से मिट्टी ढह जाने के कारण भारी मात्रा में मिट्टी रोकने का कार्य आवश्यक हो गया जिसके परिणामस्वरूप कार्य में विलम्ब हुआ है। अब इसके पूरा होने में एक वर्ष और लगने की सम्भावना है। रेलों द्वारा यथा अपेक्षित सम्पूर्ण धनराशि और अन्य सहायता उपलब्ध करा दी गयी है।

शास्त्रीय संगीत

[हिन्दी]

5196. श्रीमती गिरिजा देवी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : सरकार ने शास्त्रीय संगीत के संरक्षण, विकास व संवर्धन के लिए क्या उपाय किए हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : विवरण सलग्न है।

विवरण

संस्कृति विभाग में ऐसी कई योजनाएं हैं, जो भारतीय शास्त्रीय संगीत के परिरक्षण, प्रसार एवं विकास के लिए तैयार की गई हैं। विभाग ने संगीत नाटक अकादमी, सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केन्द्र, क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र आदि जैसे कुछ स्वायत्त संगठनों की भी स्थापना की है, जो शास्त्रीय संगीत के परिरक्षण, प्रसार और विकास कार्य में लगे हैं।

विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं में से पांच योजनाएं विभिन्न आयु वर्गों के कलाकारों में प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिये हैं। सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केन्द्र 10 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के कलाकारों के लिए विभाग की एक सांस्कृतिक प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति नामक योजना संचालित करता है। विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों में युवा कार्यकर्ताओं को छात्रवृतियां प्रदान करने की योजना के अन्तर्गत 18 से 28 वर्ष के आयु वर्ग के उत्कृष्ट प्रतिभा वाले युवा कलाकारों को भारत में शास्त्रीय संगीत सहित विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों में उच्च प्रशिक्षण के लिए, वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

शास्त्रीय संगीत सहित प्रदर्शन कलाओं के क्षेत्र में उत्कृष्ट कलाकारों को शिक्षावृत्तियां देने की एक योजना भी विभाग में है। ये शिक्षावृत्तियां 25 से 65 वर्ष के आयु वर्ग के उत्कृष्ट कलाकारों को अलग-अलग सृजनात्मक कार्यों में अति उच्च प्रशिक्षण के लिए दी जाती है।

अवकाश प्राप्त (एमेरिटस) छात्रवृत्ति उन कलाकारों को प्रदान की जाती है, जिन्होंने अपने-अपने क्षेत्रों में उच्च स्तरीय उत्कृष्टता प्राप्त कर ली है किंतु जो अपने व्यवसाय से सेवानिवृत्त हो चुके हैं।

साहित्य कला आदि के क्षेत्र में ऐसे लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तियों को जो अभावग्रस्त परिस्थितियों में रह रहे हैं, वित्तीय सहायता शास्त्रीय संगीत सहित भारतीय कला रूपों के परिरक्षण एवं प्रचार के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए दी जाती है।

संस्कृति विभाग की दो योजनाएं हैं जिनके अन्तर्गत शास्त्रीय संगीत में प्रशिक्षण देने वाली सुस्थापित प्रदर्शन कला संस्थाओं को उनके गुरुओं तथा कलाकारों को वेतन के रूप में वित्तीय सहायता दी जाती है ताकि वे अपने अलग-अलग क्षेत्रों में राष्ट्रीय या क्षेत्रीय ससाधन केन्द्र बन सकें। दूसरी योजना का उद्देश्य शास्त्रीय संगीत के विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट प्रदर्शन कला परियोजनाओं के लिए व्यावसायिक दलों और व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

संस्कृति विभाग की भवन-निर्माण अनुदान योजना के अन्तर्गत शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में कार्यरत संस्थाओं के साथ-साथ सांस्कृतिक संस्थाओं को सहायता दी जाती है ताकि वे अपने कार्य कलापों के लिए निजी भवनों का निर्माण कर सकें। इन सस्थाओं में स्थानीय निकायों; नगरपालिकाओं, निगमों द्वारा चलायी जाने वाली वे संस्थाएं भी शामिल है जो नितान्त रूप से नृत्य, नाटक, संगीत आदि सांस्कृतिक क्षेत्रों में कार्यरत हैं।

भारतीय शास्त्रीय संगीत के प्रसार और परिरक्षण में ऑल इंडिया रेडियो तथा दूरदर्शन भी सक्रिय रूप से लगा है। पिछले वर्षों में, ऑल इंडिया रेडियो ने शास्त्रीय संगीत सहित भारतीय संगीत के प्रति जागरुकता और सम्मान का भाव उत्पन्न करने में काफी योगदान दिया है। राष्ट्रीय संगीत कार्यक्रम संगीत-गोष्ठियों की शृंखला (चेन-कंसर्टस) और आकाशवाणी के वार्षिक संगीत सम्मेलनों जैसे ऑल इंडिया रेडियो के नेटवर्क कार्यक्रमों के जरिए शास्त्रीय सगीत को विशेष संरक्षण मिला है। हिन्दुस्तानी और कर्नाटकी संगीत में आकाशवाणी संगीत सम्मेलन प्रत्येक वर्ष आयोजित किए जाते हैं जिनका बाद में ऑल इंडिया रेडियो द्वारा प्रसारण भी किया जाता है। युवा कलाकारों में नई प्रतिभा की खोज के लिए ऑल इंडिया रेडियो संगीत प्रतियोगिताएं भी आयोजित करता है। ऑल इंडिया रेडियो डिस्को/कैसेटों पर औसतन प्रत्येक तिमाही मे दो के हिसाब से अभिलेखीय सामग्री भी निरन्तर प्रदान कर रहा है. इस योजना के अन्तर्गत अब तक ऐसे डिस्को/कैसेटों की कुल सख्या 32 है।

संगीत, नृत्य एवं नाटक की राष्ट्रीय अकादमी-संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1953 में भारत की प्रदर्शन कलाओं की प्रोन्नति के लिए की गई थी; इस कार्य में अकादमी राज्यों और देश भर के स्वैच्छिक संगठनों के साथ सहयोग करती हैं। यह प्रायोजन शोध और प्रचार के माध्यम से भारत में प्रदर्शन कलाओं के सामान्य लाभ के लिए विचारों एवं तकनीकों के तरकाल विनिमय के साथ लोगों में संगीत, नृत्य और नाटक के प्रति अपेक्षतया अधिक सम्मान का भाव उत्पन्न करने का प्रयास करती है।

शास्त्रीय संगीत के प्रसार, विकास और परिरक्षण के लिए अकादमी द्वारा चलाई जा रही महत्वपूर्ण योजनाएं इस प्रकार हैं :—

(1) शास्त्रीय संगीत, हिन्दुस्तानी तथा कर्नाटकी (कंठ और वाद्य) के क्षेत्र में विख्यात कलाकारों को अकादमी पुरस्कारों तथा अभ्येतावृतियों से सम्मानित किया जाता है।

(2) विख्यात संगीतज्ञों का प्रलेखन इसके मुख्य कार्य कलापों का एक अन्य क्षेत्र है। ध्वनि रिकार्डिंग, वीडियो रिकार्डिंग, भारतीय शास्त्रीय संगीत के सभी पहलुओं की 16 मि०मी० फिल्में, अनुभवी कलाकारों के साथ साक्षात्कार संगीत नाटक अकादमी के अभिलेखागार का एक महत्वपूर्ण अंग है। विख्यात कलाकारों में अकादमी के अभिलेखागार के श्रेष्ठ कलाकारों में कुछ सम्मानित नाम इस प्रकार हैं :

अलाउद्दीन खां, हाफिज अली खां, अंजनी बाई मालपेकर, बी०आर० देवधर, ठाकुर जयदेव सिंह, दाबिर खां, पापनाशम आर०, शिवन्, पी०सांबामूर्ति, एम०एस० सुब्बलक्ष्मी और सेम्मनमुडी आर०, श्री निवास अय्यर भारतीय शास्त्रीय संगीत के अभिलेखीय संपत्तियों में लगभग 2000 घंटों की ध्वनि रिकार्डिंग (टेप्स एवं तारें), 300 घंटों की यू-मेटिक वीडियो रिकार्डिंग और 20,000 फुट से भी अधिक 16 मि०मी० की फिल्म सामग्री हैं, जिसमें उस्ताद अलाउद्दीन खां तथा उस्ताद बड़े गुलाम अली खां पर अकादमी द्वारा तैयार किए गए वृत्तचित्र भी शामिल हैं।

(3) गुरु-शिष्य परम्परा को कायम रखते हुए, अकादमी, प्रदर्शन कला के दुर्लभ रूपों के परिरक्षण और उन्नति की स्कीम के अन्तर्गत, प्रख्यात गुरुओं और प्रशिक्षुओं को हिन्दुस्तानी और कर्नाटक शास्त्रीय संगीत के प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आरम्भ करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल किए गए कुछ विख्यात गुरु इस प्रकार हैं—सर्वश्री मणी माधव चकयार, अम्मान्पुर माधव चकयार, सियाराम तिवारी, पुरुषोत्तम दास, रामशंकर दास पागल दास, हाफिजुल्लाह खां, टी०एस० लत्वप्पा पिल्लई, गुलाम मौ० कालीनबाफ, अत्तन खां, साबरी खां, इन्दर लाल इत्यादि।

(4) सांस्कृतिक संस्थाओं को वित्तीय सहायता देने की इसकी अन्य योजना के अन्तर्गत शास्त्रीय संगीत में प्रशिक्षण प्रदान करने में लगी विख्यात संस्थाओं को वित्तीय सहायता भी दी जाती है।

(5) देश के विभिन्न भागों में शास्त्रीय संगीत के उत्सवों का आयोजन एक प्रमुख कार्यकलाप है जो नियमित आधार पर चल रहा है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत उत्सव अकादमी द्वारा स्वयं तथा राज्य अकादमियों, क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों राज्यों के संस्कृति विभागों तथा अन्य प्रमुख सांस्कृतिक संगठनों/संस्थाओं के सहयोग से आयोजित किए जाते है।

(6) अकादमी अन्तर्राज्यीय सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम की अपनी योजना के अन्तर्गत एक राज्य के शास्त्रीय संगीतज्ञों को दूसरे राज्यों में कार्यक्रम प्रस्तुत करने के अवसर प्रदान करती है।

(7) अकादमी विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं के अन्तर्गत संगीत उत्सव आयोजित करती है जिनमें विख्यात कलाकारों और उभरते कलाकारों के कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं। युवा कलाकारों के कार्यक्रमों वाले "युवा उत्सव" नामक उत्सवों में ऐसे बहुत से युवा कलाकारों को अवसर दिया गया जिनको राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़े पैमाने पर मान्यता मिली है।

(8) विख्यात लेखकों द्वारा भारत के शास्त्रीय संगीत और संगीतज्ञों पर अनेक प्रकाशन निकाले गए हैं जिनमें कर्नाटकी और हिन्दुस्तानी संगीत के विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है । अकादमी, भारतीय शास्त्रीय संगीत पर पुस्तक और पत्रिकाएं निकालने के लिए विभिन्न प्रकाशकों और लेखकों को अनुदान भी देती है ।

(9) शास्त्रीय संगीत के छात्रों और अनुसंधान अध्येतताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले पुस्तकालय के अलावा, संगीत नाटक अकादमी शास्त्रीय संगीत को सुनने और फिल्मों को निःशुल्क देखने की सुविधाएं भी प्रदान करती है ।

इनके अलावा पिछले वर्षों में भारत सरकार द्वारा स्थापित क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों ने देश के भागों में शास्त्रीय संगीत के विभिन्न उत्सव और कार्यक्रम आयोजित किए हैं ।

विदेश मन्त्रालय के अधीन एक स्वायत्त संगठन भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद शास्त्रीय संगीतज्ञों को विभिन्न देशों में अपने कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए प्रायोजित कर रही है ।

मध्य प्रदेश में पुरातत्वीय स्थलों पर पर्यटन सुविधाएं

[अनुवाद]

5197. श्री आनन्द अहिरवार : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के कुछ पुरातत्वीय स्थलों पर पर्याप्त पर्यटन सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन स्थलों पर पर्याप्त पर्यटन सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मन्त्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ग) मध्य प्रदेश में केन्द्रीय संरक्षणाधीन जिन महत्वपूर्ण पुरातत्वीय स्मारकों को देखने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं, वहां पर पेय जल, प्रसाधन, ऐतिहासिक/सांस्कृतिक सूचना पट्ट आदि जैसी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हैं ।

केन्द्रीय आयुर्वेद और सिद्ध अनुसंधान परिषद के कर्मचारियों की शिकायतें

5198. श्री वसुदेव आचार्य : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें केन्द्रीय आयुर्वेद और सिद्ध अनुसंधान परिषद के कर्मचारियों के सेवा सम्बन्धी मामलों को लेकर अनुसंधान कर्मचारी कल्याण संघ की ओर से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) उनकी मांगों पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी० के० तारा देवी सिद्धार्थ) : (क) से (घ) अनुसंधान कर्मचारी कल्याण संघों से समय-समय पर कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। उनमें से अधिकतर समूह "ग" और "घ" कर्मचारियों के सेवा शर्तों और अन्य वैयक्तिक मामलों से सम्बन्धित हैं। ऐसे अभ्यावेदनों की सरकार या परिषद द्वारा, जैसा भी उचित हो, प्रशासनिक मानदण्डों के अनुसार निर्णय लेने के लिए जांच की जाती है।

नई दिल्ली और शान्ति निकेतन के बीच रेल सम्पर्क

5199. श्री रामचन्द्र डोम : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार शान्ति निकेतन को दिल्ली से सीधी रेल सेवा द्वारा जोड़ने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक क्रियान्वित किया जाएगा; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) परिचालनिक कारण और यातायात की कमी।

कम्प्यूटरीकृत आरक्षण सुविधा

5200 श्री प्रदीप डेका :
कुमारी पुष्पा देवी सिंह :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विशेष रूप से असम में उन रेलवे स्टेशनों के नाम क्या हैं जहां कम्प्यूटरीकृत यात्री आरक्षण सुविधा प्रदान करने का कार्य प्रगति पर है;

(ख) इस समय ये कार्य/परियोजनाएं किस चरण में हैं और ये कब तक पूरी हो जाएंगी; और

(ग) किन-किन रेलवे स्टेशनों को चुना गया है जहां अगले चरण में ऐसी सुविधाएं प्रदान करने हेतु कार्य शुरू किया जाएगा ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) असम में गुवाहाटी स्टेशन पर कम्प्यूटरीकृत यात्री आरक्षण सुविधा की व्यवस्था पहले ही कर दी गई है। फिलहाल असम में कोई कार्य नहीं चल

रहा है। आगरा छावनी, वाल्तेरू, बड़ोदरा, सूरत और नागपुर में निर्माण कार्य प्रगति पर है।

(ख) सिविल एवं प्रणाली अभिकल्प सम्बन्धी कार्य शुरू कर दिए गए हैं। सभी कार्य दिसम्बर, 93 तक पूरे हो जाएंगे।

(ग) अगले चरण में कम्प्यूटरीकृत आरक्षण सुविधा की व्यवस्था के लिए 12 स्टेशन चुने गए हैं। ये हैं मंगलौर, टाटानगर, ग्वालियर, इंदौर, लुधियाना, तिरुपति, बिलासपुर, विजयवाड़ा, रांची, जबलपुर, शिमला और चंडीगढ़।

उच्च शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति

[हिन्दी]

5201. श्री गया प्रसाद कोरी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष, उच्च शिक्षा के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा कुल कितनी छात्रवृत्तियां दी गईं;

(ख) प्रत्येक छात्रवृत्ति कितनी-कितनी राशि की थी; और

(ग) किन-किन विषयों के लिए छात्रवृत्तियां दी जाती हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) सूचना विवरण-1 में दी गई है।

(ग) सूचना विवरण-2 में दी गई है।

विवरण

क्रम सं०	योजनाओं के नाम	छात्रवृत्ति/वृत्तिका की दर	1989-90 के दौरान दी गई छात्रवृत्तियों की संख्या	1990-91	1991-92
1	2	3	4	5	6
1.	राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना	अध्ययन पाठ्यक्रम के अनुसार दिवा अध्येताओं के लिए प्रतिमाह 60 रु० से 120 रु० और छात्रावास के छात्रों के लिए प्रतिमाह 100 रु० से 300 रु०	33,000	38,000	38,000
2.	हिन्दी में उत्तर मैट्रिक अध्ययन के लिए अहिन्दी भाषी राज्यों के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की योजना	अध्ययन पाठ्यक्रम के अनुसार प्रतिमाह 50 रु० से 125 रु०	2,500	2,500	2,500
3.	अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति की योजना	अध्ययन पाठ्यक्रम के अनुसार दिवा अध्येताओं के लिए प्रतिमाह 65 रु० से 125 रु० तथा छात्रावास के छात्रों के लिए प्रतिमाह 115 रु० से 280 रु०	12,21,177	14,12,256	15,30,333 (प्रत्याशित)
4.	भारतीय चिकित्सा अनुसंधान शिक्षावृत्ति परिषद	(i) कनिष्ट अनुसंधान फेलो I तथा II वर्ष के लिए प्रतिमाह 1800/- रु० और III वर्ष के लिए प्रतिमाह 2,100/- रु०	323	262	195

1	2	3	4	5	6
		(ii) वरिष्ठ अनुसंधान फेलो I तथा II वर्ष के लिए प्रतिमाह 2400 रु० और III वर्ष के लिए प्रतिमाह 2500 रु० (iii) अनुसंधान सहयोगी* 1 वर्ष के लिए प्रतिमाह 2700-100-3200 रु०, II वर्ष के लिए प्रतिमाह 3200-100-3700 रु० और III वर्ष के लिए प्रतिमाह 3700-125-4325 रु० *अनुभवके अनुसार।			
5.	महा निदेशक स्वास्थ्य सेवा छात्रवृत्ति योजना	उत्तर एम०बी०बी०एस०/बी०डी०एस०/एम० एस०सी० पाठ्यक्रमों के लिए 850 रु० प्रतिमाह और उत्तर डाक्टरोल पाठ्यक्रमों के लिए प्रतिमाह 1000 रु०।	124	120	120
6.	स्नातक अध्ययन स्तर पर योग्यता व साधन छात्रवृत्ति	170 रु० प्रतिमाह	2000	2000	2000
	मास्टर शिक्षा स्तर पर अध्ययन के लिए कनिष्ठ शिक्षावृत्ति	3000 रु० प्रति वर्ष आकस्मिक अनुदान के साथ प्रतिमाह 1200 रु०	313	322	377
	डाक्टरोल अध्ययन स्तर पर वरिष्ठ शिक्षावृत्ति	5000 रु० प्रति वर्ष के आकस्मिक अनुदान के साथ प्रथम दो वर्ष के लिए प्रतिमाह 1800 रु० और अगले एक से डेढ़ वर्ष के लिए प्रतिमाह 2,100/- रु०	130	115	89

विदेश में अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति

क्रम सं०	योजना का नाम	छात्रवृत्ति/वृत्तिका की दर						1989 के दौरान दी गई छात्रवृत्ति की संख्या		
		अध्ययन का स्तर	अनुरक्षण भत्ते	आकस्मिक भत्ते	शिक्षा शुल्क	उपस्कर भत्ता	यात्रा भत्ता			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
								1989-90	1990-91	1991-92
1.	विदेश में अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति की योजना							37 (1990-91 से योजना बन्द कर दी गई थी)	00	00
	(यू०एस०ए० और अन्य देशों में	पी०एच०डी और मास्टर डिग्री	6000 अमरीकी डालर प्रति वर्ष	350 अमरीकी डालर प्रति वर्ष	पूर्ण	600 रु०	100 रु०			
		स्नातक डिग्री	5400 अमरीकी डालर प्रति वर्ष	350 अमरीकी डालर प्रति वर्ष	पूर्ण	600 रु०	100 रु०			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		उत्तर डाक्टरोल अनुसंधान	7000 अमरीकी डालर प्रति वर्ष	350 अमरीकी डालर प्रति वर्ष	पूर्ण	600 रु०	100 रु०	
	(यू०के० में)	उत्तर डाक्टरोल	5412 पौंड प्रति वर्ष	340 पौंड प्रति वर्ष	पूर्ण	600 रु०	100 रु०	
		पी०एच०डी० और एम०टेक०	4620 पौंड प्रति वर्ष	340 पौंड प्रति वर्ष	पूर्ण	600 रु०	100 रु०	
		बी०टेक	4152 पौंड प्रति वर्ष	340 पौंड प्रति वर्ष	पूर्ण	600 रु०	100 रु०	
2.	उच्च अध्ययन के लिए अनु० जाति/अनुसूचित जनजाति इत्यादि के छात्रों के लिए राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति योजना	पी०एच०डी० और मास्टर डिग्री	6000 अमरीकी डालर प्रति वर्ष (*)	350 अमरीकी डालर प्रति वर्ष	पूर्ण	1000 रु०	12 पौंड	25 25 30 (छात्रवृत्तियों को अन्तिम रूप देने के संबंध में कार्रवाई की जा रही है।
		उत्तर डाक्टरोल	7000 अमरीकी डालर प्रति वर्ष (*)	350 अमरीकी डालर प्रति वर्ष	पूर्ण	1000 रु०	12 पौंड	

(*) (सी०एन०ई० द्वारा 10% की वृद्धि अनुमोदित कर दी गई है। नियमों और विनियमों में परिवर्तन किए जा रहे हैं।)

भारत में अध्ययन के लिए विदेशी लोगों को छात्रवृत्तियां

क्रम सं०	योजनाओं के नाम	छात्रवृत्ति/वृत्तिका की दर	1989-90 के दौरान दी गई छात्रवृत्तियों की संख्या	1990-91	1991-92
1	2	3		4	
1.	सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम सामान्य सांस्कृतिक छात्रवृत्ति योजना, राष्ट्रमंडल छात्रवृत्तियों/शिक्षा वृत्तियों के अन्तर्गत विदेशी छात्रों की योजनाएं।	अध्ययन पाठ्यक्रम के अनुसार प्रतिमाह 1500 रु० से 2500 रु०। अध्ययन के पाठ्यक्रम के अनुसार प्रति वर्ष 3000 रु० से 7500 रु० तक का आकस्मिक अनुदान और 800 रु० प्रतिमाह उनको आवास किराया भत्ता, जिनको छात्रावास में स्थान नहीं मिला है।	469	570	589
	कोलम्बो प्लान छात्रवृत्ति योजना को तकनीकी सहयोग योजना।	श्रेणी (अधिकारी प्रशिक्षार्थी) 4000 रु० प्रति माह।			
		श्रेणी 2 (छात्र प्रशिक्षार्थी) 2000 रु० प्रति माह।			

विवरण II

क्रम सं०	योजनाओं के नाम	विषय
1	2	3
1.	राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना	(i) पूर्व विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम और आई० ए०/आई०एस० सी०/तृतीय वर्ष बी०ए०/बी०एस०सी०/बी० काम/इत्यादि पाठ्यक्रम का प्रथम वर्ष।
		(ii) बी०ए०/बी०एस०सी०/बी० काम/बी० पुरातत्व विज्ञान इत्यादि (द्वितीय तथा तृतीय वर्ष) पाठ्यक्रम।
		(iii) बी० ई०/बी० टेक/एम०बी०बी०एस०/एल०एल०बी०/बी०एड० डिप्लोमा व्यावसायिक और इंजीनियरी अध्ययन।
		(iv) होम्योपैथिक पाठ्यक्रम में डिग्री।
		(v) बी०डी०एस० पाठ्यक्रम।
		(vi) एम०ए०/एम०एस०सी०/एल०एल०एम०/एम०एड०/एम० बी०ए०।
		(vii) पर्यटन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा
		(viii) होटल प्रबन्ध पाठ्यक्रम में डिप्लोमा/होम्योपैथी में डिप्लोमा
		(ix) श्रम कल्याण में मास्टर
		(x) समाज कल्याण में मास्टर
		(xi) बैंकिंग में स्नातकोत्तर डिप्लोमा
		(xii) संगणक अनुप्रयोग पाठ्यक्रम स्नातकोत्तर
		(xiii) पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा
		(xiv) संचयक अनुप्रयोग में स्नातकोत्तर डिप्लोमा
		(xv) प्रबन्ध में स्नातकोत्तर पाठ्य कार्यक्रम
		(xvi) संचयक प्रबन्ध में स्नातकोत्तर डिप्लोमा

1	2	3
		(xvii) व्यक्तिक प्रबन्ध और औद्योगिक संबंध में मास्टर
		(xviii) आटोमोबाइल इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम
2.	हिन्दी में उत्तर-मैट्रिक अध्ययन के लिए अहिंदी भाषी राज्यों के छात्रों के लिए छात्र-वृत्ति योजना	(i) पूर्व विश्वविद्यालय, इंटरमीडिएट, तीन वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम का प्रथम वर्ष तथा समकक्ष पाठ्यक्रम
		(ii) बी०ए० (पास व आनर्स), तीन वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम का द्वितीय व तृतीय वर्ष।
		(iii) एम०ए० एमलिट व समकक्ष पाठ्यक्रम तथा हिंदी अध्यापक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम।
		(iv) पी०एच०डी०
		वर्ग ख
3.	अनु० जा० व अ० जनजाति छात्रों के लिए उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति की योजना	1. मेडिकल/इंजीनियरी
		2. बी०एस०सी०(कृषि)/बी०वी० एस०सी०/बी०एफ०एस० सी० (मत्स्य-विषयक)
		3. कृषि व पशु चिकित्सा विज्ञान में डिग्री व स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम जैसे उच्च तकनीकी व सभी व्यावसायिक अध्ययन।
		वर्ग ख
		1. भारतीय चिकित्सा बी० ए० एम० व एस० में डिग्री व डिप्लोमा स्तर के पाठ्यक्रम तथा आयुर्वेदिक युनानी/तिब्बिया व चिकित्सा की होम्योपैथी पद्धति में तुलनात्मक पाठ्यक्रम।
		2. इंजीनियरी, प्रौद्योगिकी, वास्तुशिल्प, चिकित्सा में डिप्लोमा व तुलनात्मक पाठ्यक्रम, मुद्रण प्रौद्योगिक में डिप्लोमा स्तर के पाठ्यक्रम तथा विदेशी ड्राफ्टमैन, सर्वेक्षण के लिए पाठ्यक्रम।

1	2	3

3. व्यावसायिक पायलट लाइसेंस, होटल प्रबन्ध, भोजन प्रबंध प्रौद्योगिकी व प्रायोगिक पोषण में डिप्लोमा व उच्चतर पाठ्यक्रम।

4. नर्सिंग व फार्मेसी में डिग्री व स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम।

5. वायरलैस व दूरदर्शन आपरेटर, ध्वनि रिकार्डिंग व ध्वनि इंजीनियरी चलचित्र फोटोग्राफी फिल्म निर्देशन फिल्म संपादन फिल्म अभिनय स्क्रीन प्ले, लेखन।

6. व्यापार प्रशासन, श्रम प्रबन्ध, सनदी लेखाकार व कास्ट/वर्क्स लेखा कार्य डिग्री स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम।

7. विज्ञान विषय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम।

वर्ग ग

1. इंजीनियरी प्रौद्योगिकी, वास्तुशिल्प व चिकित्सा में प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम।

2. कृषि, फार्मेसी, पशु चिकित्सा विज्ञान, भारतीय मत्स्य, डेयरी विकास, स्वास्थ्य व लोक स्वास्थ्य, सफाई निरीक्षक पाठ्यक्रम में डिप्लोमा व प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम, ग्रामीण सेवाओं के लिए पाठ्यक्रम।

3. सहयोग व सामुदायिक विकास, राष्ट्रीय अग्नि शमन सेवा कालेज, नागपुर, पुस्तकालय विज्ञान में उप-अधिकारी पाठ्यक्रम।

4. अध्यापक प्रशिक्षण, पुस्तकालय विज्ञान, शारीरिक शिक्षा, संगीत, ललितकला व विधि में डिग्री/स्नातकोत्तर डिप्लोमा व स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम, क्राफ्ट निर्देशक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम बेटल प्रबंध, भोजन प्रबंध प्रौद्योगिकी तथा प्रयुक्त पोषण, यात्री यातायात प्रबन्ध में प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम फार्मेसी में सहयोगी डिग्री।

5. कला व वाणिज्य विषयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम।

वर्ग घ

1. स्नातक स्तर तक सामान्य पाठ्यक्रम।
(दूसरा वर्ष व उससे आगे)

1	2	3
		वर्ष । 1. 10+2 पद्धति इंटरमीडियेट पाठ्यक्रमों में कक्षा XI व XII, तथा स्नातक स्तर तक सामान्य पाठ्यक्रमों का प्रथम वर्ष ।
4. भारतीय चिकित्सा अनुसंधान अध्येतावृत्ति परिषद		दुर्घटनाएं, विकलांगता व पुनर्स्थापना, एलर्जी, शरीर रचना विज्ञान संज्ञाहीनता, नृविज्ञान, जैव रसायन हृदय संबंधी रोग, सेल्यूलर व मोलेकयूलर जीव विज्ञान, हैजा व अन्य बीमारियां, संक्रामक रोग, गर्भ निरोध इंडोक्रिनोलोजी; पर्यावरण स्वास्थ्य व व्यावसायिक स्वास्थ्य, साइटोलाजी, प्रयोगात्मक चिकित्सा व शल्य चिकित्सा, फाइलेरिया, गेस्ट्रोएनट्रोलोजी, रुधिरविज्ञान, स्वास्थ्य, सेवा, शोध मानव अनुवांशिकी, इम्मोनोलोजी, काला अजर कुष्ठ रोग, मलेरिया, मातृक व बाल स्वास्थ्य, आयुविज्ञान पीधे, मानसिक स्वास्थ्य, मेडिकल सांख्यिकीय, सूक्ष्मजीव विज्ञान, तंत्रिका विज्ञान, नाभिकीक चिकित्सा, पोषण, ओन्कोलोजी, नेत्र विज्ञान, विकलांग विज्ञान, ओटोरहीनोलरींगलोजी विकृति विज्ञान, औषध शास्त्र, शरीर विज्ञान रेडियोलोजी. व रेडियोथेरेपी, परम्परागत चिकित्सा, तपैदिक व छाती सम्बन्धी बीमारियां रोग-वाहक जीव-विज्ञान व नियन्त्रण यौन रोग, वायरस बीमारियां ।
5. महानिदेशक स्वास्थ्य सेवा छात्रवृत्ति योजना ।		स्नातकोत्तर-एम०बी०बी०एस०/बी०डी० एस०/एम० एस० सी० पाठ्यक्रम
		1. सामाजिक चिकित्सा, पोषण व आहार विज्ञान चिकित्सा अर्थशास्त्र, खेल चिकित्सा, जर चिकित्सा, मेडिकल अनुवंशिकी, दुर्घटना आपातकालीन चिकित्सा, नाभिकीय चिकित्सा, एविऐशन मेडिसन मातृक व बाल स्वास्थ्य ट्रोपिकल चिकित्सा, प्रयोगात्मक चिकित्सा, यौन सम्बन्धों से होने वाले रोग, कुष्ठ, शारीरिक चिकित्सा व पुनर्वास स्वास्थ्य प्रशासन, औद्योगिक स्वास्थ्य में डिप्लोमा, बायोसांख्यिकीय व संगणक चिकित्सा में डिप्लोमा, स्वास्थ्य शिक्षा में डिप्लोमा प्रतिरक्षण

1	2	3
		एवं एलर्जी विज्ञान में डिप्लोमा, मरक विज्ञान में डिप्लोमा, क्लीनिक फार्मोकोलोजी, क्लीनिकल साइटोलोजी, चिकित्सीय सांख्यिकीय, परिवार कल्याण, क्लीनिकल, मेडिकल मनोविज्ञान, मेडिकल मानव विज्ञान, मेडिकल/मनोवैज्ञानिक सामाजिक कार्य, रुधिर विज्ञान/ब्लड बैंक, रेडियोलोजी, तपेदिक व श्वास रोग, दंत विषय-एम०डी०एस० निरोधक व सामाजिक चिकित्सा, लोक स्वास्थ्य, मेडिकल रिकार्ड सहित अस्पताल प्रशासन, पैथोलोजी, सामुदायिक स्वास्थ्य, शरीर रचना विज्ञान, जैव-रसायन, जैव भौतिकी, अपराध विज्ञान व न्यायिक चिकित्सा, शरीर विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान/जीवाणु विज्ञान। **उत्तर-डाक्टरल पाठ्यक्रम** बायो-सांख्यिकीय, मेडिकल शिक्षा, क्लीनिकल रुधिकर विज्ञान, ओलकोलोजी (चिकित्सा) ओमकोलोजी (शल्य चिकित्सा), क्लीनिकल फार्मेकालोजी व चिकित्सा विज्ञान, एंड्राकिनोलोजी, बाल शल्य चिकित्सा, अनुवंशिकी शल्य-चिकित्सा।
6. स्नातक स्तर पर योग्यता व साधन छात्रवृत्ति		कृषि व सम्बद्ध विज्ञान।
स्नातकोत्तर स्तर शिक्षा पर अध्ययन के लिए जूनियर अध्येतावृत्ति		यह अध्येतावृत्ति, पशु विज्ञान, गृह विज्ञान, मत्स्य, कृषि इंजीनियरी व कृषि से सम्बन्धित बुनियादी विज्ञान सहित कृषि व सम्बद्ध विज्ञानों के 39 क्षेत्रों में दी जाती है।
डाक्टरान स्तर पर अध्ययन के लिए सीनियर अध्येतावृत्ति		यह अध्येतावृत्ति पशु विज्ञान, गृह विज्ञान, मत्स्य, कृषि इंजीनियरी व कृषि से सम्बन्धित बुनियादी विज्ञान सहित कृषि व सम्बद्ध विज्ञान के 31 क्षेत्रों में दी जाती है।

क्रम सं०	योजना का नाम	विषय
1	2	3
1.	विदेश में अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति योजना।	1. मुद्रण प्रौद्योगिकी में स्नातक डिग्री।

1	2	3
		2. पी०एच०डी० करने के लिए स्नातकोत्तर अध्ययन। 3. नौसेना वास्तुशिल्प में स्नातकोत्तर डिग्री। 4. 1990-91 के दौरान उत्तर डाक्टरल शोध/विशिष्ट प्रशिक्षण स्नातकोत्तर डिग्री करने के लिए छात्रवृत्ति हेतु निम्नलिखित विषय भी शामिल किए थे। (i) स्वचलन व रोबोटिक्स। (ii) विश्वसनीयता इंजीनियरी। (iii) लेजर प्रौद्योगिकी।
2. उच्च शिक्षा के लिए अनु० जा०/अनु०ज०जा० छात्रों के लिए राष्ट्रीय विदेशी छात्र वृत्ति योजना।		1. इंजीनियरी, प्रौद्योगिकी व विज्ञान।
भारत में अध्ययन हेतु विदेशियों के लिए छात्रवृत्ति		
1. सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम, सामान्य सांस्कृतिक छात्रवृत्ति योजना, राष्ट्रमंडल छात्रवृत्ति/ अध्येतावृत्ति, तथा कोलम्बो योजना छात्रवृत्ति योजना की तकनीकी सहयोग योजना के अन्तर्गत विदेशी छात्रों के लिए योजना।		नृत्य, संगीत, ललित कला आदि में पाठ्यक्रमों सहित बी० ए०, बी०एस०सी०, एम०ए०, एम०एस०सी०, एम० काम, बी०ई०, एम०बी०बी०एस०, बी०डी०एस० बी० फार्म०, बी०एस०सी०, (कृषि), बी०बी०एस०सी०, एम० डी० पी०एच०डी०, डिप्लोमा/प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम आदि।

चित्तरंजन रेल इंजन कारखाने में डीजल इंजन का निर्माण

[अनुवाद]

5202. श्री तरित बरण तोपदार : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने चित्तरंजन रेल इंजन कारखाने में डीजल इंजन के निर्माण कार्य को बन्द करने का निर्णय लिया है;

(ख) क्या इससे 700 कामगार फालतू हो जाएंगे और

(ग) यदि हां, तो इन श्रमिकों को खपाने हेतु प्रस्तावित विकल्प क्या है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) कोई भी कर्मचारी फालतू नहीं होगा क्योंकि निर्मुक्त हुए कर्मचारियों का बिजली रेल इंजनों का उत्पादन बढ़ाने के लिए उपयुक्त ढंग से उपयोग किया जाएगा ।

शोध शिक्षावृत्ति के लिए चुने गए छात्र

[हिन्दी]

5203. श्री भगवान शंकर रावत : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा शोध शिक्षावृत्ति के लिए ली गई प्रतियोगी परीक्षाओं में राज्यवार कितने उम्मीदवार बैठे; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान इन परीक्षाओं में राज्य-वार कितने उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

वापी (पश्चिम रेलवे) के निकट पुल

[अनुवाद]

5204. श्री प्रभु दयाल कठेरिया :
श्री छोटूभाई गामीत :
श्री काशीराम राणा :
श्रीमती भावना चिखलिया :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम रेलवे में वापी स्टेशन पर एक उपरपुल का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) वापी के निकट समपार सं० 80 के बदले ऊपरी सड़क पुल का निर्माण रेलवे के 1992-93 के निर्माण कार्यक्रम का अनुमोदित कार्य है जिस पर 171.60 लाख रुपये (रेलों का हिस्सा) की लागत का आने का अनुमान है । स्वीकृति हेतु विस्तृत अनुमान की प्रतीक्षा की जा रही है ।

त्रिपुरा में आदिवासी महिलाओं के साथ छेड़खानी

5205. प्रो० मालिनी भट्टाचार्य : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय महिला आयोग ने आदिवासी महिलाओं के बलात्कार तथा छेड़खानी के मामलों की जांच के लिए हाल ही में त्रिपुरा की यात्रा की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या आयोग ने अपनी रिपोर्ट दे दी है; और

(ग) यदि हां, तो रिपोर्ट का निष्कर्ष क्या रहा ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य और खेल कूद विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी) : (क) आदिवासी महिलाओं से बलात्कार और छेड़खानी के आरोपों की जांच करने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्यों ने त्रिपुरा का दौरा किया है।

(ख) और (ग) इस मामले से सम्बन्धित रिपोर्ट को अन्तिम रूप दिए जाने की कार्यवाही की जा रही है।

वन भूमि को नियमित करना

5206. श्री थाइल जॉन अंजलोज : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकारों, विशेष रूप से केरल सरकार से इस आशय का कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है कि वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अधिनियमित होने से पूर्व कब्जे में ले ली गई वन भूमि को नियमित किया जाए;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत केरल सरकार से केरल के पांच जिलों में वन भूमि पर 1-1-1977 से पहले के अवैध कब्जों को विनियमित करने के लिए 28588.159 हैक्टेयर आरक्षित वन को उपयोग में लाने के लिए एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

(ग) केरल राज्य सरकार से 2-4-1992 को कुछ अनिवार्य सूचना मांगी गई थी, जो अभी प्राप्त होनी है।

बेतवा नदी में प्रदूषण के निवारण की योजना

[हिन्दी]

5207. श्रीमती सुमित्रा महाजन : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बेतवा नदी को प्रदूषण-मुक्त बनाने के लिए कोई योजना प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, हां।

(ख) स्कीम का सम्बन्ध, मंडीदीप और विदिशा में औद्योगिक प्रदूषण के नियन्त्रण तथा विदिशा, रायसेन, गंगबसोड़ा और कुरवई में घरेलू प्रदूषण से है।

(ग) इस नदी के प्रदूषित भाग केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा अभिनिर्धारित अत्याधित प्रदूषित नदी भागों के भीतर नहीं आते हैं। अतः इसे प्रस्तावित राष्ट्रीय नदी कार्य योजना में शामिल नहीं किया गया है।

रेलवे पूछताछ टेलीफोन

[अनुवाद]

5208. श्री राजेश कुमार : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे के पूछताछ विभाग का टेलीफोन हमेशा व्यस्त रहता/या व्यस्त रखा जाता है जिससे यात्रियों की प्रतीक्षा सूची की अद्यतन स्थिति की जानकारी प्राप्त करने से वंचित रखा जाता है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में यात्रियों को होने वाली कठिनाई को दूर करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है;

(ग) क्या दिल्ली में आरक्षण काउन्टरों पर भीड़ कम करने के लिए और भी केन्द्र खोलने का कोई विचार है;

(घ) यदि हां, तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसका कारण क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) महत्वपूर्ण रेलवे आरक्षण कार्यालयों में टेलीफोनों पर बहुत बड़ी संख्या में आरक्षण सम्बन्धी पूछताछ की जाती है जिसके परिणामस्वरूप इस प्रयोजन के लिए सुलभ कराए गए टेलीफोनों का अत्यधिक उपयोग होता है। जहां कहीं औचित्य बनता है वहां अतिरिक्त टेलीफोनों की व्यवस्था करने के उपाय किए जाते हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। नया आजादपुर और गाजियाबाद में दो और कम्प्यूटरीकृत आरक्षण केन्द्र खोले जाने का प्रस्ताव है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

पलवल केन्द्रीय विद्यालय के लिए भवन

5209. **श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पलवल स्थित केन्द्रीय विद्यालय वर्ष 1986 से किराये के भवन में चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो अब तक कुल कितना किराया दिया गया है;

(ग) क्या सरकार का इस केन्द्रीय के लिए पलवल के निकट देवली में ग्राम पंचायत द्वारा दान की गई जमीन पर एक पक्का भवन बनाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो इसमें देरी किए जाने के क्या कारण हैं और पक्का भवन कब तक बनकर तैयार होगा ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) जी, हां । अस्थाई आवास के लिए 31-7-92 तक किराए के रूप में भुगतान की गई राशि 2,55,939/- रु० है जिसमें किराए के लिए लिखे गए दस्तावेज का खर्च भी शामिल है।

(ग) और (घ) केन्द्रीय विद्यालय संगठन की भूमि के हस्ताक्षर के पश्चात् ही संगठन द्वारा स्कूल भवन का निर्माण शुरू किया जा सकता है।

कोयले की कम सप्लाई के दावे

[हिन्दी]

5210. **श्री अवतार सिंह भडाना** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1991-92 के दौरान कोयले की कम सप्लाई के संबंध में रेलवे के विरुद्ध कितने दावे किए गए;

(ख) इन दावों को निपटाने में कितना समय लगा और दावेदारों को कितनी धनराशि दी गई; और

(ग) जून, 1992 के अन्त तक ऐसे कितने दावे विचाराधीन थे और इन दावो को तत्काल निपटाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) 532 मामले ।

(ख) एक मामले को निपटाने में औसतन 34 दिन लगे थे । इस अवधि के दौरान दावाकर्ताओं को कुल 17.29 लाख रु० का भुगतान किया गया था।

(ग) जून, 1992 को 35 मामले । दावा सम्बन्धी मामलों के निपटान में विलम्ब का मुख्य कारण मूल दस्तावेजों का विलम्ब से प्रस्तुत किया जाना है । अत: दावों के शीघ्र निपटान के लिए दावाकर्ताओं से इन्हें जल्दी प्राप्त करने के सदैव प्रयास किए जाते हैं।

मेहसाना (गुजरात में) अन्डर-ब्रिज

[अनुवाद]

5211. डा० ए० के० पटेल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के मेहसाना (पश्चिम रेलवे) में एक रेल अन्डर ब्रिज के निर्माण का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त पुल के निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) नगरपालिका प्राधिकारियों के अनुरोध पर मेहसाना में मौजूदा निचले पुल को निक्षेप शर्तों पर 72 लाख रुपए की प्रत्याशित लागत पर चौड़ा किया जा रहा है। लागत का एक हिस्सा जुलाई, 1992 में नगरपालिका द्वारा जमा करा दिया गया है। निविदा पत्र और नक्शे तैयार करने का कार्य शुरू कर दिया गया है।

दुर्घटना के दावे

5212. श्री अनन्तराव देशमुख :
श्री मोहन रावले :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान, रेलवे दावा अधिकरण के पास दुर्घटना प्रतिपूर्ति के कितने दावे पेश किए गए तथा इनमें से कितने मामले निपटाए गए;

(ख) इन मामलों को निपटाने में औसतन कितना समय लिया गया;

(ग) उपर्युक्त अवधि के दौरान कुल कितनी मुआवजा-राशि का भुगतान किया गया;

(घ) क्या रेल यात्रियों की सुरक्षा के लिए एक अलग बीमे की व्यवस्था करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान दुर्घटना मुआवजा दावों के 1839 मामले दायर किए गए और रेल दावा अधिकरण द्वारा 1284 मामले निपटाए गए।

(ख) एक मामले को निपटाने में लगा औसत समय लगभग 9 माह है।

(ग) उक्त अवधि के दौरान मुआवजे के रूप में 261.16 लाख रुपए की राशि का भुगतान किया गया।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

परिवार नियोजन कार्यक्रमों हेतु स्वयंसेवी संगठनों को अनुदान

[हिन्दी]

5213. डा० लालबहादुर रावल :
श्री ललित उराव :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में और चालू वर्ष के दौरान प्रत्येक राज्य में सरकार ने परिवार नियोजन कार्यक्रमों हेतु किन-किन स्वयंसेवी संगठनों को सहायता अनुदान दिया है;

(ख) राज्यवार प्रत्येक संगठन को कितनी धनराशि दी गई है;

(ग) क्या सरकार इस अनुदान के उचित उपयोग पर निगरानी रखती है;

(घ) यदि हां, तो इस बारे में किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार को अनुदान राशियों के उपयोग में किसी अनियमितता और दुरुपयोग का पता चला है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

व्हील और एक्सिल कारखाना, यलहंका

5214. श्री सत्यदेव सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यलहंका (बंगलौर) स्थित व्हील और एक्सिल कारखाने में उत्पादन बढ़ाने की कोई योजना बनायी है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की रूपरेखा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए इस कारखाने के श्रमिकों को प्रोत्साहन देने की कोई योजना बनायी है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या यह कारखाना एक्सिल और व्हील के निर्माण की दिशा में देश को आत्मनिर्भर बना रहा है; और

(च) गत तीन वर्षों के दौरान व्हील सैटों का आयात न करने के कारण कुल कितनी विदेशी मुद्रा की बचत की गयी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) लगभग 31 करोड़ रुपये की लागत से, प्रति वर्ष 77,000 पहियों के वर्तमान लक्ष्य को बढ़ा करके 95,000 पहिया करने की उत्पादन योजना बनाई गई है। इस कार्य को 1989-90 के निर्माण-कार्यक्रम में शामिल किया गया था।

(ग) और (घ) जी, हां। उत्पादकता सम्बद्ध सामूहिक किस्म की प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है।

(ङ) जी, हां।

(च) 211.71 करोड़ रुपये।

तटीय विनियमों सम्बन्धी समिति

5215. श्री मृत्युंजय नायक :
श्री बारे लाल जाटव :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तटीय क्षेत्रों में पर्यटन तथा होटल सुविधाएं प्रदान करने सम्बन्धी वर्तमान विनियमों तथा मानदण्डों की समीक्षा करने हेतु गठित की गई समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, नहीं। समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को अभी तक प्रस्तुत नहीं की है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

फाफामऊ जंक्शन

5216. श्री राम पूजन पटेल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें फाफामऊ जंक्शन के विस्तार करने और फाटामऊ स्टेशन पर गंगा-गोमती अन्तर्नगरीय (इलाहाबाद-लखनऊ) ट्रेन को रोकने के सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलमंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) सम्हाले जाने वाले यातायात की मात्रा और धनराशि की उपलब्धता के आधार पर, रेलवे स्टेशन के विस्तार के बारे में विचार किया जाता है। फाफामऊ की स्टेशन इमारत अच्छी हालत में है और वहां दो प्रतीक्षालयों, पर्याप्त संख्या में बेंचों, पर्याप्त संख्या में पीने के पानी के नलों, बिजली की बत्तियों और पंखों, प्लेटफार्म पर सायबान और महिलाओं तथा पुरुषों के लिए शौचालयों की व्यवस्था है। इस स्टेशन पर उपलब्ध सुविधाएं यातायात के वर्तमान स्तर के लिए पर्याप्त समझी जाती हैं। फाफामऊ में गंगा-गोमती एक्सप्रेस के ठहराव का औचित्य नहीं बनता है।

बीजों के हवाई छिड़काव पर व्यय

5217. **श्री बारे लाल जाटव** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष राज्यवार विशेषकर चम्बल क्षेत्र में वनरोपण कार्यक्रम के बीजों के हवाई छिड़काव पर कितनी धनराशि खर्च की गई ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : वनीकरण के प्रयोजनार्थ हवाई बीज छिड़काव पिछले तीन वर्षों में आन्ध्र प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु तथा पश्चिम बंगाल राज्यों में किया गया है। इसमें मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्यों का चम्बल क्षेत्र भी शामिल है। पिछले तीन वर्षों के दौरान हवाई बीज छिड़काव पर हुए राज्य-वार व्यय का ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

विवरण

वर्ष 1989-90 से 1991-92 तक हवाई बीज छिड़काव पर हुआ राज्य-वार व्यय

व्यय (लाख रुपयों में)

क्रमसं०	राज्य	1989-90	1990-91	1991-92
1.	आन्ध्र प्रदेश	47.50	12.00	—
2.	हरियाणा	2.00	4.50	—
3.	कर्नाटक	3.25	18.49	—
4.	मध्य प्रदेश	19.50	46.84	21.15
5.	राजस्थान	—	19.75	11.64
6.	तमिलनाडु	74.95	104.65	118.50
7.	पश्चिम बंगाल	5.37	9.19	8.71

सफेदा के वृक्ष लगाना

[अनुवाद]

5218. **श्री श्याम लाल कमल** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सफेदा के वनों से भूमिगत जल का स्तर कम हो जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार सफेदा के वृक्ष लगाने पर प्रतिबन्ध लगाने का है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

अलेप्पी-कायमकुलम के बीच रेल लाइन

5219. **श्री के० पी० उन्नीकृष्णन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान समाचार पत्रों में प्रकाशित इन समाचारों की ओर दिलाया गया है कि दक्षिण रेलवे में अलेप्पी-कायमकुलम के बीच नई बड़ी लाइन पर गम्भीर त्रुटियां पाई गई हैं;

(ख) क्या हाल ही में इस रेल लाइन के कुछ हिस्से में पटरी खिसकी हुई पाई गई है; और

(ग) यदि हां, तो इस रेल पटरी को सुस्थापित करने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) तटबन्ध के निर्माण के दौरान उपयुक्त उपचारात्मक उपाय किए गए थे। तटबन्ध का कार्य पूरा कर लिया गया है और रेलपथ को जोड़ दिया गया है।

मन्दिरों और मस्जिदों का रख-रखाव

[हिन्दी]

5220. **आचार्य विश्वनाथ दास शास्त्री** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय महत्व के भवनों, मन्दिरों और मस्जिदों पर

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा कितनी धनराशि खर्च की गई और आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए इस परियोजनार्थ कितनी राशि प्रदान की गई है; और

(ख) मथुरा, वृन्दावन, काशी, दिल्ली, पुरी, आगरा और अयोध्या स्थित ऐतिहासिक भवनों, मन्दिरों और मस्जिदों के रख-रखाव पर खर्च धनराशि का ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) सातवीं योजनावधि से दौरान प्लान के अंतर्गत केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों/स्थलों के संरक्षण पर हुआ व्यय 1442.21 लाख रुपया है। आठवीं योजनावधि के लिए प्रस्तावित आवंटन 3200.00 लाख रु० का है।

(ख) 1991-92 के दौरान निम्नलिखित क्षेत्रों में स्थित केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों स्थलों के रख-रखाव और संरचनात्मक सरक्षण पर हुआ व्यय इस प्रकार है :—

(i) मथुरा	1,15,916 रुपए
(ii) वृन्दावन	1,20,754 रुपए
(iii) काशी	6,81,890 रुपए
(iv) दिल्ली	115,69,666 रुपए
(v) पुरी	5,58,479 रुपए
(vi) आगरा	36,01,686 रुपए
(vii) अयोध्या	शून्य

गुजरात के स्वयंसेवी संगठनों को सहायता अनुदान

5221. श्री फाशीराम राणा : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में सांस्कृतिक विभाग द्वारा किसी भी स्वयंसेवी संगठन को लगातार सहायता अनुदान नहीं दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान ऐसे कितने आवेदन प्राप्त हुए और केन्द्र सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी, नहीं। दर्पण प्रदर्शन कला अकादमी, अहमदाबाद तथा कदंब नृत्य और संगीत केन्द्र नामक दो स्वैच्छिक संगठनों को उनके कलाकारों के वेतन के लिए पिछले कुछ वर्षों से आवर्ती आधार पर अनुदान दिए गए हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) कोई नहीं ।

रेल इंजन के पहियों का उत्पादन

[अनुवाद]

5222. **श्री सुबास चन्द्र नायक** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं योजना के दौरान डीजल/विद्युत रेल इंजन के पहियों के उत्पादन हेतु रखा गया लक्ष्य क्या है;

(ख) क्या पहियों की मांग तथा उत्पादन में भारी अन्तर है;

(ग) यदि हां, तो मांग तथा उत्पादन के बीच अन्तर को पूरा करने हेतु आठवीं योजना में क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या निजी क्षेत्र के कुछ उपक्रम व्हील एंड एक्सल प्लांट स्थापित करने के इच्छुक हैं;

(ङ) यदि हां, तो सरकार को विचाराधीन ऐसे प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(च) इन प्रस्तावों को स्वीकृति देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) रैलवे क्षेत्र में कोई नहीं ।

(ख) चूंकि इस समय रेल इंजनों के पहियों का कोई स्वदेशी निर्माता नहीं है इसलिए समूची आवश्यकताएं आयात के जरिए पूरी की जाती हैं।

(ग) रेल इंजनों के पहियों की मांग और उपलब्धता में अन्तर को पूरा करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं :

1. पहियों का उत्पादन बढ़ाने के लिए दुर्गापुर इस्पात संयंत्र का आधुनिकीकरण ।

2. निजी क्षेत्र में रेल इंजनों और अन्य पहियों के लिए पहिया निर्माण की नयी सुविधाओं की स्थापना ।

(घ) जी, हां ।

(ङ) और (च) रेल इंजनों के पहियों के स्वदेशी निर्माण के विकास में सहायता की दृष्टि से 1992 के फरवरी महीने में रेल इंजनों के पहियों की खरीद के लिए निविदा का विज्ञापन जारी किया गया था। इस निविदा के अन्तर्गत बहुत सी पार्टियों ने अपने प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे जो 15-7-1992 को खोले गए थे।

अनाधिकृत रूप से पेड़ों की कटाई और जंगल की आग के कारण नुकसान

5223. श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान अनाधिकृत रूप से पेड़ों की कटाई और जंगल में लगने वाली आग के कारण राज्यों को राज्यवार कुल कितना नुकसान हुआ है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : राज्य सरकारों से सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

राजस्थान में कोच फैक्ट्री

[हिन्दी]

5224. प्रो० रासा सिंह रावत : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राजस्थान में निकट भविष्य में एक बड़ी कोच फैक्ट्री स्थापित करने का है ताकि राज्य में बड़ी लाइन की आवश्यकता को पूरा किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके लिए कितनी धनराशि नियत की गई है;

(ग) क्या सरकार का विचार बड़ी लाइन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अजमेर की वर्तमान लोको और कैरिज फैक्ट्रियों का विस्तार करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

मुक्त विश्वविद्यालय

5225. श्री विजय कुमार यादव : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मुक्त विश्वविद्यालयों की उपलब्धियों की समीक्षा की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

पृथ्वी सम्मेलन में विकासशील देश और विश्व परिवर्तन संबंधी आयोग की रिपोर्ट

[अनुवाद]

5226. श्रीमती बिमू कुमारी देवी :
श्री अरुण कुमार पटेल :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विकासशील देश और विश्व परिवर्तन संबंधी आयोग ने हाल ही में रियो में आयोजित पर्यावरण सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में "फॉर अर्थ् स सेक" (पृथ्वी के लिए) शीर्षक से अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी;

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या-क्या मुख्य टिप्पणियां की गई हैं और सुझाव दिए गए हैं; और

(ग) इस पर विकसित देशों की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) विकासशील देश और विश्व-व्यापी परिवर्तन सम्बन्धी आयोग की "फार अर्थ् स सेक (पृथ्वी के लिए) शीर्षक से कोई रिपोर्ट ध्यान में नहीं आई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

मानसिक रूप से अविकसित बच्चों के लिए अस्पताल/केन्द्र

5227. श्री बापू हरि चौरे : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में मानसिक रूप से अविकसित बच्चों की चिकित्सा हेतु इस समय कितने अस्पताल/केन्द्र हैं;

(ख) इस समय विभिन्न राज्यों में ऐसे बच्चों की अनुमानित संख्या कितनी है;

(ग) क्या इन बच्चों के लिए और अस्पतालों/केन्द्रों की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारा देवी सिद्धार्थ) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

भारत भवन न्यास

5228. श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा वर्ष 1992 में भारत भवन न्यास के सांस्कृतिक केन्द्र हेतु कितनी धनराशि का योगदान किया गया;

(ख) क्या सरकार द्वारा उक्त न्यास में प्रतिनिधि नामांकित किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या उक्त प्रतिनिधियों को वर्ष 1991-92 में उपरोक्त न्यास की कार्यवाहियों में भाग लेने हेतु बुलाया गया था; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) भारत भवन न्यास, भोपाल को 1992 के दौरान संस्कृति विभाग द्वारा कोई अनुदान जारी अथवा संस्वीकृत नहीं किया गया ।

(ख) भारत सरकार ने उक्त न्यास में नवम्बर, 1987 से श्रीमती पुपुल जयकर को अपने प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया था । तथापि, वह अब त्यागपत्र दे चुकी हैं ।

(ग) और (घ) इस विभाग में न्यास की किसी भी बैठक में भाग लेने के लिए भारत सरकार के किसी प्रतिनिधि को आमन्त्रित किए जाने का कोई रिकार्ड नहीं है ।

स्व-वित्तपोषित उच्च शिक्षा नीति

5229. श्री शंकर सिंह बाघेला : क्या मानव ससाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का स्व-वित्त पोषित उच्च शिक्षा नीति अपनाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का गरीब और मध्यम वर्ग के प्रतिभाशाली छात्रों को अपनी पढ़ाई के लिए बैंकों से आसान शर्तों पर ऋण की व्यवस्था करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस नीति में छात्राओं की फीस में रियायत सम्बन्धी कोई प्रावधान है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) संसाधनों में वृद्धि करके शिक्षा के वित्त पोषण के बारे में सरकार की नीति का उल्लेख राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 (रा०शि०नी०) में किया गया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ शिक्षा शुल्क में वृद्धि करना, सुविधाओं का प्रभावी प्रयोग, चन्दे जुटाना, प्रयोक्ता एजेंसियों पर उपकर (सैस) अथवा प्रभार लगाना आदि शामिल हैं ।

(ग) और (घ) वाणिज्यिक बैंक, उन छात्रों को, जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की शर्तों के अधीन, प्रमाण पत्र/डिप्लोमा/स्नातक/स्नातकोत्तर में से किसी भी प्रकार के पाठ्यक्रमों को आरम्भ करने के इच्छुक हों, शैक्षिक-ऋण" पद्धति के अन्तर्गत, आवश्यकता आधारित वित्त पहले ही उपलब्ध करा रहे हैं।

(ङ) और (च) प्रारम्भिक शिक्षा, सभी सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में निःशुल्क हैं। अधिकांश राज्यों में सभी सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में लड़कियों के लिए माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क है।

नई इन्दौर-दाहोद रेल लाइन

[हिन्दी]

5230. **श्री सूरज भानु सोलंकी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्दौर-दाहोद रेल लाइन एक स्वीकृत परियोजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस परियोजना पर अब तक कितना कार्य हुआ है तथा समय पर इसे पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) इन्दौर-दाहोद सरदारपुर, धार और झबुआ के रास्ते गोधरा-दाहोद-इन्दौर और देवास और मक्सी (316 कि०मी०) के बीच नई लाइन परियोजना का भाग है जिसे 297.14 करोड़ रु० की अनुमानित लागत पर 1989-90 के लिए रेल बजट में अनुमोदित और शामिल किया गया था। वर्ष 1992-93 के दौरान एक करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है। देवास-मक्सी खंड पर कार्य प्रगति पर है और यह प्रगति 19.5 प्रतिशत है। कार्य की आगे प्रति आगामी वर्षों में धन की उपलब्धता पर निर्भर करेगी।

डीघा-तामलुक रेल लाइन

[अनुवाद]

5231. **श्री सुधीर गिरि** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण-पूर्व रेलवे के अन्तर्गत मिदनापुर जिले में डीघा से तामलुक तक की नई रेल लाइन के निर्माण कार्य का जून, 1992 में प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस पर अब तक कुल कितनी राशि व्यय हो गई है;

(ग) क्या निर्माण कार्य में कोई बाधा आई है;

(घ) क्या रेल लाइन के लिए अपेक्षित भूमि को पूरा अधिग्रहीत कर लिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जून, 1992 तक समग्र प्रगति 12.25 प्रतिशत ।

(ख) जून, 1992 तक 17.64 करोड़ रुपए ।

(ग) जी हां, संसाधनों की तंगी ।

(घ) जी, नहीं ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

विजयवाड़ा में विज्ञान संग्रहालय

5232. **श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश में विज्ञान संग्रहालय/केन्द्र स्थापित करने हेतु अभ्यावेदन मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी गई है; और

(ग) यदि हां, तो यह संग्रहालय कब तक स्थापित हो जाएगा ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) संस्कृति विभाग के अधीन एक स्वायत्त संगठन, राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद, कलकत्ता को आंध्र प्रदेश सरकार की एक संस्था-आंध्र प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद विजयवाड़ा में एक विज्ञान केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ था ।

(ख) राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद के शासी निकाय द्वारा प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया गया है ।

(ग) सामान्यतः केन्द्र 18 माह की अवधि के भीतर स्थापित किया जा सकता है ।

महाराष्ट्र में रेल परियोजनाएं

5233. **श्री अंकुशराव रावसाहेब टोपे** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में उन रेल परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिन्हें सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था जो अभी तक पूरी नहीं हुई हैं;

(ख) इन परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति तथा परियोजनावार ब्यौरा क्या है;

(ग) इन परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान महाराष्ट्र में निम्नलिखित रेल परियोजनाएं चालू की गई थीं जो अभी तक पूरी नहीं हुई हैं :—

परियोजना का नाम और लम्बाई	अनुमोदन का वर्ष	लागत (करोड़ रु० में)	प्रगति	लक्ष्य
मैटपांजरा-भरतवाडा का दोहरीकरण (38.38 कि० मी०)	1989-90	40.90	75%	30-6-94
नरखेड़-मैटपांजरा का दोहरीकरण (34.34 कि० मी०)	1990-91	40.56	19%	31-10-93

(ग) लक्ष्य तिथि तक इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए अपेक्षित सामग्री और धनराशि रेलवे को उपलब्ध करा दी गई है।

राज्य शिक्षा संस्थान

[हिन्दी]

5234. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य शिक्षा संस्थान को, जो दिल्ली प्रशासन के एस० सी० ई० आर० टी० की एक शाखा है, स्वायत्त दर्जा प्रदान किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या राज्य शिक्षा संस्थान के कर्मचारियों को, जिनकी भर्ती संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से की गई थी को स्वायत्त निकाय में स्थानांतरित किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या स्वायत्तशासी निकाय में कर्मचारियों के स्थानांतरण से इनकी सेवा शर्तों पर प्रभाव पड़ेगा; और

(ङ) यदि हां, तो इस बारे में क्या उपचारात्मक उपाय करने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद को एक स्वायत्त निकाय के रूप में स्थापित करने के फलस्वरूप राज्य शिक्षा संस्थान के कार्यकलाप, जो दिल्ली प्रशासन, शिक्षा विभाग के भाग थे, इस नए निकाय को अन्तरित कर दिए गए ।

(ग) से (ङ) राज्य शिक्षा संस्थान के ऐसे कर्मचारियों को जिन्हें शिक्षा निदेशालय में समायोजित नहीं किया जा सका था, उन्हें राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद में प्रतिनियुक्ति पर भेजने का प्रस्ताव है । चूंकि वे राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद में प्रतिनियुक्ति पर भेजे जाएंगे अत: उनकी सेवा-शर्तें प्रभावित नहीं होंगी ।

कर्नाटक में ऐतिहासिक स्मारक

[अनुवाद]

5235. श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पुरातत्वीय सर्वेक्षण विभाग के अधीन कर्नाटक में कितने ऐतिहासिक स्मारक हैं;

(ख) वर्ष 1991-92 के दौरान इन स्मारकों के रख-रखाव और संरक्षण पर कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ग) कर्नाटक ऐतिहासिक स्मारकों की मरम्मत, रख-रखाव और संरक्षण पर वर्ष 1992-93 के लिए कितनी धनराशि नियत की गई है;

(घ) क्या पर्याप्त धनराशि उपलब्ध न होने के कारण इन ऐतिहासिक स्मारकों में सुविधाओं की कमी है; और

(ङ) यदि हां, तो इनके लिए और अधिक धनराशि प्रदान करने तथा इन्हें आकर्षक पर्यटन केन्द्र बनाने के लिए इन स्मारक स्थलों पर सभी सुविधाएं प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) कर्नाटक में 505 केन्द्रीय संरक्षित स्मारक और स्थल हैं ।

(ख) कर्नाटक के केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों के रख-रखाव और संरक्षण पर 1991-92 के दौरान 77,79,762=00 रु० व्यय हुआ ।

(ग) इन कार्यों के लिए 1992-93 के दौरान 74,56,786=00 रुपए का आवंटन किया गया ।

(घ) और (ङ) जी, नहीं । भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा महत्वपूर्ण स्मारकों/स्थलों पर पेय जल, प्रसाधन, सांस्कृतिक सूचना पट आदि जैसी मूल सुविधाओं की व्यवस्था की जाती है ।

सहायता अनुदान योजना के अन्तर्गत स्वयंसेवी संगठनों को सहायता

5236. **श्री वी० एस० विजयराघवन** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने स्वयंसेवी संगठनों विशेष रूप से "प्रकृति संरक्षण समिति" को केरल में वनीकरण की प्रक्रिया में शामिल करने के लिए सहायता अनुदान योजना के अन्तर्गत वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई है;

(ख) यदि हां, तो तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष तत्सम्बन्धी एजेंसीवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) उनके द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (ग) वृक्षारोपण और परती भूमि के विकास से संबंधित कार्यकलाप चलाने के लिए केरल में कुछ स्वैच्छिक एजेंसियों को अनुदान सहायता स्कीम के अन्तर्गत वित्तीय सहायता दी गई है। इन स्वैच्छिक एजेंसियों को वर्ष 1989-90 से 1991-92 की अवधि के दौरान दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। "प्रकृति संरक्षण समिति" नामक किसी स्वैच्छिक एजेंसी के लिए कोई परियोजना स्वीकृति नहीं की गई है।

विवरण

उत्तर में सम्बर्भित विवरण

वर्ष 1989-90 से 1991-92 की अवधि के दौरान अनुदान सहायता स्कीम के अन्तर्गत केरल में स्वैच्छिक एजेंसियों को दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा

क्रम सं०	एजेंसी का नाम	स्वीकृति की तारीख	स्वीकृति राशि (रुपयों में)	अवमुक्त राशि (रुपयों में)	अवमुक्त का वर्ष	परियोजना के अंतर्गत शामिल क्षेत्र
1	2	3	4	5	6	7
1.	अक्कारा विकासना संगम, अक्कारा केरल :—685512	2-9-88	1,54,600	1,00,000	88-89	10 हैक्टेयर निजी भूमि पर वृक्षारोपण
				38,220	88-89	
				16,380	90-91	

1	2	3	4	5	6	7
2.	बापूजी सेवक समाज चाक्कूपल्लम डा० कुमिली, केरल	22-3-91	4,76,100	2,69,100	90-91	221 हैक्टेयर सामुदायिक भूमि पर वृक्षारोपण
3.	सोशल वर्क एण्ड रिसर्च सेन्टर वायानाड, अर्रीवरम केरल	31-5-91	5,26,263	1,75,421	91-92	104 हैक्टेयर सामुदायिक भूमि पर वृक्षारोपण

खाद्यान्नों और चीनी का निर्यात

[हिन्दी]

5237. **श्री हरिन पाठक** : क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का चालू वर्ष के दौरान चीनी और खाद्यान्नों का निर्यात करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इनका कितनी मात्रा में निर्यात किया जाएगा; और

(ग) इस सम्बन्ध में चल रही बातचीत का ब्यौरा क्या है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) और (ख) जहां तक चीनी का प्रश्न है, 1991-92 मौसम के उत्पादन में से अभी तक वाणिज्यिक निर्यात तथा यू० एस० ए०/ई० ई० सी० को तरजीही कोटे के लिए 5.72 लाख टन मात्रा आबंटित की गई है। निर्यात के लिए चीनी की और अधिक मात्रा आबंटित करने के मामले पर अगले मौसम के लिए चीनी के संभावित उत्पादन, आवश्यकता आदि के निर्धारण के बाद विचार किया जाएगा।

चालू वर्ष के दौरान सरकार का खाद्यान्नों के निर्यात का कोई विचार नहीं है।

(ग) चीनी के वाणिज्यिक निर्यात का काम भारतीय चीनी एवं सामान्य उद्योग निर्यात निगम द्वारा उनके वाणिज्यिक निर्णयों के अनुसार किया जाता है। सरकार बातचीत में शामिल नहीं होती है। खाद्यान्नों के मामले में भी बातचीत का प्रश्न ही नहीं उठता।

मद्रास सेंट्रल स्टेशन

[अनुवाद]

5238. **डा० (श्रीमती) के० एस० सौन्दरम** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास सेंट्रल रेलवे स्टेशन के आधुनिकीकरण/नवीकरण की योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इस कार्य के लिए वर्षवार कितना धन आवंटित किया गया;

(ग) उक्त अवधि के दौरान वहां क्या-क्या अतिरिक्त सुविधाएं उपलब्ध कराई गयीं और उस पर कितना खर्च हुआ; और

(घ) वर्ष 1992-93 के दौरान किए जाने वाले कार्यों का ब्यौरा क्या है और उस पर कितना खर्च होने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) मद्रास सेंट्रल स्टेशन के आधुनिकीकरण/नवीकरण की योजना में एक विशाल सम्मिलन स्थल, एक दूसरे दर्जे के प्रतीक्षालय की व्यवस्था करना और बकिंघम नहर (कनाल) पर 10.5 मीटर लम्बे पुल के निर्माण का कार्य शामिल है। इस पर 220.84 लाख रुपए की लागत आने का अनुमान है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान आवंटित धनराशि का वर्षवार ब्यौरा नीचे दिया गया है :

वर्ष	आवंटन (लाख रुपयों में)
1989-90	95.41
1990-91	55.23
1991-92	47.70

(ग) और (घ) प्रतीक्षालय और सम्मिलन स्थल की व्यवस्था करने सम्बन्धी कार्य शुरू कर दिया गया है और इस कार्य पर वास्तविक खर्च 121.16 लाख रुपए था। वर्ष 1992-93 के दौरान शेष कार्य भी शुरू कर दिए जाएंगे और वर्ष के दौरान इस पर 44.42 लाख रुपए के खर्च की प्रत्याशा है।

मुम्बई में ट्रेन दुर्घटनाएं

5239. श्री के० प्रधानी :

श्री के० पी० रेड्डय्या यादव :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 19 जुलाई, 1992 के "जनसत्ता" (दिल्ली) में "मुम्बई में लोकल ट्रेनों की टक्कर में 25 मरे" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य और ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) 18-7-92 को बम्बई वी०टी० और कल्याण के बीच चलने वाली के/75 डाउन ई०एम० यू० स्थानीय गाड़ी मध्य रेलवे के कालवा स्टेशन पर ए/56 अप अम्बेरनाथ-बम्बई वी०टी० स्थानीय गाड़ी से टकरा गई। इस टक्कर के परिणामस्वरूप एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और 21 व्यक्तियों को चोटें आयीं।

(ग) दुर्घटनाओं को कम करने के लिए किए गए कुछ महत्वपूर्ण उपाय इस प्रकार हैं :—

(i) मानवीय तत्व की सहायता के लिए तकनीकी उपकरण लगाना।

(ii) ड्राइवरों, गार्डों, स्टेशन मास्टरों आदि जैसे नाजुक संरक्षा कोटियों के कर्मचारियों के कार्य निष्पादन पर निगरानी रखना।

(iii) परिचालनिक कोटियों के कर्मचारियों का गहन प्रशिक्षण।

(iv) संवेदनशील संस्थापनाओं के गहन और बार-बार निरीक्षण।

(v) बिना चौकीदार वाले समपारों के पहुंच मार्गों पर सीटी बोर्डों गति भंजकों और सड़क चिह्नों की व्यवस्था करना और सड़क उपयोगकर्ताओं व गाड़ी ड्राइवरों के लिए दृश्यता में सुधार करना।

(vi) परिसम्पत्तियों के अनुरक्षण की निगरानी।

मध्य रेलवे में संसद सदस्यों के साथ कथित दुर्व्यवहार

[हिन्दी]

5240. **श्री शिवराज सिंह चौहान** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मध्य रेलवे की यात्री गाड़ियों के कुछ कण्डक्टर उच्च श्रेणी में यात्रा करने वाले भूतपूर्व संसद सदस्यों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं;

(ख) इस सम्बन्ध में उनके मन्त्रालय को कितनी शिकायतें मिली हैं;

(ग) क्या भोपाल जंक्शन पर दुर्व्यवहार की कोई ऐसी शिकायत मिली है; और

(घ) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) (क) से (ग) मध्य रेलवे के एक कण्डक्टर द्वारा 14-5-92 को भोपाल से विदिशा तक की यात्रा कर रहे एक भूतपूर्व सांसद के साथ दुर्व्यवहार की एक शिकायत प्राप्त हुई है।

(घ) सम्बन्धित कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

बिना टिकट यात्रा

5241. श्री फूल चन्द वर्मा :
श्री बी० एल० शर्मा "प्रेम" :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1991 और 1992 में दिल्ली में प्रत्येक रेलवे स्टेशन पर कुल व्यक्ति बिना टिकट पकड़े गए; और

(ख) जुर्माने के रूप में उनसे कितनी धनराशि वसूल की गई ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

दिल्ली में रेलवे स्टेशनों पर तैनात टिकट कलेक्टरों द्वारा बिना टिकट अथवा अनुचित टिकट से यात्रा करते हुए पकड़े गए व्यक्तियों की संख्या और 1991 तथा जनवरी 1992 से जून 1992 के दौरान उनसे वसूल की गई रेलवे को देय राशि का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

	1991		जनवरी 1992 से जून 1992 तक	
स्टेशन	पकड़े गए व्यक्तियों की संख्या	वसूल की गयी रेलवे को देय राशि (रुपयों में)	पकड़े गए व्यक्तियों की सं०	वसूल की गयी रेलवे को देय राशि (रुपयों में)
1	2	3	4	5
नई दिल्ली	17,744	13,27,200	5,282	3,73,894
दिल्ली	22,123	16,02,054	6,232	4,39,265
दिल्ली-शाहदरा	1,612	1,12,307	920	65,442
निजामुद्दीन	1,510	94,835	1,961	1,36,762
दिल्ली-किशनगंज	154	10,124	46	3,294
दिल्ली-सब्जी मंडी	545	42,052	373	26,246

1	2	3	4	5
दिल्ली-छावनी	225	12,321	66	4,399
दिल्ली-सराय रोहिल्ला	76	4,499	33	1,933
नरेला	70	5,943	150	10,561
जोड़ :	44,059	32,11,335	15,063	10,61,796

आरक्षण बुकिंग को सुव्यवस्थित बनाना

5242. **श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने आरक्षण कार्य को सुव्यवस्थित बनाने के लिए देश भर में फैले 350 टर्मिनलों से जुड़ी अपनी केन्द्रीय कम्प्यूटर प्रणाली के माध्यम से करने की योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना में कितनी लागत आएगी;

(ग) क्या इस योजना से दलाली-प्रथा दूर करने में मदद मिलेगी; और

(घ) यह प्रणाली कब से शुरू की जाएगी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) यात्री आरक्षण को पांच यात्री आरक्षण कम्प्यूटर प्रणालियों अर्थात दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और सिकन्द्राबाद तथा प्रमुख आरक्षण बुकिंग स्थलों पर फैले उनके लगभग 1000 टर्मिनलों के माध्यम से काफी हद तक सुप्रवाही बनाया गया है। उक्त आरक्षण प्रणाली की व्यवस्था लगभग 160 करोड़ रुपए की लागत से की गयी है।

(ग) इस प्रणाली से दलालों की गतिविधियां कम करने में मदद मिली है।

(घ) यह प्रणाली पहले ही काम कर रही है।

द्राविड़ सभ्यता

[अनुवाद]

5243. **श्री एम० जी० रेड्डी** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राष्ट्रीय द्राविड़ सभ्यता संस्थान की स्थापना हेतु आंध्र प्रदेश सरकार का कोई प्रस्ताव मिला है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) आंध्र प्रदेश से किसी प्रो० बी० रामचन्द्र राव ने भारतीय द्राविड़ अध्ययन संस्थान की स्थापना करने हेतु केन्द्रीय सहायता के लिए एक प्रस्ताव भेजा है, जिसमें यह कहा गया है कि आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल की राज्य सरकारों ने प्रस्तावित संस्थान को सहायता देने के लिए सहमति व्यक्त की है।

(ख) संबंधित राज्य सरकारों को इस प्रस्ताव पर अपनी टिप्पणियां भेजने के लिए कहा गया है।

रेल मार्गों पर रेलगाड़ियों की संख्या बहुत अधिक होना

5244. **श्री विजय नवल पाटील** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक प्रमुख रेल मार्गों पर चलने वाली रेलगाड़ियों की संख्या इतनी अधिक हो गयी है कि उनमें अब और वृद्धि नहीं की जा सकती;

(ख) यदि हां, तो किन-किन मार्गों पर रेलगाड़ियों की संख्या इस स्थिति में पहुंच गई है;

(ग) क्या प्रमुख रेल मार्गों पर रेलगाड़ियों की संख्या अधिकतम होने से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए सरकार के पास कोई वैकल्पिक योजनाएं हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) जी, हां।

(घ) मार्गों की संतृप्तता की समस्या का हल नई लाइनों का निर्माण, मार्गों का दोहरीकरण और वैकल्पिक मार्गों का बड़ी लाइन में आमान परिवर्तन करके करने की योजना है। 1810 कि०मी० नई लाइनों के निर्माण, 1083 कि०मी० के दोहरीकरण और 5758 कि०मी० के आमान परिवर्तन से संबंधित कार्य चल रहे हैं।

विवरण

(ख) मुख्य रेल मार्ग, जो संतृप्तता बिंदु पर पहुंच गए हैं :—

1. दिल्ली-मथुरा-वड़ोदरा-बम्बई
2. बड़ोदरा-अहमदाबाद
3. दिल्ली-आगरा-झांसी-इटारसी-बम्बई

4. इटारसी-नागपुर-काजीपेट-विजयवाड़ा-मद्रास

5. मद्रास-जोलारपेट्टै-शोरवण्णूर

6. मद्रास-रेणुगुंटा-वाडी-धोंड-पुणे-बम्बई

7. बम्बई-भुसावल-नागपुर

8. दिल्ली-नागपुर-मुगलसराय-धनबाद-हावड़ा

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के मैसूर स्थित स्कूल में प्रवेश

5245. **श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के मैसूर स्थित डी०एम० स्कूल में चालू शिक्षा सत्र के दौरान प्रवेश सम्बन्धी अनियमितताओं की जानकारी मिली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वहां के शिक्षकों ने भी अनियमितताओं की जानकारी दी है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या सुधारात्मक कदम उठाने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मन्त्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद

5246. **डा० वाई०एस० राजशेखर रेड्डी :**
श्री गुरुदास कामत :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद की "टूवार्डस" फ्रीडम" सम्बन्धी परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) निर्धारित समय में इस परियोजना को पूरा करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) सरकार द्वारा इस परियोजना का वित्त पोषण 31 मार्च, 1992 को पूरा हो गया था। प्रथम खंड 1985 में प्रकाशित हो गया था। संपादकों द्वारा पहले से ही तैयार किए गए शेष नौ खंडों की पांडुलिपियों को प्रेस भेजने के लिए तैयार किया जा रहा है और प्रधान संपादक की प्रस्तावनाएं तैयार की जा रही हैं। सरकार ने निर्देश दिए हैं कि सभी खंड 31 मार्च, 1994 तक प्रकाशित हो जाने चाहिए और किसी भी खंड के प्रकाशन में किसी भी स्थिति में 31 मार्च, 1997 से अधिक विलम्ब नहीं होना चाहिए।

(ख) प्रगति पर निगरानी रखने के लिए सरकार और भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के प्रतिनिधियों तथा विख्यात इतिहासकारों की एक सलाहकार समिति गठित की गई है। इसके अलावा, परिषद की प्रत्येक बैठक में प्रगति की समीक्षा की जाती है।

मध्य प्रदेश में विश्राम गृह सुविधा

5247. **कुमारी पुष्पादेवी सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश के कुछ स्टेशनों पर विश्राम गृहों की सुविधा का विस्तार किया है; और

(ख) यदि हां, तो इन स्टेशनों के नाम क्या हैं तथा ये स्टेशन किस जोन के अन्तर्गत आते हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) मध्य रेलवे पर बीना और भोपाल तथा दक्षिण पूर्व रेलवे पर डोंगरगढ़।

रेलगाड़ियों में यात्री सुविधा योजना

5248. **श्री के० पी० सिंह देव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कुछ रेलगाड़ियों में बेहतर सुविधाएं प्रदान करने हेतु "जीरो मिसिंग एमेनिटीज फिटिंग" योजना शुरू करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इन रेलगाड़ियों के नाम क्या हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

प्रायोगिक योजना में निम्नलिखित गाड़ियां जीरो अमेनिटीज योजना के अन्तर्गत रखी गई हैं :—

1. 2113/2114 बंबई-पुणे इंद्रायणी एक्सप्रेस

2. 2133/2134 बंबई वी टी-लखनऊ पुष्पक एक्सप्रेस

3. 1449/1450 जबलपुर-निजामुद्दीन महाकौशल एक्सप्रेस

4. 2301/2302 दिल्ली-हवड़ा राजधानी एक्सप्रेस

5. 2381, 2303/2382/2304 डीलक्स एक्सप्रेस

6. 3143/3144 सियालदह-न्यू जलपाइगुड़ी दार्जिलिंग मेल

7. 2001-2002 नई दिल्ली-भोपाल के बीच शताब्दी एक्सप्रेस

8. 2003/2004 नई दिल्ली-लखनऊ के बीच शताब्दी एक्सप्रेस

9. 2005/2006 नई दिल्ली कालका के बीच शताब्दी एक्सप्रेस

10. 2621/2622 तमिलनाडु एक्सप्रेस

11. 2625/2626 केरल एक्सप्रेस

12. 2627/2628 कर्नाटक एक्सप्रेस

13. 8013/8014 स्टील एक्सप्रेस

14. 8011/8012 इस्पात एक्सप्रेस

15. 9001/9002 गुजरात मेल

16. 2951/2952 नई दिल्ली-बम्बई राजधानी एक्सप्रेस

17. 2905/2906 आश्रम एक्सप्रेस

18. 2901/2902 पिंक सिटी एक्सप्रेस

दिल्ली और रामनगर के बीच सीधी रेलगाड़ी

5249. **मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खंडूरी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार से दिल्ली और रामनगर के बीच एक सीधी रेलगाड़ी चलाने की मांग की गई है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या रामनगर जाने वाली रेलगाड़ियों में अपर्याप्त प्रबन्ध के सम्बन्ध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) क्या इस रेलगाड़ी में आरक्षण प्राप्त यात्री आरक्षित शयनयानों में अनधिकृत यात्री भी यात्रा करते हैं;

(ङ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है; और

(च) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जा रही है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां ।

(ख) जांच की गई, लेकिन परिचालनिक दृष्टि से व्यावहारिक नहीं पाया गया ।

(ग) शिकायतें, सामान्यत: चोरी/कटचोरी के कारण फिटिंगों के गुम हो जाने के बारे में होती हैं, जिन्हें अनुसूचित अनुरक्षण के दौरान दूर कर दिया जाता है ।

(घ) आरक्षित सवारी डिब्बों में अप्राधिकृत प्रवेश के कुछ मामले नोटिस में आए हैं ।

(ङ) और (च) समय-समय पर राजकीय रेलवे पुलिस की सहायता से अचानक जांचें की जाती है और अभियान चलाये जाते हैं तथा आरक्षित सवारी डिब्बों में यात्रा करते पाये गए अप्राधिकृत यात्रियों को गाड़ी से उतार लिया जाता है और रेल अधिनियम के उपबन्ध के अन्तर्गत जुर्माना किया जाता है । ड्यूटी में लापरवाही के लिए उत्तरदायी पाए गए कंडक्टरों/सवारी डिब्बा परिचरों/चल टिकट परीक्षकों को दंड दिया जाता है ।

पुस्तकालयों में अरबी और फारसी की पांडुलिपि

5250. श्री राम नारायण बैरवा : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसे कुछ पुस्तकालयों को जिनमें अरबी और फारसी की पांडुलिपियों का सर्वाधिक संग्रह है, राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो पुस्तकालयों के राज्यवार नामों सहित तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मन्त्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

दिल्ली में पेड़ों की कटाई

[हिन्दी]

5251. मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खंडूरी : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान सड़कों को चौड़ा करने के लिए दिल्ली में पेड़ों की कटाई की गई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष दिल्ली में कितने पेड़ काटे गए;

(ग) किन शर्तों पर पेड़ काटने की अनुमति दी गई थी;

(घ) क्या उन शर्तों का पालन किया गया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, हां ।

(ख) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि ऐसा कोई रिकार्ड नहीं रखा गया है ।

(ग) अक्तूबर, 1991 से लागू नई प्रणाली के अनुसार, वृक्षों की कटाई के लिए अनुमति दिल्ली के उप राज्यपाल द्वारा दी जाती है, बशर्ते कि काटे जाने वाले वृक्षों की कम से कम दुगुनी संख्या में नये वृक्षों की पौधरोपण की जाए ।

(घ) जी, हां ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

कटवा से फरक्का तक की रेल लाइन को दोहरा करना और उसका विद्युतीकरण करना

[अनुवाद]

5252. **श्री जायनल अबेदिन** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व रेलवे में कटवा से फरक्का बारास्ता अजीमगंज तक रेल लाइन का विद्युतीकरण करने और इसको दोहरा करने के बारे में कोई कार्यक्रम तैयार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो यह कार्य कब से शुरू किया जाएगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) मौजूदा इकहरी लाइन वाले खंडों का दोहरीकरण इनकी वहन क्षमता संतृप्त हो जाने पर किया जाता है । ऐसा करते समय अत्यधिक माल यातायात वाले खंडों को प्राथमिकता दी जाती है । अजीमगंज के रास्ते कटवा से फरक्का तक के खंड पर यातायात के स्तर को देखते हुए फिलहाल दोहरीकरण का औचित्य नहीं बनता ।

संसाधनों की तंगी और विद्युतीकरण के लिए अन्य उच्च घनत्व वाले मार्गों की सापेक्ष प्राथमिकताओं के कारण कटवा-फरक्का खंड के विद्युतीकरण का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है ।

स्वयंसेवी संगठनों को वित्तीय सहायता

5253. **श्री एन० डेविस** : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रदूषण नियन्त्रण के लिए विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों को कोई वित्तीय सहायता दी है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने स्वयंसेवी संगठन हैं और गत तीन वर्षों के दौरान उनमें से प्रत्येक संगठन को राज्यवार धनराशि दी गई ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) सरकार, उद्योगों द्वारा निर्धारित मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कई स्कीमों के अन्तर्गत वित्तीय सहायता देती है। प्रदूषण निवारण के लिए स्वैच्छिक संगठनों को अब तक कोई विशेष वित्तीय सहायता नहीं दी गई है।

मुम्बई में मात्स्यिकी विभाग के मुख्यालय भवन के निर्माण को पर्यावरणीय स्वीकृति

5254. **श्री राम नाईक** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुम्बई स्थित न्यू सासून डॉक फिशिंग हार्बर पर मत्स्यन विभाग के मुख्यालय के भवन की निर्माण परियोजना उनके मन्त्रालय की पर्यावरण सम्बन्धी मंजूरी हेतु लम्बित पड़ी हुई है;

(ख) यदि हां, तो यह परियोजना कब से लम्बित पड़ी हुई है और इसे मंजूरी देने में विलंब किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस परियोजना को शीघ्र मंजूरी देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी नहीं। सासून मत्स्य बन्दरगाह, बम्बई में भारतीय मत्स्य सर्वेक्षण वाटर फ्रन्टेज के लिए सुविधाओं के निर्माण से सम्बन्धित प्रस्ताव को अक्टूबर, 1991 में पर्यावरणीय मंजूरी दे दी गई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग

5255. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 3 जनवरी, 1992 के "इकानामिक टाइम्स" नई दिल्ली में "500 पॉल्युटिंग यूनिट्स में रिसीव क्लोजर नोटिसेस बाई जनवरी, 30" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी किन-किन यूनिटों में परिशोधन संयंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया है जिन्हें इसके लिए 31 दिसम्बर, 1992 तक का समय दिया गया है तथा उनसे 50 प्रतिशत की बैंक गारन्टी प्रस्तुत करने को कहा गया है;

(ग) किन-किन यूनिटों की 31-12-1993 तक का समय दिया गया है; और

(घ) किन-किन यूनिटों को अपना कारोबार बन्द करने का नोटिस दिया गया है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) इस सम्बन्ध में विवरण इस प्रकार है ।

(1) कोई ऐसा उद्योग, संचालन अथवा प्रक्रिया, जिसने 16 मई, 1981 को अथवा इससे पूर्व उत्पादन प्रारम्भ किया है और जिसमें विनिर्दिष्ट मानकों को एक समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार पूरा करने के लिए सुविधाओं की स्थापना हेतु कम से कम वास्तविक कार्य प्रारंभ करने का, संबंधित राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड की संतुष्टि के लिए पर्याप्त प्रमाण दिया है, वह इन मानकों को अधिकतम 31-12-93 तक पूरा करेगा ।

(2) ऐसा कोई उद्योग, संचालन अथवा प्रक्रिया, जिसने 16 मई, 1981 के बाद किन्तु 31 दिसम्बर, 1991 से पूर्व उत्पादन प्रारम्भ किया है और जिसने विनिर्दिष्ट मानको को एक समय-बद्ध कार्यक्रम के अनुसार पूरा करने के लिए सुविधाओं की स्थापना हेतु कम से कम वास्तविक कार्य प्रारम्भ करने का संबंधित राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड की संतुष्टि के लिए पर्याप्त प्रमाण दिया है, वह इन मानकों को अधिकतम 31-12-92 तक पूरा करेगा ।

(घ) केन्द्रीय प्रदूषण बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूचना के अनुसार निर्धारित मानकों का अनुपालन न करने के लिए अब तक 7 इकाइयों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की गयी है ।

काला-आजार का फैलना

5256. **श्री एन०जे० राठवा** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में काला-आजार से मरने वाले व्यक्तियों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा काला-आजार का उन्मूलन करने के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान दी गयी राज्य-वार कितनी धनराशि की सहायता दी गई; और

(ग) देश से काला-आजार का उन्मूलन करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारा देवी सिद्धार्थ) : (क) राज्य सरकारों से प्राप्त हुई रिपोर्टों के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में काला-आजार से जिन व्यक्तियों की मृत्यु हुई, उनकी राज्यवार संख्या इस प्रकार है :—

राज्य	1989	1990*	1991
बिहार	477	589	865
पश्चिम बंगाल	20	16	03
असम	0	—	—

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान काला आजार के उन्मूलन के लिए दी गई राज्यवार सहायता इस प्रकार है :—

बिहार

वर्ष	नगद	सामग्री रूप में	योग (लाख रुपए में)
1989-90	100	270.20	370.20
1990-91	—	389.49	389.49
1991-92	102.27	1423.72	1525 99

पश्चिम बंगाल

वर्ष	नगद	सामग्री रूप में	योग (लाख रुपए में)
1989-90	—	—	—
1990-91	—	77.79	77.79

1991-92) राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अधीन की गई डी०डी०टी० की आपूर्ति को राज्य द्वारा काला आजार नियन्त्रण के लिए भी उपयोग में लाया गया।

सामग्री के रूप में दी गई सहायता में कीटनाशक और काला-आजार रोधी औषधें शामिल थीं।

(ग) काला-आजार के उन्मूलन के लिए निम्नलिखत उपाय किए गए हैं/करने का प्रस्ताव किया गया है।

(1) केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा कालाजार रोधी औषधों अर्थात् सोडियम एंटीमोनी ग्लूकोनेट की सप्लाई और उत्पादन का नियमित रूप से अनुवीक्षण करना। विनिर्माताओ से आग्रह किया गया है कि वे उत्पादन में वृद्धि करें और मैसर्स इंडियम ड्रग्स एण्ड फार्मेस्यूटिकल्स लिमिटेड, जो एक सार्वजनक उपक्रम है ने भी सूचित किया है कि यह शुरू में सोडियम एंटीमोनी ग्लूकोनेट की 20,000 शीशियां प्रति मास की दर से आपूर्ति करने का प्रयास करेगा।

(2) सरकार ने देश के विनिर्माताओं को ग्लूकोनेट एसिड और टारटरिक एसिड—जो सोडियम

एंटीमोनी ग्लूकोनेट के विनिर्माण के लिए अपेक्षित दो महत्वपूर्ण संघटक हैं, का आयात करने की अनुमति दी है।

(3) राज्य सरकार को पर्याप्त मात्रा में देशी सोडियम स्टीबो-ग्लूकोनेट और आयातित पैंटामिडाइन आइसोथायोनेट दोनों उपलब्ध किए जा रहे हैं।

(4) कालाजार रोगियों का शुरू में पता लगाने और उनका उपचार करने के लिए चिकित्सीय और परा-चिकित्सीय कार्मिकों का अभिविन्यास और प्रशिक्षण।

(5) रोग निवारण के लिए स्वास्थ्य शिक्षा कार्यकलापों को तेज करना।

(6) प्रभावित क्षेत्रों में दो बार डी० डी० टी० के साथ अवशिष्ट कीट-नाशक छिड़काव करके वैक्टर नियन्त्रण के जरिए संचरण को रोकना।

उत्तर रेलवे के कमर्शियल पब्लिसिटी निदेशालय में तथाकथित भ्रष्टाचार

5257. **श्री ताराचन्द खंडेलवाल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय ने उत्तर रेलवे नई दिल्ली के डायरेक्टोरेट आफ कमर्शियल पब्लिसिटी में भ्रष्टाचार के मामलों में, जिनमें भ्रष्टाचार के कारण रेलवे को भारी घाटा होने के कथित आरोप थे, कोई जांच कराई है;

(ख) यदि हां, तो जांच का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जांच हेतु प्राप्त की गई अनेक फाइलों के बारे में कोई जिम्मेदारी निश्चित की गई है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जांच से कतिपय अराजपत्रित तथा राजपत्रित कर्मचारियों और कुछ विज्ञापन एजेंसियों द्वारा की गयी कुछ अनियमितताओं का पता चला है। ऐसी दोषी एजेंसियों, जो निर्धारित आकार से बड़े आकार के होर्डिगों के प्रदर्शन तथा उन्हें आगे किराए पर देने के कार्य में संलिप्त हैं, से पूर्ण किराया प्रभार वसूल नहीं किया गया था।

(घ) केन्द्रीय सतर्कता आयोग की राय प्राप्त कर ली गई है और दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई पर विचार किया जा रहा है।

रेलवे की भूमि का उपयोग

5258. **श्री सैयद शाहाबुद्दीन** : क्या रेल मंत्री 21-7-1992 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2050 के अपने उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय उपयोग के तरीके के आधार पर रेलवे भूमि के कुल क्षेत्र का ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 1991-92 के दौरान रेलवे को रेलवे की भूमि से जोनवार कितनी आय हुई; और

(ग) क्या रेल की पटरी के दोनों ओर, जहां भी संभव हो, रेलवे की भूमि का कृषि उत्पादन और/अथवा वानिकी के विकास के लिए उपयोग करने का कोई प्रस्ताव है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) उपयोग का तरीका	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1) कालोनियों सहित रेलपथ और संचरनाओं के अन्तर्गत भूमि	2.97 लाख
(2) रेल द्वारा ढोये जाने वाले माल के लदान/उतराई के लिए लाइसेंस पर दिए गए भूखंडों सहित वाणिज्यिक लाइसेंसों के अन्तर्गत	0.04 ,,
(3) "अधिक अन्न उपजाओ" योजना के अन्तर्गत कृषि के लिए लाइसेंस के अन्तर्गत	0.19 ,,
(4) वृक्षारोपण के अन्तर्गत	0.35 ,,
(5) मत्स्यपालन और अन्य विविध उपयोग के अन्तर्गत	0.01 ,,
(6) अतिक्रमण के अन्तर्गत	0.02 ,,
(7) खाली पड़ी भूमि	0.61 ,,
जोड़ :	4.19 लाख

(ख) रेलवे	1991-92 के दौरान रेलवे भूमि से आय (रुपयों में)
1	2
मध्य	158.97 लाख
पूर्व	42.50 ,,

1	2
उत्तर	267.75 लाख
पूर्वोत्तर	208.44 ,,
पूर्वोत्तर सीमा	120.42 ,,
दक्षिण	294.30 ,,
दक्षिण मध्य	103.97 ,,
दक्षिण पूर्व	56-61 ,,
पश्चिम	404.40 ,,
जोड़ :	1657.26 लाख

(ग) रेलवे भूमि का कृषि उत्पादन के लिए उपयोग करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। रेलों ने बड़े पैमाने पर खाली रेलवे भूमि पर वृक्षारोपण का कार्य पहले से ही शुरू कर रखा है।

पोषाहार सुरक्षा प्रणाली

5259. **प्रो० (श्रीमती) रीता वर्मा :**
श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर :
श्री मोहन रावले :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के लिए एक अनवरत पोषाहार सुरक्षा प्रणाली बनाने हेतु किसी कार्य-योजना का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) वर्ष 1992-93 के दौरान इस पर कितनी धन-राशि खर्च की जाएगी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारा देवी सिद्धार्थ) : (क) से (ग) महिला और बाल विकास विभाग पोषण पर एक राष्ट्रीय नीति तैयार कर रहा है।

लोधी कालोनी, नई दिल्ली में प्रसूति अस्पताल

[हिन्दी]

5260. **श्री विलास मुत्तेमवार :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 19 मई, 1992 के "राष्ट्रीय सहारा" में "पांच साल में नर्सरी चालू नहीं हो सकी" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो लोधी कालोनी में प्रसूति अस्पताल में अब तक नर्सरी के चालू न होने के क्या कारण हैं;

(ग) इस प्रयोजन हेतु खरीदे गए उपकरणों का मूल्य कितना है तथा इनको उपयोगों में कब तक लाया जाएगा;

(घ) क्या सरकार ने उक्त अस्पताल में शिशुओं के देखभाल हेतु कुछ अनुभवी बाल चिकित्सक नियुक्त किए हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारा देवी सिद्धार्थ) : (क) और (ख) जी, हां। तथापि, नई दिल्ली नगरपालिका ने सूचित किया है कि लोधी कालोनी में पालिका प्रसूति अस्पताल में नर्सरी सहज और सामान्य रूप से कार्य कर रही है।

(ग) नर्सरी के लिए कोई अतिरिक्त उपकरण नहीं खरीदा गया था। नई दिल्ली नगरपालिका के अन्य स्वास्थ्य एककों में पहले से उपलब्ध-उपकरण इस अस्पताल को उपलब्ध कराए गए थे और इन उपकरणों को इस अस्पताल के नर्सरी और प्रसव कक्ष में इस्तेमाल किया जा रहा है।

(घ) और (ङ) इस अस्पताल में पहले ही अनुभवी बाल रोग चिकित्सक कार्य कर रहा है।

पश्चिम रेलवे के कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायतें

[अनुवाद]

5261. **श्री चन्द्रेश पटेल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय को जामनगर, हापा तथा राजकोट स्टेशनों के कर्मचारियों के विरुद्ध बहुत सी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसी शिकायतों का ब्यौरा क्या है जो 1 जनवरी, 1991 से 30 जून, 1992 तक प्राप्त हुई हैं;

(ग) दोषी पाए गए कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई; और

(घ) भविष्य में इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) 1-1-91 से 30-6-92 के

दौरान अभद्र व्यवहार की 4 शिकायतें प्राप्त हुई थीं जिनमें से एक-एक शिकायत जाम नगर और हापा रेलवे स्टेशनों के कर्मचारियों के विरुद्ध थीं और दो शिकायतें राजकोट स्टेशन के कर्मचारियों के विरुद्ध थीं। इन शिकायतों की जांच की गई और संबंधित कर्मचारियों के विरुद्ध समुचित अनुशासनात्मक कार्रवाई की गयी है। रेल कर्मचारियों को हिदायत दी गई है कि जनता से व्यवहार के समय वे विनम्र रहें।

टेलीफोन डायरेक्टरी में सिगरेटों के विज्ञापन

5262. **श्री अर्जुन चरण सेठी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड द्वारा प्रकाशित टेलीफोन डायरेक्टरी 1992 के आवरण पृष्ठ के भीतरी पूरे पन्ने पर सिगरेटों के खास ब्रान्ड के लिए रंगीन विज्ञापन छापने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) उन अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार जिन्होंने सरकार की स्थापित नीति के विरुद्ध इस प्रकार के विज्ञापनों को स्वीकार किया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारा देवी सिद्धार्थ) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) दूरसंचार विभाग ने सूचित किया है कि दिल्ली टेलीफोन डायरेक्टरी ठेकेदारों के माध्यम से मुद्रित होती है तथा करार के अनुसार उन्हें विज्ञापन छापने का हक होता है। तथापि महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड ने ठेकेदार को पहले ही बतला दिया है कि ऐसे विज्ञापन न छापे जाएं जो सरकार की घोषित नीति के विरुद्ध हों।

राज्यों को लेवी की चीनी के लिए भुगतान

5263. **श्री चिन्मयानन्द स्वामी** : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रत्येक राज्य सरकार से खरीदी गई लेवी की चीनी के बदले संबंधित प्रत्येक राज्य को भुगतान कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) और (ख) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए लेवी चीनी का वितरण करने के लिए लेवी चीनी सीधे ही चीनी फैक्ट्रियों से वसूल की जाती है और चीनी का उठान करते समय उन्हें भुगतान कर दिया जाता है।

ग्लूकोस मामले की केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच

5264. **श्री दत्तात्रेय बंडारू :**
श्री देवी बक्स सिंह :
प्रो० (श्रीमती) रीता बर्मा :
डा० रमेश चन्द्र तोमर :
श्री चेतन पी० एस० चौहान :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने ग्लूकोस मामले से संबंधित अपनी रिपोर्ट उनके मन्त्रालय को प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारा देवी सिद्धार्थ) : (क) से (ग) जी, हां । केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सिफारिशों के आधार पर सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

वैज्ञानिक

5265. **श्री जितेन्द्र नाथ दास :**
मेजर जनरल (रिटायर्ड) भवन चन्द्र खंडूरी :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उनके मन्त्रालय और उनके मन्त्रालय के नियन्त्रणाधीन संस्थानों/संगठनों में पृथक-पृथक रूप से कितने वैज्ञानिक हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : पर्यावरण और वन मन्त्रालय तथा इसके अधीन संस्थानों/संगठनों में कार्यरत वैज्ञानिकों की संख्या दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

क्र०सं०	संगठन का नाम	वैज्ञानिकों की संख्या
1	2	3
1.	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली	97
	संस्थाएं/संगठन	
2.	भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, कलकत्ता	126

1	2	3
3.	भारतीय प्राणि सर्वेक्षण, कलकत्ता	98
4.	राष्ट्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय, नई दिल्ली	10
5.	वन शिक्षा निदेशालय, देहरादून	3
6.	राष्ट्रीय प्राणि उद्यान, नई दिल्ली	1
*7.	भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद, देहरादून	139
*8.	भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून	23
*9.	जी० बी० पंत हिमालय पर्यावरण और विकास संस्थान, अल्मोड़ा	16
*10.	केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, नई दिल्ली	85
*11.	भारतीय प्लाईवुड अनुसंधान संस्थान, बंगलौर	12
*12.	पद्मजा नायडू हिमालय प्राणी उद्यान, दार्जिलिंग	1
*13.	सलीम अली पक्षी विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान केन्द्र, बम्बई	6
*14.	पर्यावरण शिक्षा केन्द्र, अहमदाबाद	26
*15.	सी०पी० रामास्वामी अय्यर पर्यावरणीय शिक्षा केन्द्र, मद्रास	3

*मन्त्रालय द्वारा सहायता प्राप्त स्वायत्त एजेंसियां ।

नई शिक्षा नीति, 1986

[हिन्दी]

5266. श्री नीतीश कुमार :
डा० महादीपक सिंह शाक्य :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई शिक्षा नीति, 1986 के कार्यान्वयन के विरुद्ध अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसमें दर्शायी गई कमियों सहित तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार का प्राप्त सुझावों के आधार पर नीति में सुधार हेतु क्या कदम उठाने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी

शैलजा) : (क) से (ग) अखिल-भारतीय शिक्षा बचाओं समिति 15 मई, 1992 को एक ज्ञापन प्राप्त हुआ । इस ज्ञापन में अन्य बातों के साथ-साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एन०पी०ई०), 1986 की प्रारंभिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण, पूर्ण साक्षरता, शिक्षा के व्यावसायीकरण, निजी पहल आदि क्षेत्रों में आलोचना की गई थी । तथापि, सरकार का विचार है कि रा०शि०नी०, 1986, समय की कसौटी पर खरी उतरी है । सम्पूर्ण शैक्षिक स्थिति की गहन समीक्षा और राष्ट्रीय सहमति के आधार पर तैयार की गई इस नीति में शैक्षिक विकास को पूर्णरूपेण दिशा प्रदान करने का व्यापक ढांचा विद्यमान है । इस ढांचे की प्रासंगिकता बनी हुई है । तथापि पिछले कुछ वर्षों में हुए विकास और नीति के कार्यान्वयन में प्राप्त हुए अनुभव के कारण कुछ संशोधन जरूरी हो गए । इन संशोधनों को 7 मई, 1992 को सभापटल पर रख दिया गया था ।

भारतीय खाद्य निगम में कार्यरत मजदूर

[अनुवाद]

5267. **श्री पी० सी० थामस** : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खाद्य निगम में कार्यरत मजदूरों और कर्मचारियों की राज्य-वार तथा श्रेणी-वार संख्या क्या है; और

(ख) भारतीय खाद्य निगम में कितने मजदूर बोझा उठाते हैं और कितने हाथ से काम करते हैं ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) 31 मार्च, 1992 की स्थिति के अनुसार भारतीय खाद्य निगम में कुल 67,788 कर्मचारी कार्यरत थे । उनकी श्रेणीवार और राज्य-वार अलग-अलग स्थिति/ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है ।

(ख) खाद्यान्नों को हैंडल करने के लिए भारतीय खाद्य निगम में तैनात मजदूरों की संख्या अन्तर्ग्रस्त कार्य की मात्रा पर निर्भर करते हुए दिन-प्रति-दिन भिन्न-भिन्न होती है । इसके अलावा, निगम को मेट/कर्मचारी प्रबंध समिति, सहकारी समिति और ठेका प्रणालियों के जरिए तैनात किए गए मजदूरों की संख्या पर कोई नियन्त्रण नहीं है । अतः तैनात किए गए मजदूरों की ठीक-ठीक संख्या उपलब्ध नहीं है । तथापि, अनुमान है कि भारतीय खाद्य निगम में इस समय लगभग दो लाख मजदूर तैनात है ।

विवरण

31-3-1992 की स्थिति के अनुसार भारतीय खाद्य निगम में कार्यरत कर्मचारियों की श्रेणी-वार और राज्य-वार संख्या बताने वाला विवरण

क्रम सं०	राज्य का नाम	31-3-1992 की स्थिति के अनुसार कर्मचारियों की संख्या				
		श्रेणी-1	श्रेणी-2	श्रेणी-3	श्रेणी-4	जोड़
1	2	3	4	5	6	7
1.	दिल्ली (संघ शासित प्रदेश)	215	420	2121	699	3455

1	2	3	4	5	6	7
2.	जम्मू और कश्मीर	6	15	221	140	382
3.	हिमाचल प्रदेश	7	14	82	76	179
4.	पंजाब (चंडीगढ़ संघ शासित प्रदेश सहित)	40	565	5592	2982	9179
5.	उत्तर प्रदेश	51	409	5202	3259	8921
6.	राजस्थान	25	172	1266	1092	2555
7.	हरियाणा	18	205	1585	997	2805
8.	तमिलनाडु और पांडिचेरी	62	313	2588	1723	4686
9.	आन्ध्र प्रदेश/अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	46	310	3474	2410	6240
10.	केरल और लक्षद्वीप (संघ शासित प्रदेश)	22	156	1424	934	2536
11.	कर्नाटक	14	104	578	486	1182
12.	पश्चिम बंगाल और सिक्किम	83	395	4669	2192	7339
13.	बिहार	22	124	1435	1332	2913
14.	उड़ीसा	16	82	773	560	1431
15.	असम और अरुणाचल प्रदेश	21	105	1441	1603	3170
16.	एन०ई०एफ० क्षेत्र (मेघालय त्रिपुरा/मणिपुर/मिजोरम/ नागालैण्ड)	24	61	410	268	763
17.	महाराष्ट्र और गोवा (दमन और दीव तथा दादरा नगर हवेली संघ शासित प्रदेशों सहित)	55	339	2673	1162	4229
18.	मध्य प्रदेश	29	219	2229	1379	3856
19.	गुजरात	13	113	1256	585	1967
	जोड़ :	769	4121	39019	23879	67788

कम्प्यूटरीकृत आरक्षण सुविधा

5268. **श्री हाराधन राय** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसनसोल कम्प्यूटर को हावड़ा से जोड़ने का कोई प्रस्ताव है ताकि यहां वापसी टिकटों का आरक्षण किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) आसनसोल में कंप्यूटरीकृत आरक्षण कार्यालय को हावड़ा के मुख्य कंप्यूटर से जोड़ दिया गया है और यह पहले ही फरवरी, 1992 से कार्य कर रहा है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

स्वामी दयानन्द अस्पताल शाहदरा, दिल्ली

5269. **श्री विलासराव नागनाथराव गुण्डेवार** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वामी दयानन्द अस्पताल, शाहदरा दिल्ली में न्यूरोलाजी विभाग है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या इस अस्पताल में "कैटस्कैन" मशीन लगाई गई हैं;

(ग) यदि हां, तो इस मशीन को पहले से ही लगाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार को उक्त मशीन की खरीद में किसी कथित अनियमितता का पता चला है;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या सरकार कथित अनियमितता की जांच करेगी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी० के० तारा देवी सिद्धार्थ) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) चूंकि विकलांग चिकित्सा, कार्यचिकित्सा, शल्य-चिकित्सा, बाल रोग चिकित्सा और अन्य नैदानिक विषयों में बहु-प्रयोजन स्थितियों के नैदानिक प्रयोजनों के लिए सी० टी० स्कैन की सुविधाओं की आवश्यकता होती है, इसलिए एक कैट स्कैन मशीन संस्थापित की जा रही है ।

(घ) जी, नहीं ।

(ङ) और (च) ये प्रश्न नहीं उठते ।

'सबके लिए शिक्षा' योजना के अन्तर्गत विश्व बैंक की सहायता

5270. **श्री धर्मण्णा भोंडय्या सादुल** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'सबके लिए शिक्षा' कार्यक्रम के अन्तर्गत विश्व बैंक वित्तीय सहायता देता है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस योजना के अन्तर्गत गत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र को कोई सहायता दी गयी थी;

(ग) यदि हां, तो कुल कितनी धनराशि की सहायता दी गयी; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या वर्ष 1992-93 के दौरान सहायता देने का कोई प्रस्ताव है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (घ) विश्व बैंक के पास 'सभी के लिए शिक्षा' की कोई योजना नहीं है। तथापि विश्व बैंक शैक्षिक परियोजनाओं सहित विभिन्न परियोजनाओं के लिए ऋण प्रदान करता है। महाराष्ट्र राज्य में विश्व बैंक की सहायता से तकनीकी (पॉलिटेकनिक) शिक्षा के आधुनिकीकरण और उन्नयन की परियोजना कार्यान्वयन के अधीन है जिसमें वर्ष 1990-99 की अवधि में 123 करोड़ रु० के परिव्यय की परिकल्पना है। वर्ष 1992-93 के लिए परियोजना के लिए 12 करोड़ रु० के परिव्यय का अनुमान है।

चंडीगढ़ में पर्यावरण को खतरा

5271. **श्री रवि राय** : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 20 जुलाई, 1992 के "दि ट्रिब्यून" में "सिटी ऑन वर्ज आफ एन्वायरनमेंटल क्रायसिस" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सरकार ने चंडीगढ़ के लिए शहर को हरा-भरा बनाने की अवधारणा के परिरक्षण के लिए सभी उपाय किए हैं तथा चंडीगढ़ के चारों ओर नमभूमियों में वृक्षारोपण की एक योजना शुरू की है। इसके अलावा, श्रमिकों की कॉलोनियों में रहने वाले लोगों के पुनर्वास तथा उन्हें मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाए गए हैं। यद्यपि शहर में वाहनों की संख्या बढ़ी है, फिर भी, शोर सहित वायु गुणवत्ता, सरकार द्वारा परिवेशी वायु गुणवत्ता के लिए निर्धारित मानकों के भीतर है। किसी भी किसान को सिंचाई के लिए सेमीट्रीटिड या अनट्रीटिड जल-मल को प्रयोग की अनुमति नहीं दी जाती है।

अधिक प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों द्वारा प्रदूषण नियन्त्रण के लिए किए किए उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :—

(1) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत बहिःस्राव और उत्सर्जन मानक निर्धारित किए गए हैं;

(2) परिवेशी वायु गुणवत्ता और जल गुणवत्ता मॉनिटरिंग स्टेशनों का एक नेटवर्क स्थापित किया गया है;

(3) उद्योगों के बहिस्रावों के विसर्जनों और उत्सर्जनों को निर्धारित सीमाओं के अन्दर रखने के लिए राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्डों की सहमति अपेक्षाओं का पालन करने के लिए कहा गया है;

(4) प्रदूषण नियन्त्रण उपकरण लगाने और प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों से शिफ्ट करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन दिए जाते हैं;

(5) साझे बहिस्राव शोधन संयत्रों की स्थापना के लिए लघु औद्योगिक इकाइयों के समूह को सहायता देने की एक स्कीम शुरू की गई है;

(6) जल (प्रदूषण निवारण और नियन्त्रण) उपकर अधिनियम, 1977 के तहत मुख्य प्रदूषण फैलाने वाली श्रेणी के उद्योगों के लिए जल उपभोग के मानक अधिसूचित किए गए हैं;

(7) उद्योगों के लिए 1993 से पर्यावरणीय जांच अनिवार्य कर दी गई है।

बोगीबिल (डिब्रूगढ़) में ब्रह्मपुत्र पर पुल

5272. **श्री राम सिंह काश्वा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डिब्रूगढ़ के निकट बोगीबिल में ब्रह्मपुत्र पर एक पुल का निर्माण करने के लिए सर्वेक्षण किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या इसका निर्माण करने की कोई योजना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) इस कार्य को अभी अनुमोदित नहीं किया गया है। इसे जोगीघोपा में दूसरे ब्रह्मपुत्र पुल, जिस पर निर्माण कार्य चल रहा है और जिसके 1994-95 में पूरा हो जाने की संभावना है, के पूरा हो जाने के बाद शुरू किया जा सकता है, बशर्ते संसाधन उपलब्ध हों।

बोयलस एपरेटस की खरीद में कथित अनियमितताएं

5273. **श्री वसुदेव आचार्य** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सफदरजंग अस्पताल द्वारा बोयलस एपरेटस की खरीद में अनियमितता के किसी मामले का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस बारे में क्या कार्रवाई की है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते ।

पंचवटी और देवगिरि एक्सप्रेस गाड़ियों को निफाड पर हाल्ट देना

5274. **प्रो० राम कापसे** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंचवटी और देवगिरि एक्सप्रेस गाड़ियों का मध्य रेलवे के निफाड स्टेशन पर हाल्ट देने के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) 1001/1002 पंचवटी एक्सप्रेस को निफाड स्टेशन पर ठहराव देने हेतु अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और 1-7-93 से ठहराव दे दिया गया है । देवगिरि एक्सप्रेस नाम की कोई गाड़ी नही है ।

मध्य प्रदेश द्वारा भेजी गई पर्यावरण संबंधी योजना

[हिन्दी]

5275. **श्रीमती सुमित्रा महाजन :**
श्री सत्य नारायण जटिया :

क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने क्षिप्रा नदी में प्रदूषण निवारण तथा इन्दौर शहर के पर्यावरण में सुधार की कोई योजना भेजी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्मन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (ग) 37.50 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर क्षिप्रा नदी के प्रदूषण निवारण का एक प्रस्ताव और 8.46 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर खान नदी के प्रदूषण निवारण का एक प्रस्ताव जिसमें 2.63 करोड़ रुपए की लागत से इन्दौर नगर में पर्यावरण सुधार का कार्य सम्मिलित है, जनवरी, 1991 में मध्य प्रदेश सरकार से प्राप्त प्राप्त हुआ है । राज्य सरकार को सूचित किया गया है कि गगा नदी के अतिरिक्त अन्य नदियों के प्रदूषण निवारण कार्यों पर तैयार की जा रही प्रस्तावित राष्ट्रीय नदी कार्य योजना में विचार किया जाएगा ।

खान-पान सेवाओं के ठेके

5276. श्री अवतार सिंह भडाना : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे खान-पान सेवा के 1991-92 के दौरान कितने नए ठेके दिए गए; और

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान खान-पान सेवा में किए गए सुधारों का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) 52.

(ख) रेलें भोजन की गुणवत्ता और खान-पान सेवाओं के स्तर में सुधार लाने का प्रयास करती हैं, यह एक निरन्तर और सतत् प्रक्रिया है। इस सम्बन्ध में किए गए/किए जाने वाले उपायों में कैसेरोल सेवा शुरू करना, आधार रसोईघरों का आधुनिकीकरण, रसोईघर में आधुनिक उपकरणों का उपयोग, क्षेत्रीय अभिरुचि के व्यंजन तैयार करना, खानपान कर्मचारियों का प्रशिक्षण, नियमित/अचानक निरीक्षण, स्वचालित बेंडिंग मशीनें आदि शामिल हैं।

योग को एक विषय के रूप में स्कूलों के पाठ्यक्रम में सम्मिलित करना

[अनुवाद]

5277. श्री अनन्तराव देशमुख : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योग को राष्ट्रीय स्तर पर स्कूलों के पाठ्यक्रम में एक विषय के रूप में सम्मिलित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का योग को आरम्भ करने के लिए अध्ययन पाठ्क्रम तैयार करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मन्त्री (कुमारी शैलजा) : (क) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद ने, योग शिक्षा को स्कूल स्तर पर स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा के एक भाग के रूप में लेने की सिफारिश की है।

(ख) और (ग) कक्षाएं I से XII तक योग शिक्षा की पाठ्यचर्या का प्रारूप राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद द्वारा तैयार किया गया है तथा इसे अब अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

जाली यात्री टिकट

[हिन्दी]

5278. श्री बृजभूषण शरण सिंह :
श्री सत्यदेव सिंह :
डा० सुधीर राय :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1991-92 के दौरान फर्जी आरक्षण और जाली यात्री टिकटों की बिक्री के, जोन-वार, कितने मामलों का पता लगा है;

(ख) इस सम्बन्ध में पकड़े गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार ने क्या प्रभावी कदम उठाए हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) हस्तान्तरित टिकटों पर यात्रा करते पाए गए व्यक्तियों को उचित टिकट के बिना माना जाता है और उनसे जुर्माना वसूल किया जाता है। जाली टिकट बेचने वालों और दलालों को मुकदमे के लिए न्यायालय के समक्ष भेजा जाता है।

(ग) (i) ऐसी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए, सतर्कता (विशेष दस्ता), रेलवे बोर्ड सहित सभी क्षेत्रीय रेलों के सतर्कता संगठनों द्वारा देश भर में अचानक जांच की जाती है और छापे मारे जाते हैं।

(ii) रेल अधिनियम, 1989 में उन दलालों के लिए दण्ड में काफी वृद्धि कर दी गई है, जो गैर-कानूनी ढंग से फर्जी नाम में टिकट खरीद लेते हैं और बाद में उन्हें अन्य व्यक्तियों को बेच देते हैं।

(iii) जनता को प्रेस, दूरदर्शन, इश्तहारों, आदि के माध्यम से शिक्षित किया जाता है कि वे अनधिकृत व्यक्तियों से टिकट न खरीदें।

(iv) गर्मी की भीड़ के दौरान और दुर्गा पूजा/दशहरा/दीवाली के अवसरों पर आरक्षण कार्यालयों में कदाचारों की रोकथाम के लिए विशेष संगठित अभियान तेज कर दिए जाते हैं।

विवरण

विवरण जिसमें वर्ष 1991 और 1992 (जून, 92 तक) के दौरान पकड़े गए (1) फर्जी आरक्षणों (अर्थात हस्तान्तरित टिकट) और (2) जाली टिकटों की संख्या दर्शायी गयी है

क्षेत्रीय रेलवे	हस्तांतरित टिकटों की संख्या		जाली टिकटों की संख्या	
	1991	1992 (जून तक)	1991	1992 (जून तक)
1	2	3	4	5
मध्य	585	514	107	—
पूर्व	786	246	—	—

1	2	3	4	5
उत्तर	1010	1243	2	—
पूर्वोत्तर	8	—	—	2
पूर्वोत्तर सीमा	153	30	—	—
दक्षिण	5096	2280	—	—
दक्षिण मध्य	539	209	—	—
दक्षिण पूर्व	213	75	—	—
पश्चिम	759	531	—	—
सतर्कता विशेष दस्ता, रेलवे बोर्ड	353	74	456	—

हिन्दी शिक्षण योजना

5279. **श्री राम पूजन पटेल :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के गैर-हिन्दी भाषी राज्यों में हिन्दी की शिक्षा देने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय एकता के लिए हिन्दी की शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु कोई समिति गठित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मन्त्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) जी, हां। हिन्दी के संवर्धन तथा प्रचार/प्रसार के लिए, स्वैच्छिक संगठनों को सहायता दिए जाने की एक योजना है, जिसके अन्तर्गत हिन्दी शिक्षण केन्द्रों को चलाने, पुस्तकालयों, हिंदी —आशुलिपिक तथा टंकण—कक्षाओं, प्रशिक्षण और हिन्दी शिक्षकों की नियुक्ति, और पुस्तकों तथा पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशन आदि, जैसा विभिन्न गतिविधियों के लिए, मुख्य रूप से अहिन्दी भाषी राज्यों के स्वैच्छिक संगठनों को अनुमोदित व्यय के 75 प्रतिशत की दर से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

इसके अलावा, केन्द्रीय सरकार, अहिन्दी भाषी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में हिन्दी शिक्षकों की नियुक्ति तथा प्रशिक्षण के लिए, शत-प्रतिशत आधार पर वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) जी, नहीं ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

संग्रहालयों के लिए धनराशि का आवंटन

[अनुवाद]

5280. **डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रत्येक राज्य के पुरातत्वीय संग्रहालयों और स्मारकों के लिए 1992-93 के दौरान कितनी धनराशि आवंटित की गई ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मन्त्री (कुमारी शैलजा) : भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण स्थल-संग्रहालयों और केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों रख-रखाव के लिए राज्य-वार धनराशि आवंटित नहीं करता है।

संग्रहालय-शाखाओं और विभिन्न मंडलों एवं सम्बन्धित शाखाओं को क्रमश: स्थल-संग्रहालयों और स्मारकों की उनकी वास्तविक आवश्यकताओं के अनुसार आवंटन किए जाते हैं। वर्ष 1992-93 के आवंटन का ब्यौरा संलग्न विवरण के अनुसार है।

विवरण

I. 1992-93 के दौरान स्मारकों का संरक्षण और परिरक्षण

क्रम सं०	मंडल का नाम	रु० (लाख में)
1	2	3
1.	आगरा	56.50
2.	औरंगाबाद	38.50
3.	गोवा	10.00
4.	बंगलौर	56.25
5.	भोपाल	46 25
6.	भुवनेश्वर	31.00
7.	कलकत्ता	35.50
8.	चंडीगढ़	39.00

1	2	3
9	दिल्ली	98.50
10.	गुवाहाटी	28.50
11.	हैदराबाद	32.00
12.	जयपुर	33.00
13.	लखनऊ	35.50
14.	मद्रास	46.00
15.	पटना	27.50
16.	श्रीनगर	27.00
17.	बड़ोदरा	28.00
18.	निदेशक विज्ञान	35.00
19.	मुख्य उद्यानविद्	91.00
		795.00
	आरक्षित निधि	25.00
		820.00

II. संग्रहालय शाखा (31 स्थल संग्रहालय हेतु) 27.39 लाख रु०

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा पुस्तकों का प्रकाशन

[हिन्दी]

5281. **श्रीमती गिरिजा देवी :** क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्धारित विभिन्न विषयों की सभी पुस्तकों को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के माध्यम से प्रकाशित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रस्ताव को कब तक कार्यान्वित कर दिया जाएगा ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

यमुना सफाई योजना

[अनुवाद]

5282. **श्री बल्लभ पाणिग्रही** : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को प्रस्तावित यमुना सफाई योजना के लिए विदेशों से विशेषकर जापान से कोई वित्तीय/तकनीकी सहायता प्राप्त हुई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) अभी तक यमुना कार्य योजना के लिए किसी देश से सहायता प्राप्त नहीं हुई है।

रेलवे में वनरोपण

5283. **श्री सन्तोष कुमार गंगवार** :

श्री हरीश नारायण प्रभुझांत्ये :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे के वनरोपण कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं क्या-क्या हैं और रेलवे की कितनी फालतू भूमि में वृक्षारोपण का कार्यक्रम आरम्भ किया गया है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष इस कार्यक्रम पर कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ग) क्या इस कार्यक्रम के अन्तर्गत फलदार और ईंधन वाले वृक्ष लगाए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ङ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) कालोनियों, यार्डों, स्टेशनों के समीप, कारखानों, बड़े समपारों आदि में खाली पड़ी रेलवे भूमि में वन रोपण का काम रेलों द्वारा विभागीय रूप से किया जाता है। राज्य सरकार के वन विभाग द्वारा भी स्टेशनों के बीच रेलपथ के साथ-साथ रेलवे भूमि पर वृक्षारोपण किया जाता है, जिसे इस प्रयोजन के लिए यह भूमि नाममात्र के लाइसेंस शुल्क पर दी जाती है। रेलवे भूमि का वह क्षेत्र, जिस पर

वृक्षारोपण किया गया है, 35,000 हेक्टेयर है। बहरहाल, यह भूमि रेलवे के भावी उपयोग के लिए अपेक्षित है।

(ख) 1989-90	—	9.57 करोड़ रुपए
1990-91	—	8.52 करोड़ रुपए
1991-92	—	8.78 करोड़ रुपए

(ग) जी, हां।

(घ) आम, अमरूद, जामुन, इमली और कटहल जैसे फलों के वृक्ष और सुबबूल, नीम, कीकर और सीशम जैसे जलाऊ लकड़ी के वृक्ष लगाए गए हैं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

रेलवे फाटक पर हुई दुर्घटनाएं

5284. **श्री मोहन रावले** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा 31 जुलाई, 1992 तक, जोन-वार चौकीदार रहित कितने रेल फाटकों पर दुर्घटनाएं हुईं;

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान प्रत्येक रेलवे जोन में, इसके कारण कितने लोगों की मौत हुई और कितने घायल हुए; और

(ग) इन दुर्घटनाओं के शिकार व्यक्तियों को कितनी मुआवजा राशि दी गई ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) और (ख) 1989-90 से बिना चौकीदार वाले समपारों पर हुई दुर्घटनाओं और उनमें हुए हताहतों की संख्या से सम्बन्धित जोन-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

रेलवे	1-4-1989 से 31-3-1992 तक			1-4-1992 से 31-7-1992		
	दुर्घटनाओं की संख्या	व्यक्तियों की संख्या		दुर्घटनाओं की संख्या	व्यक्तियों की संख्या	
		मारे गए	घायल		मारे गए	घायल
1	2	3	4	5	6	7
मध्य	10	22	71	2	4	—

1	2	3	4	5	6	7
पूर्व	1	7	28	—	—	—
उत्तर	15	33	103	—	—	—
पूर्वोत्तर	10	14	19	2	14	22
पूर्वोत्तर सीमा	4	9	2	—	—	—
दक्षिण	20	27	74	2	4	3
दक्षिण	4	6	4	2	2	4
दक्षिण पूर्व	8	9	20	1	3	3
पश्चिम	16	92	168	5	8	5
जोड़ :	88	219	489	14	35	37

(ग) किसी प्रकार के मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया है क्योंकि यह अनुमेय नहीं है।

20 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत वृक्षारोपण कार्यक्रम

[हिन्दी]

5285. आचार्य विश्वनाथ दास शास्त्री : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार आठवीं योजना के दौरान नए क्षेत्रों में व्यापक रूप से वृक्षारोपण करेगी;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस प्रयोजन हेतु 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत आठवीं योजना के लिए राज्य-वार कितनी धनराशि आवंटित की जाएगी ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (ग) केन्द्र और राज्य योजनाओं के अधीन चलाई जा रही विभिन्न स्कीमों के अन्तर्गत वनीकरण और वृक्षारोपण कार्यकलाप, सतत रूप से चलाए जाने वाले कार्यकलाप हैं। आठवीं पंचवर्षीय योजना, जिसे कि अन्तिम रूप दिया जा रहा है, के दौरान इन कार्यकलापों का विस्तार किए जाने का प्रस्ताव है।

जीन संबंधी औषधियों पर भारत-अमरीका कार्यशाला

[अनुवाद]

5286. **डा० रमेश चन्द्र तोमर** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी में जीन सम्बन्धी औषधियों पर तीन दिवसीय भारत-अमरीका कार्यशाला आयोजित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस कार्यशाला में जीन सम्बन्धी औषधियों के बारे में कुछ सिफारिशें की गई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) और (ख) जीनीय औषधों पर नई दिल्ली में कोई भारत-अमरीका कार्यशाला आयोजित नहीं की गई थी। तथापि, जेनेरिक औषध जैव-समतुल्यता तथा फार्मेको काइनेटिक्स पर एक भारत-अमरीका कार्यशाला यूनिवर्सिटी कालेज आफ मेडिकल साइंसेज, नई दिल्ली द्वारा फरवरी, 1988 में आयोजित की गई थी। इस कार्यशाला की सिफारिश नई दिल्ली में नवम्बर, 1987 में हुई विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधी भारत-अमरीका उप-आयोग की नवीं बैठक द्वारा की गई थी।

यह कार्यशाला औषध विनिर्माताओं तथा एक सामान्य आधार बनाने की आवश्यकता से संबंधित विनियमन तथा प्रवर्तन एजेंसियों के विभिन्न विचारों को एकीकृत करने के लिए आयोजित की गई थी।

(ग) और (घ) इस कार्यशाला में जीन संबंधी औषधियों के बारे में कोई सिफारिश नहीं की गई। इस कार्यशाला ने अनिवार्यत: अमरीका खाद्य और औषध प्रशासन के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य तथा वर्तमान कानूनों और भारत में औषध विज्ञान के प्रवर्तन की भी समीक्षा की थी।

अमरीका में जैव-समतुल्यता की मूल अपेक्षा एवं विनियमन पहलुओं तथा जैव-उपलब्धता अध्ययन के लिए भारतीय अपेक्षाओं पर चर्चा की गई थी। विचार किए गए अन्य पहलुओं में जैव समतुल्यता अध्ययनों की तकनीक तथा मूल्यांकन, ऊष्णकटिबन्धीय रोगों में प्रयुक्त की जाने वाली औषधियों की फार्मे-काइनेटिक्स, औषध-जैव-उपलब्धता पर आहार का प्रभाव इत्यादि शामिल थे।

दिल्ली में पोलियो पीड़ित बच्चे

5287. **श्रीमती बिल कुमारी भण्डारी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली की झुग्गी बस्ती क्षेत्रों में रहने वाले लाखों बच्चे पोलियो से पीड़ित हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस समस्या से निपटने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) और (ख) वर्ष 1991 में दिल्ली में रहने वाले 406 बच्चों के पोलियो से पीड़ित होने के बारे में सूचना मिली है। व्यापक रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम के तहत, 6, 10 और 14 सप्ताह की आयु में मुखीय पोलियो वैक्सीन की 3 खुराकें तथा उसके बाद 15 से 18 महीनों की आयु में एक बूस्टर खुराक देकर पोलियोमेरुरज्जुशोथ से सभी शिशुओं को रोगप्रतिरक्षित करने के लिए दिल्ली में सुविधाएं प्रदान की गई हैं जिनमें झुग्गी-झोपड़ी बस्तियां भी शामिल हैं। इसकें अतिरिक्त चिकित्सा/स्वास्थ्य संस्थाओं में मुखीय पोलियो वैक्सीन (जीरो डोज) की एक खुराक बच्चों को जन्म के समय दी जाती है। 26 अप्रैल और 24 मई, 1992 तक 3 वर्ष से कम की आयु के बच्चों को पोलियोमेरुरज्जुशोथ से रोगप्रतिरक्षित करने के लिए दिल्ली की सभी झुग्गी-झोपड़ी बस्तियों में विशेष अभियान भी चलाया गया था।

हाथी परियोजना

5288. श्री गोपीनाथ गजपति :
श्री एम० जी० रेड्डी :

क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 'हाथी परियोजना स्कीम" के अन्तर्गत राज्यवार कितनी धनराशि निर्धारित की गई है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कमल नाथ) : आठवीं पंचवर्षीय योजना के तहत हाथी परियोजना के लिए निधियों के राज्य-वार आबंटन को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

गर्भ निरोधक खाने की गोलियों का विकास

5289. श्रीमती बिभू कुमारी देवी :
श्री श्रवण कुमार पटेल :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता के एक वैज्ञानिक ने मटर दाल से एक गर्भ निरोधक खाने की गोली का विकास किया है जो बिना किसी गलत प्रभावों की 50 प्रतिशत सफल पाई गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन गोलियों की सफलता को बढ़ाने हेतु आगे कोई अनुसंधान किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी० के० तारा देवी सिद्धार्थ) : (क) जी, हां।

(ख) पिसुम स्टीवुम (मटर) के संभावित प्रजननरोधी प्रभावों पर कई दशकों में अनेक अध्ययन

किए गए हैं। इनमें से अधिकांश अध्ययन डा० एस० एन० सान्याल और उनके साथियों द्वारा किए गए। उन्होंने इस पादप के तेल में से मेटाक्सीलोहाइड्रोक्यूनोन (एम०एक्स०एच०क्यू०) रासायनिक मिश्रण को अलग किया जिस मादा चूहों में गर्भस्रावकारी, एंटीप्रोजेस्ट्रोन और एंटीइम्पलांटेशन प्रतिक्रियाओं तथा नर चूहों में एंटीस्पर्मेटोजेनिक प्रभावों का पता चला। तथापि, कुछ अन्य कार्यकर्ता दलों द्वारा उसी पौधे से प्राप्त किए गए परिणाम इसके विपरीत थे। इस पौधे के वाष्पशील तेल तथा एम०एक्स०एच०क्यू० के गर्भ निरोधक/गर्भस्रावकारी गतिविधियों पर डा० सान्याल और उनके साथियों द्वारा किए गए नैदानिक अध्ययन आरम्भिक स्थिति के थे। मनुष्य पर किए गए एक ऐसे ही अध्ययन में (जिसे नियन्त्रित नहीं किया गया) एम०एक्स०एच०क्यू० से स्पर्मेटोजोआ की संख्या मे 50 प्रतिशत कमी सूचित की गई जो लगभग चार दिनों में सामान्य स्तरों पर आ गई। ऐसे बहुत से पादप और प्राकृतिक उत्पाद हैं जिनमें गर्भ-निरोधक क्षमता होने का दावा किया गया है। यद्यपि उनमें से काफी में जानवरो पर अध्ययन करने से कुछ सकारात्मक परिणामों का पता चला है, फिर भी अभी तक उनमें से किसी का मनुष्य पर ठोस और विश्वसनीय प्रभाव नहीं देखा गया है।

(ग) और (घ) रिसुम स्टीवुम के सत्व की कम प्रभावकारिता को ध्यान में रखते हुए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने आगे के परीक्षणों को करने की आवश्यकता महसूस नहीं की।

राज्य महिला आयोग

5290. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों ने राज्य महिला आयोग गठित करने के लिए विधेयक पारित किए हैं;

(ख) किन-किन राज्यों में यह आयोग गठित कर लिया गया है; और

(ग) इन आयोगों की अपने राज्यों में उपलब्धियों का राज्यवार, ब्यौरा क्या है।

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय (युवा कार्य और खेल कूद विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग) में राज्य मन्त्री (कुमारी ममता बैनर्जी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

हुबड़ा-खड़गपुर सेक्शन में भीड़भाड़

5291. **श्री सत्य गोपाल मिश्र** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दक्षिण-पूर्व रेलवे के हुबड़ा-खड़गपुर सेक्शन पर यातायात की भीड़भाड़ की समस्या को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का विचार है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : दक्षिण पूर्व रेलवे के हुबड़ा-खड़गपुर खंड पर फिलहाल कोई भीड़भाड़ नहीं है।

महिलाओं के लिए खाने की गोलियां

5292. श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति :
श्री अन्ना जोशी :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में महिलाएं गर्भ निरोधक के रूप में खाने की गोलियों को अधिक पसन्द करती हैं;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1991-92 के दौरान महिलाओं ने अनुमानतः खाने की कितनी गोलियों का प्रयोग किया है; और

(ग) ग्रामीण महिलाओं के बीच गोलियों को लोकप्रिय बनाने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी०के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) यह राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम में दिए गए गर्भनिरोधकों में से एक है और धीरे-धीरे इसकी स्वीकार्यता बढ़ रही है ।

(ख) ऐसा अनुमान है कि वर्ष 1991-92 के दौरान, मुख्य सेव्य गोलियों के लगभग 430 लाख चक्र निःशुल्क वितरण तथा सामाजिक विपणन योजनाओं के अन्तर्गत बांटे गए हैं।

(ग) मुख्य सेव्य गोलियों को लोकप्रिय बनाने के लिए सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं :—

(I) प्रयोगकर्ताओं को आसानी से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, माला "डी" और माला 'एन' को औषध एवं प्रसाधन नियमों की अनुसूची के अन्तर्गत लाया गया है जो डाक्टर के नुस्खे के बगैर और औषध विक्रेताओं की दुकानों के बाहर इन गोलियों की बिक्री का अधिकार देता है ।

(II) बच्चों के जन्म में अन्तर रखने के लिए मुख-सेव्य गर्भनिरोधक गोलियों के लिए विज्ञापन और प्रचार और इस उद्देश्य के लिए सूचना, शिक्षा और संचार प्रयासों को तेज किया गया है ।

(III) विपणन कम्पनियों और स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से मुख-सेव्य गर्भ-निरोधक गोली के सामाजिक विपणन को बढ़ाया गया है ।

बंगलौर में केंगेरी स्टेशन

5293. श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर शहर के उप नगर में केंगेरी रेलवे स्टेशन टूटी-फूटी हालत में है;

(ख) क्या रेलवे विभाग ने कैंथेरी में नए रेलवे स्टेशन का निर्माण कार्य शुरू कर दिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और वर्ष 1992-93 में अभी तक कितनी धनराशि व्यय की गई है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

पालक्काड किले में संग्रहालय

5294. श्री बी०एस० विजयराघवन : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पालक्काड किले में कोई संग्रहालय बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने टीपू सुल्तान द्वारा निर्मित इस प्राचीन स्मारक की सुरक्षा हेतु क्या उपाय किए हैं/करने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मन्त्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान पालक्काड किला (केरल) में किसी संग्रहालय की स्थापना का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ग) इसका रखरखाव और संरक्षण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किया जा रहा है ।

अनपर्ती और द्वारपूडी रेलवे स्टेशन

5295. श्री के०वी०आर० चौधरी : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण मध्य रेलवे में अनपर्ती और द्वारपूडी रेलवे स्टेशनों का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) स्टेशनों का विस्तार करना एक सतत् प्रक्रिया है जो यातायात की जरूरतों के अनुसार किया जाता है, बशर्ते धन उपलब्ध हो, तदनुसार, द्वारपूडी स्टेशन पर 51.68 लाख रुपए की लागत से एक कार्य स्वीकृत किया गया है जिसमें स्टेशन की नई इमारत निचली सतह वाले प्लेटफार्म का निर्माण और प्लेटफार्म पर सायबान की व्यवस्था करना शामिल है ।

अनपर्ती में मौजूदा सुविधाएं यातायात की जरूरतों के अनुरूप हैं। यात्री यातायात में वृद्धि होने से अपेक्षित समझे जाने पर अतिरिक्त सुविधाओं की व्यवस्था कर दी जाएगी।

मध्य प्रदेश में चीनी का उत्पादन

[हिन्दी]

5296. **श्री शिवराज सिंह चौहान** : क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष जुलाई माह तक देश में चीनी के उत्पादन में मध्य प्रदेश का कितना हिस्सा था; और

(ख) पिछले वर्ष की तुलना में इसके उत्पादन में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई ?

नागरिक पूर्ति उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) और (ख) 1991-92 के चालू मौसम के दौरान मध्य प्रदेश में स्थित चीनी फैक्ट्रियों ने 15 जुलाई, 1992 तक देश में उत्पादित कुल 131.41 लाख टन (अनन्तिम) चीनी में से 1.27 लाख टन (अनन्तिम) चीनी का उत्पादन किया था जो कुल उत्पादन का 0.97 प्रतिशत था। 1991-92 के चालू मौसम के दौरान मध्य प्रदेश में चीनी का उत्पादन 15 जुलाई, 1992 तक पिछले 1990-91 मौसम की इसी अवधि की तुलना में 23.30 प्रतिशत बढ़ा है।

पटियाला में डीजल कारखाना

[अनुवाद]

5297. **श्री शशि प्रकाश** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "डीजल कम्पोनेन्ट वर्कशाप पटियाला" में 1991-92 में पर्याप्त सुधार हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके उत्पादन में हुए सुधार का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उत्पादन के स्तर में और सुधार/वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) डीजल कलपुर्जा कारखाना, पटियाला द्वारा पिछले वर्षों की तुलना में 1991-92 के दौरान की गयी प्रगति इस प्रकार है :—

	1989-90	1990-91	1991-92
(i) पुर्जा निर्माण तथा कलपुर्जा मरम्मत (करोड़ रुपयों में)	23.48	34.04	49.27
(ii) रेल इंजन पुनर्निर्माण	3	26	53

उत्पादकता में सुधार करना एक सतत प्रक्रिया है और 1992-93 के दौरान उत्पादन में निम्न प्रकार सुधार होने की आशा है :—

(i) पुर्जा निर्माण तथा कलपुर्जा मरम्मत	—	54.89 करोड़ रुपए
(ii) रेल इंजन पुनर्निर्माण	—	72 अदद

'कास्मेटिक सर्जरी'

5298. **डा० श्रीमती के० एस० सौन्दम** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन मेडिकल कालेजों/संस्थाओं के नाम क्या हैं जिनमें 'कास्मेटिक सर्जरी' में विशिष्ट पाठ्यक्रम की सुविधा उपलब्ध है; और

(ख) सरकार द्वारा समाज को इस चिकित्सा का लाभ उपलब्ध कराने हेतु अन्य मेडिकल कालेजों/संस्थाओं में इस पाठ्यक्रम को उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारा देवी सिद्धार्थ) : (क) और (ख) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद ने स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा के बारे में अपनी सिफारिशों में कास्मेटिक सर्जरी को एक विशेषज्ञता के रूप मे निर्धारित नहीं किया है। बहरहाल, प्लास्टिक सर्जनों द्वारा प्राय: कास्मेटिक सर्जरी की जाती है और प्लास्टिक सर्जरी पाठ्यक्रम संलग्न विवरण में सूची के रूप में दिए गए भारत के 23 मेडिकल कालेजों/संस्थाओं में चलाया जाता है। भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद सम्बन्धित विश्वविद्यालयों के माध्यम से कालेजों/संस्थाओं द्वारा इन पाठ्यक्रमों को आरम्भ करने के लिए किए गए अनुरोधों पर विचार करती है जिनका आधार प्रदान की गई सुविधाओं की पर्याप्तता पर निर्भर करता है।

विवरण

संस्थाओं की सूची

क्रम सं०	मेडिकल कालेज/संस्था का नाम
1	2
1.	ग्रांट मेडिकल कालेज, बम्बई
2.	सेठ जी०एस० मेडिकल कालेज, बम्बई
3.	टी०एन० मेडिकल कालेज, बम्बई
4.	मेडिकल कालेज, नागपुर

1	2
5.	सशस्त्र सेना मेडिकल कालेज, पूना
6.	क्रिश्चियन मेडिकल कालेज, लुधियाना
7.	स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़
8.	सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली
9.	उस्मानियां मेडिकल कालेज, हैदराबाद
10.	पटना मेडिकल कालेज, पटना
11.	मेडिकल कालेज, बड़ौदा
12.	त्रिवेन्द्रम मेडिकल कालेज, त्रिवेन्द्रम
13.	मेडिकल कालेज, कालीकट
14.	मद्रास मेडिकल कालेज, मद्रास
15.	स्टेनले मेडिकल कालेज, मद्रास
16.	क्रिश्चियन मेडिकल कालेज, वेल्लूर
17.	किलपॉक मेडिकल कालेज, मद्रास
18.	तंजाउर मेडिकल, तंजाउर
19.	मदुरै मेडिकल कालेज, मदुरै
20.	मेडिकल कालेज, बंगलूर
21.	गवर्नमेंट मेडिकल कालेज, पटियाला
22.	सवाई मानसिंह मेडिकल कालेज, जयपुर
23.	इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साईंसिज, वाराणसी।

इन्डोनेशिया के लिए बालीयात्रा

5299. **श्री सुवास चन्द्र नायक** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने इन्डोनेशिया के लिए बालीयात्रा आरम्भ करने के लिए धनराशि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया था; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए उड़ीसा सरकार को कितनी धनराशि मन्जूर की गई ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री : (कुमारी शैलजा) : (क) जी, हां।

(ख) दी जाने वाली वित्तीय सहायता की राशि के सम्बन्ध में राज्य सरकार के साथ अभी विचार-विमर्श चल रहा है।

डा० भीमराव अम्बेडकर की जन्म शताब्दी के लिए अनुदान

5300. श्री के० प्रधानी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डा० भीमराव अम्बेडकर की जन्म शताब्दी समारोह से लिए उड़ीसा के संगठनों को स्वीकृत की गई अनुदान राशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने अनुदान के उचित उपयोग के बारे में जांच की है; और

(ग) यदि हां, तो इसके निष्कर्ष क्या हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) इस समारोह के लिए मुख्य मन्त्रालय-कल्याण मन्त्रालय ने सूचित किया है कि डा० भीमराव अम्बेडकर की जन्म शताब्दी मनाने के लिए उड़ीसा के किसी भी संगठन को कोई राशि मन्जूर नहीं की गई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

पर्वतीय क्षेत्रों के लिए माल डिब्बे

5301. मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्दूरी : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में खाद्यान्न की ढुलाई के लिए रेलवे द्वारा कुल कितने माल डिब्बों/रेक उपलब्ध कराए हैं और यह व्यवस्था प्रत्येक स्टेशन पर किस प्रकार की गई है;

(ख) क्या कोटद्वार रेलवे स्टेशन द्वारा खाद्यान्नों की ढुलाई सेवा नियमित रूप से की जा रही है;

(ग) यदि हां, तो कब से; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों को सेवित करने वाले स्टेशनों के लिए वर्ष 1991-92 के दौरान खाद्यान्न के 3748 मालडिब्बों के बराबर 52 रेकों

की तुलाई की गई थी जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

		(मालडिब्बे) (चौपहियों में)
ऋषिकेश	—	1460
देहरादून	—	1344
हरिद्वार	—	881
कोटद्वार	—	63
	जोड़ :	3748

(ख) जी, हां।

(ग) 1989-90 से।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

केरल के रेल यात्रियों की कठिनाइयां

5302. श्री पी० सी० थामस : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें दिल्ली के केरल वासियों की ओर से उनकी दिल्ली से केरल तक की रेल यात्रा में होने वाली कठिनाइयों के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन पर क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) ज्ञापन में निम्नलिखित मांगे प्रस्तुत की गई हैं :

(i) नई दिल्ली से केरल तक एक अतिरिक्त सुपरफास्ट गाड़ी शुरू करना।

(ii) 2626 केरल-मंगला एक्सप्रेस का फरीदाबाद स्टेशन पर ठहराव।

(iii) केरल के लिए बेहतर माल संचलन सुविधाएं।

(iv) केरल-मंगला एक्सप्रेस में भली प्रकार अनुरक्षित डिब्बों की व्यवस्था और बेहतर खानपान सुविधाओं की व्यवस्था।

(ग) परिचालनिक कठिनाइयों और संसाधनों की तंगियों के कारण केरल के लिए अतिरिक्त गाड़ी शुरू करना फिलहाल व्यावहारिक नहीं है। 2626 केरल-मंगला एक्सप्रेस को फरीदाबाद में ठहराव देना भी औचित्यपूर्ण नहीं है।

केरल के लिए ब्लाक रेकों में आवक और जावक यातायात के लिए माल संचलन मांगों को पूर्णतया पूरा किया जा रहा है। फुटकर संचलन के लिए मालडिब्बों की मांग को मांग पत्रों को क्लब करके और दो/तीन प्वाईंट रेक बनाकर पूरा किया जाता है।

केरल मंगला एक्सप्रेस के सवारी डिब्बों का निर्धारित मानकों के अनुसार अनुरक्षण किया जाता है और अनुसूचित अनुरक्षण प्राथमिक और गौण डिपुओं में किया जाता है।

यात्रियों की खानपान सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए केरल एक्सप्रेस में पेंट्री कार की व्यवस्था की गई है। भोजन मार्गवर्ती आधार रसोईघरों से लिया जाता है। भोजन आदि के स्तर को बनाए रखने के लिए रेलों द्वारा सतत प्रयास किए जा रहे हैं।

पर्यावरण विकास प्राधिकरण

[हिन्दी]

5303. **श्री एन० जे० राठवा** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पश्चिमोत्तर हिमालय क्षेत्र के लिए कोई पर्यावरण विकास प्राधिकरण गठित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके उद्देश्य क्या हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

क्लोरीनयुक्त जल

[अनुवाद]

5304. **श्री सनत कुमार मण्डल** :
श्री पांडुरंग पुंडलिक फुंडकर :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 22 जुलाई, 1992 के "द हिन्दू" के मद्रास संस्करण में "क्लोरीनेटेड वाटर कैन इंक्रीज कैंसर रिस्क" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है।

(ख) क्या हाल ही में किए गए एक नए अध्ययन से पता लगा है कि क्लोरीनयुक्त जल पीने वाले

व्यक्तियों में असंसाधित जल पीने वाले व्यक्तियों की अपेक्षा मूत्राशय अथवा मलाशय का कैंसर होने का खतरा अधिक होता है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस अध्ययन पर ध्यान दिया है और इस पहलू की जांच की है; और

(घ) क्लोरीन उपजातों के निर्माण को न्यूनतम करने हेतु क्लोरीनीकरण की प्रक्रिया की जांच करने और इसमें रोगमूलक तत्वों की उन्मूलन करने के लिए सरकार किन उपायों पर विचार कर रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) अमेरिकन जनरल आफ पब्लिक हेल्थ से समाचार पत्र में उल्लिखित रिपोर्ट में क्लोरीनयुक्त जल कैंसर के सम्बन्ध ने प्रकाशित कार्य का संक्षिप्त विश्लेषण किया गया है। चूंकि हमारे देश में ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया गया है इसलिए क्लोरीनयुक्त जल के पीने तथा हमारे यहां की स्थितियों में कैंसर के अधिक खतरे के बीच सम्बन्ध निश्चित रूप से स्थापित नहीं किया जा सकता।

(घ) जल के रोग जनकों को नष्ट करने के लिए पानी को गर्म करने, ओजोनीकरण और अल्ट्रा-वायलेट रेज एक्सपोजर जैसी वैकल्पिक विधियां हैं। तथापि ये विधियां बहुत खर्चीली हैं और सार्वजनिक जल आपूर्ति प्रणाली में अपनाने के लिए उपयुक्त नहीं हैं।

गन्ने का उत्पादन और पेराई

[हिन्दी]

5305. श्री चिन्मयानन्द स्वामी : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में वर्ष 1991-92 के दौरान कुल कितने गन्ने का उत्पादन हुआ और इसकी चीनी मिलों में कितनी मात्रा की पेराई की गयी ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : वर्ष 1991-92 के दौरान देश में गन्ने का कुल उत्पादन 244.9 मिलियन टन (अनंतिम) होने का अनुमान है तथा चीनी फैक्ट्रियों से प्राप्त सूचना के अनुसार चालू मौसम के दौरान 15 जुलाई, 1992 तक उनके द्वारा इसमें से 130.5 मिलियन टन (अनंतिम) गन्ने की पेराई की गई है।

पर्यावरण पर बैठक/सम्मेलन

[अनुवाद]

5306. श्री जितेन्द्र नाथ दास : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार को अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों से पर्यावरण पर बैठकों/सम्मेलनों में भाग लेने के सम्बन्ध में कितने निमन्त्रण प्राप्त हुए; और

(ख) इनमें से प्रत्येक बैठक/सम्मेलन में कितने पत्रकार तथा वैज्ञानिक भेजे गए ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

शिक्षा पर खर्च

[हिन्दी]

5307. **श्री नीतीश कुमार :**

डा० महादीपक सिंह शाक्य :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 10 जुलाई, 1992 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "शिक्षा पर प्रति व्यक्ति खर्च" के सम्बन्ध में प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या हाल ही में विश्वविद्यालयों के साथ कोई सम्मेलन आयोजित किया गया था;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उसका क्या निष्कर्ष निकला; और

(ङ) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान विश्वविद्यालयों के लिए कितनी अनुदान राशि निर्धारित की गई है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीय शिक्षा नीति—1986 (1992 में यथा संशोधित) में यह नोट किया गया है कि शिक्षा सम्बन्धी निवेश का वास्तविक स्तर रा० शि० नी० 1968 में निर्धारित राष्ट्रीय आय के 6% के लक्ष्य से काफी कम रहा है। अतः इस नीति में यह परिकल्पना की गई है कि शिक्षा सम्बन्धी कुल परिव्यय में वृद्धि की जाएगी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान तथा इससे आगे इसमें राष्ट्रीय आय के 6% की एक समान वृद्धि की जाएगी।

(ग) और (घ) मानव संसाधन विकास मंत्री ने 7-8 जुलाई, 1992 को वि० अ० आ० के अध्यक्ष और केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ उनके द्वारा सामना की जा रही वित्तीय कठिनाइयों को कम करने के उपायों पर विचार करने के लिए विचार विमर्श किया। इन विचार विमर्शों के आधार पर वि० अ० आ० ने केन्द्रीय विश्वविद्यालयों और दिल्ली के कालेजों के अनुरक्षण अनुदान रोकने सम्बन्धी अपने पिछले आदेश वापस ले लिए हैं।

(ङ) शिक्षा विभाग के अनुमोदित बजट प्राक्कलन 1992-93 में आयोग के अपने व्यय को वहन करने और विश्वविद्यालयों को भुगतान करने के लिए वि० अ० आ० को सहायता अनुदान प्रदान करने के वास्ते योजनेत्तर के अन्तर्गत 247.09 करोड़ रुपए और योजनागत के अन्तर्गत 124 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है।

शिक्षा की दृष्टि से महाराष्ट्र के पिछड़े जिले

†5308. **श्री विलासराव नागनाथराव गूंडेवार** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े उन जिलों के नाम क्या हैं जिनमें साक्षरता औसत राज्य के औसत साक्षरता स्तर से कम है; और

(ख) इनके पिछड़ेपन को दूर करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

(ख) प्रारम्भिक तथा प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्रों में कई कार्यक्रम क्रियान्वयनाधीन हैं। इसके अतिरिक्त आपरेशन-ब्लैक बोर्ड, शिक्षक-शिक्षा, गैर-औपचारिक शिक्षा तथा प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम, जैसी केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत, राज्य सरकारों को शैक्षिक विकास हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। राज्य सरकार/संघ शासित प्रदेशों के प्रशासन को पिछड़े हुए जिलों पर ध्यान केन्द्रित करने की सलाह दी गई है।

विवरण में, शामिल तीन जिलों अर्थात् औरंगाबाद, नानदेड़ तथा परभनी में कुल साक्षरता अभियान आयोजित किए गए हैं।

विवरण

उन जिलों की सूची, जिनकी साक्षरता दर, 1981 की जनगणना के अनुसार, राज्य की औसत-साक्षरता-दर 47.18 प्रतिशत (सभी व्यक्ति) से कम है

राज्य का नाम	क्रम संख्या	जिलों के नाम	साक्षरता-दर
1	2	3	4
महाराष्ट्र	1	रायगढ़ (कुलाबा)	45.59
	2.	नासिक	44.36
	3.	धुले	37.51
	4.	अहमदनगर	43.16

1	2	3	4
	5.	सांगली	46.87
	6.	शोलापुर	40.68
	7.	कोल्हापुर	45.36
	8.	औरंगाबाद	35.80
	9.	परभनी	30.33
	10.	बीड	31.79
	11.	नांदेड़	29.78
	12.	उस्मानाबाद	35.36
	13.	बुल्डाना	44.64
	14.	यवतमाल	39.29
	15.	भन्डारा	43.92
	16.	चन्द्रपुर	34.69

कैंसर पर अनुसंधान परियोजना

[अनुवाद]

5309. **श्री रवि राय :**

श्रीमती डी० के० भण्डारी :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, राष्ट्रीय कैंसर संस्थान और अमरीका की नेशनल इन्स्टीट्यूट आफ हैल्थ—बेथेस्डा, संयुक्त रूप से कैंसर अनुसन्धान सम्बन्धी परियोजना पर कार्य कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भारत में कैंसर के इलाज में इस अनुसन्धान कार्य का क्या उपयोग किया जाएगा ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) से (ग) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली द्वारा सूचित किया गया है कि "लिम्फाइड निओप्लासिया के लक्षण और उपचार" के बारे में नेशनल इन्स्टीट्यूट आफ हेल्थ, संयुक्त राज्य अमेरिका

तथा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के बीच एक करार पर हस्ताक्षर हुए हैं। परियोजना के लिए कुल स्वीकृत अनुदान लगभग 177 लाख रुपए है और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान को जून, 1992 से मई, 1993 की अवधि के लिए अनुदान की पहली किश्त के रूप में 14-7-1992 को लगभग 43 लाख रुपए प्राप्त हो गए हैं। यह परियोजना लसीकाभ बुर्दमताओं में अनुसंधान के लिए मंजूर की गई है और यह संयुक्त राज्य रुपया निधि (पी० एल० 480) से पांच वर्ष की अवधि के लिए वित्तपोषित है। इस परियोजना से भारतीय उपमहाद्वीप में लिम्फाइड निओप्लासिया में बेहतर जानकारी और उपचार विधियों में सुधार लाया जा सकेगा।

यवतमाल-पुलगांव और अचलपुर-मुर्तजापुर सेक्शन

5310. प्रो० राम कापसे : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार यवतमाल-मुर्तजापुर-अर्वी-पुलगांव और अचलपुर-मुर्तजापुर खण्ड को पट्टे पर चला रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों के दौरान इसकी स्वामी कंपनी (किलिक निक्सन एंड कम्पनी) को कितनी धनराशि का भुगतान किया गया;

(ग) क्या इस खंड के रेलमार्ग और डिब्बे जर्जर अवस्था में हैं तथा इसके परिणामस्वरूप यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है; और

(घ) यदि हां, तो इन खंडों पर रेल मार्गों/डिब्बों की मरम्मत और नवीकरण हेतु क्या कदम उठाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) इन लाइनों को एक करार की शर्तों के अनुसार मध्य रेलवे द्वारा परिचालित किया जा रहा है। करार की मुख्य बातें संलग्न विवरण में दी गई हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान कम्पनी को किया गया भुगतान इस प्रकार है :—

वर्ष	राशि (रुपए)
1988-89	7,65,534
1989-90	7,40,388
1990-91	9,04,643

(ग) सवारी डिब्बे लगभग 35 वर्ष पुराने हैं और हालांकि संरक्षा की सभी शर्तें पूरी की जाती हैं, लेकिन अंदरूनी भाग समुचित स्तर का नहीं है।

(घ) सवारी डिब्बों के बदलाव की संभाव्यता का पता लगाया जा रहा है।

विवरण

केन्द्र सरकार तथा सेन्ट्रल प्राविन्सेज रेलवे कम्पनी लि० के बीच 23-7-1916 को हुए करार की मुख्य बातें इस प्रकार हैं :

(i) संचालन व्यय को पूरा करने के लिए, इन लाइनों की सकल आमदनी का 45% मध्य रेलवे अपने पास रखती है।

(ii) सकल आमदनी के शेष भाग (55%) को शाखा लाइनों की शुद्ध आमदनी के रूप में माना जाता है।

(iii) यदि शुद्ध आमदनी कंपनी की प्रदत्त हिस्सा पूंजी के 5% से कम हो, तो कम्पनी को उतनी छूट दी जाती है जिससे कि यह राशि कम्पनी की प्रदत्त हिस्सा पूंजी के 5% के बराबर हो जाए। इसके अलावा, प्रबन्धकों के कार्यालय खर्च के लिए 15,000 रुपए का भुगतान किया जाता है।

(iv) यदि शुद्ध आमदनी प्रदत्त हिस्सा पूंजी के 5% से अधिक हो, तो 5% की इस सीमा से अधिक की राशि में से, कम्पनी को 21,000 रु० की राशि का भुगतान कार्यालय खर्च तथा प्रबन्ध-व्यवस्था के खर्च के रूप में किया जाता है और शेष राशि को मध्य रेलवे तथा कम्पनी के बीच बराबर-बराबर बांट दिया जाता है।

रेल दावे

[हिन्दी]

5311. श्री अवतार सिंह भडाना : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विगत तीन वर्षों के दौरान रेल-दावा अधिकरणों के निर्णयों के विरुद्ध उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में कितने मामले दायर किए गए हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : 297

राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता

[अनुवाद]

5312. श्री अनन्तराव देशमुख : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत दो वर्षों के दौरान राष्ट्रीय खेल-कूद प्रतिभा प्रतियोगिता योजना के अन्तर्गत कितने बच्चों का चयन किया गया है; और

(ख) इन छात्रों को किन-किन विधाओं में प्रशिक्षण दिया जा रहा है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय (युवा कार्य और खेल-कूद विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग) में राज्य मन्त्री (कुमारी ममता बनर्जी) : (क) एन० एस० टी० सी० योजना के अन्तर्गत चुने गए बच्चों की संख्या निम्नलिखित है :—

चयन का वर्ष	छात्रों की संख्या
1990	328
1991	199

(ख) निम्नलिखित विधाओं में एन०सी०टी०सी० छात्रों द्वारा प्रशिक्षण लिया जा रहा है :—

(i) एथलेटिक्स

(ii) बैडमिंटन

(iii) बास्केट बाल

(iv) फुटबाल

(v) जिम्नास्टिक्स

(vi) हाकी

(vii) तैराकी

(viii) टेबल टेनिस

(ix) वालीबाल

(x) कुश्ती

भारतीय खेल प्राधिकरण के चिकित्सा केन्द्र

[हिन्दी]

5313. **श्री बृज भूषण शरण सिंह :**
श्री सत्यदेव सिंह :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली स्थित भारतीय खेल प्राधिकरण के खेल विज्ञान चिकित्सा केन्द्रों के फिजिं० ओथरेपी विभाग में आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु तथा बिस्तरों की और कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने की कोई योजना है ताकि भारतीय खिलाड़ियों को पर्याप्त फिजिओथरेपी सुविधा उपलब्ध कराई जा सके; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय (युवा कार्य और खेल कूद विभाग तथा बाल विकास विभाग) में राज्य मन्त्री (कुमारी ममता बनर्जी) : (क) भारतीय खेल प्राधिकारण द्वारा आधुनिक सुविधाओं वाली फिजिओथरेपी एकक की स्थापना 1985-86 में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली में की गई थी। दिल्ली में कोचिंग/प्रशिक्षण शिविरों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को फिजिओथरेपी की अपेक्षित सुविधाएं प्रदान करने के लिए एकक में पर्याप्त स्टाफ और बिस्तर हैं। फिजिओथरेपी एकक में स्टाफ और बिस्तर बढ़ाने की कोई योजना नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में केन्द्रीय हिन्दी संस्थान

5314. डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दी भाषा में शिक्षण और प्रशिक्षण के स्तर में सुधार लाने के लिए अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में केन्द्रीय हिन्दी संस्थान की कम्प्यूटर सुविधाओं से युक्त शाखा की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर कितनी धनराशि खर्च होने की सम्भावना है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) यह प्रश्न ही नहीं उठते।

आपात प्रयोक्ताओं तथा सामान्य प्रयोक्ताओं की वस्तुओं की मांग पूरा करना

[अनुवाद]

5315. श्री राम नाईक : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 29 मई, 1992 के "इण्डियन एक्सप्रेस" मुम्बई में "रेल सेक्टर आउट ले लो, सेज प्लान" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) क्या यह भी बताया गया है कि वस्तुओं की आपूर्ति करने के सम्बन्ध में रेलवे विभाग सातवीं योजनावधि के दौरान आपात प्रयोक्ताओं और सामान्य प्रयोक्ताओ की मांगों को पूरा करने में असमर्थ रहा है; और

(ग) यदि हां, तो आठवीं योजनावधि के दौरान उक्त मांग को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) सातवीं योजना में माल यातायात के लिए मूलत: 340 मिलियन टन की मांग का मूल्यांकन किया गया था. इसे मध्यावधि मूल्यांकन में संशोधित करके 345-348 मिलियन टन कर दिया गया और अन्तत: 334.3 मिलियन टन माल यातायात ढोया गया। कुल मिलाकर सभी क्षेत्रों की मांगें पूरी की गयी थीं, माल यातायात में गिरावट कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों से कम यातायात प्राप्त होने के कारण थी।

(ग) आठवीं योजना के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त चल स्टाक और सम्बद्ध यातायात सुविधा कार्यों की योजना बनाई गई है।

बैटरी चालित इंजन

5316. डा० रमेश चन्द तोमर :
श्री बलराज पासी :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्ज लिमिटेड द्वारा बनाए गए बैटरी चालित रेल इंजनों का परीक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और भाप चालित रेल इंजनों की तुलना में किफायत तथा क्षमता के सम्बन्ध में इस रेल इंजन का कार्यनिष्पादन कैसा है;

(ग) क्या संकरी रेल लाइन पर चलने वाली रेलगाड़ियों को चलाने के लिए इस रेल इंजन को अपनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) रेल इंजन ने भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्ज लिमिटेड को दिए गए परीक्षण सम्बन्धी आर्डर में यथा विनिर्दिष्ट कार्य-निष्पादन अपेक्षाएं पूरी नहीं की थीं, जिसे रद्द कर दिया गया है। ऐसी स्थिति मे, किफायत और कुशलता की दृष्टि से, भाप रेल इंजन से इस रेल इंजन के तुलनात्मक कार्य निष्पादन के मूल्यांकन का प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

गंगा कार्य योजना में लगे गैर-सरकारी संगठन

5317. श्रीमती विमल कुमारी भंडारी : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार गंगा कार्य योजना में लगे गैर-सरकारी संगठनों को कोई वित्तीय सहायता देती है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष तथा वर्ष 1992-93 के लिए कितनी धनराशि दी गयी है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) उन गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है जो गंगा कार्य योजना के अन्तर्गत जन जागरूकता कार्यक्रम में भाग लेते हैं।

(ख) एवं (ग) पिछले तीन वर्ष तथा वर्ष 1992-1993 के लिए गैर-सरकारी संगठनों को जारी की गई धनराशि का विवरण नीचे दिया जा रहा है।

वर्ष	जारी की गई धनराशि
1989-90	22,500 00 रुपए
1990-91	3,25,629.00 रुपए
1991-92	3,34,150.00 रुपए
1992-93	68,480.00 रुपए
31-7-92 तक	

टिकटों की खरीद हेतु क्रेडिट कार्ड

5318. श्री एम० वी० वी० एस० मूर्ति : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे स्टेशनों पर आरक्षित टिकटों की खरीद के लिए "क्रेडिट कार्ड" स्वीकार करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और ऐसे स्टेशनों की जोनवार संख्या क्या है जहां यह सुविधा उपलब्ध है;

(ग) क्या विशाखापत्तनम स्टेशन में भी इसे लागू किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अखिलेश दास गुप्ता) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) से (ङ) विशाखापत्तनम स्टेशन पर टिकटों की खरीद के लिए किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक ने अपने क्रेडिट कार्डों की स्वीकृति के लिए अनुरोध नहीं किया है।

विवरण

विभिन्न क्षेत्रीय रेलों पर 10 स्टेशनों/आरक्षण कार्यालयों में कुछ बैंकों के क्रेडिट कार्ड स्वीकार किए जाते हैं, जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

क्षेत्रीय रेलवे	स्टेशन/आरक्षण कार्यालय का नाम	बैंक का नाम
1 2	3	4
1. मध्य रेलवे	बम्बई वी०टी० कंप्यूटरीकृत आरक्षण कार्यालय	1. सेंट्रल बैंक आफ इंडिया
2. पूर्व रेलवे	न्यू कोयलाघाट केन्द्रीकृत आरक्षण कार्यालय, कलकत्ता	1. बैंक आफ बड़ौदा
3. उत्तर रेलवे	आई०आर०सी०ए० आरक्षण कार्यालय, नई दिल्ली	1. आंध्रा बैंक 2. बैंक आफ बड़ौदा 3. सिटी बैंक 4. विजया बैंक 5. केनरा बैंक 6. बैंक आफ इंडिया
4. पूर्वोत्तर रेलवे	कोई नहीं	
5. पूर्वोत्तर सीमा रेलवे	कोई नहीं	
6. दक्षिण रेलवे	मुर मार्केट काम्प्लैक्स, मद्रास	1. केनरा बैंक 2. आंध्रा बैंक 3. बैंक आफ बड़ौदा 4. सेंट्रल बैंक आफ इंडिया 5. बैंक आफ इंडिया
	बैंगलूर सिटी आरक्षण कार्यालय	1. विजया बैंक

1	2	3	4
			2. केनरा बैंक
			3. आंध्रा बैंक
			4. बैंक आफ इंडिया
7.	दक्षिण मध्य रेलवे	आरक्षण परिसर, सिकंदराबाद	1. आंध्रा बैंक
			2. बैंक आफ बड़ौदा
			3. केनरा बैंक
8.	दक्षिण पूर्व रेलवे	कोई नहीं	
9.	पश्चिम रेलवे	बम्बई सेन्ट्रल	1. सेंट्रल बैंक आफ इंडिया
			2. आंध्रा बैंक
			3. बैंक आफ बड़ौदा
		बम्बई चर्चगेट	1. सेंट्रल बैंक आफ इंडिया
			2. आंध्रा बैंक
			3. बैंक आफ बड़ौदा
		अहमदाबाद	1. बैंक आफ बड़ौदा
			2. सेंट्रल बैंक आफ इंडिया
		बड़ोदरा	1. बैंक आफ बड़ौदा

भरतपुझा स्टेशन (दक्षिण रेलवे)

5319. श्री वी० एस० विजयराघवन : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण रेलवे के पालघाट डिवीजन में भरतपुझा रेलवे स्टेशन एक गैर-सरकारी ठेकेदार द्वारा कमीशन के आधार पर चलाया जाता है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और उसका ठेका कब खत्म होगा;

(ग) क्या सरकार ने भरतपुझा रेलवे स्टेशन को गैर-सरकारी ठेकेदारों को पट्टे पर देने के बजाए उसे चलाने के लिए वहां नियमित रेल कर्मियों को नियुक्त करने का निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) जी, हां। कम यातायात को देखते हुए तथा रेलवे खर्च कम करने की वजह से, 4-4-1992 से भरतपुझा स्टेशन को ठेकेदार-परिचालित हाल्ट में बदल दिया गया था जिसके ठेका की अवधि 3-4-1997 तक है।

(ग) से (ङ) 27-6-1992 को हाल्ट ठेकेदार बिना बताए स्टेशन को छोड़कर भाग गया था। अतः, नये ठेकेदार की नियुक्त किए जाने तक इस स्टेशन को फिलहाल रेल कर्मचारी द्वारा चलाया जा रहा है। बहरहाल, किफायत की दृष्टि से, इस स्टेशन पर स्थाई कर्मचारी तैनात करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में खाद्यान्नों को क्षति

5320. श्री सैयद शाहाबुद्दीन :

श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा :

क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय खाद्य निगम के गोदामों और डिपुओं में वर्ष-वार और जोन-वार कुल कितनी मात्रा एवं मूल्य के खाद्यान्नों की अनाज-वार क्षति हुई;

(ख) वर्ष-वार किस डिपो में किसी एक वर्ष विशेष में सबसे अधिक मात्रा में क्षति रिकार्ड की गई है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं और इस क्षति के लिए उत्तरदायी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कदम उठाए गए हैं ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान (1988-89 से 1990-91 तक) भण्डारण (अपने और किराए के) के दौरान क्षतिग्रस्त हुए खाद्यान्नों की कुल मात्रा और मूल्य का जोनवार और वस्तुवार ब्यौरा विवरण-1, विवरण-2 और विवरण-3 में दिया गया है।

(ख) मुख्यालय जोनल,क्षेत्रीय स्तर पर डिपोवार हानियों का ब्यौरा नहीं रखा जाता है।

(ग) भण्डारण में हुई हानियों के कारण नीचे दिए गए हैं :—

(1) भण्डारण के दौरान नमी की हानि।

(2) भण्डारण में चूहों और पक्षियों द्वारा क्षति।

(3) भण्डारण के दौरान उपापचय (मेटाबालिक) की अधिक दर।

(4) भण्डारण की लम्बी अवधि।

(5) हैंडलिंग मजदूरों द्वारा लोहे के हुक इस्तेमाल करना जिनकी वजह से बाहर फैल गए अनाज को एकत्रित करना कठिन होता है ।

(6) बोरियों की बहु-हैंडलिंग ।

(7) प्रतिकूल मौसमी स्थितियों, आदि में कैंप में भण्डारण करना ।

जहां चूककर्ता कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करनी अपेक्षित होती है, उसे आरंभ किया जाता है और कार्यवाही के निष्कर्षों पर निर्भर करते हुए दण्ड दिया जाता है ।

विवरण-1

1988-89 से 1990-91 के वर्षों के दौरान भण्डारण (अपने और किराए के) में क्षतिग्रस्त हुए खाद्यान्नों की मात्रा और मूल्य को जोन-वार और वस्तु-वार ब्यौरा बताने वाला विवरण

(मात्रा मीटरी टन में)

वस्तु : गेहूं मूल्य लाख रुपयों में

1988-89		1989-90		1990-91	
मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1	2	3	4	5	6
उत्तरी जोन					
(—)19163	(—)442.71	(—)21173	(—)591.06	(—)31774	(—)853.63
दक्षिणी जोन					
(—)1964	(—)44.74	(—)6909	(—)160.34	(—)3772	(—)101.35
पश्चिमी जोन					
6346	139.64	(—)4451	(—)123.05	(—)3541	(—)101.36
पूर्वी जोन					
18938	416.96	5574	115.91	13583	342.78
एम०ई०एफ० जोन					
973	22.17	560	11.96	1060	23.77

1	2	3	4	5	6
अखिल भारत :					
5130	91.32	(—)26399	(—)746.58	(—)24444	(—)689.79

(—) = लाभ

स्रोत : अकाउन्ट्स बुक आन ट्रांजिट एंड स्टोरेज शार्टेजिज एनेक्श्चर—75, 82 और 86

विवरण-2

1988-89 से 1990-91 के वर्षों के दौरान भण्डारण (अपने और किराए के) में क्षतिग्रस्त हुए खाद्यान्नों की मात्रा और मूल्य का जोन-वार और वस्तु-वार ब्यौरा बताने वाला विवरण

(मात्रा मीटरी टन में)

वस्तु : चावल मूल्य लाख रुपयों में

1988-89		1989-90		1990-91	
मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1	2	3	4	5	6
उत्तरी जोन					
62399	1843.19	28860	947 59	60322	2229.54
दक्षिणी जोन					
10938	319.07	11251	384.11	14456	524.28
पश्चिमी जोन					
17200	493.26	13538	450.51	14558	540.22
पूर्वी जोन					
12459	359.40	13730	447.75	10731	382.04
एन०ई०एफ० जोन					
1950	60.30	2786	91.39	3050	113.51

1	2	3	4	5	6
अखिल भारत :					
104946	3075.22	70165	2321.35	103117	3789.59

स्रोत : अकाउन्ट्स बुक आन ट्रांजिट एंड स्टोरेज शार्टेजिज एनेक्श्चर— 76, 83 और 87

विवरण-3

1988-89 से 1990-91 के वर्षों के दौरान भण्डारण (अपने और किराए के) में क्षतिग्रस्त हुए खाद्यान्नों की मात्रा और मूल्य का जोन-वार और वस्तु-वार ब्यौरा बताने वाला विवरण

(मात्रा मीटरी टन में)

वस्तु : चावल के हिसाब से धान मूल्य लाख रुपयों में

1988-89		1989-90		1990-91	
मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1	2	3	4	5	6
उत्तरी जोन					
8699	189.71	13350	426.37	36399	1445.90
दक्षिणी जोन					
441	10.57	62	1.86	516	18.15
पश्चिम जोन					
747	17.27	45	0.41	50	1.10
पूर्वी जोन					
(—)15	(—)0.38	4	0.01	4	0.05

1	2	3	4	5	6
एन०ई०एफ० जोन					
(—)4	(—)0.11	14	0.26	183	6.25
अखिल भारत :					
9868	217.06	13475	428.91	37152	1471.45

(—) = लाभ

स्रोत : अकाउन्ट्स बुक आन ट्रांजिट एंड स्टोरेज शार्टेजिज एनेक्स्चर— 77, 84 और 88

दूषित ग्लूकोज बोतलें

5321. **श्री दत्तात्रेय बंडारु** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय औषध प्रयोगशाला ने ग्लूकोज की 30,000 बोतलों को अत्यधिक दूषित और घटिया स्तर की घोषित किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे पहले केन्द्रीय औषध-कोष प्रयोगशाला ने ग्लूकोज की इन्हीं बोतलों को उत्तम गुणवत्ता युक्त घोषित किया था;

(ग) यदि हां, तो इन अलग-अलग और परस्पर विरोधी प्रयोगशाला रिपोर्टों के क्या कारण हैं;

(घ) क्या उपर्युक्त दूषित ग्लूकोज बोतलों के कोयम्बतूर स्थित निर्माता द्वारा ग्लूकोज का उत्पादन अब भी किया जा रहा है; और

(ङ) दोषी अधिकारियों और निर्माता के विरुद्ध जांच के क्या निष्कर्ष निकले हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) केन्द्रीय जांच ब्यूरो के अनुरोध के आधार पर उत्तरी अंचल के केन्द्रीय औषध निरीक्षकों ने 20 बैचों के यादृच्छिक नमूने के लिए और उन्हें जांच और विश्लेषण के लिए केन्द्रीय औषध प्रयोगशाला को भेजा। इन नमूनों में से 14 को मानक गुणवत्ता का नहीं पाया गया क्योंकि उनमें फफूंदी थी; एक नमूना पाइरोजन जांच में खरा नहीं उतरा और शेष 5 नमूनों को मानक गुणवत्ता का घोषित किया गया।

(ख) इससे पूर्व औषध निरीक्षक, दिल्ली प्रशासन ने मैसर्स एल्के फार्मेस्युटिकल्स, नई दिल्ली के

परिसर से अन्तःशिरा द्रवों के 11 बैचों के नमूने लिए थे। इन नमूनों को विश्लेषण करने पर केन्द्रीय भारतीय भेषजसंहिता प्रयोगशाला, गाजियाबाद द्वारा मानक गुणवत्ता का घोषित किया गया।

(ग) दिल्ली प्रशासन और केन्द्रीय सरकार के निरीक्षकों द्वारा अन्तःशिरा द्रवों के विभिन्न बैचों के नमूने अलग-अलग और भिन्न-भिन्न समय पर जांच के लिए गए थे। इसके अतिरिक्त इन नमूनों का विश्लेषण दो विभिन्न प्रयोगशालाओं द्वारा किया गया जिनकी रिपोर्टें एक-दूसरे से भिन्न थीं।

(घ) औषध निरीक्षक, तमिलनाडु, जिसके क्षेत्राधिकार में विनिर्माता अर्थात मैसर्स ऑल्सर्स फार्मा लिमिटेड आता है, ने सूचित किया था कि तीन भिन्न-भिन्न निरीक्षण रिपोर्टों के आधार पर विनिर्माता द्वारा अन्तःशिरा द्रवों के विनिर्माण को बन्द करने की कार्रवाई करने का कोई कारण नहीं बनता था।

(ङ) केन्द्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट के आधार पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

मैसर्स एस्के फार्मेस्युटिकल्स और मैसर्स ऑल्सर्स फार्मा लिमिटेड के खिलाफ न्यायालय में मुकदमा भी चलाया गया है। यह मामला न्यायाधीन है।

हिन्दी शिक्षण सेमिनार

[हिन्दी]

5322. श्री एन० जे० राठवा : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद तथा हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर (गढ़वाल) के संयुक्त तत्वावधान में उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र में "तीसरी भाषा हिन्दी शिक्षण सामग्री आयोजन सेमिनार" आयोजित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है इसमें किन-किन अधिकारियों तथा किन-किन गैर-सरकारी कम्पनियों ने भाग लिया;

(ग) इसमें उठाए गए विषयों और दिए गए सुझावों का ब्यौरा क्या है तथा इसमें क्या निर्णय लिए गए; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी, हां।

(ख) सातवीं कक्षा में तीसरी भाषा के रूप में हिंदी पढ़ाने के लिए शिक्षक दिग्दर्शिका (गाइड) तैयार करने के वास्ते एक कार्यशाला आयोजित की गई थी। इस कार्यशाला में भाग लेने वालों का ब्यौरा विवरण में संलग्न है।

(ग) और (घ) कार्यशाला में, शिक्षक दिग्दर्शिका (गाइड) विकसित करने के लिए संरचना तैयार

करने के बारे में चर्चा की गई। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा प्रकाशन के लिए शिक्षक दिग्दर्शिका (गाइड) का पहला मसौदा भी तैयार किया गया।

विवरण

भाग लेने वालों का ब्यौरा

1. श्री सूरज भान सिंह
   अध्यक्ष
   वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग
   आर०के० पुरम, दिल्ली।

2. डा० बी०आर० जगन्नाथन
   प्रोफेसर (मानविकी)
   इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय ओपन (मुक्त) विश्वविद्यालय
   मैदानगढ़ी, दिल्ली।

3. डा० मुकुन्द द्विवेदी
   रीडर
   भगत सिंह कालेज,
   दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली।

4. डा० (कुमारी) वासुमती दागा
   रीडर, कलकत्ता विश्वविद्यालय, कलकत्ता।

5. डा० एच० बाल सुब्रमणियन
   भूतपूर्व निदेशक, केन्द्रीय हिंदी निदेशालय
   776, पाकेट 5, फेज-I
   मयूर विहार
   नई दिल्ली-58

6. डा०आर०पी० श्रीवास्तव
   प्रोफेसर, जामिया मीलिया
   इस्लामिया, दिल्ली।

7. डा०के०सी भाटिया
   भूतपूर्व निदेशक वृन्दावन शोध संस्थान
   (नदन) भारती नगर, मारिस रोड, अलीगढ़

8. डा० (श्रीमती) मंजु गुप्त
   रीडर, इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय ओपन (मुक्त)
   विश्वविद्यालय, दिल्ली।

9. डा० मृदुला जगराम
रीडर, एच०एन० बहुगुणा गढ़वाल
विश्वविद्यालय, श्रीनगर, गढ़वाल (उ० प्र०)।

10. डा० कुसुम अग्रवाल,
रीडर, एच०एन० बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय
गढ़वाल (उ०प्र०)।

11. डा० के०बी० बुधोरी
प्रोफेसर, एच०एन० बहुगुणा गढ़वाल
विश्वविद्यालय, गढ़वाल (उ०प्र०)।

12. डा० हरि मोहन
रीडर, एच०एन० बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय
गढ़वाल (उ०प्र०)

13. डा० पूनम सहगल
मनसा, (मध्य प्रदेश)।

14. श्री वी०एस० ठाकुर
ए०डी०आई०एस०, लांगी (मध्य प्रदेश)।

डा० सूरजभान सिंह ही केवल ऐसे सरकारी अधिकारी थे जिन्होंने कार्यशाला में भाग लिया। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के दो अकादमी स्टाफ सदस्यों— डा०एच०एल० बाछोटिया तथा डा०एस०सी० पांडेय ने कार्यशाला आयोजित की ;

एशियाटिक सोसाइटी की गुम हुई चाबियां

[अनुवाद]

5323. श्री सनत कुमार मंडल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को एशियाटिक सोसाइटी, कलकत्ता से एक हैरिटेज म्यूजियम की स्थापना के बारे में कोई प्रस्ताव मिला है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) इस उद्देश्य हेतु कितनी धनराशि का आबंटन किया जा रहा है;

(घ) क्या एशियाटिक सोसाइटी की "खोई हुई चाबियां" और बहुमूल्य निधि (ट्रेजर ट्रोव)" मिल गई है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मन्त्री (कुमारी शैलजा) : (क) यद्यपि सोसाइटी से कोई औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है, फिर भी मामला सरकार के ध्यान में आया है।

(ख) सरकार वित्तीय कठिनाइयों को दृष्टिगत रखते हुए सोसाइटी से इस प्रस्ताव को आस्थगित रखने का पहले ही अनुरोध कर चुकी है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) सोसाइटी ने पुलिस की उपस्थिति में जांच कराई है और यह पता लगाया है कि लोहे की तिजोरी, एक अलमारी और लकड़ी की एक पेटिका, जिनमें इन बहुमूल्य सिक्कों और प्लेटों को रखा गया है, की सील सही सलामत है। इसका अभिप्राय यह है कि इन बहुमूल्य वस्तुओं की कोई क्षति नहीं हुई है। सोसाइटी ने स्ट्रांग रूम के मौजूदा तालों के स्थान पर नए ताले पहले ही लगा दिए हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई अनधिकृत व्यक्ति इन तक न पहुंच सके।

हिन्दी में विज्ञान लेखन पर कार्यशाला

5324 प्रो० राम कापसे : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रोद्योगिकी संस्थान, कानपुर ने हिंदी में विज्ञान लेखन पर कार्यशाला का आयोजन किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संस्थान ने हिंदी में विज्ञान साहित्य लिखने की कला विकसित करने के लिए किन उपायों का सुझाव दिया है;

(ग) प्रशिक्षण कार्यक्रम, सहायक सामग्री, शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण केन्द्र तथा स्नातक स्तर पर आधारभूत विज्ञान, इंजीनियरिंग चिकित्सा विज्ञान तथा हिंदी अथवा भारतीय भाषाओं में संप्रेषण कौशल के विकास से सम्बन्धित ब्यौरा क्या है; और

(घ) हिन्दी में विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों का पाठ्यक्रम ब्रिटेन और अमेरिका में विकसित "संप्रेषण कौशल" संबंधी पाठ्यक्रम से किस दृष्टि से भिन्न है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) संस्थान के रचनात्मक लेखन और प्रकाशन केन्द्र तथा राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, नई दिल्ली के संयुक्त तत्वावधान में इस संस्थान में 25 और 26 अक्तूबर, 1991 को हिन्दी में विज्ञान लेखन पर एक सेमिनार आयोजित किया गया था। विज्ञान लेखन पर कोई कार्यशाला आयोजित नहीं की गई। सेमिनार की सिफारिशें, संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ग) और (घ) इस सेमिनार में इस बात की ओर ध्यान दिलाया गया कि हिंदी सहित सभी

भारतीय भाषाओं में, लोकप्रिय विज्ञान लेखन पर परिमाण-वार और कोटि-वार साहित्य पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है। अन्य कोई ब्यौरे भी उपलब्ध नहीं हैं।

विवरण

सेमिनार में पारित संस्तुतियां :—

सेमिनार में यह महसूस किया गया कि "राष्ट्रीय लोकप्रिय विज्ञान लेखन" का बहुमुखी विकास, वैज्ञानिक नजरिया विकसित करने में सहायक होगा। जहां तक हमारे देश का प्रश्न है, अभी तक हिन्दी सहित सभी भारतीय भाषाओं में पर्याप्त मात्रा में परिमाणात्मक एवं गुणात्मक रूप में "लोकप्रिय विज्ञान लेखन" उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा विज्ञान लेखन से और भी कई समस्याएं जुड़ी हुई हैं। इन समस्याओं पर व्यापक विचार-विमर्श के बाद, निम्नलिखित सिफारिशें की गयीं।

1. प्राथमिक और माध्यमिक स्तर की भाषा शिक्षण की पाठ्य पुस्तकों में विज्ञान सम्बन्धी अध्यायों का अधिक से अधिक समावेश होना चाहिए।

2. समाचार पत्रों, पत्र-पत्रिकाओं में विज्ञान विषयक सामग्री का अधिक से अधिक समावेश होना चाहिए। इसके लिए विज्ञान संबंधी स्थायी स्तंभों की शुरुआत लाभप्रद होगी।

3. विज्ञान लेखन के क्षेत्र में नई प्रतिभाओं के प्रोत्साहन के लिए निम्नलिखित उपाय प्रस्तावित हैं :—

   (क) आई०आई०टी०, कानपुर की तरह अन्य तकनीकी संस्थानों में भी रचनात्मक लेखन केन्द्रों की स्थापना की जानी चाहिए। विज्ञान और साहित्य सम्बन्धी पत्रिकाओं का प्रकाशन, हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं में आरम्भ किया जाना चाहिए।

   (ख) इंजीनियरिंग, मेडीकल और बेसिक साइंस के स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर "संप्रेषण कौशलवर्धन" विषय पढ़ाने की व्यवस्था की जाए।

   (ग) ललित कला महाविद्यालयों के पाठ्यक्रम में विज्ञान संबंधी विषयों के चित्रण को भी शामिल किया जाये।

   (घ) विज्ञान लेखकों और विज्ञान के चित्रकारों (कलाकारों) के लिए कार्यशालाएं आयोजित की जाएं।

4. विज्ञान लेखकों एवं अनुवादकों को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित सुझाव प्रस्तावित हैं :—

   (क) लेखकों को विज्ञान साहित्य (विषयों) सम्बन्धी पांडुलिपि तैयार करने, यात्रा करने, साक्षात्कार लेने, संदर्भ सामग्री का संकलन करने एवं स्टेशनरी, टंकण आदि के लिए, अधिक आर्थिक-सहायता का प्रावधान किया जाए।

   (ख) हिन्दी के विज्ञान लेखकों एवं अनुवादकों को भी अंग्रेजी तथा अन्य सभी भारतीय

भाषाओं में विज्ञान लेखन के लिए दिए जाने वाले पारिश्रमिक के बराबर पारिश्रमिक दिया जाना चाहिए।

(ग) तकनीकी विषयों पर विज्ञान लेखन के लिए लेखकों को मार्ग दर्शन करने वाले विशेषज्ञ को सम्मानित किए जाने का प्रावधान हो।

5. प्रामाणिक विज्ञान लेखक के लिए, अनुसंधान, एवं प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना की जाए, जिनमें निम्न सुविधाओं की व्यवस्था हो :—

(क) सभी भारतीय भाषाओं में, साइंस राइटर्स वर्क स्टेशन उपलब्ध हों, जिनमें वर्ड प्रोसेसिंग, डेटा-बैंक, प्रबंधन, शैली-मुहावराकोश में सुधार के लिए साफ्टवेयर, रचनाओं के मूल्यांकन सम्बन्धी साफ्ट वेयरों आदि की समुचित व्यवस्था हो।

(ख) प्रशिक्षण और पांडुलिपियों के मूल्यांकन की सुविधाएं उपलब्ध हों।

(ग) भारतीय विज्ञान के इतिहास और लोकप्रिय विज्ञान साहित्य सम्बन्धी ग्रन्थ व पत्र-पत्रिकाएं उपलब्ध हों।

(घ) विश्व विज्ञान साहित्य की समीक्षा के लिए पत्रिका का प्रकाशन किया जाए।

(ङ) विज्ञान और तकनीकी लेखन के बारे में पुस्तकें प्रकाशित की जाएं।

(च) केन्द्र, पाठकों की प्रतिक्रिया का सर्वेक्षण एवं अध्ययन करें।

6. लोकप्रिय विज्ञान साहित्य के अनुवादकों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रशिक्षण, समुचित पारिश्रमिक और उचित श्रेय दिए जाने की व्यवस्था की जाए।

7. लोकप्रिय विज्ञान लेखन, सरल, स्पष्ट एवं बोधगम्य तथा रोचक हो। इसमें यथासंभव भारतीय वैज्ञानिकों के योगदान का उल्लेख किया जाए।

8. विज्ञान साहित्य के मूल्यांकन के मानदंड एवं पद्धतियां, सुनिश्चित की जाएं।

9. सामान्य पाठकों, स्वैच्छिक संस्थाओं केन्द्र एवं राज्य सरकारों की आवश्यकताओं के अनुरूप, विषय-चयन और विज्ञान साहित्य का निर्माण किया जाए।

रेलगाड़ियों के "स्टापेज"

5325. **श्री जितेन्द्र नाथ दास** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर बंगाल के कुछ रेलवे स्टेशनों पर कुछ गाड़ियों के "स्टापेज" समाप्त कर दिए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) गाड़ियों के कम लोकप्रिय होने

के कारण 1-7-92 से नार्थ ईस्ट एक्सप्रेस का जलपाईगुड़ी रोड और कामरूप एक्सप्रेस के न्यू भायनागुड़ी, हरिश्चंद्रपुर, समसी और अलुआबाड़ी रोड स्टेशनों पर ठहराव समाप्त कर दिए गए थे। लेकिन जनता की मांग पर 2-7-92 से पुन: ठहराव दे दिए गए।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद तथा राष्ट्रीय शिक्षा योजना संस्थान द्वारा उच्चतर माध्यमिक शिक्षा पर अध्ययन

5326. **श्री रवि राय** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद और राष्ट्रीय शिक्षा योजना संस्थान ने उच्चतर माध्यमिक शिक्षा पर कोई अध्ययन कराया है जैसाकि 19 जुलाई, 1992 के "स्टेट्समैन" में छपा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है और उसका क्या निष्कर्ष निकला ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री कुमारी शैलजा : (क) और (ख) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एन०सी०ई०आर०टी०) तथा राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना और प्रशासन संस्थान (नीपा) समय-समय पर माध्यमिक शिक्षा के विभिन्न पहलुओं पर गहन अध्ययन का कार्य चलाते रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा का क्षेत्र बृहद है जिसमें कई ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे और क्षेत्र शामिल हैं जो अनुसंधान और प्रसार के कार्य के लिए उपर्युक्त स्वायत्त निकायोंका ध्यान आकृष्ट किए हुए हैं। यदि माध्यमिक शिक्षा के विशेष क्षेत्रों का उल्लेख हो तो ऐसे अध्ययनों के ब्यौरे और परिणाम दिए जा सकते हैं।

द्राक्षारमा भीमेश्वर्ण मंदिर

5327. **डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में "द्राक्षरमा भीमेश्वर्ण मंदिर" पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है;

(ख) क्या यह जर्जर अवस्था में है; और

(ग) यदि हां, तो इसके बेहतर रख-रखाव के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में द्राक्षरमा स्थित श्री भीमेश्वर स्वामी मन्दिर एक केन्द्रीय संरक्षित स्मारक है।

(ख) और (ग) जी, नहीं। स्मारक के रखरखाव के अलावा, उसकी वास्तविक आवश्यकताओं एवं संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार तथा पुरातत्व के नियमों के अनुसार उसका संरचनात्मक मरम्मत कार्य किया जाता है।

नीलाम्बुर-शोरानूर रेलगाड़ी का रूट पलक्कड़ स्टेशन तक करना

5328. **श्री वी०एस० विजयराघवन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का 544 नीलाम्बुर-शोरानूर रेलगाड़ी का रूट पलक्कड तक करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) परिचालनिक कारण तथा यातायात की कमी ।

टैंटों में चल रहे केन्द्रीय विद्यालय

[हिन्दी]

5329. **श्री अवतार सिंह भड़ाना** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई केन्द्रीय विद्यालय टैंटों में चलाये जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं और इन विद्यालयों के लिए भवनों का निर्माण कब तक होगा ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ग) सूचना अभी उपलब्ध नहीं है और यह एकत्रित की जा रही है।

प्रोजेक्ट टाइगर

5330. **श्री एम०जे० राठवा** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रोजेक्ट टाइगर योजना के लक्ष्यों की पूर्ति हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) देश में बाघों की वर्तमान संख्या, राज्य-वार कितनी है; और

(घ) प्रोजेक्ट टाइगर योजना पर पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष, परियोजना-वार कुल कितनी धनराशि खर्च की गयी ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) बाघ परियोजना का मुख्य उद्देश्य एक बाघों की संख्या का उपयुक्त स्तर तक संरक्षण के लिए अनुकूल परिस्थितियां पैदा करना और जैव विविधता के बड़े क्षेत्रों का संरक्षण करना था। इस उद्देश्य को प्राप्त कर लिया गया है जैसाकि इस तथ्य से देखा जा सकता है कि 1972 में देश में बाघों की कुल संख्या 2000 से कम की नाजुक स्थिति में पहुंच गई थी वह 1989 में बढ़कर 4300 से अधिक हो गई तथा इसी प्रकार जैव-विविधता की सुरक्षा के लिए 1973 में 14000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बाघ परियोजना क्षेत्रों की सं०-9 थी वह 1991 में बढ़कर 28,609 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 18 हो गई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) सूचना विवरण-1 में दी गई है।

(ङ) सूचना विवरण-2 में दी गई है।

विवरण-1

1989 में की गई अखिल भारतीय बाघ गणना के अनुसार राज्य-वार बाघों की संख्या इस प्रकार है :—

राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	बाघों की संख्या
1	2
तमिलनाडु	95
महाराष्ट्र	417
केरल	45
पश्चिम बंगाल	353
उड़ीसा	243
कर्नाटक	257
बिहार	157
असम	376
राजस्थान	99
मध्य प्रदेश	985
उत्तर प्रदेश	735
आंध्र प्रदेश	235

1	2
मेघालय	34
मणिपुर	31
मिजोरम	18
नागालैंड	104
अरुणाचल प्रदेश	135
सिक्किम	4
गुजरात	9
गोवा, दमन और दीव	2
कुल :	4334

विवरण-2

पिछले तीन वर्षों के दौरान बाघ परियोजना स्कीम, पर केन्द्रीय सरकार द्वारा बाघ रिजर्व-वार किया गया व्यय इस प्रकार है :—

क्रम सं०	बाघ रिजर्व का नाम	1989-90	1990-91	1991-92
1	2	3	4	5
1.	कार्बेट	22.710	40.310	34.705
2.	पलामू	28 060	30.105	29.174
3.	सिमलीपाल	19.685	49.164	41.160
4.	कान्हा	23.125	35.730	47.061
5.	मानस	59.776	31.892	64.610
6.	सरिस्का	27.555	38.510	36.506
7.	रणथम्भौर	65.010	69.140	69.784
8.	बांदीपुर	15.241	22.420	30.925

1 2	3	4	5
9. सुन्दरवन	43.420	16.610	34.540
10. मेलघाट	28.835	43.389	13.780
11. पेरियार	23.980	52.725	17.679
12. इन्द्रावती	12.735	20.005	11.411
13. नामदापाह	22.165	28.920	15.757
14. दुधवा	18.727	41.970	42.590
15. वाल्मिकी	—	32.000	—
16. नागार्जुन सागर	14.600	33.225	21.331
17. बक्सा	14.340	28.835	32.810
18. कलाकड मुंडनथुराई	27.900	86.036	5.993
कुल :	466.974	700.986	549.816

रेलवे की वित्तीय स्वायत्तता

[अनुवाद]

5331. श्री समत कुमार मंडल :
श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी :
डा० डी० वेंकटेश्वर राव :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे की वित्तीय स्वायत्तता में कटौती करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस प्रस्ताव का क्या तर्क है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

विभिन्न विषयों पर शब्दकोश

[हिन्दी]

†5332. डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिक तथा तकनीकी विषयों पर शब्दकोश तथा शब्दावलियां तैयार की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा उनकी संख्या और प्रकाशन तिथि क्या है;

(ग) क्या ये शब्दकोश छात्रों को सुलभ नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी, हां।

(ख) अभी तक, वैज्ञानिक तथा तकनीकी विषयों पर 54 शब्दावलियां/शब्दकोश प्रकाशित किए गए हैं, जिनके ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) विवरण के कालम-4 में "प्रेस में/अप्राप्य" के रूप में चिह्नित को छोड़कर, ये सभी शब्दावलियां/शब्द-कोश, छात्रों के लिए उपलब्ध हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

वैज्ञानिक तथा तकनीकी विषयों पर प्रकाशित शब्दावलियों/शब्द कोशों की सूची

क्रम संख्या	शीर्षक	वर्ष	क्या उपलब्ध हैं/प्रेस में है
1	2	3	4
	I—वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा प्रकाशित		
	क—शब्दावलियां		
1.	बृहत् पारिभाषिक शब्द-संग्रह—विज्ञान	1990	
2.	बृहत् पारिभाषिक शब्द-संग्रह—मानविकी	1974	प्रेस में (परिवर्द्धित एवं
3.	बृहत् पारिभाषिक शब्द-संग्रह—आयुर्विज्ञान, भेषजी, शारीरिक-नृविज्ञान	1974	प्रेस में (अद्यतन संस्करण
4.	बृहत् पारिभाषिक शब्द-संग्रह—कृषि विज्ञान	1991	
5.	बृहत् पारिभाषिक शब्द-संग्रह—इंजीनियरी (खण्ड-I व (खण्ड-II)	1976 1987	प्रेस में (पुनर्मुद्रण-संस्करण)

1	2	3	4
6.	वृहत् पारिभाषिक शब्द-संग्रह—मानविकी (हिंदी/अंग्रेजी)	1982	
7.	कम्प्यूटर विज्ञान शब्दावली	1988	
8.	वृहत् पारिभाषिक शब्द-संग्रह—विज्ञान (हिंदी/अंग्रेजी)	1980	
9.	इस्पात एवं अलौह धातुकर्म शब्दावली	1988	
10.	अर्थशास्त्र शब्दावली	1973	प्रेस में (संशोधित संस्करण)
11.	वाणिज्य शब्दावली	1980	प्रेस में (संशोधित संस्करण)
12.	डाक-तार शब्दावली	1980	
13.	रेलवे शब्दावली	1974	
14.	नृविज्ञान शब्दावली	1977	
15.	वानिकी शब्दावली	1976	
16.	खेलकूद शब्दावली	1980	
17.	अन्तरिक्ष विज्ञान शब्दावली	1984	
18.	समेकित रक्षा शब्दावली	1979	प्रेस में (पुनर्मुद्रण संस्करण)
19.	वृहत् प्रशासन शब्दावली	1991	
20.	समेकित प्रशासन शब्दावली (हिंदी/अंग्रेजी)	1978	प्रेस में (परिवर्द्धित एवं अद्यतन संस्करण)
	ख—अखिल भारतीय शब्दावली		
21.	समाज विज्ञान	1986	
22.	भूगोल	1986	
23.	खगोलिकी	1985	
24.	गणित	1986	

1	2	3	4
25.	भौतिकी	1987	
26.	अर्थशास्त्र एवं वाणिज्य	1986	
27.	जीव विज्ञान	1990	
28.	व्यावहारिक भूगोल	1992	प्रेस में
29.	शिक्षा, मनोविज्ञान एवं मनोरोग विज्ञान	1991	
30.	समुद्र विज्ञान	1990	
31.	रसायन-I	1990	
32.	भाषा विज्ञान	1990	
33.	प्राणि विज्ञान	1990	
34.	वनस्पति विज्ञान	1990	
	ग—पारिभाषा कोश		
35.	वाणिज्य	1978	अप्राप्य
36.	समाज कार्य	1978	
37.	सांस्कृतिक नृविज्ञान	1977	
38.	पुस्तकालय विज्ञान	1989	
39.	पत्रकारिता	1989	
40.	पुरातत्व	1978	
41.	दर्शन	1980	
42.	समाजशास्त्र	1987	
43.	संगीत	1986	
44.	आधुनिक बीजगणित	1986	
45.	शिक्षा-II	1990	
46.	भाषा विज्ञान	1990	
47.	मानचित्र विज्ञान	1990	
48.	पुरावनस्पति विज्ञान	1991	

1	2	3	4
49.	राजनीति विज्ञान	1992	

II—उर्दू प्रोन्नति ब्यूरो द्वारा प्रकाशित (उ०प्रो० ब्यूरो)

		शब्दावलियां
50.	रसायन-विज्ञान	1983
51.	वनस्पति विज्ञान	1986
52.	गणित	1989
53.	प्राणि-विज्ञान	1984
54.	भाषा-विज्ञान	1987

घाटे में चल रहे निर्माण एकक

[अनुवाद]

5333. श्री शिवेन्द्र बहादुर सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्रालय के अधीन घाटे में चल रहे कारखानों अथवा एककों के नाम क्या हैं; और

(ख) सायिकाएं, माल डिब्बे तथा यात्री डिब्बे बनाने वाले एककों द्वारा अर्जित लाभ/उठाए गए घाटे का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) कोई नहीं।

(ख) कंक्रीट के स्लीपर बनाने वाली केवल दो विभागीय इकाइयां खालिसपुर और इलाहाबाद में हैं। गैर-रेलवे इकाइयों की तुलना में खालिसपुर इकाई में उत्पादन की लागत अधिक प्रतिस्पर्धी है, लेकिन आयातित प्रौद्योगिकी और संयंत्र तथा मशीन के कारण, इलाहाबाद स्थित इकाई में उत्पादन की लागत थोड़ी अधिक है।

सवारी डिब्बों को निर्माण-लागत के आधार पर, बिना किसी लाभ या हानि के, रेलों को हस्तान्तरित किया जाता है। लाभ तभी लिया जाता है जब उनकी सप्लाई रेलवेतर ग्राहकों को की जाती है। बहरहाल, रेलवे की उत्पादन इकाइयों में निर्माण की लागत गैर-रेलवे स्रोतों से खरीद की लागत की तुलना में कम है।

राख के ढेर पर हरियाली

5334. श्री के० पी० रेड्डय्या यादव : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 2 जुलाई, 1992 के "जनसत्ता" में "राख के ढेर पर उगेगी हरियाली" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को ताप विद्युत संयंत्रों के राख के ढेरों पर हरियाली उगाने के लिए उत्तर प्रदेश के वन विभाग द्वारा किए जा रहे प्रयोगों की जानकारी है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) और (घ) पनकी ताप विद्युत संयंत्र, कानपुर के पास राख के ढेरों पर वनरोपण के सम्बन्ध में 1989 और 1991 के बीच किए गए प्रयोगात्मक परीक्षणों से संकेत मिला है कि राख का उपयुक्त शोधन करके इसका इस्तेमाल सुबबूल, देशी बबूल, काला सिरस, शीशम, विलायती बबूल और कांजी जैसी कतिपय प्रजातियों के वृक्षारोपण के लिए किया जा सकता है। वृक्षारोपण के लिए राख के उपयोग से सम्बन्धित निष्कर्ष सम्बन्धित एजेंसियों को भेज दिए गए हैं।

भूतपूर्व शासकों द्वारा सम्पत्ति और हीरे-जवाहरात का हस्तांतरण

5335. श्री नरेश कुमार बालियान : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में राजवाड़ों के भूतपूर्व शासकों को पुरातत्वों सहित अपनी सम्पत्ति और हीरे-जवाहरात का निपटान करने तथा उन्हें भारत से बाहर भेजने की अनुमति दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का भविष्य में भी इस हस्तांतरण को नियमित करने का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) संविधान (26वां संशोधन) अधिनियम, 1971 के अनुसार भूतपूर्व शासकों को कोई विशेष अधिकार और विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है। देश का कानून उन पर बिल्कुल उसी प्रकार लागू होता है, जिस प्रकार देश के अन्य नागरिकों पर। जहां तक पुरा-वस्तुओं का सम्बन्ध है, उन पर पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम, 1972 के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड

5336. श्री उदय प्रताप सिंह : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड को पर्यावरण और वन मन्त्रालय से

ग्रामीण विकास मन्त्रालय में अन्तरित करने के सरकार के प्रस्ताव पर कई पर्यावरण विशेषज्ञों ने तीखी आलोचना की है;

(ख) क्या यह भी सच है कि प्रधान मन्त्री को पर्यावरण विशेषज्ञों से कोई पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें उन्होंने सरकार से इस प्रस्तावित अन्तरण पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (ग) कुछ पर्यावरणविदों ने प्रधान मन्त्री को एक पत्र लिखकर यह सुझाव दिया था कि राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड का पर्यावरण और वन मन्त्रालय में ही रहना वांछनीय होगा। पत्र की विषय-वस्तु पर विचार किया गया है और राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड को पर्यावरण और वन मन्त्रालय से ग्रामीण विकास मन्त्रालय में स्थानांतरित करने के निर्णय को न बदलने का निर्णय लिया गया है।

खोई का उपयोग

[हिन्दी]

5337. **श्रीमती गिरिजा देवी** : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश की चीनी मिलों में लगभग कितनी मात्रा में खोई अवशेष के रूप में प्राप्त होती है;

(ख) क्या सरकार का विचार इस खोई को विद्युत उत्पादन अथवा कागज उत्पादन हेतु उपयोग करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) चीनी मिलों द्वारा उत्पादित खोई का एक भाग ईंधन के रूप में प्रयोग करने के बाद पेराई किए गए गन्ने की कुल खोई का लगभग 3 से 5 प्रतिशत भाग अवशेष के रूप में प्राप्त होता है।

(ख) और (ग) सरकार फालतू खोई का विद्युत उत्पादन, कागज उत्पादन आदि के लिए उपयोग करने को बढ़ावा दे रही है। देश में लगभग 60 से 70 कागज मिलें पहले ही खोई सहित कृषि अवशेषों का उपयोग कर रही हैं।

मयूर सिंहासन

[अनुवाद]

5338. **श्री बापू हरि चौरे** :
श्री परसराम भारद्वाज :

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नादिरशाह द्वारा ले जाए गए मयूर सिंहासन को वापस करने के लिए ईरान से संपर्क किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और इस सम्बन्ध में ईरान की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मन्त्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

विज्ञान की पुस्तकें

5339. **प्रो० राम कापसे** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में विज्ञान की पुस्तकों के संकलन, प्रकाशन तथा वितरण में समुचित समन्वय सुनिश्चित करने के लिए क्या प्रतिक्रिया अपनाई गई है;

(ख) इनके मूल्य निर्धारित करने में समनरूपता सुनिश्चित करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं; और

(ग) भारतीय भाषाओं में विज्ञान वीडियो तथा साफ्टवेयर पैकेज तैयार करने के कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मन्त्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण मे दी जा रही है।

विवरण

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद कक्षा-I—XII तक की विज्ञान की पाठ्यपुस्तकें और सहायक विज्ञान प्रवेशिकाएं हिन्दी, अंग्रेजी और उर्दू में प्रकाशित करता है। राज्य एजेंसियों को अन्य भारतीय भाषाओं के लिए रा०शै०अ०प्र०प० की पुस्तकों को अपनाने/अपने अनुकूल बनाने/अनुवाद करने के लिए मुफ्त कापीराइट आदेश प्रदान किया गया है।

2. जहां पर विज्ञान की पुस्तकें पहले अंग्रेजी में तैयार की जाती हैं, वहां उन्हें सम्बन्धित विज्ञान-विषय और हिंदी में पारंगत व्यक्तियों द्वारा अनुवाद किया जाता है। अनूदित सामग्री की हिन्दी माध्यम से पढ़ाने वाले अनुभवी अध्यापकों की सहायता से पुन: समीक्षा की जाती है। इस प्रकार अन्तिम रूप देने के पश्चात् पांडुलिपियों का प्रकाशन किया जाता है और रा०शै०अ०प्र०प० के प्रकाशन विभाग द्वारा वितरण किया जाता है। विज्ञान की कुछ पुस्तकें उन सक्षम वैज्ञानिकों द्वारा सीधे ही हिन्दी में तैयार की जाती हैं जिन्हें इस प्रयोजनार्थ रा०शै०अ०प्र०प० अधिकृत करती है। रा०शै०अ०प्र०प० द्वारा अधिकृत वैज्ञानिकों के परामर्श से रा०शै०अ०प्र०प० के विशेष विशेषज्ञ इन पुस्तकों की समीक्षा करके इन्हें अन्तिम

रूप देते हैं। अन्त में पांडुलिपियों को एन०सी०ई०आर०टी० के प्रकाशन विभाग को प्रकाशनार्थ और वितरण के लिए भेजा जाता है।

3. रा०शै०अ०प्र०प० नीति के रूप में विज्ञान पाठ्यपुस्तकों का उर्दू अनुवाद भी प्रकाशित करती है। अनुवाद कार्य तरक्की उर्दू बोर्ड द्वारा किया जाता जाता है।

4. रा०शै०अ०प्र०प० ने अपने द्वारा प्रकाशित विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों तथा अन्य पुस्तकों की बिक्री तथा वितरण के लिए दिल्ली में 14 थोक विक्रेता एजेंट और विभिन्न राज्यों में 24 थोक विक्रेता एजेंट नियुक्त किए हैं।

5. रा०शै०अ०प्र०प० द्वारा पुस्तकों का मूल्य निर्धारण न-लाभ-न-हानि के आधार पर किया जाता है। परन्तु विक्रय मूल्य निर्धारित करते समय खर्च के सभी मदों (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष) को ध्यान में रखा जाता है।

6. प्राथमिक स्कूलों के लिए हिन्दी, गुजराती, मराठी, तेलुगु और उड़िया में सप्ताह में पांच दिन पैंतालीस मिनट की शैक्षिक दूरदर्शन सेवा है। इसमें शामिल किए जाने वाले विषय हैं: पर्यावरण विज्ञान, भाषा और गणित। इस सेवा का मुख्य उद्देश्य वर्तमान पाठ्यक्रम को समृद्ध बनाना है। इसके अतिरिक्त, शनिवार को शिक्षकों के लिए सहायक सेवा की व्यवस्था है। समय-समय पर विशेष रूप से शिक्षक प्रशिक्षण के लिए चुनिंदा कार्यक्रम सामग्री विभिन्न भाषाओं में वीडियो पर दिखायी जाती है।

7. जिला शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थानों को वितरण के लिए हिन्दी और अंग्रेजी में 33 कार्यक्रमों का एक पैकेज तैयार किया जा रहा है। बाद में अन्य भाषाओं में इनके अनुवाद उपलब्ध कराये जाएंगे।

8. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू०जी०सी०) के अनुसार जहां तक उच्च शिक्षा का सम्बन्ध है, प्रत्येक विश्वविद्यालय अपने शैक्षिक निकायों के माध्यम से पाठ्य/संदर्भ पुस्तकों के रूप में अनेक पुस्तकों की सिफारिश करता है। क्षेत्रीय भाषा में ये पुस्तकें प्रकाशन गृहों या राज्य पाठ्य पुस्तक ब्यूरो या ग्रंथ अकादमियों द्वारा प्रकाशित की जाती है।

9. आयोग 15 विषयों में मॉडल वीडियो व्याख्यान तैयार कर रहा है जिनमें से 6 रसायन शास्त्र, गणित, भौतिक शास्त्र, प्राणि विज्ञान, वनस्पति शास्त्र कम्प्यूटर विज्ञान जैसे विज्ञान विषयों से सम्बन्धित है। क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद के लिए इन्हें आगे विश्वविद्यालयों/राज्य सरकारों को भेजा जाएगा।

गन्ने का रस

5340. **श्री गुरुदास कामत : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में गन्ने के रस की बिक्री पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारा देवी सिद्धार्थ) : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली नगर निगम और नई दिल्ली नगर पालिका दोनों ने दिल्ली में जठरान्त्रशोथ और हैजे को फैलने से रोकने के लिए एक निवारणात्मक उपाय के रूप में सीमित अवधि के लिए गन्ने के रस की बिक्री पर रोक लगा दी है। क्योंकि गन्ने का रस अधिकतर अस्वच्छ स्थितियों में बेचा जाता है।

चोरी हुई इमारती लकड़ी का निर्यात

5340. क. **श्री नवल किशोर राय** : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इमारती लकड़ी उद्योग ने सरकार से प्राथमिकता आधार पर चोरी हुई इमारती लकड़ी के निर्यात को प्रोत्साहन देने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में इमारती लकड़ी उद्योग ने क्या सुझाव दिए हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) इमारती लकड़ी के उद्योगों के प्रतिनिधियों ने सुझाव दिया है कि उन्हें अग्रिम लाइसेंसों के तहत आयातित काष्ठ के लट्ठों से चिरी हुई इमारती लकड़ी का निर्यात करने की अनुमति दी जाए।

(ग) सुझाव विचाराधीन है।

12.00 **मध्याह्न**

[**हिन्दी**]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधी नगर) : अध्यक्ष जी, पंजाब से प्रतिदिन खबरें आती रहती हैं, कल ही खबर आयी कि वहां पर सुरक्षा कर्मियों तथा उनके परिवारों के 31 लोग मारे गए। लेकिन आज राजधानी दिल्ली में प्रातःकाल लगभग दो घण्टे तक उग्रवादियों और सुरक्षा बलों के बीच गोली-बारी चलती रही। यह क्षेत्र पश्चिम विहार है, खुराना जी का चुनाव क्षेत्र है, उस क्षेत्र में कितने लोग हताहत हुए हैं इसकी जानकारी तो सरकार हमें दे सकेगी, लेकिन काफी बड़ी घटना हुई है जिससे आशंका यह बढ़ती है कि बहुत दिनों से पंजाब के ये उग्रवादी प्रयत्न करते रहते हैं कि राजधानी तक अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार करके यहां पर भी कोई बड़ी घटना कर डालें। मैं चाहूंगा कि इस विषय में आज ही सरकार विस्तृत जानकारी दे। क्या इसके लिए उपाय किए जा रहे हैं उसके बारे में सदन को बताए।

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, मेरी जो सूचना है कि एनकाउन्टर दो घण्टे तक हुआ, एक पुलिसकर्मी जख्मी हुआ है और एक महिला तथा एक पुरुष घर के अन्दर, शायद उन्होंने जहर खाया था, मृतक पाए गए हैं, क्योंकि आतंकवादी अब पंजाब से बाहर भी अपने पैर पसारने लगे हैं, इसके बारे में सरकार को कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए। इसके बारे में जैसा आडवाणी जी ने

कहा, वक्तव्य आज आना चाहिए। इस बारे में मेरी सूचना यह है कि यह कोई एक स्टेट की प्रोब्लम नहीं है, यह राष्ट्रीय प्रोब्लम हो गयी है, होम मिनिस्टर साहब मुख्य मन्त्रियों की बैठक बुलाएं और आतंकवाद को रोकने के बारे में कुछ ठोस कदम उठाए जाएं, यह मेरा निवेदन है।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय, आतंकवाद अब हर जगह फैल रहा है। पश्चिम बंगाल में ऐसा ही हुआ है। पीलीभीत में यह बात हुई है। अब राजधानी में भी ऐसा हुआ है। यह बहुत ही गम्भीर बात है। मैं नहीं जानता हूं कि सरकार इस सम्बन्ध में क्या कर रही है। मैं नहीं जानता हूं कि उनकी कार्य योजना, जिसके बारे में हम पूछ रहे थे, क्या है। सिर्फ यह कहना ही काफी नहीं होगा कि यहां राज्य सरकार बरकरार है। अब यह कुछ मायने नहीं रखता है। अब यह वहां प्रतिबंधित नहीं है। अब यह प्रवृत्ति पूरे देश में फैल रही है। यह बहुत ही गम्भीर स्थिति है। मैं नहीं जानता हूं कि इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और वह क्या करना चाहती है। सरकार को इस सम्बन्ध में शीघ्र ही एक वक्तव्य देना चाहिए।···(व्यवधान)

श्री वसुदेव आचार्य (बांकुरा) : मुख्य मन्त्रियों की एक बैठक हुई थी। इस बैठक का परिणाम क्या है?···(व्यवधान)

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : महोदय, मैं माननीय गृह मन्त्री जी से इस मुद्दे पर चर्चा कर फिर सम्माननीय सभा में आऊंगा।

श्री लोकनाथ चौधरी (जगतसिंहपुर) : महोदय, पंजाब में जो घटना घटी हैं, उसमें न केवल सुरक्षा अधिकारीगण बल्कि उनके परिवार के सदस्य भी मारे गए हैं। सुरक्षाकर्मियों के परिवारजनों की हत्या एक गम्भीर बात है। इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। ऐसा हमारे सुरक्षा बलों का मनोबल गिराने के लिए किया गया था। जैसाकि अन्य लोगों ने भी कहा है, यह बात सम्पूर्ण देश में फैल रही है। निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं। मैं अब, इस तथ्य को ध्यान में रखकर कि ऐसा सुरक्षा बलों का मनोबल गिराने के लिए किया गया है, यह प्रस्ताव करता हूं कि सभा को न सिर्फ इस बात पर चिंता व्यक्त करनी चाहिए, बल्कि सुरक्षा कर्मियों तथा उनके परिवार के लोगों की मृत्यु पर शोक भी प्रकट करना चाहिए। हमारी सहानुभूति उनके साथ है। ऐसा करना, उन घटनाओं के लिए उचित होगा, जिससे कि सुरक्षा बलों का मनोबल गिरता है कि सम्पूर्ण सभा उन व्यक्तियों के प्रति शोक प्रकट करे जो मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। यह सभा सुरक्षा बलों तथा उनके परिवार के प्रति अपना विश्वास प्रकट करे।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्बन्ध में एक बात कहना चाहूंगा। आतंकवादियों की गतिविधियां बढ़ रही हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन यह भी सच है कि पंजाब में आतंकवादियों पर दबाव भी बढ़ रहा है। नामी आतंकवादी मारे गए हैं, वे अब बदले की भावना से प्रेरित हैं। जैसा, मेरे मित्र ने कहा, सुरक्षा बल के अधिकारी और अन्य काम करने वाले उनका निशाना हैं। वह जिन परिस्थितियों में पंजाब में और अन्य प्रदेशों में अपने दायित्व का पालन कर रहे हैं, उसका इस सदन में उल्लेख होना चाहिए। इस सदन से जहां आतंकवाद की निंदा का स्वर आना चाहिए, वहां सुरक्षा बल के लोग जिस दृढ़ता से उनकी चुनौती का सामना कर रहे, उसकी

यहां से प्रशंसा भी जानी चाहिए। आखिर, सुरक्षा बल के कर्मचारियों के घर वाले मारे जा रहे हैं, वे नौकरियों के लिए चिंता नहीं कर रहे हैं बल्कि देश की एकता और अखंडता की रक्षा का जो प्रयत्न हो रहा है उसमें भागीदार हैं। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि बड़े पैमाने पर जब हत्याएं होती हैं तो इस सदन की प्रतिक्रिया पैनिक की नहीं होनी चाहिए। हम सरकार से वक्तव्य मांगें और जब सरकार के प्रबन्ध में ढिलाई हो तो उस ढिलाई को दूर करने की कोशिश करें। अगर सदन में बड़े पैमाने पर हत्या होने के बाद ऐसा वातावरण बनता है जैसे सरकार के हाथ-पैर फूल रहे हैं और सरकार कुछ नहीं कर रही है तो यह आतंकवाद को परोक्ष रूप प्रोत्साहन देने का काम हो जाएगा। यह काम इस सभा में नहीं होना चाहिए। अगर सुरक्षा बल कहीं ज्यादती करते हैं, वह मामला अलग है। उसकी चन्द्र शेखर जी को चिंता है।

श्री चन्द्र शेखर (बलिया) : मुझे कोई चिंता नहीं है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अगर चन्द्र शेखर जी को चिंता नहीं है तो गुरुदेव को भी कोई चिंता नहीं है।···(व्यवधान) मैं जिस बात की ओर संकेत कर रहा हूं सदन उस बात से सहमत होगा। बड़े पैमाने पर हत्याएं उन्होंने शुरू कर दी हैं क्योंकि पंजाब में उनके ऊपर दबाव बढ़ा है। हम अपनी चौकसी को और सतर्क करें, प्रदेशों को सहायता दें। इसको पार्टीबंदी का मामला न बनाएं। सदन से यही संदेश जाना चाहिए। जो सुरक्षा बल के अधिकारी और कर्मचारी मारे जा रहे हैं उनके भविष्य की चिंता करनी चाहिए, हमारा दायित्व है और उसका पूरा प्रबन्ध होना चाहिए। निर्दोष नागरिकों की हत्याओं में भी उनके परिवारों को पूरी तरह से पुनर्वासित किया जाए, इसका प्रबन्ध जरूरी है।

श्री चन्द्र शेखर : अध्यक्ष जी, मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहता। लेकिन अटल जी ने जो कहा, उसकी सफाई देना चाहता हूं। मुझे बहुत चिंता है, जो कुछ पंजाब में हो रहा है और मैं आतंकवाद के विरुद्ध हूं। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि सुरक्षा बल और पुलिस से बराबर आतंकवाद को दबाने की कोशिश पिछले कई वर्षों से हो रही है। यह कोशिश अब आगे भी जारी रहेगी। नतीजा वही होगा जो आज है। मैं यह बात बार-बार कहता हूं कि मौत-मौत है, चाहे वह पुलिस की गोली से, चाहे आतंकवादी की गोली से हो और जब कोई मरता है तो एक हिन्दुस्तानी मरता है, उस पर चिंता मेरी बराबर की चिंता है। मैं समझता हूं कि जो सुरक्षा बल काम कर रहे हैं, उनकी प्रशंसा की जानी चाहिए। वे अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। हमारी सुरक्षा बल के भरोसे बिना किसी नीति-निर्धारण पर समस्या के मूल में गए तो इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। यह बात मैंने पहले भी कही है और आज भी कह रहा हूं।

श्री जार्ज फर्नांडीज (मुजफ्फरपुर) : अध्यक्ष जी, मैं एक ऐसा मामला उठाना चाहता हूं जो वैसे आपके सामने है। मेरे दल से कुछ संसद सदस्य हटे हैं। देश नहीं टूटता है शायद ही कोई दल हो···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपने मुझे 184 के तहत नोटिस दिया है और वह नोटिस अगर मैंने एडमिट किया तो आप उस पर डिसकस कर सकते हैं। आप इसमें यह मैटर उठाइए और पहले मुझे बताइए कि वह नोटिस एडमिट कर सकता हूं क्या ?

[अनुवाद]

मेरे पास नियमों की पुस्तिका है। आप नियम पुस्तिका का उल्लेख कर सकते हैं। और फिर मुझे बताइए कि क्या आप इसे स्वीकृत करा सकते हैं।

[हिन्दी]

टाइम कैसे फिक्स करना है, यह देखना है। आपके लिए मैं बता देता हूं कि 186 (2), 186 (9), 186(13), 186(14) और 190 यह प्रोविजन आप देख लें।

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : एडमिशन हो उसके लिए आग्रह कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : ऐसा नहीं है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैं आपको ले जाता हूं 1951 के जून महीने की 6 तारीख पर। इसी सदन में ऐसे मामले को लेकर जहां इस सदन में एक सदस्य ने किसी एक स्टाक एक्सचेंज के बोर्ड से अपना सौदा बनाकर 10 हजार रुपए का चैक पाया था, पण्डित जवाहरलाल नेहरू प्रधान मन्त्री थे, उन्होंने खड़े होकर इस सदन में एक प्रस्ताव रखा था···

अध्यक्ष महोदय : आपका नोटिस 184 के तहत है, उसको मैं पढ़कर बताता हूं।

[अनुवाद]

"उसमें प्रतर्क, अनुमान, व्यंग्यात्मक पद, लांछन या मानहानिकारक कथन नहीं होंगे।"

निश्चित रूप से इस वक्तव्य के कुछ भाग कुछ माननीय सदस्यों के विरुद्ध मानहानिकारक हैं।

नियम 186(ix) में कहा गया है :

"यदि उसमें कोई कथन हो तो सदस्य को उस कथन की परिशुद्धता के लिए उत्तरदायी होना पड़ेगा।"

मैंने नोटिस में यह नहीं पाया कि आपने वक्तव्य के लिए अपने आपको जिम्मेदार ठहराया हो।

नियम 186(xiii) में कहा गया है :

"वह उस विषय से संबंधित नहीं होगा जो मुख्यतया भारत सरकार का विषय न हो।"

यह वक्तव्य माननीय सदस्यों के विरुद्ध है। फिर नियम 186(xiv) में कहा गया है :

"उसमें ऐसे निकायों या व्यक्तियों के नियंत्रणाधीन विषय नहीं उठाए जाएंगे, जो मुख्यतया भारत सरकार के प्रति उत्तरदायी न हो।"

यदि आप नियम 190 का अध्ययन करें, तो इसमें कहा गया है :

"अध्यक्ष सभा के कार्य की स्थिति पर विचार करने के बाद और सभा नेता के परामर्श

मे या कार्य मन्त्रणा समिति की सिफारिश पर ऐसे किसी प्रस्ताव पर चर्चा के लिए कोई एक दिन या अधिक दिन या किसी दिन का भाग नियत कर सकेगा।"

अब आपने मुझे नोटिस दिया है और मैं इस पर विचार करूंगा। मैं इसे कार्य मन्त्रणा समिति के समक्ष प्रस्तुत करूंगा और यदि कार्य मन्त्रणा समिति ने इसका अनुमोदन कर दिया कि इस पर चर्चा होनी चाहिए तो मैं इसकी अनुमति दूंगा।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नाण्डीज: मुझे अपनी दो बातें कहने दीजिए।

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : एक नोटिस मेरा भी है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यही बात आपके नोटिस में भी लागू होती है। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, यदि कार्य मन्त्रणा समिति यह कहती है कि हमें इस पर चर्चा करनी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नाण्डीज : अध्यक्ष जी, आप केवल मेरे प्रस्ताव के शब्दों में, हालांकि मैं यह मानता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप पावरफुल स्पीकर हैं। जब बोलना शुरू कर देते हैं तो फोर्स आफ आर्ग्युमेंट ऐसा होता है कि हम उसको रोक नहीं पाते। वह मैटर आफ रिकार्ड हो जाता है फिर उसमें से बहुत सारी चीजें निकलती हैं इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं।

श्री जार्ज फर्नाण्डीज : मैं वह चीज पढ़ने नहीं जा रहा हूं। मेरा अपना जो प्रस्ताव है उसमें न किसी का नाम लिया है, न किसी व्यक्ति पर कोई लांछन लगाने का काम किया है। मैंने सदन के बाहर, मगर इस संसद भवन के अन्दर जो खुली चर्चा की है जो चर्चा अखबारों में आ चुकी है जिस बात को समूचे देश के लोग इस वक्त एक तरह से सत्य मानते हैं···

अध्यक्ष महोदय : बाहर जो चर्चा होती है उसमें और कोर्ट में चर्चा होती है, पार्लियामेंट में जो चर्चा होती है उसमें फर्क होता है। आप पार्लियामेंट में चर्चा करेंगे उसकी जिम्मेदारी लेकर करेंगे, कोर्ट में करेंगे तो जिम्मेदारी लेकर करेंगे, बाहर करेंगे तो उसकी रिस्पोंसिबिलटी फिक्स करने का तरीका अलग है।

श्री जार्ज फर्नाण्डीज : मैंने जिम्मेदारी लेकर इस प्रस्ताव को रखा है।

अध्यक्ष महोदय : ऐसा नहीं है। इसमें मुझे जो अड़चन आती है वह यह है कि एक सदस्य दूसरे के खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं, दूसरे-तीसरे और तीसरे-चौथे के खिलाफ, इसका कोई अन्त नहीं होता है।

श्री जार्ज फर्नाण्डीज : इस पर शब्दों में कोई आपत्ति हो तो आप उनको बदल दीजिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मुझे इस नोटिस पर विचार करने दीजिए तथा मुझे इसे कार्य मंत्रणा समिति के समक्ष प्रस्तुत करने दीजिए। मैं इस पर चर्चा करूंगा।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नाण्डीज : ठीक है अगर आप इसको बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में रखने वाले हैं तो···

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं निश्चित रूप में इसे कार्य मंत्रणा समिति के समक्ष प्रस्तुत करूंगा।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : अध्यक्ष जी, यह सवाल अगर इस घटना को केन्द्र बनाकर किया जाएगा तो शायद नियम बाधक होंगे, लेकिन मूलतः जो मुद्दा इन दिनों उभरा है, जार्ज साहब के वक्तव्य में मैंने देखा है क्या इस सदन में कोई एथिक्स कमेटी हम बना सकते हैं···

अध्यक्ष महोदय : हम विचार करेंगे।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : उसकी जो कल्पना है वह कहीं-कहीं पर कुछ संसदों में इंटरेस्ट आफ मेम्बर्स कमेटी होती है। आज मेंबरों का इन्टरेस्ट किस-किस चीज में है, उससे वंचित किया जाता है लेकिन बेसिकली देश ऐसी स्थिति में पहुंचा है, संसदीय लोकतंत्र भी ऐसी स्थिति में पहुंचा है कि जैसा अभी की घटना है जिसमें धन का प्रयोग हुआ है या नहीं, मुझे जानकारी नहीं है परन्तु यह आम धारणा है कि धन का प्रयोग हुआ है। जो धारणा है, उससे एथिक्स कमेटी की उपयोगिता मैं मानता हूं, उसकी ओर जरूर ध्यान देंगे।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि एथिक्स कमेटी के सम्बन्ध में सारे नेताओं के साथ विचार करूंगा और उसमें से यदि कुछ निकल सकता है तो करूंगा।

श्री मोहन सिंह : अध्यक्ष महोदय, हमारा भी नोटिस है कि सदन अपनी प्रतिष्ठा की हिफाजत के लिए कुछ करे। इसमें सम्पूर्ण सदन की प्रतिष्ठा और गरिमा गिरी···

श्री जार्ज फर्नाण्डीज : अध्यक्ष जी, मेरी इतनी प्रार्थना है कि दोनों पहलुओं पर मैंने आपको अपने पत्र के माध्यम से इस विषय को लेकर यहां दिया है हालांकि उसका उल्लेख यहां पर करूंगा तो ठीक नहीं है मगर उसमें जो हाउस में एथिक्स कमेटी की चर्चा की है, आप उन दोनों को मद्देनजर रखकर इस पर चर्चा करेंगे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर विचार करूंगा। मैं इसकी चर्चा करूंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह सदन और इस सदन के सदस्य अन्य लोगों से ऊपर हैं, इसके बारे में एक आचार-संहिता होनी चाहिए···

अध्यक्ष महोदय : ठीक है···

श्री मोहन सिंह : यह सम्पूर्ण सदन की मर्यादा का प्रश्न है और सदन की मर्यादा एवं माननीय सदस्यों की अपनी मर्यादा की हिफाजत के लिए एक एथिक्स कमेटी कोड आफ कंडक्ट के बाहर के आचरण के लिए भी बननी चाहिए और उसका पालन किया जाना चाहिए, यह मेरा निवेदन है।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है।

श्री हरिकेवल प्रसाद (सलेमपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अपनी सुरक्षा की मांग करता हूं···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : देखिए, ऐसा है कि आप कुछ बोलेंगे, दूसरे कुछ बोलेंगे··· आप मुझे चैम्बर में आकर बताइये, मैं सुरक्षा देने का इन्तजाम करूंगा···

श्री हरिकेवल प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, केवल एक गुजारिश है और वह यह कि मुझे रात में यह जानकारी मिली कि एक जगह एक ओर मुझे कहा गया कि योजना तैयार की जा रही है, इसलिए जो लोग इस तरह का काम किए और यह भण्डाफोड़ करने का काम किया है, मैं आपके माध्यम से अपनी सुरक्षा की मांग करता हूं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं, ऐसा है···

(व्यवधान)

श्री हरि किशोर सिंह : यदि सदस्य जान लेते हैं तो सरकार को उनकी सुरक्षा करनी चाहिए···

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : अध्यक्ष महोदय, सदस्य की जान खतरे में है और उसे सुरक्षा···

[अनुवाद]

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे (विजयवाड़ा) : महोदय, यह एक गम्भीर मामला है। (व्यवधान)

श्री वसुदेव आचार्य : माननीय सदस्य महोदय का जीवन खतरे में है।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : माननीय सदस्य ने साफ-साफ शब्दों में कहा कि उनकी जान खतरे में है···

श्री राम विलास पासवान : यदि कोई सदस्य कह रहा है कि मैंने भण्डाफोड़ पैसे के सम्बन्ध में किया है और उसकी जान खतरे में है तो क्या आप चिन्तित नहीं होंगे ?

अध्यक्ष महोदय : आप लिखकर भेज दीजिए, मेरे एण्डोर्समेंट के साथ पुलिस और होम मिनिस्टर को भेज दूंगा, उसका इन्तजाम करने के लिए लिख दूंगा···

(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : सर, वह सदन में कह रहे हैं कि उसकी जान खतरे में है···

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, भरे सदन में जब माननीय सदस्य ने जान की रक्षा की गुहार की है तो आप सदन में सर्वोच्च पद पर आसीन हैं, यह आपका दायित्व बनता है कि आप सुरक्षा करें···

अध्यक्ष महोदय : नीतीश जी, मैंने कह दिया है ··मेरी बात सुनिए···नीतीश जी मेरी बात सुनिए···वही इन्तजाम करने के लिए बोल रहा हूं।

श्री राम विलास पासवान : आप इस सदन के संरक्षक हैं, आप गार्जियन हैं···

अध्यक्ष महोदय : आप सुनिए तो सही, मैं वही इन्तजाम करने के लिए बोल रहा हूं। आप लिखकर दे दीजिए, आप जो कहना चाहते हैं, वह मेरे पास लिख कर भेज दीजिए, मेरी एण्डोर्समेंट के साथ होम मिनिस्टर को लिखूंगा और अगर पुलिस की आपकी जरूरत होगी तो वह दिलवा देंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रो० प्रेम धूमल।

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, एक बात और। एथिक्स कमेटी की जो बात श्री जार्ज साहब ने उठायी है, आडवाणी जी ने यहां कहा है, हम लोगों की पूरी पार्टी उसका समर्थन करती है और आपसे आग्रह करते हैं कि इसी सप्ताह सारे नेताओं से विचार करके इसके गठन करने की प्रक्रिया तेज की जाए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, आज ही आप बिजनस एडवाइजरी कमेटी की विशेष बैठक बुलाइए और उसमें यह मैटर टेक अप कीजिए। यह एक अर्जेन्ट सिचुएशन है। (व्यवधान)

प्रो० प्रेम धूमल (हमीरपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सरकार का ध्यान शिक्षा जगत में उत्पन्न हुई गंभीर समस्या की ओर दिलाना चाहता हूं। यूनिवर्सिटी ग्राण्ट्स कमीशन के 1956 के एक्ट के तहत हर विश्वविद्यालय को यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन से मान्यता प्राप्त करनी होती है। इसी महीने यू०जी०सी० ने एक लिस्ट जारी की है जिसमें 27 विश्वविद्यालय इस देश में चल रहे हैं जिनको मान्यता प्राप्त नहीं है। उत्तर प्रदेश, बिहार, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और नागपुर में ऐसे विश्वविद्यालय हैं।···(व्यवधान)

श्री सूर्य नारायण यादव (सहरसा) : हमें भी बोलने दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : देखिए, इस तरह ये डिसकशन खुला हो जाएगा। मैं सबको बुलाऊं कर दूंगा तो फिर मत बोलिएगा कि आपके विषय रह गए।

श्री सूर्य नारायण यादव : अध्यक्ष महोदय, जो मामला जार्ज साहब ने उठाया है, मैं उसका समर्थन करता हूं और आपसे मांग करता हूं कि एक कमेटी बने और 1991 से अभी तक जितना धन का उपयोग हुआ है या नहीं उस सारी बात की जांच हो, 1 दल-बदल सबसे पहले उधर हुआ है। ये सारे काम ये लोग करते हैं और नेक आदमी को बदनाम करने का काम करते हैं। इसलिए संसदीय समिति का मैं हृदय से स्वागत करता हूं और जो घटनाएं घटी हैं, उन सारी घटनाओं की जांच होनी चाहिए यह मैं आपसे निवेदन करता हूं।···(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। बहुत अच्छा।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : आप आज ही बी०ए०सी० की बैठक बुला लीजिए।···(व्यवधान)

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर) : आज ही आप संसदीय समिति का गठन कीजिए ताकि इन सारे मामलों की समय से जांच हो सके।···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए। आपने जो सुझाव दिए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि सब सदस्यों को यह मान्य है मगर वह कमेटी कैसी बननी चाहिए, क्या बननी चाहिए, वह एक दो दिन में नहीं बन सकती है और उसके बारे में विचार करके बनाएंगे, मगर यह बहुत ही स्वागत योग्य बात है कि आप सब लोग उसकी मांग कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री सूर्य नारायण यादव : कमेटी तो अवश्य बननी चाहिए। कितने लोगों पर अभियोग लगाया जाता है।···(व्यवधान)···बिहार में जो हुआ, पहले सी०पी०आई० को तोड़ने की कोशिश की, भाजपा आर०पी०एल० आल झारखंड तोड़ा गया। यह भी अभियोग लगाया गया है।···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : धूमल जी जो कह रहे हैं, वह बहुत अहम मसला है, उसे भी सुन लें।

श्री सूर्य नारायण यादव : हम भी बहुत अहम मसला उठा रहे हैं।···(व्यवधान)

प्रो० प्रेम धूमल : अध्यक्ष महोदय, यूनिवर्सिटी ग्राण्ट्स कमीशन के एक्ट 1956 के अधीन सभी विश्वविद्यालयों को उससे मान्यता प्राप्त करनी होती है। अगस्त महीने में यू०जी०सी ने एक सूची जारी की है जिसके अनुसार इस देश में 27 विश्वविद्यालय बिना मान्यता प्राप्त किए चल रहे हैं और पी०एच० डी० तक की डिग्री दे रहे हैं। हजारों विद्यार्थी प्रति वर्ष वहां प्रवेश लेते हैं और उनका नुकसान हो रहा है और मानव संसाधन मन्त्रालय, प्रदेशों के शिक्षा मन्त्रालय इस सम्बन्ध में कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। अध्यक्ष जी आप सुनकर हैरान होंगे कि महाराणा प्रताप के नाम से, संत रविदास जी के नाम से, गांधीजी के नाम से, सुभाष चंद्र बोस जी के नाम से, महादेवी वर्मा जी के नाम से विश्वविद्यालयों के नाम रखे गए हैं और भोले-भाले छात्र जहां शिक्षा सुविधाएं नहीं हैं, वे इन विश्वविद्यालयों में प्रवेश प्राप्त करके डिग्रियां ले रहे हैं और उनको कहीं नौकरी नहीं मिलती। बोगस सर्टिफिकेट इश्यू हो रहे हैं और पालिया-

मेंट में यू०जी०सी० ऐक्ट अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस हुआ है। यह अभी भी लम्बित पड़ा है। इसमें कहा गया है कि ऐसे मामले में निश्चित तौर पर जो लोग ऐसा रैकेट चलाते हैं, ऐसे बोगस इश्यू चला रहे हैं, उनको सजा होगी और 10 लाख रुपए तक के जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है, लेकिन आज तक यह बिल पास नहीं हुआ। अब राष्ट्रपति महोदय भी बड़े सिलाविद् हैं। मैं चाहूंगा कि यदि यह बिल शीघ्र पास न हो तो सरकार कम से कम एक आर्डिनेंस लाए कि जो अस्थायी विश्वविद्यालय इस प्रकार से चल रहे हैं, उनको बन्द किया जाए। और जो लोग उनके पीछे हैं और लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : एक मिनट, अगर 27 यूनिवर्सिटीज अन-रिकग्नाइज्ड हैं तो बहुत बड़ी बात है। फैक्ट क्या है, उसको जरा मालूम कराइए और यह भी कि उसमें क्या कर सकते हैं।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : ऐसा भी हो सकता है कि कुछ बेनाफाइड यूनिवर्सिटीज हों, जो शुरा तो हुई हैं मगर मान्यता के लिए कोशिश कर रही हों लेकिन यहां पर देर हो रही हो।

अध्यक्ष महोदय : इसीलिए मैंने कहा कि मालम कराइए।

———

12.25 म० प०

1942 की अगस्त क्रांति के स्वर्ण-जयन्ती समोहरों के बारे में

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : अध्यक्ष जी, हम लोग 1942 की क्रांति का पूरे देश में दिवस मना रहे हैं और इस सदन में भी हल्के-फुल्के ढंग से कल उस पर चर्चा हुई है। मैं आपसे सिर्फ यह आग्रह करना चाहता हूं कि 1942 की जो क्रांति थी, भले ही उसे तत्कालीन कांग्रेस पार्टी ने चलाया हो, लेकिन वह कांग्रेस आई की कोई क्रांति नहीं थी। आज पूरे पक्ष, सभी पक्षों में और देश में ऐसे नेता हैं जिन्होंने उस आजादी की लड़ाई में भाग लेने का काम किया था परन्तु जिस ढंग से आज प्रोपागेंडा हो रहा है, इस ढंग से उसे दिखाया जा रहा है जैसे यह कोई कांग्रेस आई की शाखा हो और उसके द्वारा चलायी जा रही हो। आज हमने कन्सलटेटिव कमेटी की मीटिंग में सूचना और प्रसारण मन्त्री से इस बात को गंभीरता से कहा था और आपने जिस दिन यहां शुरुआत की थी, हमें इस बात का गौरव है, फख्र है कि आपने उसे जिस तरह से सैंट्रल हाल में संचालित किया और महामहिम राष्ट्रपति जी ने यहां आकर राष्ट्र के नाम से सम्बोधन दिया था, उस दिन एक ऐसी फिजा बनी थी कि आजादी की लड़ाई में जितने लोग शहीद हुए थे और आजादी की लड़ाई में जिन लोगों ने भाग लिया था एक राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में हम उनको याद कर रहे हैं। लेकिन आज उनको एक राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में याद नहीं किया जा रहा है बल्कि उसको इस ढंग से पोलिटिकलाइज किया जा रहा है जैसे यह कोई कांग्रेस आई ने आंदोलन उस समय किया हो और आज भी वे ही इसे चला रहे हैं राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में और हम सब लोगों का उस राष्ट्रीय आंदोलन से कोई मतलब नहीं है।

इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, चूंकि यह संसद सर्वोपरि है, देश में और लोग भी हैं, जो कांग्रेस आई में बैठे हुए लोगों से ज्यादा देशभक्त रहे हैं और ज्यादा देशभक्त आज भी हैं। इस-

लिए उसका जो प्रोजेक्शन होना चाहिए, वह राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में प्रोजेक्शन होना चाहिए, कांग्रेस आई का प्रोजेक्शन नहीं होना चाहिए, यही मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं।

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : अध्यक्ष जी, मुम्बई में जो कार्यक्रम हुआ, उस मुम्बई के कार्यक्रम में तो कांग्रेस पार्टी का इस प्रकार से प्रोजेक्शन किया गया कि वहां जो झण्डा फहराया गया, वह कांग्रेस पार्टी का झण्डा था। हम लोगों को पता ही नहीं चला और इस तरह वहां सब जगहों पर केवल एक पार्टी का ही प्रोपोगंडा इस प्रकार से हुआ है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, उसमें ऐसा है कि 1942 में जो झण्डा वहां पर फहराया गया था, वह कौन सा था।

श्री राम नाईक : तो क्या हुआ, ऐसे कैसे चल सकता है।

अध्यक्ष महोदय : अरुणा आसफअली जी ने जो झण्डा फहराया था, वह किसका था।

(व्यवधान)

श्री राजवीर सिंह (आंवला) : अध्यक्ष जी, वह चक्र वाला झण्डा नहीं था बल्कि वहां पंजे वाला झण्डा फहराया गया था। (व्यवधान)

श्री राम नाईक : वह झण्डा चर्खे वाला था, मैं गलत नहीं बोलूंगा लेकिन यह बात सही है कि चर्खे वाला झण्डा फहराया गया था जबकि ऐसे अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाना चाहिए था ताकि राष्ट्रीय एकता की गंध उसमें से आ सके। इस कारण अध्यक्ष महोदय, वहां के लोगों में नाराजगी है। जो लोग वहां प्रति वर्ष जाने वाले हैं, श्रद्धांजलि देने के लिए, उन पर तो लाठियों से हमला हुआ और श्रीमती मृणाल गोरे जैसे लोगों पर लाठियां चलाई गयीं। बाद में वहां के मुख्य मन्त्री ने जाकर माफी मांग ली लेकिन हमला तो हुआ। ऐसी पार्टीबाजी नहीं चलने देनी चाहिए।

श्री चन्द्र शेखर (बलिया) : अध्यक्ष महोदय, जो सवाल यहां राम विलास जी ने उठाया है, मैं नहीं चाहता कि 1942 के आंदोलन की स्वर्ण जयन्ती के अवसर पर राष्ट्र में कोई विवाद उठे लेकिन यह बात सही है कि जिस तरह से इसकी शुरुआत हुई है, वह बहुत दुखद है और मैं यह कहने के लिए आपसे क्षमा चाहूंगा कि उस दिन केन्द्रीय कक्ष में भी जो भाषण हुए, क्योंकि सब बड़े लोगों के भाषण हुए, मैं उसमें कोई जिक्र नहीं करना चाहता किसी भाषण का, लेकिन जिस भाषण में 1942 की क्रांति की बात हुई, मगर जय प्रकाश नारायण, डा० राम मनोहर लोहिया का नाम न लिया जाए, आचार्य नरेन्द्र देव को याद न किया जाए···(व्यवधान)···सुभाष चंद्र बोस को चलो छोड़ दीजिए···(व्यवधान)···मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि सुभाष चन्द्र बोस को छोड़ दिया जाए, मेरा यह मतलब नहीं है, आप नाम का जिक्र छोड़ दीजिए, लेकिन मैं यह कहता हूं कि जब इण्डिया गेट पर जो फंक्शन हुआ, उसमें एक मंत्री महोदया ने इस तरह कहा—'अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष महोदय और प्रधान मन्त्री नरसिंह राव जी।" और कहा कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्यगण। मेरे जैसे व्यक्ति को, मैं अध्यक्ष महोदय, आपके पास बैठा हुआ था मेरे मन में, उसी समय आया कि मैं उठकर चला जाऊं। अगर 1942 के शहीदों की मर्यादा का सवाल नहीं होता, तो मैं वहां पर नहीं बैठता। आपसे यह निवेदन जरूर करूंगा कि ऐसे बड़े उत्सव के समय पर, इतिहास को बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इतिहास को

तोड़ा मरोड़ा नहीं जाना चाहिए। जिन लोगों को 1942 की क्रांति का इतिहास नहीं मालूम है, उन्हें मैं बताना चाहता हूं कि 1942 के प्रस्ताव को लिखने के लिए जिम्मेदार आचार्य नरेन्द्र देव थे, वे नेता नहीं थे, जिनका नाम आज लिया जाता है। इसलिए आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह कहा जाए, एक राष्ट्रपति महोदय के द्वारा कि जयप्रकाश नारायण, जो हजारीबाग की जेल मे थे, जब तक वे फरार नहीं हों, यह जयप्रकाश नारायण के बारे में 1942 की क्रांति मनाते हुए आप उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं ? डा० राम मनोहर लोहिया जी का नाम नहीं। सौभाग्य की बात यह है कि सुभाष बाबू का नाम यहां नहीं लिया गया, लाल किले में लेना मजबूरी थी, इसलिए वहां उनका नाम ले लिया गया। इस तरह से मजबूरी में इस पर्व को मनाना, हमारी उस भावना को प्रेरित करता है जिस भावना में हम संकीर्ण दायरे से निकल नहीं पाते हैं और संकीर्ण दायरे में रहकर इस क्रांति की स्वर्ण-जयन्ती मनाना, उससे अच्छा है, उस को हम नहीं मनाएं।

मैं जानता हूं कि किस तरह से कार्यक्रम बनाए जाते हैं। मैं भी उस समिति का एक सदस्य हूं।

श्री राजवीर सिंह : इस अगस्त क्रांति का विरोध कुछ लोगों ने किया है,...

श्री चन्द्र शेखर : मैं उसमें नहीं जाना चाहता क्योंकि बहुत से विरोध करने वाले लोग, बहुत जगहों पर पहुंच गए हैं। उस बात को छोड़ दीजिए। मैं उसमें नहीं जाना चाहता। उसको मैं नहीं कहूंगा। लेकिन जब सरकार मनाती है और अध्यक्ष महोदय, जब हम लोगों से भी कहा जाता है, उसमें सम्मिलित होइए, तो हम लोगों की बड़ी मर्यादा नहीं है, लेकिन थोड़ी हम लोगों की मर्यादा को भी ध्यान रखना चाहिए। ए०आई०सी०सी० की मीटिंग अटेंड करने के लिए किसी और को बड़ा गर्व हो सकता है, लेकिन मैं ए०आई०सी०सी० की मीटिंग में उस जमाने में था जब आज ए०आई०सी०सी० के बड़े से बड़े ओहदे पर बैठे हुए लोग, उसके नजदीक नहीं पहुंच पाते थे। इसलिए मुझे यह बात कहने में दुख होता है कि इस तरह का ट्रीटमेंट जब हम लोगों के साथ होता है, हम राष्ट्रीय पर्व समझकर वहां पर जाते हैं और इस तरह का भाषण हमको सुनने को मिलता है, तो हमें वेदना होती है और मैं आपसे कहूं --1942 के जो महान योद्धा थे, उनको आप अपने भाषणों से मिटा सकते हैं, इतिहास से नहीं मिटा सकते। मै आपके जरिए गुलाम नबी आजाद से कहना चाहता हूं—इतिहास बड़ा निर्दय कठोर निर्णायक होता है। जो इतिहास आज आप बना रहे हैं, वह इतिहास नहीं रहेगा। इतिहास वह है, जो सच्चाई के ऊपर आधारित है।

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : अध्यक्ष महोदय, अगस्त क्रांति की स्वर्ण जयन्ती मनाई जा रही है और जिस प्रकार से इतिहास को तोड़ने-मरोड़ने की कोशिश हो रही है वह निंदनीय है। अभी आदरणीय चंद्र शेखर जी ने ठीक ही कहा है - भारत छोड़ो आंदोलन के समय, जब सारे कांग्रेस के वरीय नेता, गांधीजी समेत जेल में बन्द हो गए थे, तो उस क्विट इण्डिया मूवमेंट को चलाने की जवाबदेही उस समय के नौजवान कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के नेताओं ने निभायी थी। हम लोग जो आजादी के बाद पैदा हुए हैं, इस धरती पर हम लोगों ने जो इतिहास जाना है, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का या आजादी की लड़ाई का, उसके हिसाब से, इसमें जो पक्षपात किया जा रहा है, लोक नायक जयप्रकाश नारायण का जिक्र नहीं हुआ। अध्यक्ष महोदय, उस समय मैं अपने को जज्ब कर गया, उसी समय जब केन्द्रीय कक्ष में, भाषण में, उठकर कहूं, मैं भीतर से उद्वेलित हो रहा था, जब लोक नायक जय प्रकाश का इस तरह से पार्सिंग रेफरेंस हुआ, उस समय लोक नायक जय प्रकाश नारायण, डा० राम मनोहर लोहिया और दूसरे तमाम लोगों का कंट्रीब्यूशन है, जिस प्रकार से भूमिगत होकर आंदोलन का नेतृत्व किया, संचालन

किया और जिस प्रकार से गुप्त रेडियो चलाकर, लोगों के मनोबल को ऊंचा रखा गया, किसी भी बात का कोई जिक्र नहीं । इस अवसर पर जो साहित्य प्रकाशित हो रहे हैं, उनमें किसी बात का जिक्र नहीं हो रहा है और जिस प्रकार से पक्षपात हो रहा है, यह बात ठीक नही है । पूरा देश इसको गम्भीरता से देख रहा है । यही नही, जो यह बतलाने की कोशिश करते हैं, लाइव टेलीकास्ट करे या रेडियो से प्रचारित करके या विज्ञापनों के जरिये जो प्रचारित करने की कोशिश करेंगे, तो अगस्त क्रांति के बारे में लोग वहीं तक नहीं जानते हैं, बल्कि लोग इतिहास को जानते हैं और सच्चाई को जानते हैं, तो यह बहुत ही भौंडा प्रदर्शन रहा है और लग रहा है कि जैसे आज की कांग्रेस पार्टी ही वह है, जो पहले थी । मैं कहना चाहता हूं कि आज की जो कांग्रेस पार्टी है, यह वह पार्टी नहीं है, जो आजादी के पहले की पार्टी थी । यहां पर बैठे हुए कुछ लोगों को छोड़कर, तमाम लोग जिस धारा से यहां पर आज बैठे हुए हैं वे सभी लोग उस समय कांग्रेस पार्टी में थे, लेकिन जिस प्रकार का पक्षपात आज हो रहा है, प्रचार माध्यमो के द्वारा वह निंदनीय है ।

कनसैनसस के आधार पर ये हर चीज का, सरकार चलाने का दावा करते हैं । लेकिन कनसैनसस की नीति चलाने की बात छोड़ दीजिए, इतिहास के साथ जो दगाबाजी करने का काम हो रहा है वह बन्द किया जाए । ऐसा न हो कि ये अगस्त क्रान्ति का कार्यक्रम चलाएं और लोगों को मजबूर होकर उसका बहिष्कार करना पड़े और समानांतर कार्यक्रम चलाना पड़े । इसकी भी नौबत आ सकती है । इसलिए यदि सचमुच इसे राष्ट्रीय कार्यक्रम बनाना चाहते हैं तो इतिहास को तोड़-मरोड़कर प्रस्तुत न किया जाए बल्कि उस समय अगस्त क्रांति के अवसर पर भाग लेने वाले जो हीरो थे उनका और तमाम लोगों के योगदान की चर्चा होनी चाहिए । लोकनायक जयप्रकाश जब छूटकर आए थे उस समय पटना सिटी से गांधी मैदान पहुंचने में 10 किलोमीटर की दूरी तय करने में उन्हें उस समय 12 घण्टे लगे। उस चीज को आप झुठला सकते हैं और पार्लिंग रैफरैंस दे सकते हैं लेकिन दुनिया जानती है, इतिहास जानता है । इसलिए इस प्रकार का कोई प्रयास न किया जाए ।

डा० लोहिया की भूमिका को लोग जानते हैं । आपके झुठलाने से वह बात झुठलाई नहीं जा सकती है । यह हम बराबर देखते हैं कि एक खास परिवार का सारा आयोजन सरकारी तौर पर होता है । सरदार पटेल को भी आप लोग भूलते हैं, आपके भूलने से ये लोग भूले नहीं जाते । आपको शायद पता नहीं है, आप जयन्तियां नहीं मनाते जे०पी० की, लोहिया की, सरदार पटेल की, अम्बेडकर की । इनकी जयन्ती जनता मनाती है और एक दिन नहीं, 15-15 दिन तक मनाती है । इसलिए यह मत भूलिए कि जनता भी अपने स्तर पर इन कार्यक्रमों को कर सकती है । हम आज भी चाहते हैं कि राष्ट्रीय कार्यक्रम राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में मनाया जाए और उसमें सभी का सहभाग हो । इसलिए मन साफ करके ईमानदारी के साथ इन कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए ।

[अनुवाद]

श्री पी० सी० चाक्को (त्रिचूर) : महोदय, यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जब हम भारतीय इतिहास के उस गौरवपूर्ण अध्याय का समारोह अर्थात् भारत छोड़ो आन्दोलन की स्वर्ण जयन्ती मना रहे हैं और जिस कार्य को सरकार निष्ठापूर्वक कर रही है और जिसके प्रति वचनबद्ध है, उसे इस समय इस प्रकार से इसका मिथ्यावर्णन किया जा रहा है, इसकी आलोचना की जा रही है। मैं किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं चाहता हूं । श्री चन्द्रशेखर जी ने जो कहा है मैं उससे असहमत नही हूं । इस सभा में

कुछ ऐसे दल भी हैं जिनके विवेक में, जब वे 1942 के अतित में झांककर देखते हैं तो, चोट पहुंचती है। भारत छोड़ो आंदोलन की स्वर्ण जयंती मनाने का स्वभाविक और वैधानिक अधिकार कांग्रेस दल को प्राप्त है, क्योंकि हम इसके उत्तराधिकारी हैं, कांग्रेस दल उस महान दल का उत्तराधिकारी है जिसने स्वतंत्रता संग्राम में इस देश का नेतृत्व किया था : मैं यह नहीं कह रहा हूं कि अन्य किसी भी दल, नेता अथवा नेताओं की इसमें कोई भूमिका नहीं है। आचार्य नरेन्द्र देव, डा० लोहिया अथवा इन सभी महान नेताओं के प्रति हमारे मन में अत्यधिक आदर और सम्मान है। आपकी उपस्थिति में केन्द्रीय कक्ष में जब भाषण दिए गए थे, तो इन महान नेताओं का भी उल्लेख किया गया था। राष्ट्रपति के अभिभाषण तथा अन्य भाषणों में वे इन नेताओं का अभिवादन कर रहे थे। कांग्रेस दल, जिसने स्वतन्त्रता संग्राम में इस देश का नेतृत्व किया था, ने मुम्बई में तथा देश के अन्य भागों में भी इस कार्यक्रम का आयोजन किया था। हम लोगों ने अनेक कार्यक्रम तैयार किए हैं। (व्यवधान) कृपया मेरी बात सुनिए। मैं किसी व्यक्ति को राष्ट्रप्रेम का पाठ नहीं पढ़ाना चाहता हूं। लेकिन श्री राम विलास पासवान जी के दल द्वारा इस समारोह को देश के किसी भी भाग में मनाने हेतु एक भी कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया गया। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : मैं भी यही कह रहा हूं कि कांग्रेस (आई) का प्रोग्राम चल रहा है।

(व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीस (मुजफ्फरपुर) : मृणाल गोरे ने लाठियां खाईं, प्रमिला दण्डवते ने लाठियां खाईं, तब कैसे कह रहे हैं कि प्रोग्राम नहीं करते। ···(व्यवधान) प्रोग्राम किया और लाठियां भी खाईं। जो बात जानते नहीं हैं उसे क्यों बोलते हैं। ···(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री पी०सी० चाको : कृपया मेरी बात सुनिए। इस स्मृति उत्सव के लिए कांग्रेस दल इस कार्यक्रम का आयोजन सम्पूर्ण देश में एक वर्षीय कार्यक्रम के रूप में कर रही है। कौन सा दल इस कार्यक्रम को मना रहा है। अनेक दल इस सम्बन्ध में कांग्रेस दल की आलोचना कर रहे हैं। यदि आप भी वास्तव में इसमें रुचि रखते हैं तो आपके दल को भी एक कार्यक्रम तैयार करना चाहिए। इस समारोह का आयोजन मुम्बई में किया गया था। उन्हें यह बात समझनी चाहिए कि श्रीमती अरुणा असफ अली दल की सदस्या नहीं हैं. श्रीमती अरुणा असफ अली कांग्रेस दल की सदस्या नहीं हैं। लेकिन उन्होंने ग्वालियर के समारोह में भी भाग लिया। मैं यहां यह कहना चाहूंगा कि हमें गर्व है और हमें इस समारोह को मनाने का विशेष-अधिकार प्राप्त है। मैं यह कहता हूं कि प्रत्येक समारोह में कांग्रेस दल हमारे स्वतन्त्रता संग्राम के नायकों को समाविष्ट करने का प्रयास कर रहा है। इस संगठन में त्रुटियां हो सकती हैं। आप इसकी आलोचना कर सकते हैं। लेकिन यदि आप आलोचना कर रहे हैं तो आप इस देश के इतिहास का अपमान कर रहे हैं। आप एक नये इतिहास की रचना नहीं कर सकते हैं। भारत का इतिहास, भारत के स्वतन्त्रता संग्राम का इतिहास अनिवार्य रूप से कांग्रेस दल के इतिहास के साथ जुड़ा हुआ है। आपको यह बात नहीं भूलनी चाहिए। कांग्रेस दल का संकल्प, भारत छोड़ो आंदोलन का संकल्प उस दिन पारित किया गया था। भाषण में इसका उल्लेख किया गया है। क्या आप इतिहास को नकार सकते हैं? क्या कोई भी व्यक्ति इस

बात का उल्लेख किए बिना उस अवसर का स्मरण कर सकता है ? आपको यह समझना चाहिए । किसी भी राष्ट्रीय नेता का स्मरण कर उनका अपमान या निन्दा करने के बारे में कांग्रेस दल ने भूलकर भी नहीं सोचा है। सभी राष्ट्रीय नेताओं को स्मरण कर उनका आदर करने में हम गर्व महसूस करते हैं । अत: महोदय, मैं चाहता हूं कि अन्य राजनीतिक दल जिन पर उत्तरदायित्व भी है उन्हें कांग्रेस दल द्वारा इस स्वर्ण जयन्ति समारोह मनाने पर इसके कार्यकलापों की निन्दा नहीं करनी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री रवि राय (केन्द्रपारा) : अध्यक्ष जी, मेरे पूर्व वक्ता को सुनने के बाद, जो चन्द्रशेखर जी बोले, हमको लगता है कि यह सत्य बात बोले, उसको इन्होंने प्रमाणित कर दिया । मैं सोचता था कि कम से कम हम लोग जब 1942 की स्वर्ण जयन्ती मनाने जा रहे थे तो फिर कांग्रेस पार्टी, जो अभी गद्दी पर आसीन है, हमको लगता है कि यह अन्तर्मुखी बनकर राष्ट्रीय आन्दोलन का जो आखिरी आन्दोलन है, हमारे देश का, 1942 की क्रांति, उसको सोच-बूझ कर करेंगे और उसमें राजनीति नहीं लाएंगे। जैसा चन्द्रशेखर जी ने यहां फरमाया कि जिस तरीके से सैण्ट्रल हॉल मे भाषण हुए, जिस तरीके से बिना सोचे 1942 की क्रांति के इतिहास को गलत ढंग से देश के नौजवानों के सामने, भावी पीढ़ी के सामने रखा गया, यह बहुत तकलीफ की बात है। यह आशा मैं प्रधान मन्त्री जी की पार्टी से नहीं करता था लेकिन मैं सोचता हूं कि इतिहास से वह सीखते नहीं हैं ।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक जुमला कहना चाहता हूं कि गांधी जी की 8 अगस्त 1942 को बम्बई में गिरफ्तारी के बाद यह दुनिया जानती है और दुनिया के विश्व इतिहास के फ्रीडम मूवमैंट का हिस्सा बन चुका है कि जयप्रकाश नारायण, डा० लोहिया, अरुणा आसफ अली और अच्युत पटवर्धन, इन चार व्यक्तियों का, इन चार वीरों का मैं खासकर नाम लेना चाहता हूं, जिन्होंने भूमिगत होकर सारे "करो या मरो" आन्दोलन की जिम्मेदारी ली। मैं कहना चाहता हूं कि उस वक्त मैं हाई स्कूल में पढ़ता था और हो सकता है कि चन्द्रशेखर जी भी हाई स्कूल में पढ़ते हों, क्योंकि हम एक ही उम्र के हैं और उस समय हम गांव में हाई स्कूल में पढ़ते थे। उस वक्त गांधी जी के साथ इन चार आदमियों का, इन चार वीरों का नाम, जैसा कहते हैं कि यह सारे नौजवानों के हृदय के साम्राट बन चुके थे और लगातार 10-20 साल तक वह थे। मैं आज कहना चाहता हूं, यहां जो बैठे हैं, खासकर बुजुर्ग रेड्डी जी बैठे हैं, वह आंध्र प्रदेश के मुख्य मन्त्री रह चुके हैं, क्या यह इतिहास को झूठा साबित कर सकते हैं, क्या ऐसा नहीं था ? जिन महानुभावों के नाम मैं लेना चाहता हूं, उस दिन जो ऊंचे ओहदे पर हैं, उन्होंने भाषण किए तो क्या इन चार नामों को एक साथ मैंशन नहीं करना चाहिए था ? भले ही वह चार लोग आजादी के बाद कांग्रेस को छोड़कर, कांग्रेस के खिलाफ बहुत ही जबरदस्त एग्रेसिव आंदोलन चलाए हों लेकिन वह फ्रीडम फाइटर थे, क्रांतिकारी थे और हिन्दुस्तान की जो आखिरी क्रांति लड़ी गई थी, गांधी जी के नेतृत्व में, मैं आज कहना चाहता हूं, यह यहां कहा नहीं गया, मैं उसको रिकार्ड पर लाना चाहता हूं कि गांधी जी की मृत्यु के दो दिन पहले, मैं चाको साहब से कहना चाहता हूं, यह इस बात को सुन लें, अच्छी तरह से, क्योंकि यह याद नहीं है. मैं सारे कांग्रेसियों को याद दिलाना चाहता हूं, गांधी जी ने सोच लिया कि कांग्रेस, जो राष्ट्रीय क्रांति के लिए बनाई गई थी, उसका काम खत्म हो गया है और कांग्रेस को डिस्पैण्ड करना चाहिए और एक लोक सेवक संघ बनना चाहिए ।

गांधी जी का आखिरी लेख कांग्रेस को तोड़कर, जो राष्ट्रीय कार्यक्रम में काम करेंगे, राष्ट्रीय

पुनर्गठन में काम करेंगे, उनको लेकर लोक सेवक संघ का गठन करेंगे। यह क्या कांग्रेसियों को पता नहीं है कि राष्ट्रपिता की अंतिम ख्वाहिश थी कि कांग्रेस को भंग कर दिया जाए ?

मैं आज कहना चाहता हूं, नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के बारे में। नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के बारे में हमको तकलीफ है कि 1942 की क्रांति का जिक्र करने के बारे में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस, जो साउथ ईस्ट एशिया में सारे हिंदुस्तानियों को इकट्ठा करके क्रांति के लिए लड़ रहे थे, उनका भाषण अभी भी मेरे कानों में गूंज रहा है, उनका भाषण यह था कि मैं लड़ रहा हूं, गांधी जी के साथ उनके मतभेद थे, ऐसा कह कर जो कह रहे थे, वह कह रहे थे कि राष्ट्रपिता गांधी जी वहां लड़ रहे हैं, मैं उस वाक्य को, उस भाषण का जिक्र कम से कम राष्ट्रीय नेतागण, जो इस तरह के ओहदे पर हैं, को करना चाहिए था इसलिए 1942 की क्रांति के साथ नेता जी सुभाष चन्द्र बोस की आजाद हिन्द फौज का भी जिक्र करना चाहिए था लेकिन कोई जिक्र नहीं किया, कम से कम सैण्ट्रल हॉल में कोई जिक्र नहीं किया गया, इसलिए हम लोगों को तकलीफ है और मैं अभी भी कहता हूं, कांग्रेस दल यह सारा सुनकर अन्तर्मुखी बनेगा इसलिए खामखां घमण्डी बनकर इन चीजों को नाकरा नहीं करना चाहिए और 1942 की क्रान्ति के जो ओब्जर्वेशंस हुए, जिस तरीके से वह होना चाहिए, यह एक हिंदुस्तान जैसा बड़ा राष्ट्र, जहां संसदीय प्रजातन्त्र को कायम करने के लिए हम लोग गर्व करते हैं, उसके लायक नहीं रहा।

इतना ही मेरा कहना है।

श्री राम लखन सिंह यादव (आरा) : अध्यक्ष महोदय, श्री चन्द्रशेखर जी ने इस भाषण में हिस्सा लिया है और मित्रों ने भी लिया है, इसलिए मेरे लिए बोलना कोई बहुत आवश्यक नहीं है। मैं उन लोगों में से नहीं हूं, जिनका जन्म अगस्त-क्रांति के बाद हुआ है। मैं उन लोगों में से भी नहीं हूं, जिन्होंने अगस्त-क्रांति के समय में अथवा उसके पहले जब नेता जी सुभाष चन्द्र बोस ने पहली लड़ाई लड़ी, जिसमें उन्होंने नारा दिया—"न देंगे एक भाई, न देंगे पाई।" उस आन्दोलन में मैं हिस्सा नहीं लिया। गांधी जी के चरणों में रह कर जहां महीनों तक बिहार में काम किया है, उसी नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के फॉलोअर होकर एन्टी-कम्प्रोमाइज-कान्फ्रेंस में मैंने हिस्सा लिया। मैंने जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में कांग्रेस सोशियलिस्ट पार्टी में रहकर और उन्हीं के चरणों में रहकर सीखा। जब जयप्रकाश जी के नेतृत्व में लोग हजारीबाग में निकले थे, तो दो आदमियों ने आकर विक्रम एम०एल०ए०होस्टल में एक रात बिताई थी। यह सारा इतिहास मेरे सामने है। अंग्रेजों से लड़ाई लड़ने में एक स्टूडेंट की हैसियत से जब पटना सैक्रेटेरिएट पर झंडा फहराया गया था, मैंने उसमें बुलेट का मुकाबला किया है। आज इस बात को लेकर यहां विवाद खड़ा हुआ है। मैं समझता हूं कि यह मेरे लिए बहुत ही दुःखद बात है। चाहे जिनकी जिम्मेवारी हो, जिनकी वजह से हो, यहां आज जिस तरह से गलतियां पहल हुई सो हुई, यहां पर इस सदन में डिबेट का रूप ले लिया है, मेरे ख्याल से और कोई ज्यादा दुखद बात नहीं हो सकती है। ये सारी बातें प्रोसीडिंग्स में जाएंगी और सारी बातें बाहर जाएंगी, मेरे ख्याल से वह तो मेरे लिए बहुत ही दुखद है। भाई चन्द्रशेखर जी बोलने के बाद जिन भावनाओं को उन्होंने कहा है और जिस रूप में कहा है, मैं समझता हूं कि उस पर डिबेट की और कोई आवश्यकता नहीं रह गई है। अभी भी मैं सदन से आग्रह करूंगा, जो गलतियां जहां से भी और जिस स्तर पर हो गई हैं, अगस्त क्रान्ति की शुद्धता को देखते हुए, इतिहास को देखते हुए, किसमें किसका योगदान रहा, उसको सब जानते हैं। आज समूचे देश में, चाहे कोई पार्टी हो, सब की तरफ से अगस्त-क्रांति मनाई जा रही है, उसमें सब को सहयोग करना चाहिए। जो लोग पावर में हैं या जहां भी हैं, चाहे स्टेट में हों या चाहे केन्द्र में हो, उन सब का सहयोग लेना चाहिए और सब का

योगदान होना चाहिए। ऐसी परिस्थिति में मेरे खयाल से अब इस पर और विवाद का विषय बनाने से हमारे देश के इतिहास में, अगस्त-क्रांति के इतिहास में और धब्बा लगेगा। इसको और बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है।

इन शब्दों के साथ मैं माफी चाहूंगा, हमारे साथी लोगों से और यहां के माननीय सदस्यों, से मेरी भावना ऐसी थी, इसलिए मैंने आपके सामने आ कर खड़े होकर ऐसा कहा है।···(व्यवधान)

श्री हरि किशोर सिंह (शिवहर) : अध्यक्ष जी, मैं दो शब्द कहना चाहता हूं।···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने जो कम्कल्यूजन किया है, बहुत अच्छा किया है।

(व्यवधान)

श्री हरि किशोर सिंह : अध्यक्ष जी, मैं ऐसे परिवार से आता हूं, जो स्वतन्त्रता सैनानियों का परिवार रहा है। मेरे अपने गांव में स्वतन्त्रता सैनानी हैं। मैं ऐसे क्षेत्र से आता हूं, जिस एक गांव में 1942 में नौ व्यक्ति शहीद हुए थे, अंग्रेजी फौज का मुकाबला करते हुए। मुझे इस बात का आश्चर्य है कि राम लखन जी खड़े हुए हैं और वह भी 1942 की अगस्त-क्रांति की स्वर्ण जयन्ती के अवसर पर, उन्होंने भी यहां एक क्रान्ति की है।···(व्यवधान)···उनको याद करते हुए, उनके मूल्यों को याद करते हुए, उन्होंने एक क्रांति शुरू की है। मुझे शर्म आती है, इस बात की चर्चा करते हुए।···(व्यवधान)

श्री राम लखन सिंह यादव : आप होश में आकर बोलिए।···(व्यवधान)

श्री हरि किशोर सिंह : मैं होश में बोल रहा हूं, रामलखन जी। (व्यवधान)

श्री रामलखन सिंह यादव : मैं आपके बारे में कहूंगा तो आपको बुरा लगेगा।

श्री हरि किशोर सिंह : मेरे बारे में जो कहिएगा मुझे बुरा नहीं लगेगा। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसीलिए मैंने कहा था कि एक-दूसरे के बारे में मत कहें।

श्री हरि किशोर सिंह : 1942 के स्वर्ण जयन्ती का जो हम पर्व मना रहे हैं वह राष्ट्रीय पर्व है और जिस रूप में सरकार की ओर से मनाया जा रहा है और सरकार के लोग जो वक्तव्य देते हैं (व्यवधान) उसमें देश के कुछ पदों को भी शामिल कर लेते हैं। (व्यवधान) मुझे अफसोस होता है, मैं विशेष रूप से अनुरोध करूंगा कि केसरी जी यहां बैठे हुए हैं और उन्होंने 1942 के आन्दोलन में भाग लिया है···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : देखिए, आप इसको लम्बा मत कीजिए।

श्री हरि किशोर सिंह : हजारीबाग जेल में रह करके वे कन्धा दिए थे जिस समय जयप्रकाश नारायण जी हजारीबाग जेल से फरार हुए थे। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : देखिए, अलग-अलग स्टेट में अलग-अलग गवर्नमेंट्स हैं, सारे लोग इसको सेलीब्रेट कर सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री हरि किशोर सिंह : उसकी भी तो कुछ चर्चा होनी चाहिए। मैं चन्द्रशेखर जी से अनुरोध करूंगा कि कम से कम उसमें न जाने का तो जरूर काम करें क्योंकि जिस तरह से यह सरकार मना रही है यह कांग्रेस आई का राष्ट्रीय आंदोलन नहीं था, और ज्यादा विवाद होगा तो हम लोग यहां उसकी चर्चा करेंगे कि ऐसे नेता को ग्लोरीफाई करने की कोशिश हो रही है जो बहुत ही रिलेकटेंट हो करके उस आन्दोलन में शामिल हुए थे।

अध्यक्ष महोदय : उस आंदोलन की गरिमा कम हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री चित्त बसु (बारासाट) : जिस तरीके से महान अगस्त क्रांति की स्वर्ण जयन्ती मनायी गयी है उस पर मैं भी अपना असतोष और दुःख प्रकट करता हूं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : देखिए, ऐसे बात करने से उसकी गरिमा को कुछ धक्का लग सकता है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री चित्त बसु : महोदय, कृपया मेरी बात सुनिए और फिर आप उत्तर दे सकते हैं।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : वह नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के दल के हैं।

अध्यक्ष महोदय : जी हां, नेताजी सुभाष चन्द्र बोस इस देश के एक आदरणीय नेता हैं और उनकी याद स्वर्णिम अक्षरों में लिखी जाएगी।

श्री ई० अहमद (मंजेरी) : मौलाना मोहम्मद अली, हकीम अजमल खान, डा० फरीदी का कोई उल्लेख नहीं है। वे भी स्वतन्त्रता आंदोलन के नेता थे।

अध्यक्ष महोदय : क्या चाहते हैं कि इस प्रकार की चर्चा की जाए ?

श्री चित्त बसु : आप इतिहास को झुठला नहीं सकते हैं यह सत्य है और हम यह स्वीकार करते हैं कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने देश की स्वतन्त्रता के लिए 8 अगस्त, 1942 को देशव्यापी संघर्ष का आह्वान किया था। महात्मा गांधी ने लोगों से यह आह्वान किया था कि देश के प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी 'करो या मरो' है। सिर्फ कांग्रेस दल ही नहीं बल्कि अन्य राजनीतिक दलों तथा संगठनों ने राष्ट्र के आह्वान का बहुत ही जोर-शोर से उत्तर दिया था। फारवर्ड ब्लाक, एक अवैध घोषित दल, आर०एस०पी०, देश का एक अन्य महत्वपूर्ण क्रांतिकारी संगठन, देश में कार्यरत अन्य अनेक क्रांतिकारी दल तथा लोक नायक जय प्रकाश नारायण के नेतृत्व में कम्युनिस्ट सोशलिस्ट पार्टी ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभायी थी। आपको यह जानना चाहिए कि देश के विभिन्न भागों में समानांतर सरकारें चलायी जा रही थीं।

अध्यक्ष महोदय : उस दिन मैं आपको संकल्प पर लम्बा भाषण देने की अनुमति देता।

श्री चित्त बसु : यह मेरा विशेषाधिकार है मुझे गर्व है कि इस सामान्य सभा के एक भूतपूर्व सदस्य श्री सतीश कुमार सामन्त, अजय मुखोपाध्याय तथा अन्य क्रांतिकारी नेताओं तथा निश्चित रूप से अविभाजित बंगाल के कांग्रेस नेताओं के नेतृत्व में ताम्र लिप्ता को एक स्वतन्त्र देश घोषित किया गया था।

अत: प्रश्न यह नहीं है कि किसने आह्वान किया था। प्रश्न यह नहीं है कि क्या आह्वान अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा किया गया था। अन्ततः इतिहास ने यह साबित कर दिया है कि यह आंदोलन जनता द्वारा शुरू किया गया था तथा जनता जिस प्रकार चाहती थी उसी प्रकार से इसे शुरू करने की जिम्मेदारी उन्होंने अपने ऊपर ली। सच्चाई यह है कि कांग्रेस ने नेतृत्व प्रदान नहीं किया और यही मेरी शिकायत है। उन्होंने आह्वान किया परन्तु कांग्रेस ने आंदोलन का तर्कसंगत निष्कर्ष तक नेतृत्व प्रदान कर समन्वय की जिम्मेदारी नहीं ली।··· (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री ताराचन्द खण्डेलवाल (चांदनी चौक) : अध्यक्ष महोदय, इस पर आप अलग से चर्चा करवा दीजिए, और लोगों को भी शून्यकाल में अपनी बात कहने का अवसर मिलना चाहिए। इतना समय एक माननीय सदस्य लेंगे तो कैसे होगा ?··· (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री चित्त बसु : अत: इस सभा का यह प्रयास होगा कि इन सभी बातों को ध्यान में रखा जाए ताकि हमारे देश की युवा पीढ़ी अगस्त क्रांति में उन्हें उचित परिप्रेक्ष्य और उचित तरीके से याद कर सके। हालांकि बहुत देर हो चुकी है, फिर भी मैं समझता हूं कि सरकार को इन सभी ऐतिहासिक तथ्यों को ध्यान में रखना चाहिए और यह देखना चाहिए कि इसको वास्तव में इस तरह से मनाया जाए कि लोग यह समझ सकें कि यह राष्ट्रीय पर्व है और कांग्रेस ने राष्ट्रीय उत्तरदायित्व निभाया है।

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं इस पूरे विवाद में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं समझता हूं कि मेरी पीढ़ी के साथियों के लिए यह गौरव की बात है कि हमको "अगस्त क्रांति" की स्वर्ण जयन्ती मनाने का अवसर प्राप्त हुआ है।

यहां पर चर्चा हुई कि इतिहास को तोड़-मरोड़ कर पेश करने की कोशिश कांग्रेस द्वारा हो रही है, मैं माननीय नेतागणों को, सदस्यगणों को यकीन दिलाता हूं सरकार की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से कि इतिहास को तोड़ने-मरोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। कांग्रेस का इतिहास 106-107 साल पुराना है, उसको भी किसी के द्वारा तोड़ने का सवाल पैदा नहीं होता। कांग्रेस के इतिहास को तोड़ने की भी कोशिश की गई, लेकिन कांग्रेस का इतिहास नहीं टूटा। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, गांधी जी, सुभाष चन्द्र बोस, जयप्रकाश नारायण, जवाहर लाल नेहरू, खान अब्दुल गफ्फार खां, मौलाना आजाद, राजेन्द्र प्रसाद, अच्युत पटवर्धन, आचार्य नरेन्द्र देव, डा० राम मनोहर लोहिया, अरुणा आसफ अली, इन सब की हम इज्जत करते हैं। (व्यवधान)

श्री कालका दास (करोल बाग) डा० अम्बेडकर जी ने भी सहयोग दिया था, उनका नाम आप भूल गए।

श्री गुलाम नबी आजाद : आप मुझे बोलने तो दीजिए। अध्यक्ष महोदय, आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि मैंने जब कुछ नाम लिए तो इस हाउस में कितने और नाम उभर कर आए हैं। हमारे देश के लिए यह गौरव की बात है कि इतने नाम हिन्दुस्तान की आजादी के लिए आ रहे हैं। इससे आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री या कोई मंत्री अगर नाम ले तो कितने नाम लिए जा सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : आप गलती पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री हरि किशोर सिंह (शिवहर) : यह कोई बात नहीं है। (व्यवधान)

श्री ताराचन्द खन्डेलवाल : शुरू से कांग्रेस द्वारा सरदार पटेल के नाम की अवहेलना की गयी है। (व्यवधान)

श्री गुलाम नबी आजाद : आपकी पार्टी तो नई है, मेरे टीचर ने तो कम से कम इस पार्टी का इतिहास मुझे नहीं पढ़ाया है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले निवेदन किया था कि मैं इस विवाद में नहीं जाता। हम आदर करते हैं, जिन महान नेताओं ने हिन्दुस्तान की आजादी में हिस्सा लिया, 47 में लिया, 42 में लिया, 47 से पहले लिया, 42 से पहले लिया, हमारी सरकार और हमारी पार्टी उनका आदर करती है और आदर करती रहेगी और हम ये कार्यक्रम सरकार की तरफ से मनाएंगे, कांग्रेस पार्टी की तरफ से मनाएंगे और मनाते रहेंगे, हमें इसके लिए कोई रोक नहीं सकता।

1.00 म० प०

[अनुवाद]

श्री ए० चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : महोदय, कल जब माननीय कल्याण मंत्री ने मण्डल आयोग की रिपोर्ट को कार्यान्वित न करने के बारे में वक्तव्य दिया तो आपने कृपा करके मुझे इस मामले में थोड़ी देर के लिए हस्तक्षेप करने का अवसर दिया था। महोदय, हस्तक्षेप के दौरान मैं केवल एक ही मुद्दे को उजागर करना चाहता था और वह मुद्दा यह है कि मण्डल आयोग की रिपोर्ट को कार्यान्वित करने में विवाद और विलम्ब इसलिए हुए हैं कि तत्कालीन सरकार और भूतपूर्व प्रधानमन्त्री के उन समुदायों को सूची में शामिल नहीं किया जिनके लिए आरक्षण मिलना चाहिए था। मैंने यह बात बिलकुल स्पष्ट कर दी कि यह मामला न्यायालय में इसलिए गया क्योंकि समुदायों की कोई सूची नहीं थी। परन्तु, दूरदर्शन द्वारा उस दिन 10.30 बजे रात्रि को प्रसारित समाचार में दुर्भाग्य से मेरे भाषण का उल्लेख करते समय इस बात का जिक्र भी नहीं किया गया था। इसमें केवल इतना ही कहा गया था कि मैं चाहता हूं कि सरकार उन समुदायों सहित, जिन्हें छोड़ दिया गया है, समुदायों की एक सूची तैयार करे। महोदय,

मेरे भाषण का पूरा पाठ यहां नहीं है। मैंने कभी भी किसी समुदाय को शामिल करने की बात नहीं कही है। मैंने केवल इतना कहा कि चूंकि कोई सूची नहीं है और विलम्ब हो चुका है इसलिए सूची को अंतिम रूप दिया जाए।

1.01 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

आज के समाचार पत्रों को देख कर मुझे फिर व्यक्तिगत रूप से दुख पहुंचा है। मैं समाचार पत्रों या सरकार पर दोष नहीं लगा रहा हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि उन्हें वही बातें कहनी चाहिए जिसे कहने का मैंने प्रयास किया है। महोदय, एक समाचार पत्र ने कहा है :

> "ए० चार्ल्स (कांग्रेस ई०) ने श्री वी० पी० सिंह के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार पर एक भी ईसाई जनजातीय सम्प्रदाय को आरक्षण सूची में शामिल न करने का आरोप लगाया है।"

महोदय, मेरे भाषण में ईसाइयों का कहीं पर भी जिक्र नहीं है। दूसरे समाचार पत्र में कहा गया है कि :

> "ए० चार्ल्स ने तत्कालीन वी० पी० सिंह सरकार पर मण्डल आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार करते समय ईसाइयों को पिछड़े वर्गों में शामिल न करने का दोष लगाया है।"

महोदय, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। केवल इसलिए कि मैं ईसाई हूं उन्हें यह नहीं कहना चाहिए था कि मण्डल आयोग की रिपोर्ट को कार्यान्वित करने के बारे में, मैं ईसाइयों के लिए बोला था। महोदय, मैं त्रिवेन्द्रम के प्रतिष्ठित लोगों का प्रतिनिधित्व करता हूं और जब कभी मैं इस माननीय सभा में बोलता हूं तो मैं विश्वास और सदभावना के साथ बोलता हूं। मुझे अपनी ईमानदारी के बारे में कोई भ्रांति नहीं है। यदि मण्डल आयोग की रिपोर्ट पर व्यापक चर्चा होती है तो मैं बता सकता हूं कि भ्रांति के लिए कौन जिम्मेदार है। मैं यह सिद्ध कर सकता हूं कि आदेश जारी करने के पीछे राजनीतिक उद्देश्य रहा है और यह पिछले वर्गों को आरक्षण का लाभ देने के लिए नहीं था। अत:, मैं महोदय से अनुरोध करता हूं कि मैंने जो कुछ कल कहा है उसे ही प्रेषित करें और मैं समाचार पत्रों से आग्रह करता हूं कि वह मेरे भाषण को पढ़ें। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि मैंने कल जो कुछ सभा में कहा वह उसका सही विवरण दें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री डी०जे०दंडेल (दमन और दीव): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सभी सांसदों का ध्यान केन्द्रित करना चाहता हूं सभी दलों के सांसद मेरी बात सुनेंगे, मैं दमन-दीव से आया हूं। दमन, दीव और गोआ पहले एक साथ होते थे। जब गोआ को स्टेटहुड मिला उसके बाद दमन में प्रदेश काउंसिल की रचना हुई, पहले हमारे एम० एल० ए० मिलते थे। प्रदेश काउंसिल की नियुक्ति हुए चार साल हो गए हैं।

हमारा एडमिनिस्ट्रेशन प्रदेश काउन्सिल की नियुक्ति करता है। प्रदेश काउन्सिल में दमन के 12 सदस्यगण होते हैं। आठ पंचायत के चेयरमैन, एक एस०सी०एस०टी० का मैम्बर, एक महिला मैंबर और एक सांसद मिलकर 12 होते हैं। 18 जून, 1991 को एक घटना हुई है। हमारे प्रदेश काउन्सिलर श्री राम भाई पटेल किसान परिवार से आते हैं, बड़े सोशल आदमी हैं और प्रशासक ने उनको काउन्सिल का चेयरमैन नियुक्त किया और ग्यारह महीने के बाद उनकी शपथग्रहण विधि नहीं हुई और हमारे होम मिनिस्टर ने कई बार प्रोग्राम बनाया और वे नहीं आ पाए। सिर्फ हमारे दमन के प्रदेश काउन्सिल की नियुक्ति नहीं हुई बल्कि दादर और नागर हवेली की भी हुई। जब दमन दीव की प्रदेश काउन्सिल की नियुक्ति हुई तो उनका शपथ ग्रहण विधि का समारोह नहीं हो पाया। हमारे होम मिनिस्टर ने 31 जुलाई को उनकी शपथ ग्रहण करवाने के लिए प्रोगाम बनाया और सभा को इन्वाइट कर दिया। 24 जुलाई को···(व्यवधान) श्री उत्तमभाई एच० पटेल, ग्रामीण विकास राज्य मन्त्री यहां बैठे हुए हैं, ये सब वहां होम मिनिस्टर के पास पहुंच गए और वहां पर यह कहा कि प्रदेश काउन्सिल में जो राम भाई पटेल की नियुक्ति हुई है तो ये देवजी भाई के आदमी हैं। 1990 में वे चेयरमैन बने थे और निर्दलीय मैंबर थे जबकि 1990 में उन्होंने चुनाव लड़ा और पंचायत के चेयरमैन थे। अगले चुनाव में मैं मैंबर था। मैं सैकण्ड टाइम एम० पी० बनकर आया हूं। उसकी जवाबदेही रहती है और कुछ काम रहता है। कई लोगों ने जाकर स्टेट होम मिनिस्ट्री से कहा कि सांसद देवजी भाई का आदमी है और उसको इमीजियेटली वहां से हटाइए। 24 जुलाई को वहां से आर्डर कैंसिल करके उसको वहां से हटाया गया। यह बड़ा जुल्म हुआ है। ऐसी झूठी बातों में जो आयेगा तो वह झुक जाएगा। कल क्या हो सकता है, यह आप हल कर सकते हैं। हमारे दमन के अन्दर ऐसी हालत हो गई है और किसान परिवार का लड़का पहली बार आया है और उसे पद मिला है। पूरा परिवार और पूरा समाज उनके कैबर में है। 17 तारीख का मैंने होम मिनिस्ट्री को और एडमिनिस्ट्रेशन को नोटिस दिया है कि एडमिनिस्ट्रेशन के कार्यालय के सामने मुझे फास्ट पर बैठना पड़ेगा। मुझे जान भी देनी पड़ी तो दे दूंगा।···(व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : उपाध्यक्ष जी, इस मामले को लेकर आज मैं अध्यक्ष महोदय से मिला था और मैंने उनकी अनुमति ली है कि मैं, जो कुछ सदन में कहा गया है उसकी पुष्टि में तथ्य सदन के सामने रखूं। मामला दमन दीव से सम्बन्धित है। दमन दीव, यूनियन टेरीटरी है, गृह मन्त्रालय सीधा उत्तरदायी है, वहां एडमिनिस्ट्रेटर हैं, इसकी सलाह के लिए प्रदेश काउन्सिल नियुक्त की जाती है। वहां के एक नागरिक श्री राम भाई पटेल को काउन्सिलर नियुक्त किया गया। नियुक्ति की घोषणा गजट में कर दी गई। उन्हें सूचना भेज दी गई। उस नियुक्ति पर अमल भी शुरू हो गया। उन्हें अनेक समितियों का सदस्य मनोनीत किया गया, रेड क्रास कमेटी, होम एडवाइजरी कमेटी और बाद में उनकी शपथ की विधि हो, यह फैसला हुआ। उसकी तारीख तय की गई। 31 जुलाई को शपथ की विधि होनी थी, निमन्त्रण बांट दिए गए, स्वयं उन्हें सूचित कर दिया गया कि 31 जुलाई को आएं और शपथ लें और बाद में वह समारोह रद्द कर दिया गया। क्यों रद्द किया गया। नियुक्ति के बाद किसी नागरिक को इस तरह से अपमानित करने का कारण क्या है···

श्री चन्द्रशेखर (बलिया) : क्या कारण दिया ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : कारण यह है कि जो कांग्रेस के सदस्य हैं उन्होंने जाकर एडमिनिस्ट्रेटर से कहा कि जिन्हें आपने नियुक्त किया है वे भारतीय जनता पार्टी से सम्बन्धित मालूम होते हैं और

उनकी नियुक्ति रद्द होनी चाहिए। क्या इस तरह से किसी को अपमानित किया जाएगा, क्या यूनियन टेरिटरी का प्रशासन इस तरह केन्द्र के इशारे पर चलेगा। अगर सलाह-मशविरा करना था तो पहले कर लेते। श्री पटेल को नियुक्त करना कोई जरूरी नहीं था, लेकिन वे एक प्रतिष्ठित नागरिक हैं और ग्राम पंचायत के ग्रुप के अध्यक्ष हैं। उस टेरिटरी में उनका एक विशेष स्थान है। लेकिन उन्हें नियुक्त करके, फिर शपथ विधि तय करके, निमन्त्रण बांटकर, भारत सरकार का हाल देखिए आप, नियुक्ति भारत सरकार के गजट में प्रकाशित हुई और नियुक्ति रद्द करना भी गजट आफ इंडिया में प्रकाशित हुआ। गजट आफ इंडिया में चाहे जो भेज दो वह छप जाता है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? गृह मन्त्रालय किस तरह का दमन-दीव से व्यवहार कर रहा है भारत के एक नागरिक के साथ इस तरह का व्यवहार करने का क्या मतलब है? सरकार आये, वक्तव्य दे, इस सदन में सारे तथ्यों को रखे। मैं अपने सहयोगी को कहूंगा कि उन्हें अनशन करने की जरूरत नहीं है। हम सरकार को इसी सदन में ठीक करेंगे।

[अनुवाद]

श्री पी० एम० सईद (लक्षद्वीप) : महोदय मैं ऐसे क्षेत्र से सम्बन्धित हूं जहां की स्थिति ऐसी ही है। अतः आप कृपया मुझे बोलने के लिए दो मिनट का समय दें।

उपाध्यक्ष महोदय : आप कैसे सम्बन्धित हैं?

श्री चन्द्रशेखर : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने एक मुद्दा उठाया है और माननीय अटल जी ने उसका समर्थन किया है। यह एक बहुत ही शर्मनाक घटना है। कोई भी सरकार इस विचार से सहमत नहीं हो सकती है। यदि भारत सरकार के राजपत्र में कोई अधिसूचना प्रकाशित हुई थी और बाद में उसे बदल दिया गया था तो, मैं कहूंगा कि सरकार के पास अपनी बुद्धि नहीं है या सरकार बाहरी दबाव में कार्य कर रही है। दोनों बातों की गम्भीरता सरकार से स्पष्टीकरण मांगने के लिए पर्याप्त है।

संघ शासित क्षेत्र सीधे ही गृह मन्त्रालय और भारत सरकार के अधीन हैं। संघ शासित क्षेत्र के सम्बन्ध में कोई भी अधिसूचना गृह मन्त्री की सहमति के बिना राजपत्र में प्रकाशित नहीं हो सकती है। गृह मन्त्री को स्पष्टीकरण देना चाहिए कि किन परिस्थितियों में यह हुआ है। कोई भी गृह मन्त्री यह नहीं कह सकता है कि उन्होंने किसी भी व्यक्ति की नियुक्ति उस व्यक्ति के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त किए बिना की या उसने ऐसा किन्हीं लोगों के प्रभाव के कारण किया। मुझे मालूम नहीं है कि उस व्यक्ति का सम्बन्ध भारतीय जनता पार्टी से है या जनता पार्टी से है या जनता दल अथवा अन्य किसी दल से है परंतु भारत सरकार द्वारा एक माननीय नागरिक की नियुक्ति किए जाने पर उस नियुक्ति को निरस्त करने के लिए पर्याप्त वैध कारण होने चाहिए। जब तक वह व्यक्ति विक्षिप्त न हो या उस पर देशद्रोह का आरोप न हो तब तक किसी अन्य तर्क से उसकी नियुक्ति निरस्त नहीं की जा सकती है। यह एक बहुत गम्भीर मामला है और मैं अटल जी द्वारा दिए गए वक्तव्य का पूरी तरह समर्थन करता हूं।

श्री पी० एम० सईद : महोदय, मैं इस सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : किसी ने भी आपका नाम नहीं घसीटा है।

श्री पी० एम० सईद : महोदय, मैं जो स्पष्टीकरण यहां पर दे रहा हूं वह मेरा व्यक्तिगत स्पष्टी-

करण नहीं है । मैं केवल उन परिस्थितियों का उल्लेख करना चाहता हू जिनके कारण इस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई । दादरा-नगर हवेली, दमन-दीव, लक्षद्वीप और अडमान मे एक जैसा गठन है अर्थात प्रदेश परिषद है ।

दो वर्ष पहले लक्षद्वीप में इसी तरह के चुनाव कराए गए थे । राजनीतिक दलों के आधार पर उम्मीदवारों के नामों को अन्तिम रूप दिया गया था और परिषद का गठन किया गया था । लक्षद्वीप में निर्वाचित हुए 21 सदस्यों में से 18 सदस्य कांग्रेस के टिकट पर चुने गए थे और तीन जनता दल के टिकट पर चुने गए थे । विनियम के अनुसार सभी निर्वाचित सदस्यों को प्रदेश परिषद के सदस्य के रूप में जाना जाता है । इसमें से तीन सदस्यों को प्रशासक द्वारा पार्षद के रूप में नियुक्त किया जाता है । उनका पद राज्य के उप मन्त्री के समकक्ष होता है ।

अब ऐसा होता है । बहुमत वाले दल के सदस्यों की सख्या के अनुसार प्रशासक द्वारा सदस्य मनोनीत किए जाते हैं । यहां तीन सदस्यों की नियुक्ति की जानी थी । प्रशासक एक सदस्य जनता दल से नियुक्त करना चाहते थे । मैंने कहा आप ऐसा अपने जोखिम पर करें, मैं आपके बंगले के सामने धरने पर बैठ जाऊंगा । तब उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक मानदण्डों के अनुसार जो लोग बहुमत में हों उन्हें ही नियुक्त किया जाना चाहिए । यहां पर भी वही स्थिति है । किसी विस्फोटक स्थिति के उत्पन्न होने से पहले सदन को इन सब बातों की जानकारी होनी चाहिए । इन सब बातों को जानने से पहले आपको सरकार की निन्दा नहीं करनी चाहिए । मान लीजिए कि कोई अधिसूचना जारी की गई थी तो तब मैं कह सकता हूं कि ऐसा करना गलत था । यदि बहुमत वाला दल कांग्रेस है या कोई अन्य दल है तो, क्या आप यह चाहते हैं कि किसी अन्य दल के सदस्य को मनोनीत किया जाए ? मैं यह केवल कांग्रेस दल के लिए ही नहीं कह रहा हूं । मान लीजिए जनता दल बहुमत मे है तो फिर क्या होगा ? यही बात हुई थी । मैं इसकी निन्दा करता हूं । मान लीजिए प्रशासक किसी व्यक्ति का नाम पार्षद के बतौर अधिसूचित करता है तो वह प्रशासक की गलती है । इसके लिए उनसे जवाब मांगा जाना चाहिए सरकार से नहीं ।

महोदय, किसी बात को अच्छी तरह जानने से पहले सरकार की निन्दा करना अच्छा नहीं है ।

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : हम तथ्यों का पता लगाएंगे ।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधी नगर) : हम स्पष्टीकरण चाहते है । इसका लक्षद्वीप से संबंध हो सकता है और वहां पर नामिनेट करने से पहले श्री पी०एम० सईद ने उनको कहा कि इनको आप नामिनेट न करिए, इनको करिए तो यह एक स्थिति है । यहां पर मुझे पता नहीं कि कोई इलेक्शन हुआ या नहीं हुआ, जिम्मेदारी किसकी है ? मैं इतना जानता हूं कि श्री रामू भाई पटेल को नियुक्त किया गया और उसकी नियुक्ति की घोषणा हो गयी, गजट हो गया, उसके बाद शपथ-विधि भी घोषित हो गयी और सात दिन पहले क्योंकि वहां से चार लोग आते हैं, होम मिनिस्ट्री में आकर गजट को बदलवाते हैं, यह नहीं होगा । तो जैसा श्री चन्द्रशेखर जी ने कहा कि पहले की नियुक्ति क्या बिना सोचे-समझे की गई थी ? अगर वह था, तो वह गलत था लेकिन मैं चाहूंगा कि इस मामले में होममिनिस्टर आकर खुलासा करें कि क्यों किन परिस्थितियों में इस नियुक्ति को खत्म किया गया और मैं समझता हूं कि वहां से संसद के जो चुने हुए सदस्य हैं, उनका कथन सही है कि श्री रामू भाई पटेल की नियुक्ति को ज्यों का त्यों बरकरार रहना चाहिए ।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आजाद जी, क्या आप इस सम्बन्ध में कुछ कहना चाहते हैं ?

श्री गुलाम नबी आजाद : मैं इस मामले को गृह मन्त्री के साथ उठाऊंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब राज्य सभा से प्राप्त संदेश ।

1.17 म० प०

राज्य सभा से संदेश

महासचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्न संदेश की सूचना सभा को देनी है :—

"राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 127 के उपबंधों के अनुसरण में, मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 10 अगस्त, 1992 को हुई अपनी बैठक में, लोक सभा द्वारा 5 अगस्त, 1992 को पारित किए गए पूंजी निर्गम (नियंत्रण) निरस्त करने वाला विधेयक, 1992 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई ।"

1.19 म० प०

विशेषाधिकार समिति

पहला प्रतिवेदन

श्री शिव चरण माथुर (भीलवाड़ा) : मैं विशेषाधिकार समिति का प्रथम प्रतिवेदन (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं ।

1.19½ म० प०

सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति

छठा प्रतिवेदन

[हिन्दी]

डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय (मंदसौर) : मैं सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति का छठा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं ।

1.19½ म० प०

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति

तीसरा प्रतिवेदन

श्री प्रवीन डेका (मंगलदाई) : मैं सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति का तीसरा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

1.20 म० प०

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) महाराष्ट्र राज्य में सहकारी कताई मिलों को वित्तीय सहायता दिए जाने सम्बन्धी महाराष्ट्र सरकार के प्रस्तावों को स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता

श्री अनन्तराव देशमुख (वाशिम) : महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्र सरकार के पास वित्तीय संस्थाओं से सहायता दिलवाने के लिए 30 सहकारी कताई मिलों के प्रस्ताव भेजे हैं। यदि इन परियोजनाओं को वित्तीय सहायता दी जाती है तो वे राज्य में कम-से-कम 30,000 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराएंगे। केन्द्र सरकार ने अब तक इस मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया है। कुवैत सरकार ने भी महाराष्ट्र की इन सहकारी कताई इकाइयों को वित्तीय सहायता देने के लिए सकारात्मक संकेत दिए हैं। अतः केन्द्र सरकार से मेरा अनुरोध है कि वह कुवैत सरकार के साथ इन प्रस्तावों के बारे में बातचीत करे और महाराष्ट्र सरकार के इन प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान करे।

(दो) बोलंगीर, उड़ीसा के शिक्षित युवकों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध करना सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री शरत्चन्द्र पटनायक (बोलंगीर) : बोलंगीर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक आधुनिक कारखाने को छोड़कर कोई भी बड़ा उद्योग नहीं है। वहां पर प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध होने के बावजूद केन्द्र के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा इस क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना करने के सम्बन्ध में कोई पहल नहीं की गयी है। शहरी शिक्षित युवकों को रोजगार उपलब्ध कराने से सम्बन्धित कोई योजना वहां शुरू नहीं की गयी है। वहां न तो जिला उद्योग केन्द्र और न ही वित्तीय संस्थाएं इन युवकों को लघु उद्योगों की स्थापना करने के लिए तकनीकी आर्थिक सहयोग दे रहे हैं जिससे कि वे आत्मनिर्भर हो सकें। जब तक इस दिशा में कोई बड़े कदम नहीं उठाये जाते हैं, इस बात की पूरी संभावना है कि युवा वर्ग समाज की मुख्य धारा से अलग हो जाएगा।

अतः केन्द्र सरकार से मेरा अनुरोध है कि वह बोलंगीर के शिक्षित युवकों को रोजगार सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए अविलम्ब आवश्यक कदम उठाए।

(तीन) उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी (गढ़वाल) : अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश के उत्तरांचल में सभी पर्वतीय जनपद नई सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत सम्मिलित किए गए हैं किन्तु खेद है कि इसके बावजूद भी इन पर्वतीय जनपदों में गेहूं, चावल प्रति यूनिट 600 ग्राम के हिसाब से लोगों को मिल रहा है।

इन पर्वतीय जनपदों की आजीविका का मुख्य साधन वर्षा पर निर्भर खेती है किन्तु कृषि कार्य से वर्ष के तीन महीनों के लिए भी इन क्षेत्रों में खाद्यान्न उत्पन्न नहीं हो पाता है। इस प्रकार अपनी खाद्यान्न की आवश्यकता की पूर्ति के लिए यहां के लोगों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर ही निर्भर रहना पड़ता है। अतएव इन क्षेत्रों की खाद्यान्न व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा निम्न उपाय किए जाने चाहिए :—

1. इन जनपदों के लिए वहां की आवश्यकता के अनुरूप केन्द्रीय पूल से अलग से खाद्यान्न का आवंटन किया जाए।

2. इन जनपदों के लिए प्रति यूनिट खाद्यान्न की मात्रा प्रति यूनिट 6 कि०ग्रा० चावल व 8 कि०ग्रा० गेहूं की जाए।

3. इन क्षेत्रों में भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से खाद्यान्न का दुलान नियमित एवं मांग के अनुरूप पर्याप्त मात्रा में करवाया जाए।

4. यहां की भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए जनपदवार अधिक से अधिक खाद्यान्न गोदाम स्थापित करवाए जाएं और इसके अतिरिक्त वर्तमान गोदामों में खाद्यान्न का पर्याप्त भण्डारण करवाया जाए।

(चार) बिहार के आदिवासी बहुल क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों के लिए प्रशिक्षण केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : अध्यक्ष महोदय, बिहार के आदिवासी बाहुल्य पिछड़े क्षेत्र में व्यापक असंतोष है। इस असंतोष की जड़ में शोषण एवं विकास-परियोजनाओं की कमी के कारण चहुं ओर फैली दरिद्रता ही प्रमुख है। गत माहों में केन्द्र सरकार ने इस मामले का अध्ययन करने के लिए एक कमेटी गठित की थी, कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को गत 18 मई, 1990 को दे भी दी। राज्य सरकार ने अपने वर्तमान 1992-93 वित्तीय वर्ष के बजट से कुल योजना व्यय का 25% इस क्षेत्र के विकास के लिए आवंटित भी कर दिया है किंतु यह राशि इस क्षेत्र के विकास के लिए न्यूनतम है, रेल लाइनें जमतारादुमका रामपुर हाट संथाल परगना में तथा छोटा नागपुर क्षेत्र में रांजी-हजारीबाग-गिरिडीह को परस्पर जोड़ने के लिए लम्बे अर्से से विचाराधीन है किन्तु अभी तक उनकी स्वीकृति का निर्णय नहीं किया

जा सका है। अत: मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि यह क्षेत्र उत्तम-गुणवत्ता वाली मिट्टी का नहीं है और न ही यहां सिंचाई की पर्याप्त सुविधा है, अत: आवश्यक है कि यहां कुटीर उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहन दिया जाए। सरकार अविलम्ब इस क्षेत्र में कुटीर उद्योग प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करे तथा प्रशिक्षित नवयुवकों के लिए वित्तीय व्यवस्था कर उन्हें रोजगार प्राप्त करने के अवसर प्रदान कराए।

(पांच) उड़ीसा के ढेंकानाल जिले में बारासुआलो स्थित प्राचीन मंदिरों की सुरक्षा और संरक्षण किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री के० पी० सिंह देव (ढेंकानाल) : ढेंकानाल जिले में 13वीं शती के बरासुआलो स्थित कपिलास फपिलेश्वर महादेव के मन्दिर, कुलस स्थित अष्टसम्भु के मन्दिर तथा ढेंकानाल जिले में ब्राह्मणी नदी में स्थित 27 फुट की झुकी हुई प्रस्तर प्रतिमा अनन्त संगम धीरे-धीरे नष्ट हो रहे हैं क्योंकि वित्तीय कारणों की वजह से इनकी उपेक्षा की गयी है और पर्याप्त रूप से इनकी सुरक्षा के तथा मरम्मत आदि के और संरक्षण के उपाय नहीं किए गए हैं। इस समय ये राज्य के पुरातत्व विभाग की देख रेख में हैं।

केन्द्रीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए या इस बहुमूल्य सांस्कृतिक विरासत को नष्ट होने से रोकने हेतु तथा आने वाली पीढ़ियों के लिए और लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए इन्हें अपने संरक्षण में ले लेना चाहिए।

(छह) यह सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता कि कानपुर की सूती कपड़ा मिलों में लगे श्रमिकों की छटनी न की जाए

[हिन्दी]

श्री जगतवीर सिंह द्रोण (कानपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अधीन एक लोक महत्व के प्रश्न को उठाना चाहता हू। पहले भी मैंने कानपुर की सूती मिलों की दयनीय दशा की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया था परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि कोई भी कदम सरकार ने प्रभावी ढंग से इस दिशा में नहीं उठाया है, जिसके परिणामस्वरूप आज कानपुर में गम्भीर श्रमिक अशान्ति उत्पन्न हो गयी है एवं प्रशासन के लिए एक स्थायी समस्या बन गयी है। इन मिलों का चलाना तो दूर, मजदूरों का वेतन तक नहीं मिल पा रहा है। सरकार के द्वारा बजट प्रावधानों में की गई कटौती से न कच्चा माल उपलब्ध हो पा रहा है न ही मजदूरों के वेतन भुगतान की व्यवस्था हो पा रही है। सरकार द्वारा लोक सभा में कई बार की गई स्पष्ट घोषणा एवं दिए गए आश्वासनों के बाद भी बहुत बड़ी संख्या में मजदूरों को, जो 15 वर्ष से भी अधिक समय से काम कर रहे थे, हटा दिया गया है। औद्योगिक वित्त एवं पुनर्निर्माण बोर्ड (बी०आई०एफ०आर०) के पास परीक्षण के लिए इन बीमार मिलों को भेजा जाना मजदूरों की दृष्टि से इन्हें बन्द किए जाने की दिशा में एक कदम है। हजारों मजदूर बैठा दिए गए हैं जिससे उनके परिवार भुखमरी के शिकार हो गए हैं। एक अभूतपूर्व अनिश्चितता का वातावरण बन गया है एवं सरकार की नियत स्पष्ट न होने के कारण मजदूरों में घोर आक्रोश व्याप्त हो गया है जिसे वे अनेक प्रकार से समय-

समय पर प्रकट करते रहे हैं। वित्त मन्त्री जी और कपड़ा मन्त्री जी एक साथ बैठकर भी कोई समाधान नहीं खोज पा रहे हैं।

अत: मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि समय-समय पर इस सदन में दिए गए आश्वासनों एवं की गई घोषणाओं का पालन करे तथा यह सुनिश्चित करे कि एक भी मजदूर हटाया नहीं जाएगा तथा जो हटा दिए गए हैं उन्हें तत्काल काम पर वापस लिया जाएगा। समय से वेतन भुगतान हो यह सरकार का दायित्व है एवं सरकार इसकी व्यवस्था स्थायी रूप से करे। साथ ही, इन मिलों को चलाने के लिए प्रशासनिक एवं आर्थिक स्थिति का विश्लेषण करे एवं प्रभावी कदम उठाए जिससे संभावित अभूतपूर्व श्रमिक अशान्ति को टाला जा सके।

1.27 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2.30 म०प० तक के लिए स्थगित हुई।

2.37 म० प०

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 2.37 म० प० पर पुन: समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

सभा पटल पर रखे गए पत्र

राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, भोपाल का वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखा परीक्षित लेखे और कार्यकरण की समीक्षा

[अनुवाद]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री : (कुमारी शैलजा) : मैं श्री अर्जुन सिंह की ओर से निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखती हूं :—

(1) (एक) राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, भोपाल के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, भोपाल के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 2480/92]

(3) (एक) क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, तिरूचिरापल्ली के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, तिरूचिरापल्ली के वर्ष 1989-90 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, तिरूचिरापल्ली के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 2481/92]

खाद्य निगम अधिनियम, 1964 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : मैं खाद्य निगम अधिनियम, 1964 की धारा 45 की उपधारा (5) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) भारतीय खाद्य निगम (कर्मचारी) (पहला संशोधन) विनियम, 1992, जो 18 मई, 1992 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या ई०पी० 16-1/92 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय खाद्य निगम (कर्मचारी) (दूसरा संशोधन) विनियम, 1992, जो 16 जुलाई, 1992 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या ई०पी० 36(1)/89 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय खाद्य निगम (कर्मचारी) (तीसरा संशोधन) विनियम, 1992, जो 16 जुलाई, 1992 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या ई०पी० 2-6/91 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 2882/92]

राजनैतिक दलों के कर्मचारियों को सरकारी आवास के बारे में अतारांकित प्रश्न संख्या 4662 के 6 अगस्त 1992 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : मैं राजनैतिक दलों के कर्मचारियों को सरकारी आवास के बारे में श्री देवी बक्श सिंह और डा० रमेश चन्द तोमर द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 4662 के 6 अगस्त, 1992 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने वाला एक

विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 2483/92]

दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 के अन्तर्गत अधिसूचना

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री एम०एम० जैकब) : मैं दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 की धारा 490 की उपधारा (3) के अंतर्गत अधिसूचना सं० यू० 14011/160/89-दिल्ली, जो 4 जून, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 6 जनवरी, 1990 की अधिसूचना संख्या यू० 14011/160,89-दिल्ली (i) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल०टी० 2484/92]

कन्टेनर कारपोरेशन आफ इण्डिया और रेल मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : मैं कन्टेनर आफ इंडिया और रेल मन्त्रालय के बीच वर्ष 1992-93 के समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं। [ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल०टी० 2485/92)

खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत अधिसूचना और उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : मैं श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) खाद्य अप-मिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 की धारा 23 की उपधारा (2) के अन्तर्गत खाद्य अपमिश्रण निवारण (चौथा संशोधन) नियम, 1990, जो 29 मई, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 281 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा इसका एक शुद्धि-पत्र 25 अक्तूबर, 1991 की अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 648 (अ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) उपर्युक्त (1) में उल्लिखिति पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 2486/92]

केन्द्रीय हिन्दी संस्थान आगरा का वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन वार्षिक लेखे और कार्यकरण की समीक्षा

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :

1 (एक) केन्द्रीय हिन्दी संस्थान (केन्द्रीय हिन्दी शिक्षण मंडल), आगरा के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) केन्द्रीय हिंदी संस्थान (केन्द्रीय हिन्दी शिक्षण मंडल), आगरा के वर्ष 1990-91 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) केन्द्रीय हिन्दी संस्थान (केन्द्रीय हिन्दी शिक्षण मंडल), आगरा के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

2. उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 2487/92]

3 जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली के वर्ष 1990-91 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

4. उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 2488/92]

5. (एक) केन्द्रीय उच्च तिब्बती अध्ययन संस्थान, सारनाथ, वाराणसी के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) केन्द्रीय उच्च तिब्बती अध्ययन संस्थान, सारनाथ, वाराणसी के वर्ष 1990-91 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) केन्द्रीय उच्च तिब्बती अध्ययन संस्थान, सारनाथ, वाराणसी के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

6. उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 2489/92]

7. (एक) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 18 के अन्तर्गत विश्व-विद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 1990-91 कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

8. उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों में सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एस०टी० 2490/92]

2.39 म०प०

विदेशी मुद्रा संरक्षण (यात्रा) कर उत्सादन अध्यादेश का निरनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प

और

विदेशी मुद्रा संरक्षण (यात्रा) कर उत्सादन विधेयक, 1992

उपाध्यक्ष महोदय : श्री शोभनाद्रीश्वर राव बाड्डे।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव बाड्डे (विजयवाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा 29 मई, 1992 को राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित विदेशी मुद्रा संरक्षण (यात्रा) कर उत्सादन अध्यादेश, 1992 (1992 का अध्यादेश संख्या 8) का निरनुमोदन करती है।"

महोदय, मैं समझता हूं कि यात्रा से सम्बद्ध विदेशी-मुद्रा संरक्षण कर के उत्सादन सम्बन्धी यह उपाय अकालिक है। 1992 में इस यात्रा-कर को लागू करने का कारण विदेश यात्रा को कम करना था और कुछ हद तक इस बहुमूल्य विदेशी-मुद्रा को बचाना था।

इस कर को हटाने से वह उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा जिसके लिए यह लगाया गया था। भुगतान संतुलन की स्थिति जो कुछ समय पूर्व थी में निश्चित रूप से कुछ सीमा तक सुधार हुआ है लेकिन अभी भी इसे अस्थायी उपाय ही माना जा सकता है और अभी हमारी मुश्किलें दूर नहीं हुई हैं। हमें अपने विदेशी मुद्रा-कोष भंडार को बढ़ाने के लिए पुरजोर कोशिश करनी होगी। हमारे लक्ष्यों और वास्तविक प्राप्तियों के बीच काफी अन्तर है। दुर्भाग्य से इस वर्ष विभिन्न राज्यों में प्रकृति का भी प्रकोप रहा है और देश के अनेक भागों में सूखे की स्थिति है। मुझे डर है कि हमें खाद्य तेलों सहित खाद्यान्नों और कुछ अन्य कृषि उत्पादों का आयात करना पड़ेगा। हाल ही में खाद्य तेलों सम्बन्धी प्रौद्योगिकी मिशन के अच्छे परिणामों के कारण आयात में कमी आई है। लेकिन शायद अभी भी हमें कुछ धनराशि खर्च करनी पड़ेगी। अतः इन परिस्थितियों में, मैं यह महसूस करता हूं कि विदेशी मुद्रा संरक्षण (यात्रा) कर विधेयक को समाप्त करने का यह समय उचित नहीं है।

अब सरकार उदारीकरण कार्यक्रम को ला रही है। इसने आर्थिक, औद्योगिक और व्यापार के

सम्बन्ध में अनेक नीतिगत उपाय घोषित किए हैं। लेकिन जब हम कुछ अन्य देशों का अनुभव देखते हैं, जहां इस उदारीकरण की प्रक्रिया को पहले ही अपनाया जा चुका है, एक मुख्य बात जो देखने को मिलती है, वह यह है कि उनकी भुगतान संतुलन की स्थिति और भी खराब हुई है। कुछ क्षेत्रों में कुछ उपलब्धि भी हुई है। लेकिन साथ ही यह भी तथ्य है कि उनकी भुगतान संतुलन की स्थिति और खराब हुई है। हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा।

जैसा कि माननीय सदस्यों को मालूम ही है कि वर्ष 1985 के पश्चात् तत्कालीन सरकार और उसके बाद वाली सरकारों द्वारा अपनाए गए कुछ नीतिगत उपायों के कारण हमारा विदेशी मुद्रा का भंडार बहुत कम हो गया है। रुपये का भी अवमूल्यन हुआ है। वर्ष 1980-81 में रुपये का मूल्य प्रति डालर 7.89 रुपये था, जबकि 1985-86 में यह गिरकर 12 रुपये प्रति डालर हो गया। वर्ष 1986-87 से 1991-92 तक यह गिरकर 25 रुपये प्रति डालर अर्थात 100% तक गिर गया। अत: मुझे आशा है कि सरकार इन सभी बातों का ध्यान में रखेगी। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा वस्तु और सेवाओं के निर्यात से विदेशी मुद्रा आय 1991 में कम थी। यह पूर्ववर्ती दो वर्षों की 30.1 प्रतिशत और 17.71 प्रतिशत के मुकाबले 11.5 प्रतिशत थी। अब विदेशी मुद्रा का भण्डार लगभग 6 बिलियन है। इससे इतनी ही संतुष्टि हो सकती है कि यह पहले से कुछ बेहतर है लेकिन अभी भी ताईवान जैसे एक छोटे से देश के पास, जिसने अमरीका और जापान को भी मात दे दी है, 18 बिलियन डालर का विदेशी मुद्रा का भण्डार है। यहां तक कि हमारे पडोसी चीन के पास भी विदेशी मुद्रा भण्डार पर्याप्त मात्रा में है। सरकार ने कुछ समय पहले विदेशी मुद्रा सम्बन्धी नियमों को उदार बनाया है और मुझे शंका है कि यह छूट देने के बाद अधिकृत विदेशी मुद्रा के व्यापारी विदेश जाने वाले व्यापार संगठनों के विभिन्न प्रतिनिधि मंडलों के सदस्यों को विदेशी मुद्रा बेच सकते हैं। अत: इस पर कुछ रोक लगनी चाहिए। पूंजीगत वस्तुओं के आयात के लिए विदेशी मुद्रा दिए जाने पर रोक लगाये जाने से सम्बन्धित नियम को 17 मार्च, 1992 को भारतीय रिजर्व बैंक ने वापिस ले लिया। इन सभी उपायों द्वारा, जो हमारी सरकार ने अपनाये हैं, हमारी विदेशी मुद्रा के भंडार कम हो सकती है।

मैं सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि वह निर्यात से अर्जित आय को और अधिक बढ़ाने के लिए हर सम्भव कदम उठाये। उसमें इस प्रयास में किसी प्रकार की कमी नहीं आनी चाहिए। सरकार इस विदेशी मुद्रा संरक्षण (यात्रा) कर को समाप्त करने पर उस समय विचार कर सकती है जबकि हम उस स्थिति में नहीं पहुंच जाते जहां कि हमें भुगतान-संतुलन के बारे में और अधिक चिंता करने की जरूरत न रहे और हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार काफी हो।

इन शब्दों के साथ, मैं इस अध्यादेश का विरोध करता हूं जो 1992 का अध्यादेश संख्या 8 के रूप में जारी किया गया था। धन्यवाद।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : महोदय, यह चर्चा विदेशी मुद्रा संरक्षण (यात्रा) कर विधेयक, 1992 को समाप्त करने के सम्बन्ध में है। विदेशी मुद्रा का संरक्षण और विदेशी यात्रा को निरुत्साहित करने के उद्देश्य से वित्त अधिनियम 1987 के अन्तर्गत 15 प्रतिशत की दर से कर लगाया गया था। यह 15 अक्टूबर, 1987 से प्रभावी हो गया था। वह कर चिकित्सा, ऊंची शिक्षा और तीर्थ-यात्रा को छोड़कर अन्य सभी प्रकार की यात्राओं के लिए विदेशी मुद्रा लेने के सम्बन्ध में लागू था।

सरकार को समय-समय पर विभिन्न योजनाओं जैसे विदेशों से आने वाले भारतीयों के लिए विदेशी मुद्रा पात्रता योजना विदेश यात्रा योजना तथा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विदेशी यात्राओं इत्यादि के लिए विदेशी मुद्रा प्राप्तियों पर कर की समाप्ति/छूट दिए जाने के सम्बन्ध में ज्ञापन प्राप्त होते रहे हैं। उदारीकृत विनिमय पर प्रबन्धन योजना के आने के बाद अब विदेश यात्रा के लिए विदेशी मुद्रा बाजार-दर पर प्राप्त होती है। बाजार मूल्य पर प्राप्त की गई विदेशी मुद्रा पर 15 प्रतिशत कर द्वारा प्राप्त की गई विदेशी मुद्रा का प्रभावी मूल्य वस्तु अधिक बढ़ जाता है। इसीलिए सरकार की नई आर्थिक नीतियों के अनुरूप तथा आम जनता के हित को देखते हुए यह आवश्यक समझा गया कि सभी प्रकार की यात्राओं के लिए विदेशी मुद्रा प्राप्तियों पर कर को 1 जून, 1992 से समाप्त कर दिया जाये।

चूंकि संसद का उस समय सत्र नहीं चल रहा था इसलिए राष्ट्रपति ने उक्त कर को समाप्त करने के उद्देश्य से अध्यादेश जारी किया। विदेशी मुद्रा संरक्षण (यात्रा) कर समाप्ति विधेयक 1992 उक्त अध्यादेश के स्थान पर लाया गया है।

*मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वित्त अधिनियम, 1987 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :

"कि यह सभा 29 मई, 1992 को राष्ट्रपति द्वारा जारी विदेशी मुद्रा संरक्षण (यात्रा) कर समाप्ति अधिनियम (1992 का अध्यादेश संख्या 8) का निरनुमोदन करती है।"

"कि वित्त अधिनियम, 1987 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

विधेयक पर विचार करने सम्बन्धी प्रस्ताव पर संशोधन है। श्री गिरधारी लाल भार्गव अपना संशोधन प्रस्तुत करें।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को उस पर 4 नवम्बर, 1992 तक राय जानने के लिए परिचालित किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : श्री दाऊ दयाल जोशी यहां अपना संशोधन प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित नहीं हैं।

अब श्री पृथ्वीराज डी० चव्हाण बोलेंगे।

*राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत

श्री पृथ्वीराज जी० चव्हाण (कराड) : महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं जिसे विदेशी मुद्रा संरक्षण (यात्रा) कर को समाप्त करने के उद्देश्य से लाया गया है। वास्तव में में एक अध्यादेश जारी किया गया था, जिसके द्वारा 1 जून, 1992 से ही यह कर समाप्त कर दिया गया।

यह कर वित्त अधिनियम, 1987 के द्वारा लगाया गया था जब स्वर्गीय श्री राजीव गांधी ने बजट प्रस्तुत किया था। इस कर द्वारा विदेश यात्रा के लिए खरीदी गई सभी विदेशी मुद्राओं पर 15 प्रतिशत प्रभार वसूल करने की व्यवस्था थी। इसके कुछ अपवाद भी थे। इनमें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्वीकृति देने पर चिकित्सा के लिए जा रहे लोगों के साथ एक परिचारक/अध्ययन हेतु, तीर्थ स्थानों पर जैसे हज और पाकिस्तान तथा बंगलादेश के सिक्ख गुरुद्वारों की यात्रा करने वाले तथा मानसरोवर की यात्रा करने वाले लोग भी शामिल थे।

इस कर का दोतरफा उद्देश्य था। इनमें एक था अनावश्यक विदेश यात्रा को निरुत्साहित करना, विदेश में दिखावे के लिए खर्च करने को निरुत्साहित करना तथा कुछ राजस्व भी अर्जित करना था। जब वित्त अधिनियम पारित किया गया था, यह पूर्व अनुमान लगाया गया था कि इससे 60 करोड़ रुपये की राजस्व आय होगी। वास्तव में 1990-91 में इस कर से 73 करोड़ रुपये की आय हुई थी और 1991-92 में 81 करोड़ रुपये की आय हुई थी। वर्ष 1992-93 के बजट में इस स्रोत से 88 करोड़ रुपये की अनुमानित आय प्राप्त हुई। अतः इस कर को समाप्त करने से हमें लगभग 88 करोड़ रुपये का नुकसान होगा।

लेकिन अगर आप इस कर के औचित्य पर नजर डालें विदेश यात्रा को निरुत्साहित करने के लिए या, हमें वर्तमान स्थिति को देखना पड़ता है। इस वर्ष के बजट में हमने रुपये की आंशिक परिवर्तनीयता की प्रणाली अपनाई है तथा हम उदारीकृत विनिमय दर प्रबन्धन प्रणाली लाए है। जहां हमने सरकारी तौर पर दोहरी विनिमय दर प्रणाली अपनाई है। हमारी एक बाजार-दर है जो बाजार के दिन-प्रतिदिन के मांग और पूर्ति के सौदों द्वारा सुनिश्चित की जाती है। हमारी सरकारी दर प्रणाली भी है। इस कर को जारी रखने से हमारी दर-प्रणाली त्रिपक्षीय हो जायेगी क्योंकि फिर विदेश जाने वाले लोगों के लिए विनिमय दर त्रिपक्षीय होगी।

पहले ही जुलाई, 1991 के पश्चात् विदेशी मुद्रा सामंजस्य अथवा अवमूल्यन में अमरीका के डालर और पाउण्ड स्टर्लिंग के सम्बन्ध में लगभग 23 प्रतिशत का अवमूल्यन किया गया। उसके पश्चात् एक अस्थायी विनिमय दर प्रणाली चली और वही धीरे-धीरे विनिमय-दर बन गई।

अब देखना यह है कि 1987 में जब यह कर लगाया गया था तब विनिमय दर क्या थी। हम सभी जानते हैं कि श्री राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान अर्थात् 1985 से 1989 के बीच विनिमय दर में काफी स्थिरता थी। वर्ष 1987-88 के दौरान पूरे समय अमरीकी डालर की दर लगभग 12.90 रुपए थी। वह लगभग एक वर्ष तक स्थिर रही। 12.90 रुपये से जबकि यह विधेयक 1987 में लाया गया था तब से लेकर आज की स्थिति क्या है ?

वर्ष 1990-91 में किए गए अवमूल्यन के कारण तथा आंशिक परिवर्तनीयता तथा उदार-विनिमय-दर प्रबन्ध प्रणाली के कारण अमरीकी डालर की बाजार दर अप्रैल, 1992 में 31 रुपए तक पहुंच गई थी। अगर आप इसमें 15 प्रतिशत यात्रा कर जोड़ दें तो यह बढ़कर प्रति डालर 36 रुपये हो

जाता है। अतः जब अनावश्यक विदेश यात्रा को हतोत्साहित करने के लिए यह अधिनियम पुरःस्थापित किया गया था हम उस मूल लागत पर विचार करते हैं। डालर की कीमत 12.90 पैसे थी और आज एक व्यक्ति को विदेश जाने के लिए एक डालर के 36 रुपये देने पड़ते हैं। अतः कम से कम हमने अनावश्यक विदेश यात्रा को रोकने का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है।

अगली बात यह है कि इस वर्ष 90 करोड़ रु० का राजस्व कम होगा। एक ओर हम प्रक्रिया के सरलीकरण की बात कर रहे हैं और हर उस दिशा का सरलीकरण कर रहे हैं जिसमें दिन-प्रतिदिन के कार्य और क्रियाकलाप में नौकरशाही के हस्तक्षेप को समाप्त किया जाना है। इस अधिनियम मे सम्पूर्ण नियमों का उल्लेख था और कर से छूट तथा शास्ति समाप्त करने की शक्तियों का भी उल्लेख था। जब भी किसी विशेष व्यवस्था को लागू किया जाता है तब सभी प्रकार के नियम और विनियम लागू किए जाते हैं। मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि क्या इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी को सजा दी गई थी क्योंकि इसमें शत-प्रतिशत कर-अपवचन के मामले में ही शास्ति का प्रावधान था। मैं नहीं समझता कि किसी को इसके अन्तर्गत दण्ड दिया गया था। इस अधिनियम के अन्तर्गत अनेक नियम और विनियम हैं। अत. अनावश्यक विदेश यात्रा को रोकने के लिए हम विदेशी विनिमय दर को इस स्तर तक ले आये हैं जहां पर 36 रुपए की दर पर डालर खरीद कर विदेश यात्रा पर जाना बहुत महंगा हो गया है। सरकार ने 15% प्रभार हटा दिया है और जनता को विदेश यात्रा के लिए बाजार दर से विदेशी मुद्रा खरीदनी होगी और आजकल एक डालर की बाजार दर 30 रु० है।

महोदय, जब भारत विश्व के पटल पर आना चाहता है और हम अन्तर्राष्ट्रीय विनिर्माताओं तथा व्यापारियों के साथ प्रतियोगिता करना चाहते हैं ऐसी स्थिति में विदेश यात्रा एक आवश्यकता है तब हम उन यात्रियों को दण्ड नहीं दे सकते हैं जो व्यापार करने और निर्यात संवर्धन करने के उद्देश्य से बाहर जाना चाहते हैं। अतः इस कर को वापिस लेने के लिए पर्याप्त औचित्य है क्यों कि इससे विनिमय दर तंत्र का भी सरलीकरण होगा।

महोदय, यह विधेयक हमें रुपए की आंशिक परिवर्तनियता के कार्यकरण तथा 1992 के बजट में लागू एल०ई०आर०एम०एस० तंत्र की जांच करने का अवसर भी प्रदान करता है। महोदय, जून, 1992 में विदेशी मुद्रा भंडार 6 बिलियन डालर था। यह खाड़ी युद्ध के दौरान सितम्बर, 1990 में 1.2 बिलियन डालर से काफी अधिक था। जून, 1991 में यह कम होकर 1.1 बिलियन डालर हो गया था। महोदय, यह भ्रामक है यह आंकड़े बहुत उत्साहवर्धक हैं लेकिन इनमें भारत विकास बंधपत्रों के रूप में आई 1.6 बिलियन डालर राशि शामिल है, इसमें गत वर्ष शुरू की गई माफी योजना के माध्यम से प्राप्त 0.8 बिलियन डालर, ऋणों को छोड़कर कुल सहायता राशि और परिशोधन लागत के 1.8 बिलियन डालर भी शामिल है और इसमें विश्व बैंक के संरचनात्मक समायोजन ऋण के 300 मिलियन डालर भी शामिल हैं। इस प्रकार लगभग 4.2 मिलियन डालर की राशि या तो भारत विकास बंधपत्रों के रूप में या सहायता के रूप में है जो ऋण है। व्यापार को बढ़ाकर विदेशी मुद्रा में कुल बढ़ोत्तरी के आंकड़े उत्साहवर्धक नहीं हैं लेकिन 6 बिलियन डालर की विदेशी मुद्रा भारत की अर्थव्यवस्था में विश्वास को दर्शाती है। महोदय, दुर्भाग्यवश जब भी देश में धार्मिक भावनाओं के कारण, मन्दिर आंदोलन या अन्य किसी कारण से परिस्थितियां खराब होती हैं तब अप्रवासी भारतीयों की जमाराशि देश से बाहर जाने लगती है। पिछले महीने हमारे सामने अनेक गंभीर समस्याएं थी लेकिन हम प्रधानमन्त्री को धन्यवाद देते हैं कि वह समस्याएं सुलझ गई और हम आशा करते हैं कि मन्दिर मुद्दे का सौहार्दपूर्ण हल निकल आएगा, परन्तु इस समय देश से विदेशी मुद्रा तथा पूंजी

काफी बड़ी मात्रा में बाहर गई थी। विदेशी निवेश के अनेक प्रस्ताव, जिन पर चर्चा हो रही थी, बीच में ही रुक गए। महोदय, यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है कि नई नीति द्वारा विदेशी निवेश को आकर्षित करती है लेकिन यदि सामाजिक परिस्थितियां अच्छी नहीं होंगी तो विदेशी पूंजी यहां नहीं आएगी तथा वास्तव में अप्रवासी भारतीय भी अपना धन यहां से ले जाएंगे। मैं सभा का ध्यान एक अन्य यात्रा कर की ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं। विदेश यात्रा के प्रत्येक टिकट पर 300 रुपये विदेश यात्रा कर लगाया जाता है और पड़ोसी देशों की यात्रा टिकट पर यह कर 150 रुपये लगाया जाता है। इस कर की भी समीक्षा करने की आवश्यकता है। मेरा विचार है कि यदि हम विदेशी मुद्रा संरक्षण कर समाप्त कर रहे है

3.00 म० प०

तो इस यात्रा कर की भी समीक्षा करने की आवश्यकता है। वर्ष 1990-91 में हमने इस कर द्वारा 90 करोड़ रुपये अर्जित किए। मेरे विचार से इस कर को समाप्त करना पूरी तरह न्यायसंगत होगा।

मेरा अन्तिम मुद्दा आंशिक परिवर्तनीयता के बारे में है। हम आंशिक परिवर्तनीयता की नीति अपना रहे हैं लेकिन ऐसे समाचार हैं कि विश्व बैंक ऋण की अगली किस्त तब तक नहीं देगा जब तक हम पूर्ण परिवर्तनीयता की नीति नहीं अपनाते। कल या उससे पहले दिन के समाचार-पत्रों में यह समाचार था कि भारतीय रिजर्व बैंक के कुछ उच्च अधिकारियों ने कहा है कि हम जल्द ही पूर्ण परिवर्तनीयता की नीति अपनाएंगे। हम चाहते हैं कि सरकार इस बात को स्पष्ट करे कि उसका पूर्ण परिवर्तनीयता के बारे में क्या विचार हैं। क्या हम किसी के दबाव में आकर ऐसा कर रहे हैं अथवा क्या सरकार हमें यह बता सकती है कि जल्द ही पूर्णपरिवर्तनीयता की नीति अपनाना राष्ट्रीय हित में है ?

अन्त में मैं यह विधेयक सभा के सामने रखता हूं और आशा करता हूं कि इस विधेयक को सभी पक्षों का समर्थन मिलेगा जोकि प्रक्रिया के सरलीकरण के बारे में है।

श्री कड़िया मुण्डा (खूंटी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं जनता दल के अपने समूह की ओर यह जानना चाहता हूं कि हमें कितना समय दिया गया है, हमारे समूह में इस सभा के चार माननीय सदस्य हैं। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि सभी दलों को कितना समय दिया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : इस मद के लिए कुल दो घण्टे का समय नियत किया गया है। इसमें कांग्रेस (ई) को 51 मिनट, भारतीय जनता पार्टी को 25 मिनट, जनता दल को 12 मिनट और सी०पी०आई० (एम०) को 7 मिनट, आदि मिले हैं।

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : उपाध्यक्ष महोदय, आज हमने सभी राजनीतिक दलों के सचेतकों की बैठक की थी और समय की कमी और सभा के समक्ष लम्बित पड़े विधेयकों की संख्या को ध्यान में रखते हुए हमने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया था कि कार्य मन्त्रणा समिति द्वारा आवंटित समय के अनुसार कार्य को समाप्त करेंगे। यह सभी सचेतकों की सर्वसम्मति से लिया गया निर्णय है (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का दो रूप में अपने विचार

व्यक्त करने के लिए खड़ा हुआ हूं। एक तो माननीय मन्त्री जी ने 15 परसेंट टैक्स को समाप्त करने के लिए आर्डिनेंस का जो सहारा लिया तो उस आर्डिनेंस को निरनुमोदन करने का मेरा प्रस्ताव है और माननीय मन्त्री जी जो बिल लाये हैं, उसका मैं समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं निवेदन कर रहा हूं कि सन् 1987-88 में इसी लोक सभा में उस समय के वित्त मन्त्री स्व० राजीव गांधी जी ने यह टैक्स लगाया था।

"मैं प्रस्ताव करता हूं कि विदेश यात्रा के लिए भारत में दी गयी विदेशी मुद्रा पर 15% कर लगाया जाए।"

और उसमें मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, एजुकेशन के लिए जो आदमी बाहर जाता है। उसको छूट दी गई थी। इससे उम्मीद की गई थी कि इस टैक्स से 60 करोड़ रुपये की वसूली होगी। अब माननीय मन्त्रीजी यह बताएं कि 60 करोड़ रुपये वसूल हुए या ज्यादा वसूल हुए। जिन लोगों ने यह रकम आपको विदेशी मुद्रा के नाम पर दे दी और जो आपको मिली तो अब इसमें से कुछ को वापस करेंगे इस आर्डिनेंस को निकालने के बाद या जो गैप बीच में रहा है या जो रकम आपके पास आई है उसका उपयोग देशहित में करेंगे यह भी अपने जवाब में बताने का कष्ट करें।

10 हजार रुपए कोई विदेशी मुद्रा ले तो उसको डेढ़ हजार रुपए ज्यादा देने पड़ते थे। अब आपने इसको एबोलिश करने का निर्णय लिया है, जिसका मैं अपने दल भारतीय जनता पार्टी की ओर से बिल के नाते तो स्वागत करता हूं, लेकिन अध्यादेश के नाते नहीं करता हूं। अध्यादेश की बात इसलिए कह रहा हूं कि आपने 1 जून, 1992 से एबोलिश करने की बात कही है। यह टैक्स लगाया था 15 अक्तूबर, 1987 को। तो 15 अक्तूबर, 1987 से 1 जून, 1992 तक यह रकम आप वसूल करते रहे, अब आपने कहा कि—

3.06 म० प०

[श्री तारा सिंह पीठासीन हुए]

[अनुवाद]

"रुपये की आंशिक परिवर्तनीयता और उदार विनियम दर प्रबंधन प्रणाली, जिसके अन्तर्गत यात्रा करने के लिए बाजार दर पर विदेशी मुद्रा लेनी होगी, को लागू करने के बाद यह कर समाप्त करने का निर्णय लिया गया है।"

[हिन्दी]

इसलिए एबोलिश करने की बात करने जा रहे हैं। जो आदमी नहीं देता था उसके लिए जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है और यह कहा गया है कि विदेशी मुद्रा बचाने और राजस्व में वृद्धि करने के उद्देश्यों से विदेश यात्रा पर जाने वाले आदमियों को भारत मे जारी की गई विदेशी मुद्रा पर 15 प्रतिशत का मामूली सा कर लगाने का प्रस्ताव करता हूं विदेशों में शिक्षा और उपचार के लिए जारी की गई विदेशी मुद्रा इसमें शामिल नहीं होगी। यात्रियों पर यह कर अधिसूचना जारी होने की तिथि से लागू होगा। इससे 60 करोड़ रुपये राजस्व में प्राप्त होने का अनुमान है। जो व्यक्ति नहीं देगा उसके लिए जुर्माने का प्रावधान किया गया था। विदेशी मुद्रा पार्टेबल कन्वर्टेबल हुई और विदेश यात्रा

करने वालों को बाजार के दाम से विदेशी मुद्रा के लिए अनिवार्य किया गया। इस दृष्टिकोण से जिस दिन से आपने यह आर्डर निकाला 15 प्रतिशत खत्म कर देना चाहिए था सरकार उतने दिन तक जो रकम लोगों से वसूल की मेरी दृष्टि में बिलकुल गैर-वाजिब है। आपने अध्यादेश निकाला बहुत देर से निकाला —

[अनुवाद]

"भारतीय यात्रियों द्वारा विदेशी मुद्रा लेने पर 15 प्रतिशत तदर्थ कर लगाने की नीति कुछ वर्ष पहले ही शुरू की गई थी। रुपये को आंशिक परिवर्तनीय बनाने तथा यात्रियों के लिए खुले बाजार से विदेशी मुद्रा खरीदना अनिवार्य बनाने के दिन से ही इस कर को समाप्त किया जाना चाहिए था।"

[हिन्दी]

जिस दिन आपने निकाला उस दिन से समाप्त हो जाना चाहिए था। मेरा कहना यह है कि डिवेल्यूएशन मार्केट रेट पर जो कंवर्शन हो गया अगर कोई विदेशी यहां पर आता है मल्टी नेशनल कोई व्यक्ति आता है तो उसके भारत आने पर सब प्रकार की छूट, लेकिन भारतीय बिजनेसमैन को किसी प्रकार की छूट नहीं, इसका मतलब फारेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट में भारतीयों को तो छूट नहीं, विदेशी भारत आए तो उसे छूट है। इसका परिणाम यह हुआ कि लोग टूरिज्म के नाम पर यहां आए नहीं तो यहां का विकास नहीं हो सकता मेरे खयाल से तो यही बात हुई। मेरा निवेदन है कि आपने जो बजट भाषण में जो कुछ कहा उसमें भी आर्थिक नीति के सम्बन्ध में बहुत उदारीकरण का नमूना दिया और 29 फरवरी को अपने बजट भाषण में यह कहा था। फिर मार्च गया, फिर अप्रैल गया, मई गई और जून 1 आई, चार महीने आप टैक्स वसूल करते रहे। इस सारी घोषणा के बाद इसका क्या हुआ ? यदि ऐसा करना था तो जैसा आपने बजट में कहा था कि कोटा परमिट और लाइसेंस प्रणाली सम समाप्त करने जा रहे हैं, निजीकरण में छूट करने जा रहे हैं, निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देंगे, सार्वजनिक उपक्रमों को हम सभी प्रकार का प्रोत्साहन देंगे बल्कि यहां तक नहीं, आपने एम०आर०आई०एस० को विदेशी मुद्रा लाने की भी छूट दे दी कि कोई बाहर से सोना ला सकता है। तो फिर विदेशी मुद्रा पर लेवी का आपके यहां क्या प्रयोजन था, यह आप निश्चित रूप से बताएं। मेरा निवेदन यह है कि क्या अब विदेशी मुद्रा की स्थिति में सुधार हो गया है जिस कारण आपने टैक्स लगाया था 15 अक्तूबर, 1987 से और 1 जून, 1992 को आपने अध्यादेश निकाला। ये सारी की सारी बातें आपकी बजट स्पीच में ही, जो आपने 29 फरवरी को पेश किया था, उसमें आ जातीं तो अच्छा होता और इसका परिणाम और असर भी अच्छा होता। लेकिन आप इतनी देर से 1 जून को अध्यादेश की मार्फत लाए, इसलिए मैंने इस अध्यादेश को निरस्त करने का प्रस्ताव यहां पर रखा है। आप चार महीने तक टैक्स लगाने के बाद इस आर्डिनेंस को लाए इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं और आपने जो टैक्स वसूल कर लिया तो क्या उससे विदेशी मुद्रा की स्थिति ठीक हो गई ? उस बचे हुए पैसे का क्या होगा ? चार महीनों में जो गलत तरीके से आपने लोगों से टैक्स वसूल किया, क्या उस धन को रिटर्न करेंगे, उन लोगों को उसकी सूचना देंगे या उस धन का क्या उपयोग आप करेंगे, यह बात भी आप निश्चित रूप से अपने जवाब में बताएं।

दूसरी बात यह है कि जब विदेशी मुद्रा नियमों में काफी आजादी दी गई है तो किसी भी बाहर जाने वाले व्यक्ति को कंट्रोल रेट पर विदेशी मुद्रा नहीं मिलनी चाहिए चाहे वह सरकारी हो, अर्द्ध सरकारी

हो, चाहे संस्था हो या व्यक्ति हो। अब यहां पर इस देश में कई चर्चाएं चली हैं स्टॉक मार्केट के बारे में। 110 करोड़ रुपए की मुद्रा बाहर चली गई। जो मुद्रा बाहर चली गई, इस बारे में सरकार क्या कर रही है, यह बात भी आप बताएं। इसलिए मैं इस अध्यादेश का विरोध तो करता हूं और माननीय मन्त्रीजी ने इस कानून को बिल के रूप में 15 परसेंट माफी के रूप में लाए हैं जिसकी मांग हम भी करते आए हैं; कई एसोसिएशंस करती आई हैं, उसका हम अपनी पार्टी की ओर से हृदय से स्वागत करते हैं और चार महीने के गैप में जो धनराशि गलत तरीके से वसूल की गई, वह कितनी है, इस बारे में भी सरकार बताए कि उसका क्या उपयोग करेगी—लोगों को लौटाएगी या जो सरकार के खजाने में जमा है, उसका सदुपयोग करेगी, यह भी मंत्रीजी निश्चित रूप से अपने उत्तर में बताएं।

आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : सभापति महोदय, आपने इस विधेयक पर बोलने के लिए मुझे अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद देते हुए मैं इस विधेयक के बारे में अपनी राय प्रकट करना चाहता हूं। यह जो विदेशी मुद्रा पर, जो विदेश भ्रमण के लिए जाते थे, 15 फीसदी टैक्स लगाने का कारण क्या था। 1987 का जो बजट तत्कालीन वित्त मन्त्री श्री राजीव गांधीजी ने इस सदन के सामने रखा था, उस समय जो 15 फीसदी टैक्स लगाने के कारण बताए थे, उसमें दो कारण हैं। पहला कारण यह था कि जो विदेश भ्रमण के लिए जाते हैं, अनावश्यक रूप से उनके विदेश भ्रमण को निरुत्साहित करना और अपने देश में विदेशी मुद्रा के भंडार को और बढ़ाना और उसको फैलाना। दूसरा उद्देश्य था कि इस टैक्स के लगाने से हमारी जो संचित निधि है, उसमें कुछ वृद्धि होगी और उसके लिए उन्होंने यह कल्पना की थी कि 60 करोड़ रुपए की प्राप्ति हमें हर साल होगी। लेकिन जो अब के निष्कर्ष हैं, वह यह बतलाते हैं कि 60 करोड़ से बढ़कर आपकी प्राप्ति 90-91 करोड़ तक पहुंच गई। इस टैक्स को अब खत्म करने से दो नुकसान होने वाले हैं। एक तो जो 90-91 करोड़ की आपकी संचित निधि को प्राप्त होने वाली आय थी, वह समाप्त होगी और दूसरा जो भुगतान संतुलन, जो भारत की विदेशी मुद्रा का भंडार है, उसमें अपने आप ही कमी होगी। लोग अपने आप बाहर जाने के लिए उत्साहित होंगे और आपकी जो अपनी निधि है, उसी से पैसा लेने की कोशिश करेंगे। इसलिए पहला आग्रह मैं यह करना चाहता हूं कि क्या सरकार के पास कोई ऐसी युक्ति है, ऐसा कोई मानदंड है, ऐसा कोई नियंत्रण का तौर-तरीका है जिससे सरकार ऐसी पद्धति लागू करे कि जो विनियम की नियन्त्रित दर है और जो बाजार दर है विदेशी मुद्रा की, दोनों के बीच अन्तर समाप्त हो जाए। यदि इस अन्तर को आप समाप्त नहीं कर पाते हैं, सरकार द्वारा निर्धारित मुद्रा-विनिमय मूल्य के मुकाबले बाजार मूल्य यदि 8-10 रुपए अधिक है तो क्या इस तरह की पद्धति को चलाए रखना आवश्यक है। यदि ऐसा नहीं है तो कोई युक्ति सरकार निकाले ताकि मार्केट रेट में और गवर्नमेंट रेट में, दोनों मामलों में जो एक्सचेंज का रेट है, वह एक जैसा हो जाए। यदि ऐसा नहीं होता है तो मेरा सुझाव है कि इस टैक्स को जारी रखना चाहिए।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि सरकार यह तर्क दे रही है कि भुगतान संतुलन की स्थिति आज ठीक हो गई है। मैं आपसे विनम्र शब्दों में कहना चाहता हूं कि अभी एक साल पहले तक, हमारे देश ने भुगतान संतुलन की स्थिति को बनाए रखने के लिए 66 टन सोना देश के बाहर बेचा। उससे 600 मिलियन यू०एस० डालर की आय हुई यानी इतनी खराब हालत हमारी उस वक्त हो गयी थी

लेकिन उस समय भी हमारे पास जो भण्डार जमा हुआ, वह 3077 मिलियन डालर का था। साल भर में सरकार कहती है कि हमारी हालत ठीक हो गयी और अब हमारे पास 5700 मि० डा० के आसपास विदेशी मुद्रा का भण्डार हो गया। यदि अब कुछ लोग बाहर जाना चाहते हैं और हमसे मुद्रा बाहर ले जाते हैं तो हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला है।

इस सम्बन्ध में, मैं आपसे सिर्फ यह आग्रह करना चाहता हूं कि वह कोई हमारी कमाई हुई मुद्रा नहीं है, जो 3 हजार मिलियन डालर से बढ़कर आज 5700 मिलियन डालर हो गई है, यह हमारा अर्जित धन नहीं है, जिसे हमने अपने परिश्रम से, अपने व्यापार से या बाहर अपने उद्योगों और अपने व्यवसाय को बढ़ाकर अर्जित किया है। यदि इस तरह का कोई वातावरण देश के सामने यह सरकार बनाना चाहती है तो मैं समझता हूं कि बिल्कुल गलत है। आज जो पैसा आपके पास है, वह किस तरह का है—वह है आई०एम०एफ० ने जो हमें कुछ उधार दिया है, जिसे यह ऐड कहते हैं और जिस उधार को, कर्ज को लेने के कारण, हमें सूद अदा करना पड़ता है, यदि सरकार उसे सहायता कहती है तो मुझे इस शब्द पर आपत्ति है।

सरकार को साफ-साफ कहना चाहिए कि किन खास परिस्थितियों में उसने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से इतना कर्ज लिया, उसकी सूद की दर इतनी है और इतनी किश्तों में हमने उस उधार को अदा करना है। यदि उसे हम अपने देश की अर्जित सम्पत्ति, अपने स्वयं की मेहनत या अपनी तरकीब से अर्जित सम्पत्ति या भण्डारण मान लें तो मैं समझता हूं कि वह गलत है।

दूसरा स्रोत कहां से है, जो इण्डिया डेवलपमेंट बॉण्ड्स दिए गए, उनसे 1605 मिलियन डालर का योगदान हमारे रिजर्व में रहा, हमारे भंडारण में उसका योगदान रहा। तीसरा योगदान, हमने अपनी तरफ से कई स्कीमों में जो छूट दी, जैसे इम्युनिटी स्कीम में दी, 793 मिलियन डालर उसका योगदान हमारे रिजर्व में या भंडारण में आया। मतलब यह है कि जो हमारे पास आज विदेशी मुद्रा का भण्डारण है वह स्थायी रूप से हमारी अर्जित की हुई सम्पत्ति है, ऐसा समझकर यदि हम विदेशी मुद्रा को खर्च करने की कोई नीति बनाते है तो मैं समझता हूं कि वह लासमान में तैरने जैसा है। यदि किसी कर्ज लिए हुए धन को, किसी स्कीम द्वारा बाहर से आने वाले जो अनिवासी भारतीय हैं, उन्हें किसी तरह की छूट देकर, कोई स्कीम चालू करके, मुद्रा को जमा करने का जो हमने तरीका अपनाया और उससे आए हुए धन को यदि हम अपनी स्थायी निधि मान लेते हैं, भण्डारण मान लेते हैं और उसके आधार पर कोई नीति निर्धारित करते हैं तो वह गलत है।

इसलिए दो-तीन आधार पर मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं और सरकार से तीन बातों का आग्रह करना चाहता हूं कि विदेशी मुद्रा को खर्च करने के मामले में सादगी का वातावरण अपने देश में बनाने की आवश्यकता है। किसी भी कीमत पर ऐसे लोग जो विदेशों में जाकर, कुछ खास किस्म की अय्याशी और फिजूलखर्ची कर सकते हैं, उन्हें अपने भण्डारण से पैसा ले जाने की किसी तरह की इजाजत सरकार को नहीं देनी चाहिए, अपने भंडारण से किसी तरह की विदेशी मुद्रा देने पर सरकार को प्रतिबन्ध लगाना चाहिए, यह सरकार से मैं मांग करता हूं। ऐसे लोग मार्केट में जाएं और बाजार में जाकर विदेशी मुद्रा लें और उस मुद्रा को लेकर बाहर यदि मौजमस्ती के लिए जाना चाहते हैं तो जाएं। और अभी कुछ दिन पहले इसी सदन के भीतर लोगों को इलाज कराने के लिए बाहर जाने के सम्बन्ध में जब एक सवाल हुआ और पूछा गया, तो मालूम हुआ कि कोई भी गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाला व्यक्ति या समाज

का साधारण आदमी इलाज कराने के लिए बाहर नहीं गया। उसको विदेशी मुद्रा देने की जरूरत नहीं पड़ती। यह सुविधा सिर्फ कुछ सुविधा-सम्पन्न, कुलीन वर्ग के लोगों को ही मिलती है, वे ही लोग इलाज है, तथापि कुछ कुलीन वर्ग के लोग ही यद्यपि हमारे देश मे सभी तरह की चिकित्सा पद्धति उपलब्ध कराने के लिए देश से बाहर जाते हैं। इलाज कराने के लिए बाहर जाते हैं। इसलिए ऐसे कुछ कुलीन वर्ग के सुविधा-सम्पन्न लोगों को सस्ते मूल्य पर विदेशी मुद्रा देकर यहां से इलाज कराने के लिए बाहर भेजना, मैं ऐसा समझता हूं कि इस देश के संसाधनों के साथ बहुत बड़ा मजाक है।

सभापति महोदय, तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि मार्केट रेट और सरकार की नियंत्रित दर मे काफी अन्तर है। इन दोनों के बीच में इस तरह का अन्तराल और अन्तर खत्म हो, ऐसी कोई व्यवस्था जरूर करें जिसमे इस देश के कुलीन वर्ग के लोग बाहर से ही विदेशी मुद्रा खरीदकर अय्याशी और फिजूलखर्ची के लिए बाहर जाएं।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री सुधीर गिरि (कोन्टाई) : सभापति महोदय, एक दिन मैंने सरकार पर अध्यादेशों की सरकार का आरोप लगाया था। मैंने कहा था कि इसके अनेक उदाहरण हैं। अनेक उदारण है कि किस प्रकार सरकार ने संसद की उपेक्षा करते हुए अध्यादेश जारी किए और उसके बाद विधेयक प्रस्तुत किया। यदि सरकार यह कहती है कि जनता की शिकायतों को देखते हुए ऐसा किया गया तो मेरा कहना है कि सरकार पहले ही इस प्रकार के विधेयक को क्यों नहीं लाई। तथापि, इस विधेयक में विदेश जाने वाले व्यक्तियों पर लगाए जा रहे 15% कर को समाप्त करने की बात कही गई है।

महोदय, विदेश जाने वाले व्यक्ति को दी जाने वाली विदेशी मुद्रा की रुपयों में कीमत पर 15% कर लगाने का प्रावधान पहली बार 1987 में वित्तीय उपाय के रूप में लागू किया गया था। वित्त विधेयक, 1987 के अध्याय पांच में इस प्रावधान का उल्लेख है। वित्त विधेयक में इस प्रकार के खंड को शामिल करने की पृष्ठभूमि क्या थी।

1987 में बजट प्रस्तावों और वित्त विधेयक पर चर्चा के दौरान ऐसे प्रावधानों को लागू करने के कारण बताए गए थे।

वर्ष 1986-87 में आयात में 26% तथा निर्यात में 17% वृद्धि हुई थी। इस प्रकार व्यापार संतुलन हमारे पक्ष में नही था और यह उम्मीद से कम था। विदेशी ऋण तेजी से बढ़ रहा था, प्रशासनिक व्यय बहुत अधिक किया जा रहा था और विपक्षी दलों द्वारा बजट चर्चा में इसकी आलोचना की गई थी। बजट घाटा 5688 करोड़ रु० का था जबकि वास्तविक घाटा और भी अधिक था। गंभीर आर्थिक संकट सामने था और अधिक राजस्व अर्जित करने के लिए सरकार ने आवश्यक कदमों का प्रस्ताव रखा। वित्त विधेयक पर चर्चा का उत्तर देते हुए श्री राजीव गांधी ने कहा था "हम मजबूत आत्म निर्भर अर्थव्यवस्था बनाना चाहते हैं।" इसीलिए उन दिनों में सरकार ने सरकारी राजस्व बढ़ाने के लिए कर लगाया था। मेरे विचार से परिस्थितियां बदली नहीं है। जिन परिस्थितियों में ऐसा प्रावधान किया गया था वह और

भी खराब हुई है। अत: मेरा विचार है कि इन प्रावधानों को समाप्त न किया जाए बल्कि ऐसे कर वसूलने के लिए प्रयास और तेज किए जाए।

कर समाप्त करने के बारे में हम सरकार के रवैये के बारे में जानते हैं। निर्यातकों तथा कुछ अन्य प्रमुख व्यापारियों ने सरकार पर 15% कर समाप्त करने के लिए दबाव डाला है। अपनी उदारीकरण की नीति के कारण सरकार प्रमुख व्यापारियों को खुश करना चाहती है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि यदि सरकार विदेश जाने वाले कुछ व्यक्तियों को छूट देना चाहती है तो उसके सम्बन्ध मे वित्त अधिनियम, 1987 के खंड 101 के अन्तर्गत प्रावधान है। यदि कोई व्यक्ति शिक्षा ग्रहण करने अथवा विज्ञान या अन्य प्रौद्योगिकियों में प्रशिक्षण ग्रहण करने के लिए विदेश जाना चाहता है तो सरकार ऐसे व्यक्तियों को कर से छूट दे सकती है। यहां तक कि यदि कोई व्यक्ति चिकित्सा के लिए विदेश जाना चाहता है तो ऐसा प्रावधान था कि सरकार उसे कर से छूट दे सके। लेकिन सरकार ने उन प्रावधानो को लागू करने की बजाय इन्हें समाप्त करने का निर्णय लिया है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि देश के अमीर लोग ऐसा ही चाहते हैं।

हमारे देश में विदेशी मुद्रा का अभाव है। हम सभी जानते हैं कि यह अत्यन्त आवश्यक वस्तु है। यहां तक कि विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष और विश्व बैंक के पास हमारे देश की प्रतिष्ठा तथा सम्प्रभुता को गिरवी रख दिया गया है। अत: हमार देश की गरीब जनता पर बोझ डाल कर विदेश यात्रा करन से लोगो को रोकने के लिए उठाया गया कदम उचित था।

उत्पादिता अवरुद्ध हो गई क्योंकि समय पर आयात नहीं किया जा सका और कीमतें बढ़ गई है; रुपये का फिर अवमूल्यन हुआ, इस समय विदेशी मुद्रा की आवश्यकता बहुत अधिक है; हम विदेशी मुद्रा को बचाए रखना चाहते हैं। अत: हमें विदेशी मुद्रा खर्च करने पर रोक लगा देनी चाहिए। इस समय देश के विकास के लिए विदेशी मुद्रा को बचाए रखना हमारे लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण काम है।

कई राज्यों को धन की कमी के कारण विकास कार्य को रोक देने के लिए मजबूर होना पड़ा है। लेकिन केन्द्र उन्हें धन उपलब्ध नहीं करा रहीं है। अत: मैं सोचता हूं कि इस प्रावधान को रद्द नही करना चाहिए था बल्कि इसे पूर्ण उत्साह के साथ लागू करना चाहिए था।

कराधान का यह एक सिद्धांत है कि जिन लोगों में कर देने की क्षमता है, वह कर दें। जो लोग विदेशों में भ्रमण के लिए जाते हैं वह धनाढ्य होते हैं। उनके पास करों के भुगतान की क्षमता होती है। इसलिए उन्हें क्यों छूट दी जाए। मैं इस प्रावधान को रद्द करने का कारण अथवा औचित्य नहीं समझा।

महोदय, इस प्रावधान को रद्द करने से आम आदमी पर बोझ पड़ेगा और उसे अधिक कर देना पड़ेगा। अत: मैं समझता हूं कि आम आदमी पर बोझ डालना उचित नहीं है। (व्यवधान) आम आदमी पर और बोझ नहीं डालना चाहिए। उन्हें इस बोझ से मुक्त कर देना चाहिए। मैं, इस आधार पर, इस विधेयक का विरोध करता हूं। जो लोग चिकित्सा के लिए विदेश जाना चाहते हैं, मैं उनको अनुमति देना चाहता हूं। लेकिन जो लोग आम आदमी पर बोझ डालकर अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए विदेश भ्रमण करना

चाहते हैं; मैं उनका विरोध करता हूं। अत: मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं और यह आशा करता हूं कि सरकार इस विधेयक को वापस लेगी।

[हिन्दी]

श्री अन्ना जोशी (पुणे) : सभापति महोदय, वैसे तो यह टैक्स कम करने का प्रस्ताव स्वागत करने योग्य है लेकिन इसको करते समय जो गतिविधियां अपनायी गई हैं और जिस दृष्टि से इसकी तरफ देखा जा रहा है, वह कोई ज्यादा सराहनीय बात है, ऐसा मुझे लगता नहीं है, यानी ऐसा लगता है कि हमारा वित्त मन्त्रालय करोड़ों रुपए की आय गंवाने या कमाने की कोई ज्यादा परवाह करता नहीं है।

अभी एक माननीय सदस्य ने यहां बताया कि 1992-93 के बजट में इस टैक्स से हम को लगभग 88 करोड़ रुपए मिलने वाले थे। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि ये जो एक्सपैक्टिड आय 88 करोड़ या 90 करोड़ रुपए की थी, यह टैक्स विदड्रा करने के कारण इस रुपये का हिसाब आप कैसे लगाने वाले हो ? मन्त्री महोदय जब अपना जवाब दें तो इसका उत्तर हमें अवश्य दें। यह टैक्स खत्म करके आप गरीबों को बहुत बड़ी राहत इससे देने वाले नहीं हैं। जो लोग इसे दे सकते थे, जो शिक्षा के लिए नहीं, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए नहीं, कोई यात्रा के लिए नहीं यानी कि धार्मिक यात्रा लेकिन अन्य कामों के लिए, अन्य काम कौन से हो सकते हैं, व्यापार हो सकता है, टूरिज्म हो सकता है, स्मगलिंग व दूसरे कामों के लिए जिन्हें बाहर जाना पड़ता है, ऐसे लोगों को आप 15 टक्के की राहत दे रहे हैं। मन्त्री जी ने बिल के उद्देश्यों और कारणों में यह बताया है कि हमारे पास अनेक प्रकार के निवेदन आए, मांगें आई कि इसको खत्म करो। ये कौन लोग थे ? दूसरे ऐसे टैक्सिज हैं, जिन पर निगाह डालने के लिए आपके पास निवेदन आ रहे हैं लेकिन उन पर आप विचार नहीं कर रहे हैं। समाज के एक बड़े वर्ग ने जब इसकी मांग की तो उनकी मांग आपने पूरी कर दी। इससे कोई बहुत बड़ी राहत मिलने वाली नहीं है। ऐसे लोगों के लिए आप स्पेशल बिल आर्डिनेंस निकाल कर लाए। इसमें मुझे कोई ज्यादा संवेदनशीलता गरीबों के प्रति, या राष्ट्र के प्रति या राष्ट्र की अर्थ नीति के प्रति नजर नहीं आती है।

और मैं तो कहूंगा कि 88 करोड़ को अभी इस तरह गंवाने के बजाय अगर आप दूसरी कोई राहत दे दें, जैसे मैंने सुझाव दिया था कि आपने जो परदेश में व्यापार करने के बाद या कोई प्रोजेक्ट देने के बाद या कोई ऐसी चीज करने के बाद वहां जो पैसा मिलता है, उसके इन्कम टैक्स पर आपने दो तरह के लोगों को छूट दी है, एक तो एक्सपोर्ट का जो व्यापार करने वाले हैं, उनको और दूसरे वैसा काम करने वाले जो लोग हैं लेकिन जो प्रोजेक्ट देने वाले हैं, टर्न की जॉब देने वाले हैं, फारेन में, उनको इस प्रकार की छूट नहीं है, हालांकि वह उसी प्रकार का एक्सपोर्ट करते हैं। मैंने आपको कहा था कि इन्कम टैक्स की धारा 80 एच०एच०बी० और 80 एच०एच०सी० को ऑन पार करें तो यहां विदेशी मुद्रा का भंडार ज्यादा हो सकता है और उससे अपने देश को अच्छी राहत मिल सकती है लेकिन उसके बारे में आप विचार करने के लिए तैयार नहीं है।

यह जो चीज है, इसके बारे में कोई भी ज्यादा सोचता नहीं है, उसके बारे में आप यहां यह 88 करोड़ का घाटा सहन कर रहे हैं, ऐसा मेरा कहना है। इसके बारे में भी मन्त्री महोदय का क्या ख्याल है, वह अपने उत्तर के भाषण में बता दें।

यह प्रस्ताव ऐसा है, जो कि टैक्स कम करने का है और इसलिए मैं इसका स्वागत करते हुए कहना चाहता हूं कि इस पर ज्यादा सीरियसली विचार करके जरा तोल कर कि किसकी आवश्यकता ज्यादा है, कौन सी राहत, कौन से टैक्स कम करने की आवश्यकता ज्यादा है, जिससे जनता को भी लाभ होगा और शासन को भी जिससे अधिक लाभ होगा, ऐसे जो प्रपोजल्स हैं, उन प्रपोजल्स पर भी इसके आगे शासन ज्यादा विचार करे।

इस विनती के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : सभापति महोदय, बिल के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों ने आम तौर से इसका स्वागत किया है लेकिन दो प्रश्नों का स्पष्टीकरण चाहते हैं।

एक प्रश्न यह है कि यह कानून सामान्य तौर से लोक सभा में बिल के द्वारा लाने के बजाय आर्डिनेंस से क्यों निर्गत किया गया और दूसरी बात, क्या इसकी जो रकम पहले के वर्षों में ली गई है, उन्हें वापस की जाएगी ? तीसरी बात, कि क्या फारेन एक्सचेंज, जो विदेशी मुद्रा हमारी है, इसका भण्डार काफी पर्याप्त है कि हमें अब फारेन एक्सचेंज के इस प्रकार की छूट की आवश्यकता थी या उचित था या इसका क्या औचित्य था, यह दो तीन मुद्दे रखे गए हैं।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 1987 में जो अतिरिक्त 15 परसेंट का विदेश यात्रा करने वालों पर कर लगाया गया था, वह उस समय की परिस्थिति के अनुसार आवश्यक समझा गया था और पिछले वर्ष 1991 में जो आर्थिक सुधार की दिशा में कई कार्यक्रम उठाए गए, जिसमें एक मुद्राकरण की स्थिति के सुधार के लिए मुद्रा दर में परिवर्तन किया गया, रुपये की दर में और दूसरे जैसाकि माननीय वित्त मन्त्री जी ने 1992-93 के बजट भाषण में कहा था। उसमें ऐसा माना गया कि आंशिक रूप से रुपये की दर में परिवर्तन मूल्य में परिवर्तन किया। जो कर हमें विदेशी मुद्रा में अर्जित होता है, उसके दो भागों में—एक, चालीस परसेंट सरकारी दर में और दूसरे 60 परसेंट बाजार की दर में—मूल्य निर्धारित किया गया। तदनुसार, जितनी यात्रायें होती हैं, वह बाजार की दर में ही की जाती हैं, इसलिए उसमें किसी के लिए छूट नहीं है। दो-तीन को छोड़ कर विदेशी यात्रा पर इस वक्त सरकार ने काफी प्रतिबन्ध लगाया है। "केवल जो विदेशी संस्थाओं से आर्थिक सहायता के विषय में परामर्श होते हैं या निर्णयात्मक किसी अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेना होता है या हमारे जो व्यापार सम्बन्धी सम्पर्क या परामर्श होते हैं, उसी सम्बन्ध में बाहर की छूट है, अन्य के लिए नहीं। यह निर्णय किया गया है कि हमारे जो लोग बाहर जाते हैं, सभी लोग अभी बाजार की दर में ही खरीदेंगे, माननीय सांसद भी जाते हैं और यदि हमारे डैलीगेशन में लोग बाहर जाते हैं, उन्हें भी बाजार दर में ही विदेशी मुद्रा खरीदनी पड़ती थी। यह जो परिवर्तन किया गया, उसमें लोगों को लगता था कि बाजार दर में जो सरकारी दर से पहले ही अतिरिक्त था, उसके अतिरिक्त और 15 परसेंट उस पर कर लगाया जाए। यह बहुत अधिक माना जाता था और इसके लिए दोनों सदन के माननीय सदस्यों की और बहुत से प्रतिष्ठानों का प्रतिवेदन आया है कि इस पर पुनर्विचार करें। विचार करने के बाद सरकार ने यह कर 15 परसेंट समाप्त किया। चूंकि उस समय दोनों सदनों की कार्यवाही नहीं चल रही थी, इसलिए आर्डिनेंस के जरिए इसको निरगत किया गया और उस आर्डिनेंस को सदन के सामने लाया गया है।"

जहां तक विदेशी मुद्रा की बचत का सवाल है और सादगी का सवाल है, उचित सुझाव है कि

सादगी तो बरतनी ही चाहिए। हम लोगों ने यात्राओं पर काफी प्रतिबन्ध लगाया है। नागरिक जो जाते हैं, उनको 500 डॉलर की मुद्रा मिलती है और तीन साल में उनको प्राप्त होती है। उस में छूट नहीं की गई है और जितने लोग जाते हैं, सभी को बाजार दर से लेनी पड़ती है। वही एक प्रतिबन्ध है, जिसकी वजह से कम से कम लोग खर्च करने की कोशिश करेंगे। श्री सुधीर जी ने बताया और एक प्रश्न भी पूछा था—क्या हम विदेशी मुद्रा की स्थिति में इतने सुधर गए हैं कि हम कोई छूट करे? यह छूट नहीं है, जो हमने स्वत: बाजार दर निर्धारित किया है, उसके कारण जो और अतिरिक्त कर देने का औचित्य नहीं, को देखते हुए हटाया गया है। जहां तक विदेशी मुद्रा का सवाल है, माननीय सदस्य ने तीन हजार कहा था, वास्तव में जून महीने में जब हमारी सरकार आई थी, उस समय 2300 करोड़ रुपये, 1.1 बिलियन डॉलर, की राशि हमारे पास थी। विभिन्न कार्यक्रमों से, विभिन्न मदों से, जिसका उल्लेख माननीय सदस्यों ने किया है, इण्डियन डेवेलमेंट बॉण्ड के जरिए, रैमिटैंस स्कीम के जरिए, कुछ कारोबार व्यापार से, कुछ आर्थिक सहायता की मदद से, सभी को मिलाकर इस वक्त 17 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि है। जोकि लगभग 6.8 बिलियन के बराबर विदेशी मुद्रा है। सरकार की ऐसी धारणा नहीं है कि विदेशी मुद्रा हमारी इतनी सुदृढ़ हो गई कि हम मनमाने ढंग से खर्च करें। हम मानते हैं कि विदेशी मुद्रा को और बढ़ाने की जरूरत है, उसको भी खास तौर से विदेशी व्यापार के जरिए, जो हमारा विदेशी व्यापार है, जो हमारा निर्यात है उसको बढ़ा करके हम कर सकते हैं लेकिन उस दिशा में अभी जितनी प्रगति होनी चाहिए उतनी प्रगति नहीं हुई है। ऐसा हम मानते हैं कि कुछ आयात हमारे आवश्यक उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बढ़ाए गए हैं जो आवश्यक आयात हैं और जो और दूसरे आवश्यक आयात हमारे देश की कृषि और उद्योग के लिए जरूरी हैं उन चीजों का आयात तो करना ही होता है लेकिन निर्यात की दिशा में हमें बहुत आगे बढ़ना है, इसमें सब के सहयोग की आवश्यकता है। लेकिन हमको उम्मीद है कि यह जो हमने 15 प्रतिशत हटाया है, यह पूरी कड़ी में एक छोटी रकम थी और इस रकम से सब लोगों पर अधिक भार पड़ता था, उनको अतिरिक्त कर देना पड़ता था वह नहीं रहेगा। जहां तक पिछली राशि का सवाल है माननीय सदस्य जानते हैं कि वह राशि कोई अग्रिम प्रकार का नहीं लिया गया था और वह जमा राशि नहीं है। माननीय सदस्य श्री भार्गव जी ने सुझाव दिया कि इसका सदुपयोग केवल देश के हित में किया जाए तो मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि जो भी राशि वसूल की गई थी 87.88 में 23 करोड़ थे, 88-89 में 65 करोड़ और 89-90 में 60 करोड़ और 90-91 में 73 करोड़, 91-92 में 81 करोड़ और अनुमानित 92-93 में 88 करोड़ थे, ये सारी राशि हमारी सामान्य जो राशि है उसमें सम्मिलित है। वह सरकारी और देश के हित के कार्य में खर्च किया जा चुका है और इसलिए उसके लौटाने की तो ऐसी कोई व्यवस्था सरकारी प्रावधान में है नहीं। लेकिन आगे चल करके लोगों को छूट मिल गई है और वह छूट बरकरार रहेगी। हम आशा करते हैं कि हमारे सभी लोग सहयोग करेंगे कि हम विदेशी मुद्रा को बढ़ाएं और फिजूल में हम विदेशी मुद्रा का उपयोग न करें यह हमारी सबसे अपील है।

इन्हीं शब्दों के साथ हम आशा करते हैं कि आप सभी माननीय सदस्यगण इस बिल का समर्थन करेंगे।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मैं अब श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे द्वारा प्रस्तुत सांविधिक संकल्प को सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

प्रश्न यह है :

"कि यह सभा 29 मई, 1992 को राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित विदेशी मुद्रा संरक्षण (यात्रा) कर उत्सादन अध्यादेश, 1992 (1992 का अध्यादेश संख्या 8) का निरनुमोदन करती है।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : मैं अब श्री गिरधारी लाल भार्गव द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 1 पर विचार करने संबंधी प्रस्ताव को सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन संख्या 1 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : मैं अब विचार करने सम्बन्धी प्रस्ताव को सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

प्रश्न यह है :

"कि वित्त अधिनियम, 1987 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : सभा अब विधेयक पर खंड-वार विचार आरम्भ करेगी।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिए गए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए जाएं।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री रामेश्वर ठाकुर : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :—

"कि विधेयक पारित किया जाए ।"

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फरपुर) : सभापति महोदय, मैं इस विधेयक के सम्बन्ध में दो बातें कहना चाहता हूं। मन्त्री जी ने अभी अपने भाषण में कहा कि कैसे विदेशी मुद्रा के मामले में मजबूती आ गई है और हालत सुधारने के लिए हम लोग कैसे आगे बढ़ रहे हैं।

सभापति महोदय, एक चिंता है विदेशी मुद्रा के मामले में और उस चिंता को मैं आपके माध्यम से सदन में व्यक्त करना चाहता हूं। सभापति महोदय, पिछले तीन महीने, मार्च, अप्रैल, मई, के जो विदेशी मुद्रा के आंकड़े हम लोगों के सामने हैं, उससे लगता है कि सवा 3 हजार करोड़ रुपए का विदेशी व्यापार का घाटा हम लोगों को हो गया है और यह जो लगभग सवा 3 हजार करोड़ का घाटा है, यह पिछले साल से कई गुना अधिक हुआ है और यह हमको बड़ी चिंता का विषय लग रहा है। पिछले साल का जो मामला था, रुपए का अवमूल्यन नहीं हुआ था, रुपए का अवमूल्यन हो गया था जुलाई महीने में मार्च से लेकर मई तक उस वक्त के विदेशी मुद्रा के आधार पर हुए व्यापार में जहां हिन्दुस्तान से जो भी चीजें हम लोग निर्यात कर रहे थे, उस आधार पर विदेशी मुद्रा मिल रही थी, जो अवमूल्यन से जुड़ा हुआ आधार नहीं था। और अगर ऐसी परिस्थिति में व्यापार की जो स्थिति थी कि जहां घाटा मुश्किल से 700-800 करोड़ रुपए का था, वह अब इस साल मार्च से पहले मई तक 3000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, तो हम मन्त्री जी से जानना चाहेंगे कि इसके लिए उनके पास कौन सा जवाब है। न केवल जो घाटा हुआ, उसको लेकर, बल्कि इस चुनौती का सामना वे किस तरह से करने वाले हैं आने वाले दिनों में, विशेषकर इस बात का, क्योंकि हम जो इस वक्त दुनिया में व्यापार की स्थिति को देख रहे हैं और विशेषकर भारत के विदेश व्यापार की बात को देख रहे हैं, उसमें कई क्षेत्रों में हम लोग अधिक घाटे में जाने वाले हैं, विशेषकर जिस तेल को हम लोगों को खरीदना है, तेल के दाम फिर बढ़ रहे हैं और अमरीका के चुनाव के पहले वहां के जो राष्ट्रपति हैं, चुनाव रणनीति को ध्यान में रख कर ईराक के साथ फिर एक बार जंग छेड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जो 2 साल पहले उन्होंने किया था, उस स्थिति में विदेशी मुद्रा के मामले में हमको बिल्कुल रसातल में पहुंचाने का काम किया था, तो हम यह जानना चाहेंगे कि ऐसी परिस्थिति का सामना करने के लिए सरकार के पास क्या उपाय हैं ?

दूसरा जो चिंता का विषय है, वह है एन०आर०आई० के डिपाजिट्स को लेकर, पिछले साल भर में हम देख रहे हैं कि एन०आर०आई० डिपाजिट्स देश में आने के बजाए देश से बाहर जा रहे हैं। मुझे याद है, जब कांग्रेस सरकार दोबारा बनी और जुलाई के महीने में पिछले साल वित्त मन्त्री, प्रधानमन्त्री ने विपक्ष के नेताओं के साथ एक बैठक की थी, उसमें मैं मौजूद था।

वित्त मन्त्री ने इस बात पर भारी बल दिया और बाद में सदन में और सदन के बाहर, आज के विपक्ष को एक तरह से बदनाम करने के लिए बार-बार कहते रहे कि एन०आर०आई० का डिपोजिट जो देश में अस्थिरता का निर्माण हुआ था, उस अस्थिरता के चलते बाहर जा रहा था और अब वह एन० आर० आई० वापिस हिन्दुस्तान में बड़ी मजबूती से काम करने वाला है और यहां तक बोले कि एन० आर० आई० के लोगों ने आपसे बात की है कि हम आने के लिए तैयार हैं और आप लोग अस्थिरता

को दिखा दीजिए। मेरे पास अप्रैल और मई के आंकड़े हैं। 1992 के अप्रैल-मई के आंकड़े रिजर्व बैंक से अभी बाहर आए हैं। ये दिखाते हैं कि केवल दो महीनों में एन०आर०आई० आउट-फ्लो दो करोड़ 64 मिलियन डालर का हुआ है और यह लगातार चला हुआ सिलसिला है। हम वित्त मन्त्री जी से जानना चाहेंगे कि वह कौन सी परिस्थिति बनी अस्थिरता की, जिसको लेकर एन०आर०आई० पैसा हिन्दुस्तान में आने की बजाय जितना आता है उससे अधिक मात्रा में आज विदेश जा रहा है।

मैं तीसरी बात पर वित्त मन्त्री का जवाब चाहता हूं। कुछ हद तक उस घोटाले के साथ जुड़ा हुआ है। इस पर सदन में बहुत चर्चा हो चुकी है। मैं केवल एक ही मुद्दे पर जवाब चाहता हूं जो विदेश से आने वाली पूंजी के साथ जुड़ा हुआ है। बम्बई में दो विदेशी बैंक हैं। एक तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड है और दूसरे का नाम ए० एन० जैड० ग्रिंडलेज है। इन दोनों बैंकों ने इस घोटाले का मामला उभर जाने के लिए यह दिखाने की कोशिश की कि हम एक बिलियन यू० एस० डालर, तीन हजार करोड़ पैसा विदेश से लाए हैं, एन०आर०आई० के पैसे लाए हैं जो फारेन नेशनल डिपाजिट की रिपैट्रीएबल डिपाजिट है, वह पैसा लाए हैं। लेकिन घोटाला होने के बाद उन लोगों ने यहां पर घाटा कम से कम बताया और उसे निकालने के लिए रिजर्व बैंक से कहा गया कि आपको विदेश से पैसा लाना चाहिए और उस पैसे को अपनी पूंजी के तौर पर लाना चाहिए। यह नहीं डिपाजिट टैम्पोरेरी ट्रांसफर आफ रिसोर्सेज बल्कि आपको कैपीटल करके हिन्दुस्तान में पैसे लाने चाहिए। यह रिजर्व बैंक का दिया हुआ आदेश था। हम वित्त मन्त्री से जानना चाहते हैं कि क्या आपके आदेश का पालन हुआ है और क्या यह सही नहीं है कि रिजर्व बैंक के आदेश को ठुकराकर एन० एन० जैड० ग्रिंडलेज और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक विदेशी मुद्रा हिन्दुस्तान में लाए हैं। जो कुछ ही समय के पश्चात यहां इस्तेमाल करके बाद में रिपैट्रीयेट करने वाली मुद्रा है। ये विदेशी बैंक इस तरह से सरकार के नियमों का और रिजर्व बैंक के आदेशों का पालन नहीं करते हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि आपके पास इस परिस्थिति का क्या जवाब है। आपने कहा है कि यह विदेशी मुद्रा छह बिलियन डालर है।

श्री रामेश्वर ठाकुर : 6.8 बिलियन कहा है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : 6.8 बिलियन डालर वित्त मन्त्री जी कह रहे हैं और जिसको सरकारी दल बड़े घमण्ड के साथ हर जगह बताने का काम कर रहा है। इसमें से एक-एक डालर कर्ज लिया हुआ है और इस कर्ज के ऊपर ब्याज देना है और हर रोज ब्याज बढ़ता जा रहा है और दूसरा कर्ज के अन्दर धकेल देने का काम कर रहे हो। जहां पर आई०एम०एफ० बचाने की स्थिति में नहीं रहेगा। हम वित्त मन्त्री से तमाम बातों का जवाब चाहेंगे।

4.00 म० प०

श्री रामेश्वर ठाकुर : माननीय सदस्य ने स्वाभाविक रूप से अपनी चिन्ता व्यक्त की है। विदेशी मुद्रा के सम्बन्ध में। जिसमें उन्होंने तीन मुद्दों पर ध्यान आकर्षित किया है। विदेशी व्यापार, हमारे भारतीय मूल के लोग जो विदेशों में रहते हैं और जो हमारे यहां विदेशी बैंक काम कर रहे हैं उनके द्वारा विदेशी मुद्रा के सम्बन्ध में। मैंने प्रारम्भ में ही निवेदन किया था इसके बावजूद भी विदेशी मुद्रा की स्थिति क्या है जिसका मैंने विश्लेषण किया कि किस स्रोत से आई है। हम इसको अधिक नहीं मानते हैं। जब तक विदेशी व्यापार में हमारी स्थिति में सुदृढ़ता नहीं आयेगी, जब तक निर्यात नहीं बढ़ेगा तब तक अस्थाई रूप से हम विदेशी मुद्रा के कोष को बढ़ा नहीं सकेंगे। आपने पिछले दो महीने के आंकड़े देकर

बताया, यह बात ठीक है कि कई कारणों से इसमें फर्क आया है। माननीय असदस्य अच्छी तरह जानते हैं कि हमारा जो रुपए का क्षेत्र था जो सोवियत संघ के साथ कारोबार था उसमें कमी आई है। उसका कारण हमारे वित्त मन्त्री पहले यहां बता चुके हैं।

दूसरी तरफ हमारा जो व्यापार है उसमें इस वक्त पिछले साल की तुलना में 6 प्रतिशत की डालर एरिया में वृद्धि हुई है। लेकिन वह काफी नहीं है। लेकिन एक बात मानने लायक है कि जो वहां की आर्थिक स्थिति है उसके लिहाज से दूसरे देशों में विदेशी व्यापार में कमी आयी है, हमारे पर भी इस कमी का असर पड़ा है। लेकिन कोशिश की जा रही है कि विदेशी व्यापार को बढ़ाया जाए, निर्यात को बढ़ाया जाए उसके लिए हर तरह का प्रोत्साहन देने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे वित्त मन्त्री जी ने भी विश्वास प्रकट किया है कि हम चालू वर्ष के अगले महीनों में हम अपनी विदेशी व्यापार को बढ़ा सकेंगे। जिससे विदेशी मुद्रा में सहूलियत होगी।

जहां तक विदेशों में रहने वाले भारतीय मूल निवासियों की बात है उनका यहां विभिन्न मदों में 11 बिलियन डालर जमा हैं आपने ठीक बताया कि 260 मिलियन डालर्स की कमी हुई है दो महीनों में, यह कमी स्वाभाविक नहीं है। सामान्य तौर से कमी कभी होती रहती है। उसका एक कारण यह भी है कि जो इन्टरेस्ट डिफरेंशियल रेट है जो हमारे बाजार की दर में अन्तर था। उसमें थोड़ी सी कमी हुई है वह भी कारण है। दूसरा कारण यह है कि समय-समय पर उनका रुपया विभिन्न मदों में आता है, लेकिन, एक बात जो देखनी है जिसमें वृद्धि हुई है पिछले साल के बनिस्पत जो रुपया विदेशों से भारतीय जमा कराते हैं उसमें ब्याज देना पड़ता है जिसमें थोड़ी वृद्धि हुई है। पिछले साल की बनिस्पत विदेशी निवेश भी उद्योगों में हुआ है उसमें लगभग 12 गुना वृद्धि हुई है। आशा की जाती है कि चालू वर्ष में उसमें वृद्धि होगी जिसमें हमें ब्याज नहीं देना पड़ेगा। यह उसकी एक विशेषता होगी। इस दिशा में उम्मीद है कि तीनों मुद्दों पर हमारे विदेशी व्यापार के द्वारा विदेशी निवेश के द्वारा और साथ ही साथ हमारे भारतीय मूल के विदेशों में रहने वाले लोगों के द्वारा जो वे पैसा जमा कराएंगे काफी फर्क पड़ेगा। वैसे इस वक्त अनिवासी भारतीयों का झुकाव सोने की तरफ है मैंने जिक्र किया था जो एन०आर०आई० रहते हैं वे सोना लाते हैं। क्योंकि उसमें यह लाभदायक मालूम होता है सोना लाने में। पांच किलो तक सोना जो 6 महीने बाहर रख चुके हैं, वह देश में ला सकते हैं। इसमें हमारी अच्छी प्रगति हुई है। लगभग 33 टन सोना हमारे यहां आ गया है। पूरे साल में 35 टन आने की सम्भावना थी मार्च, 93 तक लेकिन अभी 7 अगस्त तक 33 टन आ गया है। 75 करोड़ रुपए सारे साल में मार्च 93 तक आने की सम्भावना थी कर के रूप में, 78 करोड़ रुपए हमें प्राप्त हो चुके हैं। अभी 7 अगस्त तक और इस दिशा में हमारी प्रगति हुई है। विदेशी मुद्रा में प्राप्त रकम भी ज्यादा है।

एक माननीय सदस्य : चांदी के बारे में क्यों नहीं बताते हैं?

श्री रामेश्वर ठाकुर : चांदी के बारे में भी सरकार गंभीरता से विचार कर रही है, लेकिन, सोने के विषय में जो हमने कानून बनाया, जो नई नीति लाए, उसका फल है और उससे भी हमारी विदेशी मुद्रा में सहायता मिल रही है। इस प्रकार कुछ खास विदेशी बैंकों का जिक्र आपने किया है। हम समझते हैं कि माननीय सदस्य स्वयं संयुक्त संसदीय समिति के सदस्य होंगे और उस पर बड़ी गहराई से इन सभी पहलुओं पर विचार किया जाएगा। मैं इस वक्त केवल यह कहना चाहूंगा कि जो विदेशी बैंक यहां पर

कारोबार कर रहे है उनको सारा कारोबार हमारे कानून के अन्तर्गत ही करना है। उनके साथ कोई विशेष रियायत का बर्ताव हो, ऐसी बात नहीं है और यदि कोई उस वक्त रुपए लाया था, हमारे भारत के बाहर रहने वाले लोग जो हैं तो स्वाभाविक रूप से उनका कारोबार विदेशी बैंकों में है। उनके माध्यम से वे हिन्दुस्तान में रुपए लाए थे। वह एक अलग मुद्दा है और यदि उन्होंने अभी जो बैंक में घोटाला हुआ जिसका उल्लेख आपने किया, उसमें यदि उनका घाटा हुआ है, उसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए रुपए लाने की बात अलग है हमारे भारतीय जो रुपया लाते हैं वह अलग हिसाब में है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में ज्यादा निर्णयात्मक बात करना उचित नहीं होगा। ये सारी बातें जे० पी० सी० के पास जाएंगी और जो आंकड़े हैं, कितना रुपया वे लाए, कितने रुपए का घाटा है और उसकी पूर्ति वह कैसे करेंगे, इन सभी तथ्यों पर जे०पी०सी० विचार करेगी और उनका जो निर्णय होगा वह सरकार को मान्य होगा।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैंने जो बात कही वह बिल्कुल ठोस बात थी। इसका और जे० पी० सी० का कोई सम्बन्ध नहीं है। रिजर्व बैंक ने, दो विदेशी बैंकों ने घोटाले में जो अपने ढंग से कारोबार किया और तथाकथित घाटा हो गया। मेरी राय है कि उनको घाटा नहीं हुआ, वह जे०पी०सी० सिद्ध करेगी। उनको घाटा नहीं हुआ है।

सभापति महोदय : यही मन्त्री जी ने कहा है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मन्त्री जी यह नही कह रहे हैं। मेरा कहना है कि रिजर्व बैंक ने उनको आदेश दिया और कहा कि—

[अनुवाद]

"आपको पूंजी जमा करनी चाहिए। आप पूंजी ले आइए।"

[हिन्दी]

आपने अपनी पूंजी हिंदुस्तान में बढ़ानी चाही है चूंकि आपके सारे व्यवहार में जो एक्सपोजर हुआ है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? अब क्या हुआ है कि वे लोग पैसे लाए हैं। कितने लाए, कब लाए कम लाए या ज्यादा लाए वह अलग विवाद की बात है, लेकिन जब पैसे लाए तो वे कैपिटल इनफ्यूशन के तौर पर नहीं लाए उनको रीपैट्रिएट करने के तौर पर लाने का काम किया और रिजर्व बैंक का जो डायरेक्टिव इस बारे में था उसका उल्लंघन उन्होंने किया। यह जे० पी० सी० का मामला नहीं है, यह सरकार का मामला है।

श्री रामेश्वर ठाकुर : माननीय सभापति जी, मैं यह जिक्र कर रहा था कि सारे पहलुओं पर हमारी संसदीय समिति विचार करेगी।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : फिर सरकार भी हम लोगों के हाथ में दीजिए।

श्री रामेश्वर ठाकुर : पूरी बात सुन लीजिए। मैंने कहा है कि जो कानून हिंदुस्तान के हैं जो रिजर्व बैंक के डायरेक्शंस है, सारे विदेशी बैंकों को उनको मानना पड़ेगा, लेकिन आप जो तथ्य कह रहे

हैं, उन तथ्यों की बिना जांच किए हुए या उनकी पूरी जानकारी के बिना कितना पैसा लाए हैं, कैसे लाए हैं, उन्होंने कैपिटल में लगाया है या नहीं, इन बातों को देखने के पश्चात ही रिजर्व बैंक उसका निर्णय लेगा।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : आप मुझे आश्वासन दीजिए कि आप उसकी जांच करेंगे।

श्री रामेश्वर ठाकुर : अभी तो समिति ही करने वाली है। (व्यवधान)

श्री अनिल बसु (आरामबाग) : क्या जांच करने का आश्वासन भी मन्त्री जी नहीं दे सकते हैं।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : यह एडमिनिस्ट्रेटिव मामला है, रिजर्व बैंक का एडमिनिस्ट्रेटिव मामला है। (व्यवधान)

श्री रामेश्वर ठाकुर : आप सुन लीजिए, हम आपसे ही कह रहे हैं, इनको जवाब नहीं दे रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री अनिल बसु : सभापति महोदय। उनको आपके माध्यम से बात करनी चाहिए।

श्री मुमताज अंसारी (कोड़रमा) : आन्तरिक लेखा परीक्षा और लेखाओं की जांच होनी चाहिए।

श्री रामेश्वर ठाकुर : मुझे उन सभी विषयों की जानकारी है। मैं सभी को उत्तर दूंगा।

[हिन्दी]

श्री राजेश कुमार (गया) : क्या आप सारे मैंबरों को बता रहे हैं या एक का जवाब दे रहे हैं।

सभापति महोदय (श्री तारा सिंह) : हां, सब को बताएंगे, आप बैठिए।

(व्यवधान)

श्री रामेश्वर ठाकुर : माननीय सदस्य ने जो कहा, वह बिल्कुल रिजर्व बैंक के निर्देशों के मुताबिक रुपया लाया गया है और जो राशि लायी गयी है उन्हें उनका विनियोग करना होगा या करना चाहिए, इस सम्बन्ध में मैंने यह कहा कि हमारे पास इस समय विस्तृत जानकारी नहीं है कि कितना रुपया उन्होंने लाया और किस काम में लगाया, लेकिन मैंने यह कहा है कि जो हमारा कानून है और जो रिजर्व बैंक के निर्देश हैं, वे सभी विदेशी बैंकों को मानना आवश्यक है। जब हमारे पास विस्तृत जानकारी होगी, उस सम्बन्ध में रिजर्व बैंक उस पर उचित कार्यवाही करेगा। (व्यवधान)

श्री राजेश कुमार : हर मैंबर को जानने का अधिकार है कि आप जांच कराएंगे या नहीं। आपने जो कुछ उत्तर दिया है वह ठीक नहीं है।

श्री रामेश्वर ठाकुर : मैं जवाब ठीक दे रहा हूं, आप सुनिए। (व्यवधान)

आप प्रश्न तो पूछिए। (व्यवधान)

श्री राजेश कुमार : अभी हमारे एक माननीय सदस्य ने पूछा कि आप जांच कराएंगे या नहीं, उसका माननीय मन्त्री जी को एक शब्द में उत्तर देना चाहिए था।

सभापति महोदय : हां, उत्तर दिलाएंगे, आप बैठिए। जवाब मन्त्री जी दे रहे हैं।

श्री अनिल बसु : मन्त्री जी को सीधे-सीधे उत्तर देना चाहिए। (व्यवधान)

श्री राजेश कुमार : मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि अभी माननीय सदस्य श्री जार्ज फर्नान्डीज ने पूछा कि आप जांच करायेंगे या नहीं, लेकिन मन्त्री जी उसका सीधा उत्तर न देकर, वेग चलते जा रहे हैं गहराई में चलते जा रहे हैं इनको एक शब्द में उत्तर देना चाहिए कि जांच कराएंगे या नहीं कराएंगे।

(व्यवधान)

श्री रामेश्वर ठाकुर : मुझे क्या उत्तर देना है, कैसे उत्तर देना है, वह दायित्व मेरा है और मैं वही कह रहा हूं जो उचित समझता हूं। उसे माननीय सदस्य समझ रहे हैं कि मैं क्या उत्तर दे रहा हूं यह आपके समझ की बात नहीं है।

सभापति महोदय : मन्त्री जी, आप सीधे चेयर को एड्रेस करके कहिए।

श्री रामेश्वर ठाकुर : जिस मुद्दे को माननीय जार्ज फर्नान्डीज ने यहां उठाया है, मैंने बड़ी स्पष्टता से कहा कि कानून के अन्तर्गत सभी बैंकों को रिजर्व बैंक के सभी निर्देशों का पालन करना होगा। इस सम्बन्ध में तथ्यों का ता लगाकर रिजर्व बैंक उचित कार्यवाही करेगा। इन शब्दों के साथ, मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं ··(व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मेरे एक प्रश्न का उत्तर नहीं दिया कि आपके पास जो 6.8 मिलियन डालर विदेशी मुद्रा है, उस पर आपको कितना ब्याज देना पड़ रहा है। यह आपने नहीं बताया।

श्री रामेश्वर ठाकुर : मैंने बताया कि ब्याज के बारे में अलग-अलग राशि पर अलग-अलग हिसाब है। आप सब जानते हैं कि ब्याज की राशि जो निर्धारित होती है, उसमें जो हमारे इण्डिया डेवलपमेंट बौंड्स हैं। (व्यवधान) इण्डिया डेवलपमेंट बौंड्स के लिए निर्धारित राशि है, जो हमारे पास रैमिटैंस से रकम आयी है, उस पर कोई ब्याज नहीं है। जो हमारे पास फौरेन ऐड के तौर पर बाकी देशों से राशि आती है, 40 साल तक उसके भुगतान का पीरियड होता है और उस पर केवल 0.75 प्रतिशत सर्विस चार्ज देना होता है, कोई ब्याज नहीं होता है। यदि माननीय सदस्य चाहते हैं तो उसका विवरण दिया जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसमें सभी रकम, पूरी रकम पर ब्याज एक निर्धारित दर से लगता है। उसमें भी अलग-अलग देशों का है, कुछ देशों से ली गयी राशि पर जो ब्याज है, वह 3 से 4 प्रतिशत है लेकिन वे लम्बे अर्से की हैं। बाकी में अधिकांश जो राशि है, उस पर ब्याज नहीं लगता है। यदि विस्तार में माननीय सदस्य विवरण चाहते हैं तो उसकी डिटेल्स दी जा सकती है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : हां, हम चाहेंगे।

श्री रामेश्वर ठाकुर : उसके लिए अलग प्रश्न पूछिएगा।

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी (दरभंगा) : मैं एक क्लेरिफिकेशन चाहता हूं कि अभी मन्त्री जी ने बौंड्स के बारे में जिक्र किया, मैं जानना चाहता हूं कि 1988 में एक बौंड इन्होंने शुरू किया था—

डालर बॉंड—उसमें एक कण्डीशन यह थी कि जिस वक्त वह बॉंड पूरा होगा, 6 या 7 साल बाद, उस वक्त डालर रेट से कन्वर्ट करके, जो डालर बॉंड ले रहे हैं, उन्हें पैसा दिया जाएगा।

सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह बांड इश्यू करके हिंदुस्तान को जो घाटा हुआ है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है ? मैं उसको इस तरह से बताना चाहता हूं कि वर्ष 1988 में जब यह बांड इश्यू हुआ था, उस वक्त डालर की कीमत रुपए में 14.85 या 15 रुपए थी, जो इस समय 30 रु० के लगभग है, जो दुगने से भी ज्यादा है और जिस तरह से यह कीमत बढ़ रही है, उससे ऐसा लगता है कि जब उसका भुगतान किया जाएगा तब यह 3 गुने से भी ज्यादा हो चुकी होगी। तो इस पर 16 पर-सेंट जो एक्यूमुलेटिव इन्टरेस्ट मिलेगा, वह और उसके साथ-साथ यह जो बढ़ेगाजो डालर की वैल्यू बढ़ेगी, उसकेलिए क्या प्रावधान किया है ? जब उसको रिटर्न मिलेगा, उस वक्त तकरीबन 50-55 रुपए एक डालर की कीमत हो चुकी होगी, तो उसको सरकार किस तरह से पेमेंट करेगी ?

श्री रामेश्वर ठाकुर : सभापति महोदय, जो भी विदेशी देय है, आजादी से आज तक, जिन शर्तों पर जो रुपए लिए गए हैं, उसकी पूर्ति यथासमय की गई है और कभी भी किसी सरकार के द्वारा इतने अरसे में, रीपमेंट करने में, उसको चुकता करने में कभी देरी नहीं हुई है और कभी री-शेड्यूलिंग के लिए दरख्वास्त नहीं दी गई है। जिन शर्तों में हमने डालर में रुपए लिए हैं, उनको यथासमय दिया जाएगा। आपके हिसाब से रेट यह हो सकता है, यह कहना भी मुश्किल है। उस समय जो निर्धारित दर होगी, उसके मुताबिक उनको दिया जाएगा सरकार के पास उसका प्रावधान है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

4.16 म० प०

जम्मू कश्मीर के संबंध में की गई उद्घोषणा को जारी रखने का अनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प

और

अनुदानों की मांगें (जम्मू-कश्मीर), 1992-93

सभापति महोदय : हम मद संख्या 16 पर चर्चा करेंगे। श्री एस० बी० चव्हाण जी।

गृह-मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत जम्मू कश्मीर के

संबंध में 18 जुलाई, 1990 को जारी की गई उद्घोषणा को 3 सितम्बर, 1992 से और छह माह की अवधि के लिए जारी रखने का अनुमोदन करती है।"

जैसाकि सभा को विदित है, जम्मू और कश्मीर की स्थिति को देखते हुए 18 जुलाई, 1990 को वहां के राज्यपाल की सिफारिश पर संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत एक उद्घोषणा जारी की गई थी। इससे पहले 19-1-90 को जम्मू कश्मीर के राज्यपाल ने राज्य कार्यपालिका की शक्तियों को अपने हाथ में ले लिया था और वहां की विधान सभा को, वहां के संविधान के प्रावधानों के अन्तर्गत, निलंबित कर दिया था। एक मास के पश्चात् 19-2-1990 को राज्य की विधान सभा को राज्य संविधान के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भंग कर दिया गया था।

जम्मू और कश्मीर राज्य में विधि और व्यवस्था तथा सुरक्षा की स्थिति गंभीर होने के कारण 18 जुलाई, 1990 को इस उद्घोषणा की अवधि 6 महीने के लिए और बढ़ा दी गई थी और इसके लिए संसद के दोनों सदनों की स्वीकृति ली गई थी। इसके पश्चात 3-3-91 को पुन: 3-9-1991 और एक बार फिर 3-3-1992 को इन उद्घोषणाओं को छः-छः महीने के लिए बढ़ाया गया। राष्ट्रपति शासन की वर्तमान अवधि 2-9-1992 को समाप्त होगी।

जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल ने हाल के प्रतिवेदन में सूचित किया है कि राज्य में स्थिति अभी भी कठिन व चुनौतीपूर्ण बनी हुई है। आतंकवादियों को ऑटोमेटिक हथियार चलाने में तथा छापामार युद्ध में प्रशिक्षण मिला हुआ है और वह लोग राज्य में घुसपैठ करने में सफल हो गए हैं। ग्रीष्मकाल शुरू होने के बाद रास्तों के खुल जाने से पाकिस्तान, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से शेष कश्मीरी युवकों को अधिक से अधिक संख्या में घुसपैठ कराने के लिए फिर से प्रयास कर रहा है।

राज्यपाल ने बताया है कि यद्यपि सुरक्षा बलों की सतर्कता, छानबीन, समन्वय, समुचित योजना और कार्य निष्पादन तरीकों में सुधार के कारण उनको सफलता मिली है, आतंकवादियों के पास मारक क्षमता है, जिसके कारण आम लोगों में बन्दूक का भय बना हुआ है। घाटी में रहने वाले आम लोग आतंकवादी गतिविधियों और उनकी हिंसा से तंग आ चुके हैं, लेकिन बन्दूक के डर से लोग आतंकवादियों के खिलाफ खुलकर आने से घबरा रहे हैं।

राज्य में राजनैतिक स्थिति के बारे में बताते हुए राज्यपाल ने कहा है कि वहां पर राजनैतिक शून्यता की स्थिति बनी हुई है। परम्परागत राजनीतिक दलों के नेताओं में घाटी में किसी तरह की गतिविधि आरम्भ करने और अपने उनके संवर्गों को सक्रिय बनाने का साहस नहीं है, हालांकि सरकार ने उन्हें सुरक्षा प्रदान करने का बार-बार आश्वासन दिया है। राज्यपाल को महत्वपूर्ण राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक और विकास संबंधी मामलों पर सलाह देने के लिए एक राज्य सलाहकार समिति स्थापित की गई थी जिसमें सभी दलों के महत्वपूर्ण व्यक्ति शामिल थे। किंतु इसका प्रभाव बहुत सीमित रहा है और इसके कारण घाटी में किसी प्रकार की सार्थक राजनैतिक गतिविधि आरम्भ नहीं हुई।

घाटी में राजनैतिक शून्यता की स्थिति बनी हुई है। राजनैतिक तत्वों ने लोगों में विश्वास बनाए रखने और आतंकवादी गुटों में कुछ परिवर्तन लाने के लिए शायद ही कुछ किया है। प्रशासन तथा सुरक्षा बल लोगों में विश्वास पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं तथा विकास सम्बन्धी गतिविधियों तथा राहत

उपायों से जनता का सहयोग प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है किन्तु वहां राज्य विधान सभा के चुनाव करवाने के लिए वातावरण अनुकूल नहीं है और राज्य के किसी भी राजनैतिक दल ने चुनाव करवाने की मांग नहीं की। इसके अतिरिक्त, राज्यपाल ने यह भी कहा है कि परिसीमा आयोग ने निर्वाचन क्षेत्रों का पुन:निर्धारण करने का कार्य पूरा नहीं किया है। राज्य संविधान की धारा 47 के एक संशोधन के अनुसार, विधान सभा की सीटों की संख्या बढ़ाकर 11 करते हुए, निर्वाचन क्षेत्रों के पूर्व परिसीमन के आधार पर विधान सभा के चुनाव कराना कानूनी तौर पर अतर्कसंगत है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 के उपबंधों के अनुसार, जम्मू-कश्मीर राज्य पर जैसे भी लागू हो, राष्ट्रपति की उद्घोषणा संसद के दोनों सदनों की स्वीकृति की अध्याधीन 6-6 वर्ष करके तीन वर्ष तक लागू रह सकती है।

राज्य की स्थिति को देखते हुए तथा सभी बातों को ध्यान में रखते हुए 18-7-1990 की राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई उद्घोषणा को जारी रखने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। राज्यपाल ने भी इसकी सिफारिश की है। अत: यह प्रस्ताव किया जाता है कि जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन की अवधि 3-9-1992 से और 6 महीने के लिए बढ़ा दी जाए।

उल्लिखित स्थिति को देखते हुए मैं संशोधन के लिए इस माननीय सदन का अनुमोदन चाहता हूं।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"क यह सभा राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत जम्मू-कश्मीर के संबंध में 18 जुलाई, 1990 को जारी की गई उद्घोषणा को 3 सितंबर, 1992 से और छः माह की अवधि के लिए जारी रखने का अनुमोदन करती है।"

"कि कार्य सूची के स्तंभ 2 में मांग संख्या 1 से 27 के सामने दिखाये गए मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने हेतु आवश्यक राशियों को पूरा करने के लिए कार्य सूची के स्तंभ 4 में दिखायी गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित राशियां जम्मू-कश्मीर राज्य की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं।"

1992-93 के संबंध में लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत लेखानुदानों की मांग (जम्मू और कश्मीर)

(…के लिए कार्यसूची के अनुसार)

भाग संख्या	मांग का नाम	27-3-1992 सदन द्वारा स्वीकृत लेखा मांग की राशि		सदन की स्वीकृति के लिए पेश की जाने वाली लेखानुदान संबंधी मांग की राशि	
1	2	3		4	
		राजस्व (रुपए)	पूंजी (रुपए)	राजस्व (रुपए)	पूंजी (रुपए)
1.	सामान्य प्रशासन विभाग	5,70,05,000	…	5,70,05,000	…
2.	गृह विभाग	73,06,72,000	…	73,06,72,000	…
3.	योजना और विकास विभाग	2,36,32,000	4,03,35,000	2,36,33,000	4,03,35,000
4.	सूचना विभाग	1,68,46,000	21,35,000	1,68,45,000	21,35,000
5.	लद्दाख कार्य विभाग	18,75,07,000	11,47,07,000	18,75,07,000	11,47,07,000
6.	विद्युत विकास विभाग	129,91,96,000	114,31,79,000	129,91,96,000	114,31,80,000

1	2	3		4	
7.	शिक्षा विभाग	102,20,17,000	...	102,20,17,000	...
8.	वित्त विभाग	89,50,30,000	5,17,50,000	89,50,30,000	5,17,50,000
9.	संसदीय कार्य विभाग	70,50,000	...	70,51,000	...
10.	विधि विभाग	2,70,64,000	...	2,70,63,000	...
11.	उद्योग और वाणिज्य विभाग	13,36,52,000	24,92,42,000	13,36,53,000	24,92,40,000
12.	कृषि विभाग	28,08,12,000	32,60,69,000	28,08,12,000	32,60,69,000
13.	पशु/भेड़ पालन विभाग	17,74,22,000	3,07,82,000	17,74,21,000	3,07,83,000
14.	राजस्व विभाग	36,16,66,000	...	36,16,67,000	...
15.	खाद्य पूर्ति और परिवहन विभाग	11,44,34,000	131,81,97,000	11,44,35,000	131,81,97,000
16.	लोक निर्माण कार्य विभाग	73,69,91,000	32,08,86,000	73,69,91,000	32,08,86,000
17.	स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग	49,31,02,000	7,92,14,000	49,31,02,000	7,92,14,000
18.	समाज कल्याण विभाग	8,76,87,000	1,37,35,000	8,76,88,000	1,37,35,000
19.	आवास और शहरी विकास विभाग	6,01,16,000	33,65,50,000	6,01,15,000	33,65,50,000

1	2	3		4	
20.	पर्यटन विभाग	4,03,74,000	5,80,11,000	4,03,75,000	5,80,11,000
21.	वन विभाग	14,81,13,000	5'45,25,000	14,81,10,000	5,45,25,000
22.	सिंचाई और बाढ़ नियन्त्रण विभाग	20,62,48,000	17,33,00,000	20,62,48,000	17,33,00,000
23.	लोक स्वास्थ्य सफाई और जलपूर्ति विभाग	33,69,42,000	24,68,75,000	33,69,42,000	24,68,75,000
24.	सम्पदा आतिथ्य और प्रोतोकोल तथा बाग-बगीचा और पार्क विभाग	6,12,36,000	...	6,12,36,000	...
25.	श्रम, लेखन सामग्री और मुद्रण विभाग	4,00,58,000	72,25,000	4,00,58,000	72,25,000
26.	मत्स्य उद्योग विभाग	1,40,49,000	76,50,000	1,40,50,000	76,50,000
27.	उच्च शिक्षा विभाग	18,10,44,000	...	18,10,44,000	...

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : सभापति महोदय, अभी केन्द्रीय गृह मन्त्री ने धारा 356 के अधीन जारी किए हुए आदेश को 6 महीने आगे बढ़ाने की बात कही है। इसमें बजट का डिसकशन भी है। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर बहस शुरू करने का मौका दिया। मैं इस बजट को एक मजाक मानता हूं। उसकी चर्चा मैं बाद में करूंगा। परन्तु सन्तोष यह है कि बजट के बहाने और अभी गृह मन्त्री ने जो कहा है, उसके बहाने जम्मू-कश्मीर की बद से बदतर हो रही हालत के बारे में चर्चा करने का मौका मिल रहा है। अब समय आ गया है कि राजनीति से ऊपर उठकर कश्मीर के बारे में साफ-साफ बात होनी चाहिए। सवाल राजनीति की दृष्टि से प्वाइंट स्कोर करने का नहीं है। आज सवाल देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने का है। जिस तरह कुछ राष्ट्र विरोधी और विदेशी ताकतें मिलकर कश्मीर को भारत से अलग करने की साजिश कर रही हैं, उन पर सदन में खुलकर बात होनी चाहिए। आजकल कश्मीर में पूरी तरह आतंकवादियों की रिट चल रही है। कश्मीरी अखबारों में विज्ञापन तो सरकार के होते हैं परन्तु समाचार आतंकवादियों की इच्छा और इशारे पर आते हैं। अपने ही देश में आज वहां सभी राजनीतिक गतिविधियां ठप्प हैं, प्रशासन ठप्प है, टैक्सों की वसूली बंद है। अब तो आतंकवादियों ने अपनी कार्रवाइयां कश्मीर वैली तक सीमित नहीं रखीं बल्कि डोडा, भदरवाहा एवं राजौरी और पुंछ क्षेत्रों में भी फैला दी हैं। पिछले दिनों की घटना इसकी गवाह है। अमरनाथ यात्रा के लिए परम्परागत रास्ता बदलना पड़ा है। हमारे केन्द्रीय संचार मन्त्री जब जाते हैं तो उनके काफिले पर बम मारे जाते हैं। इसमें 6 बेगुनाहों की हत्या होती है।

मेरी सुनिश्चित जानकारी है कि आतंकवादियों ने तय किया है कि उनके ट्रेनिंग कैम्प्स अब पाकिस्तान से कश्मीर वैली में शिफ्ट किए जाएं। क्या यह सच है कि पिछले हफ्ते होम मिनिस्ट्री ने पंजाब गवर्नमेंट और जम्मू-कश्मीर गवर्नमेंट की एक संयुक्त मीटिंग की थी जिसमें इस समस्या के बारे में चर्चा हुई थी। कश्मीर के ऐसे गंभीर हालात पर साफ बात होनी चाहिए।

"हिम्मत से सच कहो तो बुरा मानते हैं लोग,
रो-रो के बात करने की आदत नहीं रही।"

पिछले तीन वर्षों में कश्मीर वैली में धनराशि कहां खर्च हुई ? मैं 2-3 उदाहरण देना चाहता हूं। 140 पुल आतंकवादियों ने उड़ा दिए जो कि अभी तक बने नहीं हैं। बी०एस०एफ० या आर्मी जा नहीं सकती। 250 स्कूल भवनों को जलाया है। वे अभी तक रिपेयर नहीं हुए हैं। इंजीनियर्स बोगस बिल बनाते हैं और पेमेंट लेते हैं। भारत सरकार के धन से आतंकवादियों का आंदोलन चल रहा है। टेक्सिज की रिकवरी बंद है। इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, एक्साइज, वाटर और इलेक्ट्रिसिटी बिल से कितनी आय वैली को हुई है ? मैं समझता हूं कि वह नैगलिजिबल है, नहीं के बराबर है। इसी से सिद्ध होता है कि आज वहां से वसूली नहीं हो रही है लेकिन खर्चा भारत सरकार कर रही है और वह खर्चा भी ठीक तरह से नहीं हो रहा है। आजकल वैली के अन्दर भारत सरकार की एथारिटी नहीं चल रही है रिट आतंकवादियों की चलती है। जो सरकारी कर्मचारी विस्थापित बनकर भारत में हैं, उनकी जगह एडहॉक एप्वांटमेंट्स हो गए हैं। बिना टैस्ट और इंटरव्यू के उनकी नियुक्तियां हो गई हैं। वे योग्यता भी पूरी नहीं करते थे परन्तु आतंकवादियों की ओर से आदेश होने पर उनके एप्वांटमेंट्स हो जाते हैं।

4.29 म० प०

[श्री शरद दिघे पीठासीन हुए।]

पिछले दिनों श्रीनगर में मकान की छत गिरने से काफी लोग मरे। हमारे मिनिस्टर साहब वहां गए। वह बुलेटप्रूफ गाड़ी में गए। 30-40 गाड़ियां इनकी रिसीविंग के लिए थीं फिर भी आतंकवादियों की तरफ से फायरिंग हुई। 9 बेगुनाह लोग मारे गए। 26 जनवरी, 1992 की घटना के बारे में रिपीट नहीं करना चाहता हूं। श्रीनगर में सोहनलाल के परिवार में उसकी पत्नी और लड़की पर हमला किया गया। जून में सोहनलाल के परिवार पर हमला हुआ। मां-बाप के सामने लड़की को रेप किया गया, फिर उसका मर्डर कर दिया फिर मां का मर्डर किया गया और बाद में सोहनलाल का भी मर्डर कर दिया गया। जुलाई के महीने में डोडा और भदरवाह की घटना तो सबको मालूम ही है। मेरे पास आंकड़े हैं। 1971 की वार में कश्मीर मोर्चे पर आर्मी के 37 जवान शहीद हुए थे। अब अर्द्धसैनिक बलों के मरने वालों की संख्या 337 है और डिसएबल 600 तक हुए हैं। यह रिपोर्ट है। आज कश्मीर के बारे में सरकार की कोई स्पष्ट नीति नहीं है। कश्मीर के हालात इतने खराब हैं परन्तु दिल्ली में बैठे हुए हमारे प्रधान मन्त्रीजी, हमारे होम मिनिस्टर साहब, हमारे दूसरे मिनिस्टर साहब अलग-अलग वक्तव्य देते हैं। मैं पहले तो यह जानना चाहता हूं कि यह बताया जाए, क्योंकि यह कन्फ्यूजन फैल रहा है कि आज कश्मीर अफेयर्स का इन्चार्ज कौन है, होम मिनिस्टर हैं या हमारे दूसरे मिनिस्टर हैं, जो वहां जाया करते हैं या गवर्नर जो बात कहते हैं, क्योंकि, अलग-अलग बातें कही जाती हैं। कभी यह कहा जाता है कि वहां चुनाव हो रहे हैं और अभी आपने 6 महीने का समय मांगा है और आपने कहा है कि गवर्नर की जो रिपोर्ट है, उनका यह कहना है कि हालात इतने ठीक नहीं हैं, हालात बहुत खराब हैं, वहां पर हालात काबू के बाहर हैं और अभी ऐसे हालात नहीं हैं कि कश्मीर में चुनाव कराए जा सकें। अब वहां आपके गवर्नर तो यह कह रहे हैं और पिछले दिनों आपने बयान दिया, जो मैंने पढ़ा था, पहले आपने एक बार कहा था कि लोकल बाडीज के चुनाव होंगे, फिर कहा था कि असेम्बली के चुनाव होंगे, होंगे तो कब होंगे। मेरी इन्फोर्मेशन यह है कि जिस समय आप यह कहते हैं कि वहां चुनाव होंगे तो जो संदेश आप देना चाहते हैं, वह संदेश ठीक नहीं पहुंचता है और वहां पर हमारे सुरक्षा बल के लोग जो अपनी जान हथेली पर रखकर लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके मन में एक डिमोरलाइजेशन सा आता है। इसलिए मेरा यह कहना है कि आप उसके बारे में एक स्पष्ट नीति बनाइए।

इसके बाद मैं कहना चाहता हूं कि जम्मू के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। सेवंथ प्लान के अन्दर 500 करोड़ रुपए पावर पर खर्च हुए। मेरी जानकारी यह है, आप उसे ठीक करें कि केवल 40 करोड़ जम्मू के अन्दर खर्च हुए, 460 करोड़ आपने वैली के अन्दर खर्च किए। टूरिज्म के अन्दर 125-150 करोड़ रुपए वार्षिक का खर्चा है लेकिन तीन साल से टूरिस्ट वैली में जाते ही नहीं हैं लेकिन एक साल में 40 लाख लोग वैष्णो देवी की यात्रा पर जाते हैं लेकिन जम्मू के अन्दर आपने केवल 10 परसेन्ट खर्च किया और 90 परसेन्ट वैली के अन्दर खर्च किया। मैं यह कहना चाहता हूं कि टेक्नीकल इंस्टीट्यूशंस इंजीनियरिंग कालेज वैली में है, जम्मू का छात्र आज वैली में नहीं जा सकता है। एग्रीकल्चर कालेज और यूनिवर्सिटी श्रीनगर में है, ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि उनके मन के अंदर एक नाराजगी है, गुस्सा है कि आज जम्मू के साथ, जोकि राष्ट्र के साथ जुड़ा हुआ है, जो एक ठीक व्यवहार होना चाहिए, समता का व्यवहार होना चाहिए, वह नहीं हो रहा है।

मैं दो तीन सवाल पूछना चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि अभी होम मिनिस्टर साहब ने बताया कि आतंकवादियों के खिलाफ कितने केस रजिस्टर हुए, कितनों के चालान पेश हुए। मेरी जानकारी है, मुझे आप करैक्ट करें कि लगभग 300 से ज्यादा केस रजिस्टर हुए हैं और उनमें से केवल 10 सी०बी० आई० को दिए गए हैं। मैं इसको कन्फर्म करना चाहता हूं। इन 10 में से भी केवल 4 चालान सी०बी० आई० ने पेश किए हैं, एक रूबिया केस, एक लासा कौल का केस, एक इन्स्पैक्टर ईश्वर सिंह का केस है और एक वी०सी०, जे०एण्ड के० यूनिवर्सिटी का केस है, आपने चार केस दिए हैं। होम मिनिस्टर साहब ने फरमाया था कि वहां एक सी०बी०आई० का सैल फार कश्मीर का गठन किया जाएगा, उसका क्या हुआ? मैं यह जानना चाहता हूं, क्योंकि, उसका गठन न होने से वहां के जो केसेज हैं, वह ठीक तरह से नहीं हो रहे हैं।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं। 24 जनवरी, 1992 को वहां बम ब्लास्ट हुआ और डायरेक्टर जनरल पुलिस और जितने बड़े आफिसर्स वहां थे, वह जख्मी हुए थे। इण्टरेस्टिंग बात यह है कि उस दिन के बाद से लेकर आज तक वह दफ्तर ही बन्द हो गया। डायरेक्टर जनरल अब किसी बंगले से सारा काम करते हैं। मुझे आप बता दें कि आतंकवादियों से क्या हम डर गए हैं, क्या उनके एक ही हमले में हमने वह दफ्तर ही छोड़ दिया? डायरेक्टर जनरल का दफ्तर छोड़ना क्या इंगित करता है, यह क्या दिखाता है? मेरा यह कहना है कि यह बात बड़े महत्व की है कि आतंकवादियों के सामने डटकर हमने अपने मुख्यालय, अपने आफिस को छोड़ दिया है और एक बंगले से हम आपरेट कर रहे हैं। यह संदेश अगर हम आतंकवादियों को देंगे तो उनके हौसले बुलन्द होंगे।

इसके अलावा दो पाइन्ट्स और कहकर मैं अपने कुछ सुझावों पर आऊंगा। मैं आई०एस०आई० के बारे में भी कहना चाहता हूं लेकिन समय कम है। मैं एक बात लद्दाख के बारे में कहना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि आज आप उसकी घोषणा करें, लद्दाख का सुरक्षा की दृष्टि से विशेष महत्व है। विकास नहीं हो पाया, वहां कोई भी कालेज नहीं है। नेहरू जी ने लद्दाख के लिए एक अलग मन्त्रालय का वायदा किया था, 1967 में गजेन्द्रगडकर कमीशन और 1979 में सीकरी कमीशन, उनकी अनेक सिफारिशें थीं। 20 अक्तूबर, 1989 को केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार और लद्दाख, बुद्धिस्ट एसोसिएशन, इनका त्रि-पक्षीय समझौता हुआ था। उस समय श्री बूटा सिंह आपकी जगह पर मौजूद थे। गोरखा हिल काउन्सिल की तरह कोई काउन्सिल बनाने का प्रस्ताव था, लागू नहीं हुआ। अभी मैंने सुना है, कुछ दिन या कुछ महीनों पहले आपने फिर उनसे वायदा किया है, लिखित में किया है। उनका आरोप है, उनका कहना है कि आपने किसी प्रैशर में आकर उस फैसले को लागू नहीं कर रहे हैं। उनके अन्दर बहुत गुस्सा फैल रहा है। उनका कहना है—राष्ट्रभक्ति कमजोर न माना जाए, गलत है। उस फैसले को जो आप कह आए हैं, उसको लागू करें और उसकी घोषणा करें। इससे बहुत अच्छा असर पड़ेगा।

दूसरी बात मैं आपसे विस्थापितों के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। अपने ही देश में डेढ़ लाख लोग वहां से विस्थापित होकर आए हैं और कैम्पों में नारकीय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अभी तक कोई प्राइम मिनिस्टर, चार-चार प्राइम मिनिस्टर हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई उनको देखने नहीं गया है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आप या प्राइम मिनिस्टर साहब उन कैम्पों में जाएं, एक-एक कमरे में, एक-एक टैन्ट में तीन-तीन परिवार किस तरह से सालों से रह रहे हैं। उनके कुटुम्ब नष्ट हो रहे हैं और वे बर्बाद हो रहे हैं। उनके बच्चों की शादियां नहीं हो रही हैं। बच्चों के एडमीशन नहीं हो रहे हैं।

ये लोग जो नारकीय जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उनके लिए आपने वायदा किया था कि सैमी परमानेंट स्तर पर उनको बसायेंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि उनको बसाने की क्या योजना आपके पास है? मुझे याद है, जब हम जनता दल की सरकार का समर्थन कर रहे थे, उस समय के होम मिनिस्टर ने जो वायदा किया, उसको सुनते आ रहे हैं, लेकिन उनकी हालत में सुधार नहीं हुआ। मैं आपसे चाहूंगा, मानवता के आधार पर उनके साथ न्याय करें। उनकी जो मांगे हैं, बहुत छोटी मांगे हैं, उनको पूरा करें।

आखिर में, मैं अब कुछ सुझाव देना चाहता हूं। मेरा पहला सुझाव यह है कि आतंकवादियों के साथ सख्ती से निपटा जाए। जेलों में जो कभी-कभी इंडिकेशन्स भेजे जाते हैं और कुछ लोग छोड़े जाते हैं, मेरे पास सारी रिपोर्ट्स हैं। किस तरह से किन-किन आतंकावादियों को बातचीत के लिए छोड़ा गया। मैं उनके नाम दे सकता हूं, लेकिन वे अब लोग उसका नेतृत्व कर रहे हैं। इसलिए छोड़ने से पहले यह आप पुख्ता कर लीजिए कि वह आदमी सिंसीयर है और वह आदमी शांति लाने के लिए सहायक है। वरना इस तरह से जो अनाप-शनाप छोड़े जा रहे हैं, इस प्रकार के रॉंग-सिगनल्स दिए जाते हैं, आतंकवादियों से बात हो रही है या नहीं हो रही है, चुनाव हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसको छोड़ कर आप सीधी घोषणा करें। उन लोगों ने चैलेंज किया है, देश की एकता और अखण्डता के लिए। यहां की लॉ एण्ड आर्डर की हालत खराब है और आप बहादुरी से ठीक कर लेंगे, लेकिन मैं बताना चाहता हूं वे लोग बहुत साफ है, पाकिस्तान के साथ मिल कर हिन्दुस्तान को तोड़ने की साजिश कर रहे हैं। इन्टर नेशनल मंच पर इस मामले को ले गए हैं। इस लिए आपकी तरफ से घोषणा होनी चाहिए, जब तक संविधान के अन्दर बात नहीं करेंगे, अपने हथियारों को छोड़ेंगे नहीं, हिंसा का रास्ता नहीं छोड़ेंगे, तब तक हम उनके साथ बात नहीं करेंगे।

दूसरा सुझाव—अभी आपने अपने वक्तव्य में कहा है कि पाकिस्तान जो कर रहा है, उसको दुनिया जानती है और आप यहां शिमला समझौते की बात कह रहे हैं। इस प्रकार डबल ट्रैफिक नहीं चलेगा। मैं साफ कहना चाहता हूं, 16 अगस्त को जो सचिव स्तर की बातचीत हो रही है पाकिस्तान के साथ, उस बैठक के अन्दर, समय आ गया है, उससे दो टूक बात करनी चाहिए। यह गुडी-गुडी नहीं चलेगा, उनसे दो टूक बात करनी चाहिए। पाकिस्तान के अन्दर जो ट्रेनिंग कैम्पस चल रहे हैं, उनको समाप्त करने के लिए बात करनी चाहिए।

तीसरा सुझाव—आपने कहा है कि प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया शुरू की जाए। मैं चाहता हूं कि आप एसेम्बली चुनाव की बात न करें, पहले आप नगरपालिका और जिला परिषद के चुनाव की प्रक्रिया शुरू करें। अगर आप को लगे कि मामला ठीक चल रहा है, उसके बाद एसेम्बली के चुनाव करायें। मुझे लगता है, आप बार-बार यह कहते हैं कि हम एसेम्बली के चुनाव कराने वाले हैं, तो इस प्रकार के संदेश का गलत प्रभाव पड़ता है।

चौथा सुझाव—जम्मू, लद्दाख और काश्मीर घाटी की रीजनल काउन्सिल का गठन कीजिए, ताकि वह काउन्सिल अपने-अपने क्षेत्र में विकास कर सके।

विस्थापितों को युद्ध स्तर पर, क्वासी परमानेंट स्तर पर बसाया जाये। उनकी शिकायतें सुनने के लिए स्पेशल सेल का गठन किया जाए और जब तक कश्मीर घाटी में सामान्य हालात न हो जाएं उन्हें वापिस मौत के मुंह में जाने की बात न की जाए।

अगला मेरा कहना यह है कि जिन राज्यों में आतंकवाद की समस्या है उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों की एक संयुक्त बैठक बुला कर एक समन्वित नीति बनाइए। प्रधानमन्त्री स्वयं कश्मीर जाएं, विस्थापितों के कैम्पों में जाएं तभी उन्हें कश्मीर की समस्या की गम्भीरता का अन्दाज होगा।

आज कश्मीर के बारे में मैं एक बात कहना चाहता हूं :

"मैं बेपनाह अन्धेरों को सुबह कैसे कहूं,
मैं इन नजरों का अन्धा तमाशबीन नहीं।"

इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यह कश्मीर के हालात हैं, इसके बारे में बहुत साफ दो टूक आपसे जवाब चाहते हैं। आपने मेरी बात को सुना इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं।

[अनुवाद]

श्री रमेश चेन्नितला (कोट्टायम) : सभापति महोदय, जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन की अवधि छः महीने के लिए बढ़ाने की अनुमति लेने के लिए माननीय गृहमन्त्री एक बार फिर संसद के समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। मैं जानता हूं कि यह कोई सुखद कार्य नहीं है। वास्तव में यह दुर्भाग्य की बात है कि हम इस सम्माननीय सभा में जम्मू-कश्मीर के लिए बजट पर चर्चा कर रहे हैं।

महोदय, जम्मू-कश्मीर की स्थिति यद्यपि बड़ी जटिल और चुनौतीपूर्ण है, फिर भी वहां पर कुछ सकारात्मक परिवर्तन नजर आये हैं। स्थिति काफी गम्भीर है; परन्तु उसमें कुछ सुधार हुआ है। उसमें सुधार के संकेत नजर आए हैं; परन्तु हमें आशावादी होने के साथ-साथ सावधानी से काम लेने की आवश्यकता है। घाटी में आम जनता जागृत हो रही है, तथा आतंकवाद-विरोधी प्रदर्शनों का अक्सर जम्मू-कश्मीर में अब आयोजन होता रहता है। इसके अतिरिक्त गुटों की आपसी लड़ाई के कारण आम नागरिकों के जान-माल का नुकसान होता है तथा हड़ताल के बार-बार आह्वान के कारण आम नागरिक के लिए काफी कठिनाई उत्पन्न हो जाती है। इस समस्याग्रस्त राज्य में सुरक्षा बल सराहनीय कार्य कर रहे हैं। इन आतंकवादी शक्तियों तथा समस्याओं के बावजूद सुरक्षा सेनाएं शांति तथा सद्भावना का वातावरण बनाने का प्रयत्न कर रही हैं। वे राज्य के आम तथा निर्दोष नागरिकों को आश्रय तथा सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। समाचार पत्रों में प्रकाशित रिपोर्टें हमारे पास उपलब्ध है? इनमें बताया है कि जून के महीने तक 315 आतंकवादी मारे गए तथा 1266 गिरफ्तार किए गए। इनमें आतंकवादियों के सरगना भी सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त बड़ी मात्रा में गोली-बारूद भी पकड़ा गया जिसमें 216 ए०के० 47 रायफलें 125 मशीनगनें, 417 पिस्तोलें तथा रिवाल्वर, 342 राकेट लांचर, 1356 बम्ब तथा 110 बारूदी सुरंगे तथा बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री सम्मिलित है। गुप्तचर एजेंसियां तथा अन्य संगठन भी प्रशंसनीय कार्य कर रहे हैं। इसलिए हमें सुसंगत सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं जिसके कारण हम चुनौती का सामना कर सकते हैं यद्यपि यह काफी कठिन कार्य है। राज्य में व्यापारिक गतिविधियां तथा सरकारी दफ्तरों में सामान्य कामकाज चलाना काफी कठिन है। हम सभी वास्तविकता जानते हैं। परन्तु इसमें कुछ सुधार हो रहा है। सुरक्षा बलों द्वारा सीमावर्ती क्षेत्रों में नागरिक सुविधाएं तथा चिकित्सा सहायता उपलब्ध करवाने के लिए चलाए गए अभियान के फलस्वरूप वे लोगों की सद्भावना तथा विश्वास को जीतने में सफल हुए हैं। आतंकवाद की प्रवृत्ति के प्रति लोगों के मन में नफरत की भावना पैदा हो रही है। इसलिए अनेक आतंकवादी आत्मसमर्पण

के लिए बाध्य कर रहे हैं। प्रकाशित समाचारों के अनुसार वर्ष 1991-92 में 612 तथा इस वर्ष 306 आतंकवादियों ने हथियारों समेत आत्मसमर्पण किया। फिर भी हमें इस आशाजनक परिवर्तन पर उम्मीद रखनी चाहिए। इस संकटपूर्ण स्थिति में लोग आतंकवादी गतिविधियों के एकदम विरुद्ध हैं। वे इस पर नियन्त्रण चाहते हैं। आम निर्दोष लोग आतंकवादियों को खत्म करना चाहते हैं, जिन्होंने जम्मू-कश्मीर में उत्पात मचा रखा है।

एक दुर्भाग्यपूर्ण पहलू यह है कि राजनैतिक दल आतंकवादी गतिविधियों के विरुद्ध संघर्ष के लिए साहस नहीं जुटा पा रहे हैं, जैसा कि माननीय गृह मन्त्री ने यहां पर उल्लेख किया है। हम सभी राजनैतिक पहल की बात कर रहे हैं। परन्तु दुर्भाग्यवश हम अपने कार्यकर्ताओं में पर्याप्त साहस पैदा नहीं कर पाये हैं।

मैं माननीय गृह मन्त्री को महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। राज्य के निर्दोष लोगों के साथ अर्द्ध सैनिक बलों द्वारा ज्यादतियां किए जाने के कुछ मामले सामने आए हैं। मैं माननीय गृह मन्त्री से जानना चाहता हूं कि अर्द्ध सैनिक बलों द्वारा ज्यादतियों के कितने मामले सामने आए हैं? कितने लोगों को दण्डित किया गया? सर्वप्रथम मैंने अर्द्ध-सैनिक बलों द्वारा किए गए प्रशंसनीय कार्य का उल्लेख किया था। परन्तु कुछ मामलों में अर्द्ध सैनिक बलों द्वारा ज्यादतियां हुई हैं? इससे आम आदमी प्रभावित हो रहा है तथा इससे उनका अर्ध सैनिक बलों में विश्वास समाप्त हो जाएगा। मेरा सरकार से निवेदन है कि इस सम्बन्ध में कड़े कदम उठा कर दोषियों को दण्डित किया जाए, ताकि इस विकट स्थिति में लोगों को अर्द्ध सैनिक बलों से राहत मिल सके।

जैसा कि श्री खुराना जी ने कहा है, पाकिस्तान जम्मू-कश्मीर में गड़बड़ पैदा कर रहा है। भारतीय लोग कायर नहीं हैं। हाल ही में मैंने समाचार पत्र में पाकिस्तान के प्रधान मन्त्री का वक्तव्य पढ़ा था, जो कि उन्होंने पाक अधिकृत कश्मीर की यात्री यात्रा के दौरान दिया था। उन्होंने कहा, कि कश्मीर पाकिस्तान का अटूट अंग है तथा जल्दी ही कश्मीर पाकिस्तान के साथ होगा।" हम कायर नहीं हैं। पाकिस्तान के साथ लड़ने की हममें ताकत है। वे कैम्प चला रहे हैं, वे कश्मीरी युवकों को प्रशिक्षण दे कर सीमा पार से यहां भेज कर गड़बड़ करवा रहे हैं। वास्तव में पाकिस्तान आग से खेल रहा है। प्रधानमन्त्री महोदय ने कल कहा था कि सचिव स्तर की बातचीत अगले सप्ताह होने जा रही है। इस सचिव स्तर की बातचीत का क्या लाभ होगा, जबकि पाकिस्तान के प्रधान मन्त्री भारत को धमकी दे रहे हैं, आतंकी कश्मीरी युवकों को प्रशिक्षण दे रहे हैं तथा यह घोषणा कर रहे हैं कि कश्मीर पाकिस्तान का अटूट अंग है? हम यह जानना चाहते हैं कि क्या पाकिस्तान को शिमला समझौता स्वीकार है तथा क्या वे इसका सम्मान करेंगे। वे अब इस मुद्दे को अन्तर्राष्ट्रीय रंग दे रहे हैं इसलिए हमें अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण को अपने पक्ष में करने का प्रयत्न करना चाहिए। माननीय गृह मन्त्री तथा विदेश मन्त्रालय को इस ओर ध्यान देना चाहिए। पाकिस्तान को कड़े शब्दों में यह बताया जाना चाहिए कि वह ही यह सब समस्याएं पैदा कर रहा है। मेरी समझ में नहीं आता कि अगले सप्ताह होने वाली सचिव स्तर की बातचीत का क्या लाभ है कि पाकिस्तान के प्रधान मन्त्री भारत तथा जम्मू कश्मीर के शांतिप्रिय लोगों को धमकी दे रहे हैं। इस लिए भारत को अन्तर्राष्ट्रीय मत जुटाना होगा तथा इन सब गतिविधियों पर नजर रखनी होगी तथा पाकिस्तानी अधिकारियों विशेषकर पाकिस्तान के नेताओं को स्पष्ट शब्दों में बताना होगा कि भारत द्वारा बरता गया संयम उसकी कायरता नहीं है तथा शिमला समझौते की भावना के अनुसार हम बातचीत

द्वारा इस मसले का शांतिपूर्ण हल चाहते हैं? हमारी स्थिति मजबूत होनी चाहिए तथा कड़े संकेत पाकिस्तान को दिए जाने चाहिएं।

अभी श्री खुराना ने चुनावों की चर्चा की। हम सब चुनावों का स्वागत करते हैं। परन्तु इसके लिए उचित वातावरण पैदा किया जाना चाहिए? सिर्फ एक लोकतांत्रिक ढंग से चुनी गई सरकार ही मुद्दों तथा लोगों की समस्याओं का समाधान कर सकती है।

पंजाब में चुनाव हुए थे। इस सम्बन्ध में काफी विचारधाराएं हैं जिनके विस्तार में मैं नहीं जाना चाहता। परन्तु अब पंजाब सरकार सराहनीय कार्य कर रही है। हाल ही में मैं स्वयं दो-तीन जिलों में गया था तथा चण्डीगढ़ में सचिवालय में भी गया था, जहां मैंने अपनी आंखों से देखा कि हजारों लोग मन्त्रियों से मिलने के लिए चण्डीगढ़ आ रहे हैं तथा लोकतांत्रिक ढंग से अपनी शिकायतों का निवारण करवाने का प्रयत्न कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : आपके पास कितने सिक्योरिटी गार्ड थे।

श्री रमेश चेन्नितला : हमारे पास युवक कांग्रेस के सिक्योरिटी गार्ड थे इसलिए पुलिस जरूरी नहीं थी। पंजाब के अन्दर युवक कांग्रेस के कार्यकर्त्ता काम कर रहे हैं। सी०पी०आई० और सी०पी०एम० के लोगों से अनुरोध करता हूं कि आप अपने लोगों से बोलिए कि बाहर आकर काम करें।

[अनुवाद]

इसलिए मैं माननीय गृह मन्त्री से निवेदन करता हूं कि वे चुनाव करवाने पर विचार करें। मतदान के प्रतिशत का कोई प्रश्न नहीं है। सभी राजनैतिक दलों को आगे बढ़ कर लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाल करने में सहायता करनी चाहिए, क्योंकि हम यह महसूस करते हैं कि किसी भी राजनैतिक पार्टी ने कोई राजनैतिक पहल नहीं की है। मैं किसी राजनैतिक दल पर दोषारोपण नहीं करना चाहता, क्योंकि आतंकवादियों की चुनौती का सामना करने का साहस हम अपने कार्यकर्ताओं में पैदा नहीं कर पाए? इस लिए, कृपया चुनाव करवाने पर विचार कीजिए तथा चुनाव के लिए उचित वातावरण पैदा करने का प्रयत्न कीजिए, ताकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाल की जा सके। लोग अपनी शिकायतें सरकार के सामने रख सकते हैं, तथा उनकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। बेशक लोगों की शिकायतें हैं। सरकारी मशीनरी उनकी सारी काफी समस्याएं नहीं सुलझा सकती है। मेरा गृह मन्त्री महोदय से हार्दिक निवेदन है कि उन्हें चुनाव करवाने पर विचार करना चाहिए तथा इस दिशा में आवश्यक कदम उठाने चाहिए।

अब आतंकवादी जम्मू में अधिक गड़बड़ पैदा कर रहे हैं। वे अपनी आतंकवादी गतिविधियां जम्मू क्षेत्र बढ़ा रहे हैं। हाल ही में पाकिस्तान तथा आतंकवादी गुटों ने जम्मू क्षेत्र में हिंसा फैलाने का प्रयत्न किया। डोडा में 18 जुलाई को हुई गोलाबारी में दो सुरक्षाकर्मी और दो नागरिक मारे गए तथा छः घरों और 28 दुकानों को नुकसान पहुंचा है। इससे डोडा में काफी तनाव पैदा हो गया था तथा कर्फ्यू लागू कर दिया गया। अब वे जम्मू क्षेत्र में भी गड़बड़ और हलचल पैदा करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

22 जुलाई को जम्मू में बस-अड्डे पर हुई बम्ब विस्फोट की घटना में 15 लोगों को मामूली चोटें आईं तथा पांच वाहनों को नुकसान पहुंचा। तत्पश्चात बनिहाल में एक गश्ती टुकड़ी पर हमला किया गया। ये सभी बड़ी गम्भीर घटनाएं हैं तथा मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता।

मूल मुद्दा यह है कि अब वे अपनी गतिविधियां जम्मू क्षेत्र तक बढ़ा रहे हैं। घाटी से आकर बहुत से शरणार्थी जम्मू क्षेत्र में बस रहे हैं। मैं स्वयं कुछ टैंटों में गया था। वे बड़ी खराब स्थिति में रह रहे हैं। कुछ लोगों को ठीक से राशन भी नहीं मिल रहा है। उनके कुछ बच्चों को स्कूलों में दाखिला भी नहीं मिल रहा है। कुछ को पैन्शन और वेतन भी नियमित रूप से नहीं मिल रहा है। राहत आयुक्त भी जम्मू क्षेत्र में तैनात है। मैं यह बताना चाहता हूं कि राहत आयुक्त तथा अन्य अधिकारी इन टैंटों में इतनी खराब स्थिति में रह रहे हैं लोगों की समस्याओं के प्रति बिल्कुल चिंतित नहीं है। कुछ परामर्शदात्री परिषदें भी गठित की गई हैं। ये परिषदें निश्चित रूप से शरणार्थियों तथा उनकी समस्याओं की ओर ध्यान देनेमें सहायता कर रही है।

गृह मन्त्री महोदय ने अपने भाषण में कहा है कि विकास गतिविधियां जारी हैं। बेशक विकास सम्बन्धी गतिविधियां जारी हैं परन्तु इसके साथ-साथ भ्रष्टाचार भी चरम सीमा पर है। वहां पर कोई लोकतांत्रिक सरकार नहीं है। इस सब पर नजर रखने के लिए कोई नहीं है। अधिकारिक स्तर पर भ्रष्टाचार चरम सीमा पर देखा जा सकता है। लोग इन सब बातों से काफी निराश है। इसलिए माननीय गृह मन्त्री महोदय से मेरा निवेदन है कि इस दिशा में तुरन्त कदम उठाए जाएं, ताकि भ्रष्ट अधिकारियों तथा विकास कार्यों के लिए निर्धारित सार्वजनिक धन का दुरुपयोग करने वालों को दण्डित किया जा सके।

श्री खुराना कह रहे थे कि सरकार की कोई नीति नहीं है। जैसाकि गृहमन्त्री महोदय ने कहा है, निश्चित रूप से सरकार स्थिति का पुनर्किलन कर रही है तथा सरकार आतंकवादियों को अलग-थलग तथा अनुकूल वातावरण बनाने का प्रयत्न कर रही है। परन्तु सामुदायिक तत्वों को दूर रखा जाना चाहिए। विशेष रूप से भा०ज०पा० गड़बड़ कर रही है तथा राज्य के लोगों को बांट रही है। वे समस्या पैदा कर रहे हैं तथा जम्मू-कश्मीर के लोगों को बांटने की चेष्टा कर रहे हैं। कृपया जम्मू-कश्मीर जैसे संवेदनशील राज्य में राजनीति का खेल मत खेलिए। इस सम्बन्ध में हम सब का एक मत होना चाहिए? सभी राजनैतिक दलों को मिल कर इस समस्या का समाधान ढूंढना चाहिए क्योंकि यह राज्य भारत का अटूट अंग है। इसलिए अपने राजनैतिक मतभेद भुला कर आगे आइए। हम सब को मिल कर समस्या का समाधान ढूंढना चाहिए तथा शीघ्र चुनाव करवाने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना चाहिए।

5.00 म० प०

मंत्री द्वारा वक्तव्य

राष्ट्रीय वस्त्र निगम और ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन के सम्बन्ध में परिवर्तित नीति

कपड़ा मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत): नेशनल टैक्सटाईल कारपोरेशन तथा ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन की बिगड़ती वार्षिक स्थिति के बारे में समय-समय पर माननीय सदस्यों ने

अपनी चिन्ता व्यक्त की है तथा इस बात पर बल दिया है कि इन उपक्रमों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए कुछ कारगर कदम उठाए जाएं। दोनों उपक्रमों में स्थिति अत्यधिक गंभीर हो गई है। एन० टी० सी० में कुल घाटा बढ़कर 2300 करोड़ रुपये से ऊपर पहुंच गया है जबकि बी०आइ०सी० की दो सूती मिलों में घाटा 155 करोड़ रुपये के लगभग हो गया है। इस सन्दर्भ में यह आवश्यक हो जाता है कि इस प्रवृत्ति को रोका जाए नहीं तो वह समय दूर नहीं है जबकि ये उपक्रम बन्द होने की स्थिति में आ जाएंगे और लगभग 1 लाख 70 हजार इससे जुड़े हुए कर्मचारी एवं मजदूर बेरोजगार हो जाएंगे।

इस सन्दर्भ में इन उपक्रमों के लिए एक बेहतर भविष्य की आशा करते हुए केन्द्र सरकार ने इन उपक्रमों को पुनर्जीवित करने की योजना को अनुमोदित किया है। इस योजना के मुख्य आधार हैं चुने हुए क्षेत्रों में आधुनिकीकरण, वित्तीय एवं प्रबन्धकीय प्रणाली में सुधार तथा धनराशि का प्रावधान जिससे कर्मचारी एवं मजदूर स्वैच्छिक रूप से सेवा निवृत्ति का विकल्प अपना सकें। स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना को उन मिलों के अधिकारियों, कर्मचारियों तथा श्रमिकों पर भी लागू किया जाएगा जिन मिलों की आर्थिक स्थिति में सुधार आने की अब कोई सम्भावना नहीं है जिन्हें बन्द करना पड़ेगा अथवा साथ की इकाई के साथ जोड़ना पड़ेगा ताकि उनका पुनरुद्धार किया जाए।

एन०टी०सी० के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 532 करोड़ रुपये का आधुनिकीकरण के लिए प्रावधान किया गया है जिसका अधिकांश भाग वित्तीय संस्थाओं द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। 200 करोड़ इस संस्थान को अन्तरिम सहायता के रूप में दिए जाएंगे जिससे कि उपक्रम के पुनरुद्धार योजना के परिणाम आने तक यह संस्थान अपना काम चला सकें। स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना के अंतर्गत लगभग 79 हजार अधिकारी, कर्मचारी एवं मजदूरों के लिए 689 करोड़ रुपये की धनराशि का अगले 3 वर्षों के लिए प्रावधान किया गया है। यह धनराशि नेशनल रिन्यूअल फण्ड के द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना एन०टी०सी० में 1988 से ही लागू है इसमें 17000 के करीब अधिकारी, कर्मचारी एवं मजदूर लाभान्वित हो चुके हैं तथा अभी भी अपनाने के लिए बड़ी संख्या में इच्छुक हैं। धन के अभाव के कारण हम अभी इस योजना को अधिक कारगर रूप से चला नहीं पा रहे थे।

बी०आई०सी० की सूती मिलों के लिए भी आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 29 करोड़ रुपये का आधुनिकीकरण के लिए प्रावधान किया गया है इसके साथ ही 44 करोड़ रुपये अन्तरिम सहायता के रूप में तथा 79 करोड़ रुपये स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना के लिए रखे गए हैं जिससे कि लगभग 6700 अधिकारी, कर्मचारी एवं मजदूर लाभ उठा सकेंगे।

इस पूरी पुनरुद्धार योजना का एक महत्वपूर्ण अंग पुनर्वास फण्ड की स्थापना है यह फण्ड जिसकी राशि 50 करोड़ रुपये रखी गई है उन मजदूरों को फिर से नए सिरे से नए रोजगारों में स्थापित करने के लिए प्रशिक्षण आदि की सुविधाएं प्रदान करेगी।

सरकार ने सिद्धांत रूप से यह भी निर्णय लिया है कि कुछ मिलों की परिस्थितियों को देखते हुए सरकार उसमें अपने पूंजी निवेश को कम करे। इन मिलों का चयन उचित समय पर किया जाएगा। इस निर्णय को कार्यान्वित करने की गति, समय व प्रक्रिया के विषय में कालान्तर में निर्णय लिया जाएगा।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि माननीय सदस्यों तथा हमारे मजदूर संगठनों एवं कामगार भाईयों एवं अन्य सम्बन्धित सभी पक्षों की सहायता और सहयोग से हम इन रुग्ण उपक्रमों को एक स्वस्थ और लाभकारी इकाईयों में परिवर्तित कर सकेंगे।

5.04 म० प०

राष्ट्रीय वस्त्र निगम और ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन के संबंध में परिवर्तित नीति पर मंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य के बारे में

श्री वसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, एन०टी०सी० मिलों की व्यवहार्यता का अध्ययन करने के लिए एक विशेष समिति बनाई गई थी। (व्यवधान)

सभापति महोदय : मैं कोई प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दे रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री वसुदेव आचार्य : महोदय, मैं एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण चाहता हूं (व्यवधान)

सभापति महोदय : हम किसी प्रकार के स्पष्टीकरण की अनुमति नहीं देते।

(व्यवधान)

श्री वसुदेव आचार्य : महोदय, कभी-कभी इसकी अनुमति दी जाती है। (व्यवधान)

सभापति महोदय : हम वक्तव्य दिए जाने के बाद किसी प्रकार के स्पष्टीकरण, कोई प्रश्न या विवरण आदि की अनुमति नहीं देते।

(व्यवधान)

श्री वसुदेव आचार्य : महोदय, ऐसे पूर्वोदाहरण हैं। (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय, आप स्पष्टीकरण मांगने की अनुमति नहीं दे रहे हैं; मैं जानकारी के लिए पूछ रहा हूं। (व्यवधान)

सभापति महोदय : किसी जानकारी, किसी स्पष्टीकरण और किसी प्रश्न की अनुमति नहीं है। आप चर्चा की मांग करें।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : मोहिनी कपड़ा मिल एन०टी०सी० द्वारा चलाई जाती थी···*

सभापति महोदय : अनुमति नहीं है।

(व्यवधान)

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदय : मैं क्या कर सकता हूं ? नियम इसकी अनुमति नहीं देते ।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : मैं किसी प्रश्न की अनुमति नहीं दे रहा हूं ।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री हरि किशोर सिंह (शिवहर) : सभापति महोदय, आप सवाल नहीं पूछने दे रहे हैं, तो ठीक है, लेकिन क्लेरिफिकेशन तो करने दीजिए । (व्यवधान)

श्री वसुदेव आचार्य : एन०टी०सी० के लिए एक सबेट कमेटी बनाई गई है उसकी रिपोर्ट आने तक क्या इंतजार नहीं कर सकते थे ? (व्यवधान)

श्री हरि किशोर सिंह : सभापति महोदय, बम्बई, इन्दौर आदि में कपड़ा मिलें बहुत हैं, वहां से इकट्ठे इतने मजदूरों को निकाला जाएगा, यह क्या है ? (व्यवधान)

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : सभापति जी, 80 हजार मजदूर सड़क पर आ जाएंगे, और आप हमें प्रश्न नहीं पूछने दे रहे हैं ? (व्यवधान)

श्री हरि किशोर सिंह : सभापति जी, यह सब आपके एरिया में है । बम्बई के आसपास ही ज्यादा लोग रहते हैं जिनको बेरोजगार किया जा रहा है । इसलिए आप इस पर बहस की इजाजत दीजिए ।

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : सभापति महोदय, इन 80 हजार लोगों का क्या बनने वाला है ?

श्री नीतीश कुमार : सभापति महोदय, मेरे प्रश्न के उत्तर में कुछ दिन पहले ही सरकार ने कहा था कि अभी निर्णय नहीं लिया है और आज 80 हजार मजदूरों को सड़क पर फेंकने के लिए सरकार का स्टेटमेंट आ गया और आप प्रश्न भी नही पूछने दे रहे हैं ? (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री वसुदेव आचार्य : वे 80,000 श्रमिकों को नौकरी से निकाल रहे हैं (व्यवधान) एन०टी०सी० की व्यवहार्यता के अध्ययन के लिए एक विशेष त्रिदलीय समिति बनाई गई थी । (व्यवधान)

सभापति महोदय : मैं प्रक्रिया जानता हूं (व्यवधान) जब तक यह नियम है, मैं अनुमति नहीं दूंगा ।

(व्यवधान)

श्री वसुदेव आचार्य : अस्सी हजार श्रमिकों को नौकरी से निकाला जा रहा है और आप नियम की बात कर रहे हैं । महोदय, आप चर्चा की अनुमति दीजिए ।

सभापति महोदय : चर्चा की अनुमति दी जाएगी। चर्चा की सूचना दीजिए।

(व्यवधान)

श्री वसुदेव आचार्य : इस रिपोर्ट को किसने तैयार किया है? (व्यवधान) एन० टी० सी० मिलों को व्यवहार्य बनाने के लिए, क्या आप 80,000 श्रमिकों को नौकरी से निकाल रहे हैं?

सभापति महोदय : कृपया बस कीजिए।

श्री वसुदेव आचार्य : ट्रेड यूनियनों से परामर्श क्यों नहीं किया गया? हमें बताया गया था कि विशेष त्रिदलीय समिति के अन्तर्गत कपड़ों के सम्बन्ध में एक उप-समिति गठित की गई है। और इस उप-समिति को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है। उससे पहले उन्होंने यह वक्तव्य क्यों दिया कि 80,000 श्रमिकों को नौकरी से निकाल दीजिए।

सभापति महोदय : यह ठीक है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : मैं, अब इसके आगे अनुमति नहीं दूंगा।

श्री वसुदेव आचार्य : आप अनुमति क्यों नहीं दे रहे हैं?

सभापति महोदय : नियम के कारण।

श्री वसुदेव आचार्य : इसके पूर्वोदाहरण हैं। (व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री सईद, कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री वसुदेव आचार्य : आप इस पर चर्चा करने की अनुमति दीजिए।

सभापति महोदय : चर्चा करने की अनुमति दी जाएगी।

श्री वसुदेव आचार्य : उन्होंने इन 80,000 श्रमिकों को नौकरी से निकालने की योजना बनाई है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : मैं आपसे सहमत हूं कि चर्चा की जानी चाहिए क्योंकि मेरा निर्वाचन क्षेत्र भी प्रभावित है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : जब 80,000 श्रमिकों का भविष्य खतरे में है और इसमें बहुत से उद्यम भी इससे सम्बद्ध हैं तो क्या मन्त्री जी एक या दो मुद्दों पर जानकारी नहीं दे सकते।

सभापति महोदय : जी, नहीं। मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं।

श्री वसुदेव आचार्य : क्योंकि आप पीठासीन, आपको अनुमति देनी चाहिए और आपने कुछ दिन पूर्व कपड़ा श्रमिकों की समस्याएं उठाई थीं।

सभापति महोदय : हम एक अन्य पूर्वोदाहरण नहीं रखना चाहते।

श्री वसुदेव आचार्य : क्योंकि आप पीठासीन हैं अतः आपको अनुमति देनी चाहिए।

सभापति महोदय : मुझे आपसे सहानुभूति है लेकिन मैं अनुमति नहीं दे सकता।

(व्यवधान)

श्री वसुदेव आचार्य : यह आपके निर्वाचन क्षेत्र में भी सम्बद्ध है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : इस देश में मानव जीवन का कोई मूल्य नहीं है। संसद एक स्फिन्क्स की तरह नहीं बैठ सकती। हम इन नियमों का आंख मूंद कर पालन करने नहीं आए हैं। इससे क्या होगा? हम उनको उत्तर कैसे दें? इससे निपटने का यह तरीका नहीं है (व्यवधान) इस देश में मानव जीवन का कोई अर्थ नहीं है। नौकरियों का कोई अर्थ नहीं है। (व्यवधान)

श्री वसुदेव आचार्य : दिल्ली में जब बैंक डकैती की घटना हुई थी, गृह मन्त्री जी ने वक्तव्य दिया था और हमें प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई थी। (व्यवधान)

सभापति महोदय : अनुमति नहीं दी है।

श्री वसुदेव आचार्य : ऐसे पूर्वोदाहरण हैं। आप याद कर सकते हैं। (व्यवधान)

श्री वसुदेव आचार्य : हम जानना चाहते हैं कि यह रिपोर्ट किसने तैयार की है···(व्यवधान)··· श्रम मन्त्री श्री संगमा ने हमें बताया है···(व्यवधान)

[हिन्दी]

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : सभापति महोदय, आप तो खुद भी मजदूरों से जुड़े हुए हैं और आपको सब समस्या की जानकारी है। जो स्टेटमैंट मैंने दिया है उसमें कहीं पर ऐसा नहीं है कि हम 80 हजार मजदूरों को घर बिठा रहे हैं, रिट्रैंच कर रहे हैं। हमने कहा है कि हमने वोलंट्री रिटायरमैंट स्कीम के अन्तर्गत प्रोवीजन किया है। यह कोई नई बात नहीं है···(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : इस तरह चिल्लाने के बजाय चर्चा के लिए क्यों नहीं मांग करते?

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया चर्चा के लिए मांग करें मैं भी इसमें हिस्सा लूंगा।

(व्यवधान)

श्री वसुदेव आचार्य : आप उप-समिति की रिपोर्ट का इन्तजार क्यों नहीं कर सकते?

सभापति महोदय : इस तरह नहीं। आप चर्चा के लिए सूचना दीजिए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : हमें नियमों के अनुसार चलना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री वसुदेव आचार्य : महोदय, उप-समिति मामले पर विचार कर रही है। लेकिन अचानक कपड़ा मंत्री ने वक्तव्य में कहा है कि 80,000 श्रमिकों को नौकरी से निकाला जाएगा।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाइए। आपने काफी विरोध कर लिया है। अब आगे कार्यवाही करने दीजिए।

(व्यवधान)

श्री वसुदेव आचार्य : महोदय, कुछ दिन पहले आपने भी एक अनुपूरक प्रश्न पूछा था। अतः आपको यह भी याद होगा उस दिन मन्त्री ने क्या कहा था। हम कपड़ा मन्त्री से यह आशा नहीं कर सकते।

सभापति महोदय : कृपया चर्चा के लिए एक सूचना दीजिए।

श्री वसुदेव आचार्य : तब उप-समिति क्यों गठित की गई है ? विशेष त्रिदलीय समिति क्यों बनाई गई है ? वे क्या कर रहे हैं ? (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : सरकार की कथनी और करनी में अन्तर है।...

(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र सिंह (मीर्जापुर) : श्रम मन्त्री ने इस सदन में बयान दिया था कि किसी भी कर्मचारी को निकाला नहीं जाएगा। एक ही सरकार के दो मन्त्री दो तरह के बयान दे रहे हैं। सदन को गुमराह किया जा रहा है। ...(व्यवधान)

श्री नीतीश कुमार : पिछले सप्ताह मेरा प्रश्न था। उसके उत्तर में श्रम मन्त्री ने कहा कि अभी ट्राईपारटाइट कमेटी किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। अभी सिर्फ आल इण्डिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने अपनी राय दी है। सैन्ट्रल ट्रेड यूनियन औरगनाईजेशन अपनी राय देने वाले हैं। मजदूर संगठन को बगैर विश्वास में लिए इतनी भारी संख्या में लोगों को निकाला जा रहा है...

[अनुवाद]

श्री वसुदेव आचार्य : हाल ही में, श्रम मन्त्री ने अपने अनुपूरक उत्तर में स्पष्ट बताया था कि एन० टी० सी० मिलों की व्यवहार्यता का अध्ययन करने के लिए विशेष त्रिदलीय समिति के अन्तर्गत एक उप-समिति गठित की गई है और आज, कपड़ा मन्त्री ने वक्तव्य में बताया है कि 80,000 श्रमिकों को नौकरी से निकाला जा रहा है। (व्यवधान)

सभापति महोदय : मेरे विचार से यह पर्याप्त है।

(व्यवधान)

श्री मनोरंजन भक्त (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह) : इस सरकार को बदनाम करने का प्रयास न कीजिए।

सभापति महोदय : अब हमें आगे कार्यवाही करने दीजिए। श्री मुमताज अंसारी।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, यह सरकार किस तरह कार्य करती है ? कार्य सूची में ऐसा कोई संकेत नहीं है कि आज वक्तव्य दिया जाएगा। और पांच बजे अचानक वक्तव्य आ रहा है। दूसरी तरफ, यह सूचना थी कि त्रिदलीय समिति द्वारा इस पर विचार किया जाएगा और यह भी कि केन्द्रीय ट्रेड यूनियन से भी इस मामले पर सलाह करनी चाहिए। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। अचानक पीठासीन अधिकारी ने वक्तव्य देने की अनुमति दे दी है और वक्तव्य हमारे सामने है जिसमें हजारों श्रमिकों का भविष्य जुड़ा है। क्या सरकार का कार्य करने का यह तरीका है ? (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : सभापति महोदय, मेरा पाइंट आफ आर्डर है। हमें आज का एजेंडा मिला है उसमें स्टेटमेंट के बारे में कहीं पर भी कुछ नहीं है। हमें पता नहीं है कि इन्होंने स्टेटमैंट देना है, हम पहले से लिखकर भेजते। रूल्स के अनुसार मिनिस्टर को जो स्टेटमेंट देना है वे पहले स्पीकर को लिखकर देंगे···(व्यवधान)

क्या आपके पास लिख कर वह स्टेटमेंट आया है या नहीं और क्या आपने उनके बयान को देख लिया है ? (व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : यह अध्यक्ष महोदय का आदेश है। अध्यक्ष महोदय ने इसकी अनुमति दी है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : लेकिन कोई अनुपूरक सूची नहीं है।

सभापति महोदय : मैं अध्यक्ष महोदय द्वारा दी गई आज्ञा का पालन करने के लिए बाध्य हूं और अध्यक्ष महोदय ने इसकी अनुमति दी है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : हमें इसकी सूचना नहीं दी गई है। अनुपूरक कार्य सूची भी परिचालित नहीं की गई है।

श्री बसुदेव आचार्य : कृपया इस सदन की इस तरह से उपेक्षा न कीजिए। सरकार इस सदन की बहुत कम प्रतिष्ठा करती है। हम मांग करते हैं कि मन्त्री जी वक्तव्य को वापिस लें।

श्री सुदर्शन राय चौधरी (सीरमपुर) : यह वक्तव्य अवैध है। पिछले सप्ताह ही श्रम मन्त्री ने

बताया था कि निर्णय लेने से पहले केन्द्रीय ट्रेड यूनियन नेताओं के विचारों का पता लगाना होगा।

(व्यवधान)

श्री वसुदेव आचार्य : मन्त्री जी को वक्तव्य वापिस लेना चाहिए। अनुपूरक कार्य सूची कहां है ?

श्री सुदर्शन रायचौधुरी : कपड़ा मन्त्री द्वारा दिया गया वक्तव्य श्रम मन्त्री द्वारा दिए गए आश्वासनों के विरुद्ध है। इसके अतिरिक्त यह समाचार आज के इकोनोमिक्स टाइमस में छप चुका है। मन्त्री जी ने यह समाचार प्रेस को दे दिया है। (व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया शांत रहिये। अब आप क्या चाहते हैं ?

श्री वसुदेव आचार्य : महोदय, आप कृपया सारा वक्तव्य कार्यवाही वृतांत से निकाल दीजिए। हम सदन में तब तक कार्यवाही नहीं चलने देंगे जब तक वक्तव्य वापिस नहीं ले लिया जाता।

(व्यवधान)

शुक्रवार को वित्त मन्त्रीजी यहां उपस्थित थे। हम उनसे मिले थे और उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि किसी रुग्ण उद्योग या मिल को बन्द नहीं किया जायेगा। उन्होंने हमें बताया है कि वे विशेष त्रिपक्षीय समिति की सिफारिशों के लिए इन्तजार करेंगे। राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलों की अर्थक्षमता की अध्ययन हेतु एक विशेष त्रिपक्षीय समिति का गठन किया गया था। उस समिति की रिपोर्ट की प्रतीक्षा किए बगैर ही सरकार ने इस मिल को बन्द कर देने की आदेश कैसे जारी कर दी ? करीब 80,000 कामगारों की नौकरी छिन गयी है। (व्यवधान)

श्री वसुदेव आचार्य : सरकार उस विशेष त्रिपक्षीय समिति की रिपोर्ट की प्रतीक्षा क्यों नहीं कर सकी ? (व्यवधान)

[हिन्दी]

डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय (मंदसौर) : सभापति जी, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बार-बार कहा गया कि एन०टी०सी० की हालत सुधारी जाए, उन्हें ठीक किया जाए। वह ठीक तो हुई नहीं, उन्हें बन्द कर दिया गया। यह ठीक नहीं है। लगभग अस्सी हजार कर्मचारियों के भविष्य का प्रश्न है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : सदन पन्द्रह मिनटों के लिए स्थगित की जाती है।

5.21 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा 5.36 म०प० तक के लिए स्थगित हुई।

5.40 म० प०

लोक सभा 5.40 म० प० पर पुन: समवेत हुई ।

[श्री शरद दिघे पीठासीन हुए ।]

सभापति महोदय : माननीय अध्यक्ष इस पर यथासंभव जल्दी ही बहस करवाने की अनुमति देने पर सहमत हो गए हैं । इस पर कल कार्यमंत्रणा समिति में निर्णय लिया जाएगा ।

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : कल कार्य-मंत्रणा समिति में इस पर विचार किया जाएगा और साथ ही बहस का समय भी नियत कर दिया जाएगा ।

श्री तरित बरण तोपदार (बैरकपुर) : तब तक उस वक्तव्य का क्या होगा ?

श्री बसुदेव आचार्य : इसे अभी तैयार किया जाना शेष है ।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य (जादवपुर) : मैं आशा करती हूं कि सरकार सोमवार से पहले आदेश जारी नहीं कर रही है ।

सभापति महोदय : यह एक लम्बी प्रक्रिया है ।

श्री गुलाम नबी आजाद : यह एक ऐच्छिक योजना है जिसकी अवधि तीन साल की है । अत: मैं नहीं समझता हूं कि इस बारे में किसी की इतनी दिलचस्पी क्यों है । (व्यवधान)

सभापति महोदय : हम अभी इस पर बहस क्यों करें ?

श्री गुलाम नबी आजाद : आप मुझे क्षमा करेंगे । हमने इस पर बहस कराने का पहले ही निर्णय ले लिया है । लेकिन अभी ही बहस कराई जाए, इसका कोई कारण नहीं है ।

सभापति महोदय : कृपया अभी से इस पर बहस शुरू नहीं कर दें अन्यथा इसमें आगे और भी दिक्कत आ जाएंगे ।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : नहीं । आदेश भेजा जाना चाहिए ।

5.42 म० प०

जम्मू-कश्मीर के सम्बन्ध में की गई उद्घोषणा को जारी रखने का अनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प

और

अनुदानों की मांगें (जम्मू-कश्मीर), 1992-93

श्री मुमताज अंसारी (कोडरमा) : सभापति महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आप मेरा नाम ऐसे समय में बार-बार ले रहे हैं जब सदन में बहुत ज्यादा उत्तेजना है । ऐसा लग रहा है मानो कि

जम्मू और कश्मीर में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने के सम्बन्ध में संकल्प जिसे सदन के समक्ष उसकी मंजूरी हेतु प्रस्तुत किया गया है, से तूफान उठ खड़ा हुआ है। इस विधेयक के प्रस्तुत होने से पूरा सदन बहुत ज्यादा उद्वेलित एवं बाधित हो गया है।

अपने दिमाग में अनेक डगमगाहटें, शंकाएं एवं हिचकिचाहटें होने के बावजूद भी मैं भारी मन से इस विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है। इस विधेयक का समर्थन करने के अलावा कोई अन्य विकल्प भी नहीं है। लेकिन महोदय साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जम्मू और कश्मीर जिसे पहले पृथ्वी का स्वर्ग माना जाता था, आज देश का वही भाग आतंकवादी गतिविधियों, अशांत वातावरण एवं अशांत स्थिति के फलस्वरूप बहुत ही ज्यादा उपद्रवी और अशान्त क्षेत्र है।

महोदय, वहां की स्थिति से सभी भयभीत हैं। पर्यटक भी वहां की स्थिति से डरते हैं। वहां जाने वाले व्यक्ति तथा उस प्रदेश में निवास करने वाले निर्दोष लोग वहां बहुत ही भयभीत रहते हैं। देश के उस भाग में उत्पन्न स्थिति से लोग बहुत डरे हुए हैं। विदेशी मुद्रा जोकि उस क्षेत्र की आय का मुख्य स्रोत थी काफी कम हो गयी है बल्कि खाली सी हो गयी है। वह अब शून्य पर पहुंच चुकी है। यह एक बहुत ही गंभीर स्थिति है। लेकिन अब एक प्रश्न उठता है कि उस भाग में व्याप्त इस दुखद स्थिति के लिये जिम्मेदार कौन है? यह बात मैं माननीय गृह मंत्री से पूछना चाहता हूं। अब चूंकि वह भी सोच विचार करने के बाद इस बात को समझ चुके हैं कि वहां चुनाव करवाने में क्या उलझनें हैं। 6 मई को जब उन्होंने उस प्रदेश में चुनाव करवाने की घोषणा की, उसी दिन वहां एक घटना घटी जिसमें श्री पायलट की जान लेने की कोशिश की गई। यह एक विडम्बनापूर्ण स्थिति है और सरकार क्या करे क्या न करे की उलझन-पूर्ण स्थिति में है। सरकार दुविधा की मनःस्थिति में है। वहां ऐसी स्थिति इसलिए है कि सरकार का दृष्टिकोण साफ नहीं है कि इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए जाने चाहिए। महोदय, मैं यह स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि उस प्रदेश की ऐसी हालत के लिए कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार माना जाना चाहिए जिसने वहां की फारुक अब्दुल्ला की नेतृत्व वाली लोक प्रिय सरकार को अस्थिर करके बर्खास्त कर दिया था और उसकी जगह एक कठपुतली सरकार की स्थापना की थी। (व्यवधान) मुझे कहना चाहिए जैसा कि मेरे मित्र यहां कह रहे हैं और वस्तुस्थिति भी यही है कि वह एक कट्टरपंथी सरकार थी और यह बात कांग्रेस शासन द्वारा श्री फारुख अब्दुल्ला की लोकप्रिय सरकार को अस्थिर और हटा देने के बाद होने वाली घटनाओं और आंकड़ों से भी सिद्ध होता है। (व्यवधान)

श्री गुलाम नबी आजाद : जब श्री फारुख अब्दुल्ला हटाये गये थे, उस समय हम विपक्ष में थे।

(व्यवधान)

श्री मुमताज अंसारी : वह तो उस समस्या का एक माध्यम था। (व्यवधान) कांग्रेस सरकार को इसलिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए क्योंकि उसने श्री फारुख अब्दुल्ला की लोकप्रिय सरकार को बर्खास्त करके एक कठपुतली सरकार की स्थापना कर दी थी।

उसके बाद, 18 जुलाई, 1990 वहां राष्ट्रपति शासन लागू किया गया और तब से सरकार वहां राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाती रही है। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं और कोई दूसरा विकल्प है भी नहीं। साथ ही मैं देश की सरकार एवं माननीय गृह मन्त्री से लोकतांत्रिकरण, सत्ता को विकेन्द्री-

करण और सामान्य स्थिति बहाल करने की खातिर उस प्रदेश में सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं को पुनः बहाल करने की अपील करता हूं। अगर सारी लोकतांत्रिक संस्थाओं को उस प्रदेश में बहाल नहीं किया जाता है और सत्ता का विकेन्द्रीकरण नहीं किया जाता है तो वहां सामान्य स्थिति बहाल करने की बात सोची भी नहीं जा सकती है जैसाकि उस तरफ बैठे हमारे दोस्त सोच रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के हमारे माननीय दोस्त श्री रमेश चेन्नितला ने कहा है कि वहां की स्थिति में सुधार हो रहा है; यह सुधार उनके दिल और दिमाग में भले ही हो रहा हो, उस राज्य में कोई सुधार नहीं हो रहा है।

इस संदर्भ में मैं कुछेक उदाहरण देना चाहूंगा। 5 मई को बी०एस०एफ०, जोकि एक अर्द्धसैनिक बिग है, के उपमहानिरीक्षक, महानिरीक्षक एवं अन्य उच्च अधिकारी आतंकवादियों और उनके ठिकानों से बरामद वस्तुओं के दुरुपयोग एवं गबन करने में लिप्त पाए गए हैं, वे सभी लूट के माल में अपना हिस्सा प्राप्त करते थे। मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उसने उस मामले के सम्बन्ध में जांच-समिति गठित कर दी है और उन उच्चाधिकारियों को उन संवेदनशील स्थानों से हटा भी दिया है। तो वहां की स्थिति यह है। राज्य-कार्य सर्वोच्च पद पर आसीन ऐसे उच्च अधिकारियों द्वारा अपने शक्ति का ऐसा दुरुपयोग और सारी चीजों का गलत तरीके से संचालन से ही स्पष्ट है कि केन्द्र सरकार किस प्रकार अपने कार्य को संभाल रही है। वहां की स्थिति में सुधार नहीं होने जा रहा है बल्कि वहां स्थिति और बिगड़ेगी।

मैं स्पष्ट तौर पर यह कहना चाहता हूं कि 6 मई को माननीय गृह मन्त्री ने यह घोषणा की थी कि वहां चुनाव करवाये जाएंगे लेकिन अब उन्हें जानकारी मिल गई है और उन्होंने अब स्वयं ही बयान दिया है कि ऐसे वातावरण में चुनाव नहीं कराये जा सकते हैं। मैं उन्हें इसके लिए धन्यवाद देता हूं लेकिन साथ ही मैं यह कहना चाहता हूं कि जब तक सभी आतंकवादी और उग्रवादी ग्रुप से सरकार बातचीत नहीं करेगी उस राज्य की स्थिति में सुधार नहीं आ सकती है और शांति बहाल नहीं की जा सकती है तथा चुनाव के बारे में बात करना भी निरर्थक है।

इस विधेयक पर अभी कुछ देर पहले बोलते हुए मेरे कुछ दोस्तों ने कहा है कि वहां चुनाव करवाने का यही उपयुक्त एवं उचित समय है, उनसे मेरा मत भिन्न है। चुनाव जरूरी है और सैनिक शासन हमेशा के लिए चलने नहीं दिया जा सकता है। हम अपने पड़ोसी देशों जैसे पाकिस्तान, बंगलादेश, नेपाल आदि से सबक ले सकते हैं जहां सैनिक शासन ताश के पत्तों की भांति ढह गए और उन देशों को लोकतांत्रिक घोषित करना पड़ा। उसी तरह से देश के उस भाग में सैनिक या पुलिस शासन को लगातार जारी रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती। लोगों की स्थिति भी नहीं सुधर रही है। लोग बहुत अशांत हैं। पुलिस और सैन्य कार्यवाही से लोग परेशान हैं। सैन्य कार्यवाही निष्पक्ष नहीं है। सैन्य कार्यवाही अन्धाधुन्ध की जा रही है और यह अत्यधिक एकतरफा हो जाती है। कभी-कभी निर्दोष लोगों को परेशानी और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसी कारण इस राज्य में आप जितनी जल्दी लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाल करेंगे और शक्तियों का विकेन्द्रीकरण करेंगे, उतनी ही जल्दी वहां रह रहे लोगों का जीवन बेहतर होगा।

इसी प्रकार, मैं कहता हूं कि शांतिपूर्ण राजनैतिक माहौल के लिए स्थिति बनाई जाए और ऐसा माननीय गृह मन्त्री और केन्द्र सरकार को करना चाहिए। उदाहरण के तौर पर मेरा सुझाव है कि कुछ सांसदों का शिष्टमंडल राज्य के उस भाग में भेजा जाए और यह शिष्टमंडल मौके पर जाकर जांच करे,

समस्या का विस्तृत ब्यौरा ले। वहां पर सभी पहलुओं पर गौर करे और वे एक निष्कर्ष पर पहुंचें तथा इस सभा को बहुमूल्य सुझाव दें।

इसी प्रकार जो लोग परेशान हुए हैं अथवा जिन्हें जेलों में बन्द कर दिया गया था या जो मारे गए या जिनकी सम्पत्ति नष्ट हो गयी, उनके लिए कोई मुआवजा देने का तरीका अपनाया जाए जो केन्द्र सरकार को स्वीकार हो और पीड़ित व्यक्तियों को पर्याप्त मुआवजा दिया जाए।

जहां तक अनुच्छेद 370 का संबंध है, लोगों ने प्राय: इस अनुच्छेद को शक की निगाह से देखा है। लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि देश के इस भाग को यह विशेष दर्जा विशेष परिस्थितियों में दिया गया था जो विभाजन के समय वहां उत्पन्न हुई थी। यह दर्जा एक समझौते के तहत था जोकि स्वर्गीय श्री अब्दुल्ला और यहां दिल्ली में केन्द्र सरकार के बीच हुआ था। इसलिए मेरा सुझाव है कि हम अनुच्छेद 370 को भी बनाए रखें और इस बारे में घाटी के लोगों में कोई सन्देह या भ्रम नहीं होना चाहिए।

जैसाकि श्री मदन लाल खुराना ने कुछ उदाहरण दिए हैं कि आप घाटी के लोगों के विकास और सुधार तथा कल्याण के लिए काफी धनराशि का बजट में प्रावधान कर रहे हैं। उन्होंने यह भी स्पष्टत: स्वीकार किया है कि विशिष्ट व्यक्ति और नौकरशाही और शासक इन राशियों को डकार रहे हैं। इसलिए स्वाभाविक है कि क्षेत्रीय और स्वायत्त निकायों को कुछ शक्ति दी जाए।

अन्तत: लोकतन्त्रीकरण के लिए कुछ कदम उठाए जाएं क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था का कोई विकल्प नहीं है। पुलिस शासन, सैन्य शासन राष्ट्रपति शासन को हमेशा ही जारी नहीं रखा जा सकता। इसीलिए गृह मन्त्री इस पर विचार करें कि यह कदम तथा राष्ट्रपति शासन बढ़ाने के लिए सभा से की गई यह अपील अन्तिम कदम हों और इसके बाद आतंकवादियों और उग्रवादी संगठनों तथा केन्द्र सरकार के प्रमुख व्यक्तियों के बीच शांतिपूर्ण बातचीत शुरू की जाएं। एक बार लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया में विलंब हो गया तो स्थिति अनियंत्रित हो जाएगी और यह आपके नियंत्रण से बाहर हो जाएगी। स्थिति बिगड़ने के बाद और कुछ सीमाओं के बाद आप नियंत्रण नहीं रख सकते।

मेरी अपील है कि कुछ सुधारात्मक उपाय भी किए जाने चाहिए और देश के इस भाग में रह रहे लोगों के विकास और उत्थान के लिए सरकार कुछ ठोस विकासात्मक कदम उठाए।

मेरा नम्र निवेदन है कि वहां पर लोगों को परेशान किया जाता है, उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ रही है, फलों की बिक्री नहीं हो रही और इस प्रकार विदेशी मुद्रा प्राप्त नहीं हो रही है, जरूरतमंद लोगों को आमदनी नहीं हो रही।

विकास के लाभ दलितों और घाटी में अधिक ऊंचाई पर रह रहे लोगों, पहाड़ों पर रह रहे लोगों को नहीं मिल रहे हैं। उन्हें इन लाभों की अत्यधिक आवश्यकता होती है। ये लाभ इन दलितों को नहीं मिल रहे हैं।

मैं केन्द्र सरकार से अपील करता हूं कि सरकार राज्य के इस भाग के दैनिक खर्चे पूरे करने के लिए 3070 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान करके राशि मांग रही है, उसे उचित रूप से कम किया जाए। यह सही बात है और इसे राज्य की संचित निधि से खर्चा जाए। मैं इस बारे में विवाद नहीं कर

रहा लेकिन सरकार यह सुनिश्चित करे कि जो राशि खर्च की जा रही है वह लोगों के जीवन स्तर में सुधार पर खर्च की जाए। जरूरतमंद लोगों, वास्तविक लाभार्थियों, दलितों और घाटी के इस भाग में रह रहे गरीब लोगों को लाभ मिले।

दूसरा, मैं गृह मन्त्री से अनुरोध करता हूं कि इस अत्यधिक गड़बड़ी और परेशानी के कारण घाटी के इस भाग से जो लोग आ रहे हैं, केन्द्र सरकार जाति या रंग का भेदभाव किए बगैर उनकी उचित देखभाल करे। लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाए और जाति, रंग के आधार पर भेद-भाव न किया जाए। घाटी से जम्मू में आ रहे लोग टैंटों में अत्यधिक भीड़ में रह रहे हैं। केन्द्र सरकार उनके कल्याण और देखभाल पर कार्यवाही करे और उन्हें उचित समय पर उचित राहत मिलनी चाहिए।

मैं यह भी कहता हूं कि कुछ विकास योजनाएं शुरू की जाएं और सरकार उन पर ध्यान दे। क्योंकि विकास योजनाओं को कार्यान्वित किए बगैर कुछ नहीं होगा। घाटी के उस भाग में रहने वाले सभी लोगों को उग्रवादी न माना जाए। उन सबको विद्रोही नहीं माना जा सकता। वे सब शांति भंग करने वाले नहीं हो सकते। बल्कि वहां पर रह रहे 90 प्रतिशत लोग शांति चाहते हैं और भारत के साथ रहना चाहते हैं।

कश्मीर का मुद्दा यूं ही छोड़ा नहीं जा सकता। यह अन्तिम रूप से घोषित किया जा चुका है कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और धरती पर कोई शक्ति कश्मीर घाटी के इस दर्जे को नहीं बदल सकती।

इसलिए, गृह मन्त्री से मेरा नम्र निवेदन है कि कुछ विकासात्मक उपाय किए जाएं और कश्मीरियों की दशा सुधारी जाए। कृषि कार्य पुन: चलाए जाएं। घाटी के उस भाग में उचित औद्योगीकरण हो। शैक्षिक तथा साक्षरता मिशन की योजनाओं को पूर्ण रूप से कार्यान्वित किया जाए।

उग्रवाद और विद्रोह में शामिल सभी लोगों को वार्ता हेतु बुलाया जाना चाहिए और वार्ता के दौरान शांति कायम रखी जाए। मुझे आशा की किरण नजर आती है कि एक दिन हम राज्य के इस भाग में शांति कायम करने की स्थिति में होंगे। एक बार हम शांति कायम कर लें तो हम वहां चुनाव करवा सकते हैं। हम चुनावों से कभी नहीं डरते। हमारी पार्टी चुनावों से कभी नहीं डरती। सभी विपक्षी दल भी चुनाव का स्वागत करते हैं। मुझे विश्वास है कि सत्ताधारी दल भी लोकतंत्रीकरण और चुनाव करवाने का इच्छुक है। लेकिन पंजाब की तरह फर्जी चुनाव न हों। पंजाब में जो चुनाव हुए उन्हें चुनाव नहीं कहा जा सकता और हमें इस पर शर्मिन्दगी है। कश्मीर में भी ऐसे चुनाव न कराए जाएं।

हर कोई जानता है, हम और आप भी जानते हैं कि कुछ सैन्य दबाव के तहत पंजाब में चुनाव हुए। इसलिए घाटी में भी ऐसा कार्य न कराया जाए। स्वतन्त्र और निष्पक्ष चुनाव हों। हम इसका स्वागत करते हैं। पहले हमें सामान्य स्थिति, शांति कायम करने का प्रयास करना चाहिए। फिर हम चुनाव करवा सकते हैं। हम इस उपाय का स्वागत करते हैं। हम ऐसे कदमों का स्वागत करते हैं। हम इनका स्वागत करते हैं और आपको अपना पूर्ण समर्थन देंगे।

6.00 म० प०

लेकिन चुनाव करवाने से पूर्व आपको ये सभी उपाय करने होंगे जिनका मैंने उल्लेख किया है।

सभापति महोदय : क्या हम सभा का समय बढ़ा रहे हैं ?

श्री पवन कुमार बंसल (चण्डीगढ़) : महोदय, सुबह विभिन्न पार्टियों के सचेतकों की बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि लम्बित कार्य की लम्बी सूची को इस सत्र के शेष तीन या चार दिनों में पूरा करना है, हम 8·00 म० प० तक बैठेंगे। इसलिए सभा का समय दो घंटे बढ़ा देते हैं।

सभापति महोदय : अब सभा का समय 8 बजे तक बढ़ाया जाता है। श्री मसूदल हुसैन।

[हिन्दी]

श्री सैयद मसूदल हुसैन (मुर्शिदाबाद) : माननीय सभापति जी, ऐसे विषय पर बहस हो रही है जिसमें उसूली तौर पर मेरी पार्टी और मैं इसका समर्थन नहीं कर सकते हैं। आज जो वहां हालत बिगड़ी है उसकी जिम्मेदारी इस सरकार पर और पार्टी पर है। देश हित में हमें अपने उसूलों के बाहर जाकर भी आपका समर्थन करना पड़ता है। आर्टिकल 356 के हम खिलाफ हैं। आप राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने के लिए यहां आए हैं। इस हालत को देखते हुए हम इसका समर्थन कर रहे हैं। एक तरफ जो आप प्रोक्लेमेशन का समय बढ़ाना चाहते हैं दूसरी तरफ आपकी नीयत चुनाव पर है। आप जम्मू-कश्मीर में चुनाव भी कराना चाहते हैं, लेकिन अभी जो मौजूदा हालत है कश्मीर में उसमें चुनाव कराएंगे तो शायद इससे भी ज्यादा खतरनाक स्थिति हो सकती है। मिलीटेंट्स अगर चुनाव का बहिष्कार करेंगे तो एक-दो प्रतिशत से ही लोग चुनकर आएंगे और जो नुमाइंदे चुनकर आएंगे यह उनकी तो सरकार होगी, लेकिन जनता की सरकार नहीं होगी। अगर मिलीटेंट्स चुनाव में शिरकत करेंगे तो वे बन्दूक की नोक पर 90 प्रतिशत वोट ले आएंगे और कश्मीर की सारी तथा जम्मू की आठ सीटें ले जायेंगे, इससे उनका घाटी पर कब्जा हो जाएगा। मैं समझता हूं जो अभी राजनैतिक स्थिति है उस हालत में आप चुनाव न करायें।

आप कहते हैं कि हालत में सुधार आया है। मैं पुरानी बात नहीं कहना चाहता हूं, वरना गुलाम नबी जी नाराज हो जायेंगे। जो फारुक अब्दुल्ला की सरकार थी उसको हटाने के बाद गुल मोहम्मद को आपने बैठाया तो उन्होंने गुल नहीं खिलाये, पूरी घाटी में कांटे बो दिए। जितने भी उनके जमायत इस्लामी के लोग थे उनको पुलिस और प्रशासन में दाखिल कराया। उसका नतीजा हमें भुगतना पड़ रहा है। आप इसको मानें या न मानें, लेकिन यह हकीकत है। आप भले ही नाराज हो जायें, लेकिन मैं बोलने को मजबूर हूं कि अगर गुल मोहम्मद कश्मीर में राज न संभालते तो कश्मीर घाटी में इतनी बुरी हालत नहीं होती। अब आप कहते हैं कि कश्मीर घाटी की हालत सुधरी है। कितनी सुधरी है वह मैं आपको बताना चाहता हूं। आपका पोलिटिकल प्रोसैस कितना कामयाब हुआ है या हो रहा है, वह भी मैं आपको एक-एक कर बताना चाहता हूं।

पहली बात मैं फूड से शुरू करूंगा। इनसान की जिंदगी के लिए फूड सबसे जरूरी है। आप जानते हैं वैली में फूड प्रोडक्शन का क्या ग्रोथ है। सेंट्रल पूल से जो फूड वहां जाता था उससे पता चलता है कितनी हालत सुधरी है। 1988 में जो आपने चावल और गेहूं का एलोकेशन किया था, वह था 4 लाख 52 हजार मैट्रिक टन, 1989 में उस एलोकेशन को बढ़ाकर आपने किया 4 लाख 92 हजार मैट्रिक टन,

1990 में उसे और बढ़ाकर किया 6 लाख 60 हजार मैट्रिक टन तथा 1991 में आपने एलोकेशन किया 5 लाख 17 हजार मैट्रिक टन। यानी आपने कुल एलोकेशन जो बढ़ाया, वह था एक लाख 8 हजार मैट्रिक टन लेकिन उसका लिफ्टिंग क्या हुआ, उसकी फीगर्स इस प्रकार हैं—1988 में 7 लाख 71 हजार मैट्रिक टन, 1989 में यह घटकर हो गया 3 लाख 69 हजार मैट्रिक टन, 1990 में यह और भी घटकर हो गया 2 लाख 75 हजार मैट्रिक टन तथा 1991 में यह और घटकर 2 लाख 46 हजार मैट्रिक टन रह गया—यानी आफ-टेक 4 सालों में घटा 2 लाख 25 हजार मैट्रिक टन, दूसरे शब्दों में 50 प्रतिशत आपका आफ-टेक घटा है।

इसमें दो बातें पैदा होती हैं—पहले तो वैली में, जहां ज्यादा लोग बसते हैं, वहां एफ० सी० आई० के गोदामों तक आपका माल नहीं पहुंच पा रहा है और दूसरी बात है कि वहां के लोगों की माली हालत इतनी खराब है कि जो भी माल यहां से जाता है, वे लोग उसे खरीद नहीं पा रहे हैं और मैं समझता हूं कि दोनों स्थितियां सही हैं। राशन में आपका जो माल वहां पहुंच रहा है, पहले तो वह वैली तक पहुंचता ही नहीं है, जम्मू तक ही थोड़ा-बहुत पहुंचता है वैली तक नहीं जा पा रहा है और जो भी जा रहा है, उसे खरीदने की शक्ति वहां के लोगों में नहीं है और यह हकीकत है।

सेब के बारे, सेब के मौसम में मैंने खुद देखा है, मैं गया था, अनन्तनाग जिले में, एक रुपए किलो सेब को खरीदने वाला वहां कोई नहीं था। अखरोट का यह हाल है कि 4 रुपए में 100 अखरोट गिनती में मिल रहे हैं जिनकी कीमत यहां दिल्ली में कम से कम 60 रुपए के लगभग होगी। तात्पर्य यह है कि उनके यहां जो चीजें पैदा हो रही हैं, पहले तो उनकी मार्केटिंग की प्रौपर व्यवस्था आपने कोई नहीं की है आज भी कोई इन्तजाम नहीं है। वहां का हेंडीक्राफ्ट काफी मशहूर है लेकिन आज उसकी हालत पूरी बर्बाद हो रही है। गए साल से टूरिज्म बिल्कुल खत्म है। उसका इलाज भी मैं बता रहा हूं।

यह तो मैंने फूड और फ्रूट्स का हाल आपको बताया, इसके अलावा क्या आपको मालूम है कि वहां के फोरेस्ट या जंगल को काटकर वहां के ठेकेदार लोग खत्म कर रहे हैं और आपकी तरफ से जो भी पैसा वहां जा रहा है, उस पैसे का क्या हाल है--डैवलपमेंट के लिए जितना पैसा आपने यहां से भेजा, उस डैवलपमैंट का कान्ट्रैक्ट किसने लिया, क्या आपको जानकारी है, क्या आप बता सकते हैं—पूरे मिलिटैंट ग्रुप के हाथ में वह कान्ट्रैक्ट है। पूरा कान्ट्रैक्ट मिलिटैंट ग्रुप ने लिया है और कोई काम नहीं हो रहा है। उसे चैक करने वाला भी कोई नहीं है। आपके वहां जो राज्यपाल हैं, वे कभी राज भवन के बाहर निकलते ही नहीं है। कभी वे राजभवन के बाहर निकलकर नहीं देखते कि क्या हाल है और उन्हें मालूम भी नहीं है।

हाल ही में डल लेक के डैवलपमैंट के लिए जो पैसा वर्ल्ड बैंक से आया, उससे वहां कोई काम नहीं हुआ, क्या आपको मालूम है···(व्यवधान)···आपके यहां से नई इण्डस्ट्रीज के लिए जितना पैसा जाता है, जितनी सबसिडी नई इण्डस्ट्रीज को लगाने के लिए मिलती है, क्या आप बता सकते हैं कि एक भी इंडस्ट्री वहां नई खुली है वह पैसा कहां गया ? नई इण्डस्ट्रीज के लिए आपने जो पैसा दिया, सबसिडी दी, वह पैसा कहां जा रहा है। अनएम्पलायमैंट की प्रोब्लम तो वहां है ही लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात है यह कि बोर्डर सील करने की बात हम लोग सदन में तो करते हैं लेकिन बोर्डर वहां खुला पड़ा हुआ है। आपने बोर्डर में कितने मिलिटैंट्स को अब तक पकड़ा है, पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर आते वक्त बोर्डर में आपने कितने मिलिटैंट्स को अरेस्ट किया है। पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर आने वाले ग्रुप्स में, जो कश्मीर

और पंजाब में आते हैं, यदि दोनों को कम्पेयर किया जाए तो मेरे दिल में शक पैदा होता है। पंजाब के मिलिटैंट्स को आप पकड़ नहीं पाते हैं। वे कभी टी० वी० के सामने स्टेटमैंट नहीं देते हैं। लेकिन कश्मीर का मिलिटैंट पकड़ा जाता है। टी० वी० के सामने स्टेटमेंट दे देते हैं। अपने जुर्म का इकबाल करते हैं। इसमें कुछ भेद है। सही रूप में पाकिस्तान के मिलिटैंट मारे जाते हैं या पकड़े नहीं जाते हैं। जो फीगर्स आप देते हैं, मैं समझता हूं कि ये फीगर्स सही नहीं हैं। इनमें भी घोटाला है।

आपकी मिलिट्री बी०एस०एफ० और सी०आर०पी०एफ० हैं, इनके मिलिट्री और पैरा मिलिट्री दो विंग हैं। इनका आपस में क्या कोआर्डिनेशन है ? कोई कोआर्डिनेट नहीं करते हैं। ये जो तीनों बल हैं अपने इरादे के मुताबिक अपना-अपना काम करते हैं इनमें आपस में कोई कोआर्डिनेशन है, इसकी हमें कोई जानकारी नहीं है। अगर है, तो बताएं। साथ-साथ मिलिट्री की तरफ से कुछ हरकत भी है। अगर हरकत न होती तो पिछले माह की 9 तारीख को कश्मीर बन्द नहीं होता। पिछले महीने की 9 तारीख को बन्द का क्या सवाल था ? इसके पीछे एक रेप केस था। इसका मतलब यही है कि मिलिट्री, सी०आर० पी०एफ० और बी०एस०एफ० के लोग जरूर हरकत करते हैं। इनके खिलाफ कितने केस रजिस्टर होते हैं, यह बताएं। इनकी ट्रायल का कोई इन्तजाम नहीं है। आप कहते हैं कि खुले कोर्ट में मिलिट्री वालों का ट्रायल हो जाए, तो मिलिट्री का मारल टूट जाएगा। मैं भी इस बात को मानता हूं, लेकिन मैं यह भी कहना चाहता हूं जिस इलाके में ऐसा हुआ हो, और उनको पता भी न चले कि उसको क्या सजा मिली, तो उससे लोगों का मारेल भी टूट जाएगा।

सभापति महोदय, कश्मीर से कुछ रिफ्यूजी दिल्ली में आए हैं। संख्या तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मेरे बी०जे०पी के लोग कभी डेढ़ लाख बताते हैं और कभी 2 लाख बताते हैं। मैं समझता हूं कि इनकी तादाद बहुत ज्यादा है। आपने उन रिफ्यूजी लोगों को क्या सुविधा दी है ? मैं रिलीफ की बात नहीं कर रहा हूं। उनके इलाके में उनको रिहैबिलिटेट करने के बारे में आपने क्या सोचा है ? इन्हें कब रिहैबिलिटेट करेंगे और किस तरह से करेंगे, क्या इसके बारे में आपका कोई कंक्रीट प्लान है ? कब तक ये लोग यहां पर टैंट के नीचे पड़े रहेंगे ? बरसात में ये भीगेंगे और धूप में सूखेंगे। यह नहीं हो सकता। सॉल्यूशन आपको इनके बारे में जल्दी करना होगा। मेरी आप से गुजारिश है और मुझे उम्मीद है कि आप इस बारे में जरूर ध्यान देंगे।

यहां पर अभी माननीय सदस्य इन्द्रजीत जी बैठे हुए थे, उन्होंने मुझसे कहा कि इसकी दवा क्या है, वह बताएं। मैं तो दवा नहीं बता सकता हूं। सरकार में मैं नहीं हूं। सरकार में तो आप हैं। दवा तो आपको ही बतानी होगी। मैं तो आपसे सवाल पूछ सकता हूं।

आपने स्टेट एडवाइजरी कौंसिल का निर्माण किया। इसकी आज तक कितनी मीटिंग हुई हैं। उसकी क्या-क्या रिकमेंडेशंस थीं और उन रिकमेंडेशंस में से आपने कितनी रिकमेंडेशंस के ऊपर इम्प्लीमेंट किया ? उनके साथ आप किसी तरह से को-आपरेशन कर रहे है या नहीं और स्टेट एडवाइजरी कौंसिल आपके साथ को-आपरेशन कर रही है या नहीं ? पोलिटिकल प्रोसैस कहने से नहीं होगी। यह तो करने से होगी और इसके साथ-साथ इकनोमिक प्रोसैस को भी चालू करना है।

आखिर में, मैं अपने दायीं तरफ बैठे हुए बी०जे०पी० के दोस्तों से एक अपील करूंगा कि कुछ बातें ऐसी होती हैं, यदि उनको न कहा जाए, तो ही अच्छा रहता है। कश्मीर की मौजूदा हालत में आर्टीकल 370 के बारे में कोई आवाज उठाना खतरे से खाली नहीं है। इस चीज को, देश की तरफ नजर

रखते हुए आपको बन्द करना होगा। आपने एकता-यात्रा की, वह आपके शब्दों में बहुत सक्सेसफुल रही, यह आपका दावा है, वह आपने किस तरह से की थी, वह आप जानते हैं, मैं किसी नेता पर आरोप नहीं लगाऊंगा, उस यात्रा से आपकी एकता और देश की एकता हुई हो या नहीं हुई हो, लेकिन हिजबुल ग्रुप और जे०के०एल०एफ०, दो मिलिटेंट ग्रुप की एकता जरूर हो गई। इस प्रकार से आपकी एकता-यात्रा से दो मिलिटेंट ग्रुप की एकता जरूर हो गयी।

मैं आपसे सिर्फ इतनी विनती करूंगा कि कुछ वक्त आता है जब कभी-कभी कुछ काम नहीं करना चाहिए। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि सत्ता का इतना ज्यादा लालच ठीक नहीं है। आपने पंजाब की सरकार को तोड़कर पंजाब में आग लगाई है, कश्मीर में फारुख अब्दुल्ला की सरकार को तोड़कर आग लगाई है और यह प्रोसैस आप आज भी चला रहे हैं। कल से इस सदन में भी हल्ला देख रहे हैं, कुछ इधर-उधर हो रहा है। कहीं ऐसा न हो बिहार भी कश्मीर और पंजाब जैसा हो जाए। आपकी नजर उस तरफ है। मैं आपको खुले आम कह रहा हूं कि इस तरह का तरीका बंद कीजिए। उसूलों से काम कीजिए। मेरा सजैशन है कि यदि इस हालत में किसी भी चुनाव का इरादा है तो उसको त्याग दें और वहां की पोलिटिकल, इकानामिक कंडीशन को सुधारने के लिए आगे बढ़ें। यदि यह करेंगे तब कश्मीर की हालत बदल सकती है।

आखिर में एक बात जरूर कहूंगा। पाकिस्तान के साथ हमारा जो ताल्लुक है, वह कश्मीर को लेकर जैसे खेलना चाहता है, आप सदन में आते ही बयान दे देते हैं। कभी-कभी आपका बयान सुनकर हम डर जाते हैं कि आप इतना कड़ा स्टेटमैंट दे रहे हैं। लेकिन आखिर में कुछ नहीं करते हैं।

पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने जो बयान दिया है, उसके जवाब में आपने क्या बयान दिया है। वे शिमला एग्रीमेंट को मानेंगे या नहीं? मिलिटेंट्स की ट्रेनिंग का जो इन्तजाम है, वह बन्द होगा या नहीं, इस बारे में आप क्या कनक्रीट स्टैप ले रहे हैं? आपको यह देश की जनता को बताना पड़ेगा। यदि इस चीज को नहीं बताएंगे तो हम समझेंगे कि आपकी सरकार कमजोर है, निकम्मी है और वह किसी भी सवाल को सख्ती से सामने लाने में डरती है। देश के हित में काम करें। आज उसूलों के खिलाफ भी मैं आपको समर्थन दे रहा हूं। देश के हित में फिर कभी भी जरूरत होगी तो आपको हमारी तरफ से समर्थन मिलेगा।

[अनुवाद]

श्री लोकनाथ चौधरी (जगतसिंहपुर) : सभापति महोदय, हम पुनः कश्मीर में राष्ट्रपति शासन को बढ़ा रहे हैं। मेरे विचार से कोई भी इसका विरोध नहीं करेगा। लेकिन हम केवल एक प्रश्न पूछते हैं— यह कब तक जारी रहेगा? मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस प्रक्रिया को तोड़ेगी या पहले की तरह कश्मीर में हमेशा ही राष्ट्रपति शासन रखेगी। यही प्रश्न है।

कश्मीर का प्रश्न सारे देश की राजनीति से सम्बद्ध प्रश्न नहीं है। यह अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति से सम्बन्धित है। यह पाकिस्तान से भी सम्बन्धित है। पाकिस्तान की स्पष्ट रणनीति है। पाकिस्तान आज से नहीं बल्कि शुरू से ही कश्मीर को हथियाना चाहता है।

उस उद्देश्य से, पाकिस्तान बराबर काम कर रहा है जबकि भारत सरकार ने इस विषय पर ध्यान

नहीं दिया। हम प्रतिदिन कश्मीर में ऐसी स्थिति पैदा कर रहे हैं जिससे पाकिस्तान को ऐसी स्थिति का लाभ उठाने का अवसर मिल रहा है। 1 अगस्त को प्रधानमन्त्री ने विशाखापत्तनम में घोषणा की थी कि कश्मीर में चुनाव कराए जाएंगे और गृह मन्त्री ने भी कहा कि कश्मीर में चुनाव कराए जाएंगे। लेकिन उनका मूल्यांकन क्या है। क्या उनका मूल्यांकन सही सिद्ध हुआ। उनका मूल्यांकन पूरी तरह से ठीक नहीं था। लेकिन इसके बाद भी वे कह रहे हैं कि वहां की स्थिति में सुधार हुआ है। मैं सरकार के इस विचार से सहमत नहीं हूं क्योंकि स्वयं गृह मन्त्री इस बात को स्वीकार करते हैं कि वहां पर 'गोरिल्ला' युद्ध जैसी स्थिति है। जबकि हम इस नीति से कश्मीर के लोगों का दिल नहीं जीत सके, उनको विमुख कर दिया गया है और इसके कारण उग्रवादियों और पाकिस्तान के लिए भी अनुकूल स्थिति बन गई है। हमें यह बात नहीं भूलनी चाहिए।

यह केवल पाकिस्तान का ही सवाल नहीं है, हाल ही में, अमरीकी राष्ट्रपति, श्री बुश ने वाशिंगटन में कहा था कि पचास वर्षों से कश्मीर में जातिवादी और सांप्रदायिक झगड़े हो रहे हैं और भारत सरकार को मानव अधिकारों का आदर करना चाहिए। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह बात सच है कि पिछले 50 वर्षों से कश्मीर में जातिवादी और साम्प्रदायिक झगड़े हो रहे हैं। श्री बुश ने ऐसा कहा था और इसका मतलब यह है कि अमरीकी लोग भी ये बताना चाहते हैं कि पिछले 50 वर्षों से झगड़ा हो रहा है। वहां पर ये झगड़ा नहीं था, ये झगड़े हमारे द्वारा आरम्भ किए गए हैं।

इसलिए, वहां की स्थिति को सामान्य बनाने के लिए हमें अलग ढंग से सोचना होगा। हमें समस्या की गहराई तक जाना होगा। निस्संदेह हमारी सेना-व्यय बढ़ रही है। अब, आपने सुरक्षा बलों की संख्या भी बढ़ा दी है। क्या आप सेना और सुरक्षा बलों की सहायता से कश्मीर में स्थिति को सामान्य बना सकते हैं? यदि आप अपनी नीति नहीं बदलेंगे तो कश्मीर के लोगों का दिल नहीं जीत पाएंगे। अब कश्मीरी जनता की विमुखता खत्म हो चुकी है।

हमारे देश में, कुछ राजनैतिक दलों का कहना है कि संविधान के अनुच्छेद 370 को समाप्त कर देना चाहिए। जैसाकि माननीय सदस्य ने कहा, कि शायद एकता यात्रा से केवल उग्रवादियों को ही लाभ मिला होगा, कांग्रेस सरकार ने स्थिति को काबू में लाने के लिए जोशी जी की राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए श्रीनगर भेजा था। उन्होंने ऐसा करके कश्मीर की जनता को एक गलत संकेत दिया है। सरकार को इस विषय में गम्भीरता से विचार करना चाहिए। जब विलय सम्बन्धी प्रपत्र पर हस्ताक्षर किए गए थे उस समय यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि विदेशी मामले, संचार और रक्षा, ये तीन विषय केन्द्रीय सरकार के अधीन रहेंगे। अन्य मामले और अन्य भारतीय कानूनों को कश्मीर सरकार के साथ परामर्श करके लागू किया जाएगा। कश्मीर को ये विशेष स्वायत्तता दी गई थी। लेकिन 1956 से हम कश्मीर विधानसभा या वहां के संविधान सभा से परामर्श किए बिना ही, भारतीय कानूनों को वहां पर लागू कर रहे हैं।

गृह मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : यह सच नहीं है। कृपया अपने तथ्यों की जांच कीजिए।

श्री लोकनाथ चौधरी : यह सच है। जिस तरह से कांग्रेस सरकार ने अन्य सरकारों को बरखास्त किया इससे उनकी जो प्रथा रही है उसका परिचय मिलता है। इसलिए, मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारा पहला काम कुछ उग्रवादियों के दिलों को जीतना है। इस काम को कैसे किया जा सकता है? ऐसा तभी हो सकता है यदि भारत सरकार स्पष्ट रूप से यह घोषणा करती है कि अनुच्छेद 370 का आदर किया जाएगा, उनके सभी कानूनों का आदर किया जाएगा और जो स्वायत्तता कश्मीरी जनता

को दी गई है, वह जारी रहेगी तथा वहां पर जो लोकप्रिय सरकार बनेगी, उसके परामर्श से ही भारत सरकार कानूनों को लागू करेगी । मैं समझता हूं कि सबसे पहले यह आश्वासन दिया जाना चाहिए लेकिन भारत सरकार ने अब तक ऐसा आश्वासन नहीं दिया।

मेरा दूसरा प्रश्न है : सुरक्षा बल वहां पर कब तक रहेंगे ? निस्संदेह, वे सुरक्षा बल उग्रवादियों पर काबू पाने में सक्षम हैं। उन्हें उग्रवादियों का सामना करने के लिए सक्षम होना चाहिए। लेकिन, इसके साथ-साथ उनका प्रशिक्षण, उनके काम करने का ढंग अलग होना चाहिए। उन्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि वे वहां भी भूमि पर अधिकार करने गए हैं या वहां की जनता को अनुशासन सिखाने गए हैं। उन्हें ये सोचना चाहिए कि वे कश्मीर की जनता का दिल जीतने गए हैं। सुरक्षा बलों व सेना में यह भावना, यह उद्देश्य होना चाहिए।

मैं दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि आप कश्मीर में चुनाव कराने के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन जम्मू घाटी में और बाहर तथा दिल्ली में दो लाख कश्मीरी जीवन-यापन कर रहे हैं। निस्संदेह, वहां पर अधिक साम्प्रदायिक झगड़े नहीं हुए। 1989 में जब श्री जगमोहन जी वहां गए तब उन्होंने वहां पर एकअलग माहौल बनाया। श्री जगमोहन ने क्या गलती की है? इतिहास ही इसका जवाब देगा। जो उत्तरदायी थे उन्होंने बिना परामर्श किए बिना किसी से कुछ कहे फारुख अब्दुल्ला की सरकार को बरखास्त कर दिया। यह भी आरोप था कि जम्मू-कश्मीर आने वाले हिन्दुओं के लिए श्री जगमोहन ने आंदोलन किया। श्री जगमोहनजी ने कहा : यह भी कहा गया है कि कश्मीरियों/मुस्लमानों में पाकिस्तानी भावना कूट-कूट कर भरी हुई है। इनके कारण कश्मीरी जनता विमुख हो गयी है व कश्मीर की जनता को ठेस पहुंची है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए, मैं एक बात कहना चाहता हूं।

*

श्री ई० अहमद (मंजेरी) : क्या मैं एक प्रश्न कर सकता हूं ? क्या इसलिए, जनता दल सरकार ने उन्हें राज्य सभा के लिए चुना था ? (व्यवधान)

श्री लोकनाथ चौधरी : यह प्रश्न उन्हीं से पूछना चाहिए। मैं अपनी बात पर आता हूं। कश्मीर में चुनाव कराए जाने चाहिए। चुनाव के माहौल को बनाने के लिए मेरा यह सुझाव है कि सबसे पहले भारत सरकार को यह स्पष्ट रूप से घोषणा करनी चाहिए कि अनुच्छेद 370 के सभी प्रावधानों को लागू कर दिया जाएगा और कश्मीर को स्वायत्तता दी जाएगी जिसका आश्वासन विलय सम्बन्धी प्रपत्र पर हस्ताक्षर करते समय कश्मीर को दिया गया था। उन उग्रवादियों के साथ बातचीत किया जाना चाहिए जिनके गुट में बहुत कम लोग रह गए हैं। हम जानते हैं कि उग्रवादी बंटे हुए हैं। भारत सरकार इसका लाभ नहीं उठा पाई। भारत सरकार इसमें क्यों कामयाब नहीं हो सकी, इस बात का विश्लेषण किया जाना चाहिए। उग्रवादियों के दो गुट हैं, एक गुट ऐसा है जो चाहता है कि कश्मीर पाकिस्तान को मिलना चाहिए और दूसरे गुट के उग्रवादी चाहते हैं कि कश्मीर को भारत में ही रहने देना चाहिए। इसी गुट के साथ हमें बातचीत करनी चाहिए।

तीसरी बात यह है कि इसके लिए उचित माहौल बनाया जाना चाहिए। बहुत कुछ कहा गया। मैं कहता हूं कि जम्मू की भाजपा इस समस्या को और जटिल बना रही है। वे कह रहे हैं कि कश्मीर घाटी-जम्मू क्षेत्र को अधिक राशि दी गई है। मैंने आबंटित राशि को देखा है। 1991-92 बजट में कश्मीर घाटी को 73 करोड़ रुपए आबंटित किए गए थे और इतनी ही राशि जम्मू प्रभाग को दी गई थी

30 करोड़ रुपए लद्दाख को दिए गए हैं। इसलिए, भाजपा प्रचार करके, जम्मू और कश्मीर का विभाजन कर रही है जिससे स्थिति और भी जटिल होती जा रही है और कश्मीर घाटी के लोग विमुख हो रहे हैं। अतः मैं अपने भाजपा मित्रों से अनुरोध करता हूं कि वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में उन्हें अनुच्छेद 370 को रद्द करने का नारा नहीं लगाना चाहिए और कश्मीर घाटी व जम्मू को विभाजित करने वाली चाल नहीं चलना चाहिए। अतः इसके लिए राष्ट्रीय सहमति जुटाना होगा और सभी राष्ट्रीय दलों को एक होकर कश्मीरी जनता को यह आश्वासन देना होगा कि उनकी स्वायत्तता का आदर किया जाएगा। उससे अनुकूल परिस्थिति बन सकती है। पाकिस्तान इस स्थिति का लाभ उठ एगा। इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन हमें पाकिस्तान से अलग स्तर पर निपटना होगा। हमें पाकिस्तान को सही जवाब देना चाहिए। हमें देश के अन्दर ही एक ऐसा माहौल बनाना होगा जोकि ऐसा मुद्दा न बने जिसका समाधान केवल सरकार को ही करना पड़े। मैं कहता हूं कि यह मामला एक ऐसी स्थिति पर पहुंच गया है जिसे हमें राष्ट्रीय मुद्दा मानना होगा, उसे इस तरह से देखना चाहिए जैसे कि यह देखना हर दल का कर्तव्य है कि कश्मीर भारत के साथ ही रहेगा और हर दल को कश्मीरी जनता के विश्वास को जीतने के लिए त्याग करना होगा। उसके बाद हमें चुनाव के लिए अनुकूल माहौल बनाना होगा।

जहां तक विकास कार्यों का सम्बन्ध है, मैं समझता हूं कि विकास कार्य जारी रहेंगे। लेकिन हमें कश्मीरी जनता के दिलों को जीतना होगा। क्योंकि भारत में रहने वाले इन कश्मीरी लोगों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। हमें उनका आदर करना चाहिये। इसमें हम पिछड़े हुए हैं। अतः, मैं अनुरोध करता हूं कि इस बदलते माहौल में सरकार को उसी ढंग से काम नहीं करना चाहिए जैसाकि 1989 से श्री जगमोहन जी के समय से होता आ रहा है। सरकार की रणनीति और काम करने के ढंग में परिवर्तन आना चाहिये ताकि कोई हल निकल सके और चुनावों के लिये राजनैतिक माहौल पैदा कर सके जिससे कश्मीर हमारे साथ होगा।

[हिन्दी]

श्री अबूब खां (झुंझुनू) : मोहतरिम चेयरमैन साहब, जम्मू-काश्मीर में प्रैजीडेंट्स रूल को एक्सटेंड करने के सम्बन्ध में जो बिल मन्त्री जी द्वारा लाया गया है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

सबसे पहले मैं माननीय होम मिनिस्टर को बधाई देना चाहता हूं, कि ऐसे नाजुक मसले पर और इतने सैंसिटिव इलाके में पूरी मुस्तैदी के साथ उन्होंने वहां का दौरा किया। हालात का खुद जाकर उन्होंने जायजा लिया और लोगों मे विश्वास पैदा किया। यह एक बहुत बड़ा काम उन्होंने किया। पर साथ ही जनता दल की सरकार में जो होम मिनिस्टर थे, श्री मुफती मोहम्मद सईद, जब उनकी लड़की को आतंकवादियों ने पकड़ लिया था, तो उनकी क्या हालत थी। उन्होंने अपनी लकड़ी के लिए देश को गिरवी रखने का सौदा किया। अगर वह उस समय बोलते कि मेरी एक लड़की नहीं, इस देश की करोड़ों लड़कियां मेरी हैं। अगर इस देश पर करोड़ों लड़कियां भी कुर्बान हो जाएं तो भी मैं झुक नहीं सकता। अगर वह उस समय यह बोलते तो शायद ऐसे हालात आज पैदा न होते।

मैं एक दूसरी बात कहता हूं कि जब फारुख अब्दुल्ला साहब की एक चुनिंदाह हुकूमत थी, उस चुनिंदाह हुकूमत को, यह गवर्नर साहब, जगमोहन साहब जो वहां भेजे गए उन्होंने किस तरह से उस

हुकूमत को वहां से बर्खास्त किया और उस जगमोहन साहब ने किस तरह से लोगों को बांट दिया, किस तरह से उन्होंने वहां के लोगों को, जो एक दूसरे समुदाय के लोग थे उनको जम्मू जाने के लिए मजबूर किया और उनको इस तरह से मजबूर किया कि अगर वे एक बस्ती करें तो तुम सौ को तंग करो।

मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि खुराना साहब, आप यहां बैठ कर, एयरकंडीशन के अन्दर बैठ करके बात करते हो मैं वहां की कण-कण से वाकिफ हूं तुमको सिर्फ पंखों और एयरकंडीशन में बैठ कर बात करनी आती है। हमने वहां पर अपना खून देकर, हर तरह से हिफाजत की है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वहां के कश्मीरी लोग कितने वफादार हैं जितने आप नहीं हो। वहां के कश्मीरी सन् 1948 की जंग में, सन् 1965 की जंग, सन् 71 की जंग में, वहां के आम शहरी कश्मीरियों ने हमारे मुल्क का साथ दिया था। वे लोग इस मुल्क के लिए हैं, एक मुल्क के नाते मैं भी एक मुसलमान हूं, मुसलमान कभी गद्दार नहीं हो सकता। हमारा ईमान है, आप लोग सिर्फ जुबान से बोलते हो। हमारा धर्म है कि अगर हम अपने मुल्क में रहते हुए, अपने मुल्क के लिए बुरा भी सोचें तो हमारी इस्लामियत खारिज हो सकती है। तो आप मुझे बताइए कि यह स्पीच नहीं, आप जो भड़काने वाले भाषण देते हो, आर्टीकल 370 के लिए बोलते हो यह लोगों को पिंच करता है, इससे दुख होता है। ऐसे में आप जो एकता यात्रा और रथ यात्रा निकालते हो, उससे क्या लाभ होगा ?

मैं आपसे अपील करूंगा कि कश्मीर के हालात को देखते हुए, आपके भगवा कपड़े पहन कर यहां पर लोग आते हैं और वे किस तरह के भाषण देते हैं, क्या हिन्दुस्तान का संविधान इस बात की इजाजत देता है कि किसी की आत्मा पर तुम इस प्रकार से चोट पहुंचाओ, वह यह बोले कि तुम ऐसा करो, नहीं तो तुम पाकिस्तान चले जाओ। क्या हम इस मुल्क के बाशिंदे नहीं हैं, क्या हमको इस तरीके से कोई बोल सकता है ? जब इस मुल्क के कोने-कोने में शिला पूजा हो रही थी तो किस तरह के टेप लगाए जाते थे, किस तरह के तुम भाषण देते थे, क्या हमारा मुल्क ऐसे संविधान की इजाजत देता है ? क्या संविधान यह इजाजत देता है कि तुम रथ यात्रा के अन्दर इस तरह के भाषण दे सको, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि यह शाही इमाम और शहाबुद्दीन की बदौलत तुम आज इतनी तादाद में यहां बैठे हो। सन् 1984 के अन्दर सिर्फ तुम दो आदमी हमारे सामने आए थे, वह भी एक आंध्रा और एक गुजरात से आया था लेकिन उन्हीं की बदौलत तुम आज इतनी तादाद में हो। तुम हर उस नब्ज को पकड़ते हो जिससे कि तुम इकट्ठे हो सको।

मैं आपसे अपील करूंगा कि हम अपने मुल्क को बचाएं, आज अपने देश को हम बचाएं, नहीं तो हमारा मुल्क टूट जाएगा, तो बताओ तुम मन्दिर और मस्जिद के ठेकेदारों, हमारा देश कहां रहेगा ? आज हमको सोचना चाहिए कि मन्दिर भी हमारे लिए उतना ही आदर की जगह है जितना कि मस्जिद है। अगर मन्दिर और मस्जिद में कोई भी इन्सान फर्क समझे तो वह फर्क नहीं हो सकता। हम लोग हिन्दुस्तानी हैं, हिन्दुस्तान में रहते हुए हमने मजहब चेंज किया है। अब जैसे मेरा खानदान है, हम खान-खानी हैं और कानखानी चौहान राजपूत से पृथ्वीराज की सातवीं पीढ़ी में हम राजपूत थे। आज हमारे फोरफादर, उनके आज भाट आते हैं और हर साल, हर गांव में जाकर वे भाट हमारा गीत गाते हैं लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमने मजहब चेंज किया, खून नहीं चेंज किया, खून इसमें हिन्दुस्तानी है। लेकिन आज क्या हो रहा है, उनके नाम पर लोगों को लड़ाने का और देश को तोड़ने का काम किया जा रहा है। आप इस पर गौर करें कि सन 1962 की लड़ाई में हमारे किसी आदमी ने पीठ नहीं दिखाई थी।

खुराना साहब मैं वही अयूब खां हूं जिसने लड़ाई में पाकिस्तान के अयूब खां के छक्के छुड़ा दिए थे। जब हम लोग पाकिस्तान की सरहद में दाखिल हुए तो हमने कहा था कि खुदावंदे-कुद्दूस हमारी हिफाजत करना और हमारे मुल्क को फतेह देना। हमने यह नहीं कहा था खुराना साहब, जैसे आप लोग भाषण देते हैं, आपके बड़े-बड़े नेता लोग जिस तरह से भाषण देते हैं, एक समुदाय को तंग करने और उसका विश्वास तोड़ने का काम किया जाता है, यह प्रयास आप लोगों का रहता है, लेकिन मैं आपसे अपील करूंगा कि इन चीजों को आप छोड़िए, ऊपर उठिए और देश की एकता और अखण्डता को कायम रखिये।

सभापति महोदय, अन्त में मैं होम मिनिस्टर साहब से अपील करूंगा कि पिछली बार 1400 करोड़ रुपए का बजट दिया गया था, लेकिन आज उनकी हालत ऐसी है कि कर्मचारियों को वेतन तक नहीं मिल पा रहा है। मुझे उम्मीद है कि आप इस पर गौर करेंगे और बजट एलोकेशन करके, जल्दी से जल्दी मदद देंगे ताकि वहां कर्मचारियों को वेतन मिल सके। मैं यह भी अपील करूंगा कि वहां पर करप्शन बेतादाद है, जो पैसा जाता है वह वहां के इंजीनियर और आतंकवादी मिल कर खा जाते हैं। मेरी अपील है कि डेवलपमेंट का जो पैसा जाता है, उसका सही उपयोग होना चाहिए और वहां पर बी०ए० तक आप एजूकेशन फ्री कर दीजिये, हरएक को खाना-कपड़ा की मिले, यह बन्दोबस्त कर दीजिये, ताकि वहां के निवासी उन्नति कर सकें, नौजवानों को रोजगार मिल सके, यदि नौजवानों को आप रोजगार दे सकेंगे, तभी आप उनका विश्वास जीत सकेंगे, ऐसा मेरा मानना है। बन्दूक की नोक पर कहीं भी किसी पर फतेह हासिल नहीं की जा सकती, ऐसा मेरा मानना है। मेरा यह भी मानना है कि पुलिस फोर्स में भी कमी की जानी चाहिए, क्योंकि उसका भार राज्य-सरकार को वहन करना होता है और जो वहां के निवासी हैं, उनको नाहक तंग न किया जाए, घरों में लोगों को टार्चर न किया जाए, लोग यह फील न करें कि उनके साथ ज्यादती हो रही है। जो हिन्दू भाई वहां से जम्मू में आए हैं, उनको हर हालत में वापिस भेजा जाए, उनकी पूरी हिफाजत की जाए और उनके मकानात की मरम्मत और इबादतगाहों को जो नुकसान हुआ है, उनकी मरम्मत करके पूरी हिफाजत की जाए, इन सारी चीजों का बन्दोबस्त सरकार को करना चाहिए। मैं होम मिनिस्टर साहब से अपील करता हूं, मैंने एक्स-होम मिनिस्टिर मुफ्ती मोहम्मद साहब को भी कहा था कि एक लड़की तो क्या हम करोड़ों लड़कियां दे सकते हैं देश के लिए, ऐसा हमारा मानना है। (व्यवधान)

मैं यह भी अनुरोध करना चाहूंगा कि बी०जे०पी० के लोगों को आइन्दा कोई एकता यात्रा, रथ यात्रा या और कोई यात्रा निकालने की इजाजत न मिले, ताकि ऐसे मौके पर मुल्क के हालात खराब न हो सकें। (व्यवधान)

खुराना साहब हमारे देश की संस्कृति है कि अकबर का सेनापति राजपूत था, महाराणा प्रताप का सेनापति मुसलमान था, शिवाजी की फौज में सी०आई०डी० का आला अफसर मुसलमान था, झांसी की रानी का आला तोपदार मुसलमान था यही ट्रेडीशन अगर आप कायम रखेंगे तो हम देश को बचा सकेंगे।

अन्त में मैं इस डिमांड्स का समर्थन करते हुए उम्मीद करता हूं कि कश्मीर की हालत सुधरेगी और बी०जे०पी० के लोगों को मालिक सद्बुद्धि देगा। (व्यवधान)

[جناب ایوب خاں (جھجھنو) : محترم چیئرمین صاحب ۔ جو کشمیر میں پریزیڈنٹ رول کو ایکسٹینڈ کرنے کے سمبندھ میں جو بل منتری جی دوارا لایا گیا ہے میں اسکا سمرتھن کرنے کے لئے کھڑا ہوا ہوں ۔

سب سے پہلے میں مانننیہ ہوم منسٹر کو بدھائی دینا چاہتا ہوں کہ ایسے نازک سمئے پر اور اتنے سینسٹو علاقے میں پوری مستعدی کے ساتھ انہوں نے وہاں کا دورا کیا ۔ حالات کا خود جاکر انہوں نے جائزہ لیا اور لوگوں میں وشواس پیدا کیا ۔ یہ ایک بہت بڑا کام انہوں نے کیا ۔ پر ساتھ ہی جنتا دل کی سرکار میں جو ہوم منسٹر تھے شری مفتی محمد سعید جب انکی لڑکی کو آتنک وادیوں نے پکڑ لیا تھا تو ان کی کیا حالت تھی ۔ انہوں نے اپنی لڑکی کیلئے دیش کو گروی رکھنے کا سودا کیا ۔ اگر وہ اس وقت بولتے کہ میری ایک لڑکی نہیں دیش کی کروڑوں لڑکیاں میری ہیں ۔ اگر اس دیش پر کروڑوں لڑکیا بھی قربان ہو جائیں تو بھی میں جھک نہیں سکتا ۔ اگر وہ اسوقت یہ بولتے تو شاید ایسے حالات آج پیدا نہ ہوتے ۔

میں ایک دوسری بات کہتا ہوں کہ جب فاروق عبداللہ صاحب کی ایک چنندہ حکومت تھی اس چنندہ حکومت کو یہ گورنر صاحب ۔ جگموہن صاحب جو وہاں بھیجے گئے انہوں نے کسطرح سے اس حکومت کو وہاں سے برخاست کیا اور اس جگ موہن صاحب نے کسطرح سے لوگوں کو بانٹ دیا کس طرح سے انہوں نے وہاں کے لوگوں کو جو ایک دوسرے سمدائے کے لوگ تھے انکو جوجانے کے لئے مجبور کیا اور ان کو اس طرح سے مجبور کیا کہ اگر وہ ایک غلطی کریں تو تم سو غلطیاں کرو ۔

میں آپکو یہ بتانا چاہوں گا کہ کھرانہ صاحب آپ یہاں بیٹھ کر ایئر کنڈیشن کے اندر بیٹھ کر کے بات کرتے ہیں میں وہاں کی کن کن سے واقف ہوں تم کو صرف پنکھوں اور ایئر کنڈیشن میں بیٹھکر بات کرنی آتی ہے ۔ ہم نے وہاں پر اپنا خون دے کر ہر طرح سے حفاظت کی ہے ۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہاں کے کشمیری لوگ کتنے وفادار ہیں جتنے آپ نہیں ہو۔ وہاں کے کشمیری ۱۹۴۸ء کی جنگ میں ۱۹۵۶ء کی جنگ ۱۹۷۱ء کی جنگ میں وہاں کے عام شہری کشمیریوں نے ہمارے ملک کا ساتھ دیا تھا ۔ وہ لوگ اس ملک کے لئے ہیں ایک۔ ملک کے ناطے میں بھی ایک مسلمان ہوں مسلمان کبھی غدار نہیں ہو سکتا ۔ ہمارا ایمان ہے آپ لوگ صرف زبان سے بولتے ہو ۔ ہمارا دھرم ہے کہ اگر ہم اپنے ملک میں رہتے ہوئے اپنے ملک کے لئے برا بھی سوچیں تو ہماری اسلامیت خارج ہو سکتی ہے ۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ یہ اسپیچ نہیں آپ جو بھڑکانے والے بھاشن دیتے ہیں آرٹیکل ۳۷۰ کے لئے بولتے ہو یہ لوگوں کو پہنچ کرتا ہے اس سے خود دکھ ہوتا ہے ۔ ایسے میں آپ جو ایکتا یاترا اور رتھ یاترا نکالتے ہو اس سے کیا لابھ ہوگا ۔

میں آپ سے اپیل کروں گا کہ کشمیر کے حالات کو دیکھتے ہوئے آپ کے بھگوا کپڑے پہن کر یہاں پر لوگ آتے ہیں اور وہ کس طرح کے بھاشن دیتے ہیں کیا ہندوستان کا سمودھان اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ کسی کی آتما پر تم اس پرکار سے چوٹ پہنچاؤ وہ یہ بولے کہ تم ایسا کرو نہیں تو تم پاکستان چلے جاؤ ۔ کیا ہم اس ملک کے باشندے نہیں ہیں کیا ہم کہ اس طریقے سے کوئی بول سکتا ہے ۔ جب اس ملک کے کونے کونے میں شلا پوجا ہو رہی تھی تو کسی طرح کے ٹیپ بجائے جاتے تھے کس طرح کے تم بھاشن دیتے

تھے کیا ہمارا ملک ایسے سمودھان کی اجازت دیتا ہے۔ کیا سمودھان یہ اجازت دیتا ہے کہ تم رتھ یاترا کے اندر اس طرح کے بھاشن دے سکو، لیکن میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ شاہی امام اور شہاب الدین کی بدولت تم آج اتنی تعداد میں یہاں بیٹھے ہو۔ ۱۹۸۴ء کے اندر صرف دو آدمی ہمارے سامنے آئے تھے۔ وہ بھی ایک آندھرا اور ایک گجرات سے آیا تھا لیکن انہیں کی بدولت تم آج اتنی تعداد میں ہو، تم ہر اس نبض کو پکڑتے ہو جس سے کہ تم اکٹھے ہو سکو۔

میں آپ سے اپیل کروں گا کہ ہم اپنے ملک کو بچائیں۔ آج اپنے دیش کو ہم بچائیں نہیں تو ہمارا ملک ٹوٹ جائے گا تو بتاؤ تم مندر اور مسجد کے ٹھیکیداروں ہمارا دیش کہاں رہے گا۔ آج ہم کو سوچنا چاہیے کہ مندر بھی ہمارے لئے اتنا ہی آدر کی جگہ ہے جتنا کہ مسجد ہے۔ اگر مندر اور مسجد میں کوئی بھی انسان فرق سمجھے تو وہ فرق نہیں ہو سکتا۔

ہم لوگ ہندوستانی ہیں ہندوستان میں رہتے ہوئے ہم نے مذہب چینج کیا ہے اب جیسے میرا خاندان ہے ہم کانخانی ہیں اور کانخانی چوہان راجپوت سے پرتھوی راج کی ساتویں پیڑھی میں ہم راجپوت تھے۔ آج ہمارے خورفار ان کے آج بھاٹ آتے ہیں اور کانخانی اور ہر سال ہر گاؤں میں جا کر وہ بھاٹ ہمارا گیت گاتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے مذہب چینج کیا خون نہیں چینج کیا خون اس میں ہندوستانی ہے۔ لیکن آج کیا ہو رہا ہے ان کے نام پر لوگوں کو لڑنے کا اور دیش کو توڑنے کا کام کیا جا رہا ہے۔ آپ اس پر غور کریں کہ ۱۹۷۱ء کی لڑائی میں ہمارے کسی آدمی نے پیٹھ نہیں دکھائی تھی۔ کھرانا صاحب میں وہی ایوب خان ہوں جس نے لڑائی میں پاکستان کے ایوب خان

کے جھگڑے چھڑا دیئے تھے۔ جب ہم لوگ پاکستان کی سرحد میں داخل ہوئے تو ہم نے کہا تھا کہ خداوندِ قدوس ہماری حفاظت کرنا اور ہمارے ملک کو فتح دینا۔ ہم نے یہ نہیں کہا تھا کھرانہ صاحب جیسے آپ لوگ بھاشن دیتے ہیں آپ کے بڑے بڑے نیتا لوگ جس طرح بھاشن دیتے ہیں ایک سمودائے کو تنگ کرنے اور اس کا وشواس توڑنے کا کام کیا جاتا ہے۔ یہ پیریاس آپ لوگوں کا رہتا ہے لیکن میں آپ سے اپیل کروں گا کہ ان چیزوں کو آپ چھوڑیئے اوپر اٹھئے اور دیش کی ایکتا اور اکھنڈتا کو قائم رکھئے۔

سبھاپتی مہودے انت میں ہوم منسٹر صاحب سے اپیل کروں گا کہ پچھلی بار چودہ سو کروڑ روپے کا بجٹ دیا گیا لیکن آج ان کی حالت ایسی ہے کہ کرمچاریوں کو دو تین تک نہیں مل پا رہا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس پر غور کریں گے اور بجٹ ایلوکیشن کر کے جلدی سے جلدی مدد دیں گے تاکہ وہاں کرمچاریوں کو دو تین مل سکے۔ میں یہ بھی اپیل کروں گا کہ وہاں پر کرپشن بے تحاشہ ہے جو پیسہ جاتا ہے وہ وہاں کے انجینئر اور آتنک وادی مل کر کھا جاتے ہیں۔ میری اپیل ہے کہ ڈیولپمینٹ کا جو پیسہ جاتا ہے اس کا صحیح اپیوگ ہونا چاہیئے اور وہاں پر بی۔ اے تک آپ ایجوکیشن فری کر دیجئے ہر ایک کو کھانا کپڑا فری ملے یہ بندوبست کر دیجئے تاکہ وہاں کے نواسی اُنتی کر سکیں نوجوانوں کو روزگار مل سکے یدی نوجوانوں کو آپ روزگار دے سکیں گے تبھی آپ اُن کا وشواس جیت سکیں گے ایسا میرا ماننا ہے۔ بندوق کی نوک پر کہیں بھی کسی پر فتح حاصل نہیں کی جا سکتی۔ ایسا میرا ماننا ہے۔ میرا یہ بھی ماننا ہے کہ پولیس فورس میں بھی کمی کی جانی چاہیئے کیونکہ اس کا بھار راجیہ سرکار کو سہن کرنا ہوتا ہے اور جو وہاں کے نواسی ہیں ان کو ناحق تنگ نہ کیا جائے گھروں میں لوگوں کو ٹارچر نہ کیا جائے گ یہ فیل نہ کریں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ جو ہندو بھائی وہاں سے

ممو میں آئے ہیں اُن کو ہر حالت میں واپس بھیجا جائے ان کی پوری حفاظت کی جائے اور ان کے مکانات کی مرمت اور عبادت گاہوں کو جو نقصان ہوا ہے اُن کی مرمت کرکے پوری حفاظت کی جائے ان ساری چیزوں کا بندوبست سرکار کو کرنا چاہیئے۔

میں ہوم منسٹر صاحب سے اپیل کرتا ہوں میں نے ایکس ہوم منسٹر مفتی محمد سعید صاحب کو بھی کہا تھا کہ ایک لڑکی تو کیا ہم کروڑوں لڑکیاں بھی دے سکتے ہیں دیش کیلئے ایسا ہمارا ماننا ہے۔ .....(مداخلت).....

میں یہ بھی انورودھ کرنا چاہوں گا کہ بی جے پی کے لوگوں کو آئندہ کوئی ایکتا یاترا رتھ یاترا یا اور کوئی یاترا نکالنے کی اجازت نہ ملے تاکہ ایسے موقعے پر ملک کے حالات خراب نہ ہو سکیں۔ .....(مداخلت)..

کھرانہ صاحب ہمارے دیش کی سنسکرتی ہے کہ اکبر کا سینا پتی راجپوت تھا مہارانہ پرتاپ کا سینا پتی مسلمان تھا شواجی کی فوج میں سی آئی ڈی کا اعلیٰ افسر مسلمان تھا جھانسی کی رانی کا اعلیٰ توپ دار مسلمان تھا دیش ٹریڈیشن اگر آپ قائم رکھیں گے تو ہم دیش کو بچا سکیں گے۔

انت میں میں اس ڈیمانڈس کا سمرتھن کرتے ہوئے اُمید کرتا ہوں کہ کشمیر کی حالت سُدھرے گی اور بی جے پی کے لوگوں کو مالک سدبدھی دے گا۔

....(مداخلت)...]

[हिन्दी]

प्रो० प्रेम धूमल (हमीरपुर) : सभापति महोदय, जम्मू काश्मीर के सम्बन्ध में जो गृह मन्त्री महोदय सांविधिक संकल्प लेकर आए हैं, उसके बारे में और जम्मू काश्मीर के बजट पर बहस चल रही है। मुझसे पहले जो माननीय सदस्य बोले हैं, इस बहस को सुनने के बाद ऐसा लग रहा है कि जम्मू काश्मीर पर बहस नहीं हो रही। वहां के मिलिटैंटस क्या कर रहे हैं, उसके बारे में हमारे मित्रों को चिंता नहीं, पाकिस्तान का कितना हाथ है, उसके बारे में चिंता नहीं, चाहे वे साम्यवादी मित्र हों, चाहे अयूब खां जी हों। ये एक ही बात कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया। हम शुरू से कहते आए हैं कि हमारी और आपकी सोच में मतभेद हैं। आप एकता यात्रा के विरुद्ध थे, आप धारा 370 के हक में हैं, हम विरोधी हैं। प्रजातन्त्र में आपको अपनी राय रखने का अधिकार है, हमें अपनी राय रखने का अधिकार है। बहस हो सकती है, लेकिन असली मुद्दा क्या है ? क्या असली मुद्दों से हट कर बहस करेंगे ?

मैं सुन रहा था अपने भूतपूर्व सैनिक साथी को। मैंने सोचा था कि पाकिस्तान के बारे में ये कुछ कहेंगे, आतंकवादियों के बारे में कुछ कहेंगे, लेकिन वे चुप रहे, एकता यात्रा की बात याद आयी। क्या यह समस्या एकता यात्रा से शुरू हुई है ? क्या धारा 370 के कारण यह समस्या पैदा हुई है ? अगर धारा 370 के कारण पैदा हुई है तो यह धारा आपने लगायी है। हम क्या मांग कर रहे हैं ? हम इस समय सत्ता में नहीं हैं और न ही धारा 370 को हटाने जा रहे हैं। हमारे कहने से धारा 370 हटने वाली नहीं है। हिन्दुस्तान की जनता इसमें निर्णय करेगी, हमें बहुमत देगी तो हम इसको हटाएंगे। आपको जनता ने बहुमत दिया है, आप इसको लगाए रखिए। लेकिन पाकिस्तान को छोड़ कर, आतकवादियों को छोड़ कर आप केवल भारतीय जनता पार्टी पर ही अटैक करते हैं। मुझे वह बात याद आती है, किसी शायर ने कहा है :

"माना कि तबाही में कुछ हाथ है दुश्मन का।
पर कुछ कयामत की चाल आप भी तो चलते हैं ॥"

हर बात में अगर आप सोचेंगे कि बी०जे०पी० ने कर दिया है तो ठीक नहीं होगा। अभी एक बात जो आपकी तरफ से बार-बार आ रही है वह यह है कि बड़ा क्वालीटेटिव चेंज हुआ है, फर्क आया है। क्या क्वालीटेटिव चेंज हुआ है, क्या आप उसको स्पैल-आउट करेंगे ? गृह मन्त्री महोदय की काश्मीर यात्रा का जिक्र किया गया। तीन दिन वहां कर्फ्यू लगा कर आपने तीन क्षेत्रों की यात्रा की है। उससे पहले गृह मन्त्री जी गए थे, 6 निर्दोष लोग उसके बाद मरे, वहां फायरिंग हुई, वहां से आपका डी० आई० जी० (सी०आई०डी०) एम्बुश किया गया, उसको अगुवा किया गया, दो महीने तक आपको पता नहीं चला कि वह कहां है। डोडा जिले में क्या स्थिति हुई, इसके बारे में जून 1990 में भारतीय जनता पार्टी के तीन सांसद वहां गए थे, हमने तब भी लिखा था कि डोडा जिले में स्थिति बहुत खराब हो रही है। भदरवा में, डोडा प्रोपर में और किश्तवाड़ में हम गए। हमने जो लिखा था अक्षर-अक्षर वे बातें सही साबित हुई। लेकिन जो रिपोर्टस उसके बाद आयीं हैं, आतंकवादी को पकड़ने के लिए आपके अर्ध-सैनिक बल के लोग और पुलिस गयी। वह आतंकवादी अपने घर में वापस आया था, उसके पास हथियार नहीं थे। उसको पकड़ने के लिए बाहर से शोर किया, उसको बाहर निकलने के लिए कहा, एक लड़की टिफिन में ग्रेनेड ले कर चली गयी, ग्रेनेड उसने फेंका, इतनी अफरा-तफरी आपकी फोर्स में थी कि उसको आप कन्ट्रोल नहीं कर सके। वह छत से होते हुए बाहर निकल गया। डी० पी० यादव, बी०एस०एफ० के

कमाण्डेंट का पिछले दिनों निशात लेक के पास कत्ल हुआ आतंकवादियों के द्वारा। जम्मू काश्मीर की असैम्बली का जो भवन है, राकेट लांचर के साथ उस पर अटैक होता है और आप कहते हैं क्वालीटेटिव चेंज हो रहा है। आतंकवादी वहां कन्ट्रोल कर रहे हैं। बजट की बात हो रही है। पिछले दिनों सैलरी बिल आपके बढ़ गए, कितना अनुमानित बजट था उससे ज्यादा सैलरी बिल बढ़ गए। क्यों बढ़ गए। क्योंकि आपको कर्मचारियों की पूरी संख्या पता नहीं।...

कुछ कर्मचारी आतंकवादियों के कहने पर रिक्रूट हो गए। मुझसे पूर्व वक्ताओं ने गृह मन्त्री जी से जो कहा है उस बात पर अवश्य गौर कीजिए। आपके पास ज्यादा रिपोर्ट आ रही हैं। आपके साधन स्रोत ज्यादा हैं। जो पैसा यहां से जा रहा है तो उसका ठेका मिलिटेंट्स के लोग लेते हैं। सारा पैसा मिलिटेंट फोर्स के पास जा रहा है और रिक्रूटमेंट जो रहा है उसमें मिलिटेंट जैसा चाहता है वैसा होता है, उस पर ध्यान दें, प्रशासन पर आपकी पकड़ बनी रहे। पिछले दिनों जुलाई में एक डी० एस० पी० की हत्या हुई। उनके संस्कार के बाद वापिस जा रहे थे तो सिक्योरिटी के बावजूद एक और डी० एस० पी० की हत्या कर दी गई। फिर, क्वालिटेटिव चेंज नजर आता है तो बड़ी विचित्र बात है। कुछ मित्रों ने कहा कि सैनिक और अर्ध-सैनिक बल वहां काम कर रहे हैं तो उनके खिलाफ मुकदमा चलना चाहिए। वहां वे ज्यादती करते हैं तो उसकी जांच होना उचित है। संसद से मैसेज जाए कि जो फोर्सेज वहां लड़ रही हैं तो इन्टरनल सैबोटेज के बावजूद लड़ना काफी मुश्किल होता है। किन परिस्थितियों में वे देश की एकता और अखंडता के लिए लड़ रहे हैं उनके प्रति हमारा यहां से संदेश जाना चाहिए। सारी फोर्स को आप गलत नहीं कह सकते हैं।

मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि राष्ट्रपति शासन छह महीने के लिए और बढ़ा रहे हैं और हर बार मैंने यह समस्या दोहरायी है और माननीय लोकनाथ चौधरी जी कह रहे थे कि जगमोहन जी ने कहा कि घाटी छोड़कर जम्मू या दिल्ली आ जाओ। मैं उनसे कहता हूं कि आप पंजाब आ जाओ, आपको बड़ी जमीन देंगे। घर छोड़कर कौन आता है। दिल्ली के टैंटों में जाकर देखें। ए०सी० में बैठकर पार्लियामेंट में भाषण दे सकते हैं। लेकिन किसी गवर्नर के कहने से कोई नहीं जाता। माननीय मित्र दो रातें परिवार के साथ जम्मू या दिल्ली के टैंट में बिताएं तो पता चलेगा कि वहां क्यों छोड़कर आए हैं। किसी वर्ग विशेष के बारे में कह देना कि वे वहां से जानबूझकर आ गए क्योंकि किसी गवर्नर ने कहा था, तो मैं कांग्रेसी मित्रों से कहना चाहता हूं कि आप हर बार जगमोहन का नाम लेकर अपनी बात शुरू करते हैं कि उन्होंने यह कर दिया तो वे 1983 में आपके कहने पर वहां गए थे। पहले गुलाम मोहम्मद की सरकार उठाई। वही फारुख अब्दुल्ला देशद्रोही थे और वे ही देश भक्त बन जाते हैं। आपकी परिभाषा बार-बार बदल जाती है। इसके कारण बहुत नुकसान हुआ है। फारुख अब्दुल्ला के पिताजी शेख अब्दुल्ला थे तो उनको मुख्य मन्त्री के तौर पर अरेस्ट किया और उनको 13 साल जेल में रखा, फिर समझौता किया। पहले समझौता करते हो, फिर अरेस्ट करते हो तो आपकी नीतियों का परिणाम आपके सामने आ रहा है। जो रिफ्यूजी आए हैं उनकी समस्याओं की ओर गृह मन्त्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। पहली बात तो उनके बच्चों के एडमिशन की है। कुछ ने वहां काश्मीर यूनिवर्सिटी में परीक्षा दे रखी है। कहा जाता है कि वहां आतंकवादियों का शासन चल रहा है और रिजल्ट व सर्टिफिकेट्स नहीं मिल रहे हैं। राजेश पायलट साहब यहां आ गए हैं तो इनके डिपार्टमेंट के लोग भी हैं। पोस्ट एण्ड टेलीग्राफ के बहुत से लोग जो घाटी से आए हैं उनके लिए वेतन का प्रबन्ध करना, खासकर जो अतिरिक्त विभागीय कर्मचारी थे उनको अभी तक एडजस्ट नहीं कर पाये। जो विस्थापित हैं सबसे बड़ी बात उनके पुनर्वास की है।

भगवान करे आप सफल हों अपने प्रयत्नों में, घाटी में स्थिति अच्छी हो और वे लोग वापस अपने घरों में जाएं और वहां शांति हो। सबसे बड़ी बात यही होगी। लेकिन जब तक यह स्थिति वहां पैदा नहीं होती तब तक आपको यह प्रयत्न करना पड़ेगा कि आप ऐसी परिस्थिति पैदा करें जिससे उनका पुनर्वास हो सके।

धारा 370 के बारे में मैं दोहराना चाहूंगा कि हमारी पार्टी का बड़ी स्पष्ट और मेरा व्यक्तिगत स्टैंड है कि वह समाप्त होनी चाहिए। आप जब तक चाहते हैं उसको शीत से रखिए, जब तक आप सत्ता में हैं। एक बात मोहम्मद अयूब खां कहकर चले गए। उन्होंने कहा कि मैं वह अयूब खां हूं जिसने पाकिस्तान के याकूब खां को हराया था, उड़ाया था। मैं कहूंगा कि एक शरीफ साहब आपकी केबिनेट में हैं उनसे कहें कि वे वहां के नवाज शरीफ को हल्का करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नवाज शरीफ जो पाकिस्तान के प्रधान मन्त्री हैं उनसे जब-जब बात होती है चाहे डावोस में हो वहां से हमारे प्रधान मन्त्री का सन्देश आता है कि बात बड़े अच्छे वातावरण में हुई बहुत अच्छी हो रही थी कि पाकिस्तान वहीं से ही अपने यहां कम्प्लीट हड़ताल की घोषणा करता है। बोर्डर पर आकर नारे लगाए जाते हैं और पाकिस्तान के प्रधान मन्त्री कहते हैं कि पाकि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। अब सचिव स्तर पर बात चल रही है। उसी समय उनका ऐसा बयान देना और हमारे प्रधान मन्त्री का यह कहना कि बातचीत जारी रहेगी, सम्बन्ध अच्छे होंगे, पता नहीं एक तरफा ट्रैफिक कब तक चलता रहेगा। जब तक आप सख्त होकर पाकिस्तान के खिलाफ स्टैंड नहीं लेंगे, जब तक आप स्पष्ट नहीं करेंगे कि आप हमारे खिलाफ आतंकवादियों को ट्रेनिंग देते रहेंगे और जब तक देश में गड़बड़ी करते रहेंगे आपके साथ बात करने को हम तैयार नहीं हैं। एक्सन लेने की बात जब तक आप नहीं करते, तब तक पाकिस्तान कोई दूसरी भाषा समझने वाला नहीं है।

गृह मन्त्री महोदय मैं नहीं जानता यह समाचार कितना सत्य है, लेकिन विगत दिनों एक समाचार पत्र में मैंने पढ़ा कि जो वर्तमान गवर्नर हैं उनको बदलने की भी चर्चाएं शुरू हो गई हैं, कोई लाबी काम कर रही है, जनरल हूम को लाने का प्रस्ताव आ रहा है। अगर ऐसी बात है तो आप जब बोलें तो थोड़ा सा इस पर भी स्पष्ट करके हमें बताएं कि स्थिति क्या है। क्या आप फिर एक्सपेरिमेंट गवर्नर पर करने जा रहे हैं।

मैं फिर एक बात को दोहराता हूं कि वहां जो हमारे अर्द्धसैनिक बल हैं और सैनिकबल काम कर रहे हैं वे बड़ी कठिन परिस्थितियों में काम कर रहे हैं। हमारी तरफ से कोई बात ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जिससे उनका मनोबल गिरे। प्रशासन पर पकड़ बने, आपके राजनैतिक बयान कम हों। जब परिस्थिति अच्छी हो आप चुनाव करायें, चुनाव कराने का आपको पूरा अधिकार है, लेकिन आप इस तरह से ऐसा मत करें।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

6.59 प्र० प०

विशेष न्यायालय (प्रतिभूति संव्यवहार अपराध विचारण) विधेयक*

[अनुवाद]

वित्तमन्त्री (श्री मनमोहन सिंह) : मैं **प्रस्ताव करता हूं कि प्रतिभूतियों में संव्यवहारों से संबंधित

*दिनांक 11-8-92 के भारत के राजपत्र असाधारण भाग-2, खण्ड-2 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत।

अपराधों के विचारण के लिये विशेष न्यायालय की स्थापना का और उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधायक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि प्रतिभूतियों में संव्यवहारों से सम्बन्धित अपराधों के विचारण के लिए विशेष न्यायालय की स्थापना का और उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधायक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री मनमोहन सिंह : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

6.59½ म० प०

विशेष न्यायालय (प्रतिभूति संव्यवहार अपराध विचारण) अध्यादेश, 1992 द्वारा तुरन्त विधान बनाए जाने के कारण बताने वाला विवरण

वित्त मन्त्री (श्री मनमोहन सिंह) : मैं विशेष न्यायालय (प्रतिभूति संव्यवहार अपराध विचारण) अध्यादेश, 1992 के द्वारा तुरन्त विधान बनाये जाने के कारणों को दर्शाने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

7.00 म० प०

जम्मू कश्मीर के संबंध में की गई उद्घोषणा को जारी रखने का—जारी अनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प

और

अनुदानों की मांगें (जम्मू-कश्मीर), 1992-93—जारी

श्री वी० राजारवि वर्मा (पोल्लाची) : सभापति महोदय, जम्मू और कश्मीर के बजट पर चर्चा में अन्ना डी०एम०के० की ओर से मुझे भाग लेने की अनुमति देने के लिए आपका धन्यवाद।

महोदय, जम्मू और कश्मीर में पिछले दो वर्षों से राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है और उससे पहले वहां पर छह महीने तक राज्यपाल का शासन था।

आज राष्ट्र की अखंडता के लिए सबसे बड़ा खतरा आतंकवाद है। सीमापार से बहुत बड़ी मात्रा में आतंकवादी हमारे देश में घुसपैठ कर रहे हैं। पाकिस्तान सक्रिय रूप से भारत में आतंकवाद को

बढ़ावा दे रहा है। जब तक भारत उग्रवाद का सामना करने के लिए एक के बाद एक विशेष कदम नहीं उठाता तब तक तो सभी राज्यों में आतंकवादी गतिविधियों को फैलने से नहीं रोका जा सका।

आतंकवादी गतिविधियों के कारण जम्मू और कश्मीर में लोकतांत्रिक संस्थाएं भी खतरे में हैं। जम्मू और कश्मीर में हिंदू-मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने के लिए और घाटी में धर्मनिरपेक्षवाद को बढ़ावा देने के लिए सरकार को जनजागरण कार्यक्रम शुरू करने चाहिए। घाटी में दूरदर्शन से विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जाने चाहिए और जिसमें देशवासियों के सदैव एकजुट रहने की आवश्यकता पर बल दिया जाना चाहिए। राज्यपाल को विशेष निधि और अनुदान उपलब्ध कराया जाना चाहिए और बच्चों को विशेष तौर पर राष्ट्रीय अखंडता की शिक्षा दी जानी चाहिए। सरकार को कश्मीर घाटी में बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए कदम उठाने चाहिए ताकि बेरोजगार नवयुवक निराशा के कारण आतंकवाद का रास्ता न अपनाएं।

महोदय, इस सम्बन्ध में मैं यह बताना चाहता हूं कि तमिलनाडु की मुख्य मंत्री और विलिष्ट नेता पुरची तलाइवी ने राज्य में लिट्टे का सफाया करने के लिए राज्य में एक के बाद एक कदम उठाए हैं। जनता में व्याप्त बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं और विघटनकारी ताकतों को दबाने के लिए उन्होंने देश के कानूनों का कारगर ढंग से इस्तेमाल किया है। उनके काम की प्रशंसा की जानी चाहिए और भारत के सभी राज्यों को उनका अनुसरण करना चाहिए।

महोदय अन्त में, मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह तमिलनाडु सरकार को आतंकवाद का सामना करने के लिए आवश्यक विशेष सहायता प्रदान करे जिसकी वह मांग कर रही है। मुझे आशा है कि सरकार मेरे अनुरोध पर विचार करेगी।

इन शब्दों के साथ मैं जम्मू और कश्मीर के बजट का समर्थन करता हूं।

श्री लोकनाथीश्वर राव चावड़े (विजयवाड़ा) : सभापति महोदय, 3 सितम्बर, 1992 से राष्ट्रपति शासन छह महीने और बढ़ाने के प्रस्ताव का समर्थन करने के साथ-साथ मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं।

7.03 अ० प०

[श्री पीटर जी० मरचलिआंग पीठासीन हुए]

महोदय, मैं माननीय प्रधान मंत्री और माननीय गृह मंत्री द्वारा दिए गए इस वक्तव्य से सहमत नहीं हूं कि जम्मू और कश्मीर की स्थिति में पर्याप्त सुधार हुआ है। केवल यही तथ्य कि उग्रवादी रॉकेट दाग कर राज्य की राजधानी श्रीनगर में विधान सभा भवन और सचिवालय भवन पर आक्रमण कर सकते हैं अपने आप में इस बात का संकेत है कि हमारी सेनाओं की उपस्थिति के बावजूद भी उग्रवादियों ने किस हद तक आधार और ताकत हासिल कर ली है। महोदय, स्थिति अभी भी बहुत गंभीर है। मेरा सुझाव है कि सरकार को आतंकवादियों की गतिविधियों को कम करने के लिए अपने प्रयास जारी रखने चाहिए। यदि आवश्यक हो तो इस काम के लिए घाटी में अर्द्ध सैनिक बलों को और मजबूत बनाया जाए

और उन्हें संभवत: पाकिस्तान और अन्य स्रोतों से हथियार और गोला बारूद प्राप्त कर रहे उग्रवादियों का सामना करने के लिए अत्याधुनिक हथियार प्रदान किए जाने चाहिए, इन उग्रवादियों के पास पहले से ही अत्याधुनिक हथियार हैं।

मैं यह भी आग्रह करता हूं कि उस राज्य में चुनाव करवाने का यह उचित समय नहीं है। चुनाव केवल तभी करवाए जाने चाहिए जब वहां निष्पक्ष चुनाव करवाने की स्थिति हो। इस बीच वहां ऐसा वातावरण तैयार करने के प्रयास किए जाने चाहिए। सरकार को घाटी के लोगों को ऐसा आभास कराना चाहिए कि वह अनुच्छेद 370 को समाप्त नहीं करेगी। सरकार अनुच्छेद 370 को बनाए रखेगी और सरकार उनमें विश्वास जगाने के लिए हर संभव कदम उठाएगी।

पिछले कुछ समय से कश्मीर में अस्तित्व राज्य सरकार या केन्द्र सरकार की गलतियों से कश्मीर के बहुत से लोग यह महसूस करने लगे कि भारत सरकार अनुच्छेद 370 को कड़ाई से लागू नहीं कर रही है। अनुच्छेद 370 उनकी अस्मिता को बरकरार रखता है, जिसे वह किसी अन्य चीज से अधिक चाहते हैं।

इस संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी के मेरे मित्र मुझे उनसे यह अनुरोध करने के लिए माफ करें कि वह अनुच्छेद 370 को समाप्त करने का अपना विचार त्याग दें। मैं अपने क्षेत्र में बहुत से सुझावों से मिला, जो अनुच्छेद 370 को शामिल करने की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को जाने बिना यह कहते हैं कि कश्मीर हमारे देश का भाग है और इसके लिए अनुच्छेद 370 की आवश्यकता क्यों है। वह स्थिति से एकदम अनभिज्ञ हैं। जब विभाजन हुआ था तो उस समय अनुभवी कश्मीरी नेता, शेर-ए-कश्मीर, शेख अब्दुल्ला और तत्कालीन महाराजा श्री हरी सिंह कश्मीर के भारत में विलय पर सहमत हुए थे। इस सम्बन्ध में एक विशिष्ट समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। बहुत से सुझावों को इस बात की जानकारी नहीं है और वह समझते हैं कि अनुच्छेद 370 को समाप्त करना उचित है। पाकिस्तान द्वारा प्रेरित उग्रवादियों को छोड़कर, जो देश को खण्डित करना चाहते हैं और कश्मीर की अशांत स्थिति से कुछ राजनीतिक लाभ लाभ उठाना चाहते हैं बहुत से लोग यह महसूस करते हैं कि अनुच्छेद 370 को ईमानदारी से लागू नहीं किया जा रहा है।

अत: इन परिस्थितियों में अनुच्छेद 370 को समाप्त करना राष्ट्र के हित में नहीं होगा। इस देश की एकता और अखण्डता के हित में नहीं होगा। कश्मीरी लोगों को हमारे देश के साथ रहना चाहिए। मैं भारतीय जनता पार्टी के अपने मित्रों से अनुरोध करता हूं कि वह अनुच्छेद 370 को समाप्त करने की अपनी मांग छोड़ दें।

श्री अयूब खान श्री मुफ्ती मुहम्मद सईद द्वारा कुछ उग्रवादियों को कब समय छोड़े जाने का उल्लेख कर रहे थे जब उनकी बेटी को कुछ उग्रवादियों ने पकड़ लिया था। मैं अपने मित्रों से पूछना हूं कि हमारे देश में इस तरह के तत्वों को किसने बढ़ावा दिया। क्या यह सत्य नहीं है कि कांग्रेस ने उन कुछ व्यक्तियों को टिकट दिया जिन्होंने एक इकाई अल्पमत का अवहरण किया? क्या यह सत्य नहीं है कि आपकी पार्टी ने अकाली दल को कमजोर करने के लिए श्री भिण्डरावाले को प्रोत्साहित किया?

अत: मैं कहना चाहता हूं कि अनेक राजनीतिक दलों की आलोचना करने के बजाय हमें अपने दिलो-दिमाग से काम लेना चाहिए, अपने दिलों को टटोलना चाहिए और सच्चाई बयान करनी चाहिए

हमें ऐसी आलोचनाएं नहीं करनी चाहिए और देश के भविष्य के लिए कुछ करने की कोशिश करनी चाहिए। अपने निजी संकीर्ण अलगाववादी स्वार्थों के लिये पहले की गई गलतियों को भुलाते हुए हमें राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देनी चाहिए।

मुझे आशा है कि सरकार इस प्रकार के गलत कार्यों का सुधार ठीक करेगी और जम्मू और कश्मीर में भविष्य में चुनाव करवाने के लिए और वहां से उग्रवाद को समाप्त करने के लिए सकारात्मक परिस्थितियां पैदा करेगी।

[हिन्दी]

श्री पीयूश तीरकी (अलीपुरद्वार्स) : चेयरमैन, सर, कश्मीर में प्रेसीडेंट रूल फिर बढ़ा देने की बात कही गई है, यह अच्छी बात तो नहीं है, किन्तु विषय ऐसा है कि देशवासियों को और सब दलों का इसमें राजी हो जाना मुनासिब हो गया है इसलिए कि इलेक्शन कराने की अवस्था अभी तक वहां सरकार पैदा नहीं कर पाई है।

सभापति महोदय, कश्मीर के तीनों भागों में अलग-अलग समस्याएं हैं। एक तो आक्यूपाइड कश्मीर है जिसके बारे में अभी तक यह पता नहीं है कि यह आक्यूपाइड कश्मीर कभी हिन्दुस्तान का अंग बनेगा या नहीं या पाकिस्तान को दे दिया गया है। यह भी अभी तक देशवासियों को मालूम नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है कि यदि यह आक्यूपाइड कश्मीर पाकिस्तान को नहीं दिया गया है, तो फिर इसको लेने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है? दूसरे नम्बर पर जम्मू है। जम्मू में ज्यादा झमेला नहीं है। जम्मू में कुछ शांति है। तीसरा भाग लद्दाख है। लद्दाख की अवस्था कुछ अलग है और वहां रहने वाले लोगों का अपना कल्चर अलग है। इस प्रकार लद्दाख, जम्मू और कश्मीर को मिलाकर, इन तीनों भागों की तीन अलग-अलग समस्याएं हैं।

सारे जम्मू, कश्मीर और लद्दाख में सारी जगह पर डिस्टर्ब एरिया नहीं है। जहां पर डिस्टर्ब एरिया है, जहां पर काम करने में असुविधा हो रही है, झमेला हो रहा है, उस जगह पर ध्यान देना सरकार का काम है। इस क्षेत्र में काम करना चाहिये और पालिटिक्स करने के बदले पहले जम्मू-कश्मीर को अपने हाथ में रखिए। यह पालिटिक्स ही वहां के हालात को बिगाड़ने के लिए जिम्मेदार है।

वहां पर बार्डर सील करने के लिये कहा गया है। अभी तक आप बार्डर सील नहीं कर पाये हैं और हमारे पड़ोसी देश जो हैं, उनके साथ सम्बन्ध रखना अच्छा भी, परन्तु जिस तरीके से पाकिस्तान हमारी छाती पर लात मार रहा है, वहां से मिलिटेंट भेज रहा है, वहां पर ट्रेनिंग सेंटर चला रहा है। इस बात को देखते हुए, सरकार पाकिस्तान की इस कार्रवाई को रोकने और इन सेंटरों का बन्द करने के लिए कौन से कदम उठाने जा रही है? बार्डर कब तक सील हो जायेगा, इसके बारे में जनता को बताएं। फिर लद्दाख की समास्या है। उनकी अपनी रीति-नीति, भाषा और संस्कृति है। वे ट्राइबल हैं। उनका जो कल्चर है, जो भाषा है, उसकी रक्षा करने के लिये इस सरकार ने क्या-क्या कदम उठाये है? कहीं ऐसा न हो, जम्मू-कश्मीर के चलते, कहीं समूचा कश्मीर हाथ से फिसल जाये? जम्मू, कश्मीर और लद्दाख, संपूर्ण क्षेत्र में एक बीमारी फैल जाये और फिर हम लोग उसका नाम लेने में भी मुश्किल महसूस करें।

इसलिये मेरे कहने का मतलब यह है कि जहां-जहां पर विशेष इलाके हैं, वहां-वहां पर सरकार

को विशेष ध्यान देना चाहिए और यहां के जितने भी कर्मचारी हैं, उनको विशेष रूप से ट्रेनिंग दे करके ऐसे आदमी को वहां भेजें, जिससे वहां पर कोई कम्युनल राइट न हों बल्कि भाईचारे का वातावरण पैदा हो सके और जब तक ऐसा वातावरण पैदा नहीं होगा और पाकिस्तान जिस अस्त्र से लड़ना चाहता है, यदि उसका उसके ही अस्त्र से मुकाबला नहीं किया जाएगा, तब तक यह झमेला बना रहेगा। उसका बहाना लेकर सारे हिन्दुस्तान में जिस प्रकार का वातावरण तैयार हो रहा है, उसको जल्दी से जल्दी रोकने की जिम्मेदारी सरकार की है। यदि सरकार हमारे से सहायता चाहे तो मेंबर पार्लियामेंट जा सकते हैं, सलाह-मशविरा हो सकता है। इसकी अवधि को बार-बार बढ़ाने से नहीं होगा, इसकी कोई लिमिट होनी चाहिए।

गृह मंत्रीजी से हम कहना चाहते हैं कि इस अवधि को अब आखिरी बार बढ़ाया जाये और छह महीने में वहां पर ऐसी व्यवस्था की जाये जिससे वहां पर इलेक्शन करवाकर पापुलर सरकार बनाई जा सके।

[अनुवाद]

श्री ई० अहमद (मंजेरी) : सभापति महोदय, अन्तःविरोध के भय के बिना मैं इस सभा से अनुरोध करता हूं कि कश्मीर सिर्फ कानून व्यवस्था की ही समस्या नहीं है जिसे एक बड़ी छड़ी से नियन्त्रित किया जा सकता है या सहज में ही गोली चलाने वाले उग्रवादियों पर कुछ गोलियां चला करके हल किया जा सकता। यह समस्या इससे अधिक राजनीतिक है और कश्मीरी लोगों के मन को भी विक्षुब्ध करने वाली है।

मेरे माननीय साथी चुनाव का उल्लेख कर रहे थे। कश्मीर में चुनाव करवाने का प्रस्ताव भी था। मैं अनुरोध करता हूं कि चुनाव करवाने से पहले सरकार को कश्मीर में अनुकूल राजनीतिक माहौल बनाने के लिये कदम उठाने चाहिये। इस संबंध में, मैं माननीय प्रधानमन्त्री द्वारा हिन्दुस्तान टाइम्स को दिये गये साक्षात्कार में की गई टिप्पणी का उल्लेख करना चाहता हूं :

> "यदि कुछ लोग यह समझते हैं कि भारतीय संविधान के अन्तर्गत लोगों की आकांक्षाएं स्वायत्तता प्रदान करने से पूरी हो सकती हैं तो हमें उस सम्भावना का पता लगाना होगा।"

प्रधानमन्त्री ने उल्लेख किया है कि उन्हें उग्रवादियों से या उन लोगों से चर्चा करनी है जिनके मन में कश्मीर के लोगों के लिए स्वायत्तता की आकांक्षा है। जैसाकि प्रस्ताव किया गया है। यह इस मामले की जटिलता है। अतः मेरे अनुसार पहली बात यह है कि भारत सरकार को कश्मीर के लोगों को मनवाना चाहिए कि भारत सरकार की नियति उन्हें कुछ स्वायत्तता प्रदान करने की है। सरकार को यह भी स्वीकार करना होगा कि वह कश्मीरी समाज की संस्कृति की सुरक्षा करेगी इसके लिये अनुच्छेद 370 को कारगर ढंग से लागू किया जायेगा और सहज में गोली चलाने वाले उग्रवादियों, जो पाकिस्तान सरकार के समर्थक हैं, द्वारा गुमराह किये गये युवकों को वापस लाया जायेगा। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान अपना ही बहुत बड़ा नुकसान कर रहा है क्योंकि कश्मीर के लोग शेष देश देश के साथ अपनी पहचान बनाए रखना चाहते हैं। हमें उनके रास्ते में बाधक नहीं बनना चाहिये और हमें उन लोगों को सही संकेत देना चाहिये कि बाकी देश के लोग हमेशा उनके साथ रहेंगे। इस सम्बन्ध में, मैं माननीय गृह मंत्री से आग्रह करता हूं कि वह कश्मीर में सुरक्षा बलों और नागरिक लोगों के बीच कथित विवाद के बारे में

जांच करें। यहां पर मैं इसका उल्लेख मात्र गृह मन्त्री से आवश्यक जांच-पड़ताल करने के लिए कर रहा हूं। श्रीनगर के पास एक मोहल्ले में जिस महिला ने कुछ सप्ताह पहले एक बच्चे को जन्म दिया था उसे भी सुरक्षा कर्मियों ने गिरफ्तार कर लिया है स्थानीय महिलाओं और सुरक्षा कर्मियों के बीच हाथापाई हुई थी जिसमें 20 महिलाएं घायल हुईं। बाद में इस युवा महिला को मानवीय आधार पर छोड़ दिया गया था। आरोप लगाया गया था कि वह पाकिस्तानी प्रशिक्षित आतंकवादी है लेकिन महिला ने इस बात से इन्कार किया। स्थानीय लोगों ने प्रैस के लोगों को बताया कि उसका पति एक आतंकवादी था। प्रत्येक कश्मीरी को आतंकवादी मानते हुए एक महिला को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस मामले की निंदा की जानी चाहिये।

मैं माननीय मन्त्री का ध्यान इस बात की ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं कि एक सदस्य ने कुछ कार्यालयों में भ्रष्टाचार का उल्लेख किया है। यह बताया गया है कि कुछ अधिकारियों ने उन राइफलों, मशीनगनों तथा काफी मात्रा में सोने को बेईमानी से हथिया लिया जो उन्होंने इखवनूल में मुस्लिम अड्डों पर छापा मारने के समय जब्त किए थे। हालांकि इस बारे में शीघ्र कार्यवाही करते हुए सरकार ने इन व्यक्तियों को निलंबित कर दिया। अत: हमें इन शिकायतों की जांच करनी है।

साथ ही मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह उन व्यक्तियों की ओर भी ध्यान दे जिन्हें वह क्षेत्र छोड़ने के लिये मजबूर होना पड़ रहा है। मैं सरकार से यह भी आग्रह करता हूं कि जनता में यह विश्वास पैदा किया जाना चाहिये कि भारत सरकार उनकी भावनाओं, इच्छाओं और उनकी मन:स्थिति का सम्मान करती है।

मेरा सरकार से यह आग्रह भी है कि वह एक संसदीय समिति गठित करे जो कश्मीर जाकर वहां की जनता की शिकायतों तथा उन पर किये जा रहे अत्याचारों का पता लगाएं। कश्मीरी जनता सदैव भारत का ही साथ देगी और कश्मीर धर्मनिरपेक्ष भारत के लिये एक परीक्षण स्थल है।

निसंदेह कश्मीरी जनता इस बात को महसूस करेगी कि उनके लिये भारत का धर्म निरपेक्ष लोकतंत्र पाकिस्तान के आधिपत्यवाद से कहीं बेहतर है। मुझे आशा है कि इस देश के समस्त लोग जो भी आवश्यक होगा वह करेंगे ताकि कश्मीर घाटी के लोग शेष भारत के साथ हों।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं यह आशा करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं कि माननीय गृह मंत्री इस मामले में उचित कदम उठाएंगे।

श्री बिप्लब बसु (बारसाट) : मैं माननीय गृह मन्त्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए हिचकिचाते हुए खड़ा हुआ हूं। मेरी इस हिचकिचाहट के दो कारण हैं जिनका उल्लेख मैं जम्मू और कश्मीर की समस्या के बारे में बोलने का अवसर मिलने पर पर करता रहा हूं।

इसका एक कारण यह है कि सरकार कश्मीर के सम्बन्ध में नीति न होने से इस समस्या का सामना कर रही है। मैं नहीं जानता कि क्या गृह मन्त्री को भी स्वयं इस बात की जानकारी है कि कश्मीर के बारे में भारत सरकार की नीति क्या है।

मेरी हिचकिचाहट का दूसरा कारण यह है कि कश्मीर की जनता, राष्ट्र की और अन्तर्राष्ट्रीय

राय के प्रति सरकार ने अक्सर विरोधात्मक कार्यवाही की है। यह सही अवसर है कि भारत सरकार को स्पष्ट रूप से अपनी कश्मीर नीति बनानी चाहिए ताकि कश्मीर की जनता, हमारे शत्रु अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय हमें समुचित रूप से समझ सकें और भारत की नीति के प्रति समुचित प्रतिक्रिया कर सकें।

मेरा सुझाव है कि भारत की कश्मीर नीति दो मूलभूत सिद्धांतों पर आधारित होनी चाहिए। हम भारत के भाग विशेष को सेना द्वारा नहीं जीत सकते हैं। हमें कश्मीरी जनता के दिल को जीतना है। जो क्षेत्र भारत का ही है उस पर आधिपत्य करने का कोई प्रश्न ही नहीं है। भारत की कश्मीर नीति में कश्मीरी जनता की मनःस्थिति और उनके व्यक्तित्व को मान्यता देनी चाहिए। भारत की कश्मीर नीति में इन दो मुद्दों को प्रमुखता देनी चाहिए।

मेरे पास अधिक समय नहीं है अतः मैं कुछ ज्यादा नहीं कहूंगा। इन दो महीनों—जून और जुलाई में विरोधात्मक वक्तव्य दिए गए हैं। मैं केवल दो पंक्तियां उद्धृत करता हूं।

जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल ने 20 जून को कहा था :

"पिछले आठ महीनों में आतंकवादी गतिविधियों में कमी आई है।"

जुलाई में उन्होंने कहा था :

"आतंकवादियों के हौसले पस्त हो रहे हैं और यह प्रवृत्ति बदलेगी नहीं।"

लेकिन यदि आप मुझे सरकार से उपलब्ध कुछ आंकड़े तथा आज 'टाइम्स आफ इण्डिया' में प्रकाशित महत्वपूर्ण आंकड़े बताने की अनुमति दें तो पाएंगे कि पिछले कुछ महीनों में हिंसा की घटनाओं लोगों की हत्याओं, निर्दोष व्यक्तियों की हत्याओं तथा मारे गए आतंकवादियों की संख्या में वृद्धि हुई है।

इस प्रकार जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल और गृह मन्त्री द्वारा किए गए दावों अथवा दिए गए वक्तव्य वास्तविक स्थिति के अनुरूप नहीं हैं।

अन्त में मेरा यह कहना है कि कश्मीर की नीति पुलिस अथवा रक्षा कर्मियों को प्रसन्न करने के लिए नहीं होनी चाहिए। इसे अन्तर्राष्ट्रीय सहमति मिलनी चाहिए और हमें कश्मीर समस्या को अन्तर्राष्ट्रीय सहमति के संदर्भ में बनाना चाहिए और जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे तब तक हम कश्मीर में यह युद्ध नहीं जीत सकते हैं। मैं मानता हूं कि मुझे यह नहीं कहना चाहिए कि हम युद्ध नहीं जीत सकते हैं लेकिन मुझे विश्वास है कि हम कश्मीर का युद्ध हारेंगे नहीं।

मुझे बताया गया है कि सेना के एक वर्ग ने यह आकलन किया है कि पाकिस्तान ने खुले रूप से आतंकवादियों को समर्थन देना शुरू कर दिया। भारत की ओर से इसका उचित उत्तर दिया जाना चाहिए और समुचित अन्तर्राष्ट्रीय समर्थन प्राप्त करने के लिए हमें अपने कूटनीतिक प्रयास तेज कर देने चाहिए। मेरे विचार से इसमें कुछ कमियां हैं। पाकिस्तान ने अपनी बात स्पष्ट कह दी है। जून में यह कहा गया कि पाकिस्तान कश्मीरियों के उनके स्व-शासन के संघर्ष के लिए नैतिक, राजनीतिक और कूटनीतिक समर्थन दे रहा है।

इस प्रकार पाकिस्तान की नीति बिलकुल स्पष्ट है और मेरे विचार से कूटनीतिक तौर पर हमें अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय को यह बताना चाहिए कि पाकिस्तान को अलग-थलग कर दें। कश्मीर की जनता का दिल जीतकर हमें राष्ट्रीय एकता और अखण्डता बनाए रखनी चाहिए और तभी हम कश्मीर में युद्ध जीत सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री छेदी पासवान (सासाराम) : सभापति महोदय, 18 जुलाई 1990 को जारी की गई, उद्घोषणा को 3 दिसम्बर, 1992 से और 6 माह की अवधि के लिए जारी रखने के अनुमोदन की मांग की गई है और इसके अलावा बजट 1992-93 की अनुदान मांगों के समर्थन में बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं।

एक बात है कि हालांकि इस बजट का समर्थन तो करना है, लेकिन मैं इस बात को मजबूती के साथ कहूंगा कि इस बजट को आखिर सरकार कब तक पास करती रहेगी। क्यों नहीं जम्मू-कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाल की जाती है, ताकि वहां के लोग अपना बजट स्वयं पास कर सकें। बार-बार राष्ट्रपति शासन बढ़ाया जा रहा है, यह कोई अच्छी बात नहीं है। परिस्थिति ही कुछ ऐसी बनी हुई है, हम लोगों को मजबूर होकर इसका समर्थन करना पड़ रहा है।

यह बजट एक औपचारिकता है, क्योंकि जो बातें पिछले बजट में माननीय सदस्यों ने कही थीं, हम सिर्फ उनकी पुनरावृत्ति कर सकते हैं। मैं सरकार से जानना चाहूंगा कि पिछली बार जो बजट पास हुआ था, उसकी परफोर्मेन्स रिपोर्ट क्या है ? किसी भी बजट की परफोर्मेन्स रिपोर्ट बताती है कि पिछले वर्ष जो हमने पैसा दिया था, उसमें कितना खर्च हुआ, किस मद में खर्च हुआ या खर्च नहीं हुआ। यह बहस तभी सार्थक होगी, अगर हमारे पास यहां परफोर्मेन्स रिपोर्ट होगी। इसलिए जो पैसा खर्च हुआ है, हम उसके सम्बन्ध में मन्त्री जी से जानना चाहेंगे ?

सभापति महोदय, मैं दो-तीन उदाहरण देना चाहता हूं। माननीय मन्त्री यहां बैठे हुए हैं। जवाब देते समय वे कृपया बताएंगे कि पिछले तीन वर्षों में जैसा कि हमारे माननीय मदन लाल खुराना जी ने कहा कि 140 पुल और 250 स्कूल या तो आतंकवादियों द्वारा उड़ा दिए गए हैं या जला दिए गए हैं, इनके लिए जो पैसा पिछले बजट में पास हुआ था, उसका क्या हुआ ? ये स्कूल और पुल अभी तक क्यों नहीं बने हैं ? सबसे बड़ी बात यह है कि जम्मू-कश्मीर की वादियों में उग्रवाद फैला हुआ है। इसकी पृष्ठ भूमि में अगर हम लोग जायेंगे तो देखेंगे कि वहां टोटल उग्रवाद फैला हुआ है। यह सब कांग्रेस की गलत नीतियों की वजह से हुआ है। उदाहरण के तौर पर, पंजाब में उग्रवाद फैला, जब तक अकाली दल में कांग्रेस के लोगों को लाभ होता रहा, तब तक भिंडरावाले को कहते रहे कि यह राष्ट्रभक्त है और जब भिंडरावाला इनके हाथ से निकल गया तो इन लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि वह उग्रवादी है। यही स्थिति जम्मू-कश्मीर की है। फारुख अब्दुल्ला को हटा कर 1983 में गुलाम मोहम्मद शाह को जम्मू-कश्मीर का मुख्यमन्त्री बनाया गया। उसी समय वहां उग्रवाद बढ़ा है। इसी तरह से हमारे बिहार में जो विपक्ष के नेता हैं, जिन्होंने गांधी मैदान, पटना रेलवे जंक्शन को बेचा, वे प्रतिदिन मांग करते हैं कि बिहार सरकार बर्खास्त की जाए। अगर भूल से भी केन्द्रीय सरकार ने बिहार सरकार को बर्खास्त कर दिया, तो वही स्थिति होगी जो जम्मू-कश्मीर में है और पंजाब में है। वही स्थिति बिहार में भी कायम

हो सकती है। इसलिए मैं केन्द्रीय सरकार से मांग करूंगा कि बिहार सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लागू करते समय इन बातों को ध्यान में रखेंगे, ताकि वहां उग्रवाद न बढ़ सके।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : सभापति महोदय, जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन बढ़ाने के सम्बन्ध में जो बिल मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत किया गया है, उसका समर्थन करने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मैं कहना चाहता हू कि यह कब तक समय बढ़ाने का सिलसिला चलता रहेगा। सबसे पहली बात यह है कि सभी पक्षों के भाषण सुनने के बाद मुझे बड़ी तकलीफ हुई। कश्मीर पूरे देश का है, न किसी पार्टी का है और न किसी दूसरे का है। ऐसी स्थिति में कश्मीर की समस्या का समाधान करना चाहेंगे, तो सभी राजनीतिक पार्टियों को एक आवाज देनी होगी कि कश्मीर की समस्या का निदान कैसे करें। बाहरी क्रिटिसिज्म के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा सुझाव देने चाहिए कि हम इस तरह से इस को कैसे हल कर सकते हैं जिससे कश्मीर की समस्या को सुलझाने में मदद मिले। वहां सेना लड़ रही है, वहां हमारे सिपाही लड़ रहे हैं और बहुत बहादुरी से काम कर रहे हैं। लेकिन आपको उन पर भी नजर रखनी पड़ेगी कि कहीं उन बहादुरों ने कोई गलती तो ऐसी नहीं कर दी है, जिससे यह मामला खराब बन जाता है। ऐसी स्थिति से यह भी जरूरी है कि अपने उन बहादुरों के ऊपर ध्यान रखना होगा कि वे कोई ऐसी गलती न करें, क्योंकि वहां पर एक नाजुक स्थिति में लड़ाई चल रही है।

तीसरी बात मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि चुनाव की बात जो कही जा रही है, चुनाव के लिए इतनी जल्दी नहीं होनी चाहिए जब तक कि कुछ सामान्य स्थिति पैदा न हो जाए तब तक वहां चुनाव कराने से कोई लाभ नहीं होगा।

मैं अपने गृह मन्त्री जी से यही कहता हूं कि इस पर गृह मन्त्री खूब गौर करें कि कैसे हम कश्मीर को भारत का अंग बनाए रखें जोकि सर्वदा हमारे साथ था वह अलग न हो। जो धारा 370 है इस धारा को समझौते के तहत बनाया गया था इसलिए उस धारा के सभी अनुच्छेद का पालन होना चाहिए। इतना ही कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

गृह मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : सभापति महोदय, मैं उन सभी माननीय सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने जम्मू और कश्मीर में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने संबंधी संकल्प के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए हैं। जम्मू और कश्मीर की समस्या को कैसे सुलझाया जा सकता है। इस बारे में प्रत्येक माननीय सदस्य के अलग-अलग सुझाव हैं। प्रत्येक माननीय सदस्य ने यह कहा है कि इस समस्या के समाधान के लिए एक राष्ट्रीय रवैया अपनाना चाहिए। समस्या पर एक पक्ष से विचार नहीं किया जा सकता है। लेकिन साथ ही अनेक माननीय सदस्यों ने वही पुरानी बातें दोहरायी हैं और मुझसे अनेक प्रश्न पूछे हैं। मेरे विचार से यदि मैं माननीय सदस्यों के प्रश्नों के उत्तर दूं तो सभा में उचित वातावरण बना नहीं रहेगा। हमें बीते हुए समय को भूलकर इस समस्या को यथार्थवादी तरीके से और राष्ट्रीय भावना के साथ सुलझाना चाहिए। हमें इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि इसमें कुछ मूलभूत बातें शामिल हैं। यदि आप कहें कि हम आपसे सहमत हैं कि इसका एक राष्ट्रीय समस्या के रूप में समाधान किया जाए तो मेरा कहना है कि हमारे दल का एक दृष्टिकोण है और हमने एक निर्णय लिया है कि हम इस नीति का पालन करेंगे और हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। यदि ऐसा है तो मुझे संदेह है कि

आप अपेक्षित सहयोग नहीं देंगे क्योंकि कुछ माननीय सदस्यों ने इससे अलग विचार प्रकट किए हैं। अनुच्छेद 370 को समाप्त करने तथा दूसरा पूर्ण स्वायत्तता दिए जाने का प्रश्न है। जब अनुच्छेद 370 संविधान में शामिल किया गया उस समय जो स्थिति थी आपको वही स्थिति लानी है। मैं नहीं जानता कि माननीय सदस्य इससे सहमत हैं। कुछ माननीय सदस्यों ने यह भी कहा है कि सरकार ने अनुच्छेद 370 की भावनाओं का उल्लंघन किया है भारत में पारित सभी कानूनों को वहां लागू किया है। मेरे विचार से यह उन तथ्यों का परिणाम नहीं है। जिन सदस्यों ने यह कहा है कि अनुच्छेद 370 के बावजूद हमने इस संसद में कुछ नियम पारित किए थे और उन्हें भी निर्धारित प्रक्रिया का उल्लंघन करते हुए जम्मू और कश्मीर पर लागू किया जाए, मैं उनसे इस बारे में और जानकारी चाहता हूं। मेरी जानकारी के अनुसार 1954 के आदेशों में निर्धारित प्रक्रिया जो विशेष रूप से जम्मू और कश्मीर के लिए बनाई गई थी, का एक बार भी उल्लंघन नहीं किया गया है। इसके अनुसार यदि संसद कोई कानून पारित करती है तो राष्ट्रपति को विशेष आदेश जारी करना होता है तथा राष्ट्रपति द्वारा आदेश जारी करने पहले से जम्मू और कश्मीर सरकार से परामर्श किया जाना होता है। उनकी सहमति के बाद ही हम आदेश जारी करते हैं। इस प्रक्रिया का अभी तक उचित रूप से पालन किया गया है। मेरे विचार से एक बार भी इस प्रक्रिया का उल्लंघन नहीं किया गया है। जब कुछ माननीय सदस्यों ने इस बारे में कहा तब मुझे बहुत हैरानी हुई।

इस समस्या के बारे में यह दो विपरीत विचार हैं और फिर भी हम कहते हैं कि हम इस समस्या का समाधान देश की एकता और अखंडता के भीतर ही करना चाहते हैं और हम इस समस्या का समाधान खोजने का प्रयास कर रहे हैं। आपमें कुछ लेने के लिए कुछ त्याग करने की भावना होनी चाहिए। मैं नहीं समझता कि उसके बगैर हम समस्या का समाधान खोजने के बारे में सोच सकते हैं।

कुछ माननीय सदस्यों ने बहुत जोर-शोर से एक अन्य विचार भी पेश किया था कि हम उग्रवादियों से बात करने वाले हैं और इस तरह समस्या को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। निश्चित रूप से हम इस तरह बातचीत करने के खिलाफ नहीं हैं बशर्ते कि यह बातचीत संविधान के मानदंडों के अन्तर्गत हो। कोई भी बातचीत करने से पहले संवैधानिक उपबंधों का पालन होना जरूरी है। साथ ही जो लोग बातचीत करना चाहते हैं उन्हें यह आश्वासन देना चाहिए कि वे हिंसा छोड़ देंगे। ये वे दो मूलभूत बातें हैं जिन पर हम निश्चित रूप से जोर देंगे। हम किसी भी बातचीत के खिलाफ नहीं है। मैं जानता हूं कि ऐसे युवकों की संख्या बहुत अधिक है जिन्हें वास्तव में जम्मू-कश्मीर से बाहर जाने के लिए मजबूर किया गया है। उन्हें वहां प्रशिक्षित किया गया है। उन्हें पैसा दिया जाता है। उन्हें हथियार उपलब्ध किए गए गये हैं और उन्हें वैचारिक समर्थन भी दिया गया है। अभी तक पाकिस्तान ने इस बात से इन्कार किया है और वे कहते हैं कि उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया है, उन्होंने कभी भी न तो पंजाब में न ही जम्मू-कश्मीर में ही आतंकवाद को बढ़ावा दिया है। सौभाग्य से पाकिस्तान के प्रधानमन्त्री ने एक वक्तव्य दिया और उस वक्तव्य से यह पूरी तरह से स्पष्ट हो गया कि पाकिस्तान की नीति क्या है। उन्होंने स्पष्ट रूप से खुले आम कहा है कि जो लोग आत्म निर्णय के लिये आंदोलन कर रहे हैं उन्हें नैतिक और भौतिक दोनों तरह से पूरा समर्थन मिलेगा।

श्री इन्द्र जीत (दार्जिलिंग) : राजनैतिक भी।

श्री एस० बी० चव्हाण : अतः यह वक्तव्य बहुत स्पष्ट है। इसमें कोई संशय नहीं है···(व्यवधान)

लेकिन जब श्री चित्त बसु हां कहते हैं तो मुझे भी उनसे यह प्रश्न पूछने की इच्छा होती है।

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा था कि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि पाकिस्तान शिविर चला रहा है और वे जानना चाहते थे कि भारत सरकार की इस सम्बन्ध में क्या नीति है। श्री चित्त बसु या कोई अन्य सदस्य, यह आग्रह कर रहे थे कि हमें यह सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाने चाहिए कि ये शिविर नष्ट हो जाएं। लेकिन यह कैसे किया जाय यही मुख्य बात है। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य भारत सरकार को इस तरह के कदम उठाने के लिए मजबूर नहीं करेंगे जिसके कारण अनावश्यक ही ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए जिस से हम बचना चाहते हैं। पाकिस्तान और भारत एक दूसरे के अच्छे दोस्त, अच्छे पड़ौसी बनना चाहते हैं, एक दूसरे की परेशानी समझने की कोशिश कर रहे हैं। जब कभी पाकिस्तान की कोई बड़ी समस्या होती है तो वे तुरन्त कश्मीर समस्या आगे ले आते हैं। मुझे उन समस्याओं की जानकारी है जिनसे वे जूझ रहे हैं। मैं इनके विस्तार में नहीं जाऊंगा लेकिन इस सम्बन्ध में हमारी स्थिति स्पष्ट है। पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधान मन्त्री श्री भुट्टो और श्रीमती इंदिरा गांधी के बीच शिमला में एक समझौता हुआ था। अत: वह शिमला समझौता दोनों पक्षों पर एक समान रूप से लागू है···(व्यवधान)

श्री भवन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : एक तरफा तो नहीं।

श्री एस० बी० चव्हाण : निःसन्देह यह एक तरफा नहीं हो सकता है। जब हम समझौते की बात करते हैं तो समझौता दो पक्षों के बीच ही होता है। अत: जब दोनों पक्ष सहमत हो गए हैं, तो जहां तक मैं समझता हूं सुरक्षा परिषद का पूर्वकालिक संकल्प स्वत: ही प्रभावहीन हो जाता है। अत: नवीनतम स्थिति यह है कि हम शिमला समझौते से बंधे हैं और शिमला समझौते के मुताबिक इस द्विपक्षीय मुद्दे को द्विपक्षीय आधार पर हल किया जाना चाहिए। पाकिस्तान का हमेशा यह प्रयास रहा है कि इस मुद्दे को अन्तर्राष्ट्रीय रूप दे दिया जाय। इस बात को उन्होंने इस्लामिक देशों के संगठन में भी रखा है। यह बात उन्होंने अन्य देशों के साथ भी उठाई है।

लेकिन अमरीकी सरकार ने भी स्पष्ट रूप से कहा है कि इस मुद्दे को शिमला समझौते के अनुसार हल किया जाना चाहिए। यह उन्होंने पहला नीतिगत वक्तव्य दिया है। इस तरह का वक्तव्य ब्रिटिश सरकार ने भी दिया है और उन्होंने साफ-साफ कहा है कि इस मुद्दे को केवल शिमला समझौते के अनुरूप ही हल करने की आवश्यकता है। अत: हमें इस पर विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए और आवश्यक माहौल पैदा करना चाहिए ताकि हम द्विपक्षीय रूप से इस समस्या का कोई मान्य हल खोज सकें।

जब हम ऐसा कोई कार्य करते हैं और यदि भड़काऊ वक्तव्य दिए जाएं और भड़काने वाली कार्यवाही की जाए, वैसे मैं किसी कार्यवाही विशेष का जिक्र नहीं कर रहा हूं। तो इससे हमारा वह माहौल खराब हो जाता है जोकि हम बनाना चाहते हैं। अत: मेरी सभी राजनीतिक दलों से अपील है कि आप के पास लड़ने के लिए भारत के शेष सभी राजनैतिक मुद्दे हैं आप इन पर चर्चा कर सकते हैं उनका राजनैतिक प्रयोजन के लिए लाभ उठा सकते हैं। लेकिन हमें इस जम्मू-कश्मीर वाली समस्या को, जोकि बहुत नाजुक समस्या है और जिसे बहुत सावधानी से हल किया जाना चाहिए, बहुत गम्भीरता से हल करना चाहिए। कृपया संसार को अपनी यह छवि दिखाने की कोशिश न करें कि हम एक नहीं हैं। मुझे विश्वास

है कि हम सभी राष्ट्रीय भावना से प्रेरित हैं। हम सभी देश की अखण्डता में विश्वास रखते हैं। मैं इस बात के लिए किसी राजनैतिक दल को दोषी नहीं ठहराऊंगा कि इस मुद्दे से कुछ राजनैतिक पहलू उभारे गए हैं।

श्री ए० चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : भारतीय जनता पार्टी के बारे में क्या राय है? (व्यवधान)

श्री एस० बी० चव्हाण : जो कुछ मैं कह रहा हूं आप उसे बिगाड़ने की कोशिश नहीं कीजिए।

मेरी सभी राजनैतिक दलों से यही अपील है कि हम सभी जम्मू-कश्मीर की समस्या को हल करने के इच्छुक हैं। मैं समझता हूं, कि जम्मू-कश्मीर धर्मनिरपेक्षता का प्रतीक है। धर्मनिरपेक्षता जम्मू-कश्मीर में प्रतीकात्मक रूप से निरुपित की जा रही है। और हमें इस दृष्टि से इस समस्या को लेना चाहिए और इसको हल करने की कोशिश करनी चाहिए।

एक बात यह उठायी गयी थी कि सरकार के इस सम्बन्ध में परस्पर विरोधी विचार हैं। मैं तो कहूंगा कि विरोधाभास के डर से कोई भी टकराव नहीं रहा है। हम इस समस्या को पूरी गम्भीरता से ले रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : आपके मिनिस्टर कुछ और स्टेटमेंट देते हैं और आप कुछ और स्टेटमेंट देते हैं।

[अनुवाद]

श्री एस० बी० चव्हाण : महोदय, जहां तक जम्मू-कश्मीर की स्थिति की बात है मैं तो कहूंगा कि इसमें गुणात्मक परिवर्तन आए हैं। अभी तक भी मैं इस बात पर दृढ़ हूं। मैं वहां कितनी ही बार गया हूं और वहां की स्थिति का जब मूल्यांकन मैंने किया है उसके मुताबिक इसमें गुणात्मक सुधार आया है।

पंजाब का मामला लें। जब हम यह घोषणा करते हैं कि हम पंजाब में चुनाव करा रहे हैं तो सीमापार से उग्रवादियों के सरगना का आदेश था कि भारत सरकार को पंजाब में चुनाव नहीं कराने दिए जाएंगे। यदि पंजाब में चुनाव हो गए तो उन्हें वह सब पैसा और अन्य चीजें नहीं मिलेंगी जो उन्हें मिल रही थीं। ऐसा उनका आदेश था। चुनाव में अकाली दल के भाग न लेने देने के लिए भी वे ही जिम्मेदार थे।

इसी तरह से जम्मू और कश्मीर में भी यही हुआ क्योंकि मेरी जानकारी के मुताबिक उग्रवादियों को बहुत स्पष्ट निर्देश थे कि वे जम्मू-कश्मीर में भी चुनाव नहीं होने दें।

यदि हम पंजाब में चुनाव करा सके हैं तो मुझे ऐसा कोई कारण नजर नहीं आता है कि हम जम्मू-कश्मीर में भी चुनाव क्यों नहीं करा पाए। मेरा विचार है कि जम्मू-कश्मीर में चुनाव कराने में कोई परेशानी नहीं है। केवल मुख्य बात यह है कि हमें इसके लिए उचित समय चुनना होगा। यहां तो केवल

उचित समय चुनने की बात है क्योंकि लोग चाहे कुछ भी कहें लेकिन मेरा विचार है कि अपनी पूरी कोशिशों के बावजूद राज्यपाल और उनके सलाहकार तथा अन्य सभी अधिकारी जो भी प्रयत्न कर रहे हैं, हो सकता है वे स्थानीय लोगों की समस्याओं को दूर करने में लगे हैं। आखिर वहां अप्रत्यक्ष रूप से नियन्त्रण तो उनका ही है।

श्री तारि वरुण तोपदार (बैरकपुर) : कश्मीर में आपको कितने प्रतिशत मतदान होने की आशा है?

श्री एस० बी० चव्हाण : प्रतिशत कुछ भी हो, यदि आप जम्मू-कश्मीर में चुनाव में भाग नहीं लेते हैं तो मैं इसके लिए जिम्मेदार नहीं हूंगा। पंजाब के चुनावों में, यदि आपने भाग नहीं लिया तो कौन जिम्मेदार था? मैं आपको चुनाव में भाग लेने के लिए मजबूर नहीं कर सकता हूं। यदि आप समझते हैं कि जम्मू-कश्मीर में भी आप चुनाव नहीं जीत सकते हैं और भाग न लेने का निर्णय लेते हैं तो आप मुझे इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं। पंजाब में प्रतिशत गिरी है क्योंकि आपने भाग नहीं लिया। इसकी मुझे चिन्ता नहीं है। मैं तो इस सम्बन्ध में केवल आश्वासन ही दूंगा। दुर्भाग्य से जम्मू-कश्मीर का यह इतिहास रहा है कि वहां लोगों को बहुत अधिक सन्देह रहता है कि क्या उस क्षेत्र में चुनाव निष्पक्ष होंगे और मैं सभी माननीय सदस्यों को तथा इस सभा के जरिए जम्मू-कश्मीर के लोगों को आश्वासन दे सकता हूं कि यह सरकार इस बात की पूर्ण जिम्मेदारी लेती है कि वहां निष्पक्ष चुनाव होंगे और इस सम्बन्ध में किसी को भी कोई सन्देह नहीं होना चाहिए। इसी तरह मेरा कहना है कि जम्मू-कश्मीर··· (**व्यवधान**) कृपया। मैं कोई व्यवधान नहीं चाहता हूं। मुझे अपना भाषण समाप्त करना है। मैं यह नहीं मानूंगा। (**व्यवधान**) मेरे भाषण समाप्त करने के बाद आप मुझसे पूछ सकते हैं। यदि कोई स्पष्टीकरण चाहेंगे तो मैं स्पष्टीकरण देने की कोशिश करूंगा। लेकिन जम्मू-कश्मीर में हम सही माहौल में चुनाव कराना चाहते हैं। सभी राजनैतिक दलों की यह जिम्मेदारी है कि वे ऐसा अनुकूल माहौल पैदा करें जिसमें चुनाव कराए जा सकें।

अब राज्य सलाहकार समिति नियुक्त की गयी है। जिला समितियां नियुक्त की गयी हैं। एक माननीय सदस्य ने पूछा है—कितनी बैठकें की गयी हैं? क्या निर्णय लिया गया था? मेरे पास सारी जानकारी नहीं है। मैं तो केवल यह कह सकता हूं कि एक समय था जब लोग सलाहकार समिति की बैठकों में आने को तैयार नहीं थे लेकिन वे नियमित रूप से बैठकों में भाग ले रहे हैं, बैठकें हो रही हैं, इसमें कई मामलों पर चर्चा होती है और पिछली बार जब मैं बारामूला और अन्य क्षेत्रों के दौरे पर था तो मैंने देखा कि अब गुणात्मक परिवर्तन आया था। लोगों ने मुझसे यह नहीं कहा कि अर्ध सैनिक बलों ने फलां-फलां अत्याचार किए। जैसे कि कुछ माननीय सदस्यों ने कहा था इस समय प्रश्न यही था कि कुछ पुल नष्ट किए गए हैं और जो पैसा बजट में उपलब्ध किया गया है उसे पुल या स्कूल भवनों की मरम्मत के लिए उपयोग किया जाना चाहिए। वे लोग अच्छी सड़क तथा उस क्षेत्र में बिजली प्रदान किए जाने के इच्छुक हैं। अतः वहां लोगों के दृष्टिकोण में निश्चित रूप से बदलाव आया है लेकिन दुर्भाग्य से कोई भी राजनैतिक दल वहां जाने के लिए तैयार नहीं है, जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है और उनमें इतना साहस नहीं है कि वे वहां जाकर लोगों से मिलें। यदि वे ऐसा करते हैं तो मुझे विश्वास है कि उन्हें पता चलेगा कि वहां काफी बदलाव आया है।

एक और बात मानव अधिकार सम्बन्धी पहलू पर के सम्बन्ध में है जिसे कुछ माननीय सदस्यों ने

उठाया है। मेरा कहना है कि यह एक तरह की अप्रत्यक्ष रूप से लड़ा जाने वाला युद्ध है और हमारे सशस्त्र बल अर्ध सैनिक बल बहुत ही कठिन परिस्थितियों में अपने उत्तरदायित्व को निभा रहे हैं और हमें इस बात पर गर्व है कि ये बल अपना कार्य बहुत ही उत्कृष्ट ढंग से कर रहे है तथा इस सम्बन्ध में किसी को कोई भी संदेह नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं यह भी कहूंगा कि कुछ छुटपुट घटनाएं भी हुई है। जैसे कि पाकिस्तानी ताकतें या कुछ उग्रवादी इस मुद्दे को उठाते रहे हैं और वे केवल इस बात को उजागर करते रहे हैं कि कुछ उग्रवादियों द्वारा अत्याचार किए जा रहे हैं। मैं इस प्रकार की छुटपुट घटनाओं की संभावना से इन्कार नहीं करूंगा। घटनाए तो होती ही हैं परन्तु यदि इस प्रकार की घटनाएं होती हैं और हम उसे छिपाने का प्रयास करते हैं तो निश्चित रूप से हम इसके लिए जिम्मेदार हैं। सेना की अपनी अलग ही प्रक्रिया होती है। अर्द्ध-सैनिक बलों में भी अधिकारियों को कानूनों के अन्तर्गत निर्धारित सभी दण्ड दिए जाते है। उन्हें दण्डित किया गया है, कुछ अधिकारियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है, कुछ अधिकारियों की पदावन्नति कर दी गयी है और दण्ड भी दिया गया है। लेकिन फिर भी कोई भी यह स्वीकार करने के लिए तैयार नही है कि यह घटना घटी है बल्कि वे सिर्फ यह कह रहे हैं कि अत्याचार किया गया है।

महोदय, किसी माननीय सदस्य ने 'धोडा' की घटना का उल्लेख किया था। मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा लेकिन तथ्य यह है कि यदि सूचना पा कर आप उस जगह पर जाते हैं जहां उग्रवादी छिपे हुए हैं और उन्हें ढूंढने की कोशिश करते हैं और यदि उन्हें किसी मकान पर छापा मारना होता है तो उनके बीच होने वाली गोला-बारी में कुछ निर्दोष व्यक्ति अवश्य ही मारे जाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। यदि कुछ निर्दोष व्यक्तियों को जान-बूझ कर मारा जाता है तो मैं यह बात समझ सकता हूं। फिर निश्चित रूप से वे अधिकारी जिम्मेदार हैं और फिर हम उन पर कार्यवाही करेंगे। निश्चित रूप से मैं आपको यह आश्वासन दे सकता हूं। लेकिन यदि गोला-बारी में कोई व्यक्ति सामने आ जाता है और सिर्फ उसे बचाने में यदि हम किसी दुर्दान्त उग्रवादी को उस क्षेत्र में भाग जाने देते हैं जो उस अधिकारी को कर्त्तव्य न निभाने का जिम्मेदार ठहराया जाएगा। वह उस प्रकार से कार्य नहीं कर सकता है जिस प्रकार से हम उसे कार्य करने को कहते हैं। उस पर एक विशेष जिम्मेदारी है और उसे अपना कर्त्तव्य निभाना है। मुझे यह पूर्ण विश्वास है कि सैन्य बल, अर्द्ध-सैनिक बल तथा पुलिस बल जिस प्रकार से अपने कर्त्तव्यों का निर्वाह कर रहे हैं, वह उनके कार्य करने के माहौल को देखते हुए सराहनीय है।

फिर हमारे मित्र, 'एमनेस्टी इन्टरनेशनल', मैं नहीं जानता हूं क्यों वे भारत सरकार की छवि धूमिल करना चाहते हैं और इस प्रकार का एक माहौल तैयार कर रहे हैं मानो भारत में जंगल का कानून है, कोई न्यायालय नहीं है, कोई विधान सभा या संसद नहीं है तथा कोई भी इसकी परवाह नहीं करता है। इस प्रकार का माहौल ही इनमें से कुछ लोग बनाना चाहते हैं। लेकिन, साथ ही मैं यह समझता हूं कि इनमें से कुछ लोग इतने शक्तिशाली हो गए है कि यह एक इतना शक्तिशाली गुट बन चुका है कि कुछ बड़े देशों की धारणा में परिवर्तन मुश्किल है। अतः हम एक मार्ग ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि किस प्रकार या तो एक मानव अधिकार आयोग की स्थापना की जाए अथवा 'एमनेस्टी इन्टरनेशनल' से ही कुछ सदस्यों को जो उतने अधिक पक्षपात पूर्ण रवैया नहीं रखते हैं जैसेकि उनमें से कुछ लोगों का है और यदि वे वस्तुनिष्ठ और निष्पक्ष हों तो निश्चय ही उन्हें कश्मीर का दौरा करने के लिए कहने में हमें कोई आपत्ति नहीं है। बड़ी संख्या में विदेशी कश्मीर आ रहे हैं। अतः जब कुछ लोग जम्मू और कश्मीर जा रहे है और वहां व्याप्त स्थिति का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं तो कोई कारण नहीं है कि हमें

उस पर आपत्ति हो। हाल-फिलहाल हम सिर्फ पंजाब में अनुमति दे रहे हैं लेकिन जहां तक जम्मू और कश्मीर का सम्बन्ध है, हम यह नहीं चाहते हैं कि वहां की वर्तमान स्थिति और बिगड़ जाए। हमारे दिमाग में सिर्फ यही बात है। अन्यथा कोई कारण नहीं है कि 'एमनेस्टी इन्टरनेशनल' के लोगों को वहां नहीं जाना चाहिए। यदि वे वहां जाते हैं तो मेरा उनसे सिर्फ यही अनुरोध है कि यदि वे वहां जाएं और उन्हें किसी भी प्रकार का अत्याचार दिखाई पड़े तो उन्हें कम-से-कम इस मुद्दे पर राज्यपाल अथवा भारत सरकार से चर्चा करनी चाहिए। वे हमारे ध्यान में यह ला सकते हैं कि इस प्रकार बातें हमारे ध्यान में आयी हैं और आप इस सम्बन्ध में क्या कहते हैं? अतः जम्मू और कश्मीर की सरकार को अथवा भारत सरकार को इस पर क्या कहना है, यह सुनने के पश्चात ही वे अपनी रिपोर्ट प्रकाशित करने के लिए स्वतन्त्र हैं। इस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन दूसरे पक्ष को अपने विचार प्रकट करने का अवसर नहीं देने पर यह पूर्णतः एक पक्षीय रिपोर्ट होगा। फिर इसे पक्षपातपूर्ण रिपोर्ट समझा जाएगा, जो एमनेस्टी इन्टरनेशनल के पक्ष में भी नहीं होगी। अतः उनसे मेरा अनुरोध है कि यदि वे इन सभी शर्तों को मानने के लिए तैयार हैं तो निश्चित रूप से हम यह विचार कर सकते हैं कि उन्हें हम किस प्रकार यहां ला सकते हैं।

8.00 म० प०

हम किसी भी व्यक्ति से कुछ छिपाना नहीं चाहते हैं। जो लोग वहां आना चाहते हैं उन्हें आने दीजिए और स्वयं सारी बातें देखने दीजिए और यदि हमने कोई खामी रखी है तो निश्चित रूप से हम उसमें सुधार करेंगे। हम कोई भी बात, जो वास्तव में हुई हो, और जिसमें किसी प्रकार की सुधारात्मक कार्यवाही किए जाने की आवश्यकता हो, छिपाना नहीं चाहते हैं।

कुछ अन्य मुद्दे हैं जिन्हें उठाया गया है। (व्यवधान) मैंने अपनी बात कह ली है।

सभापति महोदय : क्या मैं यह समझ लूं कि सभा यह चाहती है कि इस मुद्दे को सुनना जारी रखा जाए चाहे जितना भी समय इसमें लगे?

अनेक माननीय सदस्य : जी, हां।

श्री एस बी० चव्हाण : श्री मदन लाल खुराना द्वारा दो मुद्दे उठाए गए हैं। एक तो जम्मू क्षेत्र के साथ पक्षपात पूर्ण रवैया अपनाने से सम्बन्धित था। जम्मू, लद्दाख और घाटी इन तीनों भागों के बारे में मैं कुछ भी नहीं समझ पाया हूं और मैं अपनी स्थिति बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि हम लोगों के मध्य किसी भी प्रकार के वैर को बढ़ावा नहीं देंगे। वहां अनेक समस्यायें हैं। मैं उन समस्याओं को समझता हूं। इन समस्याओं के समाधान की आवश्यकता है। कुछ शिकायतों पर ध्यान देना होगा। इस मुद्दे पर मुझे कोई शिकायत नहीं है। लद्दाख के सम्बन्ध में भी वास्तव में मैं एक विशेष मामले पर एक निष्कर्ष पर पहुंच रहा था। लेकिन दुर्भाग्यवश उस स्थिति में जिसमें इस समस्या का समाधान किया जाना है, वे हमारी सहायता करना नहीं चाह रहे हैं। लेकिन मैं बौद्ध संगठन से अनुरोध कर रहा हूं। वे सामाजिक बहिष्कार कर रहे हैं और मैं लेह गया था। अतः मैं जानता हूं कि उस क्षेत्र में किस प्रकार का बहिष्कार किया गया है। यदि इस प्रकार की साम्प्रदायिक वातावरण का प्रसार किया जा रहा है, तो वह लेह के लोगों, बौद्ध संगठन और यहां तक कि कारगिल के लिए भी उचित नहीं होगा। कारगिल और लेह के

लोगों की सौहार्द और आपसी समझ की भावना में एक साथ रहना होगा। यदि साम्प्रदायिक घृणा को फैलाया जा रहा है और उस वातावरण में, यदि मैं यह कहूंगा कि अन्य लोग जो कुछ कह रहे हैं? उसके बावजूद भी एक पर्वतीय राज्य का दर्जा दिया जा रहा है तो मेरी पूर्व शर्त यह होगी कि आप पहले इस सामाजिक बहिष्कार को समाप्त करें और विभिन्न सम्प्रदायों के मध्य सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाएं और फिर कोई समस्या नहीं होगी। भारत सरकार ने जो कुछ स्वीकार कर लिया है, निश्चित रूप से उसे लागू करने में कोई समस्या नहीं होगी। उनसे हमने जो वायदा किया है उसे हम निश्चित रूप से लागू करेंगे।

कुछ माननीय सदस्यों द्वारा कुछ मुद्दे उठाये गये हैं। हमारे युवा कांग्रेस अध्यक्ष ने कुछ मुद्दे उठाये हैं। उन्होंने जो मुद्दा उठाया था सामान्यत: उसे मैंने अपनी बात में शामिल किया है।

(व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य : सभी बातें कह दी गयी हैं।

श्री एस० बी० चव्हाण : मैं जानना हूं कि अब आप लोगों को जल्दी है। दूसरे मुद्दे पर मैंने ध्यान दिया है और हर संभव तक मैं उस पर ध्यान देने की कोशिश करूंगा। मैं शरणार्थियों की कठिनाइयों को समझता हूं। वर्ष 1947 के शरणार्थियों और जो लोग घाटी से भागे हैं और जिन्हें जम्मू या दिल्ली में आना पड़ा है। इन स्थितियों में सुधार की आवश्यकता है और निश्चित रूप से सरकार इस बात पर ध्यान देगी कि हम ऐसी स्थिति उत्पन्न करें जिसमें स्थायी रूप से पुनर्वास न हो। मैं स्थायी पुनर्वास के सन्दर्भ में कभी नहीं सोचूंगा लेकिन हम उन्हें यह सहायता दे सकते हैं कि सफाई की स्थिति में सुधार लाया जायेगा। छात्रों को सभी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। यदि इन्हें लागू करने में कोई कठिनाई है तो निश्चित रूप से हम उस पर ध्यान देंगे ताकि छात्रों को यह महसूस न हो कि उनके साथ उचित व्यवहार नहीं किया गया है।

कुछ अन्य मुद्दे भी हैं जिनके बारे में मैं यह आवश्यक समझता हूं कि मुझे उत्तर देना चाहिए। मैं सभा से अनुरोध करता हूं कि इस पर सहमति दी जाए।

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शांताराम पोतदुखे) : सभापति महोदय, माननीय गृह मन्त्री जी द्वारा इस वाद-विवाद का उत्तर दिये जाने के पश्चात् अब इस बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा कि कश्मीर अत्यधिक वित्तीय संकट के दौर से गुजर रहा है और साथ ही वित्तीय कठिनाइयां भी हैं। मैं सम्मानीय सभा को यह भी कहना चाहता हूं कि आठवीं पंचवर्षीय योजना में योजना आयोग ने कश्मीर के लिए 4,000 करोड़ रुपयों का अनुमोदन किया है। इस योजना के लिए 3256 करोड़ रु० केन्द्रीय सहायता के रूप में हैं। चालू वर्ष के लिए जम्मू और कश्मीर की वार्षिक योजना 800 करोड़ रुपया है अर्थात गत वर्ष से 100 करोड़ रुपया अधिक है।

महोदय, 1991-92 से ही जम्मू और कश्मीर विशेष श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। केन्द्रीय सहायता 90 प्रतिशत है और 10 प्रतिशत ऋण का भाग है।

लद्दाख के बारे में, मैं यह कहना चाहता हूं कि आठवीं योजना के अन्तर्गत कारगिल और लेह के विकास हेतु 100 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।

इसके साथ ही मैं सम्मानीय सभा से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि जम्मू और कश्मीर का बजट पारित कर दिया जाए ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत जम्मू-कश्मीर के संबंध में 18 जुलाई, 1990 को जारी की गई उद्घोषणा को 3 सितम्बर, 1992 से और छह माह की अवधि के लिए जारी रखने का अनुमोदन करती है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : अब मैं वर्ष 1992-93 के लिए बजट (जम्मू और कश्मीर) के सम्बन्ध में अनुदानों की मांगों को सभा में मतदान हेतु रखता हूं ।

प्रश्न यह है :

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में मांग संख्या 1 से 27 के सामने दिखाये गए मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने हेतु आवश्यक राशियों को पूरा करने के लिए कार्यसूची के स्तम्भ 4 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित राशियां जम्मू और कश्मीर राज्य की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : वर्ष 1992-93 के लिए बजट (जम्मू और कश्मीर) के संबंध में अनुदानों की मांगों को पारित कर दिया गया ।

जम्मू-कश्मीर विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक*

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री शांताराम पोटदुखे) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 1992-93 की सेवाओं के लिये जम्मू और कश्मीर राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1992-93 की सेवाओं के लिए जम्मू और कश्मीर राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुर:-स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री शांताराम पोटदुखे : मैं विधेयक पुर:स्थापित* करता हूं।

महोदय, मैं प्रस्ताव** करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष 1992-93 की सेवाओं के लिए जम्मू और कश्मीर राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1992-93 की सेवाओं के लिए जम्मू और कश्मीर राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब सभा विधेयक पर खंड-वार विचार करेगी।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

"खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिए गए।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है।

"कि अनुसूची, खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए जाएं।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अनुसूची, खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री शांताराम पोटदुखे : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

* दिनांक 11-8-92 के भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-2, खंड-2 में प्रकाशित।

** राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : क्या सभा अगले मुद्दे पर चर्चा करेगी ।

अनेक माननीय सदस्य : जी, नहीं ।

सभापति महोदय : अब सभा कल 11 बजे म० पू० पर पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है ।

8.11 म० प०

तत्पश्चात लोक सभा बुधवार, 12 अगस्त, 1992/21 श्रावण, 1914 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

मुद्रक : दि इण्डियन प्रैस, दिल्ली ।